



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2019 - 20



भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार 30 जून 2020 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज के संबंध में
केंद्र सरकार को प्रस्तुत केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2019-20



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. सवि.177/02.16.001/2020-21

21 अगस्त 2020
30 भाद्रपद 1942 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय वित्त सचिव,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

- (i) 30 जून 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की एक प्रति जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है और जिस पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक ने, उप गवर्नरों ने और मैंने हस्ताक्षर किए हैं; और
- (ii) 30 जून 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केंद्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

शक्तिमान्त दास
21-8-20
शक्तिमान्त दास

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर शक्तिकान्त दास	
उप गवर्नर बी. पी. कानूनगो महेश कुमार जैन माइकल देबब्रत पात्र	स्थानीय बोर्ड के सदस्य
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (बी) के अंतर्गत नामित निदेशक प्रसन्न कुमार मोहंती दिलीप एस. शंघवी रेवती अय्यर सचिन चतुर्वेदी	पश्चिमी क्षेत्र दिलीप एस. शंघवी वल्लभ रूपचंद भंसाली
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (सी) के अंतर्गत नामित निदेशक नटराजन चंद्रसेकरन अशोक गुलाटी मनीष सभरवाल सतीश काशीनाथ मराठे स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	पूर्वी क्षेत्र सचिन चतुर्वेदी सुनील मित्रा
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (डी) के अंतर्गत नामित निदेशक देबाशीष पण्डा तरुण बजाज	उत्तरी क्षेत्र रेवती अय्यर राघवेंद्र नारायण दुबे
	दक्षिणी क्षेत्र प्रसन्न कुमार मोहंती

प्रमुख अधिकारी

(17 अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशकगण

.....	एम. राजेश्वर राव
.....	लिलि वडेरा
.....	रबि एन. मिश्र
.....	नन्दा एस. दवे
.....	अनिल के. शर्मा
.....	एस. सी. मुर्मू
.....	टी. रबी शंकर
.....	पी. विजयकुमार
.....	इंद्राणी बनर्जी
.....	ओ.पी. मल्ल
.....	मृदुल के. सागर
.....	सुधा बालकृष्णन (मुख्य वित्तीय अधिकारी)

केंद्रीय कार्यालय

केंद्रीय सतर्कता कक्ष	साधना वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	रंजना सहजवाला, मुख्य महाप्रबंधक
कोर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग	एच. एन. पंडा, मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग	योगेश के. दयाल, मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग	इंशान शुक्ला, मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	देबा प्रसाद रथ, प्रभारी अधिकारी
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	उषा जानकीरामन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	निर्मल चंद, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	दीपक कुमार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
भगतान और निपटान प्रणाली विभाग	पी. वासुदेवन, मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग विनियमन विभाग	सीरव सिन्हा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग	ए. आर. जोशी, प्रभारी अधिकारी
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	जे. के. दाश, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
प्रवर्तन विभाग	आर. सुब्रमणियन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	जी. पी. बोरा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	आर. एस. रथ, मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	डिम्पल भांडिया, प्रभारी महाप्रबंधक
वित्तीय स्थिरता इकाई	आर. गुरुमूर्ति, मुख्य महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग	अजय कुमार मिश्रा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग	विवेक दीप, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
निरीक्षण विभाग	आर. एल. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	टी. के. राजन, मुख्य महाप्रबंधक
अंतरराष्ट्रीय विभाग	महेश राय, परामर्शदाता
विधि विभाग	ए. उन्नीकृष्णन, विधि परामर्शदाता और प्रभारी अधिकारी
मौद्रिक नीति विभाग	राजीव रंजन, प्रभारी परामर्शदाता
परिसर विभाग	अशोक कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग	साधना वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
जोखिम निगरानी विभाग	गुणवीर सिंह, मुख्य महाप्रबंधक
सचिव विभाग	अविरल जैन, मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

महाविद्यालय

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे	
रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै	

कार्यालय

चेन्नै	
कोलकाता	
मुंबई	
नई दिल्ली	

शाखाएँ

अहमदाबाद	
बंगलुरु	
भोपाल	
भुवनेश्वर	
चंडीगढ़	
देहरादून	
गुवाहाटी	
हैदराबाद	
जयपुर	
जम्मू	
कानपुर	
लखनऊ	
पटना	
रायपुर	
तिरुवनंतपुरम	

अगरतला	
आइजोल	
बेलापुर	
गंगटोक	
इंफाल	
कोच्चि	
नागपुर	
पणजी	
रांची	
शिलांग	
शिमला	
श्रीनगर	

प्रधानाचार्य

एम. सरकार देब
आर. केसवन

क्षेत्रीय निदेशक

एस. एम. नरसिम्हा स्वामी
सुशोभन सिन्हा
अजय मिचयारी
अजय कुमार

एस. के. पाणिग्रही
जोस जे. कडूर
विवेक अग्रवाल
एम. के. मल्ल
जे. के. पाण्डेय
राजेश कुमार
मनोरंजन दाश
सुब्रत दास
अरुण कुमार सिंह
थॉमस मेथ्यू
तुली राय
आर. एल. के. राव
देवेश लाल
ए. सिवगामी
रीनी अजित

प्रभारी अधिकारी

तमाल बिश्वास, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
मैरी लिनलकिम डेग, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
के. निखिला, मुख्य महाप्रबंधक
आर. वी. संगर्बई, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
मैरी ल्वाम निगिह चिंग ग्वेते, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
के. पी. पटनाइक, मुख्य महाप्रबंधक
पी. एस. वेकटेश्वरन, प्रभारी महाप्रबंधक
एन. जी. नम्पतिरी, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
संजीव दयाल, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
अनुराग अस्थाना, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
के. सी. आनंद, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
अशोक कुमार, प्रबंधक

	पृष्ठ संख्या
भाग एक: अर्थव्यवस्था: समीक्षा और संभावनाएं	1
I. मूल्यांकन और संभावनाएं	1
2019-20 अनुभव का आकलन	2
2020-21 के लिए संभावनाएं	7
II. आर्थिक समीक्षा	20
वास्तविक अर्थव्यवस्था	20
मूल्य की स्थिति	39
मुद्रा एवं ऋण	49
वित्तीय बाज़ार	61
सरकारी वित्त	73
बाह्य क्षेत्र	76
भाग दो: भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन	93
III. मौद्रिक नीति परिचालन	93
मौद्रिक नीति	94
परिचालन फ्रेमवर्क: चलनिधि प्रबंधन	98
मौद्रिक नीति संचरण	103
क्षेत्रवार उधार दरें	105
IV. ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन	108
ऋण सुपुर्दगी	109
वित्तीय समावेशन	113
वित्तीय साक्षरता	115
V. वित्तीय बाज़ार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन	118
वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग	118
वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग	122
विदेशी मुद्रा विभाग	125
VI. विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता	130
वित्तीय स्थिरता इकाई	131

विनियमन विभाग	
वाणिज्यिक बैंक	132
सहकारी बैंक	141
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	144
पर्यवेक्षण विभाग	
वाणिज्यिक बैंक	148
शहरी सहकारी बैंक	152
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	153
सभी पर्यवेक्षित संस्थाएं	155
प्रवर्तन विभाग	159
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	160
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	165
VII. लोक ऋण प्रबंधन	168
केन्द्र सरकार के ऋण का प्रबंधन	170
राज्य सरकारों के ऋण का प्रबंधन	173
VIII. मुद्रा प्रबंध	179
संचलनगत मुद्रा संबंधी गतिविधियाँ	179
मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना	181
प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय	182
भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	185
IX. भुगतान और निपटान प्रणालियां तथा सूचना प्रौद्योगिकी	187
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	187
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	198
X. संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी	201
संचार प्रक्रिया	201
अंतरराष्ट्रीय संबंध	202
सरकारी और बैंक लेखा	208
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंध	210

	पृष्ठ संख्या
आर्थिक और नीति अनुसंधान	212
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध	214
कार्यनीति अनुसंधान इकाई	216
विधिक मामले	217
XI. गवर्नेंस, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन	220
गवर्नेंस संरचना	221
मानव संसाधन विकास संबंधी पहलें	223
उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन	228
आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण	229
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन	231
राजभाषा	234
परिसर विभाग	236
अनुबंध	239
XII. 2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा	244
तुलनपत्र	248
30 जून 2020 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	253
आय	266
व्यय	269
अनुबंध I: प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: जुलाई 2019 से जून 2020	272
अनुबंध II: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाएं	287
परिशिष्ट सारणियां	299

बॉक्स

II.1.1 : कोविड-19 का समष्टि आर्थिक प्रभाव	23
II.1.2 : जलवायु परिवर्तन - भारतीय कृषि के लिए चुनौतियां	29
II.3.1 : मौद्रिक और ऋण समूहों पर कोविड-19 का प्रभाव	58
II.4.1 : वित्तीय बाजार पर रिज़र्व बैंक के विशेष परिचालनों के प्रभाव	64
II.4.2 : भारत के वित्तीय बाजार : कोविड-19 का प्रभाव	69
II.6.1 : महामारी के समय में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं	81
II.6.2 : पूंजी प्रवाह और विदेशी मुद्रा भंडार : घरेलू अर्थव्यवस्था की अवशोषक क्षमता का विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य	86
III.1 : मौद्रिक नीति समिति की वोटिंग डायरी, 2016-20	97
IV.1 : कृषि ऋण और कृषि क्षेत्र के लिए उसके निहितार्थों की समीक्षा करने हेतु आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट	111
V.1 : विदेशी मुद्रा बाजार: पहुंच, पारदर्शिता और कीमत-निर्धारण में सुधार लाना	119
V.2 : चलनिधि प्रबंधन के गैर पारंपरिक उपाय: आरबीआई का हाल का अनुभव	123
VI.1 : कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार	134
VI.2 : प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) में गवर्नेंस	142
VI.3 : मूल निवेश कंपनियाँ (सीआईसी)	147
VI.4 : पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस (ईएसजी) संबंधी नीति	151
VI.5 : वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जी-20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों के लिए बेंचमार्किंग	161
VI.6 : बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों (ओबीओ) से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण	164
VI.7 : निक्षेप बीमा में आरक्षित अनुपात का महत्व : क्रॉस- कंट्री परिप्रेक्ष्य	166
VII.1 : राज्यों की समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) योजनाएं : वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिकता	175
VIII.1 : दृष्टिबाधितों के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मणि)	185
IX.1 : कोविड-19 संकट: भुगतान प्रणाली पर असर	189
IX.2 : एनईएफटी 24 x 7	200
X.1 : एसएमएस के जरिए जन-जागरूकता अभियान	203
X.2 : सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था का फ्रेमवर्क	207
X.3 : ई-कुबेर और कर सूचना प्रणाली (टीआईएन) 2.0: प्रत्यक्ष करों का एकीकरण	211

	पृष्ठ संख्या
XI.1 : कार्यनीति फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की स्थिति – उत्कर्ष 2022	232
XI.2 : कोविड-19 महामारी के लिए आरबीआई की कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी)	233
परिशिष्ट सारणियां	
1. समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक	299
2. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (2011-12 की कीमतों पर)	301
3. सकल बचत	302
4. मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण	303
5. पूंजी बाजार- प्राथमिक एवं द्वितीयक	304
6. मुख्य राजकोषीय संकेतक	305
7. केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण	306
8. भारत का समग्र भुगतान संतुलन	307
9. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार	308

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एडीईपीटी	- स्वचालित डेटा निष्कर्षण परियोजना	सीसीआईएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
एईपीएस	- डिजिटल भुगतानों की पैठ बढ़ाने संबंधी उच्च स्तरीय समिति	सीसीएम	- मुद्रा संचलन समिति
एएलएम	- आस्ति-देयता प्रबंधन	सीसीओ	- मुख्य अनुपालन अधिकारी
एएमआरएमएस	- लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली	सीडीडीपी	- डिजिटल भुगतानों की पैठ बढ़ाने संबंधी उच्च स्तरीय समिति
एक्यूआई	- आस्ति-गुणवत्ता सूचकांक	सीडीएस	- ऋण चूक अदला-बदली
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	सीएफएल	- वित्तीय साक्षरता केंद्र
एआरएमएस	- लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति	सीएफआर	- केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री
बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई	सीजीएफएमयू	- सूक्ष्म इकाइयों हेतु क्रेडिट गारंटी निधि
बीबीपीएस	- भारत बिल भुगतान प्रणाली	सीजीएफएस	- वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति	सीआईसी	- मुख्य निवेश कंपनियाँ
बीसीपी	- कारोबार निरंतर योजना	सीआईएमएस	- केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली
बीसीएसबीआई	- भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड	सीएमबी	- नकदी प्रबंधन बिल
बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड	सीओसीआर	- ग्राहक अधिकार-पत्र
भीम	- भारत इंटरफेस फॉर मनी	सीआरएआर	- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
बीआईएस	- बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट	सीआरई	- वाणिज्यिक स्थावर संपदा
बीएनआईआई	- बैंक-एनबीएफसी मध्यस्थता सूचकांक	सीआरआईएलसी	- बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार
बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड	सीएसए	- नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा
बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	सीएसएफ	- समेकित ऋण-शोधन निधि
बीएसबीडीए	- मूलभूत बचत बैंक जमा खाता	सीएसआरसी	- चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन
बीएससी	- बिल्डिंग उप-समिति	सीटीएस	- चेक ट्रंक्शन सिस्टम
सीए	- समवर्ती लेखापरीक्षा	सीवीपीएस	- मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली
सीएडी	- चालू खाता घाटा	सीडब्ल्यूबीएन	- सिलिंडर वाटरमाकर्ड बैंक नोट
सीबीडीटी	- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	डीएफआई	- विकास वित्त संस्थाएं
सीबीआईसी	- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड	डीआईए	- जमा बीमा एजेंसियाँ
सीसीबी	- केंद्रीय बोर्ड की समिति	डीआईएफ	- निक्षेप बीमा निधि
		डीपीआई	- डिजिटल भुगतान सूचकांक

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

ईसीसीएस	- द्रुत चेक समाशोधन प्रणाली	जीईएम	- सरकारी ई-मार्केटप्लेस
ईडीपीएमएस	- निर्यात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली	जीएफसी	- वैश्विक वित्तीय संकट
ईएसजी	- पर्यावरण, सामाजिक एवं गवर्नेंस	जीएफसीई	- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय
ईएसटीईआर	- यूरोपीय अल्पावधि दर	जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा
ईटीसीडी	- एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव	जीएफएक्ससी	- वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति
ईडब्ल्यूएस	- शीघ्र चेतावनी संकेत	जीएनडीआई	- सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
एफएआर	- पूर्णतया सुगम मार्ग	जीआरएफ	- गारंटी मोचन निधि
एफसीआई	- वित्तीय परिस्थिति सूचकांक	जीआरआईएचए	- एकीकृत आवासन मूल्यांकन हरित रेटिंग (गृह)
एफसीपी	- वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण	जीआरक्यू	- कोटा की सामान्य समीक्षा
एफईडीआई	- भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ	जी-सेक	- सरकारी प्रतिभूति
एफईएमए (फेमा)	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम	जीवीसी	- वैश्विक मूल्य शृंखला
एफएफएमसी	- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक	एचएफसी	- आवास वित्त कंपनियाँ
एफआईएसी	- वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति	एचएलसीसीएसएम	- मुद्रा भंडारण और संचालन पर उच्च स्तरीय समिति
फिनटेक	- वित्तीय प्रौद्योगिकी	एचआरएम-एससी	- मानव संसाधन प्रबंधन उप समिति
एफएलसी	- वित्तीय साक्षरता केंद्र	आईबीए	- भारतीय बैंक संघ
एफएलडब्ल्यू	- वित्तीय साक्षरता सप्ताह	आईबीबीआई	- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
एफएमसीबीजी	- जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों	आईबीसी	- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
एफपीसी	- स्वच्छ आचार संहिता	आईबीओआर	- अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
एफपीआई	- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश	आईसीसीओएमएस	- समन्वित कंप्यूटराइज्ड मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली
एफपीओ	- कृषक उत्पादक संगठन	आईसीईजीएटीई	- भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट)
एफपीओ	- फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर्स	आईसीएमटीएस	- एकीकृत अनुपालन प्रबंधन एवं ट्रेकिंग प्रणाली
एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड	आईसीएसडी	- अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार
एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	आईसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
एफएसपी	- वित्तीय सेवा प्रदाताओं		
जीएच	- गिल्ट खाता धारक		
जीडीएल	- ग्रेन्यूलर डेटा एक्सेस लैब		

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

आईडीपीएमएस	- आयात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली	एमआईएस	- प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईएफए	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना	एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति
आईएफएससी	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र	एमएसएमई	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
आईजीबीसी	- इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल	एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
आईआईएफसीएल	- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी लिमि.	एनबीएफसी	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	एनबीएफआई	- गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता
आईएमएफसी	- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति	एनडीडीसी	- नॉन-डेलीवरेबल डेरीवेटिव कांट्रैक्ट
आईएमपीएस	- त्वरित भुगतान सेवा	एनईएफटी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
आईएमएसएस	- समन्वित बाजार निगरानी प्रणाली	एनईटीसी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण
इन्ड एस	- भारतीय लेखा मानक	एनआईआईएफ	- राष्ट्रीय निवेश एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर निधी
इन्वआईटीएस	- इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट	एनजीएफएस	- वित्तीय प्रणाली हरितकरण नेटवर्क
आईओएस	- औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण	एनओसी	- नेटवर्क परिचालन केंद्र
आईपीपीबी	- भारतीय डाक भुगतान बैंक	एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
आईआरआरएस	- एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली	एनएसएफआई	- राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति
आईटी-एससी	- सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति	एनएसएफआर	- निवल स्थायी निधीयन अनुपात
एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा	ओबीओ	- बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय
एलबीएस	- अग्रणी बैंक योजना	ओएलटीएस	- बेमीयादी कर्ज लिखत
एलडीओ	- अग्रणी जिला अधिकारी	ओटीसी	- काउंटर पर
एलईएफ	- वृहद एक्सपोजर फ्रेमवर्क	पीएडीओ	- लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं
एलईआई	- विधिक संस्था पहचानकर्ता	पीडीआई	- बेमीयादी कर्ज लिखत
एलआईबीओआर	- लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर)	पीएफसीई	- निजी अंतिम उपभोग व्यय
एलटीआरओ	- दीर्घावधि रिपो परिचालन	पीआईडीएफ	- भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि
एमएनआई	- मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मणि)	पीओएस	- बिक्री केंद्र
एमसीएलआर	- निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दरें	पीपीआई	- पूर्वदत्त भुगतान लिखत
		पीएसएलसी	- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

पीएसओ	- भुगतान प्रणाली परिचालक	एसआरबी	- स्व-विनियामकीय निकाय
क्यूपीएम	- तिमाही पूर्वानुमान मॉडल	एसआरओ	- स्व-विनियामकीय संगठन
आरएएम-ओआर	- जोखिम आकलन कार्यप्रणाली - परिचालन जोखिम	सूपटेक	- पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी
आरबीआईए	- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा	एसडब्ल्यूआईएफटी	- विश्वव्यापी अंतर-बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट)
आरडीबी	- रुपया मूल्यवर्गित बॉन्ड	टीएटी	- टर्न अराउण्ड टाइम
आरईबीआईटी	- रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्रा. लिमि. (रेबिट)	टी-बिल्स	- खजाना-बिल
रेगटेक	- विनियामकीय प्रौद्योगिकी	टीसीएफडी	- जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण कार्यदल
आरईआईटीएस	- स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट	टीआईएन	- कर सूचना प्रणाली
आरआईडीएफ	- ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि	टीएलटीआरओ	- लक्षित दीर्घवधि रिपो परिचालन
आरटीजीएस	- तत्काल सकल निपटान प्रणाली	टीओएलआईसी	- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
एसए	- सांविधिक लेखापरीक्षक	टीआरईडीएस (ट्रेड्स)-	व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली
एसडीएल	- राज्य विकास ऋण	यूपीआई	- एकीकृत भुगतान इंटरफेस
एसडीएमएक्स	- सांख्यिकीय डेटा एवं मेटा डेटा एक्सचेंज	वी-सीआईपी	- वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया
एसई	- पर्यवेक्षित संस्थाएं	वीआरआर	- स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग
एसएफबी	- लघु वित्त बैंक	डब्ल्यूएसीआर	- भारित औसत मांग दर
एसएफएमएस	- संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली	डब्ल्यूएलआर	- भारित औसत उधार दर
एसजीबी	- सरकारी स्वर्ण बॉन्ड	डब्ल्यूएम	- भारित औसत परिपक्वता
एसएनआरआर	- विशेष अनिवासी रुपया	डब्ल्यूएस	- भारित औसत स्प्रेड
एसओएफआर	- प्रतिभूत रात्रिपर्यंत वित्तीयन दर	डब्ल्यूवाई	- भारित औसत आय
एसओएनआईए	- स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज (सोनिया)	डब्ल्यूएलए	- व्हाइट लेबल एटीएम
एसपीडी	- एकल प्राथमिक विक्रेता	डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
एसपीएमसीआईएल	- सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एक्सबीआरएल	- एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज

**यह रिपोर्ट इंटरनेट URL : www.rbi.org.in
पर देखी जा सकती है**

भाग एक : अर्थव्यवस्था – समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

I.1 2020-21(अप्रैल-मार्च) की दूसरी तिमाही का बड़ा हिस्सा निकल चुका पर 210 देशों को अपने घातक आगोश में ले चुके कोविड -19 की छाया पृथ्वी पर अभी भी मँडरा रही है। महामारी विनाश के पदचिह्न छोड़ते आगे बढ़ रही है- रिपोर्ट जारी होने के समय तक दुनिया भर में 2.25 करोड़ पुष्ट (कन्फर्म्ड) मामलों (20 अगस्त 2020 के अनुसार) में से 7.90 लाख जिंदगियां यह निगल चुकी है, सक्रिय (एक्टिव) संक्रमण 73.59 लाख हैं और बढ़े जा रहे हैं। इसने मानव समाज को एक अनदेखे एकांतवास में धकेल दिया है, दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों पर विराम लगाया और रोजगार व आय को मटियामेट कर डाला है। राहत के प्रारंभिक अनंतिम संकेतों – परिचालन की शब्दावली में 'नई कोपलों'- पर, दमघोटू सामाजिक दूरी/मास्कों/सैनिटाइजर्स तथा 'लॉकडाउन सिंड्रोम' से क्लान्त लोग अपने जीवन व जीविका पर नियंत्रण पाने की आतुरता में अलग-अलग पैमाने पर अपने पंख फैला रहे हैं। कई देशों में, संक्रमणों व मृत्यु की एक नई लहर के चलते फिर से कंटेनमेंट प्रक्रियाओं का शिकंजा कसने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह पता लगाना मुश्किल है कि वायरस की पहली लहर और तेज हुई है या यह दूसरी लहर की चपेट है।

I.2 कोविड-19 ने भारत पर भी प्रबल आघात किया है। हाल तक को लें तो, रिपोर्ट हुए सभी मामलों में से आधे छह नगरों – मुंबई; दिल्ली, अहमदाबाद; चेन्नई; पुणे और कोलकाता – से हैं। तथापि, इधर कुछ हफ्तों में, इससे नीचे की पंक्ति में आने वाले नगरों/शहरों में इसकी रेखा ऊपर गई है तथा वायरस और

आगे भीतरी प्रदेशों में घुस रहा है। दूसरों के मुकाबले भारत ने तुरंत और ताकत से कदम उठाते हुए 25 मार्च से दो महीनों की राष्ट्र-व्यापी तालाबंदी (लॉकडाउन) की। 30 जनवरी को रिपोर्ट हुए पहले मामले एवं 12 मार्च को पहली मृत्यु से लॉक डाउन के तीन दिनों बाद तक 1000 से कुछ कम पुष्ट (कन्फर्म्ड) मामलों और 19 मौतों को लें तो गति अपेक्षाकृत धीमी थी। मध्य-मई तक महामारी ने पकड़ बना ली थी; चीन को लांघते हुए पुष्ट मामले 85,000 से अधिक हो गए। जुलाई के अंत तक जब अनलॉक 3.0 शुरू होने वाला था, 35,747 मौतों के साथ पुष्ट मामले 16.50 लाख को छू रहे थे जो बाद में (20 अगस्त 2020 के अनुसार) बढ़कर क्रमशः 53,866 मृत्यु और 28.36 लाख तक पहुँच गए।

I.3 भारत के अनुभव ने आशा तथा मानवता व इसकी सेवा में लगी संस्थाओं के अजेय चरित्र में एक सहज विश्वास को भी जन्म दिया है। स्वास्थ्य की बुनियादी व्यवस्था में बड़ी कमियों के बावजूद, भारत में मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम में से एक (20 अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार, 3.5 प्रतिशत के वैश्विक औसत की तुलना में 1.9 प्रतिशत) है। जाँच, क्लिनिकल प्रबंध और अस्पताल सहायता बढ़ाई जा रही है। स्वस्थ होने की दर 70 प्रतिशत के निकट पहुँच रही है और इसमें वृद्धि जारी है। देश के सामने ये चुनौतियां हैं: इस वक्र (कर्व) को सपाट करना, रोजगार की बहाली विशेषतः विस्थापित प्रवासियों के लिए, आपूर्ति शृंखलाओं का पुनर्निर्माण, त्रस्त अर्थव्यवस्था की मरम्मत और पुनरुत्थान तथा सामान्य जीवन की ओर वापसी। व्यापक तौर पर यह

* यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, लेकिन कई चरों से संबंधित आंकड़े वित्तीय वर्ष, अर्थात् अप्रैल-मार्च के आधार पर उपलब्ध होते हैं और इसलिए आंकड़ों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है। उपलब्धता के अनुसार, मार्च 2020 के बाद के आंकड़े शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई है। विश्लेषण के प्रयोजन से तथा नीतियों का उचित परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए इस रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों के तथा भावी अवधि के संदर्भ भी दिए गए हैं।

माना जा रहा है कि सभी हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय द्वारा ही भारत के लोग इस पुनरुत्थान का स्वरूप निर्धारित कर सकेंगे। आगे की राह, जहाँ अभी भी बड़ी अनिश्चितता से ढँकी हुई है, वहीं विगत वर्ष के अनुभव के पन्ने पलटने से इस संकल्प को बल मिल सकता है तथा 2020-21 व उसके बाद मध्यावधि में हमारे सम्मुख उपस्थित चुनौतियों से निपटने के लिए साहस व संसाधनों को जुटाया जा सकता है।

2019-20 के अनुभव का आकलन

1.4 मुड़कर देखने पर, 2019 के वैश्विक घटनाक्रम में गहन चिंतन के कई पाठ हैं जिनके भारत व दूसरी सभी अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं के लिए भी निहितार्थ हैं। यह अब स्पष्ट है कि 2019 की गिरावट में वैश्विक अर्थव्यवस्था उन विखंडनकारी घटनाओं को दरकिनार करते हुए आपस में फिर से जुड़ी जो गत वर्ष, घटकों के विकास मानचित्र में अंतर का संकेत देती प्रतीत हो रही थी। ध्यान देने बात है कि, विकसित अर्थव्यवस्थाओं (ईई) की तुलना में उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में शिथिलता अधिक स्पष्ट थी। वर्ष के दौरान, वृद्धि की गति में कमजोरी, भौगोलिक रूप से, अधिकाधिक व्यापक होती गई जिससे भारत समेत अलग-अलग देशों को बच पाने का कोई रास्ता नहीं था। वैश्विक शिथिलता के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तरों पर औद्योगिक उत्पादन, व्यापार व निवेश में गिरावट भी आई क्योंकि निवेश अधिक व्यापार वाले मध्यवर्ती व पूँजीगत वस्तुओं में केंद्रित है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में व्यापार संबंधी तनावों ने करोबारी मिज़ाज को चोट पहुँचाई। ईएमई में गिरावट से वैश्विक आयात की कमजोरी पर बड़ा असर पड़ा। फलतः, इन शक्तियों ने उस निर्यात वृद्धि को घटाया जो आयात से जुड़ी है तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखला की स्थिति पर काफी निर्भर करती है। कुछ समय के लिए, जब विनिर्माण का इंजन धीमा पड़ा तब सर्विसेज़ मजबूती से बनी रहीं और इसने उपभोक्ता विश्वास को सहारा देने में सहायता की, लेकिन आगे चलकर वैश्विक गिरावट की भवितव्यता हावी हो गई।

1.5 इन प्रतिकूलताओं के बावजूद, वर्ष के अंतिम महीनों की ओर, ऐसे कुछ संकेत उभरे मानो यह सुस्ती अपने उस

अंतिम बिंदु पर आ रही हो जिसके बाद हालात सुधरें। कुछ देशों में राजकोषीय प्रोत्साहन से समर्थित मौद्रिक नीति के उदारीकरण के 2019 के उत्तरार्ध में जारी रहने से यह प्रत्याशा बढ़ी कि 2020 की शुरुआत में वैश्विक गतिविधि में सुधार हो सकता है। वास्तव में, चौथी तिमाही (अक्टूबर – दिसंबर 2019) के उच्च आवृत्ति संकेतकों ने बताया कि गति सुस्ती से स्थिर हो रही है। एकबारगी होने वाले कारक, जिनसे वैश्विक विनिर्माण प्रभावित हुआ था –आटो क्षेत्र के लिए नए उत्सर्जन मानक; स्टॉक का जमा होना – कमजोर पड़ते प्रतीत हुए। कारोबारी मिज़ाज और विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की गिरावट थमी, विश्व व्यापार वृद्धि अपने न्यूनतम बिंदु से सुधार की ओर बढ़ती प्रतीत हुई और सेवा क्षेत्र के पीएमआई विस्तारी क्षेत्र में रहे।

1.6 फाइनेंस का चैनल भी अपना काम कर रहा था और, विश्वास के चैनल से जुड़कर इसने वैश्विक प्रभावों को विस्तार दिया। पहले बताए गए वास्तविक क्षेत्र के चैनलों से आ रही सकारात्मक धाराओं ने प्रारंभ में वित्तीय बाजारों को बल दिया, और व्यापारिक युद्धों के भय को कम किया तथा तथा एक दृढ़ ब्रेकिज़ट ने जोखिम के लिए निवेशकों की भूख बढ़ाई। इक्विटी कीमतों में संतुलन फिर से आता प्रतीत हुआ, सरकारी बॉण्ड प्रतिफल घटे और पोर्टफोलियो प्रवाह ईएमई की ओर लौटे। सितंबर 2019 और जनवरी 2020 की शुरुआत के बीच मुद्रा की चाल से जोखिम के मनोभावों की सामान्य मजबूती का संकेत मिला। इस प्रकार महामारी के फैलने के पहले वित्तीय स्थितियां सभी ईई और ईएमई में व्यापक तौर पर उदार एवं हल्के समुत्थान के अनुकूल हो चली थीं।

1.7 2019 के अंत में कोविड-19 की शुरुआत के साथ वित्त व विश्वास के चैनलों ने संचरण को हठात् उलट दिया। वित्तीय बाजार ठिठक गए, वित्तीय संस्थाएं बैलेंस शीट की क्षति के निर्मम आघातों की तैयारी करने लगी, घोर जोखिम-विमुखता प्रारंभ हुई और जब आय का प्रवाह, विशेषतः कवचहीनों के लिए, थमने लगा तो घर और कारोबार दोनों ने समान रूप से नकद की ओर दौड़ लगाई। कोविड-19 वैश्विक एकीकरण के नकारात्मक पक्ष को सामने ला रहा था। नतीजा, 2019 में 2.9 की वैश्विक

वृद्धि 2009 के बाद से सबसे धीमी रही। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से भारत की न्यूनतम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि भी वर्ष 2019-20 (अप्रैल-मार्च) में रही। उपर्युक्त असरदार वैश्विक घटनाक्रमों के बीच, 2019 की दूसरी तिमाही से भारतीय अर्थव्यवस्था ऑटोमोबाइल व रीयल इस्टेट सेक्टर में ढलान तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्यमों में कष्ट की छटपटाहट जैसे विशिष्ट घरेलू कारकों का सामना कर रही थी।

1.8 घरेलू घटनाक्रमों की ओर मुड़ें तो, गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट ने एक अस्तित्ववादी प्रश्न रखा था: हमारा सामना किसी सॉफ्ट पैच (अल्पावधि सुस्ती) से है या किसी चक्रीय अधोगति से या फिर संरचनागत धीमेपन से? एक ओर जहाँ धीमेपन की गुत्थी सुलझाने के लिए आँकड़ों की प्रतीक्षा हो रही थी, वहीं आने वाली हर तिमाही के साथ गति हास को गहराते देखकर सॉफ्ट पैच को खारिज कर दिया गया। मुड़कर देखें तो, जीएफसी के बाद से भारत अंग्रेजी वर्णमाला के वी(V)-आकार के समुत्थान से गुजरा था, लेकिन प्रोत्साहन (स्टीमुलस)-चालित यह उठान कायम नहीं रह पाई: औसत जीडीपी वृद्धि 2009-11 के 8.2 प्रतिशत से घटकर 2011-13 में 5.3 पर आ गई थी। 2013-14 से एक चक्रीय उठान ने पैर जमाए और यह स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में दीर्घतम में से एक सिद्ध हुआ जो 2016-17 में 8.3 प्रतिशत पर पहुँचा। हालांकि, 2018 में प्रारंभ हुई चक्रीय वैश्विक गिरावट के पहले भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि ने 2017 में सुस्ती के संकेत दिए थे। धीमी पड़ रही गति के बावजूद, अनुकूल सांख्यिकीय आधार के प्रभावों ने 2017-18 की दूसरी छमाही में चक्रीय अधोगति के प्रारंभ को टाल दिया। तथापि, आगे चल कर, 2018-19 की पहली तिमाही से भारत वैश्विक शिथिलता का हिस्सा बन गया और अगली 8 तिमाहियों में लगातार गति खोता हुआ 2019-20 की चौथी तिमाही में 3.1 प्रतिशत पर पहुँच गया जो 2011-12 पर आधारित राष्ट्रीय लेखा शृंखला में निम्नतम है।

1.9 इस प्रकार कोविड-19 की शुरुआत होने तक, भारत के वृद्धि पथ की सुस्ती में वैश्विक व घरेलू दोनों प्रकार की चक्रीय शक्तियों का प्रभाव दिख रहा था। वैश्विक चालकों में पहले से नरम बाह्य मांग, विश्व के कई हिस्सों में ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के नए मानक, प्रणालीबद्ध ईएमई के किसी समूह में विशेष प्रकार के कारकों के चलते कमजोर समष्टि-आर्थिक स्थितियाँ, व्यापारिक तनावों व वृहत्तर वैश्विक व्यापार नीति अनिश्चितता, चीन में मंदी व नो-डील ब्रेकिंग की संभावना शामिल हैं। घरेलू कारक पहले वास्तविक क्षेत्र में स्टॉक की अधिकता के रूप में आए और इसके बाद व्यापार की प्रतिकूल शर्तों के चलते ग्रामीण मांग में सूखा, 2018-19 की चौथी तिमाही से सकल स्थिर पूँजी निर्माण में कमी तथा 2019-20 की पहली तिमाही से पण्य निर्यात और 2019-20 की दूसरी तिमाही से आयात में कमी आई। हास के इस दौर (2018-19 की चौथी तिमाही से 2019-20 की चौथी तिमाही) को और हवा मिली अटपटी घटनाओं से जैसे वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऑटो उत्सर्जन मानक/एक्सल मानक और एनबीएफसी क्षेत्र में ऋण संबंधी घटनाएं।

1.10 वृद्धि में कमी की इस अंतर्निहित चक्रीय प्रकृति को समय रहते समझते हुए मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2019 के प्रारंभ से ही कई नीति दर कटौतियाँ करते हुए फरवरी 2020 तक कुल 135 आधार अंक कम किए; नीति का रुख नपी-तुली सख्ती से बदलकर पहले तटस्थ और फिर उदार किया; और 2019-20 की दूसरी तिमाही से प्रणाली में भरपूर चलनिधि डाली। भारत में सामान्यतः अंतराल से और अपूर्ण रूप से होने वाला मौद्रिक संचरण, पर्याप्त चलनिधि परिस्थितियों के तहत एवं अक्टूबर में चुनिंदा क्षेत्रों में नए कर्जों पर ब्याज दरों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़े जाने की अनिवार्यता के कारण, वर्ष के उत्तरार्ध में, काफ़ी सुधर गया। उदाहरण के लिए, फरवरी 2019 से फरवरी 2020 के बीच, नए बैंक लोन पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलएलआर) में 71 आधार अंकों की कमी आई जिसमें से 31 आधार अंक अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच के हैं। वृद्धि के लिए सहायक

मौद्रिक नीति रुख में प्रतिचक्रीय बदलाव वर्ष की पहली छमाही में मुद्रास्फीति के नरम पड़ने के कारण था; खाद्य कीमतों के बढ़ने के कारण दिसंबर 2019 – फरवरी 2020 के बीच, हेडलाइन मुद्रास्फीति के 6 प्रतिशत के पार चली गई, फिर भी, समग्र तौर पर वर्ष के लिए इसका औसत 4.8 प्रतिशत ही रहा जो 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कुछ ही अधिक है।

1.11 7वें वेतन आयोग निर्णय (पे कमीशन अवार्ड) के रूप में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और वन रैंक वन पेंशन से जीडीपी को सतत सहायता मिलने के कारण 2016-17 की चौथी तिमाही से राजकोषीय नीति भी प्रतिचक्रीय हो गई थी। भारत को एशियाई देशों के समकक्ष ला देने वाले कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था में विशाल परिवर्तन के साथ 2019-20 की दूसरी तिमाही से राजकोषीय नीति विस्तारी हो गई। चक्र से राजस्व में पैदा हुई कमी के साथ इस राजकोषीय हलचल के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में वर्ष के लक्ष्य से एक बड़ा विचलन पैदा किया – बजटित 3.3 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 4.6 प्रतिशत – जिसके चलते संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम के अंतर्गत बचाव खंड (इस्केप क्लॉज) के प्रयोग की नौबत आ गई। राजस्व में भारी कमी को देखते हुए, गत वर्षों की तरह, मुख्यतः व्यय में कमी द्वारा उप-राष्ट्रीय राजकोषीय नीति राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफएलआर) की सीमाओं में रही। तथापि स्व-स्थिरक (ऑटोमैटिक स्टेबिलाइजर्स) ने, विशेषतः टैक्स के मोर्चे पर, एक प्रतिचक्रीय भूमिका निभाई होती। कुल मिलाकर, राज्यों व केंद्र दोनों के पास कोविड-19 से निपटने के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश जीएफसी के दौर की तुलना में काफ़ी कम थी।

1.12 2019-20 में, घरेलू मांग के निर्माण पर वापस आए तो, उपभोग तुलनात्मक रूप से दृढ़ सिद्ध हुआ। जैसा कि पहले चर्चा हुई है, अधोगति को थामा सरकारी उपभोग ने – इसके बिना, 2019-20 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 4.2 प्रतिशत के हेडलाइन से गिरकर मुश्किल से 3.3 प्रतिशत तक

आती। जीडीपी में 57 प्रतिशत हिस्से वाला निजी उपभोग, जो घरेलू मांग की आधारशिला है, समग्र स्तर पर गति की क्षति झेल गया और 2019-20 की चौथी तिमाही में जाकर घटने लगा। 2019-20 में शिथिलता के प्रमुख चालक निवेश व निर्यात थे।

1.13 स्थिर (फ़िक्सड) निवेश में सुस्ती 2011-12 से शुरू हो गई और 2018-19 की चौथी तिमाही से गहरी हो गई तथा 2019-20 की दूसरी तिमाही से संकुचन में चली गई। कॉरपोरेटों व बैंकों के तुलन पत्रों में दबाव, एनबीएफसी में चूक, हाउसहोल्ड्स की धीमी पड़ती आय वृद्धि के कारण अनबिके घरों के अंबार का बढ़ना और वैश्विक सुस्ती का मिश्रण सहज वृत्तियों (एनिमल स्पिरिट्स) पर काफ़ी हावी रहा।

1.14 वर्ष के दौरान अमेरिकी डॉलर में निर्यात में 5.1 प्रतिशत का संकुचन निर्यात की कीमतों में 4.7 प्रतिशत की गिरावट से जुड़ा है। क्षेत्रवार विश्लेषण से बहुमूल्य जानकारी निकल कर आती है। उदाहरण के लिए, एक निर्यात समूह – इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं; ड्रग्स और फर्मास्यूटिकल्स; लौह खनिज – कमज़ोर होती बाह्य मांग और देश विशेष की बाधाओं के बावजूद मजबूती से टिके रहे। इनमें से प्रत्येक में निर्यात की भारी संभावनाएं हैं, विशेषतः अंतरराष्ट्रीय परिवेश के तेजी से बदलते समीकरण में।

1.15 2019-20 में सकल आपूर्ति स्थितियों के विकास का जहाँ तक प्रश्न है, अपने रिकॉर्ड खाद्यान्न व बागबानी उत्पादन तथा कृषि अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार की अनुकूल शर्तों वाली कृषि व संबंधित गतिविधियों ने उम्मीद जगाई। अनाज में अत्यधिक आपूर्ति के प्रबंधन की चुनौती ने मूल्य समर्थन और बफरस्टॉकिंग जैसी नीतिगत हस्तक्षेप की कमियों को उजागर किया। विरोधाभास यह है कि कृषि उत्पादों के खेतों से बाजार तक परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों और कृषि आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों से मांग-आपूर्ति का असंतुलन पैदा हुआ जो वर्ष के उत्तरार्ध में कीमतों के भड़कने का कारण बना। कृषि की मार्केटिंग और बुनियादी व्यवस्थाओं में हाल में

हुए सुधारों को अगर पूर्वानुमेय व्यापार नीतियों का सहयोग मिला तो कृषि के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं और कृषि क्षेत्र को व्यापार की अंतरराष्ट्रीय शक्तों का एक्सपोजर मिलेगा तथा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) और मूल्य वर्धन की ओर जोर बढ़ेगा।

1.16 औद्योगिक क्षेत्र में 2015-16 से एक संरचनात्मक शिथिलता शुरू हो गई है जिसका केंद्र विनिर्माण है। श्रम, भूमि व उत्पाद बाजारों में संरचनात्मक रूढ़ियों ने भारतीय विनिर्माण को विश्व के बाजारों में अप्रतिस्पर्धी और युवा परंतु अपर्याप्त कुशलता वाले श्रमिक बल में मौजूद जनसांख्यिकीय लाभ का दोहन करने में अक्षम बना दिया है। भौतिक आधार-संरचना में बड़ी कमी ने उत्पादकता और समग्र क्षमता को प्रभावित किया है। अधिक हाल में, ऊँचे लीवरेज और ऋण-शोधन संबंधी चिंताओं ने तुलन पत्रों पर दबाव बढ़ाया है जिससे दिवालिया प्रक्रियाएं चित्त होती दिख रही हैं। इसके अलावा, पहले के कुछ मुद्दे, अभी भी बोझ बने हुए हैं जैसे जमीन अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरणीय चिंताएं और एमएसएमई क्षेत्र में तरह-तरह की बाधाएं।

1.17 सेवा क्षेत्र पिछले तीन दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक रहा है। 2019-20 तक, इसने दृढ़ता और उत्पादकता दिखाई थी; तथापि घरेलू तथा वैश्विक दोनों स्तरों पर अटपटे घटनाक्रम—एक एयरलाइन का बैठ जाना; वित्तीय क्षेत्र दबाव; रुकी हुई निर्माण परियोजनाएं; टेलीकॉम में राजस्व से जुड़े मुद्दे; मंद विदेश व्यापार से बाधित बंदरगाह (पोर्ट) गतिविधि; कोयला उत्पादन में क्षय से रेलवे के माल यातायात का प्रभावित होना—सकल मांग में सुस्ती के साथ मिलकर इस क्षेत्र के उत्पाद को दो दशकों में इसकी न्यूनतम वृद्धि तक घसीट ले गए। गत वर्ष सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन में प्रत्येक उप-क्षेत्र की विशिष्ट संरचनात्मक बाधाओं का उदय दिखता है। तथापि, सेवा निर्यात ने पण्य निर्यात को पछाड़ा है एवं 2019-20 में वैश्विक हिस्सा बनाए रखा है और इसमें आगे रहने में सॉफ्टवेयर ने अहम भूमिका निभाई। क्लाउड कंप्यूटिंग और

डिजीटलीकरण से प्राप्त स्वचालन (ऑटोमेशन) और क्षमता में लाभ की ओर निवेश को मोड़कर तथा वैश्विक कंपनियों से नए गठबंधन से भी आईटी की बड़ी भारतीय कंपनियां लाभान्वित हो सकती हैं।

1.18 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक के क्षेत्राधिकार वाले वित्तीय बाजार के विभिन्न वर्गों को विकसित करने के कई प्रयास किए गए। विदेशी मुद्रा बाजार में, पहुँच को प्रोत्साहित करने, ऑन शोर और ऑफ़ शोर गतिविधि के वर्गीकरण को पाटने, विनियमों के समग्र युक्तिकरण के अंतर्गत हेजिंग व्यवस्था के सरलीकरण और सिद्धांत – आधारित विनियमाकीय ढाँचे में कारोबारी सुगमता में वृद्धि पर ध्यान दिया गया। ऋण बाजार में, विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो निवेश को उदार बनाने के अन्य उपायों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट प्रतिभूतियां पूर्णतः अभिगम्य मार्ग (एफएआर) के तहत अनिवासियों के लिए खोली गईं। लागत व जोखिम को कम करने के उद्देश्य के तारतम्य में केंद्र व राज्य सरकारों के बाजार उधारी कार्यक्रम संपन्न किए गए। चलनिधि (लिक्विडिटी) में वृद्धि, निवेशक आधार के विस्तार और ऋण प्रबंधन रणनीतियों के उन्नयन द्वारा ऋण बाजार का विकास किया गया। मुद्रा बाजार में, एक संशोधित चलनिधि प्रबंधन का ढाँचा लाया गया जिससे रिज़र्व बैंक को चलनिधि की परिस्थितियों को पारंपरिक व गैर-पारंपरिक साधनों का प्रयोग करते हुए सक्रियता से मैनेज करने का अधिकार हो। उल्लेखनीय है, कि 2018-19 में आरंभ किए गए करेंसी स्वैप के अलावा रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन के तरकश में दीर्घावधि रिपो परिचालन और विशेष ओएमओ जोड़े गए।

1.19 विनियामकीय और पर्यवेक्षी क्षेत्र में, वित्तीय मध्यस्थों को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के कई कदम उठाए गए। ये प्रयास अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए जो प्रणालीगत तनाव परीक्षणों, वित्तीय नेटवर्क विश्लेषण और समूचे विनियामक फ्रेमवर्क के आकलन के माध्यम से वित्तीय स्थिरता के जोखिम का आकलन करते

हुए वित्तीय प्रणाली पर निगरानी रखती है। बैंकिंग सिस्टम में, विवेकसम्मत विनियामकीय ढाँचों को वैश्विक मानकों के तारतम्य में लाने के चल रहे प्रयास आगे बढ़ाए गए। कॉरपोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन और ऋण सुपुर्दगी, में सुधार के साथ, तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विगत प्रयासों के परिणाम आते प्रतीत हो रहे थे: मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुँचने के बाद, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के अनुपात में कमी प्रारंभ हुई जो मार्च 2020 के अंत तक 8.5 प्रतिशत तक आ गई। एससीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात लगातार तीसरे वर्ष बेहतर होकर मार्च 2020 में 65.4 प्रतिशत पर पहुँच गया।

1.20 एससीबी के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बेहतर होकर मार्च 2020 में 14.8 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 14.3 प्रतिशत) हो गया। कारण (ट्रिगर) आधारित पर्यवेक्षी कार्रवाई की समीक्षा, ₹100 करोड़ या उससे अधिक की जमाराशि वाले शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्रबंधन बोर्ड के गठन, यूसीबी के एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर मानकों के युक्तिकरण तथा केरल में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के समामेलन और यूसीबी के लिए केंद्रीय फ्रॉड रजिस्ट्री (सीएफआर) के विकास द्वारा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विनियामकीय व पर्यवेक्षी ढाँचे को मजबूत बनाने के कदम उठाए गए। आगे, बैंकिंग रेग्यूलेशन ऐक्ट 1949 की कुछ धाराओं के संशोधन द्वारा रिजर्व बैंक की विनियामकीय शक्तियों को मजबूत करते हुए इसके विनियामकीय अधिकार में सहकारी बैंकों के कार्य के कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को लाया गया।

1.21 बैंकिंग क्षेत्र से तारतम्य के लिए एनबीएफसी के चलनिधि जोखिम प्रबंधन में संशोधन किए गए और इसके आस्ति-देयता प्रबंधन ढाँचे को मजबूत बनाया गया। रिजर्व बैंक

को आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन और एनबीएफसी पर व्यापक विनियामकीय अधिकार दिए गए। इसके साथ तकनीक-युक्त ग्राहक सेवाओं, ग्राहक सुरक्षा और फ्रॉड की धर-पकड़ पर भी कार्य चलते रहे।

1.22 वित्तीय समावेश के कार्य को आगे बढ़ाते हुए वित्तीय राष्ट्रीय वित्तीय समावेश कार्यनीति (नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इनक्लूजन), 2019-2024 जारी की गई और डिजिटल पेमेंट परितंत्र को गहरे ले जाने के कदम उठाए गए। पुनश्च, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के प्रयास भी तेज किए गए। गाँवों में बैंकिंग सेवाएं देने की योजना के तहत, 30 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 2,000 से कम की आबादी वाले चिह्नित गाँवों के 99.2 प्रतिशत और 5,000 से अधिक की आबादी वाले चिह्नित गाँवों के 94.4 प्रतिशत में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

1.23 भुगतान व निपटान प्रणाली विज्ञान 2019-21 की प्रेरणा से किफायती लागत में उपयोग-सुगम प्लेटफॉर्मों की उपलब्धता पर ध्यान देते हुए सक्षम एवं सुरक्षित भुगतान व निपटान प्रणाली विकसित करने के प्रयास किए गए। रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) और रुपये कार्डों की पहुँच को विश्व भर में विस्तार देने की दिशा में कार्य किए। डिजिटल पेमेंट उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन तैयार किए गए। ग्राहक सेवा में सुधार में ये चीजें शामिल हैं: 24x7x365 आधार पर एनईएफटी की उपलब्धता, आरटीजीएस के कार्य के घंटों में वृद्धि, कार्डों पर ई-मेंडेट, प्रीपेड पेमेंट इनस्ट्रूमेंट (पीपीआई) और यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के अंतर्गत बिलर वर्गों का विस्तार और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) प्रणाली के उपयोग में वृद्धि। नकदीतर खुदरा भुगतानों की कुल मात्रा में डिजिटल लेन-देन का अंश गत वर्ष के 95.4 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 97.0 प्रतिशत हो गया। मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों (सीवीपीएस) के प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) तथा मुद्रा प्रबंध के कार्यों का रिजर्व

बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ एकीकरण द्वारा मुद्रा प्रबंध को सुदृढ़ किया गया।

1.24 पृष्ठ पलटकर अस्तित्ववादी प्रश्न पर आते हैं, उपलब्ध सभी साक्ष्य भारत में चक्रीय अधोगति की ओर ही संकेत करते प्रतीत हुए जो हाल के इतिहास में सबसे बड़े विस्तारों में से एक के बाद 2018-19 और 2019-20 में विश्व भर में एक ही समय घटित हुआ। 2019-20 के अंत की ओर चक्र का हासमान चरण पहुँच कर अभी संभलता कि कोविड-19 आ धमका और पूरे आख्यान की धज्जियां उड़ा दी। आज आने वाले कल की संभावनाओं के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं और मालूम नहीं कि भविष्य कैसा होगा। इस कयास में ये बातें शामिल हैं: अवरुद्ध माँग के बाधामुक्त होने पर ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण वी (V) आकार की वापसी जो नए विस्तार के बढ़ते मार्ग की जमीन तैयार करता है; विविध प्रकार की मध्यवर्ती पुनरावृत्तियों से होकर; व्यवहार व जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के चलते घटित संरचनात्मक गतिहीनता तक। इस गंभीर बिंदु पर, यह देखना उचित रहेगा कि आगे 2020-21 में और उसके बाद क्या है।

2020-21 के लिए संभावनाएं

1.25 मार्च में उँचाई से गिरने और 2020 की पहली छमाही में ऐसे संकुचन, जो व्यापक तौर पर महामंदी और जीएफसी जैसा गहरा व उससे भी विनाशकारी माना जाता है, से गुजरने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था तेज गिरावट के चंगुल से बाहर आने लगी है। जैसे-जैसे अलग-अलग स्तरों पर अर्थव्यवस्थाओं की अनलॉकिंग शुरू हो रही है और अवरुद्ध माँग को मुक्त (रिलीज) किया जा रहा है, 2020 की तीसरी तिमाही में गतिविधि अपने न्यूनतम बिंदु से सुधार की ओर बढ़ने लगी है। वैसे, कंटेनमेंट और सामाजिक दूरी में रियायतें हिचकिचाहट भरी रही हैं और कई देशों में संक्रमण व मृत्यु की नई लहर के कारण रुक गई हैं। सब ओर, आपूर्ति शृंखला और उत्पादन संरचनाएं बिखर गई हैं और आपूर्ति का यह आघात पण्य, विशेषतः धातुओं, की कीमतों में प्रतिबिंबित हो रहा है। महामारी की अधिक बड़ी मार माँग (डिमांड) पर पड़ी है। स्वनिर्णय

से बाहर अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें तो तेजी से बढ़ी हैं, जबकि कई स्वनिर्णयगत वस्तुएं तो लेन-देन से बाहर हो गई हैं। जोखिम-विमुखता की अधिकता के बीच कारोबार और गृहस्थ (हाउसहोल्ड्स) को एहतियाती बचत की प्रवृत्ति ने जकड़ लिया है और निवेश की भूख हवा हो गई है। महामारी ने नई असमताओं को भी उजागर किया है –सफ़ेदपोश कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं जबकि अत्यावश्यक श्रमिकों को साइट पर काम करना पड़ता है जहाँ संक्रमण का जोखिम है। आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), होटल और रेस्टॉरेंट, एयरलाइन्स और पर्यटन जैसे कुछ कार्यक्षेत्रों में रोजगार की हानि अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक गंभीर है। निर्धनतम पर कठोरतम आघात हुआ है।

1.26 नीति का अभूतपूर्व रेस्पॉन्स कोविड-19 के अनुभव की एक प्रमुख विशेषता रही है। आईएमएफ के अनुसार, जी20 देशों में कुल वित्तीय सहायता (स्टीमुल्स) पैकेज (चलनिधि व राजकोषीय उपाय) का औसत जीडीपी का 12.1 प्रतिशत रहा है (ईएमई के मामले में जीडीपी का 5.1 प्रतिशत और आई के मामले में 19.8 प्रतिशत)। नीति की जवाबी कार्रवाई ने वित्तीय बाजारों को शांत किया और यह आस्ति मूल्य मुद्रास्फीति का कारण भी बना जो संबंधित आर्थिक गतिविधि से असंगत था, वित्तीय संस्थाओं और कॉर्पोरेशनों को डूबने से बचाया तथा हाउसहोल्ड आय को कुछ सुरक्षा दी। राजकोषीय नियमों को अलग रख दिया गया है। ईमान की प्रहरी मुद्रास्फीति की लगाम से बाहर केंद्रीय बैंक तुलन पत्रों (बैलेंस शीट्स) के अतुलनीय विस्तार का निहितार्थ है कि चुकौती की बाध्यताएं लगभग नदारद होने की स्थिति में, सार्वजनिक व निजी दोनों ऋणों पर, ब्याज दरों को कम रखने जैसे कार्य द्वारा वे संभवतः चुपचाप स्टीमुल्स को फाइनेंस कर रहे हों। नतीजा यह है कि सरकार और केंद्रीय बैंक उत्तरोत्तर संसंधान आबंटन की भूमिका में आ रहे हैं जो पारंपरिक रूप से बाजारों ने किया है। वायरस पर विजय पाने और वैक्सीन पाए जाने के बाद जब तक ये प्राधिकारी समय से एवं विश्वसनीय ढंग से नहीं निकल जाते इसके अनिवार्यतः राजनीतिक परिणाम

हो सकते हैं। इन घटनाक्रमों की वृष्टि-छाया में, मुख्य वित्तीय मध्यवर्तियों के रूप में बैंक व बैंकेतर वित्तीय इकाइयों की भूमिका क्षीण पड़ी है जबकि पूंजी व बॉण्ड बाजार हावी हो गए हैं। इन सब में, सामान्य जोखिमों को पृष्ठभूमि में डाल दिया गया है, जहाँ वे खौफनाक ढंग से रूप बदल रहे होंगे – राजकोषीय प्रभुत्व; मुद्रा स्फीति; लीवरेज; बाजार विफलता। इस बीच, संकट अवसर प्रस्तुत कर रहा है और भविष्य का आकार इस पर निर्भर करेगा कि इनका उपयोग कितनी अच्छी तरह होता है।

1.27 वैश्विक आर्थिक गतिविधि कोविड-पूर्व के स्तरों से काफी नीचे है। 2020 की पहली तिमाही में आई में जीडीपी 1.2-13.6 प्रतिशत की रेंज में संकुचित हुई; ईएमई में वृद्धि 4.5 प्रतिशत और (-) 6.8 प्रतिशत के बीच रही। जीडीपी के प्रारंभिक आँकड़े और उच्च आवृत्ति वाले संकेतक बताते हैं कि दूसरी तिमाही में भी संकुचन जबर्दस्त रहे और तीसरी तिमाही का अल्पावधि परिदृश्य धुँधला है क्योंकि उच्च बारंबारता वाले संकेतक मिली-जुली तसवीर पेश कर रहे हैं। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई 5-माह के संकुचन से बाहर आकर जुलाई में 50.3 तक चढ़ा। वैश्विक सेवा पीएमआई भी वृद्धि दर्ज करते हुए जुलाई में 50.5 पर आया। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, पण्य व्यापार पहली तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष 3.0 प्रतिशत सिकुड़ा, परंतु प्रारंभिक आकलन दूसरी तिमाही में 18.5 प्रतिशत की गिरावट बताते हैं। वैश्विक प्राथमिक पण्य कीमतें (आईएमएफ द्वारा जारी) वर्ष की पहली छमाही में संकुचित होकर दिसंबर 2019 की तुलना में जुलाई 2020 में 13.4 प्रतिशत घटीं। मार्च और अप्रैल में तीव्र गिरावट के बाद ओपीईसी प्लस देशों द्वारा आपूर्ति में कटौती और लॉकडाउन के प्रतिबंधों में क्रमशः ढील के बाद कच्चे तेल की कीमतें सुधरी – ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत अप्रैल 2020 के \$23.3 प्रति बैरल से बढ़कर जुलाई में औसतन \$42.8 प्रति बैरल पर रही। भारी अनिश्चितता में सुरक्षा की ओर पलायन के कारण दिसंबर 2019

की तुलना में जुलाई 2020 में 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्वर्ण कीमतों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। धातुओं के अलावा, आपूर्ति में व्यवधानों के कारण अप्रैल से खाद्य कीमतें बढ़ी हैं। इन कारकों ने मुद्रास्फीति के परिणामों को भी प्रभावित किया है। आई में, माँग में बड़ी सुस्ती ने मुद्रास्फीति को मौन रखा है, जबकि कई ईएमई में, खाद्य कीमतों में आई उछाल का नतीजा हाल के इतिहास की तुलना में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मजबूत होने में दिखा।

1.28 अपने अद्यतन अपडेट (जून 2020) में, आईएमएफ ने 2020 के लिए -4.9 प्रतिशत वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगाया जिसमें पहली छमाही में आर्थिक गतिविधि पर बड़ा ऋणात्मक प्रभाव और पहले की गई प्रत्याशा से अधिक क्रमिक सुधार शामिल है। 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि (-) 4.5 प्रतिशत अनुमानित है। ओईसीडी द्वारा 10 जून 2020 के अनुमान दो परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं– एक आघात और दुहरा आघात¹–दूसरे में तीव्र संक्रमण की एक द्वितीय लहर 2020 में बाद में उभरती है। एक आघात परिदृश्य में वैश्विक वृद्धि (-) 6.0 प्रतिशत और दुहरे आघातके परिदृश्य में (-) 7.6 प्रतिशत अनुमानित है [2020-21 में भारत की वृद्धि क्रमशः (-) 3.7 प्रतिशत और (-) 7.3 प्रतिशत पर अनुमानित है]। ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में विश्व बैंक ने आठ दशकों में सबसे गहरी वैश्विक मंदी 2020 में होने की बात कही है जो अभूतपूर्व नीतिगत अवलंब के बावजूद 2009 की वैश्विक मंदी से लगभग तीन गुना अधिक होगी। कुछ घटनाक्रम संकेत दे रहे हैं कि संभव है 2020 की तीसरी तिमाही में विश्व व्यापार का संकुचन अपने निम्नतम बिंदु पर आ रहा हो जहाँ से इसमें सुधार हो। अंतरराष्ट्रीय हवाई माल का बड़ा हिस्सा ढोने वाली वैश्विक वाणिज्यिक उड़ानों में जनवरी और अप्रैल के बीच (-)74.0 प्रतिशत की कमी आई, पर मध्य-जून में वे 58.0 प्रतिशत बढ़ीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पीएमआई में नए निर्यात आदेश

¹ एक आघात (सिंगल हिट) के परिदृश्य में प्रकोप से उबरने के लिए कंटेन्मेंट के वर्तमान उपाय पर्याप्त समझे गए हैं। दुहरे आघात (डबल हिट) के परिदृश्य में, वर्ष के अंत के पहले (अक्टूबर/नवंबर) वायरस की एक दूसरी लहर का आघात होता है जिसमें एक और व्यापक लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है।

(एक्सपोर्ट ऑर्डर्स) के साथ जून में कंटेनर बंदरगाह प्रवाह क्षमता (पोर्ट थ्रूपुट) ने भी कुछ वापसी की है। अप्रैल 2020 में, डब्ल्यूटीओ ने एक अपेक्षाकृत आशाजनक परिदृश्य रखा जिसमें 2020 में विश्व पण्य व्यापार 13.0 प्रतिशत संकुचित होगा और एक निराशाजनक परिदृश्य जिसमें व्यापार 32.0 प्रतिशत गिरेगा। पहली और दूसरी तिमाही में संकुचन को देखते हुए, वर्ष के आशाजनक अनुमानों को पूरा करने में वर्ष के शेष हिस्से में प्रत्येक तिमाही में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि की दरकार होगी।

1.29 भारत की स्थिति देखें तो 2020-21 की पहली तिमाही (ति1:2020-21) के लिए एनएसओ के जीडीपी आकलन 31 अगस्त को जारी किए जाने हैं। इस बीच, अब तक जो उच्च बारंबरता वाले संकेतक आए हैं वे गतिविधियों में ऐसी कमी इंगित करते हैं, जैसी इतिहास में पहले नहीं देखी गई। साथ ही, देश के कई भागों में तालाबंदी (लॉकडाउन) में छूट के बाद मई और जून में दिखाई देनेवाली हल्की तेजी, जुलाई और अगस्त में कमजोर पड़ गई प्रतीत होती है, जो संकेत देते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में संकुचन संभवतः ति2 (दूसरी तिमाही) तक चलेगा। कुल ई-वे बिल निर्गम, जो घरेलू व्यापारिक गतिविधियों का संकेतक है, जून 2020 में माह-दर-माह (एम-ओ-एम) आधार पर 70.3 प्रतिशत बढ़ा, तथापि जुलाई में यह केवल 11.4 प्रतिशत माह-दर-माह बढ़ा और एक वर्ष पहले की तुलना में 7.3 प्रतिशत नीचे बना रहा। जून 2020 के दौरान अंतर्राज्य ई-वे बिल 91.3 प्रतिशत बढ़े, लेकिन जुलाई में वे केवल 15.3 प्रतिशत बढ़े। इसी प्रकार, अंतःराज्य ई-वे बिल, जो जून में 60.1 प्रतिशत (माह-दर-माह) बढ़े, जुलाई में केवल 9.1 प्रतिशत बढ़े। गूगल मोबिलिटी ट्रेंड, जो अंतर्निहित आर्थिक गतिविधि के प्रतिबिम्ब के रूप में लोगों की आवाजाही को ट्रैक करता है, जून 2020 में अपने अप्रैल और मई के स्तर से ऊपर चढ़ा। किराना और दवाओं से जुड़ी गतिशीलता (मोबिलिटी) कोविड-19-पूर्व स्तर तक पहुंच गई, जबकि फरवरी 2020 के स्तर की तुलना में खुदरा और मनोरंजन से

जुड़ी गतिशीलता 60.0 प्रतिशत के आस-पास और मार्गस्थ गतिविधि 40 प्रतिशत कम थी। तथापि, जुलाई में यह कुछ धीमी हुई और खुदरा और मनोरंजन एक तिहाई पर स्थिर रहे तथा सुपरमार्केट और फार्मेसी से जुड़ी लोगों की आवाजाही में कुछ कमी आई।

1.30 आगे, सरकारी उपभोग मांग को महामारी के प्रभाव से बचाता रहेगा, और निजी उपभोग पुनरुत्थान, जब भी यह आए, की अगुआई करेगा जिसमें स्वनिर्णय से बाहर (नॉन-डिस्क्रिशनरी) व्यय तब तक आगे बना रहेगा जब तक प्रयोज्य आय में टिकाऊ वृद्धि से स्वनिर्णयगत व्यय को गति नहीं मिल जाती। वर्ष के दौरान अब तक की समग्र मांग के एक मूल्यांकन से पता चलता है कि उपभोग पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इसे सुधारने तथा कोविड-पूर्व गति प्राप्त करने में काफी समय लगेगा। निजी उपभोग के प्रत्येक क्षेत्र में स्वनिर्णयगत व्यय पर असर पड़ा है, विशेष रूप से यातायात सेवाएं, आतिथ्य क्षेत्र, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में। व्यवहार-संबंधी संयम इन गतिविधियों की मांग के सामान्य होने में बाधा डाल सकते हैं। जुलाई माह के लिए रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि उपभोक्ता विश्वास सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया है और अधिकांश अभिमत-दाताओं ने सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार, मुद्रास्फीति और आय के बारे में निराशा जताई यद्यपि आने वाले वर्ष के लिए इसमें सुधार के संकेत हैं। शहरी उपभोक्ता मांग को और बढ़ा झटका लगा है- ति1:2020-21 में यात्री वाहन विक्रय और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति एक वर्ष पहले के स्तर का पांचवा भाग रह गई है; हवाई यात्री ट्रैफिक थम गया है। इसकी तुलना में ग्रामीण मांग की स्थिति बेहतर रही है। अंतर्निहित संकेतकों में, खरीफ बुवाई की मजबूत गति के कारण ट्रैक्टर की बिक्री जुलाई में 38.5 प्रतिशत बढ़ी, जबकि मोटरसाइकिल की बिक्री में आया संकुचन जुलाई में कम हुआ (जून में 35.2 प्रतिशत से जुलाई में 4.9 प्रतिशत)। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में आई कमी भी जून में धनात्मक (पॉजिटिव) रही। तथापि ग्रामीण मांग में पूर्ण सुधार धीमी मजदूरी वृद्धि के कारण बाधित हो रहा

है, जो अब भी प्रवासी समस्या और संबंधित रोजगार हानि से प्रभावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बढ़ाई गई मजदूरी के साथ-साथ इनसे ग्रामीण आय को बल मिलेगा।

1.31 सरकारी उपभोग व्यय ने राहत दी है, और ब्याज भुगतान व प्रमुख सब्सिडियों को छोड़कर केंद्र सरकार का राजस्व व्यय, वर्ष की पहली तिमाही में 33.7 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि, कोविड-19 के प्रभाव को कम करने की जरूरत के कारण सरकारी वित्त पर दबाव पड़ा है और जिससे सकल मांग को सपोर्ट करते रहने की गुंजाइश काफी कम हो सकती है। राज्य वित्त के मामले में, इस गुंजाइश को इतना निचोड़े जाने की संभावना है कि वृद्धि-प्रदान करने वाले पूंजीगत व्यय में कटौती किया जाना बिल्कुल संभावित प्रतीत हो रहा है। राजकोषीय नीति का भावी पथ काफी हद तक कर्ज के बड़े अंबार (ओवरहैंग) तथा महामारी के दौरान बनने वाली आकस्मिक देयताओं द्वारा निर्धारित होने की संभावना है। एक विश्ववसनीय समेकन योजना, जिसमें बजाय अपरिहार्य को खींचने टालने के, ऋण और घाटे के स्तर को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों को निर्दिष्ट किया जाए, लोगों का विश्वास और स्वीकार्यता अर्जित कर सकेगी। जैसे-जैसे तनाव हल्का होगा और समेकन बहाल होता जाएगा, समग्र मांग में जीएफसीई के कम योगदान की उम्मीद करना समझदारी होगी। राजकोषीय राजस्व को बढ़ावा देने एवं इस संक्रमणकाल की तकलीफों को कम करने के लिए कर के चूककर्ताओं (टैक्स डिफॉल्टर्स) का पता लगाने व पहचान करने में तथा आय व संपदा पैरामीटर्स को ट्रैक करते हुए एवं आटोमैटिक इनवाइस-मैचिंग, इंटेलिजेंस, प्रवर्तन, निरीक्षण और लेखापरीक्षा सहित विवरणियों व प्रक्रियाओं को आसान व युक्तिसंगत बनाकर इस (जीएसटी) व्यवस्था की चुनौतियों को दूर करते हुए करदाता आधार को बढ़ाने में बिग डाटा और प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा सकता है। यह उचित होगा

कि एक स्वतंत्र समिति द्वारा जीएसटी के अनुभवों के मूल्यांकन पर विचार किया जाए जो उससे अब तक प्राप्त सबक के आधार पर आगे की दिशा बता सके। उद्योगों को दिए जाने वाले राजकोषीय प्रोत्साहनों की दिशा बदलकर उत्पादन देने वाली श्रम-प्रधान कंपनियों की ओर किया जा सकता है ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें।

1.32 निवेश मांग के संकेतक-पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन जून 2020 में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 36.9 प्रतिशत संकुचित हुआ है (अप्रैल-जून 2020 के दौरान -64.4 प्रतिशत) और जुलाई 2020 में पूंजीगत वस्तुओं का आयात 24.7 प्रतिशत घट गया (अप्रैल-जून 2020 के दौरान -46.7 प्रतिशत)। निर्माण क्षेत्र में तीव्र गिरावट का रुख दिखाई दिया, जैसा कि जुलाई 2020 में इस्पात की खपत से पता चलता है (-29.1 प्रतिशत और अप्रैल-जून 2020 के दौरान -57.9 प्रतिशत) और सीमेंट का उत्पादन जो जून 2020 में 6.9 प्रतिशत संकुचित हुआ (अप्रैल-जून 2020 के दौरान -38.8 प्रतिशत)। क्षमता उपयोग के घटते स्तर, उपभोक्ता मांग के कमजोर होते जाने तथा दबावग्रस्त तुलनपत्रों के अंबार (ओवरहैंग) से नये निवेश में बाधा आ रही है। सितंबर 2019 में की गई कर कटौती का इस्तेमाल ऋण चुकाने, नकदीशेष की वृद्धि तथा अन्य चालू आस्तियों के लिए किया गया बजाय इसके कि पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के चक्र को दुबारा शुरू किया जाता। ये संबंधित घटनाक्रम बताते हैं कि निवेश की ललक में दम नहीं है तथा इसे और सुधारों की जरूरत है।

1.33 केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र विनियामक के अधीन प्रमुख बंदरगाहों (पोर्ट) का निजीकरण और इस्पात, कोयला, बिजली, भूमि, रेलवे की आस्तियों के मौद्रिकरण द्वारा फंड किया गया लक्ष्यित सार्वजनिक निवेश ही निजी निवेश के समुत्थान और निजी निवेश को आकर्षित करने का रास्ता हो सकता है। वस्तुतः, संरचनागत सुधार के लिए भूमि, श्रम, तथा पावर के संबंध में माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद जैसा एक शीर्ष प्राधिकार स्थापित किया जा सकता है। इनमें त्वरित कार्यान्वयन के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पाइपलाइन, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम सड़क गलियारा (रोड

कॉरीडोर) और एक उच्च गति वाली रेल परियोजना आ सकती है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज की सफलताओं पर आधारित हो तथा साथ ही, व्यापार भावना और निवेश के लिए पर्यावरण में सुधार के कदम शामिल हों। राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार में मुकदमेबाजी से मुक्त आधुनिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता से युक्त भूमि का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बिजली क्षेत्र में, सौर पैनलों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके और दूरदराज के क्षेत्रों को परिक्षित (डिस्पर्स्ड) ट्रांसमिशन लिंक से जोड़कर अक्षय ऊर्जा में भारत को विश्व में अग्रणी बनने की छलांग का अवसर मिला है। समग्र रूप से क्षेत्र के लिए, टैरिफ संरचना के माध्यम से क्रॉस-सब्सिडी का उन्मूलन एक प्राथमिकता होनी चाहिए, एवं सब्सिडी का यदि कोई प्रावधान हो तो, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और साथ ही बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के निजीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। रेलवे के संबंध में, विनिर्माण इकाइयों को कॉरपोरेटाइज करने के पक्ष में मजबूत आधार हैं। भूमि बैंकों की विकास क्षमता का फायदा उठाया जा सकता है, विशेष रूप से महानगरीय क्षेत्रों में, वाणिज्यिक अचल संपत्ति के विकास के लिए निजी क्षेत्र को दीर्घकालिक पट्टे पर देकर। बुनियादी ढांचे-भूमि; खरीद नियम; परियोजना जोखिम-साझाकरण तंत्रों की उपलब्धता में बाधाओं को दूर करके रेलवे में एफडीआई को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कच्चे तेल के लिए की गई पहल सहित रणनीतिक सामग्रियों के पर्याप्त भंडार के निर्माण के संबंध में एक व्यापक नीति की आवश्यकता है।

1.34 वित्तपोषण के विकल्पों (फाइनेंसिंग ऑप्शन्स) के विविधीकरण की स्पष्ट आवश्यकता है। बैंक वित्त का विकल्प अध्यवसाय से तैयार किया जाना चाहिए – पूंजी बाज़ार तथा एफडीआई अपेक्षाकृत दीर्घावधि दृष्टिकोण वाले निवेशकों को लाने के अवसर प्रदान करते हैं जो टिकाऊ पूंजी एवं अंतर्निहित प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने में सहायक होती है। वर्ष 2015 में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत कार्रवाई थी। कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार को बढ़ावा देना, दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या के लिए बाज़ार-आधारित समाधान को प्रोत्साहित करने

के लिए प्रतिभूतिकरण, और उचित मूल्य-निर्धारण एवं उपयोक्ता-प्रभार (यूजर चार्ज) की वसूली के मुद्दों की नीति में प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। साथ ही अवसंरचना वित्त (इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस) कंपनियों के रूप में वर्गीकृत विशिष्ट एनबीएफसी की उपस्थिति बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

1.35 पिछले पांच वर्षों में देश में सड़क, नागरिक विमानन तथा हवाई अड्डा संपर्क (कनेक्टिविटी), दूरसंचार (इंटरनेट और ब्राडबैंड पैठ (पेनेट्रेशन) सहित) तथा बंदरगाहों (पोर्ट्स) के क्षेत्र में आधुनिक भौतिक अवसंरचना के निर्माण में हुई प्रगति उल्लेखनीय रही है। भारत ने शहरों में सामूहिक यातायात (अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन) के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं में भी प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। फिर भी, अवसंरचना का अंतराल अभी भी काफी बड़ा है और आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, वर्ष 2040 तक इसमें लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की आवश्यकता है जिसमें अवसंरचना की खराब गुणवत्ता को उन्नत (अपग्रेड) करने पर ज़ोर दिया जाना होगा। वैश्विक स्पर्धा सूचकांक और व्यवस्था (लाजिस्टिक्स) निष्पादन में अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की गुणवत्ता के लिए भारत 140 देशों में 70वें स्थान पर है। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भी भारत का स्थान 160 देशों में काफी नीचे 44वें स्थान पर है। बैंकों द्वारा अवसंरचना के लिए उधार देने से जुड़ी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का स्तर भी ऊँचाई पर रहा है। कोविड-19 के संदर्भ में, कुछ लक्षित विशाल अवसंरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ा प्रयास अर्थव्यवस्था में दुबारा जान डाल सकता है।

1.36 यही वह समय है जब कारोबारी वातावरण को बेहतर बनाते हुए उद्यमीय ऊर्जाओं के दरवाज़े खोलने तथा जोखिम की लालसा को बढ़ाने की ज़रूरत है। संविदाओं को तेजी से लागू करना, साथ ही न्यायिक एवं इन्सालवेंसी क्षमताओं को बढ़ाया जाना खेल का पासा पलटने जैसा साबित होगा। संपत्तियों के पंजीकरण को वर्तमान 58 दिन से तेज किया जा सकता है, तथा एक केंद्रीकृत वेबसाइट सभी प्रकार के विनियामकीय अनुपालन की अपेक्षाओं के बारे में वास्तविक समय में सूचनाएं प्रदान कर सकती है। सामान्य रूप से कहा जाए तो अनुपालन संबंधी बोझ

को काफी हद तक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। कोविड-19 के संकट का इस्तेमाल एक अवसर के रूप में किया जा सकता है तथा शिक्षा व प्रशिक्षण की आनलाइन व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए कौशल विकास करके एवं पुनः कौशल प्रदान करके सामाजिक अवसंरचना में सुधार की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है ताकि एक ऐसा श्रमिक बल उन कौशलों से लैस रहे जो अवसंरचना पर ज़बरदस्त ज़ोर दिए जाने की गति को कायम रख सके।

1.37 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पिछले दो दशकों से अधिक समय से भारत की आर्थिक प्रगति का एक इंजन रहा है। लेनदेन व संचार की लागतों में कमी और पूंजी की गुणवत्ता में वृद्धि द्वारा आईसीटी का दोहन भविष्य की विकासात्मक रणनीतियों का प्रमुख तत्व होना चाहिए। इससे उत्पादकता का लाभ चारों तरफ मिल सकता है, जिसमें भारत तथा विदेशों में सक्षम, भरोसेमंद और ज्ञान-आधारित साल्यूशंस की कम लागत पर आपूर्ति हो सकेगी। भारतीय आईटी फर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), रोबोटिक्स तथा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशंस का विकास करने में सबसे आगे हैं। इस खास विशिष्टता का भरपूर उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि एक नवोन्मेष हब के रूप में भारत की हैसियत सुदृढ़ बन सके, साथ ही भारत का 'स्टार्ट-अप भारत' अभियान आगे बढ़े जो देश के युवा उद्यमियों की क्षमताओं को पहचान प्रदान करता है तथा उन्हें एक सहायक परितंत्र (ईकोसिस्टम) उपलब्ध कराता है। हेल्थटेक और फिनटेक जहां अग्रणी क्षेत्र बन गए हैं, वहीं भारतीय उद्यमी अन्य सभी क्षेत्रों एवं बाज़ारों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और इस परितंत्र को गहन तथा विस्तृत बना सकते हैं, खासतौर से लघु एवं मझोले कारोबार में तथा कम एवं मध्यम आय-समूहों को सेवाएं उपलब्ध करवाते हुए। कोविड-19 के पूर्व भी, डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेज उन्नयन तथा आधुनिक कंप्यूटिंग/विश्लेषणात्मक क्षमताओं के साथ विश्व भर में एक प्रौद्योगिकीय मंथन चल रहा था। टैरिफ संबंधी बाधाएं तथा डाटा की निजता (प्राइवसी) एवं डाटा की सुरक्षा के मुद्दे जहां चुनौती खड़ी कर सकते हैं, वहीं सृजनात्मक विध्वंस (डिस्ट्रक्शन) एक सुदृढ़ गतिमान अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। आईटी क्षेत्र इस

प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा इससे होने वाले परिणामों को संभालने में भी सक्षम है। नई फर्मों एवं स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना तथा उन्हें बनाए रखना भारत में रोजगार-सृजन एवं उच्च उत्पादकता-जन्य आर्थिक विकास को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिशा में संसाधनों का पुनर्विन्यास तथा नीति का फोकस आवश्यक होगा। गतिमान उद्यमिता, नवोन्मेष तथा स्टार्ट-अप्स में निहित विचारों को पोषण देकर यथार्थ रूप देने की क्षमता ही आईसीटी की सफलता की कसौटी है।

1.38 एक अर्थक्षम भुगतान संतुलन और सक्रिय विनिर्माण क्षेत्र की कुंजी निर्यात के हाथ है। महामारी ने वैश्विक मूल्य-शृंखला (वैल्यू चेन्स) के अंतरराष्ट्रीय परिवेश को बदल कर रख दिया है, और गतिशील निर्यात रणनीति में इसके निहितार्थ उत्पाद-गंतव्यों के चुनाव के लिए हैं। संसाधनों को कम-कम एवं दूर-दूर फैलाने के बजाय, इस समय उदीयमान निर्यात श्रेणियों का पता लगाने की ज़रूरत है जो उत्पादकता का लाभ कमा रही हैं तथा जिनके पास सक्रिय क्षैतिज व ऊर्ध्व कड़ियां (होरिजेंटल एंड वर्टिकल लिंकेजेज) हैं, जो उभरती वैश्विक मूल्य-शृंखला में अपनी उपस्थिति को मज़बूती प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में उत्पादन के आधार में सतत विविधीकरण नये अवसरों को प्रस्तुत करता है, बशर्ते अपनी विनिर्माण व्यवस्थाओं के लिए नए लोकेशंस खोज रही कंपनियों के लिए मौजूदा पसंदीदा स्थानों पर स्पर्धा के लिए भारत उच्च-स्तरीय वर्गों (हाई-एंड सेगमेंट) में एफडीआई पर लीवरेज करने में सक्षम हो। जेनेरिक तथा फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों के निर्यात में विश्व का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता होने के नाते भारत हमेशा से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहा है। भारत के लिए आवश्यक है कि वह वैश्विक मानकों के अनुसार किफायती तथा उच्च गुणवत्ता वाली विनिर्माण प्रक्रियाओं का विकास करके सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स घटकों (एपीआई) में अपने बाज़ार का हिस्सा पुनः प्राप्त करे। निर्यात के एक अन्य समूह - रेडीमेड कपड़े; कीमती पत्थर और आभूषण- में नयी स्पर्धा में भारत अपना स्थान क्रमशः खोता जा रहा है— परंपरागत रूप से यह समूह श्रमिक-प्रधान है; उसमें पुनः स्पर्धात्मकता को पा लेना ऐसे श्रम सुधार पर निर्भर है जो बड़े पैमाने की किफायतों (स्केल इकनॉमीज़) को बंधनमुक्त कर दे।

1.39 विदेश व्यापार नीति को निःशुल्क/वरीय व्यापार व्यवस्थाओं के माध्यम से निर्यात की लीवरेजिंग पर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में, भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार तथा यूके के साथ ब्रेक्सिट के पश्चात मुक्त व्यापार करार/वरीयता व्यवस्था (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट/ प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट) संपन्न होने पर पहले शुरुआत का फायदा मिल सकता है। भारत को भी चाहिए कि वह स्पर्धा की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहे नये निर्यात उत्पादों के लिए ज़रूरी दुर्लभ सामग्री की आपूर्ति करने वाले देशों के साथ विशेष व्यापार व्यवस्था गठबंधन करे। आईसीटी, वित्त तथा कारोबारी सेवाओं जैसे क्षेत्र से उत्पादकता लाभ के दोहन के साथ-साथ पहले से ही चिह्नित क्षेत्र जैसे – आटो पार्ट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, खाद्यान्न प्रसंस्करण –की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुदृढ़ ढांचा तैयार करना निर्यात रणनीति की एक केंद्रीय विशेषता होनी चाहिए। इस रणनीति में समय व लागत में कमी द्वारा व्यापार परितंत्र में परिवर्तन के उद्देश्य वाली राष्ट्रीय व्यापार सुगमता योजना (नेशनल ट्रेड फेशिलिटेशन स्कीम), के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अत्यधिक कुशल संभारतंत्र (लॉजिस्टिक्स) की भी आवश्यकता होगी। भारत के बहुत से पारंपरिक निर्यातों विशेषतः कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के उत्पादों के लिए कृषि क्षेत्र की आय को दुगुना करने के लक्ष्य से बेहतर तालमेल के साथ-साथ व्यापार नीति में स्थिरता महत्वपूर्ण है। विनिर्माण के निर्यात के संदर्भ में, विनिर्माण उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापनाके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की तरह क्लस्टर-आधारित विनिर्माता निर्यात लॉन्चिंग पैड्स पर नए सिरे से जोर देना उचित रहेगा जो निर्यात और एफडीआई के बीच स्वाभाविक लिंक पर लीवरेज करेगा।

1.40 उत्पादन गतिविधियों की ओर रुख करें तो यह पाते हैं कि प्रतिकूलताओं के बावजूद भारतीय कृषि क्षेत्र एक स्पष्ट बदलाव के दौर से गुजर रहा है। खाद्यान्न का कुल उत्पादन 2019-20 में 2966.5 लाख टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंचा, जबकि कुल बागबानी उत्पादन – जिसका फार्म क्षेत्र के जीवीए में हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है –भी अब तक सबसे ऊंचे स्तर 3204.8 लाख टन तक पहुंचा। भारत का शुमार अब विश्व में दूध,

अनाज, दालें, सब्जियां, फल, कपास, गन्ना, मत्स्य तथा कुक्कुट एवं मवेशियों के अग्रणी उत्पादकों में होता है। परिदृश्य के धुंधलके में भी ये उपलब्धियां विशेष उल्लेखनीय हैं। इससे ही ऐतिहासिक राष्ट्रय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए) पारित करने का विश्वास प्राप्त हुआ है जो खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रमों को दो-तिहाई आबादी के लिए सब्सिडी-प्राप्त खाद्यान्न को कानूनी अधिकार में परिवर्तित करता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामक विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा योजना की घोषणा की। जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं – विशेषतः प्रवासी मजदूरों, फँसे पड़े और जरूरतमंद परिवारों के लिए - आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंतर्गत 8 लाख टन के खाद्यान्न का प्रावधान किया गया है।

1.41 इसके आगे, कृषि क्षेत्र के पक्ष में व्यापार की शर्तों को बदलना इस गतिशील बदलाव को बनाए रखने तथा कृषि उत्पादन में सकारात्मक आपूर्ति संबंधी रेस्पांस की कुंजी है। अनुभव यह बताते हैं कि उन अवधियों में जब व्यापार की शर्तें कृषि के अनुकूल रहीं, तब कृषि क्षेत्र के सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में 3 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक औसत वृद्धि होती थी। अब तक, प्रोत्साहन का मुख्य जरिया न्यूनतम समर्थन मूल्य था, लेकिन अनुभव यह रहा है कि कीमत वाले प्रोत्साहन महंगे, अकुशल एवं स्वरूप को बिगाड़ने वाले भी रहे हैं। भारत अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां अधिशेष का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। प्राथमिकता इस बात की है कि नीतिगत रणनितियों का रुख उस दिशा में हो जो उपभोक्ता के लिए उचित खाद्यान्न मूल्य के साथ-साथ कृषकों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित कर सके। इस स्तर पर एक कुशल घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का होना बहुत ज़रूरी है। तदनुसार, अब उन प्रमुख सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो कृषि में निःशुल्क व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किए जा रहे हैं। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन का उद्देश्य है वेयरहाउस, प्रशीतनगृह, तथा बाजार-स्थलें के साथ-साथ आपूर्ति-श्रृंखला

अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना है। दूसरा, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुगमन) अध्यादेश 2020 का लक्ष्य यह है कि कृषि उत्पाद में बाधा-रहित व्यापार को सुविधाजनक बनाया जाए। तीसरा, फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एस्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज़ ऑर्डिनंस, 2020, कृषकों को प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, थोकविक्रेता, बड़े फुटकर विक्रेता तथा निर्यातकों से प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से व्यवहार करने का अधिकार देगा। सशक्त बनाने वाले इस कानूनी ढांचे के साथ ध्यान इन बातों पर केंद्रित किया जाना चाहिए: (ए) फसलों का विविधीकरण, पानीखोरों/अधिक पानी पीने वाली फसलों (वाटर गजलर्स) पर जोर कम, भले ही राजनैतिक दृष्टि से यह कितना ही मुश्किल क्यों न हो; (बी) खाद्यान्न प्रसंस्करण जो कृषि उत्पाद की निधानी आयु (शेल्फ लाइफ़) को बढ़ाए तथा फसल कटने के बाद बरबादी को न्यूनतम बनाना; (सी) कृषिगत निर्यात जो भारतीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्तों एवं प्रौद्योगिकी से परिचित कराता है तथा (डी) कृषि क्षेत्र में सरकारी और निजी पूंजी निर्माण।

1.42 भारतीय विनिर्माण क्षेत्र एक अर्से से संरचनागत शिथिलता की चपेट में आ गया है। इस गिरावट की स्थिति को उलटने के लिए पूर्णतः नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। टैरिफ और गैर-टैरिफ प्रतिबंधों का प्रभाव घरेलू विनिर्माण क्षेत्र का वैश्विक अर्थव्यवस्था से विच्छेद का रहा है। उन्हें आसान बनाने से नये निवेश आएंगे तथा बेहतर कारोबार करने के वातावरण में दक्षता का भी फायदा मिलेगा। भौतिक अवसंरचना की गुणवत्ता और दक्षता जो अभी भी विश्वस्तरीय औसत से काफी पीछे है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विनिर्माण को उड़ान भरने में सहायता मिल सके। विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं व प्रणाली के साथ बेंचमार्किंग और दिवाला और अक्षमता प्रक्रियाओं को दक्ष बनाते हुए कारपोरेट्स के दबावग्रस्त तुलनपत्र को साफ-सुथरा बनाकर इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। बड़ी भारतीय फर्मों को चाहिए कि वे अपनी वित्तपोषण की आवश्यकताओं का विविधीकरण करें और खासतौर से

अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए बैंक-आधारित प्रणाली पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करें। भारत के अनुकूल बनाए गए सरकारी-निजी सहभागिता के व्यवहार्य मॉडल की जरूरत पर जितना कहा जाए कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विरासती समस्याओं यथा, भूमि अधिग्रहण तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान, पर्यावरणीय मंजूरी, परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण अधिक समय एवं लागत लगने जैसी स्थितियों का तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है। श्रमिक विनियमन में सुधार तथा सकारात्मक कार्रवाई द्वारा कार्यबल में अधिक संख्या में महिलाओं की सहभागिता से उत्पादन की लागत कम होगी तथा उत्पादकता बढ़ेगी।

1.43 एमएसएमई क्षेत्र में विकास का इंजन होने की संभावना है, किंतु विभिन्न संरचनागत कारणों से लंबे समय से इस क्षेत्र का प्रदर्शन अपनी क्षमता से कम रहा है। यह क्षेत्र पर्याप्त सूचनाओं के अभाव में क्रेडिट की उच्च लागत, आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव, अनुसंधान एवं नवोन्मेष के बिना, अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा जटिल श्रमिक कानून के कारण बाधित रहा है। एमएसएमई में प्रमुख सुधार अर्थात् विनिर्माण एवं सेवा-आधारित एमएसएमई के बीच परिभाषागत अंतर को दूर करने, एमएसएमई के रूप में किसी उद्यम को परिभाषित करने के लिए निर्धारित सीमा (श्रेण्डहोल्ड लिमिट) को बढ़ाने, तथा एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए निवेश के मानदंड के साथ टर्नओवर को भी एक मानदंड के रूप में जोड़े जाने से दूरगामी परिणामों की शुरुआत हो सकती हैं जो भारत में विनिर्माण की शक्ति बदल सकता है।

1.44 पिछले दो दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित हुई है, जिसमें बैंकिंग और वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, परिवहन, दूरसंचार, ई-कामर्स सहित व्यापार एवं अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र में विभिन्न स्तर के कौशल एवं संगठनात्मक अपेक्षाओं वाली आर्थिक गतिविधियों के विविध समूह शामिल हैं। तथापि, वर्ष 2014-15 में उंचाई पर पहुंचने के बाद सेवा क्षेत्र में लगातार नरमी आई है। उत्पादन को बल प्रदान

करने वाले उत्पादकता लाभ के सृजन के अलावा, भारत में सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार पैदा करने की दृष्टि से भी है क्योंकि मापित रोजगार में 44.4 प्रतिशत² हिस्से के साथ यह क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है।

1.45 पिछले तीन दशकों में सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में प्राप्त की गई सफलता को अन्य क्षेत्रों तक विशेषतः स्वास्थ्य सुरक्षा तथा पर्यटन क्षेत्र में भी ले जाने की आवश्यकता है जहाँ भारत स्वाभाविक रूप से बेहतर स्थिति में है। ऐसी प्रतिभाओं को भी पोषित करने की आवश्यकता है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उभरते हुए अवसरों का दोहन कर सकें। संसाधनों तथा नीति का फोकस इस दिशा में मोड़ना आवश्यक होगा तथा इस क्षेत्र के लिए प्रमुख चुनौती होगी, नवोन्मेष तथा विचारों को सींचकर वास्तविक धरातल पर साकार करने की क्षमता। इस संदर्भ में निजी उद्यम एवं निवेश की भूमिका अहम होगी।

1.46 2016 में अपनाए गए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लचीले ढांचे के अंतर्गत 2019-20 तक हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 3.9 प्रतिशत तक रही थी, जो 4 प्रतिशत के लक्ष्य के काफी नजदीक है। इसने मौद्रिक नीति के संचालन को विश्वसनीयता दी है, निवेशकों में विश्वास भरा है तथा मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को स्थिर रखा है। परिणामतः मौद्रिक नीति की दिशा को निरंतर आठ तिमाहियों से पीछे होती जा रही संवृद्धि को अवलंब देने की ओर मोड़ा भी जा सका। तदनुसार, फरवरी 2019 से नीतिगत दर को कुल 250 आधार अंकों तक घटाया गया, जिसमें जीडीपी के लगभग 5.0 प्रतिशत तक की चलनिधि के समावेश का सहयोग रहा। नीतिगत दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इस समन्वित रणनीति ने वित्तीय बाज़ार और वित्तीय संस्थाओं को सामान्य रूप से कार्यशील बनाए रखा है, कोविड-19 के प्रकोप के कारण चलनिधि संबंधी दबाव को दूर किया है, वित्तीय स्थितियों को काफी हद तक सहज बनाकर गृहस्थों (हाउसहोल्ड्स) एवं कारोबारों को विश्वास प्रदान किया तथा वित्त की जीवनशक्ति को प्रवाहित रखा।

1.47 एमपीसी ने अगस्त 2020 की अपनी शुरुआती बैठक में आपूर्ति-शृंखला के अवरोधों तथा बढ़ती लागतों के दबाव के कारण समष्टि-आर्थिक परिदृश्य में व्याप्त अत्यधिक अनिश्चितता पर ध्यान दिया। समिति की प्रत्याशा थी कि 2020-21 की दूसरी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊँचाई पर बनी रहेगी, किंतु अनुकूल आधारगत प्रभाव के कारण 2020-21 की दूसरी छमाही में इसके नरम पड़ने की संभावना है। जहां तक संवृद्धि की संभावनाओं का संबंध है, एमपीसी ने प्रत्याशा की कि वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि कुल मिलाकर ऋणात्मक रहेगी। एमपीसी का विचार था कि कोविड-19 महामारी पर शीघ्र नियंत्रण हो जाने से परिदृश्य बेहतर बन सकता है। महामारी का अधिक समय तक खिंचना, पूर्वानुमान से कम मानसून रहना तथा विश्व में वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता प्रमुख अधोमुखी जोखिम हैं। ऐसे परिवेश में, एमपीसी का विचार है कि मौद्रिक नीति के संचालन में अर्थव्यवस्था के समुत्थान को सहयोग प्रमुख हो जाता है। आगे मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई के लिए जहां और गुंजाइश मौजूद है, वहीं यह महत्वपूर्ण है कि इसका उपयोग विवकपूर्ण ढंग से किया जाए ताकि अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियों के लाभकारी प्रभाव अधिकाधिक हों।

1.48 साथ ही, एमपीसी इसके मध्यावधि मुद्रास्फीति के लक्ष्य के उर्ध्वमुखी जोखिम प्रति सचेत भी थी। हेडलाइन मुद्रास्फीति के लक्ष्य के आसपास सह्य सीमा के ऊपरी दायरे से अधिक बने होने, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों एवं संभावनाओं को कमज़ोर और अनिश्चित देखते हुए एमपीसी ने यह नोट किया कि 250 आधार अंक की संचयी कटौती अर्थव्यवस्था में अपना काम कर रही है, तथा मुद्रा, बांड व क्रेडिट बाज़ारों में ब्याज दरों को न्यून बना रही है, और स्प्रेड को संकरा कर रही है। तदनुसार, मुद्रास्फीति में टिकाऊ स्वरूप की कमी की प्रतीक्षा करते हुए एमपीसी ने विराम का निर्णय लिया ताकि अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान को सहारा देने के लिए उपलब्ध गुंजाइश का उपयोग किया जा सके।

1.49 वित्तीय क्षेत्र की ओर देखें तो, भारतीय बैंकिंग को जोखिम विमुखता से छुटकारा दिलाना होगा जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की ओर क्रेडिट का प्रवाह रोक रही है तथा

अर्थव्यवस्था में प्रमुख वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंकों की भूमिका को क्षति पहुँचा रही है। समष्टि-आर्थिक एवं वित्तीय परिवेश में आई गिरावट बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता तथा लाभप्रदता को क्षति पहुँचा रही है। महामारी के कारण आवश्यक हुई विनियामकीय रियायतों- ऋण की किस्तों में स्थगन, ब्याज भुगतान का आस्थगन तथा उसकी पुनर्चना-की बारीक निगरानी और विवेकपूर्ण उपयोग न हो तो बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य पर भी इनका प्रभाव संभावित है। हालांकि मार्च, 2020 में, घटते गिरावट अनुपात (स्लिपेज रेशियो) के साथ सकल एवं निवल अनर्जक आस्ति अनुपातों में भी कमी आ गई थी, फिर भी महामारी का आर्थिक परिणाम इस समुत्थानशीलता की परीक्षा ले सकता है, विशेषतः इसलिए कि, महामारी को देखते हुए घोषित विनियामकीय रियायतों ने इस प्रकोपजन्य दबाव पर मुखौटा डाल दिया है। जुलाई 2020 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मैक्रो दबाव परीक्षण से ज्ञात होता है कि बेसलाइन परिदृश्य के अंतर्गत अनर्जक आस्तियां अपने मार्च, 2020 के स्तर से 1.5 गुना और अत्यधिक दबाव के परिदृश्य में 1.7 गुना बढ़ सकती हैं। बेसलाइन परिदृश्य के अंतर्गत प्रणाली स्तर पर सीआरएआर मार्च, 2020 के स्तर से मार्च 2021 में 13.3 प्रतिशत तक तथा अत्यधिक दबाव के परिदृश्य में 11.8 प्रतिशत तक घट सकता है।

1.50 इस परिदृश्य में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए पुनः पूंजीकरण की योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं, जो कि ऐतिहासिक हानि की घटनाओं के आधार पर नपे-तुले ढंग से तय (कैलिब्रेट) की जाती हैं, संभव है महामारी के बाद के नुकसान को पूरी तरह संभालने के लिए पर्याप्त न रह जाएं। रिजर्व बैंक ने बैंकों व एनबीएफसी को पहले ही कोविड-19 दबाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्ट) करने और अग्रसक्रियता से उपचारात्मक कार्रवाई करने को कह दिया है। अतीत की तुलना में अधिक बार, विविध और बड़े जोखिम वाली घटनाओं के पूर्वानुमान में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी जुटाने के साथ-साथ

समुत्थानशीलता निर्मित करने की क्षमता बैंकों में अभिशासन मानकों पर निर्भर होगी। इस संबंध में, रिजर्व बैंक ने "भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन" ("गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया") पर एक चर्चा पत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू वित्तीय प्रणाली के संदर्भ के प्रति सचेत रहते हुए नियामक ढांचे को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ढालना है। चर्चा पत्र का मुख्य जोर निदेशक मंडल को सशक्त बनाना है। बोर्ड, अपनी ओर से, संगठन की संस्कृति और मूल्य स्थापित करे; हितों के टकराव को पहचाने और उन्हें संभाले; जोखिम की लालसा तैयार करे और इस लालसा में निहित जोखिमों का प्रबंधन करे; वरिष्ठ प्रबंधन पर निगरानी रखे; और विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से निगरानी और आश्वासन कार्यों को सशक्त बनाए। उभरते नियमों के साथ तालमेल बिठाते हुए, रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को दोतरफा होना होगा - पहला, विनियमित संस्थाओं के आंतरिक बचाव पक्ष को मजबूत करना; और दूसरा, पूर्व चेतावनी संकेतों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। व्यावसायिक मॉडल, अभिशासन और आश्वासन कार्यों (अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और सतर्कता कार्यों) के मूल्यांकन पर अधिक जोर देने की आवश्यकता होगी। यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 नियंत्रण के बाद की अवधि में, तत्संबंधी नियामक उपायों को क्रमिक रूप से वापस लिए जाने के मार्ग पर बहुत ही सावधानी से चला जाए और विनियामक छूटों पर आश्रित हुए बिना वित्तीय क्षेत्र सामान्य कामकाज पर वापस लौटे।

1.51 एनबीएफसी क्षेत्र की ओर रुख करें तो, डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ अभिनव तरीकों से वित्तीय सेवाएं देने के लिए गैर-पारंपरिक और डिजिटल खिलाड़ी इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रिजर्व बैंक का लक्ष्य इस क्षेत्र को मजबूत करना, स्थिरता बनाए रखना और विनियामक मध्यस्थता की गुंजाइश कम करना है। विनियमन और पर्यवेक्षण का एक इष्टतम स्तर प्राप्त करना है ताकि एनबीएफसी क्षेत्र वित्तीय रूप से लचीला और मजबूत हो जो विभिन्न प्रकार के ग्राहकों व विशिष्ट क्षेत्रों

की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा बैंकों को पूरकता और प्रतिस्पर्धा प्रदान करे। एनबीएफसी क्षेत्र काफी हद तक बाजार और बैंक उधार पर निर्भर करता है, जिससे बैंकों और वित्तीय बाजारों के साथ परस्पर-संपर्कों का एक संजाल तैयार होता है। चूँकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी) अब रिजर्व बैंक के विनियामक दायरे में आती हैं, एनबीएफसी के लिए लागू होने वाले नियमों का एचएफसी के लिए नियमों के साथ सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया प्राथमिक हो जाती है। एनबीएफसी के लिए एक मजबूत चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा मौजूद है जो कुछ समय में एचएफसी पर भी लागू होगा ताकि स्पष्टतः निर्दिष्ट भूमिका व जिम्मेदारियों वाले कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) सहित उचित अभिशासन और जोखिम प्रबंधन संरचनाओं को सुनिश्चित किया जा सके। एनबीएफसी/एचएफसी के प्रणालीगत महत्व और वित्तीय प्रणाली के साथ उनके परस्पर-संपर्कों की उचित मान्यता और उचित रूप से एक्सपोजर सीमा को नियंत्रित करके उच्च ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना, सह-वित्तपोषण और एनबीएफसी को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंक को सक्षम बनाना और हितधारकों के साथ सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देना इस क्षेत्र में हो रही कार्रवाइयों की प्रमुख बातें हैं।

1.52 कोविड-19 के मद्देनजर, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता डिजिटल भुगतान की व्यापक स्वीकृति को गति प्रदान कर रहे हैं। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) के परिचालन से स्वीकृति के बुनियादी ढांचे को देश भर में, विशेषतः अल्पसेवित क्षेत्रों में, लगाए जाने की प्रक्रिया को बल मिलने और भुगतान लेनदेन के डिजिटलीकरण में सहायता की उम्मीद है। रिजर्व बैंक पूरे देश में डिजिटल भुगतान को और गहन करने के लिए ऑफ़लाइन भुगतान समाधानों के विकास को बढ़ावा देगा। खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए नए अखिल भारतीय छत्र इकाइयों (अम्ब्रेला एंटीटीज़) को प्राधिकृत करने हेतु हाल में जारी रूपरेखा, भुगतान परिदृश्य में नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी

और खुदरा भुगतान प्रणालियों में संकेंद्रण जोखिम को कम किया जा सकेगा। विनियामक और पर्यवेक्षी प्रक्रिया में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्व-विनियामक संगठन (नों) की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य कदमों में, अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को विफल लेनदेन के लिए ऑनलाइन भुगतान विवाद समाधान (ओडीआर) लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

1.53 देश में भुगतान परिदृश्य को बदलने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं। केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली, अर्थात्, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली ग्राहक लेनदेन के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है; और दिसंबर 2019 से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली चौबीसों घंटे - 24x7x365 काम कर रही है। एक अन्य उद्देश्य डिजिटल लेनदेन की लागत को कम करना भी है। तदनुसार, सदस्य बैंकों पर लागू एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए प्रसंस्करण शुल्क माफ कर दिए गए हैं और बदले में, उन्हें, इसका लाभ अपने ग्राहकों तक पहुँचाने की सलाह दी गई है। भावी मार्ग में, नवोन्मेषी विचारों के अंकुरण के उद्देश्य से वित्तीय क्षेत्र के लिए नवोन्मेष-केंद्र (इनोवेशन-हब) स्थापित करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और भुगतान प्रणालियों के विकास हेतु नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) जैसे छत्र संगठन/नों की लाइसेंसिंग शामिल होगी।

1.54 रिजर्व बैंक के मूल उद्देश्य, मिशन और दृष्टि की मध्यावधि रणनीति- 'उत्कर्ष 2022' - के अंतर्गत आने वाले वर्ष के लिए विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपनाए गए प्रमुख प्रदेयों (डिलिवरेबल्स) का कैनवास विस्तृत है। रणनीति के निष्पादन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में, आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता वाले एक विशेषज्ञ संवर्ग को विकसित किया जाएगा, और मौजूदा डेटाबेसों को जोड़कर इसे एक व्यापक पर्यवेक्षी डेटाबेस द्वारा समर्थित किया जाएगा। बेसल III मानकों के अनुरूप प्रतिभूतिकरण और परिचालन जोखिम पर

दिशानिर्देश निर्धारित किए जाएंगे। समाज के विशिष्ट वर्गों को लक्षित करने वाले ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल विकसित करके वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाया जाएगा। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वित्तीय शिक्षा संरचना से तथा तीन वर्तमान लोकपाल योजनाओं (ओम्बड्समैन स्कीम्स)³ के एकीकरण हेतु आंतरिक समिति के परामर्शों के कार्यान्वयन से ग्राहक सुरक्षा को बल मिलेगा। वित्तीय बाजार के विकास में एक ऋण व्युत्पन्न बाजार का विकास, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) की शुरुआत और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए फेमा विनियमों का युक्तिकरण करना शामिल होगा। इन कदमों को संरचनागत वित्तीय संदेश प्रेषण समाधान (एसएफएमएस) के उन्नयन, स्वीकृति आधार-संरचना (एक्सेपटेंस प्लेटफॉर्म) की पैठ में सुधार और छोटे केंद्रों में बिक्री के बिंदु (पीओएस) की सुविधा जैसे तकनीकी विकासों से लैस किया जाएगा। इन प्रयासों के लिए रिजर्व बैंक के कर्मियों में कौशल विकसित करने हेतु प्रशिक्षण नीतियों में आपूर्ति (प्रशिक्षण के लिए प्रस्तुत पाठ्यक्रम), वितरण (कौन-कौन से पाठ्यक्रम, कौन, कहाँ और कैसे प्रदान करते हैं) और मूल्यांकन (संस्थानों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं के) शामिल होंगे। भौतिक बुनियादी ढाँचे के विकास के संदर्भ में, कम से कम एक मौजूदा कार्यालय और पांच मौजूदा आवासीय भवनों के लिए भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) / एकीकृत आवास आकलन हेतु हरित रेटिंग (जीआरआईएचए) से अपेक्षित रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य होगा।

1.55 भविष्य की इन रणनीतियों के लिए भी रिजर्व बैंक को सुप्रचलानिक रूप से (लाजिस्टिकली) सशक्त होने की आवश्यकता होगी। रिजर्व बैंक अपने डेटा वेयरहाउस सिस्टम को नए केंद्रीय अत्याधुनिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) में बदलने की प्रक्रिया में है, जो रिजर्व बैंक के

अधिकांश कार्य क्षेत्रों में डेटा की प्राप्ति, प्रसार और एनालिटिक्स को कवर करता है। नई तकनीकों को सुरक्षित तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग परीक्षण परिवेश (सैंडबॉक्स) स्थापित किया गया है। इसका उपयोग सीआईएमएस के साथ बैंकों की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) सर्वरों के सिस्टम-टू-सिस्टम एकीकरण के परीक्षण के लिए किया जाएगा। बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) को, जो बैंकिंग नेटवर्क और वित्तीय समावेश नीतियों को सपोर्ट करती है, सहकारी बैंकों, एटीएम और नियत स्थान (फिक्स्ड-लोकेशन) बिजनेस संवाददाताओं (बीसी) को शामिल करके विस्तारित किया जाएगा। नई सुविधाओं से युक्त एससीबीका सेंट्रल फ्रॉन्ट रजिस्ट्री (सीएफआर) पोर्टल, विकास के एक उन्नत चरण में है। रिजर्व बैंक का डेटा साइंस लैब (डीएसएल) नीति निर्माण और निगरानी हेतु इनपुट प्रदान करने के लिए डेटा की गुणवत्ता, पूर्वानुमान, चौकसी, पूर्व चेतावनी पहचान क्षमताओं में सुधार और बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रयोग की दिशा में काम करेगा। डेटा वैज्ञानिकों, सांख्यिकीविदों, अर्थशास्त्रियों और आईटी कर्मियों के विशेषज्ञों की एक अंतर्विषयक (इंटरडिसिप्लिनरी) टीम पर आधारित डीएसएल का विस्तार किया जाएगा, जो रिजर्व बैंक के हित के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोग्रामिंग, सांख्यिकीय विधियों, टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग और मशीन-लर्निंग से संबंधित विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करेंगे। सीआईएमएस परिवेश में एक ग्रैनुलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएल) की योजना बनाई गई है जिसमें ग्रैनुलर डेटा की गोपनीयता की रक्षा के लिए डेटा-मास्किंग और अन्य एक्सेस प्रतिबंधों की तकनीकों की परिकल्पना है।

1.56 महामारी विश्व की अर्थव्यवस्था पर गहरी विकृतियां छोड़ जाएगी। भविष्य का आकार काफी हद तक कोविड-19 की उभरती तीव्रता, प्रसार और अवधि तथा उस मारीचिकेय (दुष्प्राप्य) टीके की खोज पर टिका हुआ है। कोविड -19 के

³ इसमें बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; एनबीएफसी लोकपाल योजना, 2018; और डिजिटल लेन-देन लोकपाल योजना, 2019 शामिल है।

बाद, यह सोच हावी है कि दुनिया फिर से वैसी नहीं होगी और इसकी एक नयी शकल उभर सकती है। महामारी काल के बाद, जब वित्तीय प्रोत्साहन (स्टिमुलस) और विनियामक सुलभता का असर इस समुत्थान से हटेगा तो दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, भारत का संभावित उत्पादन एक संरचनात्मक गिरावट के दौर से गुजर सकता है। इसके अलावा, इस समुत्थान के अलग प्रकार की होने की संभावना है - जीएफसी की स्थिति समष्टि-आर्थिक स्थिरता के साथ वर्षों के मजबूत विकास के बाद पैदा हुई; इसके विपरीत, अर्थव्यवस्था को कोविड-19 की चोट, लगातार शिथिलता की मार के बाद, पड़ी है। इसके अलावा, जीएफसी मूल रूप से एक वित्तीय चरमराहट थी, जबकि यह महामारी एक स्वास्थ्य संकट है, जो पूरे वास्तविक और वित्तीय

क्षेत्रों में हानिकारक साबित हो सकती है। इस बेहिसाब मानवीय और आर्थिक क्षति के प्रभाव को कम करने के लिए, अब तक नीति प्राधिकारियों ने पारंपरिक और अपारंपरिक उपायों के साथ इस पर एक अभूतपूर्व बचाव वाली जवाबी कार्रवाई की है। महामारी के बाद वित्तीय प्रोत्साहन जब नपे-तुले और गैर-विघटनकारी तरीके से क्रमशः समेटा जाएगा, तब कारक (फैक्टर) और उत्पाद बाजारों, वित्तीय क्षेत्र, कानूनी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अत्यधिक गहन और व्यापक संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता होगी ताकि संभावित उत्पादन घाटे की भरपाई की जा सके और अर्थव्यवस्था को समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के साथ मजबूत और सतत विकास के मार्ग पर वापस लाया जा सके।

भारत में आर्थिक क्रियाकलाप सन 2019-20 में धीमे रहे क्योंकि सकल मांग पर समकालिक वैश्विक गिरावट ने बहुत बड़ा दबाव बना दिया। प्रथमार्ध में मामूली स्तर पर रहने के बाद खाद्य कीमतों में स्फीति ने बाद में हेडलाइन स्फीति पर असर दिखाया। अर्थव्यवस्था में मूलभूत क्रियाकलापों की धीमी गति मौद्रिक और क्रेडिट स्थितियों से प्रकट होती है। वर्ष के परवर्ती समय में समकालिक वैश्विक बाजारों के अनुरूप ही वित्तीय बाजार परिवर्तनशील बन गए, अभी हाल ही में यह महामारी के असर को भी प्रकट कर रहा है। कर-राजस्व और विनियोजन संग्रहों में कमी के कारण लोक वित्त में बजटीय लक्ष्यों की तुलना में विचलन रहा। विदेशी मोर्चे पर देखा जाए तो निवल पूंजीगत प्रवाह में प्रबलता होने से चालू खाते का घाटा संकुचित हुआ; वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई।

II.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.1.1 समस्त भूमंडल में परिणामों में गिरावट, चीन और अमरीका के बीच बढ़ते हुए व्यापारिक तनावों, ब्रेक्सिट के बारे में अनिश्चितता, और बढ़ते हुए भू-राजनैतिक जोखिमों के बीच वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सन 2019 में वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी मंदतम गति से आगे बढ़ी। साल का अंत होने के आस-पास इन बाधक ताकतों में अभी कुछ सहजता प्रतीत हुई ही थी कि नोवल कोरोनावायरस (कोविड-19) फैल गया और तेजी के साथ इसने महामारी का रूप ले लिया, जिसने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं को धूमिल कर दिया और प्रत्याशाओं पर अत्यधिक अनिश्चितता छा गई।

II.1.2 इस संक्रमण ने पूरे विश्व की 200 से भी अधिक अर्थव्यवस्थाओं को अपने लपेटे में लिया, पूरे विश्व में मई, 2020 तक 59 से भी अधिक लाख लोग संक्रमित हुए और 3,67,166 लोगों की मृत्यु हुई, माह के अंत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों (पीई) से प्रकट होता है कि भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सन 2019-20 में गिरकर 4.2 प्रतिशत पर आ गए (एक साल पहले ये 6.1 प्रतिशत थे), जो कि सन 2009-10 के बाद न्यूनतम है। सन 2016-17 की अंतिम

तिमाही के दौरान जो गिरावट आरंभ हुई, उसने सन 2017-18 की दूसरी छमाही में अल्पकालिक आधार-प्रभावों से सारतत्व लेते हुए, लगातार आठ तिमाहियों में आर्थिक क्रियाकलापों की गति को बाधित करते हुए इसे चौथी तिमाही: 2019-20 में इतना नीचे ला दिया जो 2011-12 की आधारभूत शृंखला के इतिहास में कभी देखा नहीं गया था। घरेलू मांग के सभी घटक नीचे की दिशा में चल पड़े, सरकार के अंतिम उपभोग व्यय के अलावा, केवल इसी ने सकल मांग को सुस्थिर समर्थन दिया। मांग-पक्ष को देखें तो विनिर्माण क्रियाकलापों, भवन-निर्माण और परिवहन सभी में क्षेत्र-विशेष की बाधाओं के कारण गिरावट रही।¹ खाद्यानों और बागवानी के रिकार्ड उत्पादन और सन 2020 में सामान्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आलोचित परिदृश्य और प्रतिक्रियाशील सह-क्रियाकलापों के बलबूते पर कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों ने आशा की किरण जगाई।

II.1.3 इस पृष्ठभूमि में सकल मांग के विश्लेषण में इसी त्रिकोण का अनुसरण घटक-वार किया गया है। सकल मांग की गतिविधियों का विश्लेषण उप-खंड 3 में किया गया है। अंतिम उप-खंड में उच्च बारंबारता संकेतकों पर आधारित रोजगार का विश्लेषण किया गया है और इसमें कोविड-19 तथा प्रमुख नीतिगत प्रतिसादों के प्रभाव का आकलन भी शामिल है। नीतिगत प्रत्याशाओं को निष्कर्षपरक पैराग्राफ में दिया गया है।


¹ बीएस VI अथवा भारत स्टेज VI, जिसने ऑटोमोबाइल और परिवहन क्षेत्र को प्रभावित किया है, नए उत्सर्जन मानक को दर्शाता है, जिसे 1 अप्रैल, 2020 से या उसके बाद निर्मित दुपहिया और तिपहिया पहिया वाहनों सहित सभी हल्के और भारी वाहनों द्वारा अनुपालन करने की आवश्यकता है।

2. मांग में गिरावट को सुलझाना

II.1.4 सन 2019-20 हेतु मई 2020 में जारी पीई ने पहली झलक दिखाई कि चौथी तिमाही : 2019-20 में अर्थव्यवस्था ने क्या दर्शाया है और इसलिए समग्र रूप से पूरे वर्ष के लिए इसने आगामी तिमाहियों के लिए अनुमानों में संशोधन की संभावना भी दर्शाई है। नए निर्गतों में पुष्टि की गई है कि सकल मांग में होने वाली संवृद्धि दशवर्षीय 7.0 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर की तुलना में 2.8 प्रतिशत अंक की गिरावट रहेगी और यह दूसरी छमाही : 2017-18 में प्राप्त 7.9 प्रतिशत की उच्च स्थिति से निरंतर गिरती गई है। दूसरी छमाही: 2019-20 में दर्ज सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि दर 3.6 प्रतिशत रही जो कि 2011-12 की आधारभूत शृंखला में न्यूनतम है (परिशिष्ट तालिका 1)। लॉक-डाउन के कारण हुए व्यवधान ने चौथी तिमाही : 2019-20 के अंतिम सप्ताह के दौरान आर्थिक क्रियाकलापों को जड़वत कर दिया (तालिका II.1.1)।

II.1.5 सामयिक रूप से समायोजित वार्षिकीकृत संवृद्धि दर (एमए-एसएएआर) से तीन तिमाहियों के लिए परिवर्तनशील औसत ने मांग के आवेग में कमजोरी परिपुष्ट होती है (चार्ट

चार्ट II.1.1 : जीडीपी वृद्धि : वर्ष-दर-वर्ष तथा 3-तिमाही एमए-एसएएआर



एमए-एसएएआर: मौसमी रूप से समायोजित वार्षिकीकृत संवृद्धि दरों का चल औसत
स्रोत : एनएसओ तथा भारिबैं स्टॉफ गणना

II.1.1)। परिणामस्वरूप, ऋणात्मक आउटपुट अंतराल (अर्थात वास्तविक आउटपुट का इसके संभावित उपभोग से विचलन) सन 2019-20 में और भी बढ़ गया, जो कि संसाधनों के उपभोग में महत्वपूर्ण गिरावट की तरफ संकेत करता है।

सारणी II.1.1 : वृद्धि के अंतर्निहित संचालक

घटक	वृद्धि (प्रतिशत)					वृद्धि में योगदान (प्रतिशत)				
	2008-09	2009-11	2011-14	2014-18	2018-20	2008-09	2009-11	2011-14	2014-18	2018-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कुल खपत व्यय	5.5	6.5	6.1	7.5	7.0	118.2	53.5	71.5	64.6	91.8
निजी	4.5	5.9	6.7	7.4	6.2	81.9	40.4	66.2	53.8	68.5
सरकारी	11.4	9.7	2.6	8.2	10.9	36.3	13.1	5.3	10.8	23.3
II. सकल पूंजी विनिर्माण	-2.6	14.5	2.0	6.5	3.7	-31.3	64.1	16.6	30.1	17.9
स्थिर निवेश	3.2	9.4	6.2	6.2	3.5	32.6	35.9	37.9	25.0	13.9
स्टॉक में परिवर्तन	-51.4	56.2	-27.4	31.5	12.2	-75.4	17.9	-16.7	3.5	3.4
मूल्यवान वस्तुएं	26.9	45.0	-11.1	8.5	0.8	11.4	10.3	-4.6	1.6	0.5
III. शुद्ध निर्यात						-72.4	-4.1	8.9	-8.5	14.0
निर्यात	14.8	7.3	10.0	1.4	4.4	99.0	16.2	42.3	3.7	10.9
आयात	22.4	6.9	6.1	4.2	0.9	171.4	20.3	33.4	12.3	-3.0
IV. जीडीपी	3.1	8.2	5.7	7.7	5.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: एनएसओ तथा भारिबैं स्टॉफ गणना

11.1.6 मांग की स्थितियों में घटक के अनुसार हुआ अंतरण सतत मंदी की के गठन को प्रकट करता है जो इस मंदी को 2019-20 में ले आया है (चार्ट 11.1.2 और परिशिष्ट तालिका-2)।

उपभोग


11.1.7 निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) सकल मांग का 57.2 प्रतिशत है, और इसमें एक दशक के दौरान न्यूनतम संवृद्धि दर्ज हुई। इसके बावजूद सन 2019-20 में 5.3 प्रतिशत की पीएफसीई की संवृद्धि ने आय और वित्तीय स्थितियों की सुदीर्घ कमजोरी के समक्ष समुत्थानशीलता का प्रदर्शन किया। उपभोग मांग के उच्च बारंबारता संकेतकों में या तो संकुचन रहा या फिर ये अपने दीर्घावधिक औसत से काफी न्यून दर पर बढ़े। पेट्रोलियम का उपभोग स्थिर रहा, जबकि तेल से इतर, स्वर्ण से इतर आयातों में पूरे वर्ष के दौरान संकुचन बना रहा। शहरी मांग के संकेतकों में यात्री कारों की बिक्री में 2019-20 की सम्पूर्ण की अवधि के दौरान संकुचन रहा, बीमे की बढ़ती लागत और उत्सर्जन के सख्त मानदंडों जैसे संवेदन-विशिष्ट घटकों से कमजोर मांग और भी कमजोर हुई। शहरी मांग के अन्य संकेतकों, यथा- उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और वायुयान यात्री परिवहन भी इस वर्ष के दौरान दबाव में रहा, प्रमुख एयरलाइनों के जमीन पर खड़े हो जाने के कारण वायुयान

परिवहन को भारी झटका लगा।

11.1.8 ग्रामीण मांग के संकेतकों में ट्रैक्टरों की मांग में रबी की बुआई के मौसम की शुरुआत तक संकुचन रहा, लेकिन फार्म सेक्टर हेतु व्यापार की दृष्टि से सुधार के साथ रिकार्ड बुआई ने मांग को बढ़ाया और दिसम्बर 2019 और फरवरी 2020 के बीच ट्रैक्टरों की बिक्री में तेजी पैदा की, और यहां तक कि महामारी के काल में भी यह मजबूत बनी रही। हालांकि जनवरी 2019 से मोटरसाइकिलों की बिक्री भी लगातार संकुचित बनी रही। ग्रामीण मजदूरी और रोजगार के डांवांडोल अवसरों में शिथिलता, और जीवनयापन के वैकल्पिक स्रोतों यथा विनिर्माण और भवन निर्माण में मंदी से भी ग्रामीण मांग में कमजोरी को बढ़ावा मिला। निजी उपभोग में मंदी के लिए जीएफसीई ने प्रतिपूर्ति की और 2019-20 में भी लगातार तीसरे साल भी दो अंकों में संवृद्धि दर्ज हुई। जीएफसीई में हुई 11.8 प्रतिशत की संवृद्धि को अलग कर दिया जाए तो 2019-20 के दौरान एनएसओ द्वारा अनुमानित हेडलाइन जीडीपी की तुलना में जीडीपी की संवृद्धि दर में 0.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। कोविड-19 की महामारी ने अर्थव्यवस्था को अप्रत्याशित झटका दिया है। अब यह देखना बाकी है कि इस महामारी से होने वाली बहाली का आरेख V-आकार का होगा या फिर U-आकार लिए होगा (बॉक्स 11.1.1)।

निवेश और बचत

11.1.9 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू निवेश की दर की पैमाइश चालू कीमतों पर जीडीपी की तुलना में सकल पूंजी निरूपण (जीसीएफ) के अनुपात से की जाती है, यह दर 2018-19 में गिरकर 32.2 प्रतिशत पर आ गई। यद्यपि सन 2019-20 के लिए जीसीएफ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तथापि इस में सन्निहित संकेतक यह बताने हैं कि निवेश और भी कमजोर हुआ है। जीडीपी की तुलना में वास्तविक निश्चित पूंजी निरूपण (जीएफसीएफ) का अनुपात कारोबारी भरोसे में क्षीणता के कारण सन 2019-20 में 29.8 प्रतिशत पर आ गया जो कि सन 2018-19 में 31.9 प्रतिशत था। सितम्बर 2019 में कार्पोरेट टैक्स व्यवस्था में किए गए सुधार अभी तक पूंजीगत व्यय की गति को बढ़ा नहीं पाए हैं।



बॉक्स II.1.1 कोविड-19 का समष्टि आर्थिक प्रभाव

कोविड-19 की महामारीय समीकरणों का उद्विकास भारत में अभी भी तेजी लिए हुए है, जिसके कारण इसके पूर्ण समष्टि आर्थिक प्रभावों का सटीक आकलन कठिन हो गया है। इस परिदृश्य में नव कीन्सवादी आधारों पर निर्मित डायनामिक प्रसंभाव्य सामान्य साम्यावस्था (डीएसजीई) को अपनाने से कोविड-19 के संभावित प्रभाव और इसके बाद हुए लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अस्थायी और निकटस्थ आकलन हो जाता है।


इस मॉडल के तीन प्रमुख आर्थिक एजेंट हैं, यथा – हाउसहोल्ड, फर्म और सरकार। कोविड-19 और लॉकडाउन कई मार्गों से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है (आइशेनबॉम तथा अन्य, 2020; फारिया-अ-कास्त्रो, 2020; यांग तथा अन्य 2020)। लॉकडाउन के कारण परिवारों के घर में ही रहना पड़ता है और इसलिए फर्मों को होने वाली श्रम-आपूर्ति घट जाती है; अन-अनिवार्य वस्तुओं के उपलब्ध नहीं होने और आय में गिरावट के कारण उपभोग में गिरावट आती है; और लोगों के बाधित सम्पर्क से इस महामारी का आवेग रुकता है।

यह मॉडल इस प्रकार अंशांकित² है कि इस संक्रमण का उच्चांक अगस्त 2020 के द्वितीयार्ध में जाता है [भारत हेतु सामान्यीकृत संभाव्य-जोखिमग्रस्त-संक्रमणीय-

स्वास्थ्यलाभ प्राप्त (एसईआइआर) मॉडल] और जिस समय अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक-खराब आघात होगा उस समय संभावित अंतराल और उत्पाद अंतराल लगभग (-) 12 प्रतिशत रहेगा। दो परिदृश्य परिकल्पित हैं – यथा – पहला यह कि लॉकडाउन-I ने श्रम की आपूर्ति और इसकी उत्पादकता को घटाकर अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष को प्रभावित किया। दूसरा परिदृश्य यह कि लॉकडाउन-II जिसमें सीमांत लागत में बढ़ोतरी पर अतिरिक्त विचार किया गया है।

दोनों ही परिदृश्यों में स्फीति में गिरावट आती है, मुख्यतया मांग में कमी के कारण; हालांकि, लॉकडाउन-II में, स्फीति में होने वाली गिरावट की प्रवणता कम रही और अल्पकालिक रही। फर्मों ने उत्पादन में कटौती और श्रम की मांग में कमी करके उच्चतर सीमांत लागत के कारण लाभ में गिरावट का प्रतिसाद किया। मजदूरियों में बढ़ोतरी कम हुई और अर्थव्यवस्था और भी बड़े संकुचन में चली गई। हालांकि इस परिदृश्य में, लोगों के बीच आपसी सम्पर्क के कम अवसरों के कारण महामारी से होने वाली बहाली की गति तेज रहती है। इसके विपरीत दूसरे परिदृश्य में उत्पादन में होने वाली कटौती अधिक नहीं होती लेकिन संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण मांग में होने वाले संकुचन अधिक मुखर होते हैं। इस प्रकार लॉकडाउन-II के दौरान अर्थव्यवस्था गहन संकुचन में जाती है, लेकिन महामारी के बाद स्वास्थ्यलाभ तेज गति से होते हैं (चार्ट1)।

चार्ट 1: कोविड-19 और लॉकडाउन परिदृश्य का सम्मिलित समष्टि आर्थिक प्रभाव



नोट: उपर्युक्त चार्ट में प्रत्येक समयावधि एक पखवाड़ा को दर्शाती है। अप्रैल 2020 का प्रारंभिक आधा माह अवधि I के बराबर है। हरी रेखा लॉकडाउन I तथा लाल रेखा लॉकडाउन II परिदृश्य को दर्शाती है।


स्रोत : भारिबैं स्टाफ अनुमान

² यह मॉडल गुणात्मक परिकल्पनाओं और मात्रात्मक परिकल्पनाओं दोनों ही पर आधारित है। गुणात्मक परिकल्पनाएं इस प्रकार की हैं – (क) परिवारों को उपभोग और स्वास्थ्य के उपभोग से उपयोगिता की निसृति होती है और वे फर्मों को श्रम की आपूर्ति करते हैं; और महामारी के फैलने के समानुपात में ही इन परिवारों के स्वास्थ्य में गिरावट आती है; (ख) परिवारों के उपभोग और श्रम आपूर्ति के निर्णयों पर महामारी का फैलना निर्भर है; (ग) महामारी का प्रतिकार करने के लिए सरकार लॉकडाउन घोषित करती है जो लोगों के आपसी सम्पर्क को बाधित करती है और इस तरह से श्रम की मांग और उपभोग हेतु मांग पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन महामारी का वेग रुक जाता है। इस मॉडल का अंशांकन करने के लिए प्रयुक्त मात्रात्मक परिकल्पनाएं इस प्रकार हैं – (क) अर्थव्यवस्था को सम्पर्क प्रधान और असम्पर्क प्रधान क्षेत्रों में वर्गीकृत कर दिया जाता है, जो कि केएलईएम के घटक – पूंजी(के), श्रमिक(एल), ऊर्जा(ई), सामग्री(एम) और सेवाएं(एस) शेयर डाटा पर आधारित होता है; (ख) माह अप्रैल 2020 में आर्थिक क्रियाकलापों पर सर्वाधिक खराब प्रभाव पड़ा, जैसा कि विभिन्न उच्च बारंबारता वाले आर्थिक संकेतकों से प्रकट है; (ग) इस अवधि के दौरान उत्पाद अंतराल अपनी संभाव्यता की तुलना में गिरकर (-)12 प्रतिशत पर आ जाता है, जो कि अर्ध-संरचनागत सामयिक शृंखला विश्लेषण पर आधारित है; (घ) महामारी का संक्रमण अगस्त 2020 के द्वितीयार्ध में अपने शिखर पर पहुंच जाता है, जैसा कि सामान्यीकृत एसईआइआर महामारीविज्ञान मॉडल (जून में नवीकृत); (ङ) लॉकडाउन के दौरान रोजगार लॉकडाउन से पहले के स्तर की तुलना में लगभग (-) 32 प्रतिशत गिरता है, यह सीएमआई और केएलईएमएस रोजगार अनुमानों की संयुक्त जानकारी पर आधारित है। इस प्रकार गतिशील परिदृश्य का सृजन करने के लिए एक सामान्य साम्यावस्था मॉडल का प्रयोग किया जाता है जो कि आंतरिक रूप से और साथ ही साथ इन इनपुटों के साथ भी सहवर्ती होता है।

प्रथम और द्वितीय परिदृश्यों के समष्टि आर्थिक निहितार्थों का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से यह जरूरी है कि तृतीय परिदृश्य का भी सृजन किया जाए जिसमें सरकार कोई लॉकडाउन नहीं लगाती है (चार्ट 2)।

व्यापक रूप से महामारी फैलने के परिणाम जनवरी 2021 के द्वितीयार्ध के हैं, जिसमें स्वास्थ्य लाभ बहुत धीमा है। इसके कारण श्रम की सतत कमी होती है और आपूर्ति के आधार स्फीति और उत्पाद के अंतराल पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं, जो क्रमशः स्फीति में स्थायी तौर पर उच्चता की तरफ होने वाले अंतरण और संभावित आउटपुट में अघागी अंतरण के अनुरूप होता है।

चार्ट 2: कोविड-19 और लॉकडाउन परिदृश्यों का सम्मिलित समष्टि-आर्थिक प्रभाव




नोट: उपर्युक्त चार्ट में प्रत्येक समयावधि एक पखवाड़ा को दर्शाती है। अप्रैल 2020 का प्रारंभिक आधा माह अवधि I के बराबर है। हरी रेखा लॉकडाउन I तथा लाल रेखा लॉकडाउन II परिदृश्य को दर्शाती है।

स्रोत : भारिबैं स्टाफ अनुमान

द्वितीय परिदृश्य, लॉकडाउन-द्वितीय की परिकल्पना की जाती है, इसमें आर्थिक क्रियाकलापों का पहली तिमाही: 2020-21 में अपने अपकर्ष में पहुंचना अनुमानित है और चौथी तिमाही 2020-21³ (चार्ट 3)। चौथी तिमाही: 2019-20 में स्फीति 6.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी, अनुमान है कि चौथी तिमाही :2020-21 तक इसमें सहजता आ जाएगी।

चार्ट 3 : विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत संवृद्धि और मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान



स्रोत: भारिबैं स्टाफ अनुमान

कुल मिलाकर सहवर्ती लॉकडाउन के बिना कोविड-19 आपूर्ति-आघात के तौर पर कार्य करता है जो कि स्फीति में सतत बढ़ोतरी और आउटपुट में स्थायी नुकसान करता है। द्वितीय परिदृश्य, जो कि वास्तविकता के अधिक समीप प्रतीत होता है, के अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप प्रथम तिमाही :2020-21 में अपने अपकर्ष पर रहेंगे और इसके बाद सुधार होगा, अलबत्ता यह सुधार क्रमिक गति से होगा और चतुर्थ तिमाही:2020-21 से संवृद्धि दर धनात्मक हो जाएगी।

संदर्भ :


1. आयशेनबॉम, एम. एस., एस. रेबेलो, और एम. ट्रेबैन्ड (2020), 'दि मैक्रोइकोनोमिक्स ऑफ ऐपिडेमिक्स', नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनोमिक रिसर्च, 26822.
2. फारिया-ए-कार्त्रो एम. (2020), 'फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग ए पेनडेमिक', फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट्रल लुइस, वर्किंग पेपर शृंखला सं. 06.
3. यांग, वाइ. एच; एच. झेन्ग, और शी. चेन (2020), 'कोरोनावायरस पेनडेमिक और टूरिज्म: डायनेमिक स्टोकास्टिक जनरल इक्विब्रियम मॉडलिंग ऑफ इनफेक्सियस डिसीज आउटब्रेक', एनाल्स टूरिज्म रिसर्च।

³ परिदृश्य विश्लेषण में रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा घोषित विभिन्न प्रोत्साहन पैकेजों का प्रभाव शामिल नहीं है, जिससे कि आसान भरपाई हो सकती है।

II.1.10 जीएफसीएफ के एक अन्य संकेतक, यथा – भवन निर्माण क्रियाकलाप सन 2019-20 में शिथिल बने रहे क्योंकि दबाव-ग्रस्त चलनिधि स्थितियों से मिलकर इनवेन्टरी की विशाद संख्या की स्थितियों ने नए भवन-निर्माण कार्यों को बाधित किया। यह इस्पात के उपभोग की संवृद्धि से भी प्रकट है, यह भी 2019-20 में 0.9 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर आ गई और सीमेंट उत्पादन में भी 0.9 प्रतिशत का संकुचन दर्ज हुआ (चार्ट II.1.3)। सन 2019-20 के दौरान मशीनरी और उपस्करों में निवेश में गिरावट जीएफसीएफ में संकुचन का चालक रही, जैसा कि पूंजीगत माल के आयात और उत्पादन दोनों से प्रकट होता है।

II.1.11 रिजर्व बैंक ऑर्डर बुक, इनवेन्टरी और क्षमता उपभोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस)⁴ के अनुसार तिमाही3-2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपभोग 68.6 प्रतिशत था जो तिमाही4- 2019-20 में 69.9 प्रतिशत पर आ गया। समयानुकूल समायोजन आधार पर तिमाही4:2019-20 में क्षमता उपभोग 68.3 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जो कि तिमाही3:2019-20 में 68.4 प्रतिशत था।

II.1.12 सकल घरेलू बचत की दर जिसका आकलन सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) की तुलना में सकल घरेलू



बचत के अनुपात के रूप में किया जाता है, यह दर सन 2018-19 में संयमित होकर 29.7 प्रतिशत पर रही, आशा है कि हाउस-होल्ड वित्तीय बचत में उछाल के बलबूते पर 2019-20 के दौरान इसमें गति आएगी (परिशिष्ट तालिका 3ए)। प्राथमिक अनुमानों के अनुसार – हाउस-होल्ड वित्तीय बचत – सन 2018-19 में शृंखला में 6.4 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को छूने के बाद सन 2019-20 में जीएनडीआई के 7.6 प्रतिशत पर

सारणी II.1.2 : हाउसहोल्ड क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई प्रतिशत)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए. सकल वित्तीय बचत	10.4	10.5	10.4	9.9	10.7	10.4	11.9	10.4	10.5
जिसमें:									
1. मुद्रा	1.2	1.1	0.9	1.0	1.4	-2.1	2.8	1.5	1.4
2. जमाशायी	6.0	6.0	5.8	4.8	4.6	6.3	3.1	4.1	3.6
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	0.4	0.4
4. सरकार पर दावे	-0.2	-0.1	0.2	0.0	0.5	0.7	0.9	1.0	0.0
5. बीमा नीधि	2.2	1.8	1.8	2.4	1.9	2.3	2.0	1.3	1.7
6. भविष्य निधि एवं पेंशन फंड	1.1	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
बी. वित्तीय देयताएं	3.2	3.2	3.1	3.0	2.7	3.0	4.3	4.0	2.9
सी: निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	7.2	7.2	7.2	6.9	7.9	7.3	7.6	6.4	7.6

जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय

रिजर्व बैंक के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, एनएसओ नवीनतम सूचना के आधार पर घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत को 29 जनवरी, 2021 को जारी करेगा, जो 'वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के पहले संशोधित अनुमान' का भाग होगा।

टिप्पणी: आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण कुल तक नहीं जोड़ा गया है।


स्रोत: एनएसओ

आ गई। यह सुधार वित्तीय आस्तियों में संयमन की बजाय हाउस-होल्ड वित्तीय देयताओं में तीव्र संयमन से हुआ। हालांकि, कोविड-19 से सम्बद्ध व्यवधानों ने हाउस-होल्ड वित्तीय आस्तियों में तिमाही4:2019-20 में तीव्र गिरावट रही (तालिका II.1.2)।

3. सकल आपूर्ति

II.1.13 सकल आपूर्ति, जिसका आकलन आधारभूत कीमतों पर सकल मूल्यवर्धित आधार पर किया जाता है, यह कम होकर 2019-20 में 3.9 प्रतिशत पर आ गया जो कि एक साल पहले की स्थिति से 2.1 प्रतिशत और अपनी दशवर्षीय दर 6.7 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत अंक कम है। तिमाही-दर-तिमाही सामयिक रूप से समायोजित संवृद्धि दरों (एसएएआर) के तीन तिमाहियों के परिवर्तनशील औसत (एमए) द्वारा आकलित जीवीए का प्रवेग तिमाही3:2019-20 में अपकर्षित प्रतीत होता है और इसमें तिमाही4:2019-20 के दौरान इसमें संयमित उछाल आया (चार्ट II.1.4)।

II.1.14 आपूर्ति पक्ष को देखें तो संवृद्धि के प्रमुख लोकोमोटिव



– सेवा क्षेत्र – पर इस लॉक-डाउन का घातक प्रभाव पड़ा, जबकि जीवीए भी 2019-20 के दौरान संकुचन अंकित कर गई (तालिका II.1.3)। इन ऋणात्मक प्रवृत्तियों पर कृषि क्षेत्र ने कुछ विराम लगाया जैसा कि आगे विमर्श किया गया है।

सारणी II.1.3 : वास्तविक जीवीए संवृद्धि

क्षेत्र	संवृद्धि (प्रतिशत)					संवृद्धि में योगदान (प्रतिशत)				
	2008-09	2009-11	2011-14	2014-18	2018-20	2008-09	2009-11	2011-14	2014-18	2018-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना	-0.2	4.0	4.5	3.3	3.2	-1.2	8.7	14.6	6.9	10.6
II. उद्योग	3.4	9.1	2.9	8.8	2.6	18.6	29.2	11.8	26.8	11.1
2. खनन और उत्खनन	-2.5	9.7	-5.6	8.7	-1.4	-2.4	5.0	-4.4	3.4	-0.4
3. विनिर्माण	4.7	9.3	4.5	8.9	2.9	18.5	22.2	14.1	20.9	8.7
4. बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपादेयता सेवाएँ	4.9	6.5	5.1	8.3	6.2	2.5	2.0	2.1	2.5	2.8
III. सेवाएँ	6.4	8.0	7.0	8.1	6.3	82.6	62.1	73.6	66.3	78.3
5. निर्माण	5.6	6.4	5.4	4.7	3.7	11.6	7.9	9.0	5.3	5.3
6. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	2.4	9.0	7.5	8.7	5.7	9.6	19.8	24.0	22.0	21.3
7. वित्तीय, रियल इस्टेट और प्रोफेशनल सेवाएँ	5.2	5.6	8.5	8.7	5.7	23.5	15.0	28.8	24.9	25.1
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	15.8	11.8	5.1	8.4	9.7	37.8	19.4	11.7	14.1	26.6
IV. आधार कीमतों पर जीवीए	4.3	7.4	5.6	7.4	5.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणना

II.1.15 कृषि और सहयोगी क्रियाकलापों में सन 2019-20 (पीई) के दौरान 4.0 प्रतिशत की वास्तविक जीवीए संवृद्धि हुई, जिसका कारण खाद्यान्नों के साथ-साथ वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का रिकार्ड उत्पादन रहा। कृषि द्वारा समग्र आर्थिक संवृद्धि (15.2 प्रतिशत) के योगदान ने सन 2013-14 के बाद से पहली बार औद्योगिक क्षेत्र (4.7 प्रतिशत) के योगदान को पीछे छोड़ दिया। यद्यपि समग्र जीवीए में कृषि का योगदान केवल 14.6 प्रतिशत ही है, तथापि समग्र संवृद्धि में इसके बड़े हुए योगदान से कृषि में नियोजित कुल परिवारों के 48.3 प्रतिशत पर इसका धनात्मक प्रभाव रहा।

II.1.16 दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपने सामान्य समय से नहीं बल्कि 8 जून 2019 को एक सप्ताह की देरी से कुछ विलंबित गति से आरंभ हुआ। जून में 33 प्रतिशत कम वर्षा के बाद जुलाई-मध्य से दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने तेजी पकड़ी और मौसम के अंत (30 सितम्बर 2019) तक कुल वर्षा अपने दीर्घ-

अवधि औसत से 10 प्रतिशत अधिक हुई (पिछले वर्ष के दौरान रहे एलपीए से 9 प्रतिशत कम)। खरीफ की बुवाई ने भी गति पकड़ी और मौसम के अंत तक पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक एकड़ क्षेत्र में बुआई हुई। तदनुसार खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 2018-19 हेतु अंतिम अनुमानों (एफई) की तुलना में 2019-20 के दौरान 1.3 प्रतिशत उच्चतर रखा गया है (तालिका II.1.4).

II.1.17 अक्टूबर तथा नवम्बर मध्य में चक्रवाती तूफानी घटनाओं (यथा वायु और बुलबुल) और असामान्य वर्षा (चार्ट II.1.5) से कई राज्यों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। सर्वाधिक हानि उड़द की फसल को हुई और फसल नष्ट होने के कारण इसके उत्पादन अनुमानों को संशोधित करके 29.2 प्रतिशत कम कर दिया गया (प्रथम अग्रिम अनुमानों की तुलना में द्वितीय अग्रिम अनुमान)।

सारणी II.1.4 : कृषि उत्पादन 2019-20


(लाख टन)

फसल	मौसम	2018-19		2019-20		2019-20 अंतर (प्रतिशत)		
		तीसरा ईई	अंतिम	लक्ष्य	तीसरा ईई	2018-19 की तुलना में		2019-20 की तुलना में
						तीसरा ईई	अंतिम	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्न	खरीफ	1,417.1	1415.2	1,479.0	1,433.8	1.2	1.3	-3.1
	रबी	1,432.4	1437.0	1,432.0	1,532.7	7.0	6.7	7.0
	कुल	2,849.5	2852.1	2,911.0	2,966.5	4.1	4.0	1.9
चावल	खरीफ	1,021.3	1020.4	1,020.0	1,019.8	-0.1	-0.1	0.0
	रबी	142.9	144.4	140.0	164.5	15.1	13.9	17.5
	कुल	1,164.2	1164.8	1,160.0	1,184.3	1.7	1.7	2.1
गेहूं	रबी	1,021.9	1036.0	1,005.0	1,075.9	5.3	3.9	7.1
मोट अनाज	खरीफ	309.9	313.8	358.0	336.9	8.7	7.4	-5.9
	रबी	119.6	116.7	125.0	137.9	15.3	18.2	10.3
	कुल	429.5	430.6	483.0	474.8	10.5	10.3	-1.7
दालें	खरीफ	85.9	80.9	101.0	77.2	-10.1	-4.6	-23.6
	रबी	148.0	139.8	162.0	154.4	4.3	10.4	-4.7
	कुल	234.0	220.8	263.0	231.5	-1.1	4.8	-12.0
तिलहन	खरीफ	212.8	206.8	258.0	223.2	4.9	7.9	-13.5
	रबी	109.8	108.5	103.0	111.1	1.2	2.4	7.8
	कुल	322.6	315.2	361.0	334.2	3.6	6.0	-7.4
गन्ना	कुल	4,001.6	4,054.2	3,855.0	3,557.0	-11.1	-12.3	-7.7
कपास #	कुल	287.1	280.4	358.0	354.9	23.6	26.6	-0.8
जूट और मेस्ता ##	कुल	97.7	98.2	112.0	99.1	1.5	0.9	-11.5

#: लाख गांठें, प्रत्येक 170 किलो की ##: लाख गांठें, प्रत्येक 180 किलो की ईई : अग्रिम अनुमान

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट II.1.5 : साप्ताहिक वर्षा (2019-20)



स्रोत : भारत मौसम विज्ञान विभाग

II.1.18 सन 2019-20 में समग्र खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित 2,966.5 लाख टन है – लगातार तीसरे साल भी रिकार्ड उत्पादन है। अनुमान है कि 2019-20 के दौरान चावल और गेहूं के रिकार्ड उत्पादन होने से खाद्यान्न उत्पादन में 4.0 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। वाणिज्यिक फसलों तिलहन, रुई और जूट तथा मेस्ता के उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 6.0 प्रतिशत, 26.6 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी जबकि

गन्ने के उत्पादन में 12.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।

II.1.19 द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार बागबानी फसलों का उत्पादन 2019-20 के दौरान 3,204.8 लाख टन के रिकार्ड स्तर पर रहा, जिसका मुख्य प्रेरक सब्जियों और फलों का उत्पादन था (तालिका II.1.5)। तीन मुख्य सब्जियों यथा – प्याज, टमाटर और आलू – का बढ़ा हुआ उत्पादन दर्ज किया गया।

सारणी II.1.5 : बागवानी उत्पादन

							लाख टन
फसल	2017-18	2018-19		2019-20	अंतर (प्रतिशत)		
	अंतिम अनुमान (एफई)	दूसरा ईई	अंतिम अनुमान (एफई)	दूसरा ईई	2017-18 एफई की तुलना में 2018-19 एफई	2018-19 की दूसरी ईई की तुलना में 2019-20 की दूसरी ईई	2018-19 एफई की तुलना में 2019-20 की दूसरी ईई
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल फल	973.6	973.8	979.7	990.7	0.6	1.7	1.1
केला	308.1	312.2	304.6	315.0	-1.1	0.9	3.4
नींबू	125.5	131.5	134.0	139.7	6.8	6.2	4.3
आम	218.2	209.6	213.8	204.4	-2.0	-2.5	-4.4
कुल सब्जियाँ	1,844.0	1,873.7	1,831.7	1,917.7	-0.7	2.3	4.7
प्याज	232.6	232.8	228.2	267.4	-1.9	14.8	17.2
आलू	513.1	529.6	501.9	513.0	-2.2	-3.1	2.2
टमाटर	197.6	196.6	190.1	205.7	-3.8	4.6	8.2
बागान (प्लांटेशन) फसलें	180.8	176.6	163.5	162.4	-9.6	-8.0	-0.7
कुल मसाले	81.2	86.1	94.3	94.2	16.1	9.4	-0.1
सुगंधियाँ और औषधीय	8.7	8.5	8.0	8.0	3.9	-6.6	-0.4
कुल फूल	27.9	28.9	29.1	30.6	4.1	5.8	5.5
कुल	3,117.4	3,148.7	3,107.4	3,204.8	-0.3	1.8	3.1

एफई : अंतिम अनुमान. ईई (अग्रिम अनुमान).

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

II.1.20 हाल ही के वर्षों में परिवर्तनशील तेज वर्षा, उग्र घटनाओं की बढ़ती और बढ़ते हुए तापमान के रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कृषि हेतु अनुमान पर भी रहेंगे (बॉक्स II.1.2)।





II.1.21 विगत दो वर्षों की तरह ही 2019-20 में भी रबी और खरीफ दोनों ही फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन कीमतों (एमएसपी) ने उत्पाद लागत की तुलना में 50 प्रतिशत न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित कर दिया।

II.1.22 यूनियन बजट 2020-21 में सरकार ने शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं (दूध, मांस और मछली सहित) हेतु किसान रेल परिचालन का प्रस्ताव किया है ताकि कृषि आपूर्ति शृंखलाओं की कुशलता में सुधार हो सके, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान कम हो सकें और कीमतों पर उतार-चढ़ाव संयमित रहे। इसके अलावा किसानों की मदद के लिए कृषि उड़ान स्कीम का भी प्रस्ताव किया गया ताकि किसान राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय दोनों ही मार्गों पर अपने उत्पादों का लाना-ले जाना कर सकें। इस बजट में नाबार्ड, मालगोदाम विकास और

बॉक्स II.1.2 जलवायु परिवर्तन – भारतीय कृषि के लिए चुनौतियां

विश्व के कई भागों की तरह ही भारत में भी जलवायु परिवर्तन की प्रचंड घटनाएं देखी गईं और इनमें मानसून की शुरुआत और अंत होने की तारीखों में परिवर्तन और प्रचंड घटनाओं का समावेश है (आईपीसीसी, 2019 और भारत सरकार, 2020)।



जलवायु परिवर्तन के मॉडल के समानुरूप ही भारत में भी शुष्क दिनों की संख्या के साथ-साथ अत्यधिक वर्षा के दिनों में बढ़ती हुई जैसे कि – अत्यधिक प्रचंड सूखा; सन 2000 से औसत वर्षा में 59 मिमी की गिरावट (चार्ट 1ए); तूफानों की बारंबारता का आधिक्य – सन 2019 में भारत में 8 तूफान आए जो 1976 से अब तक सर्वाधिक है (चार्ट 1बी); अत्यधिक/सामान्य और खराब/छिटपुट मानसूनी वर्षा वाले उप-प्रभागों में अत्यधिक अंतराल (चार्ट 1सी); बेमौसम बरसात और भारी बाढ़ के कारण फसली इलाके की बड़ी मात्रा में तबाही (चार्ट 1डी)।



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई); केंद्रीय जल आयोग और भारतीय उर्वरक संघ।



(जारी....)

विश्व-व्यापी उष्णता से भी भारत में 1997 और 2019 के बीच वार्षिक औसत तापमान में 1.8°C की बढ़ोतरी हुई जबकि 1901 से 2000 के बीच 0.5°C की बढ़ोतरी हुई थी (चार्ट 2ए)। संभव है कि इस कारण भी फसल से उपज में गिरावट आई, और फार्म आय में कमी हुई (चार्ट 2बी)।



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

भूमिगत जलस्तर में भी खतरनाक दर से गिरावट हुई, सन 2008 और 2018 के बीच भारत में लगभग 52 प्रतिशत कुओं के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई (चार्ट 3ए)। इससे यह आवश्यकता प्रबल हो जाती है कि प्रचुर जल-सिंचन के स्थान पर अल्प-सिंचन विधियों यथा ड्रिप या होज-रील विधि को अपनाया जाए, जिससे जल प्रयोग में 60 प्रतिशत तक बचत होती है और कीटाणुनाशकों के प्रयोग में भी कमी आती है। वर्तमान में अल्प सिंचन का दायरा उन राज्यों में भी काफी कम है, जिनमें भूमिगत जलस्तर में उच्चतर गिरावट दर्ज हुई है (चार्ट 3बी)। इसके अलावा मानसून में हुए परिवर्तन के अनुसार ही फसल चक्रों, क्रेडिट चक्रों और सरकारी खरीद की पद्धतियों में भी बदलाव की जरूरत है।



स्रोत: केंद्रीय जल आयोग और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

संदर्भ

1. भारत सरकार(2020), 'आवर्जबड मॉनसून रेनफॉल वैरिबिलिटी एण्ड चेंजेज डूयूरिंग रीसेंट 30 ईयर(1989-2018) क्लाइमेट रिसर्च एण्ड सर्विस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
2. इंटरगवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) (2019)'क्लाइमेट चेंज एण्ड लैंड'वर्ड मेट्रोलॉजिकल ऑरगनाइजेशन एण्ड यूनाइटेड नेशनस इनवयरमेंट प्रोग्राम।

विनियामक प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय मालगोदाम निगम और स्वयं सहायता समूहों जैसे विभिन्न हिस्सेदारों को शामिल करते हुए देश में ग्रामस्तरीय भंडारण सुविधाओं के साथ-साथ मालगोदाम अवसंरचना के विकास पर भी प्रमुख तौर से जोर दिया गया। प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवम् उठान महा-अभियान स्कीम भी शुरू की गई ताकि

किसान अपनी परती/ऊसर भूमि पर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के संयंत्र स्थापित करके इसे ग्रिड को बेचने की क्षमता हासिल कर सकें। सरकार ने क्लस्टर आधारित 'एक उत्पादन एक जिला' व्यवस्था का प्रस्ताव किया है ताकि किसानों की आय बढ़ाने हेतु बागबानी क्षेत्र की संभावना का लाभ लिया जा सके। विगत वर्ष की तुलना में खरीफ 2020-21 हेतु घोषित

न्यूनतम समर्थन कीमतों में 2.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके इसे 12.7 प्रतिशत कर दिया गया, और उत्पादन की अखिल भारतीय भारत औसत लागत की तुलना में न्यूनतम 50 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिलाभ सुनिश्चित किया गया।

II.1.23 *आत्मनिर्भर भारत अभियान* पैकेज के तहत सरकार ने कृषि, पशु-पालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना, संभारतंत्र, क्षमता-निर्माण, गवर्नेन्स और प्रशासनिक सुधारों को मजबूत करने के उपाय घोषित किए हैं। इन उपायों में ₹1.6 लाख करोड़ की निधि का आबंटन करते हुए आठ विकास स्कीमों⁴ को समाविष्ट किया गया है जो कि यूनियन बजट 2020-21 हेतु संगत स्कीमों के लिए आबंटित निधियों की तुलना में काफी अधिक है। उक्त स्कीमों के अलावा सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और इसे प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गवर्नेन्स और प्रशासकीय सुधारों के लिए तीन सुधार घोषित किए हैं, यथा – कृषि में निर्बाध विपणन और भंडारण अवसंरचना के संवर्द्धन हेतु विभिन्न कृषि पण्यों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम की सूची से हटाया गया; कृषि उत्पादों के निर्बाध व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधाकरण) अध्यादेश 2020; और कीमत सुनिश्चितता और फर्म सेवा अध्यादेश, 2020 पर कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) सहमति – ताकि किसानों को प्रसंस्करणकर्ताओं, समाहारकर्ताओं, थोक व्यापारियों, बड़े खुदरा व्यापारियों और निर्यातकों से उचित और पारदर्शी तरीके से जुड़ने की शक्ति मिल सके (संलग्नक- II)।


औद्योगिक क्षेत्र

II.1.24 विगत वर्ष के 4.5 प्रतिशत की तुलना में सन 2019-20 के दौरान औद्योगिक जीवीए तेजी से घटकर 0.8 प्रतिशत पर आ गई। यह स्थिति 2011-12 की शृंखला में न्यूनतम रही, जिसमें सन 2015-16 के बाद लगातार चौथे साल में भी गिरावट दर्ज हुई। औद्योगिक जीवीए संवृद्धि के चक्रीय घटक⁵ और भी गहरे संकुचन में गए (चार्ट II.1.6)।

II.1.25 यह गिरावट व्यापक आधार पर थी – शिथिल मांग – घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय दोनों – का सामना करना पड़ा। लड़खड़ाते भरोसे और लॉकडाउन के चलते गैर-अनिवार्य वस्तुओं की मांग गिर गई। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) एक वर्ष पहले के 3.8 प्रतिशत की वृद्धि से सन 2019-20 के दौरान 0.8 प्रतिशत नीचे आ गया (चार्ट II.1.7ए और 7बी)।

II.1.26 विनिर्माता क्षेत्र, जो कि उद्योग में तीन-चौथाई हिस्से का गठन करता है, इसके 23 में से 17 उद्योग समूहों ने संकुचन दर्ज किया। विनिर्माता आईआईपी सबसे बड़ा ऋणात्मक योगदान मोटर-वाहन खंड का रहा जबकि मूल-धातुओं जिनमें अधिकांशतया मृदु-इस्पाती पट्टिकाएं शामिल हैं, ने धनात्मक संवेग प्रदान किए।


II.1.27 खनन क्षेत्र में भारी गिरावट, मानसून का समय बढ़ जाने के कारण रही। खदानों में पानी भरने की वजह से पहली छमाही: 2019-20 के दौरान कोयला उत्पादन में तेज गिरावट



⁴ कृषि अवसंरचना निधि, औषधीय पादप कृषि को बढ़ावा देना, सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन्स का विस्तार (वर्तमान में, यह केवल टमाटर, प्याज और आलू के लिए है), सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मधुमक्खी पालन पर राष्ट्रीय पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और योजना।

⁵ हॉट्रीक-प्रस्कॉट फिल्टर के एकल चरांक अपनाने वाले दृष्टिकोण के माध्यम से अनुमानित।

चार्ट II.1.7: औद्योगिक उत्पादन में संवृद्धि



स्रोत: एनएसओ

रही। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भंडारों में कमी, बाढ़ से नुकसान की मरम्मत और औद्योगिक हड़तालों के अलावा कमजोर मांग के कारण गिरावट रही। खनन क्रियाकलापों में दूसरी छमाही के दौरान कुछ सुधार हुआ क्योंकि प्रतिकूल मौसमी हालात में सुधार हुआ और जनवरी-फरवरी 2020 में आर्थिक क्रियाकलापों की गति बढ़ी। ताप विद्युत उत्पादन में संकुचन, कमजोर औद्योगिक मांग और मानसून के बढ़े समय के कारण विद्युत उत्पादन में गिरावट आई। आईआईपी विनिर्माण

और विद्युत दोनों ही निकटस्थ रूप से सहवर्ती रहे, जो संकेत करता है कि बिजली की मांग में सुधार के लिए विनिर्माण क्रियाकलापों में तेजी अनिवार्य है। जल-विद्युत उत्पादन में वर्ष के दौरान दो अंकीय संवृद्धि दर्ज की, भले ही कुल विद्युत उत्पादन सम्मिश्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का शेयर बढ़ गया। II.1.28 प्रयोग आधारित वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो आईआईपी में अधिकांश गिरावट पूंजीगत माल और टिकाऊ उत्पादन में तेज संकुचन के कारण रही (तालिका II.1.6)।

सारणी II.1.6: औद्योगिक क्षेत्र सूचकांक (2011-12=100)

प्रतिशत



उद्योग समूह	भार आईआईपी	संवृद्धि दर						
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 (अप्रैल मई)	2020-21 (अप्रैल मई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
समग्र आईआईपी	100	3.3	4.6	4.4	3.8	-0.8	3.0	-35.9
खनन	14.4	4.3	5.3	2.3	2.9	1.6	3.0	-22.4
विनिर्माण	77.6	2.8	4.4	4.6	3.9	-1.4	2.4	-40.7
बिजली	8.0	5.7	5.8	5.4	5.2	1.0	7.3	-15.8
उपयोग-आधारित								
प्राथमिक वस्तुएँ	34.0	5.0	4.9	3.7	3.5	0.7	2.6	-20.3
पूंजीगत वस्तुएँ	8.2	3.0	3.2	4.0	2.7	-13.9	-3.5	-64.4
मध्यवर्ती वस्तुएँ	17.2	1.5	3.3	2.3	0.9	9.1	9.2	-43.0
अवसंरचना/निर्माण वस्तुएँ	12.3	2.8	3.9	5.6	7.3	-3.6	0.4	-48.3
उपभोक्ता टिकाऊ सामग्री	12.8	3.4	2.9	0.8	5.5	-8.7	-2.7	-67.6
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामग्री	15.3	2.6	7.9	10.6	4.0	-0.1	7.0	-15.3

स्रोत: एनएसओ

II.1.29 आईआईपी में भारित योगदान की दृष्टि से पूंजीगत माल और, भवन निर्माण/अवसंरचनागत माल, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का शेयर गिरता रहा, जबकि मध्यवर्ती माल का हिस्सा बढ़ा (चार्ट II.1.8)।

II.1.30 भले ही पूंजीगत माल उत्पादन में सतत कमजोरी, और क्षमता उपभोग में गिरावट ने (चार्ट II.1.9) निवेश में गिरावट के संदर्भ में चिन्ता जाहिर की लेकिन उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं की मांग में भी गिरावट रही जो कि मांग स्थितियों में समग्र कमजोरी को दर्शाता है।

II.1.31 कोविड-19 की शुरुआत के कारण व्यापारिक व्यवधानों और गिरती हुई मांग से विनिर्माण क्रियाकलापों में गिरावट रही। भारत के विनिर्माता उत्पादों⁶ की आयात, प्रवणता सन 2015-17 की अवधि के दौरान औसतन 35.6 प्रतिशत पर रही (तालिका II.1.7)।



II.1.32 सम्यक उत्पाद समूहों में आयात प्रवणता अलग-अलग होती है – इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में आयात निर्भरता सर्वाधिक है, इसके बाद मशीनरी और उपस्कर आते हैं, जो कि उद्योगों पर

सारणी II.1.7: चुनिंदा उद्योग-वार आयात निर्भरता (2015-17 का औसत)

उद्योग	मध्यवर्ती इनपुट की आयात प्रवणता	आउटपुट की आयात प्रवणता	विनिर्माण जीवीए में शेयर (प्रतिशत)
1	2	3	4
इलेक्ट्रॉनिक्स	60.7	42.8	4.6
मशीनरी	48.5	37.3	8.1
यातायात उपकरण	5.3	3.4	11.5
रसायन	29.4	21.0	9.0
फार्मास्युटिकल्स	2.7	1.3	6.5
कुल विनिर्माण	35.6	25.1	100.0

स्रोत: भारिबैंक स्टाफ आकलन

⁶ आयात प्रवणता = $\frac{\sum_{i=1}^n QI_i}{\sum_{i=1}^n Q_i}$
जहाँ i = अर्थव्यवस्था में क्षेत्र; Q = घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले मध्यवर्ती इनपुट हैं; और QI = आयातित मध्यवर्ती इनपुट।

व्यापारिक प्रतिबंधों के असामानुपातिक प्रभाव को प्रकट करता है। तदनुसार, यदि अन्य बातें समान रहें तो ऐसा आयात व्यवधान, महत्वपूर्ण पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण विनिर्माण जीवीए में 2.5 प्रतिशत के आसपास संकुचन की तरफ ले जाएगा (तालिका II.1.8)।

II.1.33 विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में 68 दिन के लॉकडाउन के प्रभाव के कारण उपादानगत आय हानि (पूँजी और श्रम) ₹2.7 लाख करोड़ तक अधिकतम रह सकती है (तालिका II.1.9)।

सेवा क्षेत्र

II.1.34 औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के अनुरूप सेवा क्षेत्र की वृद्धि में सन 2019-20 में 5.0 प्रतिशत की गिरावट रही – जो विगत तीन दशकों में न्यूनतम है। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) के अलावा सभी उप-क्षेत्रों में गिरावट रही, पीएडीओ क्षेत्र ने राजस्व में गिरावट के बावजूद समग्र सेवा क्षेत्र की संवृद्धि को संभाल लिया। पीएडीओ को अलग कर दिया

सारणी II.1.8: भारत के विनिर्माता क्षेत्र में व्यापारिक व्यवधान का प्रभाव

भारत के मुख्य आयात	वैश्विक आयात		
	परिदृश्य I : स्थिर आयात	परिदृश्य II : आयात < 50 प्रतिशत	परिदृश्य III : आयात < 25 प्रतिशत
1	2	3	4
पूँजीगत वस्तुएँ	0.84	0.42	0.21
इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल	0.83	0.41	0.21
फार्मास्युटिकल्स	0.05	0.01	0.01
रसायन	0.70	0.18	0.18
यातायात उपकरण	0.16	0.02	0.04
उपरोक्त क्षेत्र के जीवीए में संयुक्त प्रभाव	2.58	1.04	0.64
कुल विनिर्माण जीवीए	9.90	4.95	2.48

नोट: सभी मान ऋणात्मक मानें जाएं
स्रोत: भारिबैं स्टाफ आकलन

सारणी II.1.9: विनिर्माण क्षेत्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव जीवीए-वैकल्पिक परिदृश्य


क्षेत्र	व्यवधान	स्थिर कीमतों(लाख करोड़) पर घटकगत अनुमानित आय हानि		
		चरण I और II: लाकडाउन (40 दिन)	चरण III और IV: लाकडाउन (28 दिन)	संचयी प्रभाव (68 दिन)
1	2	3	4	5
खनन और उत्खनन	आंशिक	0.389	0.109	0.498
विनिर्माण जीवीए पर प्रभाव	आंशिक	1.664	0.576	2.240
विनिर्माण पर प्रभाव पहली तिमाही: 2020-21		2.053	0.685	2.738

नोट: 1. श्रमिक आय अंशों के क्षेत्रकीय समानुपात भारत के केएलईएमएस डाटाबेस से लिए गए हैं।
2. सभी मान ऋणात्मक मानें जाएं
3. वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में विनिर्माता जीवीए प्रभावों को लेने में I और II चरण में 33 दिन, III और IV चरण में 28 दिन और कुल मिलाकर 61 दिन पर विचार किया गया है।

स्रोत: भारिबैं स्टाफ आकलन

जाए तो सेवा क्षेत्र की जीवीए संवृद्धि 2018-19 के 7.0 प्रतिशत से गिरकर 3.7 प्रतिशत पर आ गई (चार्ट II.1.10)।

चार्ट II.1.10: सेवा उप-क्षेत्र जीवीए संवृद्धि



II.1.35 निर्माण और व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से सम्बद्ध सेवाओं में गिरावट ने समग्र सेवा क्रियाकलापों को धीमा कर दिया (चार्ट II.1.11)



II.1.36 वाणिज्यिक वाहनों बिक्री में आई कमी से सड़क परिवहन क्षेत्र की मंदगति प्रकट होती है, जो दूसरी छमाही:2018-19 से आरंभ हुई और वर्ष के दौरान गहनतर होती चली गई। वायु-परिवहन खंड में भी ठहराव बना रहा, क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय कार्गो से भार-ढुलाई में गिरावट हुई। फरवरी 2020 से कोविड-19 के प्रति सावधानी के कारण विदेशी पर्यटकों के आगमन में तेज गिरावट आई जो इस बात का संकेत है कि आतिथ्य उद्योग के लिए कठिन समय आएगा। पूरे विश्व में आतिथ्य उद्योग सर्वाधिक प्रभावित होना संभावित है। यहां तक कि रेल परिवहन में भी 2019-20 के दौरान मंद-गति रही। भवन-निर्माण क्षेत्र में भी तीव्रतम गिरावट रही – यह सन 2018-19 के 6.1 प्रतिशत से सन 2019-20 के दौरान 1.3 प्रतिशत पर आ गई। निजी क्षेत्र के अनुमान संकेत देते हैं कि आवासन क्षेत्र में चौथी तिमाही:2019-20 में नई शुरुआतों और बिक्री में गिरावट आई। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के रूप में कोविड-19 को रोकने

के प्रयासों से आगे चलकर सेवा क्षेत्र के जीवीए की संवृद्धि प्रचंड रूप में प्रभावित होगी।

II.1.37 रिज़र्व बैंक के सेवा क्षेत्र संयुक्त सूचकांक (एसएससीआई)⁷ जिसमें निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्त में क्रियाकलापों को ट्रैक करता है और यह पीएडीओ को अलग रखते हुए सेवाओं में जीवीए संवृद्धि का सहवर्ती संकेतक है, जिसमें 2019-20 में गिरावट हुई है (चार्ट II.1.12)।

4. रोजगार

II.1.38 जून 2020 में एनएसओ ने सन 2018-19 के लिए रोजगार के आवधिक श्रमिक बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जारी किए। सन 2018-19 में श्रमिक बल सहभागिता दर का अनुमान 37.5 प्रतिशत रखा गया है, जो सन 2017-18 की तुलना में 0.6 प्रतिशत अंक अधिक है। सामान्य अवस्थिति के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 2018-19 में 5.8 प्रतिशत पर आ गई (पुरुषों के लिए 6.0 प्रतिशत और स्त्रियों के लिए 5.2 प्रतिशत) जबकि 2017-18 में यह 6.1 प्रतिशत थी (पुरुषों के लिए 6.2 प्रतिशत और स्त्रियों के लिए 5.7 प्रतिशत)। कामगार जनसंख्या दर, जो रोजगार का संकेतक है, सन 2018-19 में बढ़कर 35.3




⁷ एसएससीआई को उच्च आवृत्ति संकेतक के संकलित और संयोजित सूचना द्वारा तैयार किया जाता है यथा स्टील उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, बड़े बंदरगाहों के माल, वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन, रेलवे माल ढुलाई, गैर-तेल आयात, पर्यटक आगमन, वास्तविक बैंक क्रेडिट और बीमा प्रीमियम।

प्रतिशत पर आ गई, जबकि सन 2017-18 में यह 34.7 प्रतिशत थी। रोजगार में कामगारों की व्यापक अवस्थिति के वितरण की दृष्टि से नियमित मजदूरी / वेतनभोगी कामगारों का हिस्सा 2017-18 के 22.8 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 23.8 प्रतिशत पर आ गया, और इसके समानरूप ही आकस्मिक कामगारों का समानुपात इसी अवधि में 24.9 प्रतिशत से घटकर 24.1 प्रतिशत पर आ गया जो अर्थव्यवस्था की वर्धित औपचारिक व्यवस्था का द्योतक है।

II.1.39 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) से प्राप्त वेतनपंजी⁸ आंकड़ों की दृष्टि से आकलित अधिक अपडेटेड संगठित क्षेत्र रोजगार से 2019-20 में नौकरी सृजन के संबंध में मिश्रित चित्र का संकेत मिलता है (चार्ट II.1.13)। अप्रैल-मार्च 2019-20 के दौरान ईपीएफओ में प्रतिमाह जुड़ने वाले निवल अभिदाताओं का औसत 6.5 लाख रहा, जो एक साल पहले के 5.6 लाख से कहीं अधिक है। दूसरी तरफ ईएसआईसी में अभिदान करने वाले सदस्यों की औसत संख्या में सन 2019-20 के दौरान 4.1 लाख की कमी आई इसके विपरीत सन 2018-19 के दौरान 0.6 लाख की बढ़ोतरी हुई थी। इसी अवधि के दौरान एनपीएस में नए अभिदाताओं की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई।



II.1.40 चौथी तिमाही:2019-20 के लिए पीएमआई रोजगार सूचकांक ने दर्शाया कि विनिर्माण क्षेत्र ने पेट्रोल हायरिंग ने बढ़ोतरी

चार्ट II.1.13: संगठित क्षेत्र में नौकरी- वेतनपत्रक रोजगार संकेतक



दिखाई, जबकि सेवाओं में विगत तिमाही की तुलना में नौकरियों के सृजन में संयमन हुआ। ऑन-लाइन भर्ती के आधार पर आकलित हायरिंग क्रियाकलापों ने मिश्रित प्रतिकृति दर्शाई। चौथी तिमाही:2019-20 के दौरान यद्यपि नौकरी जॉब स्पीक सूचकांक में तेज संकुचन हुआ, तथापि मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट सूचकांक में बढ़ोतरी दर्ज हुई (चार्ट II.1.14ए)। इन्डस्ट्रियल आउटलुक सर्वे (IOS) और उपभोक्ता कॉन्फिडेंस सर्वे (CCS) दोनों ने चौथी तिमाही:2019-20 के दौरान रोजगार स्थितियों में आशावादिता बने रहने का संकेत दिया (चार्ट II.1.14बी)।

चार्ट II.1.14: रोजगार परिदृश्य



⁸ डेटा में ओवरलैप के कारण ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनपीएस श्रृंखला अनुयोज्य नहीं हैं।

II.1.41 भारत में खेतों के छोटे आकार को देखते हुए कृषि में स्वरोजगार की स्थिति के बारे में माना जा सकता है कि यह इस महामारी से सापेक्षतया अप्रभावित रही। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में 40 प्रतिशत दिहाड़ी मजदूर भवन निर्माण क्षेत्र में रोजगार में लगे हैं, जो कि लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह रुक गया (तालिका II.1.10)। स्वरोजगारी और दिहाड़ी मजदूर दोनों की स्थिति मिलाकर शहरी कार्यबल का 51.3 प्रतिशत बनता है, और इसलिए शहरी क्षेत्रों में इस महामारी का असमानुपातिक प्रभाव रहा।

II.1.42 अर्थव्यवस्था में संरचनागत बाधाओं पर ध्यान देने के लिए वर्ष के दौरान सरकार ने कई नीतिगत उपाय किए। इन नीतियों का लक्ष्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना है – यथा – श्रम-प्रधान विनिर्माण का रणनीतिगत संवर्द्धन;

एमजीनरेगा पर सरकारी व्यय को बढ़ाना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(PMEGP); पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY); और दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी जीवनयापन मिशन (DAY-NULM)। कौशल विकास के लिए 2016-17 से 2019-20 के दौरान प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 69.03 लाख से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें। विधान संबंधी सुधारों के एक अंग के तौर पर 44 श्रमिक कानूनों को सरल बनाया गया, समामेलित किया गया और औचित्यपूर्ण बनाते हुए इन कानूनों को द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की संस्तुतियों के अनुसार चार श्रमिक संहिताओं में संपरिवर्तित कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों में पारित

सारणी II.1.10 : सेक्टर और क्षेत्र-वार कार्यबल प्रकार

(क्रमिक रोजगार वर्ग का शेयर प्रतिशत)

सेक्टर	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	स्व नियमित/ वेत-नियोजित	वेत-नभोगी	अनियत	स्व नियमित/ वेत-नियोजित	वेत-नभोगी	अनियत	स्व नियमित/ वेत-नियोजित	वेत-नभोगी	अनियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कृषि	73.9	4.7	49.9	10.5	0.5	9.3	60.4	2.1	43.6
खनन और उत्खनन	0.1	1.1	0.8	0.1	0.8	0.4	0.1	0.9	0.6
विनिर्माण	6.5	20.0	4.7	22.8	23.6	17.1	10.0	22.2	6.7
बिजली और जल आपूर्ति	0.1	1.8	0.1	0.7	1.7	0.2	0.2	1.9	0.1
निर्माण	1.9	3.2	40.0	4.7	2.5	51.7	2.5	2.8	42.0
व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट	10.9	13.3	1.0	34.6	17.9	7.6	16.0	16.1	1.7
यातायात, भंडारण और संचार	3.0	12.7	2.3	12.3	9.8	8.1	4.9	10.7	3.3
अन्य सेवाएँ	3.5	43.3	1.2	14.3	43.2	5.6	5.8	43.3	1.9
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: पीएलएफएस पर आधारित भारिबैं स्टाफ आकलन

मजदूरी संहिता, 2019 से संभावित है कि श्रमिक बाजार में अधिक औपचारिकता आएगी और कामगारों के हितों की रक्षा होगी, साथ ही रोजगार सृजन में सुविधा होगी और कारोबार में सहजता रहेगी।

II.1.43 *आत्म-निर्भर भारत अभियान* के तहत पाँच चरणों में मई 2020 में उपायों का एक पैकेज घोषित हुआ जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार सृजन, अवसंरचना, एमएसएमई, एनबीएफसी, आप्रवासी कामगार और कारोबार में सहजता को शामिल किया गया है। इन उपायों पर सकल ₹20 लाख करोड़ अथवा जीडीपी का 10 प्रतिशत व्यय होगा और इनका लक्ष्य एमएसएमई, एनबीएफसी, विद्युत वितरण कम्पनियों और अवसंरचना परियोजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में सामने आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाए। अल्पावधिक और दीर्घावधिक दोनों ही प्रकार के उपायों का यह भी प्रयास है कि वैश्विक गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निजी सहभागिता को बढ़ाकर भारत को आत्म-निर्भर बनाया जाए। भारत में निजी संरक्षक साधन (पीपीई) निर्माता क्षेत्र ने मार्च 2020 में अपना कार्य शून्य से आरंभ किया जो मई 2020 के आरंभ में प्रतिदिन 1,50,000 नग हो गई जो कि चुनौतियों का सामना करने में भारत की शक्ति को प्रकट करता है।

II.1.44 इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र के लिए भी आशा है कि सरकार की विभिन्न नीतियों, से लाभान्वित होगा, जैसे कि ₹ 3 लाख करोड़ के जमानत रहित ऋण, ₹20,000 करोड़ के सहायक ऋण प्रावधान और आधार-निधि-आधृत-निधि के माध्यम से इक्विटी डालने के कार्य। इसके अलावा परिभाषा के आधार में प्रतिलाभ को शामिल करके एमएसएमई के वर्गीकरण की परिभाषा में बदलाव किया गया है, जिसकी सहायता से एमएसएमई अपने लाभ में

कोई नुकसान उठाए बिना अपना विस्तार कर सकेंगे और स्वयं को जीएसटी के साथ अनुरूपित करते हुए कारोबार में सहजता को बढ़ा सकेंगे। प्रोत्साहनों के चतुर्थ चरण के भाग के तौर पर शुरू किए गए संरचनागत सुधारों से प्रत्याशित है कि सभी आठों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी निवेश आएगा⁹। सरकारी क्षेत्र उद्यम नीति में प्रस्तावित परिवर्तन के अनुसार सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया जाएगा और सरकारी क्षेत्र के उद्यम केवल अधिसूचित रणनीतिपरक क्षेत्रों में ही संचालित होंगे, इससे भारत के औद्योगिक क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन होंगे। *आत्मनिर्भर भारत अभियान* का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को तत्काल लाभ पहुंचता है जो इस महामारी के दौरान सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, ताकि रोजगार और संवृद्धि हेतु नए अवसरों के सृजन के साथ-साथ आर्थिक क्रियकलापों को बहाल किया जा सके। विनिर्माण क्षेत्र में संविदागत विनिर्माण और वाणिज्यिक कोयला खनन में स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई के माध्यम से अधिकाधिक निजी निवेश का आना प्रत्याशित है।


II.1.45 निष्कर्षतया – सन 2019-20 के दौरान उपभोक्ता मांग में गिरावट आई। सकल नियत पूंजी निरूपण अपने विगत प्रवेग को कायम नहीं रख सका और संकुचित हुआ। आपूर्ति पक्ष को देखें तो खाद्यान्नों और बागवानी में रिकार्ड उत्पादन और संबद्ध क्रियाकलापों की सहायता से कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों में तेजी आई, जो प्रबल बनी रही। सन 2019-20 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों का अपकर्ष हुआ और विनिर्माता उप-क्षेत्र के कारण इनमें गिरावट आई। सेवा क्षेत्र की संवृद्धि की गिरावट के साथ अर्थव्यवस्था का परिदृश्य अनिश्चितता और परीक्षामय चुनौतियों से आच्छादित लगता है, इसकी मुख्य वजह कोविड-19 की प्रखरता, प्रसार और समयावधि है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के जख्मों के भरते ही प्राथमिकता होगी संवृद्धि को बहाल करना।

⁹ कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, बिजली वितरण कंपनियां, सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा।

II.2 मूल्य स्थिति

II.2.1 विश्व में मुद्रास्फीति का परिदृश्य वर्ष 2019 में पूरे वर्ष और वर्ष 2020 के शुरुआती हिस्से में अनुकूल बना रहा क्योंकि वस्तुएं सस्ती थीं और बड़े पैमाने पर निभावकारी मौद्रिक नीति अपनाई गई थी। भारत में भी, हेडलाइन मुद्रास्फीति¹⁰ वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में अनुकूल बनी हुई थी, लेकिन दूसरी छमाही में कठोर इसलिए बन गई कि खाद्यान्न मुद्रास्फीति में अत्यधिक तीव्रता आ गई थी, साथ ही कुछ प्रतिकूल स्वरूप की प्रगति भी हुई थी जैसे- मानसून का देर से समाप्त होना, बेमौसम बारिश तथा आपूर्ति का बाधित होना। दिसंबर 2019-फरवरी 2020 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति ने तो मौद्रिक नीति समिति(एमपीसी) के लिए अधिदेशित उच्च वहनीय सीमा को भी पार कर लिया था [चार्ट II.2.1]।

II.2.2 इसके चलते, वर्ष 2016 से जो उदार मुद्रास्फीति टारगेटिंग(एफआईटी) का ढांचा अपनाया गया था, उसमें पहली बार वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत को पार कर गई, वह भी स्पष्ट अस्थिरता की स्थिति के बीच (सारणी II.2.1)। वर्ष के भीतर मुद्रास्फीति के वितरण का झुकाव भी अत्यधिक पॉजिटिव था जिससे यह ज्ञात होता है कि वर्ष की दूसरी छमाही में खाद्यान्न



सारणी II.2.1: हेडलाइन मुद्रास्फीति - प्रमुख सांख्यिकी सारांश

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9
माध्य	10.0	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8
मानक विचलन	0.5	1.3	1.5	0.7	1.0	1.2	1.1	1.8
स्क्यूनेस	0.2	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	-0.2	0.1	0.5
कर्टोसिस	-0.2	-0.5	-1.0	-0.1	-1.6	-1.0	-1.5	-1.4
माध्यिका	10.1	9.5	5.5	5.0	4.3	3.4	3.5	4.3
अधिकतम	10.9	11.5	7.9	5.7	6.1	5.2	4.9	7.6
न्यूनतम	9.3	7.3	3.3	3.7	3.2	1.5	2.0	3.0

नोट: स्क्यूनेस एण्ड कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ द्वारा आकलन।

मुद्रास्फीति में तीव्रता थी। इसके अतिरिक्त, ककुदता(कुरटोसिस) एक वर्ष पहले की तुलना में थोड़ा कम नकारात्मक हो गई थी जिससे यह पता चलता है कि कुछ मामलों में माध्य मुद्रास्फीति से विचलन काफी अधिक हुआ था, जो वर्ष के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम मुद्रास्फीति के बीच हुए व्यापक अंतर से भी परिलक्षित होता है।

II.2.3 इस पृष्ठभूमि में उप-भाग 2 में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के मूल्यों और मुद्रास्फीति में हुई प्रगति का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। उप-भाग 3 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव तथा उसमें आये महत्वपूर्ण मोड़, पर चर्चा की गई है, साथ ही उप-भाग 4 में मुद्रास्फीति के प्रमुख घटकों का विश्लेषण किया गया है। उप-भाग 5 में मूल्य और लागतों के संकेतकों पर चर्चा की गई है, अंत में सारांश स्वरूप टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं।

2. वैश्विक मुद्रास्फीति संबंधी प्रगति


II.2.4 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की कीमतें वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में दायरे के भीतर थीं, किंतु अक्टूबर 2019 में वे कठोर बन गईं, जो प्राथमिक रूप से गेहूं(अंतरराष्ट्रीय सत्र पर अत्यधिक मांग के कारण), ज्वार(अमरीका एवं अर्जेंटीना में आपूर्ति संबंधी अनिश्चितता), पॉम तेल(उत्पादनकर्ता देशों से बायोडीजल की कम आपूर्ति तथा बढ़ती हुई मांग), मांस(चीन से

¹⁰ हेडलाइन मुद्रास्फीति की माप आधार वर्ष: 2012=100 के साथ अखिल भारतीय सीपीआई-संयुक्त (शहरी + ग्रामीण), जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय(एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, में हुए वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा की जाती है।

मांग) तथा मत्स्य मूल्य के कारण थी(चार्ट II.2.2)। दिसंबर 2019 की शुरुआत से ही चावल के मूल्य(थाइलैंड में सूखे की स्थिति), चीनी(विश्व में प्रत्याशित कम उत्पादन) तथा अन्य खाद्य तेलों के मूल्य कठोर बन गए थे। खाद्येतर श्रेणी में धातुओं की कीमतें अमरीका-चीन के बीच व्यापारगत तनाव एवं विश्व में इसकी मांग धीमी होने के कारण कमजोर बनी रहीं, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए सुरक्षित मद होने के कारण इसमें अत्यधिक तेज़ी दर्ज की गई। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन(ओपेक) द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती किए जाने तथा सतत रूप से भू-राजनैतिक तनावों के बने रहने के बावजूद सामान्यतः कच्चे तेल की कीमतें मई-अगस्त, 2019 के दरम्यान घट गई थीं। सितंबर, 2019 में सऊदी अरबिया में आपूर्ति संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो जाने से कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ गई थीं, लेकिन उसके बाद अक्टूबर, 2019 में घट गईं। नवंबर-दिसंबर 2019 के दौरान कीमतें इस उम्मीद पर बढ़ गईं कि अमरीका और चीन के बीच की व्यापार-वार्ता सफल रहेगी और ओपेक + द्वारा उत्पादन में 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन(एमबीपीडी) से कटौती 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन(एमबीपीडी) करते हुए और गहरा जाएगी। लेकिन, जनवरी 2020 में कोविड-19 महामारी की मार परिवहन क्षेत्र पर पड़ी जहां 60 प्रतिशत से अधिक तेल की मांग होती है। इसके कारण जनवरी-फरवरी 2020 में कच्चे

तेल की कीमतें घट कर फरवरी 2020 में 53¹¹ अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई थीं। उसके बाद, कच्चे तेल की कीमतें मार्च, 2020 में 32.2 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से भी कम स्तर तक तक लुढ़क गईं क्योंकि ओपेक+ में उत्पादन में कटौती किए जाने की सहमति नहीं हो पाई। भारत में कच्चे तेल की बास्केट की कीमत ने मार्च, 2020 में 33.4 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल को छू लिया था, जो फरवरी, 2016 के बाद से सबसे कम कीमत थी। चूंकि कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैल गई है इसलिए सभी वस्तुओं की कीमतें गिर गई हैं। फरवरी 2020 में चीन में दोगों का बंद हो जाना तथा बाद में यूरोप एवं अमरीका में बंद होने से धातुओं की मांग घट गई, जिसके कारण उनकी कीमतें कम हो गईं। खाद्यान्न सामग्री जैसे पॉम तेल, सॉय तेल, चीनी तथा मक्का की कीमतें भी कम हो गईं साथ ही कच्चे तेल की कीमतें घट जाने से एथनॉल एवं बायो-डीज़ल की मांग भी कम हो गई। लेकिन कुछ खाद्य सामग्रियों जैसे चावल तथा गेहूं के मूल्य इसलिए थमे रहे कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने इसका भंडारण कर लिया था। अप्रैल की शुरुआत में ओपेक+ द्वारा तेल के उत्पादन में लगभग 10एमबीपीडी(वैश्विक आपूर्ति का लगभग 10 प्रतिशत) कि कटौती करने की सहमति के बावजूद कोविड-19 महामारी के चलते मांग में आई भारी गिरावट तथा भंडारण क्षमता समाप्त हो जाने के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार घटती रहीं। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत अप्रैल, 2020 में अपने निम्नतम स्तर 23.3 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गयी। उसके बाद, कच्चे तेल की कीमतों में जुलाई 2020 में 42.8 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से थोड़ा सुधार हुआ लेकिन कोविड-19 के पूर्व के स्तर से काफी नीचे बनी हुई हैं।

II.2.5 संपूर्ण विश्व में वस्तुओं की कीमतों के संबंध में हुई प्रगति तथा कमजोर मांग की स्थिति को देखते हुए अनेक अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2019 में और 2020 के प्रारंभ में सौम्य बनी रही। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं(ईई) में रोजगार में तीव्र वृद्धि के बावजूद प्रमुख उपभोक्ता मूल्य सूचकांक धीमा रहा। कई उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई) में भी मुद्रास्फीति सहज होती पाई गई क्योंकि आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ गई हैं, हालांकि खाद्य-सामग्री की कीमतें बढ़ने के कुछ




¹¹ विश्व बैंक पण्य कीमत डाटा (पिंक शीट)

दबाव पाए गए हैं। कोविड-19 के प्रकोप एवं क्रमिक रूप से लॉकडाउन की स्थिति ने विश्व की आर्थिक गतिविधियों को लगभग ठप्प सा कर दिया है, इसलिए कई अर्थव्यवस्थाएं मंदी की प्रवृत्तियों से बचने के लिए तथा संवृद्धि को थामने के लिए मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों का सहारा ले रहे ही हैं।

3. भारत में मुद्रास्फीति

11.2.6 वर्ष 2019 की पहली छमाही के दौरान 4 प्रतिशत के लक्ष्य के नीचे बने रहने के बाद हेडलाइन मुद्रास्फीति काफी तेजी से बढ़कर जनवरी 2020 की दूसरी छमाही में 7.6 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई, ऐसा अनेक वर्षों में नहीं हुआ था (68 महीने में सर्वाधिक) [चार्ट 11.2.3]। असामान्य रूप से लंबे समय तक चला दक्षिण-पश्चिम मानसून, साथ ही खरीफ बुवाई के समय बेमौसमी बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया और आपूर्ति की बाधाएं खड़ी कर दीं जिससे खाद्य-सामग्री की कीमतें सितंबर से दिसंबर 2019 के दौरान बढ़ गईं, खासतौर से सब्जियों की कीमतें। उसके बाद इन दबावों का असर धूमिल पड़ने एवं रबी की फसल के लिए उत्साहवर्धक संभावनाओं को देखते हुए खाद्य-सामग्री संबंधी मुद्रास्फीति जनवरी 2020 से सहज होने लगी थी।

11.2.7 ईंधन की कीमतें लगातार पांच महीने जुलाई से नवंबर 2019 तक अपस्फीत के दौर से गुजरी हैं, हालांकि उसके बाद




दिसंबर 2019-मार्च, 2020 के दौरान वापस बढ़ गईं क्योंकि एलपीजी और मिट्टी के तेल पर अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का दबाव था। वर्ष के दौरान खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति सामान्य तौर पर शांत बनी रही, जो अक्टूबर 2019 में ऐतिहासिक रूप से कम हो गई थी, और उसके बाद जनवरी 2020 तक धीरे-धीरे बढ़ने लगी थी।

11.2.8 यदि संपूर्ण वर्ष को देखें तो 2019-20 में मुद्रास्फीति औसतन 4.8 प्रतिशत तक बढ़ी थी, पिछले वर्ष से 136 आधार अंक (बीपीएस) अधिक (परिशिष्ट सारणी 4)। सितंबर 2019 से हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊर्ध्वमुखी बनी रही, गृहस्थ माध्य मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं 2019-20 की दूसरी छमाही में दृढ़ बन गईं जिसके तीन महीने आगे तक 103 बीपीएस और एक वर्ष आगे तक 133 आधार अंक दृढ़ बनी रहने की उम्मीद है। प्रत्याशा में इस सुधार की पुष्टि पेशेवर अनुमानकर्ताओं एवं उपभोक्ता विश्वसनीयता के सर्वेक्षण के भावी मूल्यांकन द्वारा होती है।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

11.2.9 2019-20 के दौरान सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के घटकों ने विशिष्ट बदलाव प्रदर्शित किए हैं (चार्ट 11.2.4)। वर्ष की पहली छमाही में, खाद्यान्न संबंधी मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति के नीचे बनी रही है, जबकि खाद्यान्न और ईंधन को



छोड़के मुद्रास्फीति इसके ऊपर स्तर पर बनी रही। दूसरी छमाही में यह समीकरण उलट गया, खाद्यान्न मुद्रास्फीति हेडलाइन से ऊपर हो गई और खाद्यान्न एवं ईंधन संबंधी मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति के नीचे चली गई। ईंधन के मूल्य की मुद्रास्फीति जो फरवरी 2019 से फरवरी 2020 तक हेडलाइन मुद्रास्फीति के नीचे चल रही थी, वह मार्च, 2020 में ऊपर चली गई।

खाद्यान्न


II.2.10 खाद्यान्न और पेय पदार्थों के मूल्य से संबंधित मुद्रास्फीति(भार: सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) अप्रैल, 2019 के 1.4 प्रतिशत से दिसंबर, 2019 में छलांग लगाते हुए 12.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। फलस्वरूप, इसका समग्र मुद्रास्फीति में हिस्सा एव वर्ष पूर्व के 9.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 57.8 प्रतिशत हो गया। दक्षिण-पश्चिम मानसून(एसडबल्यूएम) एक सप्ताह विलंब से आने तथा काफी देर से समाप्त होने(39 दिन देर से) के कारण खाद्यान्न के मूल्य उच्च स्तर पर बने रहे। इसके अतिरिक्त, साइक्लोन जैसे तूफान एवं बेमौसमी बारिश से आपूर्ति संबंधी बाधाएं पैदा हुईं जिसने खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचाया, विशेष रूप से दिसंबर-जनवरी 2019-20 के दौरान प्रमुखतया सब्जियों और दालों की फसल को (चार्ट II.2.5)। मूल्यों का दबाव शीघ्र ही बड़े पैमाने पर फैल गया और अनाज, अंडे, मांस एवं मत्स्य तथा मासलों में सभी तरफ दिखाई देने

लगा। सर्दी का मौसम देर से आने तथा सब्जियों की कीमतें कम होने से जनवरी-मार्च, 2020 के दौरान कुछ राहत प्राप्त हुई।

II.2.11 विशिष्ट प्रकार के दबाव बिंदुओं की तह में जाकर देखें तो सब्जियों की कीमतों(भार: सीपीआई-खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ में 13 प्रतिशत) ने ही 2019-20 के समग्र खाद्यान्न मुद्रास्फीति के मार्ग को प्रशस्त किया था। यदि सब्जियों को छोड़ दें तो खाद्यान्न मुद्रास्फीति का औसत 2019-20 में 236 आधार अंक रहता(सब्जियों को मिलाकर 6.0 प्रतिशत)। पूर्व में वर्णित फसल के नुकसान की स्थिति ने ऐतिहासिक रूप से सब्जियों की कीमतों को और उच्च हवा दी, जिससे सब्जियों से संबंधित मुद्रास्फीति दिसंबर, 2019 में सर्वाधिक उच्च स्तर 60.5 प्रतिशत पर पहुंच गई (चार्ट II.2.6ए)।

II.2.12 सभी सब्जियों में प्याज की कीमतों ने सबसे ज्यादा ऊपरी दबाव बनाया(चार्ट II.2.6बी)। जून 2019 से महाराष्ट्र में सूखे जैसी हालत पैदा हो जाने से रबी की फसल में प्याज की औसत एकड़ उपज घट गई थी जिससे मंडी में प्याज की आपूर्ति में मंदी छा गई थी। इसके अलावा, सितंबर-अक्टूबर 2019 में बेमौसम बारिश हो जाने से प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में खरीफ में प्याज की फसलों को नुकसान पहुंचा और सितंबर 2019 से ही प्याज की कीमतें बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से

चार्ट II.2.5: खाद्य वस्तुओं में महंगाई के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)




*: इसमें मांस और मछली, अंडे, दूध और उससे बनी चीज, शामिल हैं।

#: इसमें चीनी और मिष्ठान, मसाले, एल्कोहल मुक्त पेय-पदार्थ और पका हुआ खाना शामिल है।

नोट: अप्रैल 2020 के लिए मांस और मछली और पका हुआ खाना आदि के संकेतक और मई 2020 में पका हुआ खाना अल्पाहार, मिठाई आदि का सूचकांक आदि एनएसओ द्वारा अभ्यारोपित हैं।

स्रोत: एनएसओ, और आरबीआई स्टाफ अनुमान

चार्ट II.2.6: सीपीआई- सब्जियों: कीमतों में मौसमी प्रभाव और कीमतों में तेजी के वाहक




खरीफ में प्याज की फसल प्रभावित हुई तथा विलंब से बोई गई। प्याज की कीमतें से संबंधित मुद्रास्फीति दिसंबर 2019 में आसमान छूने लगी थीं और 327.4 प्रतिशत तक पहुंच गई थीं। आपूर्ति के लिए किए गए उपायों के साथ-साथ न्यूनतम निर्यात मूल्य(एमईपी) 850 अमेरिकी डॉलर प्रति टन कर दिए जाने, प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने, सितंबर 2019 में थोक विक्रेताओं एवं फुटकर विक्रेताओं पर स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित करना, और तुर्की, अफगानिस्तान तथा मिश्र से नवंबर-दिसंबर, 2019 के दौरान 1.2 लाख टन प्याज के आयात करने की घोषणा से भी मूल्य के दबावों को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सका। कृषि मंत्रालय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों(ईई) के अनुसार खरीफ फसल देर से शुरू होने से तथा रबी की फसल अच्छी होने से जनवरी 2020 से प्याज की कीमतें कम होने लगी थीं।

II.2.13 आलू की कीमतें भी पूरे वर्ष के दौरान बढ़ती रहीं(केवल सितंबर 2019 और फरवरी 2020 को छोड़कर), मुख्यतया असमय ज्यादा बारिश हो जाने से, जिससे खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा और मंडियों में आलू की आपूर्ति बाधित हुई। फलस्वरूप आलू की कीमतें नवंबर 2019 तक 7 महीने तक लगातार अपस्फीति की स्थिति में रहने के बाद जनवरी 2020 में आलू की कीमतों की मुद्रास्फीति अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 63 प्रतिशत पर पहुंच गई। आलू की कीमतों के मामले में मुद्रास्फीति मई 2019 तक सर्वाधिक ऊंचे स्तर 70 प्रतिशत पर थी और दिसंबर 2019 तक दो अंकों में बनी रही, क्योंकि महाराष्ट्र में फसल की कटाई देर से हुई थी तथा कर्नाटक में

फफूंदी लग जाने से फसलों को नुकसान हुआ था, साथ ही प्रमुख आपूर्तिकर्ता राज्यों जैसा कि पूर्व में संदर्भित किया गया है कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश में आपूर्ति बाधित रही थी। टमाटर की कीमतें जबकि नवंबर 2019-फरवरी 2020 के दौरान सामान्य मौसमी हालात पैदा होने से कम हुईं।

II.2.14 अनाज एवं अनाज के उत्पादों के मूल्य(खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के सीपीआई में 21 प्रतिशत भार) भी 2019-20 के दौरान काफी बढ़े और बढ़ने का दबाव बना रहा(चार्ट II.2.7), जो अप्रैल 2019 से 1.2 प्रतिशत की दर से लगातार बढ़ते हुए जनवरी-मार्च, 2020 तक लगभग 5.3 प्रतिशत तक पहुंच गए थे।

चार्ट II.2.7: सीपीआई- अनाज और उससे बने उत्पादों में उतार-चढ़ाव



गेहूँ के मामले में वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति औसतन लगभग 6.5 प्रतिशत रही, यह उच्च सीमा अत्यधिक सरकारी खरीद की वजह से थी जिससे आयात पर किफायत करनी पड़ी (वर्ष 2019-20 में 31.4 प्रतिशत कम)। चावल की गैर-पीडीएस कीमतें अपस्फीति की स्थिति में रहने के बाद अक्टूबर 2019 में बहाल हुईं, क्योंकि कीमतों का दबाव सकारात्मक था तथा बेस-प्रभाव प्रतिकूल था, अधिक सरकारी खरीद किए जाने एवं खरीफ की फसल खराब हो जाने की स्थिति को देखते हुए उसे जनवरी, 2020 में 4.2 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाने में 11 महीने लग गए, लेकिन कीमतें फरवरी 2020 में कम होकर 3.9 प्रतिशत हो गईं।


॥2.15 वर्ष के दौरान दूध एवं दूध से बने उत्पाद के मूल्य(खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के सीपीआई में 14.4 प्रतिशत भार) दबाव का एक अन्य बिंदु बना हुआ था(चार्ट ॥2.8)। दूध की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी हो जाने से प्रमुख दुग्ध सहकारिताएं जैसे अमूल एवं मदर डेयरी ने मई और पुनः दिसंबर 2019 के दौरान दूध की फुटकर कीमतें 2-3 रुपए प्रति लीटर दो बार बढ़ा दीं। इसके कारण अन्य राज्यों की दुग्ध सहाकारिताओं ने भी इसी प्रकार से दूध की कीमतें बढ़ा दीं, जिससे वर्ष के दौरान दूध और दूध से बने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के हालात पैदा हो गए। चारे की उपलब्धता कम होने से भी उत्पादन लागत बढ़ गई जिससे सरकारी खरीद की कीमतें भी अधिक हो गईं और बाद में

फुटकर कीमतें भी बढ़ गईं। विश्व में मलाई-रहित दूध के उत्पादों की अधिक कीमतों ने भी दूध के मूल्य को बढ़ाने में मदद की। दूध की कीमतें वर्ष के दौरान मार्च 2020 में सबसे अधिक 6.5 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुंच गई थीं।

11.2.16 दाल के मामले में (खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के सीपीआई में 5.2 प्रतिशत भार) कीमतें 29 महीने लंबे समय तक अपस्फीति की स्थिति में रहीं और वर्ष 2019-20 की शुरुआत मई 2019 से इसकी अपस्फीति के समाप्त होने से हुई। इस घटना के अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान आयात में अत्यधिक गिरावट (54 प्रतिशत तक) ने मांग-आपूर्ति की स्थिति को पुनः संतुलित करने में मदद की। इसके अतिरिक्त, खरीफ में दाल के उत्पादन में गिरवाट (वर्ष 2018-19 के अंतिम अनुमान की तुलना में 2019-20 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार 4.6 प्रतिशत), विशेष रूप से उड़द के उत्पादन में कमी (44.9 प्रतिशत तक) ने मुद्रास्फीति की निरंतरता को बढ़ा दिया (चार्ट 11.2.9)। वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 14.6 प्रतिशत अधिक आयात किए जाने के बावजूद।


11.2.17 मुद्रास्फीति ने प्रोटीन-युक्त मदों जैसे अंडे, मांस तथा मछली की कीमतों को भी प्रभावित किया (खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के सीपीआई में 8.8 प्रतिशत भार) जो औसतन 4.5 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत क्रमशः थी – जो पिछले छह वर्ष में

चार्ट 11.2.8: सीपीआई- दूध और उससे बने उत्पादों में उतार-चढ़ाव



स्रोत: एनसओ; और आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट II.2.9: दालों की महंगाई दर में
घटकवार सीपीआई अंशदान



*: मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, बेसन और अन्य दाल उत्पाद आदि शामिल हैं।

नोट: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सीपीआई-दालों और उनसे बने उत्पादों में भार को इंगित करते हैं।

2. एनएसओ द्वारा मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए मद स्तर सीपीआई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है।

स्रोत: एनसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान


सर्वाधिक थी – तथा कुल मिलाकर वर्ष के दौरान समग्र खाद्यान्न मुद्रास्फीति में इसका योगदान 13.7 प्रतिशत था। मांस और मछली की कीमतों के कारण, खासतौर से ज्वार एवं सोयाबीन की कीमतों में वृद्धि हुई। इसी प्रकार से, अंडे की कीमतें सितंबर-जनवरी 2019-20 में अत्यधिक हो गईं। लेकिन, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इसका उपभोग कम हो गया और फरवरी-मार्च, 2020 में इसकी कीमतें कम हो गईं।

11.2.18 अन्य प्रमुख खाद्य सामग्री में, चीनी तथा मिष्ठान्न और तेल तथा चर्बी ने भी समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में और भी योगदान दिया, जिससे पता चलता है कि चीनी और मिष्ठान्न के मामले में घरेलू उत्पादन घट गया था तथा तेल एवं चर्बी के मामले में अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई थीं।


11.2.19 फलों की कीमतें (खाद्यान्न एवं पेय पदार्थों के सीपीआई में 6.3 प्रतिशत भार) नौ महीने तक अपस्फीति की स्थिति में रहने के बाद सितंबर 2019 में बहाल हुईं लेकिन वर्ष के बाकी हिस्से में सहज बनी रहीं। मेवा, विशेष रूप से सूखा लाल मिर्चा तथा हलदी की कीमतों पर अधिक दबाव दर्ज किया गया क्योंकि उत्पादन कम क्षेत्र में किया गया था।

ईंधन

11.2.20 ईंधन समूह (सीपीआई में 6.8 प्रतिशत भार) का हेडलाइन मुद्रास्फीति में योगदान एक वर्ष पूर्व के 11.3 प्रतिशत की तुलना में घटकर 1.9 प्रतिशत हो गया था। ईंधन संबंधी मुद्रास्फीति क्रमशः अप्रैल से जून 2019 तक सहज होती गई और जुलाई-नवंबर 2019 के दौरान अपस्फीति में चली गई, यह बेस-प्रभाव एवं प्रमुख ईंधन की मदों के शांत मूल्य दबाव से नीचे गई (चार्ट 11.2.10)। घरेलू स्तर पर एलपीजी का मूल्य जो अप्रैल-जून 2019 में बढ़ गया था, जुलाई 2019 में घटकर अपस्फीति की स्थिति में चला गया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी के मूल्य गिर जाने से विलंब के साथ हुआ (चार्ट 11.2.11)। जलाने की लकड़ी (फायरवुड) तथा चिप्स की कीमतें दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान बढ़ीं क्योंकि सर्दी के मौसम की वजह से मूल्यों के बढ़ने का दबाव अधिक था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी के मूल्यों में बढ़ोतरी के साथ-साथ घरेलू स्तर पर भी एलपीजी की कीमतें जनवरी 2020 में अपस्फीति की स्थिति से बाहर निकल आईं। नियंत्रित मिट्टी के तेल की कीमतें



2019-20 के दौरान लगातार बढ़ती रहीं क्योंकि तेल की मार्केटिंग करने वाली कंपनियां (ओएमसी) अंततः मिट्टी के तेल की सब्सिडी समाप्त करने के लिए इसके मूल्य को नपे-तुले अंदाज में बढ़ाती रही हैं। बिजली संबंधी मुद्रास्फीति जो काफी हद तक अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान ऋणात्मक दायरे में बनी रही थी, वह भी 2019-20 की दूसरी छमाही में बढ़ने लगी थी। इन सब प्रगति को देखते हुए तथा अत्यधिक मजबूर बेस-प्रभाव



से ईंधन संबंधी मुद्रास्फीति दिसंबर 2019 में धनात्मक दायरे में आ गई तथा मार्च, 2020 में वर्ष के भीतर सबसे उच्च स्तर 6.6 प्रतिशत पर पहुंच गई।

खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति

11.2.21 खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति 2018-19 के स्तर से कम हुई और 2019-20 के दरम्यान औसतन 4.0 प्रतिशत थी (परिशिष्ट सारणी 4) जो अक्टूबर 2019 में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम 3.4 प्रतिशत कर स्तर आ गई थी (चार्ट 11.2.12)। नवंबर 2019 – जनवरी 2020 के दौरान पर्सनल केयर एवं इफेक्ट्स तथ परिवहन एवं दूरसंचार उप-समूह के मूल्य के कारण कुछ कठोरता पैदा हो गई थी, जिससे स्वर्ण की कीमतें बढ़ गईं, मोबाइल टेलीकाम टैरिफ बढ़ गया तथा पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य भी बढ़ गए थे (चार्ट 11.2.13)। बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम होने तथा घरेलू स्तर पर हवाई यातायात घट जाने के कारण फरवरी और मार्च, 2020 में परिवहन एवं दूरसंचार के मूल्यों में तीव्र गिरावट आ गई जिससे फरवरी-मार्च, 2020 के दौरान कीमतें कम बनी रहीं।


11.2.22 इस समूह के प्रमुख घटकों में विविध श्रेणी की कीमतों में मुद्रास्फीति अप्रैल - अक्टूबर 2019 के दौरान अक्टूबर 2019 में (जुलाई 2017 के बाद से सबसे कम) तथा दुबारा

फरवरी-मार्च 2020 में 3.4 प्रतिशत तक कम हुई। विविध समूह के भीतर, गृहस्थ वस्तुओं तथा सेवाओं, स्वास्थ्य, रिक्रिएशन एवं एम्यूजमेंट तथा शिक्षा के संबंध में मूल्यों का दबाव समान्यतया नियंत्रित रहा।

11.2.23 2019-20 में आवासीय मुद्रास्फीति कम होकर 4.5 प्रतिशत पर थी (2018-19 में 6.7 प्रतिशत थी), जिससे यह परिलक्षित होता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आवास भत्ते में वृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ा। ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम 3.7 प्रतिशत की मुद्रास्फीति मार्च, 2020 में दर्ज की गई। आवास को छोड़कर, खाद्यान्न एवं ईंधन को शामिल न करते हुए मुद्रास्फीति 2019-20 में औसतन 3.9 प्रतिशत थी, जो एक वर्ष पूर्व 5.6 प्रतिशत हुआ करती थी।


11.2.24 कपड़ा और जूते(फुटवियर) से संबंधित मुद्रास्फीति सहज होकर सितंबर 2019 में 1.0 प्रतिशत पर आ गई थी, जिससे काफी हद तक यह पता चलता है कि इसकी लागतें शांत रही हैं। कपास की अंतरराष्ट्रीय कीमतें, कपड़ा उत्पादन में जो प्रमुख इनपुट होता है, कॉटन ए सूचकांक द्वारा यथा मापित, मई से अगस्त 2019 के दौरान घट गई थीं, उसमें सितंबर 2019-जनवरी 2020 में जाकर बहाली आ सकी। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भी अंतरराष्ट्रीय कपास बजार तहस-नहस

चार्ट 11.2.12: खाद्य और ईंधन महंगाई दर को छोड़कर सीपीआई के वाहक



*: इसमें मनोरंजन, मनोविनोद और निजी देखभाल की चीजें और उनके प्रभाव शामिल हैं।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.2.13: तेल की घरेलू कीमतों के रुझान



नोट: कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट और दुबई फतेह की औसत कीमत को दर्शाती है।



स्रोत: वर्ल्ड बैंक पिक शीट डेटाबेस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. और पेट्रोलियम आयोग और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)।

हो गए और कॉटन ए सूचकांक ने फरवरी तथा मार्च, 2020 में उसमें गिरावट दर्ज की।

II.2.25 समग्र रूप से, हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले चार वर्षों की अपेक्षा 2019-20 में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से गुजरा है, जिसमें खाद्यान्न मूल्य में सर्वाधिक परिवर्तन पाए गए थे (चार्ट II.2.14 ए और चार्ट बी)। खाद्यान्न समूहों में विभिन्न मदों के

बारे में मूल्य अलग-अलग समय पर तीव्र हुए हैं। जनवरी 2011 से फरवरी 2020 तक के अनुभवजन्य विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि कई प्रकार की खाद्य-सामग्री जैसे प्याज, अदरक, बैंगन, पत्ता गोभी, ओकरास तथा हरी मटर के दामों में मैसमी हिसाब से परिवर्तन आया था। दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक अस्थिर मद होते हुए भी पिछले कई वर्षों में प्याज के दामों में

चार्ट II.2.14: कीमतों में अस्थिरता



नोट: अस्थिरता का अनुमान गार्च मॉडल का उपयोग करते हुए अप्रैल-मई 2020 में एनएसओ द्वारा प्रकाशित अभ्यारोपित कीमत सूचकांक पर लगाया गया है।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मौसमी असर कम होता गया है, जिससे यह पता चलता है कि कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं ज्यादा बेहतर हुई हैं। असमान गर्च¹² मॉडल्स से अस्थिरता के अनुमान यह बताते हैं कि प्याज की कीमतों में अस्थिरता निकटतम अवधि के लिए होती है, जबकि टमाटर के दामों की अस्थिरता थोड़े से समय के लिए हो सकती है। सब्जियों की कीमतों की अपेक्षा प्रोटीनयुक्त मदों एवं मेवे की कीमतों में मुद्रास्फीति अधिक समय के लिए बनी रहती है। पेट्रोल, डीजल तथा मूल्यवान धातुओं जैसी मदों की कीमतों में अस्थिरता के बने रहने के कोई सुबूत दिखाई नहीं देते हैं, हालांकि इन मदों का भी हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता के प्रति योगदान होता है।

5. मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.2.26 वर्ष 2019-20 के दौरान औद्योगिक कामगार संबंधी उपभोक्ता सूचकांक(सीपीआई-आईडबलू) पर आधारित सेक्टरल सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़त की ओर बना रहा तथा दिसंबर 2019 में 9.6 प्रतिशत तक पहुंच गया था (73 महीने में सर्वाधिक), जिसका प्राथमिक कारण आवास एवं खाद्यान्न की कीमतें रही हैं। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग(सीपीसी) के आवास किराया भत्ता में संशोधन के प्रभाव ने जनवरी 2020 में उक्त प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर दिया था तथा खाद्यान्न मदों के मूल्य अनुकूल बेस-प्रभाव के साथ सस्ते होने लगे थे, सीपीआई-आईडबलू मुद्रास्फीति मार्च, 2020 में नरम होकर 5.5 प्रतिशत पर आ गयी थी। कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई-एएल) तथा ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(सीपीआई-आरएल) के आधार पर मुद्रास्फीति, जिसमें आवस का घटक शामिल नहीं है, भी वर्ष के दौरान बढ़ गया था जो दिसंबर, 2019 में क्रमशः 11.1 प्रतिशत एवं 10.6 प्रतिशत पर पहुंच गया था (72 महीने में सर्वाधिक था), और जो बाद में खाद्यान्न के मूल्यों एवं अनुकूल बेस-प्रभाव में नरमी के चलते सहज बन गयी थी।

II.2.27 थोक मूल्य सूचकांक (डबलूपीआई) द्वारा मापित मुद्रास्फीति वर्ष 2019-20 के दौरान धीमी बनी रही। यह वर्ष के भीतर अक्टूबर 2019 में सबसे कम स्तर शून्य(40 महीने में न्यूनतम स्तर) पर पहुंच गई थी क्योंकि गैर-खाद्यान्न विनिर्मित उत्पादों, ईंधन तथा पावर के मूल्यों में अपस्फीति की स्थिति थी। यह नवंबर 2019-जनवरी 2020 में बढ़ना प्रारंभ हुई, लेकिन,

प्राइमरी वस्तुओं के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई तथा बेस-प्रभाव प्रतिकूल था, बाद में सभी तीन प्रमुख समूह अर्थात् वस्तुओं, तथा पावर और विनिर्मित उत्पादों में अत्यधिक नरमी पैदा होने से मार्च 2020 में 0.4 प्रतिशत पर आ गई थी। वार्षिक औसत आधार पर, डबलूपीआई मुद्रास्फीति 2018-19 के 4.3 प्रतिशत से कम होकर 2019-20 में 1.7 प्रतिशत हो गई थी। इसी प्रकार की सहजता जीडीपी डेफलेटर में भी देखी गई थी, जो 2018-19 के 4.6 प्रतिशत से 2019-20 में 2.9 प्रतिशत हो गया था।

II.2.28 वर्ष 2018-19 के दौरान खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) में भारी वृद्धि होने के बाद एमएसपी में 2019-20 में संतुलित वृद्धि हुई। एमएसपी में वृद्धि की स्थिति विभिन्न फसलों में भिन्न थी, मूंग और नाइजरसीड में 1.1 प्रतिशत से लेकर पीले सोयाबीन में 9.1 प्रतिशत तक थी। चावल और गेहूं में एमएसपी क्रमशः 3.7 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत था।

II.2.29 कृषि और कृषि से इतर क्षेत्र में मजदूरी में वृद्धि आमतौर पर वर्ष के दौरान कम ही रही, जो औसतन 3.4 प्रतिशत थी, जिससे ज्ञात होता है कि निर्माण क्षेत्र में मंदी थी। कारपोरेट क्षेत्र में, वर्ष के दौरान स्टाफ संबंधी लागतों का दबाव हलका ही बना रहा।

II.2.30 निष्कर्ष रूप में कहें तो, हेडलाइन मुद्रास्फीति में तेजी सन 2019-20 के अंतिम माहों में रही और अल्पावधि आउटलुक के लिए खाद्य मुद्रास्फीति अनिश्चित रही। विश्व में कच्चे तेल की कीमतें इधर हाल के सप्ताहों में धीरे-धीरे थमने लगी हैं। खाद्यान्न और विनिर्मित मदों की आपूर्ति-श्रृंखला में अवरोध के कारण सेक्टरल कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे हेडलाइन मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम पैदा हो सकता है। वित्तीय बाजारों में भी अत्यधिक उतार-चढ़ाव मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकता है। इससे उपभोक्ता की मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं प्रभावित हो सकती हैं, जो स्वभाव में अनुकूलनीय होती है और खाद्यान्न तथा ईंधन के मूल्यों के आघात के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। अतः, मौद्रिक नीति को मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर लागातर निगरानी रखनी होगी, जो मुद्रास्फीति को सामान्य रूप में परिवर्तित कर सकता है।

¹² ग्लोस्टेन, जगन्नाथन और रंकल (1993) द्वारा प्रस्तावित एसेमेट्रिक थ्रेसहोल्ड गर्च मॉडल के माध्यम से अस्थिरता अनुमानित की गई है।

II.3 मुद्रा एवं ऋण


II.3.1 वर्ष 2019-20 में मौद्रिक एवं ऋण स्थितियों में नरमी आई, जो अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियों में कमजोरी को दर्शाती है, जबकि मुद्रास्फीति बाद के महीनों में खाद्य मूल्यों में दबावों के बढ़ जाने से पूर्व वर्ष के पहले उत्तरार्ध में सौम्य बनी रही। जमाराशियों की वृद्धि कम हो जाने के कारण मुद्रा आपूर्ति (एम 3) की दर धीमी हो गई। वर्ष की समाप्ति तक, कोविड-19 के कारण नकदी को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलने से जमाराशियों की वृद्धि में धीमापन बढ़ गया। मुद्रा आपूर्ति के स्रोतों की दृष्टि से देखा जाए तो ऋण वृद्धि अपने एक वर्ष पूर्व के स्तर से घटकर आधी रह गई, जो मांग के कमजोर रहने और बैंकों के बीच जोखिम-विमुखता को दर्शाती है। प्रति चक्रीय रूप से, आरक्षित मुद्रा (आरएम) का विस्तार, नकदी आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभावों को समायोजित किए जाने के पश्चात, व्यापक रूप से पिछले वर्ष की दर पर बना रहा, जिसे रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों (एनएफए) के जमाव और जून 2019 से अपनाए गए समायोजनकारी नीतिगत रुख के अनुरूप मौद्रिक नीति के परिचालनों - खुले बाजार से की जाने वाली खरीदारियों; सीआरआर में कमी; विशिष्ट बाजार परिचालनों (दीर्घावधिक रिपो परिचालनों तथा लक्षित दीर्घावधिक रिपो परिचालनों के रूप में); तथा अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया की अदला-बदली से सहारा मिला। इन गतिविधियों से प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में चलनिधि उत्पन्न हुई, जिससे ऋण जोखिम चिंताओं पर वित्तीय बाजारों के प्रबल भेदभाव के बीच चलनिधि प्रीमियम में नरमी आई।

II.3.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 में आरक्षित मुद्रा (आरएम) के अंतर्निहित गतिशील उतार-चढ़ाव पर विचार किया गया है और, इस प्रकार, अर्थव्यवस्था की दशा के व्यापक संदर्भ में रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र की भूमिका को दर्शाया गया है। इस खंड में चलनगत मुद्रा पर कोविड-19 के प्रभाव का भी विश्लेषण किया गया है। उप-खंड 3 में मुद्रा आपूर्ति की गतिविधियों की इसके

घटकों और स्रोतों के मद्देनजर जांच की गई है, जो बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों और देयताओं के बर्ताव पर प्रकाश डालती है। वर्ष के दौरान बैंक ऋणों की मजबूती के विकास को उप-खंड 4 में दर्शाया गया है। इसके बाद समापक निष्कर्षों और कुछ नीतिगत परिप्रेक्ष्यों का जिक्र किया गया है।

2. आरक्षित मुद्रा

II.3.3 आरक्षित मुद्रा, जो रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का एक शैलीगत उद्धरण है, और इसकी 'मौद्रिकता'¹³ पर फोकस करती है, में चलनगत मुद्रा, बैंकों की जमाराशियों एवं रिजर्व बैंक में धारित अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। आरक्षित मुद्रा में 2019-20 में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पूर्व के 14.5 प्रतिशत के साथ ही 11.4 प्रतिशत (2010-20) की दशकीय रुझान दर की तुलना में कम रही [चार्ट II.3.1; परिशिष्ट सारणी 4]। दिनांक 28 मार्च 2020 से प्रभावी सीआरआर में 100 आधारभूत अंकों की कटौती को समायोजित करने के पश्चात - जिससे आरक्षित मुद्रा में सांख्यिकीय रूप से लगभग ₹1,37,000 करोड़ की कमी आई - आरक्षित मुद्रा में वर्ष के



¹³ "मौद्रिकता" का आशय है किसी आस्ति में शीघ्रतापूर्वक अति न्यून अथवा शून्य लेनदेन लागत पर चलनिधि में परिवर्तित होने का गुण।

दौरान 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2018-19 में इसमें 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।



II.3.4 वर्ष के दौरान आरक्षित मुद्रा में हुए परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए हुए प्रयासों से रोचक व्यवहारगत बदलाओं का पता चलता है। घटकों के मध्य, आरक्षित मुद्रा में विस्तार चलनगत मुद्रा (सीआईसी) द्वारा हुआ – वर्ष के दौरान आरक्षित मुद्रा में 120 प्रतिशत का विस्तार हुआ। मार्च 2020 के अंत में, आरक्षित मुद्रा में लगभग 81 प्रतिशत हिस्सा चलनगत मुद्रा का था।

II.3.5 सामान्यतः चलनगत मुद्रा की मांग में एक परिभाषित अंतर्मासिक ढंग देखा जाता है – परिवारियों द्वारा किए गए लेनदेनों के कारण पहले पखवाड़े में मांग का विस्तार, उसके बाद बैंकिंग प्रणाली में परिवारियों से मुद्रा के विपरीत प्रवाह के कारण दूसरे पखवाड़े में कम मांग रही (चार्ट II.3.2)।

II.3.6 चलनगत मुद्रा में सभी महीनों/तिमाहियों में मौसमीपन भी देखा गया – पहली तिमाही में विस्तार हुआ उसके बाद दूसरी तिमाही में संकुचन हुआ, जिसमें तीन-चौथाई से अधिक वार्षिक घट-बढ़ तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान हुई। वर्ष 2019-20 की शुरुआत पहली तिमाही में हमेशा की तरह मौसमी उछाल से


हुई, जिसमें गर्मी की छुट्टियां, शादियां, रबी खरीद एवं खरीफ की बुआई संबद्ध हैं। बाद वाली तिमाहियों में, नकदी की प्रधानता वाले विनिर्माण एवं कृषि जैसे क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में मौसमी मंदी के कारण चलनगत मुद्रा का संकुचन हुआ। उसके बाद, चलनगत मुद्रा का विस्तार हुआ, जो तीसरी तिमाही में खरीफ की कटाई तथा त्योहार और चौथी तिमाही में रबी फसलों की कटाई के लिए मुद्रा की मांग में तेजी को दर्शाता है। वर्ष का समापन वैश्विक महामारी से संबद्ध नकदी के हुई आपाधापी के साथ हुआ। समग्ररूप से, चलनगत मुद्रा में 14.5 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पूर्व के 16.8 प्रतिशत की तुलना में थोड़ी कम रही (चार्ट II.3.3); हालांकि 2019-20 में मुद्रा-जीडीपी अनुपात बढ़कर विमुद्रीकरण के पूर्व के 12.0 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया, जो एक वर्ष पूर्व 11.3 प्रतिशत था। यह वैश्विक महामारी को देखते हुए अर्थव्यवस्था में नकदी-गहनता में वृद्धि का संकेत करती है (चार्ट II.3.4)।

II.3.7 मार्च-जून 2020 के दौरान चलनगत मुद्रा में पिछले वर्ष¹⁴ की समरूप अवधि की तुलना में माह-दर-माह (एमओएम) असामान्य वृद्धि देखी गई (चार्ट II.3.5 एवं चार्ट II.3.6)।




¹⁴ जनवरी-जून 2017 के दौरान चलनगत मुद्रा में हुई असामान्य बढ़ोतरी का कारण विमुद्रीकरण के पश्चात हुई पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया रही।

चार्ट II.3.4: भारत का मुद्रा जीडीपी अनुपात



स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.6: भारत में कोविड-19 के कुल पुष्ट मामलों की संख्या




स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

II.3.8 वर्ष 2019-20 में रिज़र्व बैंक में धारित बैंकों की जमा राशियों में 9.6 प्रतिशत की कमी आई, जबकि पिछले वर्ष इसमें 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह कमी जमा राशियां जुटाने में मंदी और 28 मार्च 2020 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए सीआरआर को

घटाकर 3.0 प्रतिशत किए जाने की स्थिति को दर्शाती है (चार्ट II.3.7)।


II.3.9 आरक्षित मुद्रा के स्रोतों के बीच, आरक्षित मुद्रा वृद्धि के निर्धारण में निवल घरेलू आस्तियों (एनडीए) और एनएफए में परिवर्तन हुआ (II.3.8)। वर्ष 2019-20 के दौरान, एनएफए

चार्ट II.3.5: सीआईसी में कोविड-19 का प्रभाव



स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.7: रिज़र्व बैंक में धारित बैंकों की जमा राशियां



स्रोत: आरबीआई

प्रमुख निर्धारक रहा, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) से ₹3,12,005 करोड़ की निवल खरीद की गई, जबकि पिछले वर्ष ₹1,11,945 करोड़ की निवल बिक्री की गई थी। जून 2019 में निर्धारित मौद्रिक नीति के समायोजनकारी रुख के अनुरूप, रिजर्व बैंक ने चलनिधि की सुविधाजनक स्थितियों को सुनिश्चित किया और गैर-पारंपरिक लिखतों से चलनिधि प्रबंधन टूलकिट को बढ़ाया।

II.3.10 खुले बाजार से ₹1.1 लाख करोड़ की निवल खरीद से रिजर्व बैंक ने सरकार को ₹1.9 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया, जो 2019-20 में एनडीए का मुख्य निर्धारक रहा। एनडीए के अन्य घटकों के मध्य, बैंकों¹⁵ पर निवल दावे और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्यतः पीडी) ने प्रमुख रूप से निवल एलएएफ के अवशोषण को परिलक्षित किया, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा परिचालनों को अवरुद्ध करना तथा प्रणाली में चलनिधि के अतिरेक का प्रबंधन करना था (चार्ट II.3.9)।



II.3.11 अप्रैल-मई 2019 के दौरान निवल एलएएल की स्थिति रिपो अवस्था में थी, किंतु शेष वित्त वर्ष में यह

रिवर्स रिपो की अवस्था में रही (चार्ट II.3.10ए एवं चार्ट II.3.10बी)।

3. मुद्रा आपूर्ति


II.3.12 एम3, जिसमें जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (सीडब्लूपी), समग्र जमाराशियां (एडी) और रिजर्व बैंक में धारित अन्य जमाराशियां शामिल हैं, फरवरी एवं मार्च 2020 में तेजी से गिरावट के साथ वर्ष की समाप्ति पर 8.9 प्रतिशत होने के पहले, 2019-20 की प्रथम तीन तिमाहियों में औसतन 10.2 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 10.1 प्रतिशत) रहा (चार्ट II.3.11)।

II.3.13 घटकों की दृष्टि से, एम3 के विस्तार में समग्र जमाराशियों (एडी) का योगदान रहा, जो इसकी सबसे बड़ी घटक (86 प्रतिशत) थीं, जिसमें मीयादी जमाओं की प्रमुखता रही। वर्ष के दौरान एम3 में हुई वृद्धि में समग्र जमाराशियों (एडी) का 78 प्रतिशत योगदान रहा। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, ब्याज दरों में गिरावट और आर्थिक गतिविधियों में सामान्य गिरावट के कारण मीयादी जमाओं में कमी आई (चार्ट II.3.12)। हमेशा की तरह,




¹⁵ एक वर्षीय और तीन वर्षीय समयावधियों के लिए पाँच दीर्घावधि रिपो परिचालनों (एलटीआरओ) के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में ₹1,25,000 करोड़ की टिकाऊ चलनिधि संप्रविष्ट की गई। रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही साथ 23 दिसंबर 2019 और 23 जनवरी 2020 के बीच विशेष ओएमओ(अथवा परिचालन बदलाव) के तहत प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के चार दौर संचालित किए जिससे बैंकिंग प्रणाली की निवल चलनिधि में ₹11,724 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई।

चार्ट II.3.10: चलनिधि संप्रविष्टि का अंतर्वेशन/अवशोषण




स्रोत: आरबीआई



मांग जमाओं में अस्थिरता बनी रही, जो व्यापक रूप से जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (सीडब्लूपी), जो पिछले वर्ष के 16.6 प्रतिशत की तुलना में 14.5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ी, में परिवर्तन को परिलक्षित करती है (चार्ट II.3.13)। नकदी की बहुत अधिक मांग और उसके सहगामी मांग जमाओं में होने वाली कमी विशेषरूप से 2019-20 की अंतिम तिमाही में देखी गई, जिसका कारण कोविड-19 वैश्विक महामारी से जुड़ी अनिश्चितताएँ रहीं।


II.3.14 एम3 के विस्तार में वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण, और इसके पश्चात सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण तथा बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। फिर भी, वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण की वृद्धि एक वर्ष पूर्व की अपेक्षा धीमी रही, जो अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत कम बैंक ऋण लिए जाने का द्योतक है (चार्ट II.3.14 एवं सारणी II.3.1)। बैंकों के एसएलआर से इतर निवेशों में भी गिरावट होने के साथ, वाणिज्यिक बैंकों ने अपने एसएलआर

चार्ट II.3.11: कुल जमा राशियाँ और एम3





स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.12: सावधि जमाएं: वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और ब्याज दर



स्रोत: आरबीआई



पोर्टफोलियो का संवर्धन किया; जो सरकार को दिए गए निवल ऋण के एक वर्ष पूर्व के 9.7 प्रतिशत की तुलना में 11.8 प्रतिशत को परिलक्षित करता है। बैंकिंग क्षेत्र के एनएफए की वृद्धि आरक्षित मुद्रा में एनएफए को प्रतिबिंबित करती है।

मुख्य मौद्रिक अनुपात

II.3.15 मुद्रा गुणक एक वर्ष पूर्व के 5.6 से घटकर मार्च 2020



के अंत तक 5.5 प्रतिशत रह गया, जो 5.5 के इसके दशकीय औसत स्तर (2010-19) की ओर अग्रसर है। हालांकि, रिवर्स रिपो के लिए समायोजित किए जाने पर - जो विश्लेषणात्मक दृष्टि से केंद्रीय बैंक में धारित बैंकों की जमाओं के समान है, मार्च 2020 के अंत तक मुद्रा गुणक और घटकर 4.8 रह गया, जो मुद्रा आपूर्ति की दर के निरपेक्ष रुझान में मंदी को दर्शाता है (चार्ट II.3.15)।

सारणी II.3.1: मौद्रिक समूहक

मद	31 मार्च 2020 को बकाया (₹ करोड़)	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)		
		2018-19	2019-20	2020-21 (19 जून 2020 की स्थिति)
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा (आरएम)	30,29,674	14.5	9.4	11.8
II. मुद्रा आपूर्ति (एम3)	167,99,930	10.5	8.9	12.3
III. एम3 के प्रमुख घटक				
III.1. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	23,49,715	16.6	14.5	21.3
III.2. कुल जमाराशियाँ	144,11,708	9.6	8.0	10.9
IV. एम3 के प्रमुख स्रोत				
IV.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	49,06,583	9.7	11.8	19.8
IV.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	110,38,644	12.7	6.3	6.3
IV.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियाँ	38,01,036	5.1	23.8	27.4
V. एफसीएनआर (बी) का निवल एम3	166,18,480	10.5	8.8	12.5
VI. एम3 गुणक	5.5			

नोट: 1. डाटा अनंतिम है।
2. आरएम से संबंधित डाटा 26 जून 2020 से संबंधित है।

स्रोत: आरबीआई



II.3.16 मुद्रा सृजन की प्रक्रिया को आर्थिक गतिविधियों की गतिकी से जोड़ते हुए, 2010 की पहली तिमाही से 2019 की चौथी तिमाही तक के आंकड़ों के मद्देनजर अनुभवजन्य विश्लेषण¹⁶ से पता चलता है कि रिवर्स रिपो के लिए समायोजित मुद्रा गुणक आर्थिक गतिविधियों को मापने का प्रमुख संकेतक हो सकता है। यह भी प्रतीत होता है कि रिवर्स रिपो के लिए समायोजित मुद्रा गुणक बेहतर संकेतक है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों की हाल की गतिकी को समायोजित मुद्रा गुणक की तुलना में अधिक बारीकी से समाहित किया जा सकता है।

II.3.17 मुद्रा-जमा अनुपात मार्च 2020 के अंत में 16.3 प्रतिशत रहा, जो 15.1 प्रतिशत के अपने दशकीय औसत (2010-19) से अधिक हो गया। वर्ष के दौरान, मुद्रा विस्तार की गति और मुद्रा-जमा अनुपात में वृद्धि, वैश्विक महामारी की अनिश्चितता को देखते हुए, नकदी रखने की जनता की पसंद की ओर संकेत करती है। मार्च 2020 के अंत में, आरक्षित निधि-

जमा अनुपात 3.8 प्रतिशत था (पिछले वर्ष 4.5 प्रतिशत), जो सीआरआर में कटौती के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है (चार्ट II.3.16)।

II.3.18 सीआरआर और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए क्रमशः 3 प्रतिशत और 18 प्रतिशत पर सांविधिक अपेक्षाओं के कारण, मार्च 2020 की समाप्ति पर बैंकिंग प्रणाली में लगभग 79 प्रतिशत जमाराशियाँ ऋण विस्तार के लिए उपलब्ध थीं। ऋण-जमा अनुपात एक वर्ष पहले के 77.7 प्रतिशत से संयमित होकर मार्च 2020 की समाप्ति पर 76.4 प्रतिशत पर आ गया, जो कि अर्थव्यवस्था में बाद में देखे गए विभिन्न कारकों के चलते शिथिल मांग का व्यापक प्रतिबिंब है। इसके बहुत से कारणों की पड़ताल बाद में की गई है।

II.3.19 ऋण-जमा अनुपात, जो बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध निधीयन के सापेक्ष ऋण की मांग का आकलन करता है, चार अलग-अलग चरणों से गुजरा। यह अर्थव्यवस्था के क्रमिक-विकास के साथ विविध प्रकार का रहा – राष्ट्रीयकरण से पहले के चरण से राष्ट्रीयकरण के बाद के चरण तक और इसके पश्चात,

¹⁶ गेनगर कैज्युएलिटी पर आधारित वेक्टर आटोरेग्रेसन (वीएआर) फ्रेमवर्क के तहत।



1990 के दशक के आरंभ से सुधार के चरण तक तथा इसके बाद संवृद्धि चक्रों में उछाल और गिरावट की स्थिति तक। इस उतार-चढ़ाव ने सीआरआर और एसएलआर की सांविधिक अपेक्षाओं में बदलाव को भी दर्शाया। स्वाधीनता पश्चात प्रथम दो दशकों के दौरान 72 प्रतिशत का औसत ऋण-जमा अनुपात अगले दो दशकों में गिरकर 69 प्रतिशत पर आ गया क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के भौगोलिक प्रसार से जमाराशियों की संवृद्धि में गति आ गई थी और आगे चलकर, कमजोर ऋण मांग चरणों के कारण 1990-2004 के दौरान यह 55 प्रतिशत पर आ गया। इसके बाद, ऋण में आई तेजी (2005-14) और समर्थनकारी आर्थिक संवृद्धि की स्थितियों की पृष्ठभूमि में, 2005-20 के दौरान औसत ऋण-जमा अनुपात बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.3.17)।

4. ऋण


II.3.20 वर्ष 2019-20 के दौरान एससीबी से ऋण उठाव कम रहा, जो एक वर्ष पूर्व के 13.3 प्रतिशत और दिसंबर 2018 में 15.0 प्रतिशत के तात्कालिक चरम से वर्ष-दर-वर्ष 6.1 प्रतिशत की दर से तीव्र गति से हानि की ओर बढ़ रहा है।

II.3.21 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित बड़े उधारकर्ता, जो निधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गैर-बैंक स्रोतों और बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर नहीं हैं, उनमें आईएल एंड एफएस के बाद हुए जबरदस्त परिवर्तन से भी सभी क्षेत्रों में ऋण की मांग धीमी रही है। आस्ति गुणवत्ता की चिंताओं के कारण निरंतर कमजोर आर्थिक गतिविधियां, जो कंपनी तुलन पत्रों के डिलीवरेजिंग और बैंकों की जोखिम विमुखता के साथ-साथ महामारी संकट के चलते वर्ष के अंत तक काफी अधिक बढ़ गईं (चार्ट II.3.18) जिससे वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात में कमी आई (चार्ट II.3.19)। वर्ष 2019 के दौरान जीडीपी अंतराल की तुलना में ऋण अधिक रहा जो ऋण मांग में कमी को दर्शाता है (चार्ट II.3.20)।

II.3.22 कोविड-19 के प्रकोप ने पूरे विश्व के लगभग 200 से अधिक देशों को प्रभावित किया है जिससे मानव जाति की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए आवश्यक लॉकडाउन तथा सामाजिक दूरी मानदंडों के कारण वैश्विक आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद सी हो गईं। इस महामारी के



चार्ट II.3.19: वृद्धिशील ऋण- जमा अनुपात




द्वारा उत्पन्न समष्टि आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए अन्य देशों के साथ-साथ भारत में भी अनेक राजकोषीय और


मौद्रिक नीति उपाय किए गए (अनुलग्नक II)। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और लोगों के मन में भय और अनिश्चितता के बढ़ने से अधिकांशतः वे अपने घरों में ही रहे, जिससे नकदी के उपयोग में असामान्य वृद्धि देखी गई (चार्ट II.3.21)। रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए विस्तारपरक मौद्रिक नीति अपनाई। कोविड-19 ने वर्ष के अंत की ओर मौद्रिक और सकल ऋण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है (बॉक्स II.3.1)।

II.3.23 मार्च 2020 के बैंक ऋण¹⁷ के क्षेत्रगत विनियोजन के आंकड़े एक व्यापक मंदी की ओर संकेत करते हैं। 2019-20 में कृषि और इससे संबद्ध गतिविधियों और उद्योग - मुख्य रूप से बड़ी और मध्यम इकाइयों के लिए ऋण वृद्धि धीमी हो गई। हालांकि, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण वृद्धि में बढ़ोतरी हुई। उद्योग के अंतर्गत, पेय पदार्थ और तंबाकू, खनन और उत्खनन, पेट्रोलियम, कोयला उत्पादों और परमाणु ईंधन एवं रबर, प्लास्टिक और इसके उत्पादों के लिए ऋण वृद्धि में तेजी आई जबकि रसायन और रसायन उत्पादों, सीमेंट और सीमेंट

चार्ट II.3.20: जीडीपी की तुलना में ऋण का अंतराल



चार्ट II.3.21: जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (सीडब्लूपी) और भारत में कोविड-19 वक्र में मासिक घट-बढ़




¹⁷ चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (33 बैंकों) से मासिक आधार पर बैंक क्रेडिट के क्षेत्रवार विनियोजन संबंधी डाटा का संग्रह किया जाता है जो कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विनियोजित कुल गैर खाद्य क्रेडिट का लगभग 90 प्रतिशत है।

बॉक्स II. 3. 1

मौद्रिक और ऋण समूहों पर कोविड-19 का प्रभाव

बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से उभरता जगत, जहां वायरस तेजी से फैला है, में चलन में इसी प्रकार की नकदी की बढ़ती प्रवृत्ति को देखा गया। विभिन्न देशों के मौद्रिक आंकड़े (आईएमएफ 2020) दर्शाते हैं कि चलन में मुद्रा में वृद्धि, जो विशेष रूप से ब्राज़ील, चिली, भारत, रूस और तुर्की में काफी अधिक थी, इसे यूएस, स्पेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं, जहां नकदी का उपयोग कम होता है, में भी देखा गया (चार्ट 1)। इन देशों में चलन में मुद्रा में हुई वृद्धि इनके केंद्रीय बैंकों के द्वारा चलनिधि उपलब्ध कराने संबंधी उपायों के साथ-साथ देखी गई। वे भी कोविड-19 के चलते एहतियातन नकदी के संग्रह से प्रभावित थे।

चार्ट I: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में माह-दर-माह मुद्रा संचलन में घट-बढ़ (जनवरी-जून 2020)




स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, आईएमएफ

साथ ही साथ, उपर्युक्त वर्णित अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक अनिश्चितता सूचकांक (डबल्यूआईआई) और वैश्विक महामारी अनिश्चितता सूचकांक (डबल्यूपीआईआई) 2020 की पहली तिमाही के दौरान उच्च रहा (चार्ट 2 और 3)। बढ़ती अनिश्चितता जहां धन का निवेश करने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए व्यापारियों की इच्छा को कम करती है, वहीं दूसरी ओर यह उपभोक्ता की खर्च करने की शक्ति को कम करती है (अहिर, एत अल. 2020)।

भारत में 13 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 से प्रभावित मामलों के बढ़ने से


जमाराशियों की वृद्धि में गिरावट, जो फरवरी 2020 से शुरू हो गई थी, काफी अधिक बढ़ गई, जो आवश्यक रूप से अत्यधिक अनिश्चितता के तहत “डैश टू कैश” को दर्शाती है (चार्ट 4)। साथ ही साथ, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (सीडबल्यूपी) में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 28 फरवरी 2020 के 11.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में 14.5 प्रतिशत तथा जून 19 में बढ़कर 21.3 प्रतिशत पर आ गई। इसके विपरीत, बैंक ऋण जो वर्ष के दौरान निरंतर मंद रहा, गतिविधियों के स्तरों में तेजी से संकुचन के बावजूद कोविड-19 प्रकोप के मध्य व्यापक तौर पर स्थिर बना हुआ है।

चार्ट 2 : वैश्विक अनिश्चितता सूचकांक




स्रोत: <https://worlduncertaintyindex.com/data/> से लिए गए आंकड़े।

चार्ट 3 : वैश्विक महामारी अनिश्चितता सूचकांक




स्रोत: <https://worlduncertaintyindex.com/data/> से लिए गए आंकड़े।

(जारी...)



इन गतिविधियों को दर्शाते हुए, ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात जनवरी 2020 के अंत के 75.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में 76.4 प्रतिशत हो गया जो कि लेन-देनों के लिए नकदी की मांग में बढ़ोतरी के कारण था, क्योंकि डिजिटल भुगतान में कमी आ गई थी। कोविड-19 से उत्पन्न



अनिश्चितता से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मुख्य रूप से जमाराशियों में तीव्र वृद्धि से मार्च 2020 के बाद सुगमता आई (चार्ट 5)।

संदर्भ : अहिर, एच.; ब्लूम, एन और फुरसरी, डी (2020)। '60 ईयर्स ऑफ अनसरटेनिटी', फाइनेंस एंड डेवलपमेन्ट, मार्च।

उत्पादों तथा विनिर्माण में इसका प्रवाह कम हो गया। खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी धातु और धातु उत्पादों तथा इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण वृद्धि कम हो गई (सारणी II.3.2 एवं चार्ट II.3.22 ए)।

II.3.24 वर्ष 2019-20 के दौरान इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण वृद्धि कम हो गई जो प्रमुख रूप से विद्युत क्षेत्र द्वारा ऑफटेक में कटौती तथा सड़क और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह में गिरावट के कारण थी। सेवा क्षेत्र के लिए ऋण में तेजी से गिरावट आई जो मुख्य रूप से एनबीएफसी के लिए ऋण में मंदी और इस क्षेत्र की सेहत से संबंधित चिंताओं के कारण थी। व्यापार क्षेत्र के लिए भी क्रेडिट में तेजी से गिरावट आई। वैयक्तिक ऋण में वृद्धि मामूली रूप से कम हो गई। आवासीय ऋण, जिसमें वैयक्तिक ऋणों का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल है, में भी क्रेडिट कार्ड बकाया के साथ-साथ मामूली गिरावट आई। हालांकि, वर्ष के दौरान वाहन ऋणों की वृद्धि में तेजी रही।

II.3.25 मार्च 2020 के अनुसार, गैर-खाद्य ऋण (एनएफसी) वृद्धि पिछले वर्ष के 12.3 प्रतिशत से गिरकर 6.7 पर आ गई

। बैंक समूहों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में ऋण वृद्धि पिछले एक वर्ष के 10.2 प्रतिशत से तेजी से गिरकर मार्च 2020 में 3.4 प्रतिशत पर आ गई जो हानिग्रस्त आस्तियों वाले तुलन-पत्र में दबाव को दर्शाती है। निजी क्षेत्र के बैंकों में भी ऋण वृद्धि पिछले एक वर्ष के 17.5 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2020 में 13.9 प्रतिशत पर आ गई जो प्रमुख रूप से सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि में गिरावट के कारण थी (चार्ट II.3.22ए तथा चार्ट II.3.22बी)।

II.3.26 निष्कर्षतः, जहां 2019-20 में शुरू से अंत तक मौद्रिक और ऋण स्थितियाँ मंद रहीं, वहीं कोविड-19 के चलते सकल जमा में गिरावट के साथ-साथ मुद्रा की मांग में असामान्य वृद्धि हुई। सभी बड़े क्षेत्रों में गिरावट के साथ, वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि कमजोर रही। रिज़र्व बैंक ने प्रणाली-स्तर की चलनिधि को बढ़ाने के लिए परंपरागत और अपरंपरागत उपायों के माध्यम से चलनिधि स्थितियों का सक्रिय होकर प्रबंधन किया। आगे चलकर, नीतिगत दरों में कटौती के साथ अधिशेष चलनिधि

सारणी II.3.2: चुनिंदा क्षेत्रों को क्रेडिट अभिनियोजन

क्षेत्र	27 मार्च 2020 की स्थिति अनुसार बकाया (₹ करोड़ में)	वर्ष -दर-वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)		
		2018-19*	2019-20#	2020-21##
1	2	3	4	5
खाद्येतर क्रेडिट (1 से 4)	92,11,544	12.3	6.7	6.7 (11.1)
1. कृषि और अनुषंगी गतिविधियाँ	11,57,795	7.9	4.2	2.4 (8.7)
2. उद्योग(सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	29,05,151	6.9	0.7	2.2 (6.4)
2.1. सूक्ष्म और लघु	3,81,825	0.7	1.7	-3.7 (0.6)
2.2. मध्यम	1,05,598	2.6	-0.7	-9.0 (2.2)
2.3. बड़े	24,17,728	8.2	0.6	3.7 (7.6)
(i) इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें से:	10,53,913	18.5	-0.2	4.2 (15.2)
(ए) ऊर्जा	5,59,774	9.5	-1.6	0.9 (9.7)
(बी) दूरसंचार	1,43,760	36.7	24.4	36.8 (20.9)
(सी) सड़क	1,90,676	12.2	2.0	4.7 (14.6)
(ii) रसायन और रासायनिक उत्पाद	2,02,949	17.5	6.0	3.1 (11.1)
(iii) मूलधातु और धात्विक उत्पाद	3,50,325	-10.7	-5.7	-0.5 (-10.3)
(iv) खाद्य प्रसंस्करण	1,54,146	1.1	-1.9	4.2 (1.2)
3. सेवाएँ	25,94,945	17.8	7.4	10.7 (13.0)
4. वैयक्तिक ऋण	25,53,652	16.4	15.0	10.5 (16.6)
5. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	28,97,461	7.3	5.8	1.9 (10.2)

*: मार्च 2018 की तुलना में मार्च 2019

#: मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020

##: जून 2019 की तुलना में जून 2020

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।


2. कोष्ठक में दिए गए अंक जून 2018 की तुलना में जून 2019 की संवृद्धि को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई

स्थितियों से आत्मविश्वास बढ़ने, वित्तीय स्थितियों को सुगम बनाने और सस्ती दरों पर निधियों के प्रवाह को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है जिससे निवेश को पुनः


जगाया जा सके और जैसे ही कोविड-19 का प्रभाव समाप्त हो और अर्थव्यवस्था सुधार के साथ पटरी पर आए, मजबूत दीर्घजीवी वृद्धि की नींव रखी जा सके।

चार्ट II.3.22: खाद्येतर बैंक ऋण संवृद्धि का क्षेत्रवार अभिनियोजन



नोट: डाटा अनंतिम है।

स्रोत: आरबीआई



II.4 वित्तीय बाज़ार

II.4.1 वर्ष 2019 की अधिकतम अवधि तथा वर्ष 2020 की शुरुआत के दौरान उत्साहपूर्ण कारोबार करने वाले वैश्विक वित्तीय बाजारों ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण सभी आस्ति वर्गों ने सस्ते दामों पर बिकवाली का सामना किया। अस्थिरता असामान्य रूप से उच्च स्तर पर चली गई जो वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के दौरान देखी गई अस्त-व्यस्तता की याद दिलाती है। सुरक्षित आश्रय की तालाश में निवेशकों ने यूएस डॉलर पोजीशन का सहारा लिया जिसके परिणामस्वरूप लगभग सभी अन्य मुद्राओं का मूल्यहास हुआ। भारी बिकवाली के कारण बॉण्ड प्रतिफलों में कठोरता आई, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्रीय बैंक की त्वरित कार्रवाई, जिसमें नीतिगत दरों में व्यापक कमी तथा बड़ी मात्रा में चलनिधि अंतर्वेशन सहित राजकोषीय उपाय शामिल हैं, ने रुख को शांत किया।

II.4.2 वैश्विक बाजारों के अनुरूप भारतीय इक्विटी बाज़ार भी कोविड-19 के प्रकोप के कारण तेजी से गिरा। सितंबर 2019 में कॉरपोरेट कर में कमी की घोषणा के बाद इसमें अच्छी बढ़ोतरी हुई तथा यूएस-चीन व्यापार संबंधी बातचीत एवं एक सुव्यवस्थित ब्रेक्जिट की संभावना की बुनियाद पर जनवरी 2020 में इसने बढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया। तथापि, यूएस और ईरान के बीच भू-राजनैतिक तनावों के बढ़ने, घरेलू वृद्धि की कमजोर प्रत्याशाओं तथा उच्च मुद्रास्फीति वाली अपेक्षाओं के कारण यह सकारात्मक चाल अवरोधित हुई। कोविड-19 के कारण मार्च-2020 में रुख में अचानक बदलाव आया। पहली तीन तिमाहियों के दौरान कमजोर करने वाले झुकाव सहित सीमित दायरे में दोतरफा उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करने के पश्चात वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान इक्विटी एवं ऋण बाज़ार दोनों से बड़ी मात्रा में पूंजी बहिर्वाह के कारण भारतीय रुपये का मूल्य गिरकर सबसे निचले स्तर पर चला गया। मुद्रा बाज़ार में, जैसा कि उप-धारा 2 में वर्णित है, एक दिवसीय मुद्रा बाज़ार दरों (एक दिवसीय मुद्रा, त्रिपक्षीय रिपो तथा बाज़ार रिपो) को मुख्यतः नीतिगत दरों के अनुरूप रखा गया था, तथापि इनका झुकाव नीचे की ओर था तथा ये रिज़र्व बैंक के अग्रसक्रिय चलनिधि प्रबंधन द्वारा प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियों से रोधित थीं। वर्ष

2019-20 के दौरान, जैसा कि उप-धारा 3 में चर्चा की गई है, बॉण्ड प्रतिफलों में उल्लेखनीय नरमी आई जो वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान आम चुनाव के परिणाम, नीतिगत दरों में कमी, रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि के अंतर्वाह एवं राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने की संभावना से मिले सकारात्मक रुख द्वारा प्रारंभिक रूप से समर्थित थे। वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान विशेष ओएमओ की नीलामी, यूएस राजकोषीय प्रतिफलों में नरमी, कच्चे तेल की कीमतों में कमी तथा कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए 27 मार्च 2020 को व्यापक चलनिधि उपायों की घोषणा के कारण आगे प्रतिफलों में नरमी आई। उप-धारा 4 कॉरपोरेट बॉण्ड बाज़ार की गतिविधियों को समाहित करता है जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिफलों में नरमी आई जो वर्ष के दूसरे भाग में एमपीसी द्वारा, मुख्यतः विशेष ओएमओ एवं दीर्घावधि रिपो परिचालनों (एलटीआरओ) के माध्यम से, की गई नीतिगत दरों में कमी तथा प्रणालीगत चलनिधि के अंतर्वाह को दर्शाता है। उप-धारा 5 घरेलू इक्विटी बाज़ार की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है, जिसके बाद उप-धारा 6 में विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार में भारतीय रुपये के उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है। यह धारा कतिपय भावी परिदृश्य को शामिल करते हुए समाप्त होता है।

2. मुद्रा बाज़ार


II.4.3 वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्यतः पहली छमाही में, मुद्रा बाज़ार सामान्यतः स्थिर रहा। वर्ष की दूसरी छमाही में, कोविड-19 के प्रकोप के कारण मुख्यतः मार्च 2020 में, उतार-चढ़ाव के थपेड़ों ने इस स्थिरता को भंग किया।

II.4.4 वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान जून 2019 की शुरुआत में चलनिधि की स्थिति धीरे-धीरे घाटे की अवस्था से बाहर आ गई। रिज़र्व बैंक ने चलनिधि के अनेक परंपरागत उपायों, अर्थात् सीआरआर में कमी और दैनिक रख-रखाव अपेक्षाओं में नरमी, विभिन्न अवधि के परिवर्ती और सावधि दर रिपो/रिवर्स रिपो तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के साथ-साथ विभिन्न अपरंपरागत उपायों सहित दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ), लक्ष्यित दीर्घावधि रिपो परिचालन

(टीएलटीआरओ), वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण व्यवस्था तथा म्यूच्युअल फंड (एमएफ) के लिए एक विशेष चलनिधि सुविधा, तक पहुँच सुनिश्चित करके प्रतिरोधक तरलता की स्थितियों का अग्रसक्रियता से प्रबंधन किया।

II.4.5 वर्ष के दौरान, अरक्षित अंतर-बैंक मांग बाज़ार में भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) झुकाव वाली प्रवृत्ति के साथ नीतिगत रिपो दर के अनुरूप बनी रही (चार्ट II.4.1)। वर्ष की अधिकतम अवधि में बैंकिंग क्षेत्र में अधिशेष चलनिधि की स्थिति बनी रहने के कारण नीतिगत दर की तुलना में डब्ल्यूएसीआर का औसत समग्र स्प्रेड वर्ष 2018-19 के 9 बीपीएस से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 11 बीपीएस हो गया।

II.4.6 मांग मुद्रा क्षेत्र में अस्थिरता, जिसे डब्ल्यूएसीआर के परिवर्तन¹⁸ के गुणांक द्वारा मापा गया है, पिछले वर्ष के 3.40 की तुलना में वर्ष 2019-20 में बढ़कर 7.55 हो गई, जो चलनिधि की स्थितियों में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। त्रिपक्षीय रिपो और बाज़ार रिपो दरें, दोनों औसतन 22 बीपीएस तक, डब्ल्यूएसीआर के नीचे बनी रहीं।




II.4.7 मुद्रा बाज़ार (मांग मुद्रा, त्रिपक्षीय रिपो तथा बाज़ार रिपो एक साथ) में औसत दैनिक मात्रा 16 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018-19 के ₹2,09,152 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान ₹2,42,658 करोड़ हो गई। त्रिपक्षीय रिपो और बाज़ार रिपो क्षेत्रों की मात्रा में क्रमशः 24 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। समग्र मुद्रा बाज़ार की मात्रा में त्रिपक्षीय रिपो और बाज़ार रिपो क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 के 64 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 में क्रमशः 68 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान, मांग मुद्रा क्षेत्र में औसत दैनिक मात्रा 17 प्रतिशत तक घटकर ₹16,558 करोड़ हो गयी जिसके कारण बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 9 प्रतिशत से घटकर 7 प्रतिशत हो गयी। कोविड-19 के बावजूद, रक्षित और अरक्षित दोनों मुद्रा बाज़ारों में ट्रेड की गई मात्रा में हाल के महीनों में बढ़ोतरी हुई।

II.4.8 वर्ष 2019-20 के दौरान, दीर्घावधि मुद्रा बाज़ार लिखतों, अर्थात् 91-दिवसीय खाजाना बिलों (टी-बिल), जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) एवं वाणिज्यिक पत्रों (सीपी), पर ब्याज दरें सामान्यतः नीतिगत रिपो दर के अनुरूप रहीं। टी-बिल दरों के मुकाबले सीडी दरों का स्प्रेड दूसरी तिमाही के 39 बीपीएस की तुलना में वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में संकुचित होकर 21 बीपीएस हो गया; तथापि, कोविड-19 के प्रकोप तथा हमेशा की तरह 'ईयर एन्ड बैलेंस शीट' परिदृश्य के कारण चौथी तिमाही में यह बढ़कर 48 बीपीएस हो गया (चार्ट II.4.2)।

II.4.9 प्राथमिक बाज़ार में नए सीडी का निर्गमन पिछले वर्ष के ₹5.65 लाख करोड़ की तुलना में घटकर वर्ष 2019-20 के दौरान ₹3.88 लाख करोड़ हो गया। प्राथमिक बाज़ार में सीपी के नए निर्गम वर्ष 2018-19 के ₹25.96 लाख करोड़ की तुलना में घटकर वर्ष 2019-20 में ₹21.95 लाख करोड़ हो गए। चूकों से पैदा हुए वर्धित जोखिम बोध एवं कुछ एनबीएफसी की रेटिंग में की गई कमी के कारण प्राथमिक सीपी बाज़ार में भारित औसत बट्टा दर वर्ष 2019 के सितंबर माह से अक्टूबर-मध्य तक बढ़े रहे। तथापि, वर्ष 2020 के मार्च-अंत में यह आंशिक रूप से

¹⁸ भिन्नता का गुणांक माध्य के मानक विचलन के अनुपात के रूप में मापा जाता है और इसकी कोई इकाई नहीं होती है।

चार्ट II.4.2: 3-माह टी-बिल दर की तुलना में 3-माह सीपी एवं सीडी दर का स्प्रेड



बढ़कर 6.15 प्रतिशत पर कायम होने के पहले, वर्ष 2020 के फरवरी-अंत तक, जैसे ही जोखिम कम हुआ, 10 बीपीएस नरम होकर 5.78 प्रतिशत हो गया था।

3. सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार

II.4.10 रिज़र्व बैंक द्वारा बाज़ार की उम्मीद के विपरीत तटस्थ मौद्रिक नीति अपनाने, कच्चे तेल की कीमतों के लगातार बढ़े रहने, ईरान से आयात बंद करने और लिबिया एवं वेनेजुएला में आपूर्ति रोकने की यूएस की घोषणा तथा भारतीय रुपये (आईएनआर) के मूल्यहास के कारण अप्रैल 2019 में जी-सेक प्रतिफलों में बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही की शेष अवधि में बेंचमार्क जी-सेक प्रतिफल, सामान्य चुनाव के परिणाम, रिज़र्व बैंक से चलनिधि के अंतर्वाह तथा कच्चे तेल की न्यूनतर कीमत से सकारात्मक संकेत लेते हुए, 47 बीपीएस तक नरम हुआ। आगे, 06 जून 2019 को नीतिगत रिपो दर में 25 बीपीएस की कमी करते हुए इसे 5.75 प्रतिशत करने के साथ-साथ नीतिगत रुख को तटस्थ से निभावकारी बनाने के एमपीसी के निर्णय ने बाज़ार के रुख में उछाल लाया। नए 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूति पर प्रतिफल, समय-समय पर होने वाली कुछ


तेजी के साथ, वर्ष 2019 के मार्च-अंत में 7.35 प्रतिशत से नरम होकर 29 जून 2019 को 6.88 प्रतिशत हो गया।

II.4.11 वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में 20 बीपीएस की कमी, यदि अगस्त और सितंबर 2019 में कुछ बढ़ोतरी को छोड़ दिया जाए, के साथ जी-सेक प्रतिफलों में नरमी जारी रही। रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में 35 बीपीएस की कमी, जो अपेक्षा से कहीं अधिक थी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) पर अधिभार को वापस लेने तथा रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षा से अधिक अधिशेष के अंतरण के बावजूद प्रतिफल में क्रमशः 19 एवं 14 बीपीएस की बढ़ोतरी के साथ बाज़ार में भागीदारी करने वाले अगस्त और सितंबर में सजग रहे जिसका कारण सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हमला के क्रम में राजकोषीय गिरावट एवं भू-राजनैतिक तनावों से संबंधित चिंताएं थीं।

II.4.12 वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में, दिसंबर 2019 के पहले पखवाड़े में बढ़ोतरी के पहले, अक्टूबर-नवंबर 2019 के दौरान जी-सेक प्रतिफल एक सीमित दायरे में रहे। प्रारंभ में, केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति के प्रति बाज़ार का रुख तनावपूर्ण होने तथा यूएस राजकोषीय प्रतिफलों में बढ़ोतरी के कारण 07 अक्टूबर 2019 को जारी नए 10 वर्षीय बेंचमार्क (6.45 प्रतिशत जीएस 2029) पर प्रतिफल 05 दिसंबर (एमपीसी ने रिपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया) की मौद्रिक नीति घोषणा के दिन 6.46 प्रतिशत (प्रारंभिक प्रतिफल) से 34 बीपीएस बढ़कर 16 दिसंबर 2019 को 6.80 प्रतिशत हो गया। तथापि, 19 दिसंबर को विशेष ओएमओ संचालित करने के रिज़र्व बैंक के निर्णय के परिणामस्वरूप बेंचमार्क प्रतिफल में 5 बीपीएस (16 दिसंबर 2019 की स्थिति की तुलना में) की गिरावट आई। समग्र रूप से, वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में जी-सेक प्रतिफल में 11 बीपीएस की गिरावट आई (चार्ट II.4.3)।

II.4.13 वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान प्रतिफलों ने नरमी वाले रुख के साथ ट्रेड किया जो रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष ओएमओ की खरीद, एफपीआई के लिए चुनिंदा प्रतिभूतियों को संपूर्ण रूप से खोलने, सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त उधार नहीं

चार्ट II.4.3: जीरो कूपन पर आधारित जी-सेक प्रतिफल कर्व



स्रोत: एफबीआईएल

लेने तथा रिजर्व बैंक द्वारा एलटीआरओ की घोषणा, द्वारा समर्थित था। कोविड-19 के प्रकोप और कच्चे तेल की न्यूनतर कीमतों के परिणामस्वरूप जोखिम विमुखता के कारण वैश्विक बॉण्ड प्रतिफलों में गिरावट के फलस्वरूप प्रतिफलों ने गिरावट वाले रुख के साथ ट्रेड किया। तथापि, वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के दूसरे भाग के दौरान सुरक्षित होने की होड़ के बीच एफपीआई की लगातार बिकवाली के कारण प्रतिफलों में बढ़ोतरी हुई। इसके पश्चात, कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कई नीतिगत उपायों की घोषणा के क्रम में जी-सेक प्रतिफलों में सुधार पुनः शुरू हुआ। वर्ष 2019-20 के अंत में 10 वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक का प्रतिफल 6.14 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो रिजर्व बैंक के परिचालन के प्रभाव को प्रदर्शित करता है (बॉक्स II.4.1)।

बॉक्स II.4.1

वित्तीय बाज़ार पर रिजर्व बैंक के विशेष परिचालनों के प्रभाव

स्वानसन, एवं अन्य, (2011) का अनुसरण करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विशेष ओएमओ की घोषणा के दिन के आस-पास 'ऑपरेशन ट्विस्ट' (ओटी) के रूप में एक उच्चस्तरीय बारंबारता घटना अध्ययन विश्लेषण किया गया। जी-सेक प्रतिफलों में एक दिन के परिवर्तन की गणना घोषणा की तारीख और अगले ट्रेडिंग दिवस के बीच की गई क्योंकि इन घोषणाओं से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति को वित्तीय बाजारों में कारोबार बंद होने के पश्चात रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। सांख्यिकीय महत्व को, जिस महीने में ये घोषणाएं की गईं उसके पहले के एक वर्ष की अवधि में समान आकार के विंडो

में समरूपी दर परिवर्तनों को बिना शर्त वाले मानक विचलन के सापेक्ष, मापा जाता है (सारणी 1)। इसका परिणाम इंगित करता है कि दिसंबर 2019 में रिजर्व बैंक द्वारा की गई ओटी घोषणाओं का 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफलों पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा था।

10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल पर ओटी का गत्यात्मक प्रभाव लोकल लीनियर प्रोजेक्शन (एलएलपी) मॉडल को लागू करने पर प्राप्त होता है जो 05 दिसंबर 2019 के मौद्रिक नीति घोषणा के आलोक में प्रतिफल की दिशा के संबंध में पूर्वानुमान बतलाता है। एलएलपी मॉडल वर्ष 2014 से 2019 के बीच की मौद्रिक नीति घोषणाओं में 'बड़े आश्चर्य' का पता लगाने के लिए ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) दरों तथा लॉएड (2018) और दास एवं अन्य (2020) द्वारा प्रतिपादित रणनीति का प्रयोग करता है और वैसी 'बड़े आश्चर्य' वाली घोषणाओं के प्रति प्रतिफलों के असर से संबंधित प्रतिक्रिया को उपलब्ध कराता है। समग्र रूप से, वर्ष 2014 से 2019 के बीच वैसी बीस 'बड़े आश्चर्य' वाली नीतियों की पहचान की गई, जिसमें 05 दिसंबर 2019 की नीतिगत घोषणा शामिल है। तब, इस पूर्वानुमान पथ की तुलना प्रतिफल की दिशा से की जाती है (चार्ट 1)। इसका परिणाम बताता है कि 10 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल दिसंबर 2019 में की गई 'दो ओटी घोषणाओं के अभाव में उच्चतर होते।

सबसे पहले रिजर्व बैंक द्वारा विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य (06 फरवरी 2020) में एलटीआरओ संचालित करने की इच्छा व्यक्त की गई।

(जारी....)


सारणी 1: घोषणा के दिन सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल पर ऑपरेशन ट्विस्ट की घोषणाओं का प्रभाव

1-दिवसीय बदलाव	10-वर्ष बेंचमार्क
1	2
दिसम्बर 19, 2019- दिसम्बर 20, 2019	-13**
दिसम्बर 26, 2019- दिसम्बर 27, 2019	-8*
जनवरी 2, 2020- जनवरी 3, 2020	0
जनवरी 16, 2020- जनवरी 17, 2020	0
अप्रैल 23, 2020- अप्रैल 24, 2020	0
जून 29, 2020- जून 30, 2020	-2
संचयी सभी पाँच घोषणाएँ (बीपीएस में)	-23**

*: 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण

**: 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान



जून 2020 तक रिजर्व बैंक द्वारा एलटीआरओ की कुल आठ घोषणाएं की गईं जिनमें से पांच लक्षित एलटीआरओ घोषणाएं थीं। एलटीआरओ के अंतर्गत चयनित प्रतिभूतियों के प्रतिफल में परिवर्तन का विश्लेषण किया गया (सारणी 2)। इसके परिणाम यह दर्शाते हैं कि एलटीआरओ घोषणाओं के प्रभाव के कारण 3-वर्षीय और 1-वर्षीय जी-सेक प्रतिफलों में कमी हुई।

संदर्भ:

- लॉयड, साइमन पी। (2018)। 'ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप मार्केट-वेस्ट मेजर्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेडनेस', बैंक ऑफ इंग्लैंड स्टाफ वर्किंग पेपर नंबर 709।
- स्वानसन, ई. टी., रेचलिन, एल., एंड राइट, जे. एच. (2011)। 'लेट्स ट्विस्ट अगेन: ए हाई-फ्रीक्वेंसी इवेंट-स्टडी एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन

सारणी 2: सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल पर एलटीआरओ का प्रभाव

घोषणाओं के प्रति अनुमानित प्रतिक्रियाएं (आधार अंकों में)	3-वर्ष सरकारी प्रतिभूति	1-वर्ष सरकारी प्रतिभूति
1	2	3
3- दिवसीय बदलाव, फरवरी 5, 2020 – फरवरी 10, 2020	-27.9*	-8.5
1- दिवसीय बदलाव, फरवरी 25, 2020 – फरवरी 26, 2020	-5.3	-1.9
1- दिवसीय बदलाव, मार्च 16, 2020 – मार्च 17, 2020	6.8	11.1*
2- दिवसीय बदलाव, मार्च 26, 2020 – मार्च 30, 2020#	-25.3*	-19.0*
1- दिवसीय बदलाव, मार्च 30, 2020 – मार्च 31, 2020#	-0.4	-14.4*
1- दिवसीय बदलाव, अप्रैल 3, 2020 – अप्रैल 7, 2020#	8.2	-3.5
1- दिवसीय बदलाव, अप्रैल 15, 2020 – अप्रैल 16, 2020#	-9.0	-2.0
2- दिवसीय बदलाव, अप्रैल 16, 2020 – अप्रैल 20, 2020#	-37.6*	-23.8*
संचयी सभी घोषणाएं (आधार अंकों में)	-90.5*	-62.0*

*: 1 प्रतिशत के रूप में महत्वपूर्ण # लक्षित एलटीआरओ तारीख

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

ट्विस्ट एंड इट्स इंप्लिकेशन्स फॉर क्यूरी 2' [विथ कमेंट एंड डिस्कशन], बुकिंग्स पेपर्स ऑफ इकॉनॉमिक एक्टिविटी, 151-207।

- दास, एसा, घोष, एसा, एंड कामते, वी. (2020), 'मोनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स: ट्विस्ट एंड टांगों', रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, वॉल्यूम LXXIV(8), 41-50.

II.4.14 एफपीआई की सीमाओं को मीडियम-टर्म फ्रेमवर्क (एमटीएफ)¹⁹ के अंतर्गत छमाही आधार पर संशोधित किया जाता है जिसका उद्देश्य एफपीआई के माध्यम से निवेश के लिए अधिक पूर्वानुमेय व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। तदनुसार, राज्य विकास ऋण (एसडीएल) सहित जी-सेक में एफपीआई के लिए निवेश सीमाएं चरणबद्ध तरीके से 06 अप्रैल 2018 के ₹3,27,900 करोड़ से बढ़ाकर 01 अप्रैल 2019 को ₹3,95,200 करोड़ कर दी गई। 01 अक्टूबर 2019 की स्थिति के अनुसार

यह सीमा बढ़ाकर ₹4,29,500 करोड़ कर दी गई। वर्ष 2019 के अप्रैल-दिसंबर माह में एफपीआई ने जी-सेक और एसडीएल में ₹23,522 करोड़ का निवेश किया, जबकि वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में उनके द्वारा ₹57,348 करोड़ की निकासी की गई, जिसका परिणाम वर्ष 2019-20 के दौरान समग्र रूप से निवल बहिर्वाह रहा। इस बहिर्वाह के बारे में चौथी तिमाही, मुख्यतः मार्च 2020 में जब ₹48,279 करोड़ का बहिर्वाह देखा गया, में स्पष्ट किया गया जो कोविड-19 के प्रकोप द्वारा हताहत

¹⁹ कर्ज प्रतिभूतियों एफपीआई सीमाओं के लिए मध्य अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) को अक्टूबर 2015 में अंतिम रूप दिया गया था जिससे की एफपीआई के लिए एक अधिक पूर्वानुमेय व्यवस्था बनाई जा सके। एफटीएफ के तहत केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) में एफपीआई की सीमाएं विभिन्न चरणों में बढ़ाई गई जिससे कि यह मार्च 2018 तक बकाया स्टॉक के 5 प्रतिशत तक पहुँच जाए। राज्य विकासात्मक ऋण (एसडीएल) के मामले में, यह सीमा मार्च 2018 तक चरणबद्ध तरीके से बकाया स्टॉक का 2 प्रतिशत तय की गई। अप्रैल 2018 में इस सीमा की समीक्षा की गई तथा जी-सेक में एफपीआई निवेश की सीमा को प्रति वर्ष 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 5.5 प्रतिशत एवं 2019-20 में 6.0 प्रतिशत कर दिया गया। एसडीएल में एफपीआई की सीमा में बदलाव नहीं किया गया एवं यह प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 2.0 प्रतिशत बना रहा। कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश की सीमा 2019-20 के लिए बकाया स्टॉक का 9 प्रतिशत थी। जी-सेक और एसडीएल में एफपीआई निवेश की सीमाएं क्रमशः 2020-21 के लिए प्रतिभूतियों के बकाया शेयरों के 6 प्रतिशत और 2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहीं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई के निवेश की सीमा को 2020-21 के लिए बकाया स्टॉक के 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष के प्रारम्भ में जी-सेक, एसडीएल और कॉर्पोरेट बॉन्ड की संशोधित की गई प्रत्यक्ष सीमा अप्रैल-सितंबर और अक्टूबर-मार्च की छमाही के लिए निर्धारित की गई है।


उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की स्थिति के अनुरूप थी। इसलिए, कुल उपलब्ध सीमा (एसडीएल में निवेश सहित) का एफपीआई द्वारा किए गए उपयोग में पिछले वर्ष के 54.1 प्रतिशत की अपेक्षा 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार 37.5 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई थी कि जी-सेक की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को घरेलू निवेशकों के समान अनिवासी निवेशकों के लिए भी पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। तदनुसार, सरकार से परामर्श करके एक अलग मार्ग, अर्थात् जी-सेक में अनिवासियों, एफपीआई सहित, द्वारा निवेश के लिए पूर्णतः अभिगम्य मार्ग (एफएआर), की शुरुआत 01 अप्रैल 2020 से की गई। एफएआर के अंतर्गत पांच जी-सेक को योजना के प्रभावी होने की तारीख से पात्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 से जारी किए गए 5 वर्षीय, 10 वर्षीय तथा 30 वर्षीय अवधि वाले जी-सेक के सभी नए निर्गम 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में एफएआर के अंतर्गत निवेश के लिए पात्र होंगे।

4. कॉरपोरेट ऋण बाज़ार

11.4.15 कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफलों ने अधिकतर जी-सेक प्रतिफलों को ट्रैक किया। 5 वर्षीय एएए रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉण्ड का प्रतिफल वर्ष 2019-20 के दौरान नरम हुआ जो नीतिगत रिपो दर में कमी, प्रणालीगत चलनिधि की अधिशेष वाली स्थितियों तथा वर्ष के दूसरे भाग के दौरान किए गए विशेष ओएमओ एवं एलटीआरओ नीलामियों के प्रभाव को दर्शाता है। तथापि, एक बड़े निजी बैंक में आपात वाली स्थिति पैदा होने तथा कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में प्रतिफलों ने थोड़ी वृद्धि दर्ज की। 12 मार्च से 25 मार्च 2020 की अवधि के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल तथा वित्तीय स्थितियों के खराब होने के कारण 5 वर्षीय एएए रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में 72 बीपीएस तक की बढ़ोतरी हुई। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न वित्तीय उपायों की घोषणा एवं नीतिगत दर में की गई बड़ी कमी द्वारा इनका समाधान किया गया था। समग्र रूप से, वर्ष 2019-20 के दौरान 5 वर्षीय एएए रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉण्ड का प्रतिफल 108 बीपीएस नरम होकर 7.02 प्रतिशत हो गया।

11.4.16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), वित्तीय संस्थाओं (एफआई) एवं बैंकों, एनबीएफसी तथा कॉरपोरेट द्वारा जारी बॉण्ड पर जोखिम प्रीमियम अथवा स्प्रेड (5 वर्षीय जी-सेक प्रतिफल की तुलना में 5 वर्षीय एएए रेटिंग वाले बॉण्ड प्रतिफल) में क्रमशः 58 बीपीएस, 34 बीपीएस एवं 14 बीपीएस तक की गिरावट आई। कॉरपोरेट बॉण्ड बाज़ार में औसत दैनिक कारोबार पिछले वर्ष के ₹7,587 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 के दौरान ₹8,532 करोड़ हो गया (चार्ट 11.4.4)।

11.4.17 प्रतिफलों में नरमी ने कॉरपोरेट कंपनियों को कॉरपोरेट बॉण्ड बाज़ार, मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, से संसाधन संचारित कराने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके कारण प्राथमिक कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम वर्ष 2019-20 के दौरान 6.6 प्रतिशत बढ़कर ₹6.9 लाख करोड़ हो गए। कॉरपोरेट कंपनियों के लिए निजी स्थानन पसंदीदा विकल्प बने रहे जो बॉण्ड बाज़ार के माध्यम से जुटाए गए कुल संसाधनों का 97.8 प्रतिशत हिस्सा थे। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए न्यूनतर लागत पर वित्तपोषण के लिए वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने हेतु तथा अधिक खुदरा भागीदारी के साथ निवेशक आधार के विविधीकरण के लिए भारत सरकार (जीओआई) ने दिसंबर 2019 में भारत बॉण्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की



शुरुआत की – जो भारत में कॉरपोरेट बॉण्ड के लिए पहला ईटीएफ है – जिसके तहत ₹12,395 करोड़ जुटाए गए थे। बकाया कॉरपोरेट बॉण्ड वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.1 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020 के मार्च-अंत में ₹32.5 लाख करोड़ अथवा जीडीपी का 16.0 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019 के मार्च-अंत के ₹2.19 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2020 के मार्च-अंत तक कॉरपोरेट बॉण्ड में एफपीआई द्वारा निवेश घटकर ₹1.73 लाख करोड़ हो गया। परिणामस्वरूप, अनुमोदित सीमा का एफपीआई द्वारा उपयोग वर्ष 2019 के मार्च-अंत के 75.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2020 के मार्च-अंत में घटकर 54.5 प्रतिशत हो गया।

5. इक्विटी बाजार


11.4.18 भारतीय इक्विटी बाजार ने 14 जनवरी 2020 को सर्वाधिक उंचाई को छुआ, जिसके बाद वह नीचे जाने लगा और वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्यतः कोविड-19 के प्रकोप के बाद, अपने अभिलाभ को ठीक किया। अस्थिरता असामान्य रूप से उच्च स्तर पर चली गई। समग्र रूप से, बीएसई सूचकांक और निफ्टी 50 में वर्ष 2019 के मार्च अंत तक क्रमशः 23.8 प्रतिशत एवं 26.0 प्रतिशत की अचानक गिरावट हुई। 31 मार्च 2020 को

64.4 प्रतिशत पर बंद होने के पहले इंडिया VIX में, जो निफ्टी 50 की अल्पकालिक अस्थिरता को दर्ज करता है, जीएफसी के दौरान 85.1 प्रतिशत की तुलना में 24 मार्च 2020 को 83.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई (चार्ट 11.4.5)।


11.4.19 वर्ष के आरंभ में बीएसई सूचकांक में मामूली तेजी आई थी परंतु कमजोर कॉर्पोरेट आय तथा यूएस और चीन के बीच गहराते व्यापार तनावों के कारण उसमें मई 2019 की शुरुआत में ही गिरावट आ गई। हालांकि, एक स्थिर सरकार की संभावनाओं और रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में और नरमी लाने की अपेक्षाओं से बाजार प्रत्याशा में उछाल आया जिससे जून 2019 को बीएसई सूचकांक 40,000 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, यह तेजी क्षणिक साबित हुई क्योंकि एक आवास वित्त कंपनी द्वारा चूक करने के कारण जून 2019 में एनबीएफसी क्षेत्र में चलनिधि संबंधी चिंताएं बढ़ गईं जिससे मंदी की भावनाओं ने बाजार को अपनी चपेट में ले लिया।

11.4.20 (i) अति धनी व्यक्तियों पर कर; (ii) बायबैक कर; और (iii) सूचीबद्ध कंपनियों में जनता की न्यूनतम भागीदारी को बढ़ाना जैसे बजट प्रस्तावों के कारण यह गिरावट जुलाई 2019 में और गंभीर हो गई। वैश्विक इक्विटी बाजारों से मिल

चार्ट 11.4.5: इक्विटी बाजार



स्रोत: बीएसई एवं एनएसई।



रहे नकारात्मक संकेतों, एक सरकारी क्षेत्र के बैंक में उधारी संबंधी धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, 2019-20 की पहली तिमाही के नीरस कॉर्पोरेट अर्जन परिणामों की चिंताओं, मानसून की धीमी प्रगति और गैर-कॉर्पोरेटों के रूप में पंजीकृत एफपीआई पर कर अधिभार में प्रस्तावित बढ़ोतरी से हो रहे एफपीआई के सतत बहिर्वाह के चलते बाजार दबावों में बने रहे। प्रतिकूल आंतरिक गतिविधियां जैसे कि 2019-20 की पहली तिमाही के लिए शिथिल कॉर्पोरेट अर्जन परिणाम, धीमी औद्योगिक गतिविधि तथा ऑटो बिक्री और नकारात्मक वैश्विक संकेतों जैसे कि हांगकांग में राजनैतिक अस्थिरता, अर्जेंटीना में कर्ज चूक और यूएस-चीन के बीच व्यापार संबंधों की अनिश्चितता से विचलित होने के कारण अगस्त 2019 में बीएसई सूचकांक में मामूली गिरावट आई। हालांकि, एफपीआई पर अति धनी कर लगाने के निर्णय वापस लेना, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजीकरण की फ्रंट लोडिंग और ऑटोमोबाइल के पंजीकरण शुल्क की बढ़ोतरी के स्थगन ने बाजार रुझानों को कुछ हद तक संभाला।

11.4.21 कॉर्पोरेट कर दरों में कमी की घोषणा के बाद बीएसई सूचकांक 20 सितंबर 2019 को एक ही दिन में पांच प्रतिशत बढ़ गया। इसके बाद यूएस-चीन के बीच व्यापार समझौतों और ब्रेक्जिट समझौते के करार से उत्पन्न नए आशावाद के कारण बीएसई सूचकांक ने 30 अक्टूबर 2019 को 40,000 के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया। भारत सरकार द्वारा वृद्धि के उपायों को बढ़ावा देने और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन को समर्थन और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए एनबीएफसी पूलड आस्तियां क्रय करने के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना का अनुमोदन देने से बढ़त की यह गति और सशक्त हुई। इसके अलावा, यूएस फेड के शिथिल परिदृश्य, यूएस-चीन के बीच व्यापार समझौतों का पहला चरण और यूके के चुनाव में ब्रेक्जिट के समर्थन से निकले वैश्विक अनुकूलता से इसको और गति मिली। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में सुधार, दिसंबर में अधिकतम जीएसटी वसूली और विनिर्माण क्षेत्र के क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में विस्तार सहित हुई ढेर सारी समष्टि आर्थिक

गतिविधियों के कारण बीएसई सूचकांक 14 जनवरी 2020 को रिकार्ड 41,953 पर बंद हुआ।

11.4.22 यूएस और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनैतिक तनावों, कमजोर घरेलू जीडीपी वृद्धि के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा 2019-20 के लिए भारत की वृद्धि में गिरावट का संशोधित पूर्वानुमान और दिसंबर 2019 के लिए उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति के चलते बाजार कमजोर हुआ। 2020-21 के संघीय बजट के प्रस्ताव बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप न होने के कारण यह गिरावट 01 फरवरी 2020 को और तेज रही जब सूचकांक 988 अंक (2.4 प्रतिशत) गिर गया। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और जनवरी 2020 के लिए विनिर्माण क्षेत्र के पीएमआई डाटा, जो उत्साहवर्धक थे, के जारी होने से 04 फरवरी 2020 को बाजार में V-आकार की बहाली आई। तत्पश्चात 06 फरवरी 2020 को क्रेडिट और चलनिधि बढ़ाने के उपायों की घोषणा ने भी बाजार को सहारा दिया। हालांकि यह बहाली अल्पकालिक साबित हुई।

11.4.23 20 फरवरी 2020 की शुरुआत से ही कोविड-19 के डर से प्रेरित मंदी पूरे विश्व में प्रतिबिंबित दिखाई देती है क्योंकि उन्नत और ईएमई दोनों के साथ-साथ भारत के इक्विटी बाजारों में घबराहट में की गई बिकवाली दिखाई दी। डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित करने के बाद 12 मार्च 2020 को बीएसई सूचकांक 2,919 अंक (8.2 प्रतिशत) गिर गया। बाजार में आगे और गिरावट आई क्योंकि बाजार कारोबार के प्रारंभिक समय में ही बीएसई सूचकांक 10 प्रतिशत गिर गया जिसके कारण सर्किट रोकनी पड़ी और कारोबार को 45 मिनट तक स्थगित रखना पड़ा। सेबी के वक्तव्य, जिसमें ऐसे संकेत दिए गए कि भारतीय स्टॉक सूचकांक में होने वाली गिरावट बहुत से अन्य देशों की गिरावट की तुलना में कम है तथा बाजार के सहभागियों को आश्वस्त किया गया कि यदि आवश्यक हुआ तो उचित और उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी, इससे बाजार को संभलने में मदद मिली और 13 मार्च 2020 को बीएसई सूचकांक 1,325 अंकों (4.0 प्रतिशत) की बढ़त के साथ बंद हुआ, यह किसी एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी बहाली थी। हालांकि, यह बढ़त ज्यादा समय तक बरकरार न रह सकी और विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट व मंदी छा जाने के

प्रति बढ़ती चिंताओं के कारण बाजार में वापस मंदी आ गई। भारतीय इक्विटी बाजार ने एक माह में दूसरी बार न्यूनतम सर्किट का अतिक्रमण कर लिया और साथ ही बीएसई सूचकांक में 23 मार्च 2020 को 3,935 अंकों (13.2 प्रतिशत) की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद सरकार द्वारा राजकोषीय उपायों की अपेक्षाओं और रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापक मौद्रिक, चलनिधि और विनियामकीय उपायों की घोषणा के साथ-साथ 27 मार्च 2020 को नीतिगत दरों में भारी कटौती के कारण बाजार में कुछ हद तक बहाली लौटी। समग्र रूप से मार्च 2020 के दौरान बीएसई सूचकांक में 23.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। इक्विटी बाजार में यह बिकवाली वीआईएक्स (VIX) में उछाल के साथ थी जो फरवरी 2020 के अंत में 23.2 प्रतिशत थी और 64.4 प्रतिशत पर बंद होने के पहले मार्च 2020 के दौरान 83.6 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी। हालांकि, विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि दबावग्रस्त परिस्थितियों के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) एफपीआई के मुकाबले प्रति-संतुलन बल के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। मार्च 2020 के दौरान जब एफपीआई ₹ 62,434 करोड़ तक के निवल विक्रेता

थे, डीआईआई, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के नेतृत्व में ₹ 55,595 करोड़ के निवल क्रेता थे इस तरह उन्होंने एफपीआई द्वारा की गई निकासी को बहुत हद तक प्रति-संतुलित कर दिया। इसके अलावा 2019-20 के दौरान एमएफ और एफपीआई के बीच मासिक निवल निवेश में -0.9 का उच्च सहसंबंध था इससे एफपीआई बिक्री के दौरान मजबूत प्रति-संतुलन का पता चलता है।



II.4.24 बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण दिसंबर 2019 के अंत में ₹ 155.5 लाख करोड़ था जो 27 प्रतिशत घटकर मार्च 2020 के अंत में ₹ 113.5 लाख करोड़ हो गया और बाद में यह सुधरकर अप्रैल 2020 अंत में ₹ 129.4 लाख करोड़ हो गया। अतः बाजार पूंजीकरण दिसंबर 2019 के अंत में जीडीपी के 77.9 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2020 के अंत में जीडीपी का 55.8 प्रतिशत रहा।

II.4.25 घरेलू वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता का कारण एफपीआई द्वारा घबराहट में की गई बिकवाली थी (बॉक्स II.4.2)। समग्र वित्तीय स्थितियों को समझने के लिए विभिन्न

बॉक्स II.4.2

भारत के वित्तीय बाजार : कोविड-19 का प्रभाव


कोविड-19 के प्रकोप ने वैश्विक वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया और वित्तीय स्थितियों में आकस्मिक तंगहाली पैदा की। भारत में फरवरी 2020 के मध्य से स्टॉक बाजार गिरना आरंभ हुआ और 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड-19 को महामारी के रूप में घोषित करने के बाद और गिर गया। निफ्टी 50 14 जनवरी 2020 को 12,362 के उच्च स्तर पर था, जिसमें कुछ बहाली होने के पहले 23 मार्च 2020 को 38.4 प्रतिशत गिर गया (चार्ट 1)। जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उनमें होटल, मीडिया, निर्माण, ऊर्जा, ऑटो, धातु और बैंक शामिल हैं, जबकि दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल, व्यक्तिगत देखभाल, चाय और कॉफी, पेट्रोलियम, गैस और आईटी ने समग्र बाजार में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है (चार्ट 2)।



(जारी....)


ईएमई में निवेशकों के मोचन दबावों से निपटने में, मुख्य रूप से उन फंडों के निवेश में जिनमें उच्च क्रेडिट जोखिम था, एमएफ की स्थितियों के परिसमापन और पीएफआई द्वारा घबराहट में की गई बिकवाली से नियत आय बाजारों की वित्तीय स्थितियों में तंगहाली आ गई। यह नीति रिपो दर पर जी-सेक और कॉर्पोरेट बांड प्रतिफल के स्प्रेड के प्रसार से परिलक्षित हुआ (चार्ट 3)। हालांकि, इसके बाद रिपो दर पर 3-वर्षीय व 5-वर्षीय जी-सेक का स्प्रेड और कॉर्पोरेट बांड प्रतिफल का स्प्रेड संकुचित रहा। भारतीय बैंकों के ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) छह वर्षों के उच्च स्तर से इस प्रत्याशा में तेजी से गिर गए कि हालिया नीति की सहायता से ऋणदाताओं को महामारी से होने वाली बदतर हानि से बचने में मदद मिलेगी (चार्ट 4)।

चार्ट 3: रिपो दर पर स्प्रेड




स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 4: भारतीय बैंकों का सीडीएस स्प्रेड




स्रोत: रेफिनिटिव।

चार्ट 5: पोर्टफोलियो प्रवाह बनाम मुद्रा
1 जनवरी से 30 जून 2020



स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 6: संचयी एफपीआई प्रवाह




स्रोत: ब्लूमबर्ग।

बाजारों का मंदी की चपेट में आने के कारण ईएमई ने अपनी मुद्राओं में उल्लेखनीय मूल्यहास का सामना करने के साथ पूंजी प्रवाह के तेज उलटफेर का भी सामना किया। उभरते बाजार समकक्षों के बीच सबसे अधिक बहिर्वाह का सामना करने वालों में से भारत भी था परंतु रुपए का मूल्यहास टेपर ट्रेड और जीएफपी के समय (चार्ट 6) निम्न होने व अत्यधिक बहिर्वाह के बावजूद भारत की मुद्रा ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट 5)।

संदर्भ:

- आईएमएफ (2020), ग्लोबल फाइनांसियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अप्रैल
- रामेली और वैगनर (2020), 'फेवरिश स्टॉक प्राइस रिएक्शन टू कोविड-19,' सीडीपीआर डिस्कशन पेपर, न. डीपी14511


चार्ट II.4.6: वित्तीय स्थिति सूचकांक (एफसीआई)



स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना

बाजार क्षेत्र के बारह संकेतकों पर प्रमुख घटक विश्लेषण का उपयोग करते हुए एक वित्तीय स्थिति सूचकांक (एफसीआई) का निर्माण किया गया था। शून्य से ऊपर एफसीआई का मान वित्तीय बाजार की वित्तीय स्थितियों का दबाव/तंगहाली औसत स्तर से अधिक होना दर्शाता है, जबकि शून्य से नीचे का मान वित्तीय स्थितियों का दबाव/दिलाई को औसत स्तर से कम

चार्ट II.4.7: संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी में निवल निवेश



स्रोत: एनएसडीएल और सेबी

होना दर्शाता है। इक्विटी बाजारों में तेजी से सुधार, क्रेडिट स्प्रेड का प्रसार और भारतीय रुपए के मूल्यहास से प्रकट होने वाली वित्तीय स्थितियों की उल्लेखनीय तंगहाली का भी पता एफसीआई से चल जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न चलनिधि उपायों के परिणामस्वरूप वित्तीय स्थितियों में सुधार आया (चार्ट II.4.6)।

II.4.26 डीआईआई मुख्य रूप से एमएफ ने निवल निवेशों के द्वारा 2019-20 के दौरान इक्विटी बाजार को सहारा दिया। 2019-20 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार में जहां एमएफ ₹91,160 करोड़ तक के निवल क्रेता थे वहीं एफपीआई ₹6,204 करोड़ के साथ निवल विक्रेता थे (चार्ट II.4.7)। एफपीआई ने सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान ₹ 63,509 की निवल खरीदारी की परंतु कोविड-19 के प्रसार से हो रहे जोखिम से बचने के लिए उन्होंने मार्च 2019 में ₹ 62,434 करोड़ की निवल बिकवाली की।

प्राथमिक बाजार में संसाधन जुटाना

II.4.27 वर्ष 2019-20 के दौरान इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2019-20 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), फॉलो-ऑन सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) और अधिकार निर्गमों के माध्यम से चार गुना से अधिक ₹ 76,382 करोड़ के संसाधन जुटाए गए। इनमें से ₹ 21,323 करोड़ 60 आईपीओ/एफपीओ निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए थे जिसमें से ₹ 495 करोड़ के 46 निर्गम बीएसई और एनएसई के लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किए गए थे। अधिकार निर्गमों के माध्यम से ₹ 55,059 करोड़ की राशि के संसाधन अधिकांशतः दूरसंचार कंपनियों से जुटाए गए थे। अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से जुटाए गए संसाधन भी वर्ष 2018-19 के ₹ 10,289 करोड़ की तुलना में तेजी से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 51,216 करोड़ हो गए (परिशिष्ट सारणी 5)।

II.4.28 म्यूचुअल फंडों द्वारा वर्ष 2019-20 में जुटाया गया संसाधन 20.4 प्रतिशत घटकर ₹ 87,301 करोड़ रह गया। इक्विटी उन्मुख योजनाओं के माध्यम से जुटाए गए निवल

संसाधन वर्ष 2018-19 के ₹ 1.1 लाख करोड़ से घटकर वर्ष 2019-20 में ₹ 81,597 करोड़ हो गए। इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) मार्च 2019 के अंत में ₹ 8.9 लाख करोड़ से 32.4 प्रतिशत घटकर मार्च 2020 के अंत में ₹ 6.0 लाख करोड़ हो गई।

विदेशी मुद्रा बाजार

11.4.29 विदेशी मुद्रा बाजार में हाजिर और वायदा बाजार के मर्चेट और अंतर-बैंक दोनों ही खंडों में टर्नओवर काफी हद तक पिछले वर्ष के स्तर पर ही बना रहा, जबकि वर्ष के बाद के हिस्से में स्वैप खंड की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई।

11.4.30 अन्य ईएमई पर नज़र डालें तो रुपए का कारोबार 2019-20 के दौरान कमजोर भाव के साथ हुआ और मार्च 2020 में रुपए ने यूएस डॉलर के मुकाबले अब तक के निम्न स्तर को छू लिया था। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में रुपए का मूल्यहास मामूली था, यूएस-चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनावों और शिथिल वैश्विक वृद्धि से हो रही चिंताओं से इक्विटी बाजार में हुई बिकवाली के कारण यह जुलाई-अगस्त 2019 के दौरान यूएस डॉलर के मुकाबले 2.31 प्रतिशत गिर गया। इसके बाद कॉर्पोरेट कर में कटौती की घोषणा के बाद


इक्विटी बाजार में फायदा होने के मद्देनजर रुपए में कुछ हद तक बहाली आई। सरकार द्वारा उठाए गए वृद्धि संवर्धक उपायों और यूएस-चीन के बीच व्यापार तनावों में हुए युद्धविराम से आए सकारात्मक रुख के कारण रुपए में यह बढ़त 2019-20 की दूसरी छमाही तक जारी रही। हालांकि कमजोर वृद्धि दर और कोविड-19 संबंधी चिंताओं के चलते एफपीआई द्वारा जोखिम कम करने की अपनाई गई नीति के बाद से रुपया भारी दबाव में आ गया। 23 मार्च 2020 को रुपया उस दिन (इंट्राडे) अब तक के सबसे कम मूल्य ₹ 76.29 पर पहुंच गया। हालांकि वर्ष 2019-20 के दौरान यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 8.88 प्रतिशत की गिरावट आई परंतु इसने अन्य ईएमई मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया (चार्ट 11.4.8)।

11.4.31 रुपये की विनिमय-दर में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार देखें तो 36-करेंसी सांकेतिक/वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर/आईईआर) अगस्त 2019 और मार्च 2019 में 36-करेंसी एनईईआर और आरईईआर दोनों में ही हुई तीव्र गिरावट को छोड़कर 2019-20 के दौरान दायरे में ही रही। वर्ष 2019-20 के दौरान वर्ष दर वर्ष आधार पर औसतन 36-करेंसी एनईईआर और आरईईआर में क्रमशः 0.9 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत की बढ़त हुई।

11.4.32 बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की पर्याप्त बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न गिरावट दबाव के कारण फारवर्ड प्रीमिया वर्ष की सभी अवधियों के दौरान नरम रही। हालांकि वर्षांत लेखाबंदी के पहले रुपए की बढ़ी मांग के कारण नियर-टर्म प्रीमिया फरवरी-मार्च की अवधि के दौरान ऊंची रही।

11.4.33 आगे बढ़ते हुए, कोविड-19 के प्रसार को रोकने में हुई प्रगति से वित्तीय बाजार की गतिविधियां काफी हद तक थम जाएंगी। कोविड-19 के कारण होने वाली वित्तीय गिरावट और समष्टि आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए उपाय वित्तीय बाजारों के व्यवहार को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

चार्ट 11.4.8: रुपया, यूएस डॉलर, कच्चे तेल की कीमत और ईएम मुद्रा सूचकांक में उतार-चढ़ाव



स्रोत: ब्लूमबर्ग एवं आरबीआई स्टाफ गणना

II.5 सरकारी वित्त

II.5.1 वर्ष 2019-20 में सामान्य सरकारी वित्त बजटीय घाटे के लक्ष्यों से विचलित हुआ। केंद्र सरकार के लिए, अपने सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से बजटीय कर संग्रह की तुलना में कम प्राप्तियों के कारण हुई, जो संवृद्धि में गिरावट के साथ-साथ कॉर्पोरेट कर दरों में युक्तिसंगतीकरण को दर्शाती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार ने 2019-20 में संशोधित एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4 (3) के अंतर्गत एस्केप क्लॉज का दो बार सहारा लिया— पहली बार, जीएसटी को स्थिर करने हेतु जीएफडी को बजट में जीडीपी के 3.3 प्रतिशत (2018-19 में विनिर्दिष्ट ग्लाइड पथ के ऊपर 0.2 प्रतिशत अंक) पर रखने के लिए और दूसरी बार, अपने संशोधित अनुमानों (आरई) में जीएफडी को जीडीपी के 3.8 प्रतिशत पर रखने के लिए। तथापि, अनंतिम लेखा (पीए) के अनुसार, केंद्र सरकार की जीएफडी से वसूली जीडीपी के 4.6 प्रतिशत पर है। राज्यों के मामले में, समेकित जीएफडी अनुमानित स्तर से जीडीपी के 0.5 प्रतिशत पर विचलित हुई, जो पुनः मुख्य रूप से कम राजस्व संग्रह के कारण थी।²⁰

II.5.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 और 3 क्रमशः वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के वित्त की स्थिति प्रस्तुत करते हैं। उप-खंड 4 और 5 क्रमशः वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान राज्य सरकार के वित्त की स्थिति को रेखांकित करते हैं। सामान्य सरकारी वित्त पर उप-खंड 6 में चर्चा की गयी है। अंतिम खंड में निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ और कुछ नीतिगत परिप्रेक्ष्य दिए गए हैं।

2. वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार के वित्त

II.5.3 वर्ष 2019-20 में, अनंतिम लेखा (पीए) से संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार का जीएफडी 2019-20 के केंद्रीय बजट में निर्धारित 1.3 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले जीडीपी के 4.6 प्रतिशत पर था। 2019-20 (पीए) में सकल कर राजस्व के अनुमानों को बजट अनुमानों (बीई) की तुलना में ₹ 4.51 लाख करोड़ कम किया गया, जो संवृद्धि में गिरावट और

कॉर्पोरेट कर दरों के युक्तिसंगतीकरण के दोहरे प्रभाव को दर्शाता है। वर्ष-दर-वर्ष (वाय-ओ-वाय) आधार पर, प्रत्यक्ष करों में 2018-19 के 13.4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2019-20 (पीए) में 7.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि एक वर्ष पहले के 2.9 प्रतिशत से घटकर 1.7 प्रतिशत हो गई। यद्यपि कर राजस्व में आई गिरावट को गैर-कर राजस्व में वृद्धि करके आंशिक भरपाई की गई, जो मुख्य रूप से रिजर्व बैंक²¹ से अधिशेष आरक्षित निधियों के हस्तांतरण और दूरसंचार कंपनियों द्वारा देय लंबित समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की बकाया राशियों के आंशिक निपटान से प्राप्त हुआ, तथापि इनसे संशोधित अनुमानों की पूर्ति नहीं हो सकी। इसके अलावा, ₹ 1.05 लाख करोड़ के बजटीय विनिवेश लक्ष्य का लगभग आधा ही प्राप्त हुआ। यद्यपि पूंजीगत व्यय बजट लक्ष्य के करीब रहा, राजस्व व्यय को कम करके बजटीय स्तर के 96.0 प्रतिशत तक सीमित किया गया, जो मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी के रोलओवर के माध्यम से किया गया।

3. 2020-21 में केंद्र सरकार के वित्त

II.5.4 केंद्रीय बजट 2020-21 में संवृद्धि को प्रतिचक्रीय समर्थन देने और एफआरबीएम में विनिर्दिष्ट राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पालन करने की दोहरी अनिवार्यता को संतुलित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार, 2020-21 के लिए जीएफडी को जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर कम रखा गया है (सारणी-II.5.1)। वर्ष 2020-21 के बजट में समेकन की प्राप्ति उच्च गैर-कर राजस्व के द्वारा की जानी है जिसमें स्पेक्ट्रम नीलामी और यूजर चार्ज जिसके लिए ₹ 1.3 लाख का बजटीय अनुमान रखा गया है, का प्रमुख हिस्सा होगा। इसके अतिरिक्त, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों को भी बजट में उच्चतर स्तर पर रखा गया है, जो ₹ 2.1 लाख करोड़ की विनिवेश प्राप्तियों से मिलेंगी, ये 2019-20 की प्राप्तियों से लगभग चार गुना होंगी (चार्ट II.5.1)।

II.5.5 विनिवेश प्राप्तियों की वसूली भी शेयर बाजार की स्थितियों तथा समग्र समष्टिआर्थिक वातावरण पर निर्भर करेगी। 2.0 का अंतर्निहित कर उत्प्लावन 2019-20 (पीए) में वसूले गए

²⁰ 25 राज्यों के संशोधित अनुमानों से संबंधित है।

²¹ एक्स्टेंटेड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (चेयर: डॉ. बिलम जालान), 2019 की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार।

सारणी II.5.1: केंद्रीय सरकार का राजकोषीय कार्यनिष्पादन *

(जीडीपी की तुलना में प्रतिशत)

मद	2004-08	2008-10	2010-15	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2019-20 (पीए)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
गैर कर्ज प्राप्ति	11.0	9.7	9.5	9.2	9.1	9.4	9.1	8.8	9.5	8.6	10.0
सकल कर राजस्व(ए+बी)	10.7	10.4	10.2	10.0	10.6	11.1	11.2	11.0	10.6	9.9	10.8
ए) प्रत्यक्ष कर	5.1	6.0	5.7	5.6	5.4	5.5	5.9	6.0	5.8	5.2	5.9
बी) अप्रत्यक्ष कर	5.6	4.4	4.5	4.4	5.2	5.6	5.4	5.0	4.9	4.7	4.9
निवल कर राजस्व **	7.9	7.6	7.3	7.2	6.9	7.2	7.3	6.9	7.4	6.7	7.3
गैर कर राजस्व	2.2	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.1	1.2	1.7	1.6	1.7
गैर कर्ज पूंजी प्राप्ति	0.9	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.4	0.3	1.0
कुल व्यय	14.5	16.1	14.4	13.3	13.0	12.8	12.5	12.2	13.3	13.2	13.5
राजस्व व्यय	12.1	14.4	12.6	11.8	11.2	11.0	11.0	10.6	11.6	11.6	11.7
पूंजीगत व्यय	2.4	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8
राजस्व घाटा	2.0	5.0	3.5	2.9	2.5	2.1	2.6	2.4	2.5	3.3	2.7
सकल राजकोषीय घाटा	3.5	6.3	4.9	4.1	3.9	3.5	3.5	3.4	3.8	4.6	3.5

बीई: बजट अनुमान. आरई: संशोधित अनुमान. पीए: अंतिम खाता.


*: इस सारणी में दिए गए जीडीपी आंकड़े 2011-12 के आधार पर हैं, जो अंतिम मौजूद अनुमान हैं। किसी भी वर्ष के अंतिम मौजूद जीडीपी डेटा के प्रयोग सिद्धांत से, 2019-20 (आरई) के लिए अंतिम मौजूद प्रावधानिक अनुमान(मई 29,2019 को जारी)जीडीपी अनुमान है। इसके मद्देनजर, इस सारणी में दिए गए राजकोषीय संकेतक जीडीपी की तुलना में प्रतिशत संघीय बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट हुए से किसी भी समय में मार्जिन हो सकता है।

**: निवल कर राजस्व में राज्य सरकारों को कर अंतरण के पश्चात की सकल कर राजस्व दर्शाता है।



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

(-) 0.5 के कर उत्प्लावन की तुलना में अधिक है; यह चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है (चार्ट II.5.2)।

II.5.6 कुल व्यय में 2019-20 (पीए) के 16.0 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में 13.2 प्रतिशत की न्यून दर पर वृद्धि



होने का बजट अनुमान लगाया गया है, जिसका कारण वर्ष 2019-20 (पीए) के 17.0 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 (बीई) में राजस्व व्यय की वृद्धि में 11.9 प्रतिशत की तीव्र गिरावट होगी। भारत सरकार द्वारा घोषित के अनुसार महंगाई भत्ते के फ्रीज तथा राजस्व व्यय के अन्य शीर्षों पर दबावों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बढ़े हुए व्यय की अपेक्षाओं द्वारा समंजित किए जाने की संभावना है, जिसमें उधार की मात्रा और उच्च लागत में वृद्धि के कारण बढ़े हुए ब्याज व्यय भी शामिल हैं। खाद्य, ईंधन और उर्वरक जैसी प्रमुख सब्सिडी पर होने वाला व्यय, 2019-20 (पीए) के 1.1 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में मामूली रूप से घटकर जीडीपी के 1.0 प्रतिशत पर रहने का बजटीय अनुमान लगाया गया है। दूसरी ओर, 2020-21 (बीई) के बजटीय अनुमान में, पूंजीगत व्यय में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि रखी गयी है। 2019-20 (आर ई) की तुलना में 2020-21 के यूनियन बजट में संचार के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य पाँच गुना अधिक अनुमानित किया गया है, जो पुनः एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है- श्रम, निवेश, कोयला और खदान के क्षेत्रों में



सुधार लाना जिससे आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित किया जा सके और राजस्व में भी बढ़ोतरी हो।

4. 2019-20 में राज्य वित्त

II.5.7 25 राज्य सरकारों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में इन राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति 2.4 प्रतिशत के बजट अनुमानों को देखते हुए 2019-20 में गिरकर 2.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.5.3)। यह विचलन मुख्यतया आर्थिक गिरावट के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में कमी आई- स्वयं और केंद्रीय अन्तरण दोनों में ही। स्वयं के कर राजस्व के अंतर्गत, यह कमी राज्य के वस्तु और सेवा करों (एसजीएसटी) तथा उत्पाद करों में अधिक व्यापक रही। राजस्व के कम संग्रहण ने राज्यों को 2019-20 के दौरान अपने राजस्व और पूंजीगत दोनों व्ययों में कटौती करने के लिए विवश किया। राजस्व व्यय के अंतर्गत, विकास व्यय के लिए आबंटित राशि की स्थिति ठीक रही, जबकि गैर विकास के लिए आबंटित निधियां घट गईं। पूंजीगत व्यय में कमी ग्रामीण विकास में हुए कम व्ययों को परिलक्षित करती है।^{22,23}

5. वर्ष 2020-21 में राज्य वित्त

II.5.8 वर्ष 2020-21 में राज्यों ने जीएफडी-जीडीपी अनुपात की तुलना में 2.3 प्रतिशत के समेकित जीएफडी का बजट प्रावधान किया, मुख्य रूप से उच्च राजस्व और कम व्यय के माध्यम से। राजस्व में वृद्धि कर और अनुदानों के उच्च डिवोल्यूशन से अपेक्षित है। व्यय में कमी कैपेक्स की तुलना में राजस्व से अधिक होने की संभावना है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व व्यय के अंतर्गत, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, अन्य कृषि कार्यक्रमों और ऊर्जा पर व्यय में कमी देखी गई है। इसी प्रकार, जबकि शिक्षा, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, ग्रामीण और शहरी विकास पर उच्च पूंजीगत व्यय का बजट प्रावधान किया गया है लेकिन ऊर्जा और परिवहन पर व्यय में कटौती की जानी अपेक्षित है। कोविड-19 महामारी राज्यों के लिए अपने बजट का अनुपालन करने में एक बड़ी राजस्व चुनौती बन गई है। राज्य अपने राजस्व घाटे को समंजित करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर शुल्क वृद्धि तथा शराब पर बिक्री कर/ वैट वृद्धि जैसी विवेकाधीन (चक्रीय-अनुकूल) कर नीतियों को भी अमल में ला रहे हैं।

²² 25 राज्यों के संशोधित अनुमानों से संबंधित है।

²³ विद्यमान आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा की सिफारिशों के अनुसार (अध्यक्ष : डॉ बिमल जालान), 2019-20

6. सामान्य सरकारी वित्त

II.5.9 25 राज्यों की जानकारी के आधार पर सरकार का सामान्य वित्त घाटा वर्ष 2018-19 में जीडीपी के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 (आरई) में जीडीपी का 6.5 प्रतिशत हो गया। सरकार की सामान्य बकाया देयताएं भी 2018-19 (आरई) के 67.5 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 (आरई) में जीडीपी की 70.4 प्रतिशत हो गईं। (परिशिष्ट सारणी 6 और 7) यद्यपि वर्ष 2019-20 में सामान्य सरकारी वित्त घाटे के अनंतिम लेखा की जानकारी (सभी राज्यों को शामिल करते हुए) के अनुसार वह वर्ष 2019-20 में कम होने की संभावना है। इस प्रकार, पिछले दो वर्षों में जो राजकोषीय लाभ हुआ था, वह 2019-20 में उलट गया। चेतावनी यह है कि लॉकडाउन से पूर्व वर्ष 2020-21 में लगभग अधिकांश अनुमान लिए गए थे। राजस्व में गिरावट को देखते हुए, जो धीमी आर्थिक गतिविधियों और महामारी से लड़ने के लिए व्यय अपेक्षाओं में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं- चालू राजकोषीय वर्ष में सामान्य सरकार के राजकोषीय घाटे और ऋण के अधिक रहने की संभावना है।

II.5.10 सारांश में, वर्ष 2019-20 में प्रमुख घाटा संकेतकों में आई गिरावट के लिए कर राजस्व में कमी को उत्तरदायी माना जा सकता है, चक्रीय और संरचनात्मक दोनों को ही। इसी तरह, 2018-19 की दूसरी छमाही से बढ़ी आर्थिक गिरावट को दृष्टि में रखते हुए, व्ययों में बड़ी कटौतियों से बचा जाना ही न्यायसंगत था। कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों और राजस्व प्राप्तियों पर संबंधित नियंत्रण उपायों तथा बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध कराने, समाज के दुर्बल तबके के लोगों की सहायता करने और क्षेत्र विशिष्ट के लिए राहत उपायों में केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय हस्तक्षेप के कारण 2020-21 में अनुमानित राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करना और अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है। कंटेनमेंट उपायों और राजकोषीय हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, समाज के गरीब तबके के लोगों और क्षेत्र विशिष्ट को राहत देने में सहायता प्रदान करना। ऐसे परिदृश्य में, यह

वांछनीय है कि आने वाले वर्षों में एक स्पष्ट निकास नीति और राजकोषीय शुद्धता के मार्ग का पुनर्निर्माण करना है।

II.6 बाह्य क्षेत्र

II.6.1 2019-20 के दौरान बाह्य क्षेत्र की गतिविधियों ने कमजोर घरेलू और बाह्य मांग का असामान्य अंतर, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से व्यापार अभिलाभ और निवल पूंजी आगमन में वृद्धि को दर्शाया। ऐसे में, कोविड-19 के प्रसार से वर्ष के अंत आते-आते उत्पन्न व्यापक जोखिम विमुखता की वजह से हुए पोर्टफोलियो बहिर्वाह के बावजूद रिजर्व बफर सुदृढ़ हुआ है।

II.6.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 में वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय परिस्थितियों की संक्षिप्त विवरण और उसके बाद उप-खंड 3 में प्रस्तुत की गई है पण्य निर्यातों और आयातों पर विश्लेषण प्रस्तुत की गई है। उप-खंड 4 में अदृश्यों के आचरण पर गहन चर्चा की गई है। उप-खंड 3 और 4 में एक-साथ वर्ष के दौरान चालू खाता अधिशेष में हुए उतार-चढ़ाव को स्पष्ट किया गया है। उप-खंड 5 में निवल पूंजी प्रवाह तथा रिजर्व में हुए उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है। बाह्य सुभेद्यता के संकेतकों का मूल्यांकन उप-खंड 6 में किया गया है, उसके बाद समापन निष्कर्ष दिया गया है।

2. वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां

II.6.3 जनवरी 2020 में, अमरीका - चीन के पहले चरण के व्यापारिक समझौते की उम्मीदों के साथ तथा एक सुव्यवस्थित ब्रेक्जिट से अंतराष्ट्रीय वातावरण में सुधार होना आरंभ हुआ। आईएमएफ तथा विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने 2020 और 2021 में वैश्विक संवृद्धि एवं व्यापार में सुधार होने का अनुमान लगाया। कोविड-19 के अचानक प्रकोप और तीव्र संक्रमण तथा परिणामी लॉकडाउन ने इस आशावाद को ध्वस्त कर दिया, और दुनिया भर के 200 देशों में उत्पादन, रोजगार और यहां तक कि जीवन की हानि से वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई। 2020 में वैश्विक जीडीपी में 4.9 प्रतिशत तथा व्यापार

की मात्रा में 11.9 प्रतिशत²⁴ की कमी होने के आईएमएफ के पूर्वानुमान ने इसके अधोगामी संशोधन की लहर को बढ़ावा दिया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 8.0 प्रतिशत के साथ भारी संकुचन का पूर्वानुमान किया गया जबकि उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 3.0 प्रतिशत के साथ यह मध्यम है। विश्व बैंक तथा ओईसीडी ने भी वैश्विक जीडीपी में क्रमशः 5.2 प्रतिशत तथा 6.0 प्रतिशत के संकुचन का पूर्वानुमान किया। वास्तव में, वर्ष के अंत से पहले कोविड-19 की दूसरी लहर के आने की स्थिति में, ओईसीडी ने 7.6 प्रतिशत के तेज संकुचन का पूर्वानुमान किया। व्यापार पर कोविड-19 का प्रभाव विभिन्न माध्यमों से पड़ने की आशंका है जिसमें आपूर्ति में बाधा, प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति का अपनाया जाना, अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में अस्थिरता, लॉकडाउन के पश्च-प्रभाव तथा अनुमानित वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप मांग में कमी शामिल हैं।

11.6.4 डब्ल्यूटीओ के अप्रैल 2020 के पूर्वानुमान के अनुसार, 2020 के दौरान विश्व पण्य व्यापार की मात्रा 13 प्रतिशत से 32 प्रतिशत तक घट सकती है। डब्ल्यूटीओ का गुड्स बैरोमीटर सूचकांक²⁵ जुलाई 2016 लॉन्च के बाद से मई 2020 में 87.6 प्रतिशत के साथ पहले से ही अपने रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर है। पण्य कीमतों में हुई तेज गिरावट से पण्य-निर्यातक देशों पर दबाव बना है; ओपेक तथा उनके सहयोगियों द्वारा उत्पादन की कटौती में की गई देरी के साथ-साथ लॉकडाउन की वजह से मांग में आई कमी से कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट रही। वहीं दूसरी ओर, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित विकल्पों की मांग को दर्शाता है। तेल की कीमतों में तेज गिरावट एवं कमजोर मांग के कारण ईमडीएफ पर पड़ रहे मुद्रास्फीतिकारक दबावों में कमी हुई। 2019-20 के अंत में वैश्विक संवृद्धि में अधिक सुस्पष्ट होती गिरावट के जोखिम के

बारे में निवेशकों की चिंताओं के बीच अस्थिरता के दौर ने वैश्विक वित्तीय बाजार को आघात पहुंचाया।

11.6.5 महामारी के प्रकोप तथा गंभीर मंदी की आशंकाओं के कारण सुरक्षा और चलनिधि की तरफ निवेशकों की आपाधापी से ईएमई में आस्तियों की कीमतों में हुई तेज गिरावट से वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां अकस्मात कठोर हो गईं। 2019-20 की चौथी तिमाही में मुद्राओं में 5-25 प्रतिशत तक के दायरे में गिरावट हुई – यह वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के किसी भी शुरुआती महीनों से तीव्रतर है। केंद्रीय बैंकों ने मुद्राओं में हस्तक्षेप का सहारा लिया तथा अमरीकी फेड एवं ईसीबी के साथ स्वैप लाइन की व्यवस्था की। मार्च 2020 में वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में उछाल और पोर्टफोलियो प्रवाह में तीव्र प्रत्यावर्तन रहा। मध्य जनवरी और अंत मार्च 2020 के बीच प्रमुख ईएमई में 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर पोर्टफोलियो पूंजी का बहिर्वाह दिखा - यह राशि जीएफसी के दौरान की राशि से तीन गुनी से भी अधिक है। महामारी के परिणामस्वरूप बैंकिंग व्यवस्था में आए दबाव को देखते हुए कई देशों ने घरेलू बैंकों को चलनिधि सहयोग प्रदान किया ताकि उधारकर्ता को ऋण वहन करने की व्यापक क्षमता प्रदान की जा सके। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नीति दरों में कटौती की तथा विभिन्न परंपरागत एवं गैर-परंपरागत उपायों के माध्यम से बाजार में पड़े पैमाने पर चलनिधि उपलब्ध कराए और मौद्रिक नीति में ढील देकर कोविड-19 में हुई गिरावट को कम करने के सरकार के राजकोषीय प्रयासों में पूरक का कार्य किया।

3. पण्य व्यापार

11.6.6 मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव और धीमी वैश्विक आर्थिक संवृद्धि के कारण 2019 में वैश्विक व्यापार कमजोर रहा। डब्ल्यूटीओ के अनुसार, 2018 में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि के बाद वैश्विक पण्य व्यापार 2019 में मात्रात्मक रूप से 0.1 प्रतिशत पर पहुंच गया। तीन वर्षों तक लगातार बढ़ने के बाद, 2019-20 के दौरान भारत का पण्य


²⁴ आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, जून 2020।

²⁵ यह एक प्रमुख संकेतक है जो व्यापार की मात्रा के आंकड़ों से दो से तीन महीने पहले विश्व व्यापार विकास में परिवर्तन का संकेत देता है। इसका आधारभूत मूल्य 100 है, 100 से अधिक का मूल्य ऊपर-प्रवृत्ति वृद्धि का सुझाव देता है जबकि 100 से नीचे का मूल्य नीचे-प्रवृत्ति विकास को इंगित करता है।

निर्यात और आयात क्रमशः 5.1 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत संकुचित हुआ। निर्यातों के लिए, अनुमानित मात्रा 2018-19 के साथ-साथ 2019-20 में कमोबेश स्थिर रही जबकि इसके मूल्य में गिरावट का कारण निर्यात की कीमतों में गिरावट रहा। निर्यात निष्पादन में गिरावट वैविध्यपूर्ण रहा – निर्यात बास्केट में चौथी-पाँचवीं हिस्सेदारी रखने वाले पण्य समूह निर्यात बास्केट के पोट-लदान मूल्य में गिरावट दर्ज की गई। इंजीनियरिंग उत्पादों, रत्नों और आभूषणों, पेट्रोलियम उत्पादों, चावल और सूती वस्त्रों जैसे प्रमुख निर्यात वस्तुओं की बिगड़ती रूपरेखा को रेखांकित करने वाले कारक क्षेत्र-विशेष और वैश्विक गतिविधियाँ, दोनों ही द्वारा चालित थे (चार्ट II.6.1)। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और फार्मास्युटिकल तथा लौह अयस्क जैसी सामग्री के निर्यात में विस्तार देखा गया।


II.6.7 पेट्रोलियम, तेल तथा ग्रीस (पीओएल) के निर्यात में गिरावट काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से प्रेरित थी, जो कि ओपेक के रूस के साथ उत्पादन में कटौती करने के समझौते पर पहुंचने में रही विफलता के फलस्वरूप वैश्विक तेल बाजारों में अतिपूर्ति से वर्ष के दौरान इसमें 12.9 प्रतिशत की गिरावट रही (चार्ट II.6.2)। हालांकि, मात्रा के लिहाज से पीओएल में 3.8 फीसदी की

चार्ट II.6.1: निर्यात वृद्धि में विभिन्न सैक्टरों का सापेक्ष अंशदान



स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

चार्ट II.6.2: वैश्विक कच्चे तेल की मांग और आपूर्ति



स्रोत: रायटर

गिरावट रही। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के अनुसार, 2019-20 के दौरान रिफाइनरियों द्वारा कच्चे तेल प्रसंस्करण में 1.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट देखी गई; यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) 2020 बंकर ईंधन विनिर्देशनों तथा भारत स्टेज (बीएस) VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल 2020 से देश भर में कम प्रदूषणकारी ईंधन की आपूर्ति करने के लिए घरेलू रिफाइनरियों के बंद होने को दर्शाता है।

II.6.8 धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के कारण अन्य प्रमुख निर्यातकों जैसे चीन, थाईलैंड, वियतनाम तथा पाकिस्तान के सामने गैर-बासमती चावल के अप्रतिस्पर्धी होने से चावल के निर्यात में गिरावट रही।

II.6.9 कीमती पत्थरों पर आयात शुल्क में वृद्धि और प्रमुख गंतव्य-देशों से सुस्त आयात मांग के कारण रत्न और आभूषण निर्यात में एक वर्ष पहले की 3.1 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2019-20 में 10.8 प्रतिशत का तीव्र संकुचन रहा। घटक-वार, यह गिरावट मोती, रत्नों और उप-रत्नों के निर्यात में संकुचन के कारण रही। गंतव्य-वार, हांगकांग, यूएई, यूएसए, बेल्जियम और इजरायल, जहां भारत के कुल रत्नों और आभूषण का 87


प्रतिशत हिस्सा निर्यात होता है, में गिरावट दर्ज की गई।

II.6.10 इंजीनियरिंग सामग्री में 2019-20 के दौरान 5.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसमें 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इंजीनियरिंग सामग्री के अंतर्गत, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर सभी प्रमुख घटकों (इंजीनियरिंग सामग्रियों के निर्यात में जिनकी कुल हिस्सेदारी लगभग 11 प्रतिशत की है) में संकुचन दर्ज हुआ। विशेष रूप से, ऑटो कल-पुर्जों; जहाज, नाव और प्लवमान संरचना; लोहे से इतर धातुएँ, और उनके उत्पाद; तथा औद्योगिक मशीनरी इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात में गिरावट के प्रमुख भागीदार रहे। गंतव्य-वार, भारत द्वारा निर्यातित इंजीनियरिंग सामग्रियों का लगभग 16 प्रतिशत अमरीका में जाता है, इसमें 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; जबकि जर्मनी, ब्रिटेन, नेपाल, बांग्लादेश और मैक्सिको, जो भारत के इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात का 17 प्रतिशत हिस्सा है, में 2019-20 में कमी दर्ज की गयी।

II.6.11 सूती वस्त्रों में 2019-20 के दौरान 10.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सूती धागों के निर्यात में हुई 29.1 प्रतिशत की गिरावट का इस संकुचन में मुख्य रूप से योगदान रहा। बांग्लादेश और चीन को मिलाकर इन निर्यातों के लगभग 43 प्रतिशत होते हैं, इसमें दहाई अंकों की गिरावट दर्ज की गई।

II.6.12 स्मार्टफोन सहित टेलीफोन उपकरणों के निर्यात में वृद्धि से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में फरवरी 2018 से लगातार 25 महीनों तक बढ़ोतरी हुई, यह कुल निर्यात का 3.7 प्रतिशत है (चार्ट II.6.3), और 2019-20 के दौरान इसमें वर्ष-दर-वर्ष 32.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, चीन, वियतनाम और हांगकांग के दबदबे वाले वैश्विक स्मार्टफोन बाजार का भारत एक प्रमुख भागीदार नहीं है, लेकिन घरेलू मांग और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारण इस बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। संयुक्त अरब अमीरात भारतीय मोबाइल फोन निर्यात के लिए सबसे बड़े

चार्ट II.6.3: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के घटक




स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

गंतव्य के रूप में उभरा है, इसके बाद रूस, अमरीका, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और चीन का स्थान है (चार्ट II.6.4)।


II.6.13 2019-20 के दौरान ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 8.1 प्रतिशत बढ़ा। कोविड-19 ने चीन से जुड़े संकेन्द्रण जोखिमों को उजागर किया है क्योंकि भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादों के विनिर्माण के लिए चीन से सक्रिय

चार्ट II.6.4: मोबाइल फोन का निर्यात-क्षेत्रवार (2019-20)



स्रोत: डीजीसीआई एवं एस


चार्ट II.6.5: 2019 में मेडिकल वस्तुओं के 10 शीर्षस्थ आयातक और निर्यातक



^: भारत मेडिकल वस्तुओं में शीर्ष 10 निर्यातकों अथवा आयातकों में से नहीं है।

स्रोत: डबल्यूटीओ एवं डीजीआईसी एंड एस

चार्ट II.6.6: 2019 में कुल मेडिकल वस्तुओं के निर्यात का शेयर



स्रोत: डबल्यूटीओ एवं डीजीआईसी एंड एस

फार्मास्यूटिकल अवयवों (एपीआई), यानी थोक ड्रग्स और इंटरमीडिएट्स का करीब 70 प्रतिशत आयात करता है। विशेष रूप से, भारत चिकित्सा उत्पादों के शीर्ष 10 निर्यातकों या आयातकों में से नहीं है, और इसका चिकित्सा निर्यात दवाओं (फार्मास्यूटिकल्स) में संकेंद्रित है [चार्ट II.6.5 और II.6.6]।


II.6.14 ब्राजील में उत्पादन में अवरोध के बाद वैश्विक लौह अयस्क की कीमतों में तेजी के कारण 2019-20 के दौरान लौह अयस्क का निर्यात बढ़ा। भारत से लौह अयस्क के कुल निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत चीन को भेजा जाता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है।

II.6.15 विश्व व्यापार का दो-तिहाई से अधिक वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) से होकर गुजरता है जो अंतिम समायोजन से पहले कम से कम एक सीमा को पार करता है। कोविड -19 ने जीवीसी को चुनौतियां दी हैं क्योंकि दुनिया भर में कंपनियों/निवेशकों का चीनी जीवीसी के प्रति महत्वपूर्ण एक्सपोजर है (बॉक्स II.6.1)।

II.6.16 वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में शुरू होने वाले भारत के व्यापारिक आयातों में मंदी वर्ष 2019-20 में और अधिक गहरी गई, जिसके कारण आयात जो वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में 22.8 प्रतिशत बढ़ा था वर्ष 2019-20 की दूसरी

तिमाही में घटकर 11.3 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में 11.2 प्रतिशत की दर से आयात में गिरावट जारी रही। कोविड-19 ने गिरावट को और गति दी और वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में आयात 9.8 प्रतिशत गिर गया। पूरे वर्ष के दौरान आयात में 7.8 प्रतिशत की गिरावट हुई (चार्ट II.6.7)। वर्ष के दौरान आयात में छंटनी उन क्षेत्रों तक फैली हुई

चार्ट II.6.7: पण्य वस्तुओं के व्यापार आयात वृद्धि के घटक



स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

बॉक्स II.6.1

महामारी के समय में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं

1990 के दशक के बाद वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में वृद्धि के कारण विश्व व्यापार का तेजी से विस्तार हुआ है ; 1970 विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 38 प्रतिशत से बढ़कर 1990 में 41.6 प्रतिशत हो गई और 2008 में यह 51.8 प्रतिशत तक पहुँच गई। परिवहन, सूचना और संचार, कम व्यापार और टैरिफ बाधाओं में प्रगति के कारण, विनिर्माणकर्ताओं को राष्ट्रीय सीमाओं से परे उत्पादन प्रक्रिया का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया (विश्व बैंक, 2020)। ओईसीडी के अनुसार, निर्यात में भारत की विदेशी मूल्य वर्धित सामग्री 2005 में 18.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 25.1 प्रतिशत हो गई। हालांकि, 2016 में यह तेजी से घटकर 16.1 प्रतिशत हो गई, जो ओईसीडी और जी-20 औसत (क्रमशः 25.3 प्रतिशत और 16.5 प्रतिशत) से कम है। मध्यवर्ती इनपुटों के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की ओर एक भाग के कारण गिरावट की संभावना है, विशेष रूप से बढ़ते सेवा क्षेत्र में। हाल ही में, कोविड-19 महामारी ने जीवीसी से जुड़ी नाजुकता का खुलासा किया है, विशेषरूप से जो चीन, अमेरिका और यूरोप से जुड़े हैं।

अनुभवजन्य निष्कर्ष बताते हैं कि जीवीसी भागीदारी में एक प्रतिशत की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय के स्तर को एक प्रतिशत से अधिक बढ़ा सकती है (विश्व बैंक, 2020)। पारंपरिक व्यापार की तुलना में जीवीसी का उत्पादकता पर अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (आइएमएफ, 2019)। श्रम लागत भी जीवीसी की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (इम्नाटेंको, राई और मिरशेवा, 2019), निर्यातक देश में उच्च श्रम लागत इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को कम

करती है और इस प्रकार जीवीसी में भागीदारी को सीमित करती है। इसके अलावा, जीवीसी में भागीदारी का लाभ सभी देशों और देशों के अंदर भी समान रूप से वितरित नहीं किया गया है। दूसरी ओर, जैसा कि हाल ही में कोविड-19 के अनुभव से पता चला है, किसी एक देश में जीवीसी का संकेंद्रीकरण जोखिम, बड़े वैश्विक स्पिलओवर का कारण बन सकता है, जो आय, व्यापार और निवेश को प्रभावित करता है।

15 प्रमुख क्षेत्रों (जो भारत के निर्यात का लगभग तीन-चौथाई हैं) के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों के साथ भारतीय उद्योग का एकीकरण ग्रुबल-लॉयड इंडेक्स (जीएलआई)²⁶ के माध्यम से मापा जाता है। निम्नलिखित मुख्य बिंदु उभर कर सामने आते हैं: (i) चीनी जीवीसी के लिए भारत का एक्सपोजर कुछ हद तक सीमित है (फार्मास्युटिकल और टेक्सटाइल को छोड़कर); हालांकि चीन के पास सटीक उपकरणों, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे क्षेत्रों में एक मजबूत जीवीसी की उपस्थिति है, (ii) भारत का यूरोजोन के साथ अंतर-उद्योग व्यापार एकीकरण काफी उच्च है, इसके बाद अमेरिका, हांगकांग, यूएई और इंडोनेशिया के साथ। क्षेत्र-वार और देश-वार विश्लेषण से पता चलता है कि अंतर-उद्योग व्यापार विविधीकरण को यूरो क्षेत्र, इंडोनेशिया और यूएसए के साथ मोटर वाहन उद्योग के संबंध में मजबूत किया जा सकता है; विद्युत क्षेत्र के लिए यूरो क्षेत्र, यूएसए, यूएई और हांगकांग के साथ; और सटीक उपकरणों²⁷ के लिए हांगकांग, यूएसए, इंडोनेशिया और यूएई के साथ (सारणी 1)।

सारणी:1 भारत- शीर्ष 10 प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के लिए, सेक्टर द्वारा, जीवीसी में एकीकरण (ग्रुबल-लॉयड इंडेक्स)

क्षेत्र	चीन	यूरोप	यूएसए	यूएई	सऊदी अरब	हाँग काँग	स्विट्जरलैंड	इंडोनेशिया	कोरिया	सिंगापुर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पेट्रोलियम कूड और उत्पाद	0.081	0.097	0.111	0.182	0.023	0.014	0.000	0.103	0.896	0.169
फार्मा उत्पाद	0.417	0.412	0.089	0.003	0.000	0.079	0.131	0.730	0.447	0.665
फार्मा को छोड़कर रसायन	0.193	0.475	0.342	0.144	0.286	0.285	0.328	0.162	0.280	0.214
रबड़ / प्लास्टिक	0.103	0.541	0.444	0.135	0.061	0.217	0.055	0.154	0.043	0.071
चर्म उत्पाद	0.158	0.171	0.048	0.008	0.002	0.082	0.166	0.563	0.311	0.641
लकड़ी के उत्पाद / फर्नीचर	0.049	0.388	0.128	0.296	0.008	0.053	0.263	0.090	0.200	0.121
कागज उत्पाद / प्रकाशन	0.085	0.161	0.128	0.115	0.044	0.089	0.025	0.057	0.016	0.167
कपड़ा और परिधान	0.105	0.083	0.023	0.013	0.014	0.137	0.075	0.251	0.208	0.131
रत्न और आभूषण	0.019	0.462	0.527	0.419	0.008	0.288	0.005	0.004	0.021	0.528
धातु और धातु उत्पाद	0.069	0.358	0.200	0.125	0.043	0.070	0.247	0.323	0.188	0.206
कार्यालय मशीनरी / विविध मशीनरी	0.077	0.575	0.610	0.184	0.041	0.422	0.199	0.275	0.106	0.291
संचार उपकरण	0.021	0.576	0.785	0.136	0.006	0.237	0.275	0.379	0.024	0.118
विद्युत मशीनरी	0.055	0.597	0.530	0.466	0.016	0.331	0.256	0.306	0.076	0.188
मोटर वाहन	0.122	0.706	0.207	0.029	0.000	0.315	0.146	0.243	0.168	0.160
परिशुद्धता उपकरण	0.183	0.294	0.496	0.397	0.024	0.523	0.104	0.411	0.187	0.319

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

(जारी...)

$$^{26} GL_i = \frac{(X_i + M_i) - |X_i - M_i|}{X_i + M_i} = 1 - \frac{|X_i - M_i|}{X_i + M_i} ; 0 \leq GL_i \leq 1$$

जहां X_i निर्यात और M_i आयात को दर्शाता है। इंटर-उद्योग व्यापार में वृद्धि के साथ सूचकांक का मूल्य बढ़ता है। अनुमान यूएनसीटीएडी के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। द्विपक्षीय व्यापार शेरों (यूएनसीटीएडी, 2020) का उपयोग करके क्षेत्रीय स्तर पर एकीकरण किया गया है।

²⁷ उपलब्ध लिटरेचर के अनुसार, पारंपरिक GL इंडेक्स की व्याख्या के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, GL इंडेक्स का मान एकीकरण के स्तर के साथ बढ़ता है (यानी, अधिक विस्तृत स्तरों पर गणना करने पर वे कम होते हैं)।

चूंकि कई देश चीन से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यह भारत के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है (रेनॉल्ड्स और उराबे, 2020, चौधरी, 2020)। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में घरेलू विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को मजबूत करना, विकासशील बुनियादी ढांचे (कठोर और नरम दोनों) के संबंध में व्यापार, निवेश और एफडीआई नीति को उदार बनाना, अंतरराष्ट्रीय निवेशक के लिए विश्वसनीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करना और श्रम बाजार सुधारों को लागू करना जीवीसी में आगे चलकर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भारत के उदय की कुंजी है।

संदर्भ:

1. इम्नार्टोको, ए., राई, एफ., एंड मिर्चेवा, बी. (2019), "ग्लोबल वैल्यू चेन्स: व्हाट आर द बेनीफिट्स ऐण्ड हवाई कंट्रीज पार्टिसिपेट ?" आईएमएफ


वर्किंग पेपर 19/18, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन, डीसी।

2. विश्व विकास रिपोर्ट (2020), "ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ वैल्यू चेन्स"।
3. वैश्विक मूल्य श्रृंखला विकास रिपोर्ट (2019), विश्व बैंक।
4. वैश्विक आर्थिक संभावनाएं (2020), विश्व बैंक।
5. यूएनसीटीएडी (2020), "ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट ऑफ द कोरोनावायरस (कोविड -19) एपिडेमिक", इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमोडिटीज डिवीजन, यूएनसीटीएडी टेक्निकल नोट, 4 मार्च।
6. ओईसीडी (2018), 'ट्रेड इन वैल्यू एडेड: इंडिया'


थी जो आयात बास्केट का 95.4 प्रतिशत हिस्सा थे लेकिन आयात में गिरावट मुख्य रूप से पेट्रोलियम, तेल और द्रव (पीओएल), मोती और कीमती पत्थरों, सोने, कोयले और परिवहन उपकरण के कारण रहा। मात्रा के संदर्भ में, आयात वर्ष 2019-20 में स्थिर रहा, जबकि वर्ष 2019-20 में आयात इकाई मूल्य में 8.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले यह 4.8 प्रतिशत थी। कपास, दालें, फार्मास्युटिकल उत्पाद तथा फल और सब्जियों जैसे कुछ क्षेत्रों में वर्ष 2019-20 के दौरान आयात में विस्तार देखा गया।

11.6.17 कच्चे तेल की कीमतों में 12.9 प्रतिशत की गिरावट से वर्ष 2019-20 के दौरान पीओएल का आयात 7.4 प्रतिशत कम हो गया (चार्ट 11.6.8)। कम वैश्विक तेल की मांग और गैर-ओपेक देशों जैसे अमेरिका और कनाडा द्वारा अधिक उत्पादन के कारण सऊदी अरब में आपूर्ति-पक्षीय विघटन, ओपेक के गिरते उत्पादन और ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों से होने वाले अंतराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को सीमित रखा। जनवरी 2020 से सऊदी-रूस मूल्य युद्ध और कम मांग के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। वेनेजुएला और ईरान, जो एक साथ वर्ष 2018-19 में भारत के कच्चे तेल के आयात का 17.0 प्रतिशत हिस्सा होते थे, को अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद खो दिया। जून 2019 से भारत ने ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया तथा इसकी भरपाई इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और

अमेरिका जैसे अन्य शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं से आयात करके की (चार्ट 11.6.9.)। इन गतिविधियों ने भारत के लिए एक उच्च कीमत का जोखिम पैदा किया, क्योंकि कच्चे तेल के आयात के प्रमुख स्रोतों के अलावा, ईरान और वेनेजुएला की प्रति बैरल लागत भी अन्य आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से अमेरिका की तुलना में कम थी। वर्ष 2019-20 में ईरान, वेनेजुएला और अमेरिका से आयातित तेल की अनुमानित कीमत क्रमशः 69 अमेरिकी डालर, 48 अमेरिकी डालर और 70 अमेरिकी डालर प्रति बैरल है।



चार्ट II.6.9 : भारत के कच्चे तेल आयात के स्रोत



स्रोत: डीजीसीआई एवं एस


II.6.18 वर्ष 2019-20 में सोने के आयात में 28.2 बिलियन अमेरिकी डालर आयात के साथ इसमें 14.2 प्रतिशत (वर्ष-दर वर्ष) की गिरावट दर्ज की गई। मात्रा के लिहाज से, सुरक्षित पनाहगाह मांग (चार्ट II.6.10) पर अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद 26.7 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट थी। वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट में घोषित सोने के

आयात शुल्क में 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत की वृद्धि ने भी सोने के आयात की मात्रा में गिरावट लाने में योगदान दिया।

II.6.19 गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात में वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के बाद गिरावट शुरू हो गई तथा वर्ष 2019-20 के दौरान गिरावट ज्यादा हो गई। गैर-तेल गैर-स्वर्ण के आयात में, मोती और कीमती पत्थर, कोयला और रसायन गिरावट के लिए प्रमुख संवाहक/योगदानकर्ता थे (चार्ट II.11.)। अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमतों में 29.2 प्रतिशत की तीव्र गिरावट के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान कोयले के आयात में 14.2 प्रतिशत की गिरावट आई। मात्रा के संदर्भ में, कोयला आयात में वर्ष के दौरान 4.6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।


II.6.20 परिवहन उपकरणों के आयात से पूंजीगत वस्तुओं के आयात में गिरावट आई। इन आयातों को मुख्य रूप से जहाजों, नावों और प्लवमान संरचनाओं, ऑटोमोबाइल पुर्जों और घटकों तथा रेलवे उपकरणों जैसे क्षेत्रों द्वारा किया गया था, जो घरेलू मांग की स्थिति को दर्शाता है। चीन, जर्मनी और अमेरिका से भारत के ऑटोमोबाइल पुर्जों और घटक के आयात का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा आयात होता है। मोती और कीमती पत्थरों का आयात 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2019-20 में 17.1 प्रतिशत घट गया। व्यापार भागीदारों से

चार्ट II.6.10: स्वर्ण का आयात



स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

चार्ट II.6.11: 2019-20 में आयात वृद्धि में प्रमुख क्षेत्रों का भारत अंशदान



स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

आयात के रूप में भारत के मोती और कीमती पत्थरों के कुल आयात का 89.2 प्रतिशत हिस्सा थी, में एक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मोती और कीमती पत्थरों में गिरावट, वर्ष 2019-20 में हीरे के आयात में 17.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट के कारण रही जो कीमती पत्थरों में यह गिरावट वर्ष के दौरान 21.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हीरे के निर्यात शिपमेंट में गिरावट के कारण रही।

II.6.21 भारत की आयात वृद्धि में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के औषधीय और फार्मास्यूटिकल उत्पादों के आयात ने वर्ष 2019-20 में 1.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की। इस सेगमेंट के भीतर, थोक दवाएं, इंटरमीडिएट और ड्रग फॉर्मूलेशन के आयात ने वर्ष 2019-20 में फार्मास्यूटिकल आयात का 88 प्रतिशत हिस्सा था। चीन से भारत का आयात इस अवधि में उसकी कुल थोक दवाओं और मध्यवर्ती आयातों का 68.0 प्रतिशत था।


II.6.22 वर्ष 2019-20 के दौरान आयात में गिरावट निर्यात की तुलना में बहुत ज्यादा थी, एक वर्ष पहले 184.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का व्यापारिक व्यापार घाटा गिरकर 160.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक सीमित हो गया, जो कि दोनों उप-घरेलू आर्थिक गतिविधियों और मंद निर्यात प्रदर्शन को दर्शाता है (चार्ट II.6.12)।

4. अदृश्य कारक

II.6.23 अदृश्य निवल प्राप्तियां, सीमा पार की सेवाओं का लेनदेन, आय तथा हस्तांतरण को दर्शाती है, जिसमें वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि हुई है, हालांकि एक साल पहले की तुलना में इसमें कमी आई (परिशिष्ट तालिका 8)। सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वृद्धि और विदेशों में भारतीयों से धन प्रेषण प्राप्तियों ने निवल अदृश्य प्राप्तियों को बढ़ावा दिया, जिसने वर्ष 2019-20 के दौरान व्यापार घाटे के 84 प्रतिशत का वित्तपोषण किया - जो एक साल पहले के 68 प्रतिशत से अधिक था।


II.6.24 भारत के सेवाओं के शुद्ध निर्यात ने परिवहन, बीमा और संचार सेवाओं (चार्ट II.6.13) को छोड़कर सभी उप-क्षेत्रों

चार्ट II.6.12: पण्य वस्तुओं के व्यापार प्रवाहों में बदलाव



में एक व्यापक सुधार दर्ज किया। अमेरिका में भारतीय आईटी सेवा फर्मों द्वारा दायर एच -1 बी वीजा आवेदनों की उच्च अस्वीकृति दर के बावजूद सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात तेज गति से बढ़ा है। प्रमुख आईटी कंपनियों ने विदेशी बाजारों में बहु-वर्षीय आईटी सेवा अनुबंध और रणनीतिक सौदे हासिल किए। उन्होंने नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन

चार्ट II.6.13: सेवा क्षेत्रों में भारत का निवल आयात



लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए अपने ग्राहकों के उद्यम-व्यापक परिवर्तन की पहल का समर्थन करने के भी प्रयास तेज किए।

II.6.25 यात्रा से निवल प्राप्तियों में वर्ष 2019-20 के दौरान दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई, जो आउटबाउंड यात्रा पर भुगतान की कम वृद्धि को दर्शाती है, भले ही पर्यटकों के आगमन वाले देशों (अमेरिका को छोड़कर) से पर्यटकों की हिस्सेदारी एक साल पहले के मुकाबले कम थी। कोविड-19 के वैश्विक प्रसार के प्रभाव को दर्शाते हुए, 3.28 लाख विदेशी पर्यटकों के आगमन ने मार्च 2020 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 66.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जिसके कारण वर्ष 2019-20 के दौरान पर्यटकों की संख्या 3.8 प्रतिशत²⁸ घट गई। कोविड-19 के कारण सुस्त घरेलू आर्थिक गतिविधि और यात्रा प्रतिबंधों ने भारत के बाहर जाने वाले पर्यटकों को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप एक साल पहले 11.2 प्रतिशत की तुलना में यात्रा भुगतान (1.4 प्रतिशत) में धीमी वृद्धि हुई।


II.6.26 विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों से हमारे देश में आने वाला धनप्रेषण वर्ष 2019-20 में भी लगातार तीन वर्ष तक बढ़ता रहा है, हालांकि इसकी गति थोड़ी धीमी रही है। धनप्रेषण में धीमापान काफी हद तक इसलिए रहा है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि दर कमजोर हुई है और कच्चे तेल की कम कीमतों की वजह से तेल उत्पादक खाड़ी देशों की आय पर दबाव बढ़ा है। इसके बावजूद, भारत को वर्ष 2019 में पूरे विश्व में सबसे अधिक 11.3 प्रतिशत धनप्रेषण प्राप्त हुआ था। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार, भारत को धनप्रेषण में लगने वाला खर्च वर्ष 2018-19 के 5.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 5.3 प्रतिशत हो गया और विश्व के औसत 6.8 प्रतिशत से काफी कम बना रहा।²⁹

II.6.27 आय शीर्ष के अंतर्गत, उत्पादन और वित्तीय एवं अन्य गैर-उत्पादक आस्तियों के स्वामित्व से जुड़े आयगत भुगतान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में कम ही रहे। यह कमी मुख्यतया इस वजह से रही कि निवेशगत आय के कारण बाहर जाने वाली निवल राशि कम थी, जिसमें लाभांश एवं अर्ध-निगमों से आहरित आय, अर्जन का पुनर्निवेश और ब्याज शामिल हैं। कर्ज के कारण किए जाने वाले अत्यधिक भुगतान एवं विदेशी निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार के चलते ऋणेतार देयताएं होते हुए भी निवल रूप से बाहर जाने वाली राशि घटी है क्योंकि विदेशी मुद्रा आस्तियों पर ब्याज से होने वाली आय तथा विदेशों में भारतीय एफडीआई उद्यमों का लाभांश अर्जन पिछले कई वर्षों से बढ़ता रहा है।

II.6.28 चौथी तिमाही में चालू खाते में घाटे की स्थिति अधिशेष में बदल जाने से वर्ष 2018-19 में चालू खाता घाटा जीडीपी के 2.1 प्रतिशत से कम होकर 0.9 प्रतिशत पर सिमट गया है, जिससे ज्ञात होता है कि वणिक व्यापार का घाटा कम हो गया है, कच्चे तेल, कोयला एवं उर्वरक जैसे पण्यों की कम कीमतों से व्यापार की स्थिति से लाभ प्राप्त हुए हैं, तथा आयात की मात्रा घट गई है (चार्ट II.6.14 और II.6.15)।

चार्ट II.6.14: भारत के चालू खाता घाटे के घटक




स्रोत: आरबीआई

²⁸ अप्रैल-फरवरी 2019-20 के दौरान विदेशी पर्यटकों का आगमन 2018-19 की इसी अवधि की तुलना में 2.5 प्रतिशत अधिक था।


²⁹ रेमिटेन्स प्राइसेस वर्ल्डवाइड – वर्ल्ड बैंक, जून 2020

चार्ट II.6.15: वृद्धिशील चालू खाते की कमी के स्रोत



टिप्पणी: पूर्णांक होने के कारण दो वर्षों में सीएडी का वृद्धि मूल्य सीएडी के अंतर के बराबर नहीं हो सकता है।
स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.6.16: चालू खाता घाटे का वित्तपोषण



टिप्पणी: 'अन्य' में शुद्ध बाह्य सहायता, रुपया ऋण सेवा और अन्य पूंजी शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई

बाह्य वित्तपोषण

II.6.29 वित्तीय दृष्टि से देखा जाए तो विदेशी पूंजी के समस्त प्रमुख स्रोतों में वृद्धि हुई है। आने वाला निवल पूंजीगत प्रवाह चालू खाते घाटे की खराब स्थिति को वित्त प्रदान करने के लिए पर्याप्त था, इसलिए वर्ष 2019-20 में विदेशी मुद्रा भंडार का

संचय काफी बढ़ा है (चार्ट II.6.16)। भुगतान संतुलन आधार पर देखें तो (मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर) विदेशी मुद्रा भंडार वर्ष 2018-19 में 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटने के बाद वर्ष 2019-20 में 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया था (बॉक्स II.6.2)।

बॉक्स II.6.2

पूंजी प्रवाह और विदेशी मुद्रा भंडार: घरेलू अर्थव्यवस्था की अवशोषक क्षमता का विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

घरेलू संवृद्धि की हालिया तुलनात्मक मंदी की स्थिति और पूंजी के अंतर्वाह में हुई भारी वृद्धि से विदेशी मुद्रा का भंडार ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया था जिसने अर्थव्यवस्था की अवशोषक क्षमता के इस प्रश्न को अहम बना दिया है कि – संवृद्धि दर, उत्पादकता तथा विकास की गति में तेजी लाने के लिए अर्थव्यवस्था द्वारा कितनी विदेशी पूंजी का कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है (आरबीआई, 2020)। इस मुद्दे की विशेष प्रासंगिकता है क्योंकि आमतौर पर विदेशी पूंजी को इस नज़रिये से देखा जाता है कि यह अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन यदि इसे निवेश को वित्तपोषित करने के लिए वास्तविक अर्थव्यवस्था में खपाया नहीं गया तो इससे संभावना यह होती है कि विनिमय दर बढ़ने का दबाव बढ़ सकता है, अर्थव्यवस्था में ओवरहीटिंग की स्थिति पैदा हो सकती है जिससे आस्तियों के मूल्यों में बुलबुले (बबल्स) उठ सकते हैं। जिन देशों की अवशोषक क्षमता सीमित होती है वहां निवल पूंजी प्रवाह सीएडी की फंडिंग आवश्यकता से अधिक हो जाने पर विदेशी मुद्रा भंडार काफी बढ़ सकता है, जिसे यह समझे बिना कि वास्तविक उपभोग एवं निवेश में इसे अधिक लगाने के क्या फायदे हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था के बाहर लगा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि अवशोषण क्षमता का अभाव है तो विदेशी पूंजी की संवृद्धि दर बढ़ाने की भूमिका बाधित हो सकती है। सामान्यतया घरेलू मांग

की कमी, उत्पादन के अनुपूरक कारक जैसे कुशल श्रमिक, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और मध्य में लगने वाले उत्पादन इनपुट्स का अभाव, तथा संस्थागत विकास की कमी अर्थव्यवस्था की अवशोषक क्षमता को बाधित करते हैं। प्रसंगवश, पूंजी प्रवाह को उच्च संवृद्धि से तभी जोड़ा जा सकता है जब उत्पादन और उपभोग पर उसके नकारात्मक प्रभाव की अस्थिरता को नियंत्रित कर लिया जाए (वर्ल्ड बैंक, 2001)।

भारत के मामले में, लगभग आधा निवल पूंजी प्रवाह (वर्ष 2013-14 से 2019-20 के दौरान जीडीपी का औसतन 2.7 प्रतिशत) भंडार के रूप में धरा रह जाता है (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था में अवशोषण क्षमता पर्याप्त नहीं है। यद्यपि उच्च सीएडी (उच्च व्यापार घाटा के कारण) ने जीएफसी अवधि (2009-10 से 2012-13) के बाद पूंजी प्रवाह को अवशोषित कर लिया था, लेकिन जिस प्रकार का आयात किया गया वह अनुत्पादक स्वर्ण का आयात तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमतों पर कच्चे तेल का आयात था, बजाय इसके कि संवृद्धि-दर बढ़ाने वाले तेल से इतर एवं स्वर्ण से इतर का आयात किया जाता। टेपर-टैट्रम अवधि अर्था 2013-14 से 2019-20 के बाद की अवधि में निवल पूंजी प्रवाह (जीडीपी के अनुपात के रूप में) कम थे किंतु

(जारी...)

सीएडी के सामान्य स्तर से अधिक थे, जिसका कारण यह था कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई थीं और तेल से इतर एवं स्वर्ण से इतर मर्चों में वृद्धि संतुलित थी (अर्थात् 2009-10 से 2012-13 के 12.0 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 से 2019-20 के दौरान औसतन 2.4 प्रतिशत)।

संरचनागत कारकों के अलावा, हाल के वर्षों में मुख्यतया कम घरेलू मांग के कारण संवृद्धि-दर धीमी हो गई थी जो अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी प्रवाह को अवशोषित कर पाने की क्षमता में बाधा बन गई थी। वेक्टर-एरर करेक्शन मॉडल में 1997-98: से 2019-20: चौथी तिमाही तक के डाटा के स्तेमाल से पता चलता है कि संवृद्धि-दर को बढ़ाने में सबसे ज्यादा प्रभावकारी हिस्सा आयात किए गए तेल की मात्रा (कच्चे तेल एवं उत्पाद दोनों) का होता है, उसके बाद पूंजीगत वस्तुओं का एवं तेल से इतर, स्वर्ण से इतर मर्चों के आयातों का होता है (सारणी 1)। अतः पूंजीगत वस्तुओं के एक अच्छे मिश्रित अनुपात में किया गया आयात, न केवल घरेलू अवशोषक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित करते हुए संवृद्धि-दर को भी बढ़ाता है।

संक्षेप में, आर्थिक संवृद्धि के लिए विदेशी पूंजी का अवशोषण महत्वपूर्ण है। यह सीएडी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जो संवृद्धि-दर बढ़ाने वाले आयात के माध्यम से अर्थव्यवस्था की अवशोषक क्षमता का संवर्धन करता है। इसके अलावा, संरचनागत सुधार के साथ-साथ सीएडी की बेहतर गुणवत्ता ही देश की संभाव्य-क्षमता को ऊपर उठाती है और संवृद्धि को बनाए रखती है।

संदर्भ :

1. स्टीफन ग्रेविले (2008), "सेंट्रल बैंक एंड कैपिटल फ्लोज", एडीबीआई चर्चापत्र सं. 87, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट: टोक्यो

सारणी 1: आयात का प्रभाव उत्पन्न करने वाला विकास
(आश्रित चर: वास्तविक जी.डी.पी.)

आयात	ट्रुटि सुधार टर्म	दीर्घ -अवधि प्रभाव
1	2	3
तेल (कूड और उत्पाद)	-0.06**	1.02*
गैर- तेल और गैर-स्वर्ण #	-0.04*	0.56*
पूंजीगत वस्तुएँ #	-0.02***	0.81*
स्वर्ण	लंबे समय तक संबंध नहीं ^	

#: अनुमान 2001-02 की पहली तिमाही से 2019-20 की चौथी तिमाही की अवधि पर आधारित।

^: जोहान्सन परीक्षण के आधार पर कोई संयोग नहीं मिला।

*, ** और ***: क्रमशः 1, 5 और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्व का संकेत देते हैं।

नोट : 1. सभी चर लॉग फॉर्म में हैं और वेक्टर ट्रुटि सुधार अवशिष्ट सीरियल सहसंबंध और उनकी सामान्यता के लिए जाँच किए गए अनुमान हैं। उपयोग किए गए लैम्स की इष्टतम संख्या 4 है।

2. तेल और सोने के आयात का अनुमान डीजीसीआई एवं एस द्वारा बताई गई वास्तविक मात्रा पर आधारित है जबकि गैर-तेल गैर-सोने के आयात और पूंजीगत सामान के आयात को भारत के यूवीआई द्वारा यूएनसीटीएडी डेटाबेस के तहत उपलब्ध आयात से कम किया गया था।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन।

2. वर्ल्ड बैंक (2001), "इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज एंड इकॉनॉमिक ग्रोथ", ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनांस 2001, अध्याय 3
3. भारतीय रिज़र्व बैंक (2002), रिपोर्ट आन करेसी एंड फाइनांस, 2001-02

II.6.30 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), पूर्व वर्षों की तरह ही बाह्य वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत बना रहा। सकल और निवल दोनों ही रूप से, एफडीआई का प्रवाह वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में संबंधित स्तरों से काफी ऊपर बना रहा (सारणी II.6.1)। विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी बने रहने तथा आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध के कारण विश्व स्तर पर निवेश की बढ़ती चिंताओं के बावजूद भारत वर्ष 2019-20 में एफडीआई की गति को बनाए रखने तथा वर्ष 2019 में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने में अपना 9वां स्थान बनाए रखने में सफल रहा।³⁰ कारोबार प्रारंभ करने के क्षेत्र में दीर्घकालिक कारोबारी सुधार लाने, निर्माण परमिट तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत दिवाला संकल्प की वजह से भारत ने 14वां स्थान

प्राप्त किया है तथा विश्व बैंक के सहजता से कारोबार करने संबंधी सूचकांक (2020)³¹ में एक वर्ष पूर्व के 77वें स्थान से आगे बढ़कर

सारणी II.6.1: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

बिलियन अमेरिकी डॉलर				
मद	2017-18	2018-19	2019-20 (पी)	
1	2	3	4	
1	निवल एफडीआई (1.1 - 1.2)	30.3	30.7	43.0
1.1	निवल आवक एफडीआई (1.1.1 - 1.1.2)	39.4	43.3	56.0
1.1.1	सकल अंतर्वाह	61.0	62.0	74.4
1.1.2	प्रत्यावर्तन/ विनिवेश	21.5	18.7	18.4
1.2	निवल जावक एफडीआई	9.1	12.6	13.0
पी: अनंतिम				
स्रोत: आरबीआई				

³⁰ निवेश की प्रवृत्ति की निगरानी- यूएनसीटीएडी, जनवरी 2020।

³¹ डूइंग बिजनेस 2020, द वर्ल्ड बैंक।


63वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत विश्व के उन 10 शीर्ष देशों में से एक है जिसने लगातार तीन वर्ष से कारोबार करने में सहजता लाने में आसानी पैदा की है। अधिकांश एफडीआई इक्विटी का प्रवाह संचार सेवाओं, फुटकर और थोक व्यापार, वित्तीय सेवाओं, कंप्यूटर एवं कारोबारी सेवाओं एवं विनिर्माण क्षेत्र सहित सेवा क्षेत्र की ओर रहा है। सिंगापुर और मारिशस एफडीआई प्रवाह के मुख्य स्रोत रहे हैं, जो 2019-20 में कुल एफडीआई प्रवाहों का 50 प्रतिशत था, उसके बाद नेदरलैंड, केयमैन आइलैंड, अमरीका तथा जापान रहे हैं (चार्ट II.6.17 और परिशिष्ट सारणी 9)।

II.6.31 इक्विटी में निवेश के अलावा, एफडीआई कंपनियों के परस्पर-कारपोरेट कर्ज में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो मान्यताप्राप्त प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों के बीच उधार लेने या उधार देने को कवर कर लेता है। जनवरी 2019 से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित नीतिगत ढांचे के सरलीकरण ने उन समस्त संस्थाओं को ईसीबी जुटाने की अनुमति प्रदान कर दी है जो एफडीआई के लिए पात्र हैं तथा अन्य रियायतें देने जैसे संसाधनों के अंतिम उपयोग की संभावनाओं में व्यापकता लाने से एफडीआई का प्रवाह एक वर्ष पूर्व के इसके स्तर की तुलना


में 2019-20 में तीन गुना बढ़कर 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

II.6.32 भारतीय संस्थाओं द्वारा बाह्य प्रत्यक्ष निवेश भी काफी तेज़ रहा क्योंकि भारतीय संस्थाएं अपने कारोबारी परिचालन को विदेश में फैलाना जारी रखे हुए हैं। बाह्य एफडीआई मुख्यतया इक्विटी और ऋण के रूप में था जो सहयोगी संस्थाओं/मान्यताप्राप्त उद्यमों को प्रमुख रूप से सिंगापुर, अमरीका, यूके, मारिशस, स्विट्ज़रलैंड तथा नीदरलैंड में दिया गया जो इस अवधि के दौरान विदेशों में किए गए कुल निवेश का 75 प्रतिशत था। इनमें से अधिकांश निवेश कारोबारी सेवाओं, विनिर्माण और रेस्तरां तथा होटल क्षेत्र में किए गए।

II.6.33 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वर्ष 2019-20 के प्रारंभ से ही अस्थिर बने रहे। सामान्य मार्ग (रूट) से एफपीआई का निवल बाह्य प्रवाह 2019-20 में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जुलाई, 2019 में इक्विटी खंड में घरेलू स्तर पर मंदी के कारण तथा संघीय बजट में अति-धनी कर अधिभार की घोषणा किए जाने से एफपीआई में अपविक्रय (सेल-आफ) की स्थिति रही, खासतौर से आटो क्षेत्र में। लेकिन, कर अधिभार वापस लेने तथा सितंबर 2019 में कारपोरेट कर-दर में अत्यधिक कटौती किए जाने से बाह्य प्रवाह की स्थिति उलट गई। प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दी गई मौद्रिक सहजता तथा अमरीका-चीन के बीच चरण 1 व्यापार सौदे ने भी एफपीआई के प्रवाह को आने में वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में मदद की। लेकिन, कोविड-19 के चलते वैश्विक मंदी के भय के कारण उत्पन्न पूरे विश्व में जोखिम न उठाने की अप्रत्याशित लहर तथा सऊदी अरब और रूस के बीच कच्चे तेल की कीमतों की लड़ाई ने विश्व के निवेशकों में जोखिम न उठाने की भावना को व्याप्त कर दिया जिससे वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में 16.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध अविक्रय (सेल-आफ) हुआ (चार्ट II.6.18)। एफपीआई बाह्य प्रवाह का लगभग 70 प्रतिशत बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय सेवाओं, साफ्टवेयर, तेल एवं गैस, तथा आटोमोबाइल और आटो-कंपोनेंट्स से था




चार्ट II.6.18: भारत का निवल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह



(चार्ट II.6.19)। मार्च, 2020 के अंत में अभिरक्षा के अंतर्गत रखी आस्तियों में राष्ट्रवार हिस्सेदारी देखें तो ज्ञात होता है कि उसमें अमरीका-आधारित विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का वर्चस्व रहा है, उसके बाद वे देश रहे हैं जो मारिशस, लुकज़मबर्ग तथा सिंगापुर के माध्यम से परिचालन कर रहे हैं। तथापि, स्वेच्छा धारित मार्ग (वीआरआर), जिसे कर्ज-बाज़ार में दीर्घकालिक एफपीआई को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रारंभ

चार्ट II.6.19: इक्विटी बाजार में एफपीआई एक्सपोजर में बदलाव




किया था, के तहत मार्च, 2020 के अंत तक 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफपीआई प्रवाह रहा है।


II.6.34 वर्ष 2019-20 के दौरान निवेश के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए तथा विदेशी निवेशकों को विश्वास प्रदान किया गया : (i) एफपीआई निवेश की सांविधिक सीमा को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर सेक्टरल विदेशी निवेश की सीमा तक बढ़ाया गया, साथ ही कारपोरेट्स को यह विकल्प भी दिया गया कि वे इसे इससे कम के स्तर तक सीमित कर सकते हैं, (ii) एफपीआई को यह अनुमति प्रदान की गई कि वे स्थावर संपदा निवेश न्यास (रेडिट) तथा अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट्स) द्वारा जारी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों में अभिदान कर सकें, और (iii) विदेशी निवेशकों के लिए केवायसी मानदंडों को युक्तिपरक बनाया गया। रिज़र्व बैंक ने विदेशी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए हैं, जैसे (i) एफपीआई द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (तिजोरी बिल सहित) अथवा राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में किए जाने वाले अल्पकालिक निवेश को कुल एफपीआई निवेश की सीमा के 20 प्रतिशत को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया; (ii) वीआरआर योजना के अंतर्गत निवेश की उच्चतम सीमा को 75,00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया; (iii) सामान्य निवेश सीमा के अंतर्गत किए गए निवेश को वीआरआर योजना में अंतरित करने की छूट; तथा (iv) वीआरआर के अंतर्गत निवेश के लिखतों की संभावना में विस्तार प्रदान करना ताकि केवल कर्ज के लिखतों में निवेश करने वाली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को शामिल किया जा सके। वर्ष 2020-21 के लिए घरेलू कारपोरेट बान्ड बाज़ार में एफपीआई सीमा को और बढ़ाकर कारपोरेट बान्ड्स के कुल बकाया स्टॉक के 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। विश्वसनीयता पैदा करने के लिए किए गए अनेक उपायों तथा एफपीआई सीमा को बढ़ाने के बावजूद, एफपीआई गतिविधियां वर्ष 2019-20 में काफी हद तक विश्व में होने वाली प्रगति से प्रभावित रहीं। सरकारी कर्ज-बाज़ार (सरकारी प्रतिभूति एवं एसडीएल दोनों) में एफपीआई सीमा का उपयोग एक वर्ष पूर्व की 54.0 प्रतिशत एवं 75.9 प्रतिशत की सीमा से घटकर मार्च, 2020 के अंत में क्रमशः 37.5 प्रतिशत एवं 54.5 प्रतिशत हो गया था।

II.6.35 घरेलू पूंजी बाज़ार से एफपीआई बहिर्वाह से ज्ञात होता है कि प्रमुख ईएमई में पोर्टफोलियो प्रवाहों की दिशा उलट गई है। वस्तुतः, ईएमई से 2019-20 की चौथी तिमाही में एफपीआई बहिर्वाह, जीएफसी (वैश्विक वित्तीय संकट) सहित किसी भी चरण का अब तक का सबसे अधिक सुरक्षित स्थान पर जाना रहा था (चार्ट II.6.20)।

II.6.36 अन्य प्रकार के वित्तीय प्रवाहों में, भारत में ईसीबी³² पिछले वर्ष के 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से काफी बढ़कर वर्ष 2019-20 में 21.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था (चार्ट II.6.21)। प्रचुर वैश्विक चलनिधि की स्थिति तथा अनुकूल विदेशी ब्याज दर वातावरण और साथ ही वित्तीय स्थिति को सहज बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न ईसीबी उदारीकरण उपायों ने घरेलू संस्थाओं के लिए यह आसान बना दिया कि वे विश्व के पूंजी बाज़ार से संपर्क कर सकें। रिज़र्व बैंक ने यह अनुमति दी- (i) कार्यशील पूंजी एवं सामान्य कारपोरेट प्रयोजन से 10 वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता की ईसीबी; (ii) पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू स्तर पर लिए गए रुपये ऋण की चुकौती हेतु 7 वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता




चार्ट II.6.21: भारत का बाह्य वाणिज्यिक उधार (निवल)



की ईसीबी तथा गैर-पूंजी व्यय के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता की ईसीबी; (iii) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) उपर्युक्त प्रयोजन से आगे उधार देने हेतु ईसीबी कर सकती हैं; तथा (iv) विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्र में पूंजी व्यय हेतु घरेलू स्तर पर लिए गए रुपये ऋण के लिए न्यूनतम 7 वर्ष की परिपक्वता की ईसीबी बशर्ते उधारदाता के साथ एकबारगी निपटान के अंतर्गत विशेष उल्लेख खाता (एसएमए-2) अथवा अनर्जक आरिस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। इन उपायों का अनुकूल प्रभाव ईसीबी के उपयोग से पता चलता है क्योंकि वर्ष 2019-20 में 75 प्रतिशत ईसीबी अनुमोदन आगे-उधार देने, उप-उधार देने, स्थानीय पूंजी वस्तुओं पर रुपये व्यय, रुपये ऋण का पुनर्वित्तीयन, कार्यशील पूंजी, अवसंरचना विकास तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए किया गया था (चार्ट II.6.22)। जहां रुपए मूल्यवर्ग के ऋण तथा रुपये मूल्यवर्ग के बांड्स (आरडीबी) करार राशि का 7.1 प्रतिशत थे, वहीं 56.7 प्रतिशत (रुपये मूल्यवर्ग के बांड्स/ ऋणों के अलावा) को 2019-20 में हेज किया गया जबकि यह एक वर्ष पूर्व 45.6 प्रतिशत था। लेकिन, नये संवितरण की

³² एफडीआई कंपनियों के अंतर-कॉर्पोरेट उधार को छोड़कर।

चार्ट II.6.22: 2019-20 में ईसीबी का अंत्य-उपयोग



स्रोत: आरबीआई

अपेक्षा अधिक चुकौती ने आरडीबी में निवल बहिर्वाह 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया जबकि इसकी तुलना में एक वर्ष पूर्व अंतर्वाह 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पहली तिमाही में मामूली निवल अंतर्वाह के बाद, आगे की तिमाहियों में अल्पकालिक व्यापार ऋण घट गया क्योंकि नये संवितरण की मांग, क्रेता एवं आपूर्तिकर्ता दोनों की क्रेडिट मांग, वणिज्य व्यापार की गतिविधियों में मंदी के साथ-साथ धीमी पड़ गई। ट्रेड क्रेडिट प्रथमिक रूप से घरेलू कंपनियों द्वारा कच्चे तेल, कोयला तथा तांबा के आयात को वित्त प्रदान करने के लिए लिया जाता है जो कुल मिलाकर इस अवधि के दौरान सकल अल्पकालिक व्यापार क्रेडिट का लगभग 45 प्रतिशत होता है।

II.6.37 अनिवासी जमा खाता में निवल प्रवाह 2019-20 में 17 प्रतिशत घट गया क्योंकि अनिवासी (बाह्य) रुपये (एनआरई) खाता के अंतर्गत जमा राशि जो अंतर्वाहों का थोक हिस्सा होती है, वह तीव्र रूप से घट गई। मीयादी जमा दरों के नरम पड़ने तथा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच रुपये के और अधिक मूल्यहास होने से इस खाते में प्रवाह आंशिक रूप से धीमा पड़ गया था। अन्य दो खातों अर्थात् अनिवासी साधारण रुपए खाता (एनआरओ) तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी

[एफसीएनआर (बी)] (बैंक) खाता की जमा राशियां पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रहीं (सारणी II.6.2)।

6. भेद्यता स्थिति बताने वाले संकेतक

II.6.38 मार्च, 2020 के अंत में भारत का बाह्य ऋण मार्च, 2019 के अंत के स्तर से 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अर्थात् 2.8 प्रतिशत) बढ़ गया था, जिसका प्राथमिक कारण कमर्शियल उधारी थी। बाह्य ऋण में वृद्धि की स्थिति आंशिक रूप से 16.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन लाभ से समायोजित हो गई, जो भारतीय रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर एवं अन्य प्रमुख करेंसियों (जैसे यूरो एवं एसडीआर) के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। यदि मूल्यांकन प्रभाव को छोड़ दें तो बाह्य ऋण में वृद्धि 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय 32.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर होती। बाह्य ऋण में सबसे ज्यादा हिस्सा कमर्शियल उधार का था जिसका हिस्सा 39.4 प्रतिशत था, उसके बाद अनिवासी जमा राशियों (23.4 प्रतिशत) तथा अल्पकालिक व्यापार क्रेडिट (18.2 प्रतिशत) का हिस्सा था। जीडीपी के अनुपात के रूप में देखें तो मार्च, 2019 के अंत में बाह्य ऋण 19.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2020 के अंत में 20.6 प्रतिशत हो या गया। बाह्य ऋण में वृद्धि के होते हुए भी बाह्य रूप से प्रभावित करने वाले अन्य ऋण-और-रिज़र्व-संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है। कुल कर्ज में अल्पकालिक कर्ज (मूल एवं अवशिष्ट परिपक्वता दोनों आधार पर) कम हुआ है। इसी प्रकार, आयात और अल्पकालिक-कर्ज (मूल एवं अवशिष्ट

सारणी II.6.2 : अनिवासी जमा खातों के अंतर्गत प्रवाह

बिलियन अमेरिकी डॉलर

	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4
1. अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता	7.1	7.3	5.6
2. अनिवासी सामान्य खाता	1.5	1.9	2.0
3. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	1.0	1.1	1.1
अनिवासी जमा राशियां (1+2+3)	9.7	10.4	8.6

स्रोत: आरबीआई

परिपक्वता दोनों आधार पर) को कवर करने के लिए वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार और बेहतर हुआ है, जिससे मुख्यतया यह पता चलता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारी संचय हुआ है। इस भारी संचय ने इसी अवधि के दौरान भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) को भी 57.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अर्थात् भारत पर अनिवासियों के निवल दावे कम हुए हैं) तक बेहतर बना दिया है। (सारणी II.6.3, और परिशिष्ट सारणी 1 और 2)।

II.6.39 वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही से लेकर तीसरी तिमाही तक खासतौर से पूंजी का अंतर्वाह बहुत तीव्र था, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार का संचय बढ़ गया था, जो 6 मार्च, 2020 को 487.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक

सारणी II.6.3 : बाह्य क्षेत्र के कमज़ोरी के संकेतक (मार्च समाप्ति)

(प्रतिशत, जब तक अन्यथा इंगित नहीं किया गया हो)

संकेतक	2013	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1. जीडीपी अनुपात की तुलना में बाह्य कर्ज	22.4	20.1	19.8	20.6
2. कुल कर्ज (मूल परिपक्वता) की तुलना में अल्पावधि कर्ज का अनुपात	23.6	19.3	20.0	19.1
3. कुल कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) की तुलना में अल्पावधि कर्ज का अनुपात	42.1	42.0	43.4	42.4
4. कुल कर्ज की तुलना में रियायती कर्ज का अनुपात	11.1	9.1	8.7	8.6
5. कुल कर्ज की तुलना में आरक्षित निधियों का अनुपात	71.3	80.2	76.0	85.5
6. आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि कर्ज का अनुपात	33.1	24.1	26.3	22.4
7. आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता) कर्ज का अनुपात	59.0	52.3	57.0	49.5
8. आयात के लिए आरक्षित कवर (महीनों में)	7.0	10.9	9.6	12.0
9. कर्ज सेवा अनुपात (चालू प्राप्ति की तुलना में कर्ज सेवा)	5.9	7.5	6.4	6.5
10. बाह्य कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	529.3	543.1	558.5
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	-326.7	-418.5	-436.9	-379.3
12. एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात	-17.8	-15.9	-15.9	-14.0
13. सीएडी/जीडीपी अनुपात	4.8	1.8	2.1	0.9

स्रोत : आरबीआई और भारत सरकार

ऊंचाई पर पहुंच गया था। लेकिन, विदेशी मुद्रा बाज़ार को चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च, 2020 में 6-माह अमेरिकी डॉलर विक्रय/क्रय स्वैप नीलामी किए जाने के फलस्वरूप तथा प्रमुख करेंसियों की तुलना में अमेरिकी डॉलर में तीव्र मूल्यवृद्धि के कारण मूल्यन-हानि होने से विदेशी मुद्रा भंडार मार्च, 2020 के अंत में घटकर 477.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।

II.6.40 सारांशतः, वर्ष 2019-20 में भारत के भुगतान संतुलन से घरेलू गतिविधियों के मंद रहने का आभास होता है, लेकिन पूंजी का प्रवाह तीव्र था, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में भारी संचय हुआ है। बाह्य भेद्यता संकेतकों में वर्ष के दौरान काफी सुधार हुआ है जिससे बाहरी आघातों से पड़ने वाले प्रभावों को दूर करने में मदद मिलेगी। आगामी वर्ष काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि विश्व स्तर पर व्यापार और निवेश का वातावरण अत्यधिक अनिश्चित हो गया है तथा कोविड-19 की गहनता एवं उसके व्यापक प्रकोप से काफी भय एवं अनिश्चितता व्याप्त हो गई है और सभी राष्ट्रों में महामारी की चिंताएं घर कर गई हैं। जहां व्यापार की शर्तों से होने वाला लाभ थोड़ी राहत दे सकेगा, वहीं निर्यात, विप्रेषण अंतर्वाह तथा पर्यटन क्षेत्र का परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है। जहां कंपनियां अपने आईटी विस्तार कार्यों को स्थगित रखेंगी एवं अपने समग्र आईटी खर्चों में कटौती करेंगी, वहीं भारतीय आईटी कंपनियों के लिए उपभोक्ताओं तथा महामारी से प्रभावित कंपनियों द्वारा आईटी-युक्त सेवाओं की मांग एवं उपयोग में वृद्धि हो जाने से साफ्टवेयर एवं संबंधित सेवाओं के लिए थोड़े अवसर पैदा हो सकते हैं। पूंजी के प्रवाह की संभावनाएं अनिश्चितता का सामना कर रही हैं क्योंकि वे वैश्विक मैक्रो-इकॉनॉमिक दृष्टिकोण में बदलाव के प्रति संवेदनशील होती हैं। इसके अलावा, कोविड-19 संबंधी दबाव को दूर करने के लिए किए गए नीतिगत उपायों की प्रभावकारिता भी भारत के बाह्य क्षेत्र की समुत्थानशीलता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

भाग-दो: भारतीय रिज़र्व बैंक की
कार्यप्रणाली और परिचालन

III

मौद्रिक नीति परिचालन

कोविड-19 के कारण आर्थिक संवृद्धि से जुड़े जोखिम भविष्य में और अधिक गहराने तथा दिसंबर 2019-फरवरी 2020 के दौरान मुद्रास्फीति के सहनीय अंतराल की उच्चतम सीमा को पार कर जाने के कारण उत्पन्न चिंताएं बहुत अधिक बढ़ गयीं और मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2019-जून 2020 के बीच नीतिगत दर में कुल मिलाकर 250 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की जिसमें 115 आधार अंकों की वह बड़ी कटौती भी शामिल है जो समिति ने अपनी उन बैठकों में की जो सामान्य शेड्यूल से इतर मार्च और मई 2020 में आयोजित की गयी थीं और जून 2019 में मौद्रिक नीति के रुख में भी बदलाव लाते हुए इसे अनिर्दिष्ट से बदलकर निभावकारी कर दिया गया। प्रणालीगत चलनिधि में जून 2019 में उत्पन्न हुई अत्यधिक अधिशेष की स्थिति निरंतर बनी रही। कोविड 19 के प्रभाव को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने लगातार कदम उठाए। मौद्रिक संचरण में 2019-20 की दूसरी छमाही में सुधार हुआ।

III.1 वर्ष 2019-20 में मौद्रिक नीति निर्माण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देते हुए $\pm 2\%$ के सहनीय अंतराल के साथ 4 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर के मध्यावधि लक्ष्य को हासिल करना था। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति की स्थिति अनुकूल बनी रही परंतु इसकी दर दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण बने दबाव के चलते लक्षित मुद्रास्फीति अंतराल की उच्चतम सहनीय सीमा को पार कर गयी। हालांकि, वर्ष के दौरान वास्तविक क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि की दर मंद पड़ती गयी। कोविड-19 का संक्रमण फैलने और वर्ष की अंतिम तिमाही से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण आर्थिक संवृद्धि परिदृश्य के समक्ष अभूतपूर्व जोखिम उत्पन्न हुए हैं। मौद्रिक नीति समिति ने 2019-2020 के दौरान नीतिगत दर में कुल मिलाकर 185 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती की जिसमें 75 आधार अंकों की वह बड़ी कटौती भी शामिल है जो समिति ने अपने सामान्य शेड्यूल से हटकर मार्च 2020 में आयोजित बैठक में की। एमपीसी द्वारा जून 2019 में नीतिगत रुख को अनिर्दिष्ट से बदलकर निभावकारी कर दिया गया था और मार्च 2020 में समिति ने निभावकारी रुख को तब तक बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की जब तक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करते हुए संवृद्धि दर को बहाल नहीं कर लिया जाता।

III.2 वर्ष 2019-20 के दौरान, जून 2019 में प्रणालीगत चलनिधि में उत्पन्न अत्यधिक अधिशेष की स्थिति निरंतर बनी रही और बाद के महीनों में इसमें और अधिक वृद्धि हुई। रिज़र्व बैंक ने अल्पकालिक और टिकाऊ दोनों प्रकार की चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए कई उपाय किए और चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क का सरलीकरण किया जिसमें नीतिगत उद्देश्यों का अपेक्षाकृत अधिक स्पष्टता के साथ संप्रेषण तथा चलनिधि प्रबंधन के उपायों का एक टूलकिट विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

III.3 कोविड-19 वैश्विक महामारी की प्रतिक्रिया स्वरूप रिज़र्व बैंक ने बहुत सारे कदम उठाए – दीर्घकालिक रिपो परिचालन (एलटीआरओ); कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और संस्थाओं के लिए लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ); आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कटौती; बैंकों द्वारा दैनिक आधार पर सीआरआर बनाए रखने की अनिवार्यता में लचीलापन लाना; सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं में विस्तार; नीतिगत गलियारे को और चौड़ा करते हुए इसे असममित बनाना; अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त की सुविधा; और म्यूचुअल फंडों को विशेष चलनिधि सुविधा। इन सभी उपायों का लक्ष्य प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में चलनिधि उपलब्ध कराना था ताकि कोविड-19 के कारण उत्पन्न अव्यवस्था को झेलते हुए भी वित्तीय बाजार और संस्थाएं सामान्य रूप से अपना कामकाज

जारी रख सकें। मौद्रिक संचरण में सुधार 2019-20 की दूसरी छमाही में आया जब नये अस्थिर दर वाले ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा गया।

III.4 इसी पृष्ठभूमि में, 2019-20 के लिए बनायी गयी कार्ययोजना के क्रियान्वयन की स्थिति भाग 2 में प्रस्तुत की गयी है, जबकि भाग 3 में वर्ष 2020-21 के लिए बनायी गयी मौद्रिक नीति विभाग की कार्ययोजना पर चर्चा की गयी है। अंत में अध्याय का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

2. वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना : क्रियान्वयन की स्थिति वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

III.5 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- चलनिधि पूर्वानुमान फ्रेमवर्क का परिष्कार, संचलनगत मुद्रा के विभिन्न आवृत्तियों पर आकलन को सटीक बनाना और चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के परिचालनात्मक पहलू की समग्र समीक्षा जिसमें संरचनात्मक चलनिधि संतुलन और चलनिधि में वितरणजन्य असममिति से जुड़े पहलू भी शामिल हैं (उत्कर्ष) [पैरा III.16 और III.38];
- अस्थिरता के स्रोतों की पहचान करना तथा इसके लिए जिम्मेदार चक्रीय और संरचनात्मक स्रोतों का परीक्षण करना ताकि मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों में सुधार लाया जा सके (पैरा III.38);
- मुद्रास्फीति के स्थानिक आयामों का अध्ययन ताकि प्रमुख समूहों / उप समूहों में मुद्रास्फीति दरों की भिन्नता को तथा समय के साथ उनमें आने वाले परिवर्तनों और समग्र मुद्रास्फीति के संदर्भ में इसके निहितार्थों को बेहतर तरीके से समझा जा सके (पैरा III.38);
- मौद्रिक संचरण को समझने के उद्देश्य से ऋण के क्षेत्रवार प्रवाह का विश्लेषण (पैरा III.38); तथा
- वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण के प्रवाह के संबंध में आस्ति गुणवत्ता/बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी की कारोबारी स्थिति के निहितार्थ (पैरा III.38).

निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

मौद्रिक नीति

III.6 अप्रैल 2019 में एमपीसी ने 2019-20 की अपनी प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की जबकि फरवरी 2019 में भी 25 आधार अंकों की कमी की जा चुकी थी। प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह संभावना व्यक्त की गयी कि 2019-20 की पहली छमाही में मुख्य मुद्रास्फीति 2.9-3.0 प्रतिशत और 2019-20 की दूसरी छमाही में 3.5-3.8 प्रतिशत रहेगी और जोखिम मोटे तौर पर संतुलित रहेगा। 2019-20 के लिए 7.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था हालांकि वैश्विक स्तर पर बाधाओं की संभावना को स्वीकार किया गया था। एमपीसी ने 4:2 के बहुमत से नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 6.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया और 5:1 के बहुमत से नीतिगत रुख को अनिर्दिष्ट बनाए रखने का फैसला किया।

III.7 एमपीसी की दूसरी समीक्षा बैठक जून 2019 में एक ऐसे माहौल में हुई जब घरेलू संवृद्धि दर और अधिक गिर रही थी। हालांकि मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़ गयी थी परंतु ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा था कि यह वर्ष के दौरान 4 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर ही रहेगी। निवेश गतिविधियों में आयी तीव्र गिरावट और उपभोक्ता वस्तुओं की माँग में निरंतर जारी सुस्ती के कारण उत्पन्न चिंताओं के कारण एमपीसी ने अनुभव किया कि संवृद्धि के साथ थोड़ा समझौता करते हुए मुद्रास्फीति को लक्षित अंतराल के भीतर बनाए रखने के अधिदेश के अनुरूप चला जाए। इसीलिए समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत रिपो दर में फिर से 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 5.75 प्रतिशत करने और मौद्रिक नीति रुख में भी बदलाव करते हुए इसे अनिर्दिष्ट से निभावकारी कर देने का निर्णय लिया।

III.8 जब अगस्त 2019 माह में तीसरे द्विमासिक वक्तव्य का समय आया, तब तक संवृद्धि की रफ्तार और भी मंद पड़ चुकी थी तथा भावी स्थितियों के लिए किए गए सर्वेक्षणों में माँग के सुस्त बने रहने की संभावना जतायी जा रही थी। मुद्रास्फीति परिदृश्य अनुकूल बना रहा और दृष्टिकोण मोटे तौर पर दूसरी मौद्रिक नीति समीक्षा के समय जैसा ही था – मुद्रास्फीति आगामी 12 माह के अंतराल में लक्षित अंतराल के भीतर बने रहने की संभावना व्यक्त की गयी थी। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति समिति को अवसर मिला कि वह सकल मांग, विशेषकर निजी निवेश में तेजी लाकर

वृद्धि दर से जुड़ी चिंताओं को दूर करने हेतु नीतिगत कदम उठाए। एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत दर में कटौती तथा निभावकारी रुख बरकरार रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने 4:2 के बहुमत से 35 आधार अंकों की कमी करने का निर्णय लिया (दो सदस्यों ने 25 आधार अंकों की कटौती करने के पक्ष में मतदान किया)।

III.9 एमपीसी की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक अक्टूबर 2019 में ऐसे माहौल में आयोजित हुई जब आर्थिक गतिविधियों में घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर और अधिक मंदी आ गयी थी। निवेश और उपभोग दोनों की घटती माँग के चलते 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर में संशोधन करते हुए इसे 80 आधार अंक कम करना पड़ा और यह तीसरे मौद्रिक नीति वक्तव्य में व्यक्त 6.9 प्रतिशत के संकल्प से कम होकर 6.1 प्रतिशत हो गयी। मुद्रास्फीति की बात करें तो वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही और 2020-21 की पहली तिमाही में परिदृश्य तीसरी द्विमासिक वक्तव्य में व्यक्त अनुमानों जैसा ही बना रहा, हालांकि हाल के अनुमानों में थोड़ा सुधार देखने को मिला जिसका कारण था खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि। उक्त नीतिगत अवसर और संवृद्धि से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर एमपीसी ने 5:1 के बहुमत से एक बार पुनः नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती करने का निर्णय लिया (एक सदस्य ने 40 आधार अंकों की कटौती करने के पक्ष में मतदान किया)। एमपीसी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया कि निभावकारी रुख को तब तक जारी रखा जाए जब तक, मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा के भीतर रखना सुनिश्चित करते हुए, संवृद्धि की बहाली के लिए यह आवश्यक हो।

III.10 हालांकि, दिसंबर 2019 में जब मौद्रिक नीति समिति पाँचवीं बार मिली, उस समय मुद्रास्फीति के ग्राफ में नाटकीय परिवर्तन हो गया था। लगभग एक वर्ष से ज्यादा अवधि तक मंद पड़ी रहने के बाद मुख्य मुद्रास्फीति अक्टूबर 2019 में तेजी से बढ़कर 4.6 प्रतिशत पहुँच गयी जिसका कारण था खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक हुई तीव्र वृद्धि जो अक्टूबर में 39 महीनों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गयी। बेमौसम भारी बरसात की वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगीं और इसके कारण दूध, दालों और चीनी जैसी अन्य खाद्य वस्तुओं पर दबाव बने रहने की उम्मीद बनी। इसके विपरीत, खाद्य और ईंधन से इतर सीपीआई मुद्रास्फीति अक्टूबर में अब तक के अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गयी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक हुई इस अप्रत्याशित वृद्धि ने अल्पकालिक मुद्रास्फीति ग्राफ में बहुत

बदलाव ला दिया और सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों में संशोधन करते हुए इन्हें बढ़ाकर 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए 5.1-4.7 प्रतिशत और 2020-21 की पहली छमाही के लिए 4.0-3.8 प्रतिशत कर दिया गया, और जोखिम प्रायः संतुलित रहा। दूसरी ओर, वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर में फिर से संशोधन करते हुए इसे कम करके 5.0 प्रतिशत करना पड़ा जो इस बात का परिचायक है कि घरेलू आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार उम्मीद से अधिक सुस्त पड़ गयी थी। एमपीसी ने महसूस किया कि बुद्धिमानी इसी बात में है कि प्राप्त हो रहे आंकड़ों पर सावधानीपूर्वक नज़र रखी जाए ताकि मुद्रास्फीति परिदृश्य को स्पष्ट रूप से समझा जा सके और इसीलिए उसने रुकने का निर्णय लिया क्योंकि उसे लगा कि भविष्य में नीतिगत कदम उठाने का अवसर आएगा। एमपीसी ने अपने निभावकारी रुख को तब तक जारी रखने की प्रतिबद्धता फिर से जतायी जब तक, मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा के भीतर रखना सुनिश्चित करते हुए, संवृद्धि की बहाली के लिए यह आवश्यक हो।

III.11 जैसे-जैसे फरवरी 2020 माह में छठी द्विमासिक नीति के लिए एमपीसी की बैठक का समय करीब आया, मुख्य मुद्रास्फीति बहुत तेजी से लक्षित मुद्रास्फीति की उच्चतम सहनीय सीमा को पार करते हुए दिसंबर 2019 में 7.4 प्रतिशत- जुलाई 2014 के बाद का सर्वाधिक स्तर – पर पहुँच गयी क्योंकि बेमौसम हुई बारिश से प्याज की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आया था और अन्य सब्जियों की कीमतें भी बिगड़ गयी थीं। खरीफ की दालों, अनाज और दूध पर भी कीमतों का दबाव देखा गया और साथ ही, सेवाओं में निविष्टि-लागत भी बढ़ गयी थी। सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के 6.5 प्रतिशत से घटकर 2020-21 की पहली छमाही में 5.4-5.0 प्रतिशत तथा 2020-21 की तीसरी तिमाही में 3.2 प्रतिशत रह जाने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था। वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी संवृद्धि 6.0 रहने का अनुमान था; कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पर्यटकों के आगमन तथा वैश्विक व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मोबाइल फोन की कॉल दरों में हो रहे संशोधनों, दवाओं और औषधियों की कीमतों में हुई वृद्धि और नये उत्सर्जन मानकों के प्रभाव को देखते हुए एमपीसी ने खाद्य और ईंधन से इतर मुद्रास्फीति के ग्राफ पर सावधानीपूर्वक नज़र रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। आर्थिक गतिविधियाँ कमजोर बनी रहने और उत्पादन अंतराल नकारात्मक रहने के मद्देनजर एमपीसी ने माना कि मुद्रास्फीति परिदृश्य में बहुत ही अनिश्चितताएं हैं। संवृद्धि-मुद्रास्फीति की उभरती हुई गतिकी को देखते हुए

एमपीसी को यथास्थिति बनाए रखना और नीतिगत कदम भविष्य में उठाना उचित लगा।

III.12 वित्तीय बाजारों में पहले से मौजूद अत्यधिक अस्थिरता के बीच कोविड-19 वैश्विक महामारी और वैश्विक तथा घरेलू अर्थव्यवस्था पर लगातार बढ़ते इसके कुप्रभाव को देखते हुए एमपीसी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह 31 मार्च, 01 और 03 अप्रैल, 2020 को निर्धारित अपनी बैठक को समय से पहले ही 24, 26 और 27 मार्च, 2020 को आयोजित करे। प्याज और अन्य खाद्य वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों में गिरावट प्रारंभ होने के कारण फरवरी 2020 में मुख्य मुद्रास्फीति पूरे एक प्रतिशत गिरकर 6.6 प्रतिशत हो गयी थी। एमपीसी ने इस बात का अनुभव किया कि खाद्यान्न तथा बागवानी के रिकॉर्ड उत्पादन के सकारात्मक प्रभाव के कारण खाद्य वस्तुओं में और भी गिरावट आने की संभावना है। यह पाया गया कि ईंधन और मूल मुद्रास्फीति पर दबाव को कम करने में कच्चे तेल की कीमतों में आयी भारी गिरावट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उस सीमा तक जहाँ तक इसका प्रभाव खुदरा कीमतों पर पड़ता है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप समग्र माँग और कमजोर पड़ सकती है और इसके कारण मूल मुद्रास्फीति में आगे भी गिरावट आ सकती है। वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई स्थिरता का प्रभाव भी मुद्रास्फीति पर पड़ सकता है। आर्थिक संवृद्धि के विषय में एमपीसी ने पाया कि अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों पर इस महामारी का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह कितना फैलती है, किस तेजी के साथ फैलती है और कितनी अवधि तक बनी रहती है। यद्यपि, कच्चे तेल की कीमतों में हुई तीव्र गिरावट से होने वाले व्यापारिक लाभ के रूप कुछ राहत मिल सकती है। एमपीसी ने इस बात को नोट किया कि प्रणाली में बड़ी मात्रा में चलनिधि डालने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनेक प्रयास किए गए थे। समिति का दृष्टिकोण यह था कि इस महामारी के कारण समष्टि आर्थिक परिदृश्य के समक्ष जो खतरे, माँग और आपूर्ति दोनों पक्षों के लिए, उत्पन्न हुए हैं वे बहुत गंभीर हो सकते हैं और यह जरूरी है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँ। इसीलिए एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रिपो दर में भारी कटौती का निर्णय लिया, लेकिन कटौती की मात्रा को लेकर थोड़ा मतभेद था। रिपो दर में 4:2 के बहुमत से 75 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया (2 सदस्यों ने 50 आधार अंकों की कटौती के पक्ष में मतदान किया)। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस बात के पक्ष में मत व्यक्त किया कि निभावकारी

रुख को तब तक जारी रखा जाए जब तक, मुद्रास्फीति को लक्षित सीमा के भीतर रखना सुनिश्चित करते हुए, संवृद्धि दर की बहाली न हो जाए और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव कम न हो जाए।

III.13 इसके बाद जो आँकड़े जारी हुए उनसे इस बात के संकेत मिले कि वास्तव में समष्टि आर्थिक परिदृश्य पर इस महामारी का प्रभाव जितना प्रारंभ में सोचा गया था, उससे अधिक गम्भीर है और इसी वजह से एमपीसी ने 3-5 जून 2020 के लिए निर्धारित अपनी बैठक को और पहले ही 20-22 मई 2020 को आयोजित किया। मुद्रास्फीति में मुद्दे पर एमपीसी ने इस बात को नोट किया कि इसमें मार्च में लगातार दूसरे माह कमी आयी थी क्योंकि द्विअंकीय हो चुकी खाद्य वस्तुओं की महँगाई दर में नरमी आ रही थी। हालांकि, आपूर्ति में आने वाली बाधाएं इस नरमी पर विराम लगाती रहीं और अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की कीमतें फिर से आसमान छूने लगीं। एमपीसी को यह आशा थी कि जैसे-जैसे लॉकडाउन में ढील दी जाएगी और आपूर्ति बहाली होगी, वैसे-वैसे खाद्य वस्तुओं की कीमतें घटेंगी। मानसून के सामान्य रहने के पूर्वानुमानों तथा अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर माँग-आपूर्ति के संतुलन को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतें कम बनी रहने की संभावना के मद्देनजर एमपीसी ने 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही में मुख्य मुद्रास्फीति लक्ष्य से भी नीचे आ जाने की आशंका व्यक्त की। दूसरी ओर संवृद्धि परिदृश्य निराशाजनक बना रहा और ऐसा देखा गया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र भीषण दबाव झेल रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को कम करने का निर्णय लेते हुए इसे 4.4 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया और साथ ही जब आर्थिक गतिविधियों में बहाली अपना असर दिखाने लगे तब उसे समर्थन देने का अवकाश भी बनाए रखा गया। एमपीसी ने सर्वसम्मति से इस बात के पक्ष में मतदान किया कि निभावकारी रुख को तब तक जारी रखा जाए जब तक, संवृद्धि दर की बहाली न हो जाए और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव कम न हो जाए। 5 सदस्यों ने नीतिगत दर में 40 आधार अंकों की कटौती के पक्ष में मतदान किया जबकि 1 सदस्य ने 25 आधार अंकों की कटौती के पक्ष में मतदान किया।

III.14 अपने गठन के प्रारंभिक काल से ही एमपीसी ने अनेक चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना किया है और इसे संवृद्धि-मुद्रास्फीति के बीच निरंतर संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ी है (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1 मौद्रिक नीति समिति की वोटिंग डायरी, 2016-20


सितंबर 2016 में जब से मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से नीतिगत दर तय करने के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन हुआ है, तब से लेकर मई 2020 तक एमपीसी की 23 बैठकें हो चुकी हैं। इस अवधि के दौरान जहाँ एक ओर इस समिति के तीन बाहरी सदस्यों को बदला नहीं गया है, वहीं आंतरिक सदस्य पदेन होने के कारण बदलते रहे हैं। कुल मिलाकर, अब तक 11 अलग-अलग सदस्यों¹ ने एमपीसी में अपनी सेवाएं दी हैं।

एमपीसी के कार्यवृत्तों, जिनमें सदस्यों के अलग-अलग वक्तव्य भी शामिल हैं, से पता चलता है कि मतदान में दिखने वाला अंतर मूल रूप से नीतिगत दर के परिवर्तन की मात्रा तक ही सीमित रहा है, न कि समग्र नीतिगत रुख पर किसी मतभेद को लेकर (पात्र, 2017)। बाद के दो वर्षों में भी मोटे तौर पर यही स्वरूप बना रहा। रिपो दर पर एमपीसी के 23 में से तेरह निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं यदि नीतिगत दर में परिवर्तन की दिशा की बात की जाए तो। हालांकि, इन तेरह निर्णयों में से चार निर्णय ऐसे थे जिन्हें लेते समय ब्याज-दरों में कटौती की मात्रा को लेकर एमपीसी में मतभेद था- ऐसी दो बैठकों में एक असहमति का मतदान भी किया गया जबकि दो अन्य बैठकों में असहमति के दो मत दिए गए। इससे इस बात का पता चला कि अलग-अलग सदस्यों के समष्टि आर्थिक मूल्यांकन, दृष्टिकोण, और नीतिगत प्राथमिकताओं में भिन्नता थी।

एमपीसी के सदस्यों द्वारा दिए गए वक्तव्यों की शब्द संख्या के विश्लेषण से इस बात के संकेत मिलते हैं कि अगस्त-अक्टूबर 2018 के बीच मुद्रास्फीति पर

सर्वाधिक चर्चा की गयी- एमपीसी की कुल चर्चा का लगभग 60 प्रतिशत। हाल की अवधि मार्च 2020 में एमपीसी की चर्चा का 50 प्रतिशत से अधिक भाग संवृद्धि पर केंद्रित था (चार्ट 1)।

एमपीसी के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए मतदान के स्वरूप का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि नीतिगत दरों में परिवर्तन की मात्रा और उसकी दिशा को लेकर बाहरी सदस्यों में अपेक्षाकृत अधिक मतभेद रहा। सभी बैठकों में एमपीसी के अध्यक्ष (गवर्नर) द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही निर्णय लिया गया (सारणी 1)।



सारणी 1: एमपीसी के मतदान का स्वरूप

आंतरिक / बाहरी	एमपीसी सदस्य	कुल वोट	एमपीसी के निर्णय के सापेक्ष दरों में परिवर्तन		एमपीसी के निर्णय के सापेक्ष दरों में परिवर्तन की मात्रा		
			एकसमान	भिन्न	एकसमान	कम	ज्यादा
1	2	3	4	5	6	7	8
बाहरी सदस्य	प्रो. चेतन घाटे	23	20	3	17	0	6
	प्रो. पामी दुआ	23	23	0	21	0	2
	प्रो. रवींद्र एच. ढोलकिया	23	19	4	17	6	0
आंतरिक सदस्य	डॉ. उर्जित आर. पटेल	14	14	0	14	0	0
	श्री आर. गाँधी	2	2	0	2	0	0
	डॉ. विरल वी. आचार्य	15	13	2	13	0	2
	श्री बिभू प्रसाद कानूनगो	3	3	0	3	0	0
	श्री शक्तिकान्त दास	9	9	0	9	0	0
	डॉ. माइकल देब्रत पात्र	23	20	3	20	0	3
	डॉ. जनक राज	3	3	0	3	0	0

नोट : जिनके नामों को नीले रंग में उभारा गया है, वे जून 2020 की समाप्ति पर एमपीसी के सदस्य हैं।

स्रोत: मौद्रिक नीति कार्यवृत्त, आरबीआई।

संदर्भ :

पात्र, माइकल देब्रत (2017), "वन इयर इन दि लाइफ ऑफ़ इंडियाज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया बुलेटिन, दिसंबर।

¹ डॉ. माइकल देब्रत पात्र ने दो क्षमताओं में एमपीसी की सेवा की; (i) अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2019 तक भा. रि. बैंक अधिनियम की धारा 45जेडबी(2)(सी) के तहत 'केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी' के रूप में; और (ii) तत्पश्चात धारा 45जेडबी(2)(बी) के तहत 'मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर के तौर पर'।

परिचालन फ्रेमवर्क : चलनिधि प्रबंधन

III.15 मौद्रिक नीति के परिचालन फ्रेमवर्क का लक्ष्य मौद्रिक नीति के रुख के अनुसरण में किए गए अग्रसक्रिय चलनिधि प्रबंधन द्वारा परिचालन लक्ष्य – भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूसीआर) - को नीतिगत रिपो दर के अनुरूप बनाना होता है। वर्ष 2019-20 के दौरान नीतिगत रिपो दर में की गयी 185 आधार अंकों की कटौती को और असरदार बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने चलनिधि संबंधी कई अन्य उपाय भी किए, पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों प्रकार के, जो विशेष रूप से वास्तविक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे कोविड-19 के दुष्प्रभाव को कम करने पर केंद्रित थे।

III.16 आंतरिक कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक ने चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क को संशोधित किया ताकि चलनिधि के प्रबंधन के उद्देश्य और उसके लिए अपनाए जा रहे सभी उपायों के बारे में स्पष्ट संदेश दिया जा सके। 14 फरवरी 2020 से लागू किए गए इस संशोधित फ्रेमवर्क की खास बातें इस प्रकार हैं:

- (i) नकद आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव चक्र के ही समय परिवर्तनशील दरों पर होने वाला 14-दिवसीय सावधि रिपो/रिवर्स रिपो परिचालन अल्पकालिक चलनिधि के प्रबंधन के लिए एकमात्र उपाय है;
- (ii) मुख्य चलनिधि परिचालन को सहारा देने के लिए सूक्ष्म समायोजन परिचालन किए जाएंगे, रात्रिपर्यंत और/अथवा उससे भी अधिक 13 दिनों तक की अवधि के लिए; आवश्यकता पड़ने पर 14-दिनों से भी अधिक अवधि के परिवर्तनशील दरों वाले रिपो/रिवर्स रिपो परिचालन किए जाएंगे;
- (iii) दैनिक नियत दर रिपो और चार 14-दिवसीय रिपो परिचालन बंद कर दिए गए हैं;
- (iv) चलनिधि प्रबंधन के उपायों में परिवर्तनशील दरों वाली रिपो/रिवर्स रिपो नीलामियाँ, रात्रिपर्यंत खुला बाजार परिचालन (ओएमओ), फॉरेक्स स्वैप और अन्य शामिल हैं;

- (v) एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को सभी रात्रिपर्यंत चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में सहभागिता करने की अनुमति दी गयी;
- (vi) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत मार्जिन आवश्यकताओं की आवधिक समीक्षा की जाएगी;
- (vii) जानकारी के प्रसार में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए: (क) चलनिधि संबंधी परिचालनों के दैनिक प्रवाह के प्रभाव के साथ-साथ स्टॉक पर पड़ने वाले प्रभाव को भी शामिल किया जाएगा; (ख) बैंकिंग प्रणाली की टिकाऊ चलनिधि स्थितियों के अर्धमासिक मात्रात्मक मूल्यांकन को एक पखवाड़े के अंतराल के साथ प्रकाशित किया जाएगा; और
- (viii) पहले के चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क की कुछ बातों को बनाए रखा गया है, जैसे (क) डब्ल्यूसीआर का परिचालन लक्ष्य बने रहना; और (ख) सीआरआर अपेक्षाओं के न्यूनतम 90 प्रतिशत को दैनिक आधार पर बनाए रखने की आवश्यकता।²

III.17 संशोधित चलनिधि फ्रेमवर्क में 50 आधार अंकों वाले एक सममित एलएएफ कॉरिडोर का उल्लेख किया गया है। हालांकि, कोविड-19 महामारी और वैश्विक तथा घरेलू वित्तीय बाजारों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव तथा बैंकिंग प्रणाली में मौजूद चलनिधि में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि को देखते हुए रिजर्व बैंक द्वारा 27 मार्च 2020 को पॉलिसी कॉरिडोर को असममित बनाते हुए रिवर्स रिपो दर को नीतिगत रिपो दर से 40 आधार अंक (25 आधार अंक के स्थान पर) नीचे तथा एमएसएफ दर को रिपो दर से 25 आधार अंक अधिक रखते हुए 50 आधार अंक वाली पॉलिसी कॉरिडोर को और अधिक चौड़ा करते हुए 65 आधार अंकों वाली बनाया गया। 17 अप्रैल को रिवर्स रिपो दर में एक बार पुनः 25 आधार अंकों की कटौती की गयी जिससे वह रिपो दर से 65 आधार अंक नीचे आ गयी और कॉरिडोर की चौड़ाई बढ़कर 90 आधार अंक हो गयी। ऐसा इसलिए किया गया कि निष्क्रियतापूर्वक रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा कर देना बैंकों के लिए आकर्षक

² न्यूनतम दैनिक सीआरआर अपेक्षा को घटाकर 80% कर दिया गया जो 28 मार्च 2020 से प्रभावी हुआ।

विकल्प न रह जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके कि वे अपनी निधियों का विनियोजन अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में करें। इसके अतिरिक्त, स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अनिवार्यता के चलते बैंकों के सम्मुख आ रही रिपोर्टिंग अपेक्षाओं से जुड़ी कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए 28 मार्च 2020 से प्रारंभ होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े के पहले दिन से 90 प्रतिशत न्यूनतम सीआरआर शेष बनाए रखने संबंधी अपेक्षा को कम करते हुए 80 प्रतिशत कर दिया गया (एकबारगी छूट जो प्रारंभ में 26 जून 2020 तक के लिए उपलब्ध थी परंतु इसे बाद में बढ़ाते हुए 25 सितंबर 2020 तक के लिए प्रभावी कर दिया गया)।


III.18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा खुदरा (ऑटोमोबाइल और रिहायशी आवासन), सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों दिए जाने वाले ऐसे ऋणों पर सीआरआर की छूट दी गयी जिनका संवितरण 31 जनवरी से 31 जुलाई 2020 के बीच किया गया है ताकि उन उत्पादक क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में जान फूँकी जा सके जो आर्थिक संवृद्धि को कई रूपों में प्रभावित करते हैं।

चलनिधि के वाहक और उसका प्रबंधन

III.19 वर्ष 2019-20 के दौरान जून 2019 से ही चलनिधि अधिशेष की स्थितियाँ बनी रहीं। रिज़र्व बैंक ने अल्पकालिक और टिकाऊ दोनों प्रकार की चलनिधि के प्रबंधन हेतु कई उपाय किए। वर्ष 2019-20 के दौरान जहाँ नियमित 14-दिन वाली रिपो के अतिरिक्त रात्रिपर्यंत से लेकर 16 दिनों की परिपक्वता वाली परिवर्ती दर रिपो के माध्यम से ₹1.37 लाख करोड़ चलनिधि का अंतर्वेशन किया गया, वहीं रात्रिपर्यंत से लेकर 63 दिनों की परिपक्वता वाली रिवर्स रिपो के माध्यम से ₹284.4 लाख करोड़ चलनिधि अवशोषित की गयी। रिज़र्व बैंक ने उक्त वर्ष के दौरान ओएमओ के तहत प्रतिभूतियों की खरीद करते हुए ₹1.1 लाख करोड़ टिकाऊ चलनिधि का अंतर्वेशन भी किया।

III.20 चलनिधि की अधिकता के प्रमुख वाहक रिज़र्व बैंक के फॉरेक्स परिचालन और भारत सरकार (जीओआई) के नकदी शेष के आहरण (ड्राडाउन) रहे जिनके कारण 2019-20 के दौरान मुद्रा की माँग के चलते हुआ चलनिधि रिसाव बेअसर हो गया।

चार्ट III.1: निवल फॉरेक्स खरीद, भारत सरकार की शेषराशियाँ और निवल एलएएफ



नोट: 1. धनात्मक एलएएफ चलनिधि के अवशोषण का परिचायक है।
2. निवल फॉरेक्स खरीदारायों अप्रैल 2019 से संचयी रूप में हैं।
स्रोत : आरबीआई

अतिरिक्त चलनिधि के सफाए के लिए एलएएफ के तहत अलग-अलग परिपक्वता अवधि वाली रिवर्स रिपो का सहारा लिया गया। वर्ष की दूसरी छमाही में (मार्च माह के उत्तरार्ध को छोड़कर) जैसे-जैसे आवक पूँजी के प्रवाह में तेजी आने लगी, फॉरेक्स परिचालनों में मोटे तौर पर निवल एलएएफ की स्थिति दिखने लगी (चार्ट III.1)।

III.21 वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के प्रथम दो महीनों अर्थात् अप्रैल और मई 2019 में आम चुनाव के पहले लगायी जाने वाली आदर्श आचार संहिता के कारण सरकारी खर्चों पर लगे प्रतिबंध तथा नकदी की भारी माँग के फलस्वरूप चलनिधि की कमी वाली स्थितियाँ बन गयी थीं। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशित करने के लिए अप्रैल में 3 वर्षों की अवधि के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डालर (₹34,874 करोड़) की यूएस\$/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी की गयी तथा ₹25,000 करोड़ की दो ओएमओ खरीद नीलामियाँ मई में की गयीं। बैंक द्वारा इन दो महीनों के दौरान एलएएफ के तहत दैनिक निवल औसत आधार पर ₹51,403 करोड़ चलनिधि भी अंतर्वेशित की गयी। जून में स्थितियाँ बदलीं – रुख में बदलाव करते हुए उसे निभावकारी किए जाने के साथ ही- केंद्र में सरकार बन जाने के बाद बढ़े सरकारी खर्च, रिज़र्व बैंक द्वारा फॉरेक्स की

लाख करोड़ की टिकाऊ चलनिधि मौजूदा बाजार दरों की तुलना में काफी किफायती दरों पर उपलब्ध करायी जा सकी। सरकार द्वारा इस तिमाही के दौरान लगभग लगातार ही अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर निर्भरता दर्शाने के फलस्वरूप 2019-20 की चौथी तिमाही में अधिशेष चलनिधि का औसत अवशोषण और अधिक बढ़कर ₹3.06 लाख करोड़ हो गया। अधिशेष चलनिधि के निवल औसत अवशोषण में 2020-21 की पहली तिमाही में एक बार फिर से तीव्र बढ़ोतरी हुई और यह ₹4.72 लाख करोड़ हो गयी जो इस बात का परिचायक था कि इस अवधि के दौरान चलनिधि को बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किए गए थे और सरकारी खर्चों में लगातार अपेक्षाकृत अधिक डब्ल्यूएमए/ओडी (₹0.61 लाख करोड़) का सहारा लिया गया था।⁴

III.25 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 11 मार्च को कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों को मंदी वाले माहौल ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। वैश्विक स्तर पर उठापटक बढ़ने के कारण 11 मार्च 2020 से घरेलू वित्तीय बाजारों में भी काफी वित्तीय सख्ती आने लगी। रिजर्व बैंक ने मार्च माह में अनेक ऐसे उपाय किए जिनसे कोविड-19 जनित वित्तीय अव्यवस्था के कारण ठप पड़ गई वित्तीय बाजार गतिविधियों को फिर से चालू किया जा सके और वित्तीय संस्थानों को पुनर्जीवन प्रदान करते हुए उन्हें सामान्य ढंग से अपना कामकाज करने योग्य बनाया जा सके। इन उपायों के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, ये कदम उठाए गए : (i) यूएस डालर की बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए दो बार 16 और 23 मार्च 2020 को 6-माह यूएसडी/आईएनआर बिक्री/ खरीद स्वैप नीलामियाँ करते हुए कुल मिलाकर 2.7 बिलियन यूएस डालर चलनिधि उपलब्ध करायी गयी; (ii) 20, 24 और 26 मार्च 2020 को तीन ओएमओ खरीदारियाँ करते हुए कुल मिलाकर ₹40,000 करोड़ अंतर्वेशित किए गए; (iii) कॉर्पोरेट बॉण्डों, वाणिज्यिक पत्रों और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश के उद्देश्य

से उचित मात्राओं में तीन वर्ष तक की अवधि वाली कुल ₹1 लाख करोड़ की टीएलटीआरओ नीलामियाँ 27 मार्च 2020 को की गयीं⁵; (iv) 28 मार्च 2020 को शुरू पखवाड़े से 26 मार्च 2021 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए बैंकों की सीआरआर अपेक्षाओं में 100 आधार अंकों की कमी – निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.0 प्रतिशत- की गयी जिससे बैंकिंग प्रणाली की प्राथमिक चलनिधि में ₹1.37 लाख करोड़ की वृद्धि हुई; और (v) एमएसएफ के तहत बैंकों द्वारा लिए जाने वाले रात्रिपर्यंत उधार की सीमा को बढ़ाने के लिए उनके सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को एनडीटीएल के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया (जो प्रारंभ में 30 जून 2020 तक के लिए था परंतु बाद में इसे 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया) जिससे बैंकिंग प्रणाली को ₹1,37,000 करोड़ अतिरिक्त चलनिधि जुटाने की अनुमति मिल गयी।

III.26 रिजर्व बैंक ने 17 अप्रैल 2020 को एक बार पुनः कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और संस्थाओं पर केंद्रित चलनिधि अंतर्वेशन के उपाय किए ताकि कोविड-19 से उत्पन्न अव्यवस्था को देखते हुए प्रणाली और इसके घटकों को पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध करायी जा सके, बैंक क्रेडिट के प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हुए इसे प्रोत्साहित किया जा सके, वित्तीय दबाव को कम करते हुए बाजारों को सामान्य ढंग से कामकाज में सक्षम बनाया जा सके। इसके अंतर्गत उठाए गए कदम थे: (i) शुरुआती तौर पर उचित मात्राओं वाले कई भागों में कुल ₹50,000 करोड़ की टीएलटीआरओ 2.0 नीलामियाँ की गयीं⁶, जिसके तहत प्राप्त निधि का निवेश निवेश श्रेणी वाले बॉण्डों, वाणिज्यिक पत्रों, और एनबीएफसी के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में इस प्रकार किया जाना था कि प्राप्त निधि के कम से कम 50 प्रतिशत का निवेश लघु और मध्यम आकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) में हो; (ii) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

⁴ भारत सरकार के परामर्श से, 2020-21 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार के डब्ल्यूएमए पर आरोपित की जाने वाली सीमा को 2019-20 की पहली छमाही के ₹75,000 करोड़ से क्रमशः बढ़ाते हुए ₹2,00,000 करोड़ कर दिया गया।

⁵ 27 मार्च, 2020 को 3 साल की परिपक्वता वाली एक टीएलटीआरओ नीलामी करते हुए ₹25,009 करोड़ की टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशित की गयी; 3 अप्रैल, 9 अप्रैल और 17 अप्रैल को 3 साल की परिपक्वता वाली और तीन टीएलटीआरओ नीलामियाँ भी की गयीं जिनके माध्यम से टिकाऊ चलनिधि में ₹75,041 करोड़ की वृद्धि हुई।

⁶ 3 साल की परिपक्वता वाली पहली टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी 23 अप्रैल 2020 को की गयी जिसके माध्यम से टिकाऊ चलनिधि में ₹12,850 करोड़ की वृद्धि हुई।

(नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को कुल मिलाकर ₹50,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं दी गयीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए ₹25,000 करोड़ निधि का पारस्परिक विनियोजन किया गया; ₹15,000 करोड़ सिडबी को ताकि वह आगे उधार/पुनर्वित्त प्रदान किया जा सके; ₹10,000 करोड़ एनएचबी को जिससे वह आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को सहारा दे सके। इतना ही नहीं, रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2020 को म्यूचुअल फंडों के लिए ₹50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) की घोषणा की ताकि उनके ऊपर बने हुए अत्यधिक चलनिधि दबाव को कम किया जा सके। बैंकों को इस सुविधा के तहत ₹2,430 करोड़ मिले। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम् बैंक) विदेशी मुद्रा संसाधनों की अपनी जरूरत को पूरा कर पाए और यूएस डालर स्वैप सुविधा का लाभ लेने में सक्षम बन सके, इस उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने उसे 22 मई 2020 को 90 दिनों (एक वर्ष तक के रोल ओवर के साथ) के लिए ₹15,000 करोड़ की ऋण व्यवस्था को मंजूरी दी।

III.27 जैसा कि बॉण्डों की क्रय-बिक्रय दरों के अंतर (स्प्रेड) में आए परिवर्तन से परिलक्षित होता है, 27 मार्च, 17 अप्रैल और 22 मई 2020 को घोषित किए गए मौद्रिक और चलनिधि उपायों के बाद वित्तीय स्थितियों में थोड़ा सुधार हुआ (सारणी III.1)। कई कॉर्पोरेटों द्वारा नये निर्गम जारी किए जाने के कारण कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार की गतिविधियों में जान आयी।

III.28 कुल मिलाकर, भारतीय रिज़र्व बैंक के इन विभिन्न परिचालनों (जिसमें फॉरेक्स खरीदारियाँ, ओएमओ, एलटीआरओ और टीएलटीआरओ शामिल हैं) के ज़रिए 2019-20 में ₹5.76 लाख करोड़ की तथा 2020-21 की पहली तिमाही में ₹3.09 लाख करोड़ का चलनिधि अंतर्वेशन किया गया (चार्ट III.4)।

III.29 चलनिधि अधिशेष की स्थितियों को देखते हुए, रात्रिपर्यंत से लेकर 3 दिनों की अवधि तक की परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो नीलामियों के ज़रिए सूक्ष्म समायोजन परिचालन 14 फरवरी 2020 तक व्यापक रूप से किए गए ताकि चलनिधि का अवशोषण

सारणी III.1: नीतिगत रिपो दर के सापेक्ष वित्तीय बाजार लिखतों के स्प्रेड में भिन्नता


(आधार अंक)

अवधि	सीपी-3 माह	सीडी-3 माह	ए ए ए कॉर्पोरेट बॉण्ड		
			1-वर्ष	3-वर्ष	5-वर्ष
1	2	3	4	5	6
(i) मार्च 10 - 26, 2020	128	272	45	55	68
(ii) मार्च 26 - अप्रैल 16, 2020	106	-255	85	82	82
(iii) अप्रैल 16 - मई 21, 2020	-165	-118	-61	-67	-83
(iv) मई 21 - जून 30, 2020	-133	16	-50	-18	12
(v) परिवर्तन (ii-i)	-22	-527	40	27	14
(vi) परिवर्तन (iii-ii)	-271	137	-146	-150	-165
(vii) परिवर्तन (iv-iii)	32	134	11	49	95

स्रोत: आरबीआई, और ब्लूमबर्ग.

किया जा सके। कोविड-19 के कारण उत्पन्न अव्यवस्था के चलते उत्पन्न आकस्मिक चलनिधि अपेक्षाओं का पहले से अनुमान लगाते हुए उन्हें पूरा करने के लिए 23, 24 और 26 मार्च 2020 को 12-16 दिनों की परिवर्तनीय दर रिपो नीलामियों के ज़रिए सूक्ष्म समायोजन परिचालन करते हुए ₹89,517 करोड़ का चलनिधि अंतर्वेशन किया गया (सारणी III.2)।⁷ एक विशेष

चार्ट III.4: टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशन



स्रोत: आरबीआई

⁷ क्रमशः 7 दिनों और 3 दिनों की परिपक्वता अवधि वाली दो परिवर्तनीय दर रिपो नीलामियाँ, जिनमें से प्रत्येक ₹25,000 करोड़ की थी, 13 मार्च और 31 मार्च को की गयीं परंतु ये बाजार का ध्यान अपनी ओर खींचने में विफल रहीं।

सारणी III.2: वर्ष 2019-20 के दौरान परिवर्तनशील दर नीलामियों के माध्यम से सूक्ष्म समायोजन परिचालन


(परिपक्वता अवधि दिनों में)	बारंबारता (परिचालनों की संख्या)	कुल मात्रा (₹ करोड़)	औसत मात्रा (₹ करोड़)
1	2	3	4
रिपो			
1-3	4	47,128	11,782
12	1	11,772	11,772
16	2	77,745	38,873
रिवर्स रिपो			
1-3	222	2,71,84,097	1,22,451
4	6	6,11,686	1,01,948
7	33	4,31,458	13,074
14	1	550	550
21	2	28,923	14,462
28	2	35,665	17,833
29	1	11,500	11,500
31	1	12,790	12,790
35	1	25,004	25,004
42	2	30,507	15,254
63	4	65,833	16,458

स्रोत : आरबीआई

मामले के तौर पर अन्य पात्र सहभागियों के साथ-साथ एसपीडी को भी इन नीलामियों में भाग लेने अनुमति दी गयी। एसपीडी वर्ष के अंत में उत्पन्न होने वाली उनकी चलनिधि जरूरतों को पूरा कर पाएं, इसके लिए उन्हें उपलब्ध स्थायी चलनिधि सुविधा की सीमा को रिजर्व बैंक द्वारा ₹2,800 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया।

परिचालन लक्ष्य और नीतिगत दर

III.30 वर्ष 2019-20 के दौरान डब्ल्यूएसीआर – परिचालन लक्ष्य – कॉरिडोर के भीतर ही बनी रही और इसका रुझान अधोगामी रहा (रिपो दर से औसतन 9 आधार अंक नीचे), जिससे अधिशेष चलनिधि के लगातार बने रहने का पता चलता है (चार्ट III.5)। हमेशा की तरह वर्ष के अंत में डब्ल्यूएसीआर में तेजी से वृद्धि हुई जो कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के फलस्वरूप कम हो गयी बाजार हिस्सेदारी से भी प्रेरित थी।



एलएफ कॉरिडोर के असममित हो जाने और लगातार अधिशेष चलनिधि बनी रहने की वजह से 2020-21 की पहली तिमाही में डब्ल्यूएसीआर ने निरंतर रिपो दर से नीचे कारोबार किया।

मौद्रिक नीति संचरण

III.31 वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक संचरण – नीतिगत रिपो दर में परिवर्तन प्रतिक्रिया में बैंकों की जमा और उधार दरों में परिवर्तन – में सुधार हुआ, विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही में (सारणी III.3)। इस सुधार ने गति पकड़ी जब अक्टूबर 2019 में कुछ क्षेत्रों को दिए जाने वाले नये ऋणों जैसे वैयक्तिक ऋण, एमएसएमई ऋण पर ब्याज-दरों को किसी बाहरी बेंचमार्क यथा, नीतिगत रिपो दर, 3-माह, 6-माह टी-बिल की दरें अथवा फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित किसी अन्य दर से लिंक करने की शुरुआत हुई।⁸

III.32 फरवरी 2019 से मौद्रिक नरमी के चक्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर किए गए नये रुपया ऋणों के मामले में मौद्रिक संचरण बेहतर रहा। यह जून 2018-जनवरी 2019 में रहे मौद्रिक सख्ती वाले चक्र की ही भांति

⁸ मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले नए ऋणों पर ब्याज दरों को किसी बाहरी बेंचमार्क से जोड़े जाने को 1 अप्रैल, 2020 से लागू किया गया।

सारणी III.3: नीतिगत दर का जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रिपो दर	सावधि जमा दर		उधार दरें		
		माध्य सावधि जमा दर	डब्ल्यूएलएलआर	1-वर्ष माध्य एमसीएलआर	डब्ल्यूएलएलआर-बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलएलआर-नया रुपया ऋण
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	25	5	22	45	0	39
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	-185	-49	-51	-60	-25	-91
मौद्रिक सख्ती वाला चक्र :						
जून 2018 से जनवरी 2019	50	0	20	35	2	57
मौद्रिक नरमी वाला चक्र :						
फरवरी 2019 से सितंबर 2019	-110	-9	-7	-30	2	-40
अक्टूबर 2019 से जून 2020*	-140	-124	-84	-80	-55	-122
फरवरी 2019 से जून 2020*	-250	-147	-91	-105	-53	-162

*डब्ल्यूएलएलआर और डब्ल्यूएलएलआर के अद्यतन आंकड़े मई 2020 के हैं।

डब्ल्यूएलएलआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर. **डब्ल्यूएलएलआर :** भारित औसत उधार दर.

एमसीएलआर : सीमांत निधियों की लागत आधारित उधार दर.



स्रोत : विशेष मासिक विवरणी VI एबी, आरबीआई और बैंकों की वेबसाइटें।

था जब निजी क्षेत्र के बैंकों में इन दरों का संचरण अपेक्षाकृत तीव्र पाया गया था (चार्ट III.6)।

III.33 निजी क्षेत्र के बैंकों के नये रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलएलआर) सामान्यतया सरकारी बैंकों से अधिक होती है, जिससे उनकी निधियों की लागत अपेक्षाकृत अधिक होने

का पता चलता है, इसीलिए निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) ज्यादा होती है और माध्य स्प्रेड⁹ भी तुलनात्मक रूप से अधिक होता है (चार्ट III.7)। जून 2020 माह में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मंजूर किए गए कुल ऋणों में से कृषि, एमएसएमई, वाहन और क्रेडिट कार्ड जैसे क्षेत्रों को दिए गए ऋणों की हिस्सेदारी


चार्ट III.6 : एससीबी की जमा और उधार दरों में अंतर



पीएसबी : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक; पीवीटी : निजी क्षेत्र के बैंक; विदेशी : विदेशी बैंक; एससीबी : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

स्रोत : आरबीआई

⁹ किसी बैंक समूह का माध्य स्प्रेड उस समूह में शामिल प्रत्येक बैंक के स्प्रेड (नये रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलएलआर और 1-वर्ष एमसीएलआर का अंतर) से ज्ञात किया जाता है।



सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक रही। इन क्षेत्रों को दिए गए नये रुपया ऋणों का क्षेत्रवार डब्ल्यूएलआर भी सरकारी क्षेत्र के संबंधित डब्ल्यूएलआर से अधिक था।

क्षेत्रवार उधार दरें

III.34 क्षेत्रवार विचार करें तो मौद्रिक संचरण विचित्र कारणों से सभी क्षेत्रों में असमान रहा। अब तक (फरवरी 2019-जून 2020) चल रही मौद्रिक नरमी के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में बकाया ऋणों पर ब्याज दरें कम हुई हैं जिनमें कृषि, उद्योग (बड़े), इन्फ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, आवासन और शिक्षा शामिल हैं (सारणी III.4)।

बाहरी बेंचमार्क

III.35 ऋणों के कीमत निर्धारण के संबंध में पूर्व में उल्लिखित बाहरी बेंचमार्किंग प्रणाली लागू किए जाने के उपरांत कुल 66 में

सारणी III.4: एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) की क्षेत्रवार डब्ल्यूएलआर – बकाया रुपया ऋण
(जिस पर 60 प्रतिशत या उससे भी अधिक कारोबार का करार किया जाता है)

माह-अंत	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएसएमई	इन्फ्रास्ट्रक्चर	व्यापार	पेशेवर सेवाएं	वैयक्तिक ऋण					रुपया निर्यात क्रेडिट
							आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	अन्य\$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिसं-18	10.69	10.70	11.23	10.90	10.97	10.65	9.48	10.64	11.36	38.74	11.56	10.04
जन.-19	10.70	10.57	11.02	10.98	10.59	10.59	9.54	10.60	11.40	37.97	11.59	9.92
मार्च-19	10.56	10.41	11.42	10.70	10.86	10.72	9.41	10.48	11.35	38.91	12.20	9.51
जून-19	10.48	10.20	11.26	10.68	9.98	10.42	9.44	10.45	11.34	38.63	12.39	9.73
सितं-19	10.58	10.28	10.94	10.49	9.84	10.37	9.46	10.57	11.14	38.61	12.56	9.78
दिसं-19	10.39	10.03	10.91	10.22	10.17	10.43	9.30	10.70	11.03	38.39	12.16	9.01
मार्च-20	10.56	9.66	11.29	10.05	9.75	10.24	9.15	10.57	10.78	37.90	12.37	8.94
जून-20	10.40	9.53	10.84	9.62	9.35	10.17	8.94	10.53	10.47	38.35	12.35	8.62
भिन्नता (प्रतिशतता बिंदु)												
2019-20	0.00	-0.75	-0.13	-0.65	-1.11	-0.48	-0.26	0.09	-0.57	-1.01	0.17	-0.57
नरमी वाला चक्र												
फर-19 - सितं 19	-0.12	-0.29	-0.08	-0.49	-0.75	-0.22	-0.08	-0.03	-0.26	0.64	0.97	-0.14
अक्टू-19- जून 20	-0.18	-0.75	-0.10	-0.87	-0.49	-0.20	-0.52	-0.04	-0.67	-0.26	-0.21	-1.16
फर-19 – जून 20	-0.30	-1.04	-0.18	-1.36	-1.24	-0.42	-0.60	-0.07	-0.93	0.38	0.76	-1.30
\$: आवास, वाहन, शिक्षा और क्रेडिट कार्ड से भिन्न ऋण। स्रोत: विशेष मासिक विवरणी VIएबी, आरबीआई।												

से 36 बैंकों ने खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र को परिवर्तनशील दरों पर दिए जाने वाले ऋणों के लिए बाहरी बेंचमार्क के रूप में नीतिगत रिपो दर को चुना है (सारणी III.5)। सात बैंकों ने क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्कों को अपनाया है।

III.36 नीतिगत रिपो दर से लिंक किए गए नये रुपया ऋणों से संबंधित माध्य स्प्रेड (रिपो दर पर डब्ल्यूएलआर) अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए सर्वाधिक था (सारणी III.6)। घरेलू बैंक समूहों के बीच देखें तो निजी क्षेत्र के बैंकों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में ज्यादा स्प्रेड लगाया।

III.37 आवास ऋण, अन्य वैयक्तिक ऋण और एमएसएमई ऋण जैसे क्षेत्रों जिनमें नये परिवर्तनशील दरों वाले ऋणों को किसी बाहरी बेंचमार्क से लिंक किया गया है, उनमें मंजूर किए गए नये रुपया ऋणों में यह संचरण बेहतर रहा है। अक्टूबर 2019-जून 2020 के दौरान घरेलू बैंकों (सरकारी और निजी दोनों) का डब्ल्यूएलआर मंजूर किए गए नए रुपया ऋणों के संबंध में गिरा है- आवास ऋणों में 104 बीपीएस, वाहन ऋणों में 102 बीपीएस, अन्य वैयक्तिक ऋणों में 115 बीपीएस तथा एमएसएमई ऋणों में 198 बीपीएस की गिरावट आयी है (चार्ट III.8)।

III.38 मौद्रिक नीति निर्माण और चलनिधि प्रबंधन के लिए अधिक से अधिक विश्लेषणात्मक डेटा जुटाने के उद्देश्य से वर्ष 2019-20 के दौरान कई अध्ययन किए गए। उनमें शामिल थे:

सारणी III.5: वाणिज्यिक बैंकों के बाहरी बेंचमार्क : जून 2020

बैंक समूह	नीतिगत रिपो दर	सीडी दर	मिबोर	3-माह खजाना बिल दर	विशेष बेंचमार्क क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र बैंक (11)	11	-	-	-	-
निजी बैंक (21)	18	1	-	-	2
विदेशी बैंक (34)*	7	-	2	7	5
वाणिज्यिक बैंक (66)*	36	1	2	7	7

@: 13 विदेशी बैंक ऐसे थे जिनका खुदरा तथा एमएसएमई संविभाग में कोई जोखिम नहीं था।

नोट : कोष्ठक में उन बैंकों की संख्या दी गयी है जिन्होंने अपनी विवरणी प्रस्तुत की है।

स्रोत : आरबीआई

सारणी III.6: नीतिगत रिपो दर से संबद्ध ऋण – माध्य स्प्रेड (जून 2020)


(प्रतिशतता बिंदु)

बैंक समूह	वैयक्तिक ऋण				एमएसएमई को ऋण
	आवास	वाहन	शिक्षा	अन्य वैयक्तिक ऋण	
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र	3.3	4.6	4.2	6.7	5.8
निजी क्षेत्र	5.0	6.7	7.0	6.7	7.0
घरेलू बैंक	4.3	4.8	4.8	6.7	6.3

स्रोत: आरबीआई

बेहतर चलनिधि प्रबंधन के लक्ष्य से विभिन्न आवृत्तियों पर संचलनगत मुद्रा (बैंकिंग प्रणाली से चलनिधि के रिसाव की एक प्रमुख मद) का पूर्वानुमान लगाने की प्रणाली का परिष्कार; उच्च अवृत्ति वाले डेटा के आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति का तात्कालिक पूर्वानुमान; सब्जियों के दामों के कारण लगने वाले आघात के संचरण पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य मुद्रास्फीति के स्थानिक विस्तार; क्रेडिट के माध्यम से मौद्रिक नीति के संचरण पर बैंकों की आस्ति गुणवत्ता का प्रभाव; क्रेडिट चक्रों का बर्ताव; असममिति

चार्ट III.8: वैयक्तिक ऋणों और एमएसएमई को दिए गए ऋणों पर डब्ल्यूएलआर: भिन्नता (अक्टूबर 2019-जून 2020)



स्रोत: आरबीआई

और अरेखीयता पर विशेष ध्यान देते हुए विनिमय दरों के संचरण (ईआरपीटी) का अद्यतन अनुमान; मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों का मूल्यांकन; प्रत्याशाएं व्यक्त करने के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान का मिश्रित दृष्टिकोण; अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतों में स्फीति का घरेलू मुद्रास्फीति में संचरण; निजी बचत के वाहक; मौद्रिक नीति संचरण में आने वाली बाधाएं।

3. वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

III.39 कोविड-19 महामारी के कारण घरेलू वित्तीय बाजारों में आयी अस्थिरता वाले माहौल तथा उत्पादन को हुए नुकसान के मद्देनजर विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- वृहत्तर सूचना प्रणाली के माध्यम से मुद्रास्फीति के तात्कालिक पूर्वानुमान को अधिक सक्षम बनाना जिसमें पण्य वस्तुओं की निगरानी को भी शामिल किया जाएगा (उत्कर्ष);
- पूंजी आगम गतिकी को सम्मिलित करते हुए तिमाही अनुमान मॉडल (क्यूपीएम) के बाह्य क्षेत्र ब्लॉक को अधिक प्रभावी बनाना ताकि बाह्य प्रभावों के प्रसार के विश्लेषण में सुधार आए तथा प्रतिसाद प्रक्रियाओं एवं हालिया अनुभवाश्रित अनुमानों के आधार पर क्यूपीएम की पुनर्परीक्षा (उत्कर्ष);
- एमपीसी के मतदान के स्वरूप का विश्लेषण (उत्कर्ष);
- मौद्रिक नीति के पारंपरिक (ओएमओ) और गैर-पारंपरिक (एलटीआरओ, टीएलटीआरओ) उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन; और
- बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूति-धारण एवं क्रेडिट वृद्धि की गतिकी ताकि क्राउडिंग आउट और पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन की सापेक्ष भूमिकाओं का आकलन किया जा सके।

4. निष्कर्ष

III.40 कुल मिलाकर, अन्य देशों की ही तरह भारत के उत्पादन पर भी कोविड-19 का अभूतपूर्व दुष्प्रभाव जारी है। फरवरी 2020

से ही संवृद्धि और चलनिधि से जुड़ी चिंताओं का समाधान तलाशने की दिशा में काफी बड़ी संख्या में नीतिगत और चलनिधि उपाय किए गए हैं। मुद्रास्फीति की बात करें तो, भविष्य में, रबी की फसल बहुत अच्छी रहने, खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में सीमित वृद्धि होने तथा दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की संभावनाओं को देखते हुए खाद्य स्फीति परिदृश्य अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने की आशा है, वहीं दालों के मामले में माँग-आपूर्ति संतुलन बनाने में कठिनाई आने के कारण और प्रमुख सब्जियों की आपूर्ति में बाधाएं आने से इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च कर, दूरसंचार के प्रभावों में वृद्धि और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के दबाव तले खाद्येतर मुद्रास्फीति के बढ़ने की आशंकाएं हैं। समग्र रूप से, 2020-21 की दूसरी तिमाही में मुख्य मुद्रास्फीति के बढ़े रहने की संभावना है, लेकिन 2020-21 की दूसरी छमाही में यह नरम पड़ सकती है, जिसमें बड़ी मात्रा में अनुकूल बेस प्रभावों का योगदान भी रहेगा। घरेलू संवृद्धि के अधोगामी बने रहने का जोखिम बना रहेगा और इसीलिए मौद्रिक नीति के तहत, जैसा कि एमपीसी ने बार-बार कहा है, निभावकारी रुख को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक, मुद्रास्फीति को भविष्य में लक्षित सीमा के भीतर रखना सुनिश्चित करते हुए, संवृद्धि की रफ्तार को फिर से हासिल न कर लिया जाए और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव कम न हो जाए। वित्तीय स्थितियों को अनुकूल बनाना और वित्तीय बाजारों तथा संस्थाओं को सामान्य ढंग से कामकाज में सक्षम बनाना सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक चलनिधि परिचालन करना जारी रखेगा ताकि प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनी रहे। वैयक्तिक और एमएसएमई संविभाग के परिवर्तनशील दरों वाले नये ऋणों पर ब्याज-दरों को बाहरी बेंचमार्क से लिंक करना अपरिहार्य बनाए जाने से मौद्रिक संचरण की गति बढ़ी है, हालांकि यह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है। रिजर्व बैंक मौद्रिक संचरण में और अधिक सुधार लाने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगा।

वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) दस्तावेज का जारी किए जाना ऋण सुपुर्दगी में सुधार और वित्तीय समावेशन की पहुंच बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे नवोन्मेषी प्रयासों को गति प्रदान करने वाला साबित हुआ, जिसमें वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा संकेंद्रित प्रयास की परिकल्पना की गयी है। व्यवसाय प्रातिनिधियों (बीसी) के क्षमता निर्माण हेतु "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण" मॉड्यूल विकसित करके, वित्तीय साक्षरता केंद्रों का विस्तार आदिवासी प्रखंडों तक करके और डिजिटल भुगतान तंत्र की पैठ को और गहन बनाकर वित्तीय साक्षरता की दिशा में लगातार प्रयास किए गए।

IV.1 रिजर्व बैंक का मिशन वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ बैंक-रहित क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है। कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनके लिए संस्थागत ऋण प्रवाह सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए एमएसएमई से संबंधित विशेषज्ञ समिति और कृषि ऋण की समीक्षा के लिए गठित आंतरिक कार्य-समूह (आईडब्ल्यूजी) की सिफारिशों के अनुसार प्रयास किए गए।

IV.2 वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) दस्तावेज को वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) के तत्वावधान में तैयार किया गया है। इस दस्तावेज को वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे जनवरी 2020 में जारी किया गया।

IV.3 एनएसएफआई कार्यनीति के अनुसरण में, वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा कई नवोन्मेषी कार्य किए गए। पहला, बैंकों द्वारा प्रायोगिक वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) एनजीओ के सहयोग से चलाए जा रहे हैं ताकि संरचनाबद्ध और समन्वित प्रयासों के जरिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जा सके। दूसरा, व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के क्षमता निर्माण और कौशल संवर्धन हेतु द्वि-स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम 'संसाधनों के प्रदर्शन हेतु कौशल उन्नयन' (सुपर-बी) का प्रारंभ किया गया ताकि मूलभूत स्तर पर वित्तीय सेवाएं प्रभावी तरीके से प्रदान की जा सकें। तीसरा, रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2019

में सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी/यूटीएलबीसी) को सूचित किया कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र में एक जिले की पहचान करें और उस जिले में उल्लेखनीय मौजूदगी वाले किसी एक सदस्य बैंक को इसे आबंटित करें जिससे देश में डिजिटल भुगतान तंत्र का विस्तार किया जा सके और उसकी पहुंच बढ़ायी जा सके। यह प्रयास किया जा रहा है कि उक्त जिले को एक वर्ष के भीतर डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाया जाए।

IV.4 इसी पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को तीन खंडों में बांटा गया है। वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को खंड 2 में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्राथमिकत-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह संबंधी प्रदर्शन और वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता से जुड़ी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना को खंड 3 में दिया गया है। अध्याय के अंत में सारांश प्रस्तुत किया गया है।

2. वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IV.5 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उत्कर्ष के अंतर्गत विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश के 20 आदिवासी प्रखंडों तक प्रायोगिक वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना का विस्तार किया जाएगा, और यह दो साल की अवधि तक चलेगा (पैरा IV.6);

- एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री यू. के. सिन्हा) द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों की जांच कार्यान्वयन के उद्देश्य से की जाएगी (पैरा IV.7); और
- रिजर्व बैंक ने कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए जनवरी 2019 में एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया है (अध्यक्ष: श्री एम. के. जैन, उप गवर्नर)। कार्य समूह की सिफारिशों की जांच कार्यान्वयन के उद्देश्य से की जाएगी (पैरा IV.8)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

IV.6 प्रायोगिक वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) जिन्हें संरचनाबद्ध और समन्वित प्रयासों के जरिए वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 9 राज्यों के 80 प्रखंडों में बैंकों और गैर सरकारी संगठनों के बीच एक पहल के रूप में स्थापित किया गया था, उनका विस्तार तीन राज्यों - मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के 20 आदिवासी प्रखंडों में भी किया गया ताकि आदिवासी क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जा सके।

IV.7 एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति ने 37 सिफारिशें की थीं, जिनमें से 15 रिजर्व बैंक से संबंधित थी। उनमें से, वीडियो-आधारित अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों को जनवरी 2020 में लागू कर दिया गया।

IV.8 आईडब्ल्यूजी ने 29 सिफारिशें कीं जिनमें से 10 रिजर्व बैंक से, 13 सरकार से, 4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और 2 बैंकों से संबंधित हैं। अब तक जिन विषयों से संबंधित सिफारिशों पर कार्यान्वयन किया गया है, उनमें शामिल हैं- निगरानी के उद्देश्य से उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की शुरुआत करने, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ब्याज अनुदान के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण, लघु और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान, खेती के लिए वित्त-पोषण की मात्रा की समीक्षा, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को वित्तपोषण और कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों/स्टार्ट-अप के साथ सहयोग ताकि किसानों को एकीकृत, समयबद्ध और प्रभावी तरीके से ऋण मुहैया कराया जा सके।

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV.9 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार दिए जाने संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के प्रदर्शन से पता चलता है कि यद्यपि, मात्रा की दृष्टि से ऋण में वृद्धि हुई थी, तथापि पिछले वर्ष की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्रेतर जोखिम के समतुल्य ऋण (सीईओबीई) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दी जाने वाली उधारी में सभी बैंक समूहों में कमी आयी (सारणी IV.1)।

IV.10 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) और कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) पर इन प्रमाण-पत्रों में व्यापार की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म से इस बात के संकेत मिलते हैं कि वर्ष 2019-20 के दौरान सभी पात्र संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। पिछले वर्ष 77.6 प्रतिशत की वृद्धि के बाद इस वर्ष भी कुल व्यापार की मात्रा में 43.1 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹4.68 लाख करोड़ रही। पीएसएलसी की चार श्रेणियों में, सबसे अधिक व्यापार पीएसएलसी-सामान्य और पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान के मामले में देखने को मिला, जिसमें वर्ष के दौरान लेनदेन की मात्रा क्रमशः ₹1.70 लाख करोड़ और ₹1.46 लाख करोड़ रही।

सारणी IV.1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के क्षेत्र में प्रदर्शन

₹ करोड़

मार्च-अंत में	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2018-19	23,05,978 (42.55)	10,18,994 (42.49)	1,54,337 (43.41)
2019-20*	23,14,242 (41.05)	12,72,745 (40.32)	1,67,108 (40.81)

*: अंतिम।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एएनबीसी या सीईओबीई, जो भी अधिक है, के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

सारणी IV.2: कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ करोड़)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक		ग्रामीण सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-19	792,000	954,823	165,000	152,340	143,000	149,667	1,100,000	1,256,830
2019-20*	972,000	1,061,215	202,500	149,694	175,500	162,857	1,350,000	1,373,766

*: अन्तिम

स्रोत: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा

IV.11 कृषि और एमएसएमई श्रेणियों के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधारी के रूप में वर्गीकरण के लिए कृषि (मीयादी ऋण घटक) हेतु प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक, और एमएसएमई के लिए प्रति उधारकर्ता ₹20 लाख तक का आगे उधार देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई से इतर) को बैंक ऋण का पात्र बनाया गया। आवास वित्त कंपनियों के संबंध में, आगे उधार देने की सीमा को प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया। उपर्युक्त दिशानिर्देश 13 अगस्त 2019 से लागू हो गए। एनबीएफसी/ एचएफसी द्वारा आगे उधार देने की अनुमति किसी एक बैंक के कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के पांच प्रतिशत तक के औसत आधार पर दी जा सकती है। मार्च 2020 में इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करते हुए इन्हें 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू किया गया है और तदुपरांत इनकी समीक्षा की जाएगी।

IV.12 निर्यात क्षेत्र के लिए बैंक ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के वर्गीकरण के लिए पात्र हैं, जो विभिन्न सीमाओं के अधीन है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के तहत निर्यात ऋण के वर्गीकरण के लिए स्वीकृत सीमा को प्रति उधारकर्ता ₹25 करोड़ से बढ़ाकर ₹40 करोड़ कर दिया गया और 20 सितंबर 2019 से ₹100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली इकाइयों के मौजूदा मानदंड को सभी घरेलू एससीबी और छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए खत्म कर दिया गया।

कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह

IV.13 भारत सरकार (जीओआई) प्रत्येक वर्ष वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और ग्रामीण सहकारी

बैंकों के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹13.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले, बैंकों ने ₹13.7 लाख करोड़ (लक्ष्य का 101.8 प्रतिशत) हासिल किया है, जिनमें से वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों ने अपने संबंधित लक्ष्यों का क्रमशः 109.2 प्रतिशत, 73.9 प्रतिशत और 92.8 प्रतिशत हासिल किया है (सारणी IV.2)।

IV.14 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपभोग, निवेश और बीमा सहित खेती और अन्य जरूरतों के लिए एकल खिड़की के अंतर्गत किसानों को पर्याप्त और समय पर बैंक ऋण प्रदान करता है (सारणी IV.3)।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय

IV.15 वर्तमान में, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के दायरे में 12 प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं, अर्थात्, चक्रवात; सूखा; भूकंप; आग; बाढ़; सुनामी; ओला वृष्टि; भूस्खलन; हिमस्खलन; बादल फटना; कीट का हमला; और शीतलहर। तदनुसार, जहाँ इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का आकलन 33 प्रतिशत या

सारणी IV.3: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	क्रियाशील केसीसी की संख्या	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण
1	2	3	4
2018-19	236.3	4,13,670.4	41,409.0
2019-20*	241.5	4,23,587.8	46,555.8

*: अन्तिम

स्रोत: सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक।

उससे अधिक हो, वहाँ रिजर्व बैंक ने राहत प्रदान करने का दायित्व बैंकों को सौंपा है। बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले राहत उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा ऋणों की पुनर्चना/पुनर्निर्धारण और पात्र उधारकर्ताओं के सम्मुख आने वाली जरूरतों के अनुसार नए ऋणों को मंजूरी देना शामिल है। वर्ष 2019-20 के दौरान, छह राज्यों, अर्थात् ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर और राजस्थान द्वारा प्राकृतिक आपदा/दंगे या उपद्रवों की घोषणा की गई थी। जहां अगस्त 2019 में बाढ़ के कारण केरल और कर्नाटक में फसल नुकसान हुआ, वहीं अगस्त-अक्टूबर 2019 के दौरान राजस्थान सूखे से प्रभावित रहा। जुलाई-अगस्त 2019 के दौरान महाराष्ट्र को भी अत्यधिक बारिश/बाढ़ का सामना करना पड़ा। मई 2019 में चक्रवात फैनी ने ओडिशा में भारी तबाही मचाई, जबकि अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर में उपद्रव की घटनाएं हुईं। जहां वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकों द्वारा इनमें प्रभावित व्यक्तियों को ₹32,639 करोड़ का नया ऋण

सारणी IV.4: राष्ट्रीय आपदाओं हेतु राहत उपाय

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनर्चित/पुनर्निर्धारित ऋण		प्रदत्त नया वित्त/पुनर्वित्त	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	3	4
2018-19	3.90	10,349	5.50	10,983
2019-20*	9.04	13,296	10.06	32,639

*: अन्तिम

स्रोत: राज्य स्तरीय बैंक समितियां (एसएलबीसी)।

प्रदान किया गया, वहीं उसी अवधि के दौरान बैंकों द्वारा ₹13,296 करोड़ के ऋण की पुनर्चना/पुनर्निर्धारण किया गया (सारणी IV.4)।

IV.16 ब्याज अनुदान के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए आईडब्ल्यूजी ने सिफारिश की थी कि बैंक ब्याज अनुदान के लिए पात्र किसानों को सिर्फ केसीसी मोड के माध्यम से फसल ऋण

बॉक्स IV.1

कृषि ऋण और कृषि क्षेत्र के लिए उसके निहितार्थों की समीक्षा करने हेतु आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट

समग्र जीडीपी और रोजगार सृजन में इसके योगदान के संदर्भ में देखें तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई मुद्दे और चुनौतियां हैं जो इस क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं, मसलन ऋण तक पहुंच, ऋण की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानता और ऋण माफी के कारण ऋण संस्कृति से संबंधित मुद्दे। रिजर्व बैंक ने इन समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए 2018-19 (7 फरवरी 2019) की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में 'कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह' के गठन की घोषणा की।

कार्य समूह की रिपोर्ट रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी सिफारिशों में शामिल हैं - भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण; ऋण वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी पोर्टल को अपनाना; क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए नाबार्ड द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने संबंधी दिशा-निर्देश तथा ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के आबंटन की प्रक्रिया; और, बुनियादी स्तर की ऋण सुविधा देते समय कार्यशील पूंजी और संबद्ध गतिविधियों के लिए मीयादी ऋण दोनों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करना। आईडब्ल्यूजी ने ब्याज अनुदान योजना के गलत इस्तेमाल को रोकने; संबद्ध

गतिविधियों में लगे किसानों को भी केसीसी योजना के दायरे में लाने; खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए वित्तपोषण की मात्रा तय करने में दक्षता लाने; सरकारी गारंटी निधि के कोष को बढ़ाते हुए किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने; एक डेटाबेस स्थापित करने; कृषि क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना आरंभ करने; और कृषक जोत की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कदम उठाने की सिफारिश की।

29 सिफारिशों में से छह सिफारिशों को वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यान्वयित कर दिया गया है, जो निगरानी उद्देश्यों के लिए उपयुक्त एमआईएस शुरू करने, केसीसी के माध्यम से ब्याज अनुदान के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋण, लघु और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान, खेती के लिए वित्त की मात्रा की समीक्षा, एफपीओ वित्तपोषण मॉडलों तथा किसानों को एकीकृत, समयबद्ध और प्रभावी तरीके से ऋण मुहैया कराने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों/स्टार्ट-अप के साथ सहयोग से संबंधित हैं।

स्रोत: आरबीआई

प्रदान करें (बॉक्स IV.1)। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से) कि ब्याज अनुदान और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र सभी ऋणों को 31 मार्च 2020 तक केसीसी में परिवर्तित कर दिया जाए, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया।

एसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण

IV.17 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एमएसएमई के लिए औपचारिक ऋण के प्रमुख स्रोत हैं। एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाना रिजर्व बैंक और सरकार के लिए नीतिगत प्राथमिकता रही है। हालांकि, सामान्य ऋण मंदी के साथ-साथ, एमएसएमई को बकाया बैंक ऋण में भी कमी आ गई थी, और इसमें 2019-20 में 2.34 प्रतिशत वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले वृद्धि 14.08 प्रतिशत थी) [सारणी IV.5]।

एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति

IV.18 एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति ने 37 सिफारिशें की थीं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रमुख सिफारिशों में व्यापक और समग्र एमएसएमई संहिता लागू करना, एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने वाली वेंचर कैपिटल/प्राइवेट इक्विटी फर्मों को सहारा प्रदान करने के लिए सरकार-प्रायोजित संकटग्रस्त आस्ति निधि और निधियों की निधि (एफओएफ) का सृजन करना, देरी से भुगतान के मामलों पर पैनी नजर रखने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के तहत स्थापित सूचना उपयोगिता को चालान की रिपोर्टिंग

करना और गैर-कॉर्पोरेट संस्था के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में पैन का सृजन शामिल हैं। इसके अलावा, समिति ने क्रेडिट गारंटी कवर को चूक की राशि के 75 प्रतिशत तक (वर्तमान में 50 प्रतिशत) बढ़ाने की सिफारिश की थी, और एमएसई एवं एसएचजी को उधार देने के लिए वर्तमान में निर्धारित ₹10 लाख के संपार्श्विक-मुक्त ऋणों की सीमा को बढ़ाकर ₹20 लाख करने की भी सिफारिश की थी। इन दोनों सिफारिशों को सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएमयू) के अंतर्गत 16 अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, सरकार द्वारा फरवरी 2020 से तीन व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआईडीएस) प्लेटफार्मों का एकीकरण सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के साथ कर दिया गया। अन्य सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। रिजर्व बैंक से संबंधित प्रमुख सिफारिशों में क्लस्टर्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों के लिए कम लागत वाली उधार खिड़की खोलने के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की न्यूनतम निधियों का उपयोग, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के तहत महत्वाकांक्षी जिलों में एमएसएमई ऋण को अतिरिक्त भारिता देने की शुरुआत, एमएसएमई नवोन्मेषी उधार-उपायों (लेंडिंग इन्वेस्टमेंट सेंडबॉक्स) की शुरुआत, वीडियो-आधारित केवाईसी, ₹5.0 करोड़ से बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ करने के लिए विनियामकीय खुदरा की सीमा में संशोधन और वर्तमान में ₹10 लाख तक के गैर-संपार्श्विक एमएसई ऋणों की सीमा को ₹20 लाख तक बढ़ाना शामिल हैं। वीडियो-आधारित केवाईसी से संबंधित सिफारिश को जनवरी 2020 में लागू कर दिया गया है। अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

सारणी IV.5: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018-19	255.60	6,59,102.4	23.03	6,38,030.8	2.60	1,97,419.2	320.68	15,10,650.5
2019-20*	352.90	7,16,962.3	23.26	6,33,624.9	3.52	1,95,487.0	379.69	15,46,074.2

*: अंतिम।

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

एमएसएमई के लिए ब्याज अनुदान योजना – दिशा-निर्देशों में संशोधन

IV.19 भारत सरकार ने 2 नवंबर 2018 को वर्ष 2018-19 (अर्थात्, 2 नवंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच) और 2019-20 के दौरान बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ₹100 लाख तक के नए या वृद्धिशील ऋणों पर एमएसएमई के लिए 2 प्रतिशत के ब्याज अनुदान की घोषणा की थी। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने फरवरी 2019 में एससीबी को दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत, मान्य उद्योग आधार नंबर (यूएएन) और जीएसटीएन नंबर रखने वाले सभी एमएसएमई इस योजना के तहत पात्र हैं। भारत सरकार ने ब्याज अनुदान का लाभ उठाने के लिए दिशानिर्देशों में ढील दी है, अर्थात् यूएएन के बिना व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति, कई हिस्सों में दावों की स्वीकृति, 30 जून 2020 तक सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना, आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षक प्रमाण-पत्र के आधार पर दावों का निपटारा करना, जीएसटी हेतु पात्र इकाइयों के लिए यूएएन की अपेक्षा को खत्म कर देना। इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा 5 फरवरी 2020 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए थे।

वित्तीय समावेशन

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना

IV.20 प्रत्येक जिले में एक बैंक को निर्दिष्ट करते हुए उसे अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपने का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। जून 2020 के अंत तक, देश के 726 जिलों में 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच

IV.21 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित मॉडलों यथा बीसी, एटीएम और मोबाइल वैन के रूप में वित्तीय बिचौलियों के आगमन से वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाओं की पहुँच, मात्रा और पैठ बढ़ी है। भुगतान बैंकों को भी अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) के तहत शामिल किया गया है। 30 सितंबर 2019 तक (पूरे देश की एसएलबीसी से प्राप्त

रिपोर्टों के अनुसार), देश में 2,000 से कम जनसंख्या वाले चिन्हित 4,91,490 गावों में से 4,87,496 (99.2 प्रतिशत) गावों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गयी हैं। 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले 8,687 चिन्हित गावों में से 8,200 गावों (94.4 प्रतिशत) को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई गयी हैं।

डिजिटल भुगतान तंत्र की पैठ बढ़ाना

IV.22 देश में डिजिटल भुगतान तंत्र का विस्तार करने और उसकी पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2019 में सभी एसएलबीसी/यूटीएलबीसी को सूचित किया कि वे अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किसी एक जिले की पहचान करें और उसे अपने एक ऐसे सदस्य बैंक को आबंटित करें जिसकी जिले में प्रभावी मौजूदगी हो। आबंटिती बैंक एक वर्ष के भीतर उक्त जिले को डिजिटल रूप से 100 प्रतिशत सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। एसएलबीसी/यूटीएलबीसी को जनवरी 2020 में सूचित किया गया था कि वे चिन्हित किए गए जिले में स्थित सदस्य बैंकों (सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों) की सभी शाखाओं के लिए एक समयबद्ध खाका तैयार तैयार करें ताकि अक्टूबर 2020 तक पूरी तरह से डिजिटल लेनदेन की सुविधा के लिए व्यापारियों/व्यवसायियों/कारोबारियों/उपयोगी सेवा प्रदाताओं को इससे जोड़ा जा सके।

डिजिटल भुगतानों पर एसएलबीसी/यूटीएलबीसी की उप-समिति का गठन

IV.23 रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी 2019 में गठित डिजिटल भुगतानों की पैठ बढ़ाने संबंधी उच्च स्तरीय समिति (सीडीपीडी) (अध्यक्ष: श्री नंदन नीलेकणि) की सिफारिश के अनुसार, एसएलबीसी/यूटीएलबीसी के सभी संयोजक बैंकों से अगस्त 2019 में डिजिटल भुगतान संबंधी उप-समिति गठित करने को कहा गया है। यह समिति अपने-अपने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का प्रयास करेगी, यथा: (i) वित्तीय संस्थाओं की मैपिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधा के लिए बैंक खातों को सुव्यवस्थित करना; (ii) गड़बड़ी की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान और बैंकिंग

प्रतिनिधियों को पुनर्व्यवस्थित करना; (iii) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समर्पित नवोन्मेषी वित्तीय साक्षरता उपाय; (iv) बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में जो अंतराल रह जाता है, उसे कवर करने के लिए भुगतान बैंकों की पहुंच और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना; (v) डिजिटल वित्तीय ढांचे की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) अंक, डेबिट कार्ड निर्गम, बिक्री केंद्र (पीओएस) की स्थिति की निगरानी; (vi) ग्रामीण ग्राहकों के लाभ के लिए डिजिटल लेनदेन शुरू करने हेतु सभी थोक अनाज मंडियों और गांव के हाटों में पर्याप्त डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करना; और (vii) सरकार से व्यापारी (जी2एम), सरकार से व्यक्ति (जी2पी), व्यक्ति से सरकार (पी2जी) और व्यापारी से सरकार (एम2जी) के लेनदेन की निगरानी। उप-समिति डिजिटलीकरण के स्तरों का आकलन करेगी और उसकी पैठ बढ़ाने का उपाय खोजेगी।

वित्तीय समावेशन योजना

IV.24 वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) वित्तीय समावेशन के लिए एक सुनियोजित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण प्रदान करती हैं जिनके तहत बोर्ड अनुमोदित एफआईपी के रूप में बैंकों के उच्चतम स्तर द्वारा व्यक्त की गयी प्रतिबद्धताएं शामिल होती हैं। इस योजना में आउटलेट्स की संख्या (शाखाएं और बीसी), बैंक की शाखाओं और बीसी द्वारा खोले गए मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए), उन खातों में ली गयी ओवरड्राफ्ट सुविधाओं, केसीसी के लेनदेन, सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खाते और बीसी-आईसीटी चैनल के माध्यम से किए गए लेनदेन जैसे मापदंडों के आधार पर बैंकों द्वारा स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की व्यवस्था दी गयी है। बैंकों द्वारा इन मापदंडों पर हुई प्रगति के बारे में रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर सूचित किया जाता है (सारणी IV.6)।

सारणी IV.6: वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट (मार्च अंत)

ब्योरा	2010	2019	2020*
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स- शाखाएं	33,378	52,489	54,561
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स>2000-बीसी	8,390	1,30,687	1,49,106
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स<2000-बीसी	25,784	4,10,442	3,92,069
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स-बीसी	34,174	5,41,129	5,41,175
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स- अन्य माध्यमों से	142	3,537	3,481
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स- कुल	67,694	5,97,155	5,99,217
बीसी के जरिए समावेशित शहरी भूभाग	447	4,47,170	6,35,046
बीएसबीडीए – शाखाओं के जरिए (संख्या लाख में)	600	2,547	2,616
बीएसबीडीए – शाखाओं के जरिए (राशि करोड़ में)	4,400	87,765	95,831
बीएसबीडीए – बीसी के जरिए (संख्या लाख में)	130	3,195	3,388
बीएसबीडीए – बीसी के जरिए (राशि करोड़ में)	1,100	53,195	72,581
बीएसबीडीए – कुल (संख्या लाख में)	735	5,742	6,004
बीएसबीडीए – कुल (राशि करोड़ में)	5,500	1,40,960	1,68,412
बीएसबीडीए में ली गयी ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	59	64
बीएसबीडीए में ली गयी ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	443	529
केसीसी – कुल (संख्या लाख में)	240	491	475
केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	6,68,044	6,39,069
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	120	202
जीसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	3,500	1,74,514	1,94,048
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	21,019	32,318
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	700	5,91,347	8,70,643

* अनंतिम #: वर्ष के दौरान लेनदेन।

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियां

वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति की निगरानी (एमपीएफआई)

IV.25 रिजर्व बैंक की नीतियों का तालमेल वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए बने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) दस्तावेज़ में उल्लिखित दृष्टिकोण के साथ बैठते हुए, एफआईपी टेम्पलेट को संशोधित किया गया है और इसे 'वित्तीय समावेशन की निगरानी प्रगति (एमपीएफआई)' का नाम दिया गया है ताकि अधिक सूक्ष्म डाटा और जमीनी स्तर के गुणात्मक पहलुओं को समेटा जा सके। एमपीएफआई के तहत प्राप्त डेटा को रिजर्व बैंक की स्वचालित डेटा निष्कर्षण परियोजना (एडीईपीटी) के माध्यम से स्वचालित बनाया जाएगा।

बीसी मॉडल के लिए हाल ही में उठाए गए नए कदम

IV.26 बीसी फ्रेमवर्क को मजबूत करने और वित्तीय समावेशन की पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से, बीसी के लिए एक श्रेणीबद्ध प्रमाणन फ्रेमवर्क भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को जारी करते हुए उसे लागू करने को कहा गया। वह उसे आगे कार्यान्वयित करने के लिए जारी किया गया था। तदनुसार, एसएफबी सहित घरेलू एससीबी को भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा संचालित बीसी प्रमाणन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से 31 दिसंबर 2020 तक पूरा करने को कहा गया है। भुगतान बैंकों को बीसी की संख्या के आधार पर बीसी प्रमाणन को समय-सीमा में अंतर रखते हुए पूरा करने की सलाह दी गई है। आईआईबीएफ से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान पंचानवे हजार से अधिक बीसी को प्रमाणित किया गया है।

व्यवसाय प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम

IV.27 बीसी के क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन के लिए 'संसाधनों के प्रदर्शन हेतु कौशल उन्नयन – व्यवसाय प्रतिनिधि (सुपर-बी)' शीर्षक से द्वि-स्तरीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को प्रभावी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तीन चरणों में आयोजित पहले टियर में, क्षेत्रीय कार्यालयों से एससीबी प्रशिक्षकों, अधिकारियों/संकायों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के अग्रणी जिला

अधिकारियों (एलडीओ) को प्रशिक्षित किया गया था। बैंकों को इस कार्यक्रम के टियर- II को पूरा करने का निदेश दिया गया है, जिससे ग्रामीण शाखा प्रबंधकों के प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा, और जो आगे चलकर उनकी शाखाओं से जुड़े बीसी को व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे और उन्हें जागरूक बनाएंगे। 31 जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार, उक्त कार्यक्रम के इस दूसरे चरण के अंतर्गत 39,000 से अधिक ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षित किया गया था।

वित्तीय साक्षरता

IV.28 मध्यवर्ती (मिड-लाइन) सर्वेक्षण¹, जो सीएफएल पर प्रायोगिक परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन का हिस्सा था, वर्ष 2019-20 के दौरान पूरा कर लिया गया। इस मध्यवर्ती सर्वेक्षण के अवलोकन/निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

ए. मध्यवर्ती सर्वेक्षण से सीएफएल कार्यक्रम की व्यापक पहुंच और उत्तरदाताओं के मौलिक जुड़ाव के बारे में पता चलता है;

बी. 'सक्रिय' सहभागिता अर्थात् बैठकें या प्रशिक्षण आमने-सामने बैठकर करना, वित्तीय साक्षरता और उत्पादों, विशेष रूप से बचत बैंक खाते खोलवाने और उनके उपयोग को बढ़ाने की दिशा में बेहतर परिणाम देता है; और

सी. शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करने की इच्छा और शिकायतों को जल्दी और संतोषजनक हल प्राप्त होने के विश्वास में मामूली सुधार देखा गया है, और उन लोगों में स्पष्ट रूप से दिखा जिन्हें जागरूकता कार्यक्रमों में 'सक्रिय' सहभागिता का मौका मिला था।

IV.29 सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि इस तरह की जानकारी और ज्ञान का व्यापक प्रसार करके और नेटवर्क-आधारित प्रचार-प्रसार का फायदा उठाकर वित्तीय साक्षरता में सुधार किया जा सकता है। हालांकि, उत्पाद के उपयोग और वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के उपभोग हेतु प्रोत्साहित करने के

¹ मध्यवर्ती सर्वेक्षण से आशय चरणबद्ध यादृच्छिकीकरण (रैंडमाइजेशन) के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए बीच की अवधि में ही एकत्रित किए गए आंकड़ों से है।

लिए एकजुट होकर केंद्रित, लक्षित और सतत प्रयास करने की जरूरत है ताकि उसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) द्वारा संचालित गतिविधियां

IV.30 मार्च 2020 के अंत में, देश में 1,467 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) काम कर रहे थे। वर्ष 2019-20 के दौरान एफएलसी द्वारा वित्तीय साक्षरता संबंधी 1,48,444 गतिविधियों का संचालन किया गया, जो पिछले वर्ष के दौरान की गयी 1,45,427 गतिविधियों से ज्यादा था।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 मनाया गया

IV.31 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) रिज़र्व बैंक की पहल है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष सघन अभियान के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर जनता/विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता पैदा की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, एफएलडब्ल्यू 10-14 फरवरी 2020 के दौरान मनाया गया, जिसका विषय एमएसएमई था। औपचारिकता, संपार्श्विक मुक्त ऋण, प्राप्य राशियों को भुनाने, दबावग्रस्त इकाइयों के पुनर्वास और समय पर चुकोती से संबंधित पहलुओं पर पोस्टर/पत्रक और श्रव्य-दृश्य माध्यम में सामग्री तैयार की गयी ताकि एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में जागरूकता पैदा की जा सके और वित्तीय साक्षरता संबंधी संदेशों को प्रसारित किया जा सके। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी ग्रामीण बैंक शाखाओं, एफएलसी, एटीएम में और वेबसाइटों पर इन पोस्टरों और सामग्री को प्रदर्शित करें। रिज़र्व बैंक ने भी एमएसएमई उद्यमियों के बीच अत्यावश्यक वित्तीय जागरूकता संदेश प्रसारित करने के लिए फरवरी 2020 के दौरान एक केंद्रीकृत संपर्क मास मीडिया अभियान चलाया।

द्वितीय राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई: 2020-25)

IV.32 राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) [अध्यक्ष: एफआईडीडी, आरबीआई के प्रभारी उप गवर्नर] के तत्वावधान में तैयार की गई थी, जिसमें भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (आरबीआई,

सेबी, आईआरडीएआई एवं पीएफआरडीए) के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में थे और इसे गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2020-25 की अवधि के लिए तैयार की गयी एनएसएफई का उद्देश्य वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण के स्वप्न को साकार करना है जिसके तहत समुचित ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने में देशवासियों की मदद करके उन्हें अपने पैसों के बेहतर प्रबंधन करते हुए अपने भविष्य की आयोजना करने लायक बनाया जाना है। भारतवासियों को वित्तीय खुशहाली मिले, इसके लिए इस इस कार्यनीति में एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है। कार्यनीति में की गयी सिफारिशों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करते हुए किया जाएगा और उक्त कार्यनीति की अवधि (2020-25) के दौरान इसकी आवधिक निगरानी एफएसडीसी-एससी के अंतर्गत टीजीएफआईएफएल द्वारा की जाएगी।

ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन पर कोविड-19 का असर

IV.33 कोविड-19 के प्रकोप के कारण वित्तीय समावेशन की प्रगति के मार्ग में आयी चुनौतियां अभूतपूर्व हैं और इनसे निपटने के लिए सभी संबंधित हितधारकों से बहुविध दृष्टिकोण अपेक्षित है। रिज़र्व बैंक द्वारा कई नीतिगत उपाय किए गए। महामारी के दौरान समाज के कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने में वैकल्पिक डिलिवरी चैनल, विशेष रूप से बीसी मॉडल, द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका उभारकर सामने आयी। व्यवसाय प्रतिनिधि सुदूर स्थानों तक बैंकिंग सेवाओं को मुहैया करा रहे हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों को नकद लाभ देने की घोषणा के साथ, बीसी केंद्रों पर कामकाज, विशेष रूप से नकद निकासी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी है। बैंकों द्वारा निपटान खातों में ओवरड्राफ्ट सीमा बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छता, परिवहन, बीमा कवर की पूर्ति के लिए बीसी को वित्तीय सहायता प्रदान करने और एहतियाती दिशानिर्देशों के संबंध में नियमित रूप से बीसी को शिक्षित करने

के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बैंकों द्वारा कई कदम उठाए गए थे।

IV.34 किसानों के हितों की रक्षा हेतु अल्पावधि ऋणों के लिए ब्याज अनुदान और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन को विस्तारित अधिस्थगन अवधि तक जारी रखा गया है। बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए, छोटे और मध्यम आकार के एनबीएफसी और एमएफआई द्वारा जारी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनियोजित टीएलटीआरओ 2.0 योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त धनराशि को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को निर्धारित करने के उद्देश्य से एएनबीसी से छूट दी गई थी। इसी तरह, म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए विशेष चलनिधि सुविधा के तहत, एसएलएफ-एमएफ के अंतर्गत अर्जित की गई और एचटीएम श्रेणी के तहत रखी गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य को एएनबीसी की गणना करते समय घटाने की अनुमति दी गई थी।

3. वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

IV.35 इस वर्ष के दौरान, विभाग ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा:

- बीसी की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम और व्यवसाय प्रतिनिधि रजिस्ट्री की समीक्षा (उत्कर्ष);
- विशिष्ट लक्ष्य समूह के लिए ऑन-लाइन वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल विकसित करना (उत्कर्ष);
- सीएफएल संबंधी प्रायोगिक परियोजना के अंतिम-कड़ी प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण को पूर्ण करना (उत्कर्ष);

- "एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति" और "कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह" की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना (उत्कर्ष);
- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) के कार्यान्वयन की निगरानी करना; और
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा।

4. निष्कर्ष

IV.36 संक्षेप में, संबंधी विशेषज्ञ समिति और कृषि ऋण संबंधी आंतरिक कार्य समूह की सिफारिशों के माध्यम से इस वर्ष के लिए यह कार्ययोजना तैयार की गयी थी कि वित्तीय समावेशन में सुधार लाया जाए और इन क्षेत्रों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि की जाए। बीसी रजिस्ट्री, बीसी प्रमाणन और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण जैसी पहले दीर्घावधि में बीसी मॉडल को सशक्त करने वाली साबित होंगी। इसके अलावा, एनएसएफआई दस्तावेज के तहत अपनाई गई कार्यनीति के कार्यान्वयन से अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता में वृद्धि होगी, डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार होगा और इसकी पैठ बढ़ेगी और वित्तीय समावेशन योजनाओं में बैंकों द्वारा की गयी प्रगति की निगरानी हेतु एमआईएस में सुधार होगा। भविष्य में, एक ओर जहां उपर्युक्त रिपोर्टों की शेष सिफारिशों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, वहीं प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा भी आगामी वर्ष में की जाएगी।

रिज़र्व बैंक ने प्रतिभागिता को बढ़ाकर, बाज़ार तक पहुंच तथा लेनदेन संबंधी मानदंडों को सुगम बनाकर, वित्तीय बाज़ार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर के तथा बाज़ार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए कड़ा निगरानी-तंत्र अपना कर वित्तीय बाज़ारों के विभिन्न खंडों को विकसित तथा मजबूत किया। चलनिधि की स्थिति का तदनुसार प्रबंधन करना वर्ष के दौरान एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। रिज़र्व बैंक ने फॉरेक्स स्वेप्स, दीर्घावधि रिपो, लक्षित दीर्घावधि रिपो, अल्पावधि फॉरेक्स स्वेप्स तथा परिवर्ती दर रिवर्स रिपो जैसे विविध गैर पारंपरिक लिखतों का उपयोग किया। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बाज़ारों से संबंधित विनियमों को सरल बनाने हेतु विविध उपाय किए गए ताकि वे वर्तमान कारोबारी तथा आर्थिक परिवेश के अनुरूप हों।

V.1 वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय बाज़ार को और भी विकसित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बाज़ार की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने हेतु कड़ी निगरानी बनाए रखते हुए कई उपाय शुरू किए, जैसे: बाज़ारों के विविध खंडों में प्रतिभागिता आधार को बढ़ाना, प्रतिभागियों की पहुंच आसान बनाना तथा लेनदेन संबंधी मानदंडों को सुकर बनाना; वित्तीय उत्पादों के प्रकारों को बढ़ाना, कार्यविधियों को सरल बनाना तथा वित्तीय बाज़ार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना। कोविड-19 के कारण हुए विस्थापन के मद्देनजर पर्याप्त चलनिधि, बाज़ारों का सामान्य कार्य तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए रुपये तथा फॉरेक्स में रिज़र्व बैंक के चलनिधि परिचालनों को बढ़ाया गया तथा गैर पारंपरिक लिखतों को भी उपयोग में लाया गया।

V.2 इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में खंड 2 में वित्तीय बाज़ारों को विकसित करने हेतु किए गए उपायों को शामिल किया गया है। खंड 3 में चलनिधि प्रबंधन तथा विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रस्तुत किया गया है। खंड 4 में विदेशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देते हुए व्यापार तथा भुगतानों की सुविधा हेतु शुरू की गई विभिन्न पहलों को शामिल किया गया है। प्रत्येक खंड में वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना को भी शामिल किया गया है। यह अध्याय निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है।

2. वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग (एफ़एमआरडी)

V.3 वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), विदेशी मुद्रा तथा संबंधित डेरिवेटिव बाज़ार के विकास, विनियमन तथा निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इस दायित्व के अनुसार कई उपाय शुरू किए।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

V.4 विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अपनी निगरानी क्षमताओं के परिवर्धन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित समन्वित बाज़ार निगरानी प्रणाली (आईएमएसएस) विकसित करना (उत्कर्ष) [पैरा V.5];
- अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (आईसीएसडी) के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निपटान (सेटलमेंट) को कार्यान्वित करना, ताकि आईसीएसडी के अनिवासी ग्राहकों को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का ऑफशोर लेनदेन करने की अनुमति दी जा सके (पैरा V.6); तथा

- अगस्त 2018 में गठित आंतरिक समूह द्वारा की गई सिफ़ारिश के अनुसार वित्तीय बाज़ार के विभिन्न प्रचालन समयों की समीक्षा तथा कार्यान्वयन (पैरा V.7)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

V.5 विभाग ने समन्वित बाज़ार निगरानी प्रणाली (आईएमएसएस) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक विक्रेताओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त की गई है। ईओआई के मूल्यांकन के आधार पर विभाग अगस्त 2020 के अंत तक प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी करेगा।

V.6 आईसीएसडी के माध्यम से भारत सरकार की प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निपटान को कार्यान्वित करने के संबंध में प्रारूप योजना को सरकार के साथ परामर्श कर अंतिम रूप दिया गया है। तथापि उसमें कुछ करों संबंधी मामले हैं, जिन्हें सरकार को संदर्भित किया गया है। इस बीच आईसीएसडी योजना

के परिचालनगत ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है और उन्हें शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

V.7 बाज़ार के प्रचालन समय पर आंतरिक समूह द्वारा की गई सिफ़ारिश तथा बाज़ार के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिसूचना के अनुसार विभिन्न उत्पादों के लिए संशोधित बाज़ार समयों को अंतिम रूप दिया गया है तथा उन्हें कोविड-19 से संबंधित अव्यवस्था के स्थिर होते ही कार्यान्वित किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा बाज़ार तक पहुंच को आसान बनाना तथा प्रतिभागिता को बढ़ाना

V.8 घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार के लिए वर्ष के दौरान की गई पहल का मुख्य केंद्र बिन्दु था कम परिष्कृत प्रतिभागियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए पहुंच को प्रोत्साहित करना, ऑनशोर तथा ऑफशोर व्यापार गतिविधियों के बीच के विभाजन को जोड़ना तथा विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने की प्रक्रिया को सरल बनाना। (बॉक्स V.1)

बॉक्स V.1

विदेशी मुद्रा बाज़ार: पहुंच, पारदर्शिता तथा कीमत-निर्धारण में सुधार लाना

वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी मुद्रा बाज़ार में विशेष रूप से खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच तथा कीमत निर्धारण आउटकम को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई।

सरलीकृत विनियमक फ्रेमवर्क

विदेशी मुद्रा बाज़ार को शासित करने वाले विनियम¹ तथा निर्देश² को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित निर्देश में निवासी तथा अनिवासी दोनों के लिए विदेशी मुद्रा बाज़ार तक पहुंचने के लिए नियमों का एकीकृत फ्रेमवर्क शामिल किया गया है। नियमों को सरल तथा सिद्धान्त आधारित बनाया गया है।

पहुंचने में आसानी

सरलीकृत विनियामक फ्रेमवर्क अन्य बातों के साथ साथ उपयोगकर्ताओं को अंडरलाइंग एक्सपोजर को स्थापित करने की आवश्यकता के बिना, काउंटर पर (ओटीसी) तथा एक्स्चेंज-ट्रेडेड बाज़ार में क्रमशः 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य राशि का प्रदेय, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव कांट्रैक्ट करने की अनुमति देता है। इसके अलावा प्राधिकृत

व्यापारी (एडी) बैंकों को हर समय तथा सामान्य बाज़ार समय (पूर्वाह्न 9.00—शाम 5.00 बजे) के पश्चात अपने निवासी तथा अनिवासी ग्राहकों को क्वोट प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई है।

कारगर हेजिंग

नए फ्रेमवर्क में प्रत्याशित एक्सपोजरों को बुक करने की सुविधा दी गई है तथा उसके अंतर्गत प्रतिभागी मुक्त रूप से लेनदेन को रद्द तथा पुनः बुक कर सकते हैं। प्रत्याशित लेनदेन के हेजिंग पर यदि कोई लाभ होता है, तो वह लाभ केवल नकदी प्रवाह नजर आने पर ग्राहकों को दिया जाएगा।

ऑनशोर तथा ऑफशोर के बीच के विभाजन को हटाना

ऑनशोर तथा ऑफशोर बाज़ारों के बीच के विभाजन को हटाने के लिए तथा वास्तविक कीमत-निर्धारण प्रक्रिया की कारगरता को सुधारने के लिए भारत में स्थित बैंक, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट्स (बीयू) का परिचालन करते हैं, को भारत में निवास नहीं करने वाले व्यक्तियों को रुपया अथवा अन्यथा अप्रदेय (नॉन-डेलीवरेबल) डेरिवेटिव कांट्रैक्ट (एनडीडीसी) प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। (जारी ...)

¹ समय समय पर संशोधित किए गए अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदा) विनियमावली, 2000

² समय समय पर संशोधित किए गए अनुसार मास्टर निदेश –जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन

व्यापार संबंधी जानकारी में पारदर्शिता

लेनदेन संबंधी सूचना के प्रभावी प्रसार के साथ उसकी पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से यह निदेश दिया गया कि 1 जून 2020 से भारत में स्थित बैंकों द्वारा किए गए सभी विदेशी मुद्रा एनडीडीसी (जिसमें रुपया शामिल है अथवा अन्यथा) को सीसीआईएल के रिपोर्टिंग प्लैटफॉर्म पर रिपोर्ट किया जाए। इसी प्रकार आईबीयू को यह निदेश दिया गया कि वे उनके द्वारा किए गए सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा, ब्याज दर तथा क्रेडिट डेरिवेटिव लेनदेन-अंतर-बैंक तथा ग्राहक लेनदेन, दोनों - को 1 जून 2020 से सीसीआईएल के रिपोर्टिंग प्लैटफॉर्म पर रिपोर्ट करें।

उपभोक्ता सुरक्षा

एक नया उपयोगकर्ता वर्गीकरण फ्रेमवर्क बनाया गया जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को या तो खुदरा अथवा गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जहां एडी बैंकों को गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को (जिनमें अन्य के साथ-साथ विनियमित वित्तीय संस्थाएं, ₹ 500 करोड़ तथा उससे अधिक के टर्नओवर वाले कॉर्पोरेट्स तथा व्यक्तियों को छोड़कर अनिवासी शामिल हैं) कोई भी प्लेन वैनिता अथवा स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव उत्पाद प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई है, वहीं उन्हें खुदरा उपयोगकर्ताओं को केवल वायदा, यूरोपियन कॉल तथा पुट ऑप्शन्स की खरीद, कॉल तथा पुट स्प्रेड तथा स्वैप्स की खरीद के प्रस्ताव देने की अनुमति दी गई है। इस उपाय का उद्देश्य है-कम परिष्कृत उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करना तथा उसी समय बड़े बाजार प्रतिभागियों / अधिक परिष्कृत संस्थाओं के लिए नवोन्मेशी उत्पादों को प्रवर्तित करना।

पारदर्शी तथा उचित कीमत निर्धारण

खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए उचित कीमत निर्धारण तथा वास्तविक कीमत निर्धारण में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित निदेशों में यह कहा

गया है कि एडी बैंकों द्वारा खुदरा उपयोगकर्ताओं के साथ किए जाने वाले सभी लेनदेन वर्तमान अंतर-बैंक/ बाजार दरों पर निष्पादित किए जाएंगे। उपयोगकर्ता को निष्पादन के समय की भी जानकारी दी जाएगी। संविदा से संबंधित यथा लागू शुल्क/ कमीशन/ सेवा प्रभार अलग से प्रभाविता किए/ दर्शाए जाएंगे और कीमत का हिस्सा नहीं होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म

रिजर्व बैंक के अनुरोध पर सीसीआईएल ने खुदरा खंड के लिए एफएक्स-रीटेल नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म विकसित किया है। प्लैटफॉर्म ने 5 अगस्त 2019 को साक्षात (लाइव) परिचालन प्रारंभ किए। रजिस्टर करने तथा अपने संबंधित एडी से सीमाएं प्राप्त करने के बाद, ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से एफएक्स-रीटेल तक पहुंच सकते हैं तथा अपने ऑर्डर दे सकते हैं। उनके ऑर्डर को कीमत-समय प्राथमिकता के आधार पर अन्य ग्राहकों अथवा एडी के ऑर्डर के साथ अज्ञात रूप से मिलाया जाएगा। यह प्लैटफॉर्म रजिस्टर करने, बाजार तक पहुंचने, बाजार की गहनता का आकलन करने, ऑर्डर देने, सौदे से संबंधित जानकारी प्राप्त करने तथा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आसान तथा नम्य शर्तें प्रदान करता है। एडी द्वारा लगाए गए प्रभारों को पोर्टल पर पारदर्शी रूप से दर्शाया गया है। इस प्लैटफॉर्म की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है संकलन, जिसमें एक बार लंबित मिलाए नहीं गए हुए ऑर्डर अंतर-बैंक खंड के लॉट के आकार के हो जाने पर उन्हें एफएक्स-विलयर प्लैटफॉर्म जो कि सीसीआईएल का अंतर-बैंक प्लैटफॉर्म है, में अंतरित किया जाता है जिससे पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित हो जाती है। एफएक्स-रीटेल अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपये के पेअर में नकद/ टॉम/ स्पॉट लेनदेन प्रदान करता है। वायदा तथा अन्य मुख्य करेंसी पेअर्स को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। अब तक इस प्लैटफॉर्म पर 1895 ग्राहकों ने रजिस्टर किया है (30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार)।

स्रोत: आरबीआई

घरेलू ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश

V.9 केंद्रीय बजट 2020-21³ में की गई घोषणा के अनुरूप 30 मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए एक अलग मार्ग अर्थात् पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग (एफएआर) शुरू किया गया। यह ऋण खंड में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) और स्वैच्छिक प्रतिधारणा मार्ग (वीआरआर) के अतिरिक्त तीसरा मार्ग होगा। एफएआर के अंतर्गत निवेश के लिए पांच विद्यमान प्रतिभूतियों की सूची को पात्र प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 से

5-वर्ष, 10-वर्ष तथा 30-वर्ष की परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों के सभी नए निर्गम एफएआर के अंतर्गत निवेश के लिए पात्र होंगे। जहां 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के रूप में नामित की जाने वाली नई प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधियों को समय-समय पर बढ़ाया/ संशोधित किया जा सकता है, वहीं जिस किसी प्रतिभूति को एक बार एफएआर के अंतर्गत निवेश के लिए पात्र नामित किया जाता है वह परिपक्वता तक पात्र रहेगी।

V.10 ऋण लिखतों में विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के निवेशों को और भी उदार / सुविधाजनक बनाने के लिए विविध उपाय किए गए: (ए) कॉर्पोरेट बॉन्ड तथा राजकोषीय बिलों तथा

³ केंद्रीय बजट 2020-21 में यह घोषणा की गई कि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए भी पूर्णतः खोल दिया जाएगा।

राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) सहित सरकारी प्रतिभूतियों में अल्पावधि (एक वर्ष तक) निवेश की सीमा को 23 जनवरी 2020 से उस एफ़पीआई द्वारा संबंधित श्रेणी में कुल निवेश के विद्यमान 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक संशोधित किया गया; (बी) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा अथवा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अधीन संस्थाओं द्वारा जारी की गई ऋण लिखत को अल्पावधि निवेश सीमा से छूट दी गई थी; तथा (सी) केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई एक घोषणा के अनुरूप 1 अप्रैल 2020 से एफ़पीआई द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्डों में किए गए निवेश की सीमा को (9 प्रतिशत से) बकाया स्टॉक के 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।

V.11 भारतीय ऋण बाज़ारों में दीर्घावधि संविभाग निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए वीआरआर के अंतर्गत निवेश की उच्चतम सीमा में 23 जनवरी 2020 से विद्यमान ₹75,000 करोड़ से ₹1,50,000 करोड़ तक वृद्धि की गई। जिन एफ़पीआई को वीआरआर के अंतर्गत निवेश की सीमाएं आबंटित की गई थी, उन्हें सामान्य निवेश सीमा के अंतर्गत किए गए अपने निवेशों को वीआरआर में अंतरित करने की अनुमति दी गई थी। वीआरआर योजना के अंतर्गत एफ़पीआई को एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ़) जो केवल ऋण लिखतों में निवेश करते हैं, में निवेश करने की भी अनुमति दी गई। रिपो बाज़ार में पात्र संपार्श्विक आधार को बढ़ाने तथा चलनिधि को भी सुधारने की दृष्टि से 28 नवंबर 2019 को ऋण ईटीएफ़ की यूनितों को रिपो लेनदेन के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में अनुमति दी गई। कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधानों के परिप्रेक्ष्य में जिन एफ़पीआई को 24 जनवरी 2020 (निवेश सीमाओं के आबंटन को पुनः खोलने की तारीख) तथा 30 अप्रैल 2020 के बीच वीआरआर के अंतर्गत सीमाएं आबंटित की गई थी, उन्हें अपने प्रतिबद्ध संविभाग आकार (सीपीएस) के 75 प्रतिशत का निवेश करने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त अवधि दी गई है। निवेशों के लिए प्रतिधारण अवधि को तदनुसार पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

वित्तीय बाज़ार इनफ़्रास्ट्रक्चर में सुधार करना

V.12 वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों के लिए जून 2019 में एक विनियामक फ्रेमवर्क तैयार किया गया ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ारों में बेंचमार्क निर्धारण प्रक्रिया के शासन में सुधार लाया जा सके। 1 जनवरी 2020 को फ़ाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ़बीआईएल) द्वारा निर्देशित छः बेंचमार्क्स को रिज़र्व बैंक द्वारा 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क्स' के रूप में अधिसूचित किया गया।

V.13 रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2018 में डेरिवेटिव से इतर बाज़ारों में प्रतिभागिता के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) का प्रयोग लागू किया। कोविड-19 के कारण बाज़ार के प्रतिभागियों द्वारा अभिव्यक्त की गई कठिनाइयों के संदर्भ में तथा डेरिवेटिव से इतर बाज़ारों में एलईआई प्रणाली के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एलईआई के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा को 31 मार्च से 30 सितंबर 2020 तक आगे बढ़ाया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

V.14 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग का निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है ;

- 6 फरवरी 2020 के 'विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर रिज़र्व बैंक के वक्तव्य' में घोषित किए गए अनुसार तथा जी-20 की सिफ़ारिशों के अनुरूप नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक तथा भिन्नता मार्जिन के आदान-प्रदान के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। मार्जिन के इस प्रकार के आदान-प्रदान को केन्द्रीय बजट 2020-21 में घोषित किए गए अनुसार अर्हक वित्तीय संविदाओं के द्विपक्षीय नेटिंग के विधान को अपनाकर सुविधाजनक बनाया जाना (उत्कर्ष);
- ऋण चूक स्वैप्स (सीडीएस) पर निदेशों की सीडीएस के प्रणेताओं (राइटर) के आधार को बढ़ाने तथा अर्हक

वित्तीय संविदाओं के द्विपक्षीय नेटिंग के लिए प्रस्तावित विधान के परिप्रेक्ष्य में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार को मजबूत बनाने के लिए परिचालनगत दिशा-निर्देशों को सरल बनाने की दृष्टि से समीक्षा की जाएगी (उत्कर्ष); तथा

- पहुंच को आसान बनाने, ऑनशोर तथा ऑफशोर बाज़ारों के बीच के विभाजन को हटाने तथा पारदर्शिता को सुधारने की दृष्टि से ब्याज दर डेरिवेटिव पर निर्देशों की समीक्षा करना।

3. वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग (एफ़एमओडी)

V.15 वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग को दो प्राथमिक दायित्व सौंपे गए हैं: पहला मौद्रिक नीति के संचरण हेतु वित्तीय प्रणाली में चलनिधि का उपयुक्त स्तर बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन परिचालन को संचालित करना; तथा दूसरा यह कि स्पाट, वायदा और फ्यूचर्स क्षेत्र में परिचालनों के जरिए विदेशी मुद्रा बाज़ार में व्यवस्थित स्थिति सुनिश्चित करना।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

V.16 वर्ष के दौरान विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- उभरती हुई चलनिधि स्थितियों की बारीकी से निगरानी करना और नीतिगत रिपो दर के साथ भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए अपने परिचालनों को संशोधित करना (पैरा V.17);
- विनिमय दरों में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रभावी ढंग से संचालित करना (पैरा V.23); तथा
- घरेलू विदेशी मुद्रा बाज़ार में 'एफ़एक्स ग्लोबल कोड' के सिद्धांतों को अपनाने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय विदेशी मुद्रा समिति के साथ 'पब्लिक रजिस्टर' की शुरुआत करना (उत्कर्ष) [पैरा V.24]।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

मुद्रा बाज़ार तथा चलनिधि प्रबंधन

V.17 जैसे ही अप्रैल-मई के दौरान प्रणालीगत चलनिधि की घाटे की स्थिति, जून 2019 में अधिशेष में परिवर्तित हुई, रिज़र्व बैंक ने उभरती हुई चलनिधि परिस्थितियों को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़), खुले बाज़ार के परिचालनों (ओएमओ) तथा अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक, दोनों प्रकार की परिपक्वताओं के परिवर्ती दर रिवर्स रिपो परिचालनों के अंतर्गत परिष्करण लिखतों का उपयोग करते हुए सक्रिय रूप से प्रबंध किया।

V.18 6 फरवरी 2020 को घोषित किए गए नए चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाए गए तथा अंतरराष्ट्रीय अनुभव से सीख लेते हुए विविध नई लिखतें उपयोग में लाई (बॉक्स V.2)।

V.19 विद्यमान चलनिधि परिस्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर पूर्व में प्रत्येक पखवाड़े में संचालित किए जाने वाले दैनंदिन स्थायी दर रिपो तथा 14 दिन के चार परिवर्ती दर रिपो को 14 फरवरी 2020 से बंद कर दिया गया। तथापि इस अवधि के दौरान दैनंदिन एमएसएफ़ तथा स्थायी दर रिवर्स रिपो जारी रखे गए। इसके अतिरिक्त संशोधित चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के एक भाग के रूप में 14 दिन से अधिक परिपक्वता अवधि वाले दो नए लिखत, दीर्घावधि परिवर्ती दर रिपो (एलटीआर) तथा दीर्घावधि परिवर्ती दर रिवर्स रिपो (एलटीटीआर) की घोषणा की गई।

V.20 घरेलू वित्तीय बाज़ारों में अपवादात्मक उच्च अस्थिरता, जिसके कारण चलनिधि दबाव के दौर का सामना करना पड़ा, जिसके परिप्रेक्ष्य में तथा बैंकिंग प्रणाली को दिलासा प्रदान करने के लिए 27 मार्च 2020 को एमएसएफ़ योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की उधार सीमा को दूसरे परवर्ती पखवाड़े के अंत में निर्धारित एसएलआर से घटा कर उनकी बकाया निवल मांग तथा मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया। 30 जून 2020 तक उपलब्ध इस छूट को 26 जून 2020 को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया।

बॉक्स V.2:

चलनिधि प्रबंधन के गैर पारंपरिक उपाय : आरबीआई का हाल का अनुभव

वैश्विक वित्तीय संकट के दौर के पश्चात की अवधि में विविध केंद्रीय बैंकों ने नए नीतिगत लिखत प्रचलित किए और अपने मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क में परिवर्तन किए। विभिन्न देशों के अनुभव में ज़्यादातर “मौद्रिक नीति के गैर पारंपरिक उपाय” (यूएमपीटी) के रूप में संबोधित चार मोटी श्रेणियां दिखाई देती हैं : ऋणात्मक ब्याज दर नीति; विस्तारित उधार परिचालन; आसित खरीद कार्यक्रम; तथा भावी मार्गदर्शन (बीआईएस, 2019)।

गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है बैंकों को बड़े पैमाने पर प्रदान किया जाने वाला चलनिधि समर्थन। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2008 से ईसीबी, मुख्यतः छः महीने से बारह महीने की परिपक्वताओं के लिए मासिक आधार पर निष्पादित किए जाने वाले दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालनों की ओर अंतरित हुई है (पट्टिपेलोहय एवं अन्य, 2013)।


जिन परिस्थितियों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति तथा चलनिधि प्रबंधन को अपनाते हैं वे परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं। यह तर्क दिया जाता है कि जब नाममात्र ब्याज दर/ नीतिगत दर (ज़ीरो लोअर बाउंड) को घटाने की बहुत कम अथवा बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है तब वित्तीय तथा बैंकिंग प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न अन्य क्षेत्रों को चलनिधि की आपूर्ति जारी रखने के लिए गैर पारंपरिक उपाय करने पड़ते हैं (आईएमएफ, 2013)।

कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित अप्रत्याशित परिस्थिति के होते हुए अर्थव्यवस्था में वित्त का सामान्य प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए तथा मौद्रिक नीति के प्रभावों का बेहतर संचरण संभव हो सके, इसलिए भारत में रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2020 में अनेक प्रकार के गैर पारंपरिक चलनिधि प्रबंधन उपाय अपनाए :

- 17 फरवरी 2020 से 18 मार्च 2020 तक रिज़र्व बैंक ने एक वर्ष तथा तीन वर्ष की परिपक्वता वाले दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ) संचालित किए और नीतिगत रिपो दर पर ₹1,25,117 करोड़ की कुल राशि आबंटित की।
- रिज़र्व बैंक ने एक अन्य गैर पारंपरिक चलनिधि प्रबंधन उपाय—लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) का प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गई चलनिधि को 27 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार इन बॉन्डों में उनके निवेशों के बकाया स्तर के अतिरिक्त, निवेश ग्रेड के कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचर में विनियोजित किया जाना था। बैंकों द्वारा टीएलटीआरओ के अंतर्गत ₹1,00,050 करोड़ की राशि ली गई।
- 17 अप्रैल 2020 को छोटे तथा मध्यम आकार के कॉर्पोरेट्स, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को चलनिधि प्रदान करने हेतु तीन वर्ष तक की परिपक्वताओं के लिए नीतिगत रिपो दर पर लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 का प्रारंभ किया। टीएलटीआरओ 2.0 के अंतर्गत बैंकों ने ₹12,850 करोड़ की राशि ली।

- म्यूचुअल फंडों पर होने वाले चलनिधि दबावों तथा उससे होने वाले संभाव्य संक्रामक प्रभावों से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने म्यूचुअल फंडों (एमएफ) की ओर लक्षित स्थायी रिपो दर पर 90 दिन की परिपक्वता वाली ₹50,000 करोड़ की एक विशिष्ट चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) का प्रारंभ किया। ₹50,000 करोड़ की कुल परिकल्पित राशि में से ₹2,430 करोड़ का एसएलएफ-एमएफ के अंतर्गत लाभ उठाया गया।
- पांच नीलामियों के लिए 4.5 के औसत बिड-कवर अनुपात के साथ एलटीआरओ को भारी प्रतिसाद मिला। टीएलटीआरओ के अन्तर्गत नीलामियों को भी पहली चार नीलामियों के लिए 3.3 के औसत बिड-कवर अनुपात के साथ बाज़ार प्रतिभागियों से सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त हुआ। तथापि टीएलटीआरओ 2.0 की पहली शृंखला को 23 अप्रैल 2020 को नीलाम की गई ₹25,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लगभग 51 प्रतिशत पर अपेक्षा से कम प्रतिसाद मिला (चार्ट 1)। एलटीआरओ, टीएलटीआरओ तथा टीएलटीआरओ 2.0 के माध्यम से मुहैया की गई कुल राशि ₹2,38,017 करोड़ थी।



चार्ट 1 : एलटीआरओ तथा टीएलटीआरओ: बिड-कवर अनुपात



स्रोत: आरबीआई

- सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा उनके बाद निजी क्षेत्र के बैंक एलटीआरओ नीलामियों के प्रतिभागियों के मुख्य समूह थे। इन सब का कुल आबंटित राशि का औसतन 89 प्रतिशत हिस्सा रहा। 18 मार्च 2020 की अंतिम नीलामि को छोड़कर विदेशी बैंक तथा सहकारी बैंकों का भी एलटीआरओ (चार्ट 2) की कुल आबंटित राशि में उचित हिस्सा रहा। टीएलटीआरओ के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का औसत प्रतिशत हिस्सा 99 प्रतिशत के आस-पास रहा, इसमें मुख्य उधारकर्ता समूह (चार्ट 3) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का था। अतः रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली में चलनिधि के प्रबंधन के लिए अपरम्परागत उपायों के संसाधनों का उपयोग किया है।

(जारी ...)



संदर्भ:

- बीआईएस (2019), 'अन्कन्वेन्शनल मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स : ए क्रॉस-कंट्री एनालिसिस', सीजीएफएस पेपर्स नं 63, कमिटी ऑन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, बीआईएस, अक्टूबर 2019।
- इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (2013), 'अन्कन्वेन्शनल मॉनिटरी पॉलिसिज़-रिसेंट एक्सपिरियन्सिज़ एंड प्रॉस्पेक्ट्स'। आईएमएफ पॉलिसी पेपर,

वॉशिंगटन डीसी: इंटरनेशनल मोनेटरी फंड।

- पट्टिपेलोहय, क्रिश्चियन, जॉन विललेम वैनडेन एंड, मोस्तफा तब्बए, जॉन फ्रॉस्ट तथा जेकब डीहान (2013), 'अन्कन्वेन्शनल मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द ईसीबी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्रिसिस : एन असेसमेंट एंड न्यू एविडेन्स', डीएनबीडबल्यूपी नं. 381, डीनिरलैंडशे बैंक, द निदरलैंड्स।

V.21 टिकाऊ चलनिधि के संबंध में ओएमओ की बारंबारता तथा मात्रा में 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान वृद्धि की गई। पूर्ण वर्ष में रिज़र्व बैंक ने ₹1,45,690 करोड़ तक के खुले बाज़ार परिचालन (एनडीएस-ओएम सहित) खरीद तथा ₹32,121 करोड़ तक की ओएमओ बिक्री (एनडीएस-ओएम सहित) संचालित की, जिसमें से ₹92,385 करोड़ की ओएमओ खरीद तथा ₹32,111 करोड़ की ओएमओ बिक्री केवल दूसरी छमाही में संचालित की गई। इसमें समकालिक पांच ओएमओ के अंतर्गत (23 तथा 30 दिसंबर 2019, 6 तथा 23 जनवरी 2020 तथा 27 अप्रैल 2020) दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद तथा अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री शामिल है। अप्रैल-मई 2020 के दौरान क्रमशः ₹1,30,474 करोड़ तथा ₹10,000 करोड़ तक की ओएमओ खरीद तथा बिक्री (एनडीएस-ओएम सहित) आयोजित की गई। उसके बाद 2 जुलाई 2020 को रिज़र्व बैंक ने ओएमओ के अंतर्गत दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद तथा अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री का एक और समकालिक संचालन किया। इन परिचालनों को प्रतिबिम्बित करते हुए 10 वर्ष की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूति का जनेरिक प्रतिफल 9 दिसंबर 2019 तथा 31 जनवरी 2020 की अवधि के बीच 15

आधार अंकों (बेसिस पॉइंट्स) से संचयी रूप से कम (सॉफ्टनिंग) हुआ।

V.22 वर्ष 2019-20 में विदेशी मुद्रा बाज़ार में चलनिधि प्रबंध के उपाय के रूप में विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामियों का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया। 16 मार्च 2020 को छः महीने की अवधि के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली अमेरिकी डॉलर / भारतीय रुपया (यूएसडी/ आईएनआर) खरीद/ बिक्री स्वैप/ नीलामी आयोजित की गई। रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाज़ार में चलनिधि प्रदान करने के लिए 23 मार्च 2020 को भी 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक और छः महीने की यूएसडी/ आईएनआर खरीद/ बिक्री स्वैप/ नीलामी आयोजित की। इसके साथ ही मई 2020 में रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में उसकी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सके इस उद्देश्य से निर्यात आयात (एक्सिम) बैंक को लाभ उठाने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए तथा एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए विस्तार सहित ₹15,000 करोड़ की ऋण व्यवस्था प्रदान करने का निर्णय लिया।

विदेशी मुद्रा बाज़ार

V.23 काउंटर पर (ओटीसी) तथा एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीडीसी) खंडों में परिचालनों के माध्यम से फॉरेक्स बाज़ार में सुव्यवस्थित स्थिति बनाई रखी गई।

V.24 घरेलू फॉरेक्स बाज़ार में 'एफएक्स ग्लोबल कोड' के सिद्धांतों को अपनाने के प्रति रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में विभाग ने [भारतीय विदेशी मुद्रा समिति (आईएफएक्ससी) के साथ समन्वय में] एक "पब्लिक रजिस्टर" शुरू किया, जिसे भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) की साइट पर रखा गया है। उसमें भारतीय फॉरेक्स बाज़ार में परिचालन करने वाले सभी एडी श्रेणी-I के बैंकों तथा एफएक्स ग्लोबल कोड में निर्धारित की गई श्रेष्ठ प्रथाओं को मान्य करने वाले तथा उन्हें अपनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने वाले कॉर्पोरेट्स का प्रतिबद्धता वक्तव्य दिया गया है। वैश्विक विदेशी मुद्रा समिति (जीएफएक्ससी) द्वारा होस्ट किए गए वैश्विक पब्लिक रजिस्टर के साथ इस रजिस्टर को पहले से ही लिंक किया गया है। यह 'पब्लिक रजिस्टर' सूचना भंडार की तरह कार्य करेगा, जिससे बाज़ार के प्रतिभागियों को अपने 'एफएक्स ग्लोबल कोड' के प्रतिबद्धता वक्तव्यों के प्रकाशन की सुविधा मिलेगी और यह सभी इच्छुक पार्टियों को बाज़ार के प्रतिभागियों की पहचान करने में भी मदद करेगा। रिज़र्व बैंक ने अपना खुद का प्रतिबद्धता वक्तव्य अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा बनाए रखे गए केंद्रीय बैंक पब्लिक रेजिस्ट्री पर होस्ट किया है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

V.25 वर्ष के दौरान विभाग निम्नलिखित पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा:

- मौद्रिक नीति के रुझान के अनुरूप अतिरिक्त चलनिधि प्रबंधन उपायों का उपयोग करने के साथ-साथ कारगर रूप से चलनिधि प्रबंधन परिचालन करना (उत्कर्ष);
- उभरती हुई चलनिधि स्थितियों की बारीकी से निगरानी करना और नीतिगत रिपो दर के साथ भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए अपने परिचालनों को संशोधित करना;

- विनिमय दरों में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा परिचालनों को प्रभावी ढंग से संचालित करना; तथा
- वित्तीय बाज़ारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान जारी रखना।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी)

V. 26 वर्ष के दौरान विभाग विनियामक फ्रेमवर्क को और अधिक सिद्धान्त-आधारित करने की ओर अग्रेसर होने की दृष्टि से विनियमों को तर्कसंगत बनाने के कार्य को आगे ले जाने में लिस रहा। विभाग ने बाह्य व्यापार तथा भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान कारोबारी एवं आर्थिक परिवेश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क को तदनुसार संरेखित करने सहित कारोबार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए विविध कदम उठाए।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

V.27 विभाग ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए विशिष्ट प्रदेयों को निर्धारित किया था:

- फेमा के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करना (उत्कर्ष) [पैरा V.28];
- अनुमोदन प्रदान करने के लिए आंतरिक फ्रेमवर्क विकसित करना (उत्कर्ष) [पैरा V.29];
- फेमा के छोटे उल्लंघनों के लिए शुल्क संबंधी फ्रेमवर्क बनाना (उत्कर्ष) [पैरा V.30];
- संपूर्ण मुद्रा प्रवर्तक (एफ़एफ़एमसी) के रूप में लाइसेंसीकृत होने के लिए प्रवेश संबंधी मानदंडों की समीक्षा करना एवं उन्हें तर्कसंगत बनाना [पैरा V.31];
- मर्चेंटिंग व्यापार लेनदेन से संबंधित दिशानिर्देशों को तर्कसंगत बनाना [पैरा V.36];
- विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते के दायरे को बढ़ाना (पैरा V.39);

- बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के अंतिम उपयोग में छूट देना (पैरा V.40); तथा
- फेमा के तहत गैर-ऋण नियमों को अधिसूचित करना (पैरा V.42)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

V.28 विदेशी मुद्रा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ), विनियमों को सरल बनाने का प्रयास करने के साथ-साथ विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए विभिन्न सम्मेलन, संगोष्ठियां, प्रदर्शन तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन कर के सूचना का प्रसार करने में भी सक्रिय रहें हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा के वास्तविक उपयोगकर्ताओं अर्थात, प्राधिकृत व्यक्ति (एपी) एवं निर्यातक/ आयातक, से तर्कसंगत प्रतिसूचना प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण चैनल भी रहें हैं। फेमा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को एक विस्तृत फ्रेमवर्क जारी किया गया।

V.29 विभाग ने उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) तथा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई)- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संरचनाओं जैसे क्षेत्रों में अनुमोदन प्रदान करने हेतु आंतरिक फ्रेमवर्क विकसित किए।

V.30 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के संबंध में फेमा के तहत कतिपय रिपोर्टिंग संबंधी उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग प्रक्रिया के बदले में विलंबित प्रस्तुति शुल्क (एलएसएफ) का प्रारंभ किया गया। इस प्रकार के उल्लंघनों को नियमित करने के लिए ये शुल्क प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) द्वारा संग्रहीत एवं विप्रेषित किए जा सकते हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति तथा विप्रेषण

V.31 मुद्रा परिवर्तन तथा मर्चेंटिंग गतिविधियों संबंधी दिशानिर्देशों को तर्कसंगत बनाया गया। फेमा के तहत रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंसीकृत किए गए प्राधिकृत व्यक्तियों की श्रेणियों की परिभाषा को दिशानिर्देशों में शामिल किया गया। संपूर्ण मुद्रा

परिवर्तकों (एफएफएमसी) के निदेशकों की आयु से संबंधित निदेश को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया। कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 के तहत रजिस्टर की गई कंपनियों को एफएफएमसी के लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु पात्र बनाया गया।

V.32 लेनदेन की लागत को कम करने के उद्देश्य से विनियमित संस्थाओं की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के सरलीकरण तथा प्राधिकृत व्यक्तियों की भूमिका को बढ़ाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लि. (आरईबीआईटी) द्वारा एफएफएमसी/ उन्नत एफएफएमसी (एडी श्रेणी-II) के लिए लाइसेंसिकरण, नवीकरण, रिपोर्टिंग, निरसन तथा निरीक्षण से संबंधित ऑनलाइन पैकेज विकसित किया जा रहा है, जो रिपोर्टिंग प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाएगा तथा अन्य कार्य प्रक्रियाओं को हात से करने की आवश्यकता कम करेगा।

व्यापार संबंधी दिशानिर्देश –उदारीकरण तथा तर्कसंगत बनाना

V.33 जिनका समाधान लंबित है, ऐसे आयात/ निर्यात लेनदेन की आयातक/ निर्यातक द्वारा स्व-निगरानी की जा सके इस दृष्टि से आयात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) तथा निर्यात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) में एक स्वचालित ई-मेल की व्यवस्था विकसित की गयी। सभी आयातकों / निर्यातकों को नियमित अंतरालों पर सिस्टम जनित ई-मेल भेजे जाते हैं, जिनमें निर्धारित नियत तारीखों के पश्चात बकाया रहने वाले उनके लदान बिलों, प्रवेश बिल, तथा जावक/ आवक विप्रेषणों के ब्यौरे दिए जाते हैं।

V.34 22 नवंबर 2019 से सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके कच्चे हीरों के पुनर्निर्यात से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया। संशोधित अनुदेशों के अनुसार हीरा खनन कंपनियों द्वारा व्यापार करने के लिए निर्दिष्ट आयात किए गए कच्चे हीरों के खेप/ खेपों के लिए प्रवेश बिल क्रेता द्वारा फाइल किया जाएगा। इनका निपटान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत विधिवत रूप से अधिसूचित/

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए केंद्र/ केन्द्रों पर किया जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेनों की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर ऐसे आयात भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे लेनदेनों का रिकार्ड भी रखेंगे।

V.35 विदेशी पट्टाकर्ता द्वारा पुनः कब्जे में लिए गए लीज़ पर दिये गए ऐयरक्राफ्ट/ हेलिकॉप्टर और/ अथवा इंजिन/ ऑक्सिलरी पावर यूनिट (एपीयू) के पुनर्निर्यात के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए उन्हें निर्यात घोषणा फॉर्म (ईडीएफ) की प्रस्तुति से छूट दी गई।

V.36 जनवरी 2020 में मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन (एमटीटी) की व्यापक समीक्षा की गई तथा संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं: (i) 'माल के स्वरूप' में परिवर्तन की अनुमति; (ii) इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो अथवा संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट पर दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन; (iii) मर्चेंटिंग ट्रेडर के नियंत्रण के बाहर की कतिपय परिस्थितियों में निर्यात चरण की प्राप्य राशियों को बड़े खाते डालना; (iv) कतिपय परिस्थितियों में जिनके कारण एमटीटी को प्रारंभ करने के पश्चात एजेंसी कमीशन का भुगतान किया जाना आवश्यक हो जाए, के अंतर्गत एजेंसी कमीशन का भुगतान; (v) स्टैंड-बाइ साख पत्र (एसबीएलसी)/ बैंक गारंटी के बिना आयात अग्रिम की सीमा में 5 लाख अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि; (vi) थर्ड पार्टी भुगतानों को विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित करना; (vii) आपूर्तिकर्ता/ क्रेता की क्रेडिट के लिए वचन पत्र (एलओयू)/ चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करना प्रतिबंधित है; (viii) प्राप्त किए गए निर्यात अग्रिम को आयात चरण के भुगतान के लिए चिह्नित किया जाए; तथा (ix) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) में निर्यात से प्राप्त आय को पार्क करने संबंधी स्पष्टीकरण।

V.37 एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत जापानी येन को निपटान मुद्रा के रूप में शामिल करने हेतु विदेशी

मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति तथा भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 को मार्च 2020 में संशोधित किया गया।

V.38 वैश्विक महामारी कोविड -19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में 31 जुलाई 2020 तक निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर पंद्रह महीने किया गया। उसी प्रकार 31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में ऐसे सामान्य आयातों (अर्थात्- स्वर्ण/ हीरे तथा मूल्यवान रत्नों/ आभूषणों के आयात को छोड़ कर) के समक्ष किए जाने वाले विप्रेषणों के निपटान हेतु निर्धारित की गई समय-सीमा को विस्तारित करते हुए उसे शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने (उन मामलों को छोड़ कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी आदि जैसे कारणों के लिए राशि को रोक कर रखा गया है) किया गया।

अनिवासी रुपया खाता- नीति की समीक्षा

V.39 विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते के दायरे को बढ़ाते हुए भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को ईसीबी, व्यापार/ व्यापार ऋण तथा गुजरात इंटरनैशनल फ़ाइनेंस टेक (जीआईएफटी) सिटी में स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) द्वारा कारोबार संबंधी लेनदेन से संबंधित भारतीय रुपये के लेनदेन के लिए ब्याज रहित एसएनआरआर खाते खोलने की अनुमति दी गई है। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए एसएनआरआर खाते की अवधि संबंधी प्रतिबंध-वर्तमान में सात वर्ष - को भी हटा दिया गया।

बाह्य वाणिज्यिक उधार फ्रेमवर्क- नीति तथा प्रणालीगत परिवर्तन

V.40 रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श के साथ कार्यशील पूंजी के प्रयोजनों, सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों तथा रुपया ऋणों की चुकौती के लिए ईसीबी से संबंधित अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को शिथिल किया। पात्र उधारकर्ताओं को अब भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/ समुद्रपारीय अनुषंगी कंपनियों को

छोड़कर परिभाषित/ निर्धारित औसत परिपक्वता अवधि को बनाए रखने की शर्त के अधीन मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए इसीबी जुटाने की अनुमति दी गई है। इस छूट में कतिपय शर्तों को पूर्ण करने के अधीन एसएमए-2 अथवा अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए गए रुपया ऋणों की चुकौती / समनुदेशन के लिए इसीबी का लाभ उठाने की अनुमति शामिल है।

V.41 आवेदन की प्राप्ति से अंतिम निर्णय के संप्रेषण तथा लेनदेन की रिपोर्टिंग तक के इसीबी/ व्यापार ऋणों के पूरे जीवन चक्र को सम्मिलित करने वाले सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरॉइंग्स एंड ट्रेड क्रेडिट्स रिपोर्टिंग अंड अप्रूवल (स्पेक्ट्रा) के कार्यान्वयन का कार्य चल रहा है और एनएसई-आईटी लि. को नवंबर 2019 में कार्य आदेश प्रदान किया गया है।

गैर-ऋण लिखत नियमों की अधिसूचना

V.42 वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से फेमा, 1999 में संशोधन किए गए। अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार किसी भी श्रेणी अथवा श्रेणियों के पूंजी खाता लेनदेन जिनमें ऋण लिखत शामिल नहीं हैं के लिए नियम बनाने की शक्तियां भारत सरकार को दी गई हैं, और ऋण लिखत जिनमें शामिल हैं ऐसे पूंजी खाता लेनदेन को विनियमित करने की शक्तियां रिजर्व बैंक के पास होना जारी रहेगा। साथ ही ऋण लिखत के रूप में जिन लिखतों को निर्धारित किया जाना है उससे संबंधित नियम सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना के माध्यम से इन संशोधनों को अधिसूचित किया। गैर-ऋण लिखत (एनडीआई) नियमावली को 17 अक्टूबर 2019 से अधिसूचित किया गया।

फेमा से संबंधित कार्यक्रम- सूचना का प्रचार-प्रसार तथा प्रतिसूचना

V.43 विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारियों के प्रश्नों को सुलझाने की दृष्टि से तथा उनके मामलों को तत्काल संबोधित किया जा सके इस उद्देश्य से विदेशी मुद्रा प्रबंध के क्षेत्र में मूलभूत अपेक्षाओं

को आंकने के लिए उनके साथ बैठकें/ सम्मेलनों का आयोजन करके कुशलता उन्नयन करने तथा ज्ञान के प्रचार प्रसार के निरंतर प्रयास करता रहा है। विभाग ने केंद्रीय कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से संबद्ध स्टाफ के साथ ज्ञान/ सूचना को साझा करने के लिए सत्र संचालित किए। विभिन्न दिशानिर्देशों/ अनुदेशों का मास्टर निदेशों, प्रशिक्षण मोड्युल्स तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को नियमित रूप से अद्यतन करते हुए प्रसार किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

V.44 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग की कार्यनीति पिछले वर्ष में की गई सभी पहल को समेकित करने तथा उन्हें आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर कायम रहेगा कि फेमा का परिचालनगत फ्रेमवर्क उभरते हुए समष्टि आर्थिक परिवेश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहता है। तदनुसार विभाग ने कार्यनीति के अनुरूप वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित कार्य योजना बनाई है:

- रिपोर्टिंग को विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए तथा उक्त प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाने के लिए विभिन्न विनियमों के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की संपूर्ण समीक्षा करना (उत्कर्ष);
- भारतीय पार्टियों/ निवासी भारतियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) की विलंबित रिपोर्टिंग के लिए विलंबित प्रस्तुति शुल्क का प्रारंभ (उत्कर्ष);
- ओडीआई विनियमों को तर्कसंगत बनाना ताकि वे सरल तथा अधिक सिद्धान्त आधारित हों (उत्कर्ष);
- जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना और निरंतर आधार पर डिजिटल सामग्री तैयार करते रहना (उत्कर्ष); तथा
- विदेशी मुद्रा प्रबंध विनियमावली, 2015 के तहत विदेशी मुद्रा तथा मुद्रा संबंधी विभिन्न प्रावधानों जैसे - मुद्रा का निर्यात तथा आयात; विदेशी मुद्रा की

वसूली, प्रत्यावर्तन तथा अभ्यर्पण ; कब्ज़ा; तथा विदेशी मुद्रा की प्रतिधारणा को तर्कसंगत बनाना। ये प्रावधान जिन्हें वर्तमान में फेमा के अंतर्गत चार अलग-अलग अधिसूचनाओं में कवर किया गया है, को एक एकल विनियम के अंतर्गत एकीकृत किया जाएगा।

निष्कर्ष

V.45 संक्षेप में, वर्ष के दौरान वित्तीय बाज़ारों को विकसित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने विविध कदम उठाए जैसे- प्रतिभागिता आधार को बढ़ाना, पहुंच को आसान बनाना तथा लेनदेन की लागत को कम करना, उत्पादों तथा लिखतों की शृंखला में विविधता लाना, कार्यपद्धति को सरल बनाना तथा वित्तीय बाज़ार के इनफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना एवं उसने अपने चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क का परिवर्धन भी किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय बाज़ार एक उचित, कारगर और पारदर्शी तरीके से परिचालित होते हैं, नीतिगत दृष्टिकोण का मोटे तौर पर बाज़ार निगरानी एवं आसूचना पर ज़ोर देते हुए सिद्धान्त आधारित

विनियामक फ्रेमवर्क की ओर पुनरभिमुखीकरण हुआ है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में रिज़र्व बैंक ने अपनी परंपरागत नीतियों के परे जाकर एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, टीएलटीआरओ 2.0 के रूप में गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति का प्रारंभ किया; अस्थिरता कम करने के लिए रुपया तथा विदेशी मुद्रा चलनिधि का अंतर्वेशन हेतु दोनों प्रकार के एफ़एक्स स्वैप के अतिरिक्त प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं तथा महामारी के कारण किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए ऋण व्यवस्था करना। फेमा को तर्कसंगत बनाने तथा निगरानी तथा रिपोर्टिंग के प्रयोजनों से उन्हें प्रयोक्ता अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में एसएनआरआर खाते के दायरे को बढ़ाया गया है और आईडीपीएमएस तथा ईडीपीएमएस में स्वचालित ई-मेल की विशिष्टता जोड़ दी गई है। रिज़र्व बैंक का प्रयास यह रहा है कि वह एक सिद्धान्त आधारित विनियामक फ्रेमवर्क का निर्माण करे और अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं तथा बाज़ार इनफ्रास्ट्रक्चर के साथ वित्तीय बाज़ार में सुव्यवस्थित परिस्थितियों सहित फेमा के अंतर्गत उसके दायित्वों को सुनिश्चित करे।

वर्ष 2019-20 में बिगड़ते समष्टिआर्थिक परिवेश और आर्स्ति गुणवत्ता को लेकर की जा रही चिंताओं के मद्देनजर नीति का ध्यान क्षेत्रवार ऋण की आपूर्ति को बेहतर करने पर केंद्रित था। बैंक की उधार दरों को लेकर बाह्य बेंचमार्क के आगमन से मौद्रिक नीति के संचरण में मजबूती आई। विलयन और समामेलन के रूप में समेकन के साथ बैंकिंग क्षेत्र को ढांचागत रूपांतरण से गुजरना पड़ा। विनियमित संस्थाओं के बीच विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को एकीकृत किया गया और उसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप मजबूत किया गया। ग्राहक सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, धोखाधड़ी की पहचान को सुदृढ़ बनाना, तथा उपभोक्ता संरक्षण वर्ष के दौरान के समवर्ती उद्देश्य थे।

VI.1 इस अध्याय में वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए वर्ष के दौरान किए गए विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा की गई है। विनियामकीय फ्रेमवर्क को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप करने के समग्र उद्देश्य के भाग के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेन्स और जोखिम प्रबंधन के क्षेत्रों में कदम उठाए गए थे। विनियामकीय सैंडबॉक्स को परिचालन में लाना, वीडियो-आधारित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) को सक्रिय करना, विनियामकीय प्रौद्योगिकी (रेगटेक)/पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सूपटेक) पहलों और साइबर सुरक्षा उपायों ने विनियामकीय एवं पर्यवेक्षी भूमिकाओं में फिनटेक के बढ़ते महत्व को चिन्हित किया। बैंकों के तुलन पत्रों को कर्जभार से मुक्त करने और अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जहां ऋण की मांग को सहारा मिलता रहा, में ऋण के प्रवाह को बेहतर करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट ऋणों, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) को उधार और बैंक ऋणों के कीमत निर्धारण को बाह्य बेंचमार्क के साथ जोड़ने के लिए एक सक्रिय द्वितीयक बाजार विकसित करने की दिशा में कदम उठाए गए थे। कोविड-19 महामारी के प्रतिक्रियास्वरूप कर्ज की चुकौती को लेकर उधारकर्ताओं के बोझ को कम करने और व्यवहार्य कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिहाज से उपाय किए गए थे।

VI.2 अन्य क्षेत्रों में, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के आर्स्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) फ्रेमवर्क को सुदृढ़ किया गया जबकि समग्र चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणाली को बैंकिंग

क्षेत्र की इस प्रणाली के अनुरूप किया गया। आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन को रिजर्व बैंक के दायरों में लाया गया, और एनबीएफसी को लेकर अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों को बढ़ाया गया।

VI.3 सहकारी बैंकिंग जगत में, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक छत्र संगठन स्थापित करने की प्रक्रिया में प्रगति की गई। पर्यवेक्षी कार्य फ्रेमवर्क (एसएएफ) की समीक्षा की गई, और वर्ष के दौरान बड़े ऋण संबंधी केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को वृहत एक्सपोजर की रिपोर्टिंग को अमल में लाया गया। अन्य बड़े बदलावों में यूसीबी के लिए प्रबंधन मंडल (बीओएम) के गठन और केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) के निर्माण एवं साथ ही एक व्यापक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को लेकर दिशानिर्देश जारी करना शामिल हैं। सहकारी बैंकों के समामेलन और समेकन की दिशा में वर्ष के दौरान नीति में बड़ा जोर दिया गया।

VI.4 इस अध्याय के शेष भाग को छह खंडों में बांटा गया है। खंड 2 में वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) के अधिदेश और कार्यों पर चर्चा की गई है। खंड 3 में विनियमन विभाग (डीओआर) द्वारा वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न विनियामकीय उपायों का वर्णन किया गया है। खंड 4 में वर्ष के दौरान पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) द्वारा किए गए उपायों और प्रवर्तन विभाग द्वारा की गई प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों को शामिल किया गया है। खंड 5 में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, जागरूकता फैलाने, और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए निभायी गयी भूमिका को रेखांकित किया गया है। इन विभागों ने उनसे संबंधित भागों में वर्ष 2020-21 के लिए अपनी कार्य-योजना भी निर्धारित की है। अध्याय के अंत में निष्कर्ष दिया गया है।

2. वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.5 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) का अधिदेश वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को परखने, प्रणालीगत दबाव परीक्षणों के माध्यम से समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी करने, वित्तीय नेटवर्क का विश्लेषण करने तथा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के माध्यम से सूचना और विश्लेषण का प्रसार करने के जरिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता पर निगरानी रखना है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के तौर पर भी कार्य करता है जो देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और समष्टि-विवेकपूर्ण विनियम पर निगरानी रखने के लिए विनियामकों की एक संस्थागत व्यवस्था है।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.6 विभाग ने वर्ष 2019-20 हेतु निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- उभरती सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए वर्तमान दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क/कार्य-प्रणाली को मजबूत बनाना (उत्कर्ष) [पैरा VI.7]; और
- एफएसआर के प्रकाशन और एफएसडीसी उप-समिति की बैठकें आयोजित करने के साथ ही समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी को जारी रखना [पैरा VI.8-VI.10].

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

VI.7 निजी सूचीबद्ध फर्मों की चूक की क्षेत्रवार संभाव्यता का अनुमान लगाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया और इसकी जांच वैकल्पिक डेटा स्रोतों के माध्यम से की जा रही है ताकि इसे विभाग के दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क में शामिल किया जा सके। तथापि, इस कार्य में कोविड-19 महामारी की वजह से आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा है।

VI.8 एफएसआर दिसंबर 2019 और जुलाई 2020 में प्रकाशित किए गए थे। ये संस्करण वित्तीय स्थिरता के इर्द-गिर्द जोखिमों के संतुलन को लेकर एफएसडीसी की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। एफएसआर के दिसंबर 2019 संस्करण में प्रकाश डाला गया है कि अनिश्चितताओं के चलते वैश्विक और घरेलू दोनों की आर्थिक संभावनाएं कमजोर हुई हैं जो खपत और कारोबार निवेश को प्रभावित करता है। रिपोर्ट भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सुदृढ़ता को रेखांकित करता है, भले ही उसमें कमजोर समष्टिआर्थिक हालात और परिणामस्वरूप ऋण वृद्धि के धीमे पड़ने के साथ ही स्लिपेज में मामूली बढ़ोतरी के कारण सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) का अनुपात बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। एफएसआर के जुलाई 2020 संस्करण में कोविड-19 महामारी-प्रवृत्त लॉकडाउन से उत्पन्न व्यवधान का आने वाले समय में घरेलू आर्थिक संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में महामारी के प्रभाव को कम करने और वित्तीय मध्यस्थ कार्यों की सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने को लेकर वित्त क्षेत्र के विनियामकों और भारत सरकार द्वारा अपनाए गए मौद्रिक प्रोत्साहन से लेकर विनियामकीय राहत जैसे नीतिगत उपायों को भी रेखांकित किया गया है। इसमें महामारी-प्रवृत्त अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऋण आवंटन की गतिशीलता को भी परखा गया है। वित्त क्षेत्र के मूल्यांकन ने भारतीय वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता पर जोर दिया है, भले ही दबाव परीक्षण दबावग्रस्त समष्टिआर्थिक वातावरण की वजह से

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के जीएनपीए अनुपात में बढ़ोतरी का अनुमान लगाता है। नेटवर्क विश्लेषण से मालूम होता है कि भिन्न-भिन्न हालातों में बैंकिंग प्रणाली की संक्रामक हानि में एक वर्ष पहले की अपेक्षा कमी आई है।

VI.9 वर्ष 2019-20 में एफएसडीसी उप-समिति ने दो बैठकें कीं, दोनों को अलग-अलग आर्थिक परिस्थितियों में आयोजित किया गया था। सितंबर 2019 में की गई बैठक में फोरम ने एनबीएफसी, यूसीबी और डेट म्यूचुअल फंड से जुड़े मामलों समेत वित्तीय स्थिरता पर असर डालने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उप-समिति, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) के विनियामकीय फ्रेमवर्क और केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के निर्माण में भी शामिल थी। बैठक में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) संकट के संक्रामक प्रभाव के समाधान और रोकथाम, व्यक्तिगत दिवालियापन को क्रियाशील करने और इन्शुरन्स मार्केटिंग फर्मों के जरिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों पर भी चर्चा की गई थी।

VI.10 उप-समिति ने जून 2020 में आयोजित बैठक में वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय बाजारों में हुए बड़े बदलावों की समीक्षा की जिसका वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ता है। अन्य बातों के बीच, उप-समिति ने फिनटेक पर अंतर विनियामक तकनीकी समूह (आईआरटीजी-फिनटेक) की स्थापना के प्रस्ताव, वित्तीय प्रणाली में साइबर सुरक्षा के महत्व और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई) 2020-25 के बारे में भी चर्चा की। इसने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत की स्थिति और उसमें हुए बदलाव तथा सीआरए की कार्यप्रणाली पर भी विचार-विमर्श किया।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

VI.11 कोविड-19 महामारी-प्रवृत्त व्यवधानों का विभाग के कार्यों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। इस अवधि के दौरान एफएसडीसी और एफएसडीसी-उप समिति की बैठकें वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थीं। फिर भी, कतिपय प्राथमिक डेटा प्राप्त होने में विलंब होने की वजह से एफएसआर का 21वां अंक जुलाई में प्रकाशित किया गया।

2020-21 की कार्य-योजना

VI.12 आगामी वर्ष में, एफएसयू निम्नलिखित पर ध्यान देगा :

- उभरती सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क/कार्य-प्रणाली को मजबूत बनाना (उत्कर्ष);
- समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी रखना;
- एफएसआर का प्रकाशन; और
- एफएसडीसी उप-समिति की बैठकें आयोजित करना।

3. वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

विनियमन विभाग (डीओआर)

वाणिज्यिक बैंक

VI.13 विनियमन विभाग – बैंक (डीओआर – बैंक) एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिहाज से वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन के लिए नोडल विभाग है, जो किफायती और समावेशी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। विनियामकीय फ्रेमवर्क को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूल बनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप परिमार्जित किया जाता है।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.14 विभाग ने वर्ष 2019-20 में वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन हेतु निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- भारत में बैंकों के लेखा मानकों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण समेत विवेकपूर्ण विनियामकीय फ्रेमवर्क

को वैश्विक मानकों/प्रथाओं के अनुरूप करने की दिशा में कार्य करना (उत्कर्ष) [पैरा VI.15];

- ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग को सुगम बनाना, धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियमों के प्रावधानों के तहत व्यक्तियों के लिए वीडियो-आधारित केवाईसी को सक्रिय करना (पैरा VI.17);
- प्रतिभूतिकरण के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना (उत्कर्ष) [पैरा VI.42];
- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए अंतिम विवेकपूर्ण विनियम जारी करना (उत्कर्ष) [पैरा VI.42];
- विनियामकीय सैंडबॉक्स को परिचालन में लाना (उत्कर्ष) [पैरा VI.42];
- एआईएफआई और एससीबी के लिए भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) का साथ-साथ कार्यान्वयन (पैरा VI.42); और
- प्रणाली में प्रारंभिक ऋण जोखिम के समाधान को लेकर समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा पत्र जारी करना (पैरा VI.42).

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

विवेकपूर्ण विनियामकीय फ्रेमवर्क को वैश्विक मानकों/प्रथाओं के अनुरूप करना

VI.15 जहां बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने कोविड-19 महामारी की वजह से बासेल III के कार्यान्वयन को 01 जनवरी 2022 से एक साल के लिए स्थगित कर 01 जनवरी 2023 कर दिया वहीं चरणबद्ध रूप से जारी किए जाने वाले (i) परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देशों, और (ii) ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण संबंधी ड्राफ्ट व अंतिम दिशानिर्देशों को भी स्थगित कर दिया गया। लंबित आवश्यक वैधानिक संशोधनों के चलते इंड एस को अपनाए जाने को भी स्थगित किया गया। इसके अलावा, निवल स्थायी निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)

के कार्यान्वयन को 01 अप्रैल 2020 से छह माह के लिए स्थगित कर 01 अक्टूबर 2020 कर दिया गया, साथ ही, पूंजी संरक्षण बफर की अंतिम श्रृंखला पूरी करने की समय-सीमा को 31 मार्च 2020 से छह माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया।

कॉर्पोरेट ऋणों के लिए सक्रिय द्वितीयक बाजार का विकास

VI.16 अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप एक सक्रिय द्वितीयक बाजार विकसित करने की पहल के तौर पर इस प्रयोजनार्थ गठित कार्य दल द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशों की गईं (बॉक्स VI.1)।

बैंक ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग और वीडियो-आधारित केवाईसी

VI.17 वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) और ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए डिजिटल केवाईसी को अनुमति देते हुए केवाईसी के मूल निर्देश में संशोधन को लेकर 09 जनवरी 2020 को एक परिपत्र जारी किया गया। इसके अलावा, ग्राहक की समुचित सावधानी (सीडीडी) के प्रयोजनार्थ ग्राहक के डिजिटल लॉकर अकाउंट को लेकर जारी किए गए दस्तावेजों समेत जारीकर्ता प्राधिकारी के वैध डिजिटल हस्ताक्षर युक्त समतुल्य ई-दस्तावेज को अनुमति दी गई।

वाणिज्यिक भू संपदा (सीआरई) क्षेत्र की कार्यान्वयन अधीन परियोजनाएं

VI.18 गैर-इन्फ्रास्ट्रक्चर और सीआरई क्षेत्रों में कार्यान्वयन अधीन परियोजनाओं के संबंध में दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से गैर-इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों की परियोजनाओं की भांति सीआरई क्षेत्र में परियोजना ऋणों को आस्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड किए बगैर पुनर्संरचित करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) में एक अतिरिक्त वर्ष तक संशोधन किया गया (अर्थात्, वास्तविक डीसीसीओ से कुल 2 वर्षों का इजाफा)।

बॉक्स VI.1

कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार

रिजर्व बैंक ने भारत में कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास के संबंध में सिफारिशें करने के लिए भारत में ऋण बिक्री/स्थानांतरण हेतु बाजार के विकास की मौजूदा स्थिति, और ऋण की खरीद-बिक्री को लेकर अंतरराष्ट्रीय अनुभव की समीक्षा करने के लिए 29 मई 2019 को एक कार्य दल (अध्यक्ष : श्री टी. एन. मनोहरन) का गठन किया।

कार्य दल ने भारत में कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास को बढ़ावा देने के संबंध में कई सिफारिशें कीं :

- प्रतिभागियों को लेकर एक ऐसे स्व-विनियामक निकाय की स्थापना करना जो विभिन्न बाजार प्रतिभागियों के लिए विस्तृत तौर-तरीकों को अंतिम रूप देगा और दिशानिर्देश निरूपित करेगा;
- प्रलेखीकरण का मानकीकरण;
- केंद्रीय ऋण संविदा रजिस्ट्री की स्थापना; और

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के विनियमों में संशोधन करना ताकि बाजार के आधार में विस्तार किया जा सके जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ), म्यूचुअल फंड, बीमा फर्मों और पेंशन फंड जैसी गैर-बैंकिंग संस्थाओं की कुशल भागीदारी हो।

रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास की दिशा में पहला कदम उठाने के तौर पर 05 दिसंबर 2019 के विकासात्मक और विनियामकीय नीति संबंधी अपने वक्तव्य में ऐलान किया कि वह एसआरबी की स्थापना को सुविधाजनक बनाएगा। तदनुसार, एसआरबी की स्थापना को लेकर चुनिंदा बैंकों के कोर ग्रुप का गठन किया गया। एसआरबी की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है।

स्रोत : आरबीआई।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अग्रिमों के लिए पुनर्गठन योजना

VI.19 खातों के पुनर्गठन की योजना में, जैसा 01 जनवरी 2019 को यथास्थिति दबावग्रस्त एमएसएमई खातों के मामले में देखा गया, उन खातों को भी शामिल किया गया जो 01 जनवरी 2020 को यथास्थिति चूक होने के बावजूद 'मानक' था और जिसे पुनर्गठन के कार्यान्वयन की तारीख तक 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहा। इस योजना के तहत पुनर्गठन 31 दिसंबर 2020 तक कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस मामले में, विस्तृत दिशानिर्देश 11 फरवरी 2020 को जारी किए गए थे।

वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ)

VI.20 12 सितंबर 2019 को एलईएफ के अंतर्गत सामान्य एकल प्रतिपक्ष सीमा को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करते हुए एकल एनबीएफसी (स्वर्ण ऋण कंपनियों को छोड़कर) में बैंकों की एक्सपोजर सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया। 23 मार्च 2020 को बैंकों को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया कि यदि एक्सपोजर/ जोखिम

भार स्थानांतरण जैसे सीआरएम लाभ प्राप्त नहीं किए जाते हैं, भले ही प्रतिपक्षकार भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति हो, एक्सपोजर को ऋण जोखिम घटाने (सीआरएम) वाले से वास्तविक प्रतिपक्षकार को स्थानांतरित किया जा सकता है। भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार स्थानांतरित एक्सपोजर पर 150 प्रतिशत न्यूनतम जोखिम भार लागू होगा। गैर-केंद्रीकृत रूप से प्राधिकृत डेरिवेटिव एक्सपोजर पर एलईएफ दिशानिर्देशों की लागू होने की तारीख को एक साल के लिए अर्थात्, 01 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते, कॉर्पोरेट को एकबारगी उपाय के तौर पर संसाधनों का अत्यधिक प्रवाह सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से एक-दूसरे से जुड़े प्रतिपक्षकार समूह को बैंक एक्सपोजर की सीमा को 30 जून 2021 तक बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू)

VI.21 वर्ष 2019-20 के दौरान, आईबीयू की स्थापना को लेकर बनाई गई योजना में संशोधन करते हुए आईबीयू को : (ए) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के प्रावधानों

का अनुपालन करते हुए अपने कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए चालू खाता खोलने (एस्करो खातों समेत); (बी) गैर-बैंक संस्थाओं से विदेशी मुद्राओं में एक साल से कम अवधि वाली मीयादी जमाराशियां स्वीकार करने और साथ ही समय को लेकर बिना किसी पाबंदी के मीयादी जमाराशियों को परिपक्व होने से पहले चुकाने, तथा (सी) आईएफएससी में स्थापित शेयर बाजारों में रुपये (जिसका विदेशी मुद्रा में हिसाब किया जाए) में सूचीबद्ध एक्सचेंज ट्रेड्ड करेंसी टेरिवेटिव में भाग लेने की अनुमति दी गई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) – बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई) और मर्चेन्ट अधिगृहीत कारोबार

VI.22 वर्ष 2019-20 के दौरान, आरआरबी को टिअर 1 पूंजी के रूप में शामिल किए जाने योग्य पीडीआई जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी, लिहाजा उनको विनियामकीय पूंजी निधि में इजाफा करने का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होता है। उन्हें आधार पे-भीम ऐप और पीओएस टर्मिनल का उपयोग कर मर्चेन्ट अधिगृहीत बैंकों के रूप में कार्य करने की भी अनुमति दी गई थी।

ऋणों की बाह्य बेंचमार्किंग

VI.23 बैंक द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 01 अक्टूबर 2019 से प्रदान किए गए सभी नए अस्थिर दर वाले वैयक्तिक या खुदरा ऋणों (आवास, वाहन, आदि) और मध्यम उद्यमों को 01 अप्रैल 2020 से प्रदान किए गए अस्थिर दर वाले ऋणों को बाह्य बेंचमार्क के साथ जोड़ा गया जिसमें इंगित अनेकों बेंचमार्क में से किसी को भी चुनने की आजादी दी गई। ऋण संविदा में स्वीकार किए गए अनुसार बैंकों को बेंचमार्क दर के ऊपर अपना ऋण मार्जिन चुनने की भी आजादी है, बशर्ते ऋण जोखिम प्रीमियम में परिवर्तन हो सकता है केवल तभी जब उधारकर्ता के ऋण मूल्यांकन में बड़ा बदलाव हो।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के शेयरधारक निदेशकों के लिए उपयुक्त और यथोचित मानदंड

VI.24 अगस्त 2019 में पीएसबी के शेयरधारक निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और यथोचित' मानदंड को लेकर संशोधित

दिशानिर्देश जारी किए गए थे और इस प्रकार उसे अन्य निदेशकों पर लागू पात्रता संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया।

पूर्णकालिक निदेशकों/सीईओ/प्रमुख जोखिमधारकों और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को पारिश्रमिक

VI.25 रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों, सीईओ, प्रमुख जोखिमधारकों और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ के लिए संशोधित पारिश्रमिक दिशानिर्देश जारी किए जिसे 01 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। ये दिशानिर्देश सुदृढ़ पारिश्रमिक प्रथाओं को लेकर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के सिद्धांतों के अनुरूप थे।

पीएसबी का विलयन

VI.26 भारत सरकार की 04 मार्च 2020 की समामेलन योजना की तर्ज पर दस पीएसबी का 01 अप्रैल 2020 से विलय कर चार बैंक बनाए गए (सारणी VI.1). तदनुसार दूसरे बैंक में विलय किए गए बैंक(कों) अपने बैंकिंग कारोबार करने योग्य नहीं रहे और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से निकाल दिया गया।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दहलीज बैंकिंग सेवाएं

VI.27 बैंकों को कहा गया कि वे अखिल भारतीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को दहलीज बैंकिंग सेवाएं प्रदान करें जिसके लिए वे अपनी वेबसाइट पर इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची नियमित रूप से अद्यतन करते रहें और अपने जन जागरूकता अभियानों के

सारणी VI.1: कतिपय बैंकों का विलय

जिस बैंक/जिन बैंकों का विलय किया गया (स्थानांतरणकर्ता बैंक)	जिस बैंक में विलय किया गया (स्थानांतरिती बैंक)
इलाहाबाद बैंक	इंडियन बैंक
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक
आन्ध्रा बैंक और कार्पोरेशन बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
सिंडिकेट बैंक	केनरा बैंक

स्रोत : भारत सरकार ।

माध्यम से इस प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता को लेकर पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें जिसमें नीति और प्रभार का भी उल्लेख हो।

कोविड-19 महामारी के संबंध में किए गए उपाय

VI.28 कोविड-19 महामारी के प्रतिक्रियास्वरूप, रिजर्व बैंक ने उधारकर्ताओं की कर्ज चुकौती के बोझ को कम करने, व्यवहार्य कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने, प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने, बैंक के ऋण प्रवाहों को सुविधाजनक बनाने व प्रोत्साहित करने, वित्तीय दबाव को कम करने तथा वित्तीय बाजारों को सुचारु रूप से कार्य करने योग्य बनाने के लिए कई उपाय किए।

VI.29 01 मार्च 2020 को यथास्थिति बकाया सभी मीयादी ऋणों के संबंध में सभी ऋणदात्री संस्थाओं [लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), आरआरबी, यूसीबी/राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी)/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) समेत वाणिज्यिक बैंकों] को 01 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच देय सभी किस्तों के भुगतान को लेकर छह महीने की मोहलत देने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसी भांति, नकदी ऋण/ओवर ड्राफ्ट (सीसी/ओडी) के रूप में संस्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में, ऋणदात्री संस्थाओं को 01 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान सभी ऐसी सुविधाओं के संबंध में लागू ब्याज की वसूली को स्थगित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। ऋणदात्री संस्थाओं को उनके विवेक पर 31 अगस्त 2020 तक की अधिस्थगित अवधि के लिए सीसी/ओडी के मामले में संचित ब्याज को निधिक ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल) में तबदील करने की भी अनुमति प्रदान की गई थी जिसे अधिकतम 31 मार्च 2021 तक चुकता किया जाना होगा।

VI.30 महामारी की वजह से दबावग्रस्त उधारकर्ताओं को सीसी/ओडी के रूप में संस्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में ऋणदात्री संस्थाओं को एकबारगी उपाय के तौर पर मार्जिन में 31 अगस्त 2020 तक इस प्रकार कटौती कर

आहरण अधिकार की पुनःगणना करने की अनुमति प्रदान की गई थी कि मार्जिन को 31 मार्च 2021 तक पूर्वावस्था में लाया जा सके, और/अथवा कार्यशील पूंजी चक्र के पुनर्निर्धारण के आधार पर 31 मार्च 2021 तक की कार्यशील पूंजी की संस्वीकृत सीमाओं की समीक्षा की जा सके।

VI.31 इन उपायों के परिणामस्वरूप संबंधित सुविधाओं के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा नहीं घटेगा, और इसे पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग तथा ऋण सूचना कंपनियों को रिपोर्टिंग के लिए चूक के रूप में नहीं माना जाएगा। ऋणदात्री संस्थाओं को सलाह दी गई कि वे पूर्ण लोक प्रकटीकरण के साथ सभी पात्र उधारकर्ताओं को ये राहत प्रदान करने के लिए व्यापक- अनुमोदित नीतियां बनाएं।

VI.32 ऋणदात्री संस्थाओं को सलाह दी गई कि 29 फरवरी 2020 को यथास्थिति मानक के रूप में वर्गीकृत सभी खातों के संबंध में, जहां मोहलत या अधिस्थगन प्रदान किया गया था, 90-दिन वाला एनपीए मानदंड अधिस्थगित अवधि पर लागू नहीं होगा, अर्थात्, 01 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान ऐसे सभी खातों के मामलों में आस्ति वर्गीकरण को रोक कर रखा जाएगा। ऋणदात्री संस्थाओं को सलाह दी गई कि उन्हें ऐसे खातों के मामलों में जिसके लिए रिजर्व बैंक द्वारा 27 मार्च 2020 को राहत प्रदान की गई थी, दो तिमाहियों में चरणबद्ध रूप से कुल बकाये का कम-से-कम 10 प्रतिशत, अर्थात्, 31 मार्च 2020 और 30 जून 2020 को समाप्त प्रत्येक तिमाहियों में कम-से-कम 5 प्रतिशत सामान्य प्रावधान करने की आवश्यकता है। ऋणदात्री संस्थाओं को यह सलाह भी दी गई थी कि : (ए) उन्हें इन प्रावधानों को जिन खातों से स्लिपेज होने का अनुमान किया गया है उनके लिए की गई वास्तविक प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के बदले समायोजित करने की अनुमति है; (बी) वित्त वर्ष के अंत में अवशिष्ट प्रावधानों का पुनरांकन किया जा सकता है या सभी अन्य खातों के लिए आवश्यक प्रावधानों के बदले समायोजित किया जा सकता है; (सी) ऐसे समायोजन किए जाने तक, इन प्रावधानों को सकल अग्रिमों से घटाया नहीं जाएगा लेकिन तुलन पत्र में अलग से

दर्शाया जाएगा; और (डी) ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा बनाए रखे जाने वाले सभी अन्य प्रावधान सामान्य तरीके से जारी रखे जाएंगे, जिसमें 29 फरवरी 2020 को यथास्थिति एनपीए के रूप में पहले से ही वर्गीकृत खातों के साथ-साथ पुराने हो रहे इने खातों के लिए किए गए प्रावधान शामिल होंगे।

VI.33 दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को लेकर दिनांक 07 जून 2019 के रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के तहत एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), एआईएफआई, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि नहीं लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई), और जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-डी) को चूक वाले वृहत खातों के मामले में 20 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता है, यदि ऐसे चूक की तारीख से 210 दिनों के भीतर समाधान योजना लागू नहीं की जाती है। वर्तमान उतार-चढ़ाव वाले माहौल में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की चुनौतियों को पहचानते हुए उपर्युक्त ऋणदाताओं को सूचित किया गया कि 01 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 की अवधि को समीक्षा अवधि अथवा, जिन मामलों में समीक्षा अवधि पूरी हो चुकी है, समाधान अवधि से बाहर रखा जाए जिस दौरान किसी अतिरिक्त प्रावधानों के बगैर समाधान प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है।

VI.34 अलग-अलग संस्थाओं के स्तर पर चलनिधि स्थिति को सुगम बनाने के लिहाज से एससीबी की चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) आवश्यकता को 17 अप्रैल 2020 से 100 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत किया गया। आवश्यकता को धीरे-धीरे पूर्वावस्था में दो चरणों में लाया जाएगा – 01 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 01 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत। इसके अलावा, बैंकों द्वारा धारित समग्र एसएलआर-पात्र आस्तियों को एलसीआर आवश्यकता पूरी करने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में मान जाने की अनुमति अब दी गई है। 01 अप्रैल 2020 से लागू किए जाने वाले एनएसएफआर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को छह माहों के लिए स्थगित कर 01 अक्टूबर 2020 किया गया।

VI.35 पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत की अंतिम श्रृंखला के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से स्थगित कर 30 सितंबर 2020 किया गया। प्रति-चक्रिय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) को सक्रिय करना आवश्यक नहीं पाया गया।

VI.36 इसी समय, बैंकों को सूचित किया गया कि वे अत्यधिक अनिश्चितता वाले इस माहौल में पूंजी को संरक्षित करने और हानि को सहने के लिहाज से 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। इस रोक को लेकर 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

VI.37 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरणों के संबंध में, भारत में निर्यात आय की प्राप्ति और प्रत्यावर्तन को लेकर समयावधि में अनुमत वृद्धि की तर्ज पर बैंकों द्वारा स्वीकृत पोत लदान-पूर्व और पोत लदान-पश्चात की अधिकतम अनुमत अवधि को भी एक साल से बढ़ाकर 15 माह कर दिया गया है।

VI.38 इन अनिश्चित समयों में, एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए अतिरिक्त उपाय के तौर पर, बैंकों को, प्रवर्तकों द्वारा अपनी एमएसएमई इकाइयों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा जारी दबावग्रस्त एमएसएमई हेतु गौण कर्ज के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए ऋणों के जरिए लगाए गए धन को, डेट-इक्विटी की गणना करने के लिए प्रवर्तकों से इक्विटी/अंशिक इक्विटी के रूप में हिसाब में लेने की अनुमति दी गई।

VI.39 कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न व्यवधानों की वजह से विनियमन विभाग, रिज़र्व बैंक को विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने को लेकर हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया गया कि ऐसी विवरणियों (जिसे 30 जून 2020 तक प्रस्तुत करने की जरूरत है) को अंतिम तारीख से अधिकतम 30 दिनों के विलंब के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। तथापि, सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत करने को लेकर कोई मोहलत नहीं दी गई, अर्थात्,

बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम 1949, आरबीआई अधिनियम 1934 अथवा कोई अन्य अधिनियम [उदाहरण के लिए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से संबद्ध विवरणियां] के तहत निर्धारित विवरणियां।

VI.40 कोविड-19 महामारी की वजह से रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को लेकर तनाव के चलते 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले पखवाड़े से 26 जून 2020 तक न्यूनतम 80 प्रतिशत का दैनिक सीआरआर बनाए रखने को लेकर प्रदान की गई छूट को और तीन महीनों, अर्थात्, 25 सितंबर 2020 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया।

VI.41 भारत सरकार के पीएमएल नियमों के अनुरूप उन लघु खातों (उन ग्राहकों के लिए खोले गए थे जो बैंकों को आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) जमा नहीं कर पा रहे थे) से संबंधित केवाईसी को लेकर मूल निर्देशों में संशोधन किया गया था जिसमें शुरू के बारह महीनों में लेन-देन चल रहे थे एवं जिसे और बारह महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते खाताधारक ने शुरुआती बारह महीनों के दौरान किसी ओवीडी के लिए आवेदन किया हो। इस संशोधन के बाद, निर्धारित शर्तों के होते हुए भी, लघु खातों में लेन-देन 01 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य अवधियों के बीच जारी रहेंगे। यह संशोधन लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को सक्षम करने और लाभार्थियों को कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा स्थिति में उनकी जरूरतों के लिए राशि निकालने की अनुमति देने के लिए किया गया था ताकि उन्हें केवाईसी आवश्यकताओं को लेकर कोई कठिनाई न हो।

अन्य पहलें

VI.42 वर्ष 2019-20 के दौरान की गई कतिपय अन्य पहलें इस प्रकार हैं :

- मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जनता की राय हेतु 08 जून 2020 को बैंक

की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया था। प्रतिभूतिकरण के संबंध में ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में आवास वित्त प्रतिभूतिकरण समिति (अध्यक्ष : डॉ. हर्ष वर्धन) की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा, जिसने वर्ष के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- एआईएफआई के साथ-साथ बासेल III पूंजी फ्रेमवर्क को लेकर विवेकपूर्ण विनियम संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए और उसे परिमार्जित किया जा रहा है। अंतिम दिशानिर्देश एआईएफआई, जैसे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को जारी किए जाएंगे।
- विनियामकीय सैंडबॉक्स को लेकर अंतिम सक्षम फ्रेमवर्क 13 अगस्त 2019 को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद प्रथम कोहॉर्ट के विषय के रूप में 'खुदरा भुगतान' की घोषणा की गई। यद्यपि, प्रारंभिक जांच में आवेदकों के चुने गए उत्पादों को लेकर टेस्ट डिज़ाइन पूरी कर ली गई है, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से साक्षात टेस्टिंग अभी शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि टेस्टिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि मर्चेन्ट और ग्राहकों की ऑन-बोर्डिंग व्यक्तिगत बातचीत के जरिए हो।
- यह निर्णय किया गया कि एआईएफआई को लेकर इंड एस के कार्यान्वयन को एससीबी के अनुरूप किया जाए।
- प्रणाली में प्रारंभिक ऋण जोखिम के समाधान को लेकर समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा पत्र का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।

- बैंकों के उपभोक्ता ऋण पोर्टफोलियो में कम दबाव होने के मद्देनज़र, क्रेडिट कार्ड से प्राप्त होने वाली राशियों को छोड़कर, वैयक्तिक ऋणों समेत उपभोक्ता ऋणों के जोखिम भार को 125 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत किया गया।
- बैंकों, जिन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) के यूनिट्स में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई थी, को आईएनवीआईटी को भी उधार देने की अनुमति दी गई थी।
- निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में समयबद्ध रूप से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ)/सीईओ/अंश-कालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूर्व में जारी किए गए कतिपय अनुदेशों की समीक्षा की गई और उम्मीदवार से प्राप्त की जाने वाली 'घोषणा एवं वचनपत्र' तथा नियुक्ति संबंधी प्रावधानों के साथ-साथ नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन में संशोधन करने के लिए बैंकों के आवेदन के नमूने में 31 मार्च 2020 को जारी दिशानिर्देशों द्वारा संशोधन किए गए। इसके अलावा, बैंकों को निम्नलिखित दो बदलावों के बारे में भी सूचित किया गया : (ए) एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति को लेकर बैंकों को अब वर्तमान पदाधिकारी के कार्यकाल समाप्त होने के मौजूदा चार महीनों की तुलना में कम-से-कम छह महीने पहले रिज़र्व बैंक के पास आवेदन प्रस्तुत करना होगा; और (बी) नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति को लेकर किए जाने वाले प्रस्तावों में प्राथमिकता के क्रम में मौजूदा तीन नामों की तुलना में कम-से-कम दो नाम हमेशा होने चाहिए और इन प्रस्तावों को वर्तमान पदाधिकारी के कार्यकाल समाप्त होने के कम-से-कम चार महीने पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 31 जुलाई 2020 तक के संवितरणों के संबंध में, निर्यातकों को अपने उत्पादन और उसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के दौरान जिन वास्तविक कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है उसे दूर करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा स्वीकृत पोत लदान-पूर्व और पोत लदान-पश्चात की अधिकतम अनुमत अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 माह किया गया। यह 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यातों के संबंध में, भारत में निर्यात आय की प्राप्ति और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात की तारीख से नौ माह से बढ़ाकर 15 माह करने को लेकर पहले से ही प्राप्त अनुमति के अनुरूप है। बैंकों को भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार पोत लदान-पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण के संबंध में ब्याज समीकरण योजना की अवधि को एक वर्ष, अर्थात्, 31 मार्च 2021 तक, के लिए बढ़ाने की भी सूचना दी गई थी।
- समीक्षा करने पर, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की बढ़ाई गई उधार सीमा को, निर्धारित एसएलआर पर ही उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत तक इजाफा करते हुए, 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया, जो बैंकों के लिए पहले 30 जून 2020 तक उपलब्ध था और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को उनकी अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं पर एमएसएफ के अंतर्गत एकदिवसीय निधि उठाने को बरकरार रखने की अनुमति दी गई थी।
- आरई को 20 अप्रैल 2020 को जारी परिपत्र द्वारा 'धन शोधन (एमएल) और आतंकवाद वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम आकलन' को लेकर समय-समय पर अभ्यास करने का अधिकार दिया गया ताकि ग्राहकों, देशों/भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेनदेनों और वितरण माध्यमों के संबंध में उसके एमएल/टीएफ जोखिमों का पता लगाने, आकलन करने और कम करने के लिए प्रभावशाली उपाय कर सकें।

- 23 अप्रैल 2020 को एक परिपत्र जारी किया गया जिसके जरिए बैंकों को वैयक्तिक ऋण स्वरूप के ओवरड्राफ्ट खाते रखने वाले वास्तविक व्यक्तियों को बिना किसी खास प्रतिबंध के, कुछ शर्तों के साथ, केवल घरेलू ऑनलाइन/गैर-नकदी लेनदेनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई।
- ऋण एक्सपोजर की बिक्री को लेकर ड्राफ्ट व्यापक फ्रेमवर्क 08 जून 2020 को जनता की राय हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
- 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में गवर्नेन्स' को लेकर रिजर्व बैंक द्वारा 11 जून 2020 को चर्चा पत्र जारी किया गया था जिस संबंध में जनता की राय/सुझाव अधिकतम 15 जुलाई 2020 तक प्राप्त किए जाने हैं और प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद अंतिम दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए जाएंगे।
- 21 जून 2020 को सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को आपाती ऋण सीमा गारंटी योजना के तहत प्रदान की गई ऋण सुविधाओं को लेकर शून्य प्रतिशत जोखिम भार रखने की अनुमति दी गई है। एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। यह गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा प्रदान की जाती है और इसे भारत सरकार की बेशर्त तथा अपिस्वर्तनीय गारंटी का समर्थन प्राप्त है।
- भारत सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों को लेकर युक्तिसंगत मूल सूची (एचएमएल) के अंतर्गत किफायती आवास को शामिल किए जाने की वजह से किफायती आवास को उधार की परिभाषा को एचएमएल में दी गई परिभाषा के अनुरूप किया गया। तदनुसार, दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करने के प्रयोजन से, संशोधित परिभाषा में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (समय-समय पर अद्यतन किया गया) के अंतर्गत

वर्गीकरण के लिए पात्र आवास ऋणों और किफायती आवास के संबंध में एचएमएल में दी गई परिभाषा के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा के अंदर आवासीय इकाई अधिगृहीत करने के लिए वैयक्तिक को प्रदान किए जाने वाले आवास ऋणों को शामिल किया जाएगा।

2019-20 की कार्य-योजना

VI.43 आगामी वर्ष में विभाग उत्कर्ष के तहत वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख कार्यों पर ध्यान देगा :

- *रिजर्व बैंक के विनियमों का बासेल III मानकों के साथ सम्मिलन* : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) के संबंध में अंतिम दिशानिर्देशों के साथ-साथ, बासेल III मानकों के अनुरूप, ऋण जोखिम व बाजार जोखिम को लेकर ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे; बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) के तहत परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में ड्राफ्ट दिशानिर्देश भी जारी किया जाएगा। तथापि, कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए बैंकों और पर्यवेक्षकों के बोझ को कम करने को लेकर बीसीबीएस ने बासेल III मानकों के कार्यान्वयन को एक साल के लिए अर्थात्, 01 जनवरी 2023 तक स्थगित किया है;
- *अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विनियम फोरम में मौजूदगी बढ़ाना* : विभिन्न बासेल कार्य दलों में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाएगा, साथ ही मार्च 2021 तक भारत उनकी अधिकांश बैठकों की मेजबानी करेगा;
- *उभरते बाजार (ईएम) के केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के साथ मेलजोल बढ़ाना* : एक बड़े ईएम के तौर पर भारत की मौजूदगी को समकक्षीय केंद्रीय बैंकों के साथ मेलजोल में इजाफा करने, भारत में सम्मेलनों और अन्य ईएम केंद्रीय बैंकों की मेजबानी में होने वाले

कार्यक्रमों में सहभागिता के जरिए बढ़ाया जाएगा; और

- **प्रभावशाली और संकेंद्रित विनियमों के लिए रेगटेक समाधान** : रेगटेक एक खास और उभरता फिनटेक उत्पाद होने के नाते प्रस्ताव है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)/विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) के सहयोग से इस क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाया जाए। वित्त क्षेत्र में रेगटेक टूल्स को अपनाने के स्तर का आकलन करने के लिए जोखिमधारकों के साथ संपर्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इसके अलावा, आरई द्वारा रेगटेक टूल्स अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए व्यापक दिशानिर्देश/सिद्धांत बनाने और जारी करने की योजना बनाई गई है ताकि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) और डेटा एनलिटिक्स का इस्तेमाल कर अपनी विनियामकीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को स्वचालित व एकीकृत कर सके।

सहकारी बैंक

VI.44 विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बना कर सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने में रिजर्व बैंक की अहम भूमिका रही है। इस संदर्भ में, डीओआर – सहकारी बैंक, जो सहकारी बैंकों के विवेकपूर्ण विनियमों के लिए उत्तरदायी है, ने साल की शुरुआत में तय कार्य-योजना के संबंध में 2019-20 में अनेक कदम उठाए।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.45 विभाग ने वर्ष 2019-20 में सहकारी बैंकों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना और यूसीबी क्षेत्र में समेकन को बढ़ावा देने के लिए नीति फ्रेमवर्क का निर्माण करना (उत्कर्ष) [पैरा VI.46 और पैरा VI.56];

- यूसीबी के लिए एसएएफ के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी करना (पैरा VI.47); और
- यूसीबी के लिए प्रबंधन मंडल (बीओएम) को लागू करना (पैरा VI.48).

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

यूसीबी के लिए छत्र संगठन की स्थापना

VI.46 राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड संघ (एनएएफसीयूबी) यूसीबी के लिए छत्र संगठन की स्थापना कर रहा है जिसके लिए 06 जून 2019 को विनियामकीय अनुमोदन मिला था।

प्रारंभिक अवस्था में दबाव से निपटने को लेकर यूसीबी के लिए एसएएफ की समीक्षा

VI.47 यूसीबी के लिए एसएएफ को लेकर 06 जनवरी 2020 को जारी संशोधित दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट वित्तीय मापदंडों/संकेतकों के संबंध में निर्दिष्ट अधिकतम सीमा (ट्रिगर) के उल्लंघन पर यूसीबी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई और/अथवा रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई शुरू करने के बारे में सोचा गया है। दिशानिर्देशों में कमजोर किंतु व्यवहार्य यूसीबी में सुधार लाने तथा अव्यवहार्य यूसीबी का अविलंब समाधान करने के लिए एसएएफ को और प्रभावशाली बनाने पर विचार किया गया है।

प्रबंधन मंडल (बीओएम) के संबंध में यूसीबी को जारी किए गए दिशानिर्देश

VI.48 मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क के तहत, यूसीबी के निदेशक मंडल (बीओडी) सहकारी समितियों के साथ-साथ बैंक के रूप में यूसीबी के कार्यों की देख-रेख के उत्तरदायित्व के साथ कार्यकारी और पर्यवेक्षी भूमिकाएं दोनों निभाते हैं। ₹100 करोड़ और इससे अधिक जमाराशि वाले यूसीबी को सूचित किया गया है कि वे प्रबंधन मंडल (बीओएम) का गठन करें जिसमें सदस्यों के पास बैंकिंग का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो ताकि पेशेवर प्रबंधन को सुविधाजनक बनाया जा सके, कॉर्पोरेट गवर्नेन्स को बेहतर किया जा सके और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके (बॉक्स VI.2)।

बॉक्स VI.2

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) में गवर्नेन्स

यूसीबी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है वे प्रमुख रूप से कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेन्स और प्रबंधन संबंधी मुद्दों की वजह से हैं जो वास्तव में इस संस्था की प्रकृति, अर्थात्, निदेशक मंडल (बीओडी), से उत्पन्न होती है, जहां मौजूदा व्यवस्था के तहत 'उपयुक्त और यथोचित' मानदंड को अमल में नहीं लाया जा सकता है। यूसीबी जनता से जमा राशियां भी स्वीकार करती हैं इसलिए नए शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग के संबंध में विशेषज्ञ समिति, 2011 (अध्यक्ष : श्री वाई. एच. मालेगाम) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, बीओडी के अतिरिक्त, जो यूसीबी में एक निर्वाचित निकाय है, प्रबंधन मंडल (बीओएम) के रूप में पेशेवरों के एक निकाय के गठन की सिफारिश की थी। शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति, 2015 (अध्यक्ष : श्री आर. गांधी) ने इस सिफारिश पर फिर से जोर दिया।

तदनुसार, ₹100 करोड़ और इससे अधिक जमा आकार वाले यूसीबी को सूचित किया गया है कि वे बीओएम का गठन करें जिसमें सदस्यों के पास बैंकिंग का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो ताकि पेशेवर प्रबंधन और यूसीबी

के उप-नियमों में समुचित संशोधन कर उनकी बैंकिंग संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने को सुविधाजनक बनाया जा सके। हालांकि, ₹100 करोड़ से कम जमा आकार वाले यूसीबी और वेतन अर्जनकर्ता बैंकों को बीओएम गठित करने से छूट दी गई है, लेकिन इस तरह के बैंक, यदि वे चाहें तो, एक अच्छी गवर्नेन्स प्रथा सुनिश्चित करने के लिए बीओएम का गठन कर सकते हैं।

बीओएम यूसीबी के बैंकिंग संबंधी कार्यों पर निगरानी रखेंगे, नीति के निर्माण और कोई अन्य मामलों, जो बीओडी द्वारा उनको खास तौर पर सौंपे गए हों, के संबंध में बीओडी का सहयोग करेंगे। बीओएम के सदस्यों को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 'उपयुक्त और यथोचित' मानदंड को पूरा करना होगा। बीओएम का कार्यकाल बीओडी के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगा। ₹100 करोड़ और इससे अधिक जमा आकार वाले यूसीबी को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

स्रोत : आरबीआई।

सीआरआईएलसी को वृहत एक्सपोजर की रिपोर्टिंग के संबंध में यूसीबी को जारी किए गए दिशानिर्देश

VI.49 एससीबी, एसएफबी, एआईएफआई, एनबीएफसी-एनडी-एसआई, एनबीएफसी-डी और आढ़तिया सेवाएं देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-आढ़त) को वर्तमान में ₹5 करोड़ एवं इससे अधिक के ऋण एक्सपोजरों को सीआरआईएलसी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। ₹500 करोड़ और इससे अधिक आस्तियों वाले यूसीबी को वृहत एक्सपोजरों में पारदर्शिता और दबाव की समयपूर्व पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही से सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत लाया गया।

एसएफबी लाइसेंस के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन

VI.50 यूसीबी का एसएफबी में स्वैच्छिक अंतरण को लेकर 27 सितंबर 2018 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। शिवालिक मर्केन्टाइल सहकारी बैंक लिमिटेड पहला यूसीबी बना जिसे 06 जनवरी 2020 को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन मिला।

एकल उधारकर्ता/पार्टी और उधारकर्ताओं/पार्टियों के समूह में एक्सपोजर, वृहत एक्सपोजर एवं प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण

VI.51 यूसीबी के एकल उधारकर्ता/पार्टी और उधारकर्ताओं/पार्टियों के समूह में एक्सपोजर सीमाओं को 13 मार्च 2020 को क्रमशः पूंजीगत निधियों के मौजूदा 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से कम कर टिअर-I पूंजी का 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत किया गया। इतना ही नहीं, यूसीबी के 50 प्रतिशत ऋण पोर्टफोलियो में टिअर-I पूंजी के ₹25 लाख या 0.2 प्रतिशत, जो भी अधिक है, बशर्ते प्रति उधारकर्ता/पार्टी अधिकतम ₹1 करोड़, तक के ऋण होने चाहिए। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण के लक्ष्य को वित्तीय समावेशन में यूसीबी की भूमिका को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) अथवा तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि (सीईओबीएसई), जो भी अधिक है, के मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया। इसके अलावा, यूसीबी को 31 मार्च 2021 से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों को पूरा करने के संबंध में

हुई कमी के बदले नाबार्ड के ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (आरआईडीएफ) और नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) के अन्य निधियों में अंशदान करने की आवश्यकता होगी, लिहाजा इस संबंध में दिशानिर्देशों को एससीबी के अनुरूप युक्तिसंगत बनाया जा सके।

बीआर अधिनियम, 1949 में संशोधन (सहकारी समितियों के लिए लागू)

VI.52 सहकारी बैंकों के प्रबंधन और गवर्नेन्स की गुणवत्ता में सुधार करने और रिज़र्व बैंक द्वारा उनका अधिक प्रभावशाली विनियमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने 26 जून 2020 को बीआर अधिनियम, 1949 की कतिपय धाराओं में संशोधन कर बीआर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 जारी किया है, और इस प्रकार सहकारी बैंकों के और भी कार्य क्षेत्रों को रिज़र्व बैंक के विनियामकीय परिधि में लाया गया है। अध्यादेश के माध्यम से संशोधित प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित आते हैं – कतिपय प्रकार की सहकारी समितियों पर अधिनियम का लागू नहीं होना, सहकारी बैंकों का गवर्नेन्स/प्रबंधन जिसमें पूर्ण-कालिक निदेशकों पर कुछ हद तक रोक लगाना, नियुक्ति के लिए अनुमोदन/सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसए) को हटाना, गैर-बैंकिंग आस्तियों के निपटान के लिए समय की अनुमति, पूंजी जुटाने के लिए अतिरिक्त जरिया प्रदान करना, स्वैच्छिक/अनिवार्य समामेलन, पुनर्निर्माण की योजना बनाना और रिज़र्व बैंक के आग्रह पर संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा समापन शामिल हैं। यह अध्यादेश 29 जून 2020 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वर्तमान में यूसीबी के लिए लागू हो गया है।

सहकारी बैंकों को अनुसूची में शामिल करना और उनको लाइसेंस देना

VI.53 मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड को 30 अगस्त 2019 को आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी

अनुसूची में शामिल किया गया। सुपौल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, सुपौल, बिहार को बैंकिंग लाइसेंस 19 दिसंबर 2019 को जारी किया गया।

डीसीसीबी का समामेलन

VI.54 भारत में अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना में त्रि-स्तरीय संरचना शामिल हैं, जिसमें राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) प्रत्येक राज्य में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करते हैं, डीसीसीबी मध्यवर्ती (जिला) स्तर पर और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) बुनियादी (गांव) स्तर पर कार्य करते हैं। हालांकि, यह संरचना अलग-अलग राज्यों के लिए भिन्न है, जिसमें भारत में कुछ राज्यों में दो-स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं, जैसे, केवल एसटीसीबी और पीएसीएस। रिज़र्व बैंक द्वारा 2012 में गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : श्री प्रकाश बख्शी) की सिफारिशों के आधार पर कुछ राज्य सरकारों ने दो-स्तरीय संरचना को अधिक प्रभावशाली पाया है। अगस्त 2017 में, केरल सरकार ने केरल राज्य सहकारी बैंक (केएसटीसीबी) में अपने चौदह डीसीसीबी के समामेलन को लेकर प्रस्ताव रखा था और 03 अक्टूबर 2018 को रिज़र्व बैंक ने समामेलन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था जो उसके द्वारा निर्धारित शर्तों और नाबार्ड द्वारा लगाई गई अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है। 07 अक्टूबर 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा समामेलन (मलप्पुरम डीसीसीबी को छोड़कर) के लिए अंतिम अनुमोदन दिया गया, बशर्ते माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए और केरल सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए, ताकि निरंतर आधार पर 9 प्रतिशत का जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात सुनिश्चित किया जा सके। तदनुसार, 29 नवंबर 2019 को केएसटीसीबी में तेरह डीसीसीबी का समामेलन किया गया।

VI.55 राज्य में डीसीसीबी का पंजाब राज्य सहकारी बैंक में समामेलन को लेकर पंजाब सरकार को 08 जून 2020 को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन भी प्रदान किया गया, जो रिज़र्व बैंक

द्वारा निर्धारित शर्तों और नाबार्ड द्वारा लगाई गई, यदि कोई, अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है।

अन्य पहल

VI.56 यूसीबी क्षेत्र में समेकन को बढ़ावा देने के लिए नीति फ्रेमवर्क के निर्माण को लेकर चर्चा पत्र तैयार करने पर विचार किया गया है, जो फिलहाल प्रक्रियाधीन है।

2020-21 की कार्य-योजना

VI.57 वर्ष 2020-21 में सहकारी बैंकों की कार्य-योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने और जमाकर्ताओं व उधारकर्ताओं की हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सहकारी बैंकों के विनियामकीय फ्रेमवर्क को परिष्कृत करना;
- यूसीबी में पूंजी पर्याप्तता को लेकर विनियामकीय फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने के लिए चर्चा पत्र तैयार करना;
- एसटीसीबी और डीसीसीबी के लिए एसएफ लागू करना; और
- सर्व-समावेशी निर्देशों के अंतर्गत आने वाले कमजोर यूसीबी का तेजी से समाधान।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.58 एनबीएफसी, वाणिज्यिक बैंकों के प्रयासों में सहयोग कर ऋण प्रदान करने, अंतिम मील तक वित्तीय मध्यस्थता करने और आला क्षेत्रों को सेवा पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करती हैं। डीओआर – एनबीएफसी को एनबीएफसी क्षेत्र के विनियमन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.59 विभाग ने वर्ष 2019-20 में एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- एनबीएफसी श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाना (उत्कर्ष) [पैरा VI.60]; और
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के लिए उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) जारी करना [पैरा VI.61].

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

एनबीएफसी श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाना

VI.60 एनबीएफसी की तीन श्रेणियों, नामतः, आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी), ऋण कंपनियों (एलसी) और निवेश कंपनियों (आईसी) का विलय एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) नामक एक नई श्रेणी में किया गया। एनबीएफसी की अन्य श्रेणियों के विलय को लेकर व्यवहार्यता की जांच की गई और यह निर्णय किया गया कि फिलहाल यथा स्थिति को जारी रखा जाए।

एआरसी के लिए एफपीसी जारी करना

VI.61 एआरसी के बोर्ड को अपनी संभावना और दायरे को बढ़ाने की इजाजत देते हुए एआरसी के कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षाओं के साथ एफपीसी जारी किया गया। एफपीसी में अन्य बातों के साथ-साथ, आस्तियों के अधिग्रहण व बिक्री, उचित शुल्क और शिकायत निवारण प्रक्रिया के लिए एक पारदर्शी व गैर-पक्षपातपूर्ण प्रथाओं को शामिल किया गया है।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

VI.62 रिजर्व बैंक ने मुख्य निवेश कंपनियों (सीआईसी) समेत एनबीएफसी के आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन के संबंध में दिशानिर्देशों में संशोधन किया। संशोधित दिशानिर्देशों में ग्रैनुलर मेच्युरिटी बकेट और छूट सीमाओं, तथा चलनिधि जोखिम निगरानी साधनों को अपनाने के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। एनबीएफसी को सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाते हुए संरचनात्मक और गतिशील चलनिधि को मापने के अतिरिक्त, स्टॉक दृष्टिकोण का प्रयोग करने, दबाव परीक्षण करने और धन के विविधिकरण के लिए उपाय करने के जरिए चलनिधि पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। फ्रेमवर्क के अनुसार 01 दिसंबर 2020 से

₹10,000 करोड़ और इससे अधिक आस्ति आकार वाली सभी एनबीएफसी-डी एवं एनबीएफसी-एनडी के लिए शुरुआती तौर पर 50 प्रतिशत तथा ₹5,000 करोड़ और इससे अधिक, किंतु ₹10,000 करोड़ से कम आस्ति आकार वाली एनबीएफसी-एनडी के लिए 30 प्रतिशत चलनिधि बफर बनाए रखने की आवश्यकता है जो 01 दिसंबर 2024 तक 100 प्रतिशत पर पहुंच जाए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) के संबंध में हाउसहोल्ड आय और उधार सीमाओं की समीक्षा

VI.63 एनबीएफसी-एमएफआई आर्थिक पिरामिड के निचले हिस्से में रहने वालों को ऋण प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करती हैं। बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनके महत्व के मद्देनज़र, एनबीएफसी-एमएफआई के उधारकर्ताओं की हाउसहोल्ड आय सीमाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में ₹1,00,000 के वर्तमान स्तर और शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों के मामले में ₹1,60,000 के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर क्रमशः ₹1,25,000 और ₹2,00,000 किया गया। इतना ही नहीं, एनबीएफसी-एमएफआई की उधार सीमाओं को प्रति योग्य उधारकर्ता ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,25,000 किया गया।

लेखा समूहक (एए) ईकोसिस्टम के सभी सहभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश

VI.64 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - लेखा समूहक (एनबीएफसी-एए) विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों और इंटरफेस का उपयोग कर वित्तीय क्षेत्र विनियामकों में फैली विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित ग्राहक की वित्तीय जानकारी का समेकन करता है। रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (आरईबीआईटी) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) पर आधारित कतिपय कोर तकनीकी विनिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एए ईकोसिस्टम के सहभागियों, नामतः एनबीएफसी-एए, वित्तीय सूचना प्रदाताओं और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं के लिए निर्धारित की गई है ताकि डेटा के सुरक्षित, प्राधिकृत और निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके। डेटा के प्रवाह के लिए बनाए गए ओपन एपीआई आधारित विनिर्देश और स्वीकृत संरचना एए

ईकोसिस्टम की पूरी क्षमता को प्राप्त करने में लंबी दूरी तय करेंगे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – समकक्षीय उधार प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी) पर उधारदाताओं की सीमाओं की समीक्षा

VI.65 सभी समकक्षीय उधार (पी2पी) प्लेटफॉर्म के जरिए किसी अमुक समय में सभी उधारकर्ताओं को उधारदाता के कुल एक्सपोज़र को ₹10,00,000 से बढ़ाकर ₹50,00,000 किया गया। धन के अंतरण के लिए बैंक-प्रवर्तित ट्रस्टी(ज़) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एस्करो अकाउंट की देखरेख अनिवार्य रूप से उस बैंक द्वारा की जानी चाहिए जिसने ट्रस्टी का प्रवर्तन किया है।

न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी) संबंधी आवश्यकता में अस्थायी तौर पर ढील देना

VI.66 अपनी पात्र आस्तियां प्रतिभूत करने/सौंपने के लिए एनबीएफसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 साल से अधिक के वास्तविक परिपक्वता वाले ऋणों के संबंध में प्रवर्तक एनबीएफसी के लिए एमएचपी संबंधी आवश्यकता को लेकर नवंबर 2018 में ढील दी गई। यह ढील, जो शुरुआती तौर पर छह महीनों, अर्थात्, मई 2019 तक की अवधि के लिए दी गई थी, बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 तक और फिर 30 जून 2020 तक कर दी गई।

इंड एस का कार्यान्वयन

VI.67 उच्च गुणवत्ता और सतत कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के साथ ही तुलना और बेहतर पर्यवेक्षण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एनबीएफसी और एआरसी के संबंध में इंड एस के विशिष्ट विवेकपूर्ण पहलुओं को लेकर कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में गवर्नेन्स फ्रेमवर्क, त्रुटि रिज़र्व समेत संभावित ऋण हानि के लिए विवेकपूर्ण फ्लोर, विनियामकीय पूंजी और विनियामकीय अनुपातों की गणना के लिए कतिपय सिद्धांतों आदि को शामिल किया गया है।

एचएफसी का विनियमन

VI.68 एनएचबी अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत, एनएचबी द्वारा एचएफसी का विनियमन और पर्यवेक्षण किया

गया है। समय के साथ-साथ एनएचबी के अधिकार का दायरा बढ़ा है और इसने उक्त क्षेत्र में पुनर्वित्तदाता और ऋणदाता की भूमिका निभाई। अधिदेश के परस्पर-विरोधी पहलुओं को पहचानते हुए केंद्रीय बजट 2019-20 ने 09 अगस्त 2019 को आवास वित्त क्षेत्र के विनियामकीय अधिकार को रिजर्व बैंक को वापस कर दिया और पर्यवेक्षण व शिकायत निवारण प्रक्रिया को एनएचबी के पास बरकरार रखा।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड

VI.69 दिनांक 07 फरवरी 2020 को यह निर्णय किया गया कि सीआरई सेक्टर के प्रॉजेक्ट के लिए डीसीसीओ के आस्थगन संबंधी दिशानिर्देशों को एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी द्वारा धारित गैर-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक्सपोजरों के दिशानिर्देशों के साथ युक्तिसंगत बनाया जाए। इन दिशानिर्देशों में आवश्यक परिवर्तन कर एनबीएफसी को इसके दायरे में लाया गया।

दिवालियापन समाधान और एनबीएफसी की परिसमापन कार्यवाहियां

VI.70 भारत सरकार ने अपने दिनांक 15 नवंबर 2019 की अधिसूचना द्वारा बैंकों के अलावा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के दायरे में लाया। आईबीसी के तहत इस विशेष फ्रेमवर्क का अनिवार्य रूप से लक्ष्य किसी आपातकाल से निपटने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्य करना है, जिसके लिए बैंकों और अन्य प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एफएसपी के वित्तीय समाधान के लिए एक पूर्ण-विकसित कानून बनाना विचाराधीन है। तत्पश्चात, भारत सरकार ने दिनांक 18 नवंबर 2019 की अधिसूचना द्वारा रिजर्व बैंक को अधिकार दिया कि वह ₹500 करोड़ अथवा इससे अधिक आस्ति आकार वाली एचएफसी समेत एनबीएफसी के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू कर सकता है। इस फ्रेमवर्क के तहत रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2019 में एक समस्याग्रस्त एचएफसी के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू की।

डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकों और एनबीएफसी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण : एफपीसी और आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों का अनुपालन

VI.71 यह पाया गया है कि वित्त क्षेत्र में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आए हैं जो खुदरा व्यक्तियों, छोटे व्यापारियों और अन्य उधारकर्ताओं को चिंता मुक्त उधार देने का दावा करते हैं। अपने ग्राहकों को उधार देने के लिए बैंकों और एनबीएफसी को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। इसके अतिरिक्त, जहां कुछ एनबीएफसी 'डिजिटल-मात्र' ऋणदात्री संस्थाओं के रूप में रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत हैं वहीं कुछ एनबीएफसी डिजिटल और ब्रिक-मॉर्टर दोनों ऋण वितरण माध्यमों से काम करने के लिए पंजीकृत हैं। लिहाजा, यह पाया गया है कि बैंक और एनबीएफसी या तो सीधे अपने निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अथवा किसी आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उधार देते हैं। ये लेंडिंग प्लेटफॉर्म बैंकएंड में बैंक/एनबीएफसी के नाम को स्पष्ट किए बिना स्वयं को ऋणदाता के रूप में दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप, ग्राहक विनियामकीय फ्रेमवर्क के तहत उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेनदेनों में अपारदर्शिता और वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों तथा बैंकों और एनबीएफसी को जारी एफपीसी के उल्लंघन को लेकर की जा रही चिंताओं का समाधान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने इस संबंध में दिशानिर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन करने की जरूरत पर जोर दिया है।

अन्य पहल

VI.72 वर्ष 2019-20 के दौरान की गई कुछ अन्य पहल इस प्रकार हैं :

- रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि एनबीएफसी कारोबार के अलावा, जमानतदार(रों) सहित या रहित, अन्य प्रयोजन के लिए वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर कोई अस्थायी दर मीयादी ऋण पर पुरोबंध प्रभार/ पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं लगाएगा।

- एनबीएफसी को जिले के विभिन्न शाखाओं से स्वर्ण आभूषण जमा करने और इसे जिले में ही किसी ठिकाने पर नीलाम करने की अनुमति दी गई, यदि पहली नीलामी नाकामियाब होती है।
- आवास वित्त संस्थाओं को आरबीआई अधिनियम के अध्याय IIIबी (धारा 45-आईए को छोड़कर) के प्रावधानों से मिली छूट को 11 नवंबर 2019 से वापस ले लिया गया।
- द्विपक्षीय लेनदेनों में पारदर्शिता एवं साथ ही बेहतर मूल्य निर्धारण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए एआरसी को सूचित किया गया कि वे अपने ऋणदाताओं, प्रायोजकों अथवा समूह संस्थाओं से वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण स्वतंत्र आधार पर नीलामियों के जरिए, जो पारदर्शी विधि से होती है, और बाजार प्रभावों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर करें।

2020-21 की कार्य-योजना

VI.73 वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग एनबीएफसी को लेकर निम्नलिखित लक्ष्य रखेगा :

- बैंकों और एनबीएफसी के बीच विनियामकीय अंतरापणन की समीक्षा करना - एनबीएफसी के विनियमों को बैंकों के विनियमों के साथ युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से (उत्कर्ष);

- एनबीएफसी के विनियमन को लेकर पैमाना-आधारित दृष्टिकोण रखना - 'प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण' कुछ एक एनबीएफसी, जो वित्तीय स्थिरता को संभवतः प्रभावित कर सकते हैं, की पहचान करने एवं साथ ही एनबीएफसी के लिए श्रेणीबद्ध विनियामकीय फ्रेमवर्क अपनाने की दृष्टि से;
- एचएफसी के संबंध में मूल निर्देश जारी करना - आवास वित्त शब्द को परिभाषित करने, प्रमुख व्यावसायिक मानदंड की शुरुआत, एचएफसी के लिए अर्हक आस्तियों, बतौर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एचएफसी के वर्गीकरण, आदि को लेकर प्रस्ताव जनता की राय हेतु वेबसाइट पर 17 जून 2020 को उपलब्ध कराए गए थे और संशोधित विनियम ऐसी राय प्राप्त करने के बाद जारी किया जाएगा; और
- सीआईसी दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा - सीआईसी की हालिया नाकामी और गैर-बैंकिंग वित्त क्षेत्र पर उसका बुरा असर पड़ने के मद्देनजर रिजर्व बैंक द्वारा सीआईसी की विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के उद्देश्य से एक कार्य-दल (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशें सीआईसी के संपूर्ण नीतिगत दृष्टिकोण को एक रूप प्रदान करेगा (बॉक्स VI.3)।

बॉक्स VI.3

मूल निवेश कंपनियां (सीआईसी)

हालिया बदलाव ने सीआईसी की संगठनात्मक संरचना, एक समूह में कई सीआईसी का अस्तित्व में होने और उनके अति कर्जभारित होने पर ध्यान केंद्रित किया है। सीआईसी (अध्यक्ष : श्री तपन रे) के विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए 03 जुलाई 2019 को गठित कार्य-दल (डब्ल्यूजी) ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

- एक सीआईसी द्वारा किसी दूसरी सीआईसी में किए गए पूंजी अंशदान को अति-कर्जभार के मुद्दे का हल करने के लिए निवेश करने वाली सीआईसी की समायोजित निवल मालियत (एएनडब्ल्यू) की गणना में शामिल नहीं किया जाना है।
- मूल सीआईसी समेत किसी एक समूह में सीआईसी के स्तरों की संख्या केवल दो तक सीमित हो सकती है।
- समूह जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी) की स्थापना करना ताकि

औपचारिक और संरचनात्मक तरीके से कई व्यावसायिक सीमाओं में होने वाले जोखिमों का आकलन किया जा सके।

- सीआईसी समूह के लिए एक समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेंगे और यह सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा एक सीमित समीक्षा के अधीन होंगे।
- निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए सीआईसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया जा सकता है; सीआईसी को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना चाहिए।

निचोड़ यह है कि ये सिफारिशें कारोबार की आवश्यकताओं और एक जिम्मेदार गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जरूरत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं।

स्रोत : आरबीआई।

4. वित्तीय मध्यस्थों का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)

वाणिज्यिक बैंक

VI.74 बैंकिंग क्षेत्र में, डीओएस – बैंक ने वर्ष के दौरान एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), एलएबी, भुगतान बैंक (पीबी), एसएफबी, ऋण सूचना कंपनियों और एआईएफआई की पर्यवेक्षी निगरानी में पैनापन लाने के लिहाज से कई सारे उपाय किए।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.75 विभाग ने उत्कर्ष के तहत 2019-20 के दौरान एससीबी के पर्यवेक्षण को लेकर निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- कारगर तरीके से जोखिम का पता लगाना और सक्रिय ऑफ-साइट पर्यवेक्षण प्रणाली (पैरा VI.76 - VI.77);
- बैंकों में बेहतर लेखापरीक्षा व्यवस्था (पैरा VI.78 - VI.80); और
- संवर्धित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (पैरा VI.81 - VI.84).

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

ऑफ-साइट पर्यवेक्षण प्रणाली

VI.76 वर्ष 2019-20 के दौरान प्रमुख जोखिम स्वरूपों का पता लगाकर बैंकिंग व्यवस्था के प्रणाली-व्यापी विश्लेषण को सुदृढ़ किया गया। विभाग ने गहराई से जांच करने हेतु विसंगतियों का पता लगाने के संबंध में सितंबर 2019 से बैंकों के लिए एक विस्तृत 'पैनी नज़र और सक्रिय संकेतकों से युक्त तिमाही ऑफ-साइट निगरानी' शुरू कर दी, जिसका अनुकरण अन्य एसई के लिए भी किया गया।

VI.77 वर्ष के दौरान, सीआरआईएलसी के हिस्से के रूप में संग्रह किए जाने वाले डेटा की आवधिकता को तिमाही से

बढ़ाकर मासिक किया गया और चूक के संबंध में डेटा साप्ताहिक आधार पर संग्रह किए जा रहे हैं। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, समरी डोज़ियर्स, संस्था-स्तरीय रिपोर्टें और प्रौद्योगिकीय समाधान रिज़र्व बैंक – केंद्रीकृत सूचना और प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) की दुरुस्त डेटा वेयरहाउस प्रणाली के भाग हैं।

प्रक्रिया लेखापरीक्षा

VI.78 सतत निगरानी फ्रेमवर्क के भाग के रूप में बैंकों की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की प्रक्रिया लेखापरीक्षा को मौजूदा व्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया गया है।

समवर्ती और सांविधिक लेखापरीक्षा प्रणाली

VI.79 समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया जो व्यापक निर्धारित मापदंडों के तहत समवर्ती लेखापरीक्षा की संभावना और दायरे का पता लगाने के लिए बैंकों को अधिकार देता है। यह बैंकों में केंद्रीकरण के भिन्न-भिन्न स्तरों, अलग-अलग बैंकों के विविध स्वरूप के क्रियाकलापों और लघु वित्त बैंकों व भुगतान बैंकों द्वारा परिचालन कार्यों की शुरुआत के मद्देनज़र अनिवार्य था।

VI.80 पीएसबी के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक वेब-आधारित लेखापरीक्षक आवंटन प्रणाली लागू की गई थी। इससे शाखा के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में लगने वाला समय घटने की उम्मीद की जाती है।

धोखाधड़ियों का विश्लेषण

VI.81 वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकों/एफआई द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों (₹1 लाख और उससे अधिक) के कुल मामलों में मात्रा के हिसाब से 28 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 159 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (सारणी VI.2)। हालांकि, धोखाधड़ी की ये घटनाएं पिछले कई वर्षों की अलग-अलग तारीखों में हुई हैं।

VI.82 संख्या और मूल्य दोनों संदर्भों में धोखाधड़ी की घटनाएं मुख्यतः ऋण पोर्टफोलियो (अग्रिम श्रेणी) में होती हैं। बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों का संकेंद्रण देखने को मिलता है,

सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले – बैंक समूह-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह/संस्था	2018-19		2019-20		अप्रैल-जून 2019		अप्रैल-जून 2020	
	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सरकारी क्षेत्र के बैंक	3,568 (52.5)	63,283 (88.5)	4,413 (50.7)	1,48,400 (79.9)	1,133 (56.0)	31,894 (75.5)	745 (47.8)	19,958 (69.2)
निजी क्षेत्र के बैंक	2,286 (33.6)	6,742 (9.4)	3,066 (35.2)	34,211 (18.4)	601 (29.7)	8,593 (20.3)	664 (42.6)	8,009 (27.8)
विदेशी बैंक	762 (11.2)	955 (1.3)	1026 (11.8)	972 (0.5)	250 (12.4)	429 (1.0)	127 (8.2)	328 (1.1)
वित्तीय संस्थाएं	28 (0.4)	553 (0.8)	15 (0.2)	2,048 (1.1)	4 (0.2)	1,311 (3.1)	3 (0.2)	546 (1.9)
लघु वित्त बैंक	115 (1.7)	8 (0.0)	147 (1.7)	11 (0.0)	25 (1.2)	1 (0.0)	16 (1.0)	2 (0.0)
भुगतान बैंक	39 (0.6)	2 (0.0)	38 (0.4)	2 (0.0)	10 (0.5)	0 (0.0)	3 (0.2)	0 (0.0)
स्थानीय क्षेत्र के बैंक	1 (0.0)	0.02 (0.0)	2 (0.0)	0.43 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
कुल	6,799 (100.0)	71,543 (100.0)	8,707 (100.0)	1,85,644 (100.0)	2,024 (100.0)	42,228 (100.0)	1,558 (100.0)	28,843 (100.0)

नोट : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में हिस्सेदारी (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. बैंक और एफआई द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में उनके द्वारा दर्ज संशोधनों के आधार पर बदलाव किए जाएंगे।
3. रिपोर्ट की गई शामिल राशि से हानि हुई राशि का पता नहीं चलता है। वसूली के आधार पर हुई हानि कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, यह जरूरी नहीं है कि शामिल समग्र राशि को दूसरे काम में लगाया जाता है।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

जिसमें शीर्ष के 50 जमा-संबंधी धोखाधड़ियों का 2019-20 के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की कुल राशि में 76 प्रतिशत हिस्सा होता है। बैंकिंग के अन्य क्षेत्रों से जुड़ी घटनाएं, जैसे, तुलनपत्रेतर और फोरेक्स लेनदेन, गत वर्ष की तुलना में 2019-20 में कम हुईं (सारणी VI.3)।

VI.83 जहां धोखाधड़ी का फ्रेमवर्क रोकथाम, समय-पूर्व पता लगाने और त्वरित रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करता है वहीं धोखाधड़ियों का पता लगाने में औसत अंतराल का अधिक होना बरकरार है। वर्ष 2019-20 के दौरान धोखाधड़ी की घटनाओं की तारीख और बैंकों/एफआई द्वारा उनका पता लगाने के बीच का औसत अंतराल 24 माह था। तथापि, बड़ी धोखाधड़ी, अर्थात्, ₹100 करोड़ और उससे अधिक, के मामलों में औसत अंतराल 63 माह था। इनमें से कई खातों में ऋण सुविधा बहुत पहले ही संस्वीकृत की गई थी। बैंकों द्वारा पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) का खराब कार्यान्वयन, आंतरिक लेखापरीक्षाओं के दौरान ईडब्ल्यूएस का पता नहीं

लगा पाना, फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा असहयोग, अनिर्णायक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, और ऋणदाताओं की संयुक्त बैठकों में निर्णय लेने की कमी के कारणों से धोखाधड़ियों का पता लगाने में विलंब होता है। समवर्ती लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने के साथ ही ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया को दुरुस्त किया जा रहा है जिसमें जांच योग्य उधारकर्ता खातों का यथासमय और निर्णायक फॉरेंसिक ऑडिट शामिल है।

बैंकिंग धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफ)

VI.84 एबीबीएफ का गठन केंद्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से बनाया गया है। एबीबीएफ, पीएसबी द्वारा जांच एजेंसियों को सिफारिशें करने के पूर्व, सभी बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ी के मामलों की जांच के प्रथम स्तर के रूप में कार्य कर रहा है। एबीबीएफ का अधिकार-क्षेत्र केवल उन मामलों तक सीमित होगा जिनमें बैंकों के महाप्रबंधक (जीएम) और उससे ऊपर के स्तर शामिल हैं।

सारणी VI.3: धोखाधड़ी के मामले – कार्य क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

कार्य क्षेत्र	2018-19		2019-20		अप्रैल-जून 2019		अप्रैल-जून 2020	
	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अग्रिम	3,604 (53.0)	64,548 (90.2)	4,610 (52.9)	1,82,051 (98.1)	1,157 (57.2)	40,373 (95.6)	787 (50.5)	28,545 (99.0)
तुलनपत्रेतर	33 (0.5)	5538 (7.7)	34 (0.4)	2445 (1.3)	9 (0.5)	1,739 (4.1)	4 (0.3)	105 (0.4)
फोरेक्स लेनदेन	13 (0.2)	695 (1.0)	8 (0.1)	54 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)
कार्ड/इंटरनेट	1,866 (27.5)	71 (0.1)	2,678 (30.8)	195 (0.1)	555 (27.4)	29 (0.1)	530 (34.0)	27 (0.1)
जमाराशियां	593 (8.7)	148 (0.2)	530 (6.1)	616 (0.3)	127 (6.3)	66 (0.2)	115 (7.4)	107 (0.4)
अंतर-शाखा खातों	3 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.1)	0 (0.0)
नकदी	274 (4.0)	56 (0.1)	371 (4.3)	63 (0.0)	75 (3.7)	4 (0.0)	52 (3.3)	15 (0.0)
चेक/डीडी*, आदि	189 (2.8)	34 (0.1)	202 (2.3)	39 (0.0)	47 (2.3)	5 (0.0)	27 (1.7)	32 (0.1)
समाशोधन खातों, आदि	24 (0.4)	209 (0.3)	22 (0.2)	7 (0.0)	11 (0.5)	6 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
अन्य	200 (2.9)	244 (0.3)	250 (2.9)	174 (0.1)	43 (2.1)	6 (0.0)	40 (2.6)	12 (0.0)
कुल	6,799 (100.0)	71,543 (100.0)	8,707 (100.0)	1,85,644 (100.0)	2,024 (100.0)	42,228 (100.0)	1,558 (100.0)	28,843 (100.0)

डीडी : डिमांड ड्राफ्ट

नोट : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में हिस्सेदारी (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

2. उपर्युक्त आंकड़े कथित अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ियों के संबंध में हैं।

स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

अन्य पहलें

VI.85 वर्ष 2019-20 के दौरान की गई कुछ अन्य पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), भारतीय सांख्यिकीय संस्था (आईएसआई) तथा बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विश्लेषिकी के संबंध में एक स्थायी समिति गठित की गई, ताकि वे सूपटेक में उद्योग मानकों,

व्यावसायिक बुद्धिमत्ता में सर्वोत्तम प्रथाओं और रिस्क मॉडलिंग के लिए डेटा ऐनलिटिक्स को अपनाने का कार्य देखें जिससे पर्यवेक्षी प्रबंधकों को बेहतर जानकारी प्राप्त होगी।

- गवर्नेन्स के अलावा, समष्टि-आर्थिक, पर्यावरण संबंधी और सामाजिक-आर्थिक कारकों का वित्तीय प्रणाली की सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। लिहाजा, एकीकृत पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क में पर्यावरण, समाज और गवर्नेन्स (ईएसजी) के सिद्धांतों के आधार पर प्रकटीकरणों को शामिल किए जाने से वित्तीय समूहों के समेकित पर्यवेक्षण में बहुत आसानी होगी (बॉक्स VI.4)।

बॉक्स VI.4

पर्यावरण, समाज और गवर्नेन्स (ईएसजी) संबंधी नीति

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 2004 में ईएसजी कारकों को पूंजी बाजार में एकीकृत करने की पहल करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को आमंत्रित किया था और यहीं से ईएसजी नीति की उत्पत्ति हुई है। वर्ष 2006 में यूएन ने जिम्मेदार निवेश के छह सिद्धांतों (पीआरआई) को लागू किया जो निवेशकों के लिए ईएसजी कारकों को उनके निवेश की प्रथाओं के साथ जोड़ देने और एक स्थायी वैश्विक वित्तीय प्रणाली का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी हाल में, ईएसजी-आधारित निवेश को एक जिम्मेदार निवेश के रूप में देखा जाता है, और मुख्यधारा वाले निवेश के संबंध में निर्णय करते समय ईएसजी सिद्धांतों पर विचार किया जाता है।

बुनियादी स्तर पर, ईएसजी कारक जलवायु परिवर्तन जोखिमों जैसी पर्यावरण संबंधी संवेदनशीलताओं के बावजूद फर्मों की लंबे समय तक संवहनीयता सुनिश्चित करता है जिसका वित्तीय क्षेत्र पर दो बड़े चैनलों, अर्थात्, भौतिक जोखिमों (विशिष्ट मौसम की घटनाओं और लंबे समय के जलवायु परिवर्तन से होने वाले) और परिवर्तनकालिक जोखिमों (जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए गए प्रयासों से उत्पन्न होने वाले) के जरिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे नहीं अपनाने से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों में उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता में अत्यधिक हास हो सकता है; जलवायु परिवर्तन के प्रति सरकारी/सामाजिक कार्यवाहियों के चलते बिज़नेस मॉडल पर असर पड़ सकता है; प्राकृतिक आपदाओं की वजह से दावों में वृद्धि का बीमा फर्मों की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ सकता है; और दीर्घकालिक चलनिधि प्रभावित हो सकता है।

विभिन्न देशों के सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अन्य विनियामकों ने अपनी वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थाओं के लिए ईएसजी सिद्धांतों को अपनाया है और उसका प्रकटीकरण किया है। दिसंबर 2015 में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने कॉर्पोरेट हेतु जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिम प्रकटीकरण फ्रेमवर्क विकसित करने के उद्देश्य से जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण (टीसीएफडी) कार्य दल का गठन किया। यूनाइटेड किंगडम (यूके) के विवेकपूर्ण विनियम प्राधिकरण (पीआरए) ने वित्तीय संस्थाओं को स्वैच्छिक आधार पर टीसीएफडी दिशानिर्देशों का पालन करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है। दिसंबर 2017 में 'वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क' (एनजीएफएस) की स्थापना की गई। 24 जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार, 69 केंद्रीय बैंक और विनियामक एनजीएफएस में शामिल हो गए हैं। नेटवर्क द्वारा केंद्रीय बैंकों, पर्यवेक्षकों, नीति निर्माताओं और वित्तीय संस्थाओं के लिए छह सिफारिशें की गईं ताकि वे वित्तीय प्रणाली को हरित करने और पर्यावरण एवं जलवायु-संबंधित जोखिमों को नियंत्रण में करने के लिए अपनी भूमिका को बढ़ाएं। वर्ष 2018 में, यूरोपीय आयोग ने संवहनीय वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाई जिसमें स्थायी वित्त को प्रोत्साहित करना, निवेश निर्णय मॉडलों में ईएसजी सिद्धांतों को आत्मसात कर वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करना, क्रेडिट रेटिंग और अनुसंधान में संवहनीयता मेट्रिक्स को

शामिल करना, ईएसजी कारकों के संबंध में कॉर्पोरेट द्वारा प्रकटीकरण के मानदंडों को मजबूत बनाना, तथा कॉर्पोरेट गवर्नेन्स को सुदृढ़ करना शामिल है। चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन (सीएसआरसी) ने सूचीबद्ध कंपनियों को निदेश दिया कि वे 2020 तक ईएसजी जोखिमों का आकलन और प्रकटीकरण करें।

भारत में की गई पहलें

भारत में, रिजर्व बैंक ने 2007 में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, सतत विकास और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग (चक्रवर्ती, 2011) के विषय में दिशानिर्देश जारी करते हुए मुख्य भूमिका निभायी। वर्ष 2009 में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने सभी कॉर्पोरेट को सुझाव दिया कि वे कॉर्पोरेट के पर्यावरण-संबंधी, सामाजिक और आर्थिक दायित्वों के संबंध में राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के अनुरूप कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति का निर्माण करें। कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की समिति (अध्यक्ष : श्री उदय कोटक) की सिफारिशों के आधार पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई पहलों ने भारत में ईएसजी निवेश की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में भी योगदान किया। कुछ अन्य पहलों में मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनैशनल (एमएससीआई) इंडिया, 2013 में ईएसजी लीडर्स इंडेक्स का प्रारंभ और मुंबई शेयर बाजार (बीएसई) तथा राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) का यूएन के सतत स्टॉक एक्सचेंज पहलों का हिस्सा बनना शामिल है।

भावी राह

सुसंगत कार्य-पद्धतियों की कमी, रिपोर्टिंग की उच्च लागत और जटिल समीक्षा प्रक्रियाओं की वजहों से कॉर्पोरेट के लिए ईएसजी मानदंड को उनके बिज़नेस मॉडल में शामिल करना चुनौतिपूर्ण हो जाता है। भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विश्व स्तर पर सबसे गंभीर होने की संभावना को देखते हुए जलवायु खतरों से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों का पता लगाने, आकलन करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक समुचित फ्रेमवर्क की जरूरत अनिवार्य हो गई है। केंद्रीय बैंकों और विनियामकों को चाहिए कि वे ईएसजी निवेश शब्दावली के मानकीकरण, फर्मों के लिए एक मानक प्रकटीकरण प्रारूप के डिजाइन, और वित्तीय स्थिरता आकलनों में ईएसजी सिद्धांतों को शामिल करने के माध्यम से ईएसजी सिद्धांतों के प्रसार में नेतृत्व प्रदान करें।

संदर्भ :

1. एनजीएफएस (2018), 'ए कॉल फॉर एक्शन – क्लाइमेट चेंज एस ए सोर्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क ।'
2. के.सी. चक्रवर्ती (2011), 'नॉन-फाइनेंशियल रिपोर्टिंग – व्हाट, वाइ एंड हाउ – इंडियन पर्सपेक्टिव ।'
3. फाइनेंशियल टाइम्स, 'सेन्ट्रल बैंक्स ट्यून इन्टू क्लाइमेट चेंज', 18 अक्टूबर 2019.

2020-21 की कार्य-योजना

VI.86 विभाग ने 2020-21 में एससीबी के पर्यवेक्षण को लेकर निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए :

- बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) की भूमिकाओं और अधिकार को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत निदेशात्मक फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा; सीसीओ से जो अपेक्षाएं हैं उसे सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप करने के अलावा दृष्टिकोण में एकरूपता लाना (उत्कर्ष) ;
- वित्तीय प्रणाली की सेहत को मजबूत बनाने के लिए जोखिम और अनुपालन संस्कृति एवं एससीबी की व्यावसायिक कार्यनीतियों का आकलन करना, जिसमें जलवायु परिवर्तन से होने वाले विशिष्ट जोखिमों और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विशेष ध्यान देना शामिल है (उत्कर्ष) ; और
- विभाग केवाईसी/एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) से जुड़े पर्यवेक्षी डेटा जुटाने की प्रक्रिया को और मजबूत करेगा, जिससे केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के संबंध में जोखिम की बेहतर पहचान, जोखिम मूल्यांकन और केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के संबंध में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) प्रक्रियाओं, और जोखिम-आधारित केवाईसी/ एएमएल निरीक्षण हेतु बैंकों के जोखिम प्रोफाइल के लिए एक मॉडल तैयार करने में सुविधा होगी।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.87 सहकारी संस्था जगत में, डीओएस – सहकारी बैंक ने एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का निर्माण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान यूसीबी की आवधिक ऑन-साइट व सतत ऑफ-साइट निगरानी की।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.88 विभाग ने उत्कर्ष के तहत 2019-20 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- कमियों का समय-पूर्व आकलन और यथासमय पर्यवेक्षी कार्रवाई करने के लिए अधिक बारंबारता वाली रिपोर्ट तैयार करना (पैरा VI.89);
- यूसीबी को कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के अनुपालन योग्य बनाना (पैरा VI.90);
- सीएफआर का कार्यान्वयन (पैरा VI.91); और
- साइबर सुरक्षा निगरानी प्रणाली और सहकारी बैंकों का साइबर सुरक्षा संबंधी पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना (पैरा VI.92)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

कमियों का समय-पूर्व आकलन और समयबद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई

VI.89 चुनिंदा वित्तीय मापदंडों पर दबाव का प्रयोग करने के आधार पर सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में कमियों के समय-पूर्व आकलन के लिए मॉडल विकसित किया गया। कमजोरी का संकेत देने वाले बैंकों का पता लगाया गया और कमजोरी का समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए पहले से अधिकृत उपाय किए गए।

यूसीबी को सीबीएस अनुपालन योग्य बनाना

VI.90 दिनांक 30 जून 2020 को यथास्थिति, 1,538 यूसीबी में से 1,529 (99.4 प्रतिशत) यूसीबी ने सीबीएस लागू किया। शेष 9 यूसीबी में से 3 यूसीबी को सर्व-समावेशी निर्देशों (ऋणात्मक निवल मालियत) के तहत रखा गया है। धनात्मक निवल मालियत वाले सिर्फ 6 बैंकों द्वारा सीबीएस का कार्यान्वयन पूरा किया जाना है।

यूसीबी के लिए सीएफआर

VI.91 यूसीबी के लिए सीएफआर 2019-20 में विकसित किया गया और उपयोगकर्ता अनुमोदन परीक्षण (यूएटी) पूरा किया गया है। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, बंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में रिपोर्टिंग गुणवत्ता में सुधार और सीएफआर का कारगर तरीके से उपयोग पर ध्यान देने के उद्देश्य से धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (एफआरएम) और बैंकों

द्वारा उसकी रिपोर्टिंग के विषय में कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे में रिपोर्टिंग मुद्दों पर अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए एक अलग कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।

साइबर सुरक्षा संबंधी उपाय

VI.92 यूसीबी के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क दिसंबर 2019 में एक वर्गीकृत दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किया गया था। यूसीबी को उनकी डिजिटल गहराई और भुगतान प्रणाली परिदृश्य में अंतरसंबद्धता, उनके द्वारा पेश किए गए डिजिटल उत्पादों और साइबर सुरक्षा जोखिम के आकलन के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है।

अन्य पहलें

VI.93 वर्ष 2019-20 के दौरान की गई कुछ अन्य पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- सीआरआईएलसी रिज़र्व बैंक में बड़े पर्यवेक्षी डेटा का एक प्रमुख घटक रहा है। दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही से बड़े आकार के यूसीबी (₹500 करोड़ और उससे अधिक आस्तियों वाले) को सम्मिलित करने के लिए एक अलग सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म बनाया गया।
- यूसीबी द्वारा एक्सटेन्सिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रणाली के जरिए प्रस्तुत की गई विवरणियों को 01 अप्रैल 2019 से केंद्रीकृत निगरानी विधि के अंतर्गत लाया गया ताकि डेटा एनलिटिक संबंधी आकलनों के स्तर में वृद्धि की जा सके।
- हैंडहोल्डिंग अभ्यास के हिस्से के रूप में, विभाग ने कमजोर और संवेदनशील यूसीबी के अध्यक्ष/सीईओ/निदेशकों के साथ बैठकें/परस्पर वार्ता करने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि अभिचिन्हित संवेदनशीलताओं/कमजोरियों/पर्यवेक्षी चिंताओं और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए बैंकों द्वारा शुरू की जाने वाली कार्रवाई पर चर्चा की जा सके। इन

बैंकों को सोच-समझकर समयबद्ध कार्य-योजनाएं/लक्ष्य दी जाती हैं जिन पर कड़ी नज़र रखी जाती है।

2020-21 की कार्य-योजना

VI.94 विभाग ने 2020-21 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- चुनिंदा यूसीबी के लिए भिन्न पर्यवेक्षण प्रक्रिया शुरू करना (उत्कर्ष) ;
- यूसीबी के सीबीएस मॉड्यूल्स को सभी मुख्य कार्यों के लिए एकीकृत करना; इन मॉड्यूल्स को कारगर पर्यवेक्षण हेतु स्वचालित किया जाना (उत्कर्ष) ;
- बेहतर पर्यवेक्षी जांच हेतु यूसीबी क्षेत्र के लिए सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग का उपयोग (उत्कर्ष) ; और
- यूसीबी की निरीक्षण प्रक्रिया को आकार और आवधिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र की बदलती जरूरतों के अनुकूल बनाना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.95 एनबीएफसी के संबंध में, डीओएस - एनबीएफसी ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत संस्थाओं (एचएफसी को छोड़कर) की निगरानी की।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.96 विभाग ने उत्कर्ष के तहत वर्ष 2019-20 के लिए एनबीएफसी के पर्यवेक्षण हेतु निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- एनबीएफसी के लिए एकीकृत ऑफ-साइट निगरानी प्रणाली (पैरा VI.100 - VI.101);
- अन्य हितधारकों के साथ बातचीत (पैरा VI.102); और
- एसए द्वारा रिज़र्व बैंक के डेटाबेस में वार्षिक रिपोर्ट सीधे प्रस्तुत करना (पैरा VI.104)

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

ऑन-साइट पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना

VI.97 वर्ष के दौरान एनबीएफसी के ऑन-साइट पर्यवेक्षण को मजबूत करने में अधिक से अधिक सीआईसी और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को शामिल किया जाना और घटना आधारित दृष्टिकोण के साथ छोटी एनबीएफसी की गहनता से ऑन-साइट पर्यवेक्षण किया जाना शामिल था। इसके कारण अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वाली एनबीएफसी के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई शुरू हुई और 2019-20 के दौरान 120 एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया।

VI.98 रिजर्व बैंक द्वारा 50 शीर्ष एनबीएफसी (जो एनबीएफसी के आस्ति आकार का 76 प्रतिशत है) की बारीकी से और गहनता पूर्वक निगरानी की जाती है जिसमें उनके बही खातों की गहनतापूर्वक जांच शामिल है ताकि स्लिपेज को कम किया जा सके।

पर्यवेक्षी संरचना और प्रक्रियाएं

VI.99 एनबीएफसी के अभिशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से आरबीआई अधिनियम, 1934 में नई धारा 45-आईडी और 45-आईई को जोड़कर रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी के अतिरिक्त अन्य एनबीएफसी के निदेशकों को हटा सके, उनके बोर्ड का अधिक्रमण कर सके और प्रशासकों की नियुक्ति कर सके एवं नई धारा 45एमए के माध्यम से अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए लेखा-परीक्षक को हटा सके अथवा प्रतिबंधित कर सके। रिजर्व बैंक एनबीएफसी के समामेलन, पुनर्संरचना और विभिन्न इकाइयों में विभाजन के लिए योजनाएं भी तैयार कर सकता है। आरबीआई अधिनियम, 1934 में धारा 45एनए शामिल करके, एनबीएफसी की समूह कंपनियों को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देकर एनबीएफसी से जुड़े पक्षों की निगरानी को मजबूत किया गया है। एनबीएफसी पर लागू जुर्माना की मात्रा में भी अत्यधिक वृद्धि की गई।

आंकड़ों की गुणवत्ता और सुसंगतता

VI.100 एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एनबीएफसी द्वारा रिटर्न प्रस्तुत करने को लागू किया गया है।

यह ऑन-साइट निरीक्षण, ऑफ-साइट निगरानी और एसए से प्राप्त डेटा उपलब्ध कराएगा। सुसंगत डेटा गुणवत्ता एसई में तनाव के पूर्व चेतावनी संकेतों की पहचान को सक्षम बनाता है।

VI.101 इन-फॉर्म और क्रॉस-फॉर्म सत्यापनों के माध्यम से डेटा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक नया एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसमें रिपोर्टिंग में मानवीय त्रुटि को दूर करने के लिए उप योग और योग की स्वतः गणना का प्रावधान है और विचरण रिपोर्टों के सृजन द्वारा विभिन्न समय और विभिन्न रिटर्न के बीच आंकड़ों की संगतता की जांच की जा सकती है। एनबीएफसी से प्राप्त की जा रही सूचनाओं को गहन और विस्तृत बनाने के लिए एनबीएफसी के लिए सभी रिटर्न को संशोधित करते हुए वर्तमान के 21 से घटकर 19 करके युक्तिसंगत बनाया गया है। विभाग ने निरंतर निगरानी फ्रेमवर्क विकसित किए हैं, जो ऑफ-साइट पर्यवेक्षण के अंतर्गत उपलब्ध आंकड़ों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। इस प्रकार के आंकड़ों (उपयोग परीक्षण) के लगातार उपयोग से आंकड़ों की गुणवत्ता में और सुधार करने में मदद मिलेगी।

हितधारकों के साथ संपर्क

VI.102 एनबीएफसी, उनके एसए, सीआरए, अन्य विनियामक, बैंक और म्यूचुअल फंड सहित एनबीएफसी क्षेत्र के हितधारकों के साथ संपर्क ने इस क्षेत्र में उभरते जोखिमों की शीघ्र पहचान करना सुविधाजनक बनाया ताकि त्वरित पर्यवेक्षी हस्तक्षेप किया जा सके।

VI.103 बाजार आसूचना (एमआई) के स्रोत के रूप में कार्य करने एवं विभिन्न कंपनियों की जमाराशियों/योजनाओं से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने वाले सचेत पोर्टल को हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। इससे पंजी योजनाओं और अनधिकृत निकायों द्वारा जमा संग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का दायरा बढ़ा है।

अन्य पहलें

VI.104 एसए के लिए एक ऐसा टेम्पलेट तैयार किया गया है जो उन्हें एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेखा-

परीक्षित आंकड़ों को सीधे रिज़र्व बैंक के डेटाबेस में अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, और इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेखा-परीक्षित आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु सक्रिय किया जाएगा। आशा है कि इस पहल से विभिन्न एनबीएफसी की वित्तीय परिस्थितियों के बेंचमार्किंग में मदद मिलेगी।

2020-21 की कार्य-योजना

VI.105 विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत 2020-21 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- एनबीएफसी के पर्यवेक्षण और निगरानी की प्रभावशीलता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे- i) इंड-एस और तत्पश्चात विनियामक मार्गदर्शन/निर्देशों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना; ii) एनबीएफसी और संबंधित पक्षों के वित्तीय मापदंडों/बाजार दृष्टिकोण का निरंतर आधार पर आकलन करने के लिए एनबीएफसी संबंधित बाजार आसूचना को मजबूत किया जाएगा; iii) एनबीएफसी के बीच मजबूत अनुपालन और जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देना, और iv) पर्याप्त निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) बनाए रखने और रिटर्न प्रस्तुत करने संबंधी रिज़र्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाली एनबीएफसी को बाहर किया जाएगा।

सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी उपाय

VI.106 एक एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) बनाया गया है जिसमें बैंक, यूसीबी और एनबीएफसी का पर्यवेक्षण एक अम्ब्रेला विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से किया जाता है। इससे विनियामकीय/पर्यवेक्षी अंतरपणन, सूचना विषमता और परस्पर संबंधों पर अंतर-संस्थागत समस्याओं का समाधान होगा। एसई के लिए एक सक्रिय ऑफ-साइट निगरानी फ्रेमवर्क विकसित करते समय ऑन-साइट निरीक्षण की तीव्रता को तेज करने के लिए कई उपाय किए गए।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.107 विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत 2019-20 में सभी एसई के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- पर्यवेक्षी विभागों का एकीकरण और अधिकारियों के एक समर्पित और विशेष संवर्ग की स्थापना करके एक अत्याधुनिक पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को सुनिश्चित करना (पैरा VI.108 - VI.109);
- ऑन-साइट पर्यवेक्षण, ऑफ-साइट निगरानी और एमआई को मजबूत करना (पैरा VI.111 – VI.112);
- एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रेकिंग प्रणाली (आईसीएमटीएस) का विकास [पैरा VI.116];
- साइबर सुरक्षा निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना (पैरा VI.117 - VI.118); और

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

पर्यवेक्षी विभागों का एकीकरण

VI.108 01 नवंबर 2019 से पर्यवेक्षण कार्य को सभी पर्यवेक्षी विभागों अर्थात बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) और गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) को एक विभाग में मिलाकर एक एकीकृत डीओएस के अंतर्गत एकीकृत किया गया। इसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं (आरई) के पर्यवेक्षण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है; ताकि आकार और अंतर-संयुक्तता सहित बढ़ती जटिलताओं का समाधान किया जा सके, साथ ही पर्यवेक्षी अंतरपणन और सूचना विषमता के कारण उत्पन्न संभावित प्रणालीगत जोखिमों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इस रीडिजाइनिंग से एक वर्गीकृत पर्यवेक्षी दृष्टिकोण और वित्तीय समूहों का अधिक प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण स्थापित हो सकेगा।

पर्यवेक्षी संरचना और प्रक्रियाएं

VI.109 एसई में जोखिम की पहचान करने और ऑफ-साइट पर्यवेक्षी बैंडविड्थ को मजबूत करने में सहायता प्रदान करने के लिए विभाग में एक क्षेत्रीय जोखिम विशेषज्ञ प्रभाग बनाया गया है। पर्यवेक्षी परीक्षकों के बीच क्षमता निर्माण के लिए आरबीआई अकादमी के तत्वावधान में वर्चुअल कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर (सीओएस) की स्थापना की गई है। इसका पहला ऑनलाइन कोर्स 22 मई, 2020 को आयोजित किया गया था। प्रमुख क्षेत्रों में सभी एसई हेतु पर्यवेक्षण के लिए अनुसंधान और मॉडलिंग;

बेहतर लेनदेन परीक्षण के लिए माइक्रोडेटा एनलिटिक्स; एसई द्वारा बेहतर अनुपालन के लिए केवाईसी/एमएल; एसई में बेहतर गवर्नेन्स प्रथाओं के लिए जोखिम और अनुपालन संस्कृति और व्यापार कार्यनीति; और एसई के लिए नामित वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) की अवधारणा में विस्तार - जो आरबीएस के कार्यान्वयन के साथ बैंकों से शुरू हुई - शामिल हैं।

केवाईसी/एमएल जोखिम के लिए एक अलग संरचना

VI.110 सभी एसई के पर्यवेक्षण के लिए केवाईसी/एमएल जोखिम आधारित पर्यवेक्षण हेतु एक अलग और विशेष संरचना तैयार की गई।

सक्रिय ऑफ-साइट पर्यवेक्षण तंत्र

VI.111 सक्रिय ऑफ-साइट निगरानी प्रणाली का उद्देश्य समय रहते 'संकट को भांपने' और समय से पहले कार्रवाई शुरू करने में सक्षम होना है। इसके लिए एमआई इनपुट्स, संभावित कमजोरियों से संबंधित चेतावनी के बारे में एसई के शीर्ष प्रबंधन के साथ निरंतर कार्य करने और सीईओ के साथ चुनिंदा द्विपक्षीय चर्चाओं की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभाग ने इन कमजोरियों को दूर करने के लिए समयबद्ध और सक्रिय कार्रवाई के लिए कमजोर एसई की पहचान के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था की। इसमें एससीबी, एनबीएफसी, एसएफबी और यूसीबी में निहित कमजोरियों के आकलन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके शामिल हैं।

VI.112 डेटा विश्लेषण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, कमजोर उधारकर्ताओं की पहचान, दबाव परीक्षण, साइबर सुरक्षा मापदंडों की संवेदनशीलता और विभिन्न विषयगत विश्लेषण का उपयोग करके बैंकों, एनबीएफसी, एसएफबी और यूएसबी के लिए तिमाही परोक्ष संवेदनशीलता मूल्यांकन कार्य किए जाते हैं। इन सभी को समूह में जोखिमों; संज्ञान न होने, यदि, कोई हो, समय रहते 'संकट को भांपने' के बारे में बेहतर जागरूकता के प्रति मार्गदर्शन करने और समय पर सक्रिय कार्रवाई के लिए लक्ष्य बनाया गया है।

समष्टि-दबाव परीक्षण

VI.113 विभाग ने प्रतिकूल परिदृश्यों के तहत बैंकों के पोर्टफोलियो पर आघात के प्रभाव का आकलन करने के लिए 2013 से पर्यवेक्षी दबाव परीक्षणों का आयोजन किया है, जबकि पर्यवेक्षण में अनुभव पर आधारित फैक्ट्रिंग भी है। 2018 में, विश्व बैंक के सहयोग से एक संशोधित टॉप-डाउन दबाव-परीक्षण मॉडल विकसित किया गया था। सुधार प्रक्रिया में एक संशोधित ऋण-जोखिम दबाव परीक्षण शामिल है जिसमें वास्तविक और वित्तीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले तीन पैनल-डेटा अर्थमितीय प्रतिरूप अर्थात्; चलनिधि जोखिम का आकलन करने के लिए प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण; सिस्टम स्तर पर बड़े एक्सपोजर का विश्लेषण करने के लिए एक नया दबाव परीक्षण; और ब्याज-दर जोखिम (आईआरआर) के लिए एक नया अवधि-आधारित दबाव परीक्षण जो कि ऋण बही के साथ-साथ व्यापार बही में दबाव को समाविष्ट करता है।

ईडब्ल्यूएस फ्रेमवर्क

VI.114 प्रायोगिक आंकड़ों सहित परिदृश्य आधारित विश्लेषण के आधार पर आंकड़ों के ऑफ-साइट विश्लेषण और पूर्वानुमानित पर्यवेक्षी मूल्यांकन का लाभ उठाते हुए जोखिम पता लगाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने और संभावित संवेदनशीलताओं का पता लगाने के लिए ईडब्ल्यूएस को आफ-साइट निगरानी फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में पेश किया गया। समष्टि-आर्थिक चरों, बाजार संकेतक और तुलन पत्र संकेतकों सहित, संकेतकों के एक पूल का उपयोग किया जाता है, जिसमें से सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वैरिएबल्स, पूर्व चेतावनी संकेतकों (ईडब्ल्यूआई) के रूप में चुने जाते हैं। [ऋण वृद्धि, जमा वृद्धि, भारित औसत उधार दर, निवल ब्याज मार्जिन, जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, टिअर-1 पूंजी अनुपात और कुल आस्तियों की तुलना में तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर अनुपात] प्रमुख जोर अग्र सक्रिय रूप से सुभेद्यता का निदान और पहचान करना तथा सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं अर्थात् बैंकों, एनबीएफसी और यूसीबी में दबाव की पहचान करना और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय करने पर है।

परस्पर-संबद्धता को मापना

VI.115 बैंकों और एनबीएफसी के बीच मध्यस्थता में उल्लेखनीय वृद्धि और हाल के समय में कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले तनाव के मद्देनजर, बैंकों और एनबीएफसी के बीच अंतर-संबद्धता को निर्धारित करने के लिए एक बैंक-एनबीएफसी इंटरमीडिएशन इंडेक्स (बीएनआईआई) बनाया गया। इसी प्रकार से, एनबीएफसी में बैंक के एक्सपोजर की आस्ति-गुणवत्ता में आए बदलाव को ट्रैक करने के लिए एक आस्ति गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बनाया गया है।

एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रेकिंग प्रणाली (आईसीएमटीएस)

VI.116 पर्यवेक्षित संस्थाओं के निरीक्षण लाइफसाइकल का प्रबंधन करने के लिए उचित स्वचालित दृष्टिकोण के उद्देश्य से एक वेब-आधारित ऑनलाइन पैकेज, आईसीएमटीएस की परिकल्पना की गई है जो कि शिकायतों और अनुपालन की सुदृढ़ प्रबंधन प्रणाली द्वारा समर्थित है। पैकेज निरीक्षण रिपोर्ट/संवीक्षा रिपोर्ट/ निर्देश/ दिशानिर्देश/ परिपत्र/ शिकायत और पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों के अनुपालन के केंद्रीकृत भंडार/संग्रह के रूप में कार्य करेगा। पैकेज को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यह शुरू से अंत तक अनुपालन लाइफ साइकल को ग्रहण/निगरानी करने में सक्षम होगा। पैकेज ऑन-साइट/ऑफ-साइट निगरानी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाने में सहायता करेगा।

साइबर सुरक्षा उपाय

VI.117 वर्ष 2019-20 के दौरान, साइबर सुरक्षा तैयारियों के उनके स्तर और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र, एडवाइजरी और अलर्ट के अनुपालन के स्तर के आकलन हेतु आईटी परीक्षण के लिए उन्नतालीस बैंकों को अभिज्ञात किया गया था। बैंकिंग क्षेत्र के चुनिंदा एप्लिकेशन सर्विस प्रदाताओं (एसपी) पर विषयगत अध्ययन वर्ष के दौरान किए गए। रिजर्व बैंक और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा 12 फरवरी, 2020 और 13 फरवरी, 2020 को एक संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें 70 चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों ने भाग लिया।

VI.118 एटीएम स्विच एप्लीकेशनों के लिए थर्ड पार्टी एसपी पर पर्यवेक्षित संस्थाओं की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, एसपी द्वारा बेसलाइन साइबर सुरक्षा नियंत्रण का पालन अनिवार्य था, पर्यवेक्षित संस्थाओं के साथ संविदागत करार के माध्यम से, इन संस्थाओं के ऑन-साइट/ऑफ-साइट पर्यवेक्षण के लिए रिजर्व बैंक को अनुमति दी गई है।

श्रेणीकृत एसएएफ

VI.119 पर्यवेक्षी कार्यों के लिए एक संरचित वृद्धि मैट्रिक्स के साथ सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए एक एसएएफ, स्थापित किया गया है, जो कि ज़्यादातर प्रवर्तन कार्रवाई से पूर्व उचित समय पर पर्यवेक्षी मध्यक्षेपों के लिए एक साधन के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य पर्यवेक्षी कार्यों में संगतता, तर्कशीलता और पारदर्शिता लाने के साथ-साथ केवाईसी/एमएल सहित रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं सामान्यतः पर्यवेक्षी विवरण प्रस्तुत करने की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार करना है।

अन्य पहलें

VI.120 वर्ष 2019-20 के दौरान की गई कुछ अन्य पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- विभाग कमजोर एसई की पहचान को और मजबूत बनाने और पहचान की गई कमजोरियों पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य पहलों पर काम कर रहा है। इनमें एआई /एमएल का उपयोग, शिकायतों की केंद्रीय निगरानी और अनुपालन, और परस्पर संपर्क को मापना शामिल हैं।
- नई तकनीकों को अपनाने के अपने प्रयास के तहत, रिजर्व बैंक डेटा एनलिटिक्स टूल द्वारा समर्थित एएल/एमएल का उपयोग करके पर्यवेक्षित संस्थाओं के विभिन्न पर्यवेक्षी और सांविधिक डेटा प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता की जांच करेगा, आघात योग्य/संवेदनशील बैंकों की पहचान करने के लिए उभरते जोखिम संकेतों की पहचान करेगा और अपवादात्मकता की पहचान करने और विभाग की जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया को समृद्ध करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं के ब्लक डेटा (चुनिंदा व्यापार/

लेनदेन डेटा) का विश्लेषण करेगा। रिज़र्व बैंक द्वारा जिन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कृत्रिम बौद्धिकता का उपयोग किया जा सकता है, वे हैं; (ए) इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से प्रासंगिक संकेतकों का संप्रेषण और प्रदर्शन; (बी) मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के उपयोग द्वारा उनकी ऋण-पात्रता/धोखे की पहचान करने के आधार पर आघात योग्य/असुरक्षित क्षेत्रों/उधारकर्ताओं के संबंध में अनुमान; और (सी) नेटवर्क विश्लेषण के उपयोग द्वारा अंतर-बैंक उधार, डेरिवेटिव एक्सपोजर और क्रेडिट एक्सपोजर जैसे मापदंडों का परीक्षण करते हुए विभिन्न संस्थाओं के बीच परस्पर-संबद्धता का निर्धारण करना।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव और उसे कम करने के उपाय

VI.121 कोविड-19 महामारी के प्रसार की वजह से, रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए पर्यवेक्षी उपायों का उद्देश्य बैंकों पर अनुपालन बोझ को कम करते हुए परिचालन संबंधी मुद्दों से संबंधित था, जिसमें कारोबारी निरंतरता, साइबर सुरक्षा और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढाँचे में बाधा उत्पन्न किए बिना परिचालन को सुनिश्चित करना शामिल था। रिज़र्व बैंक ने न केवल अपने स्वयं के कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित की, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पर्यवेक्षी निगरानी को भी बढ़ाया कि वित्तीय स्थिरता के लिए किसी भी खतरे की जल्द पहचान की जाए और बिना किसी देरी के उस पर कार्रवाई की जाए। महामारी के दौरान, देश की वित्तीय प्रणाली, सभी भुगतान प्रणालियों सहित, किसी भी बाधा के बिना कार्य कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यवेक्षित संस्थाओं की आघात-सहनीयता वस्तुतः प्रभावित नहीं हो रही है, रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षित संस्थाओं को अपनी ऋण-शोधन क्षमता और चलनिधि स्थिति पर महामारी के प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया है, और यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पूंजी बढ़ाकर अपनी आघात-सहनीयता को बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया है। साइबर जोखिम को कम करने के लिए एडवाइजरी जारी किए जाते हैं जिसमें सीईआरटी-इन, विनियामक रिपोर्टिंग और एसई के शीर्ष प्रबंधन के साथ आवधिक बैठकें शामिल हैं।

VI.122 पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अब तक दी गई राहत के आकलन से संकेत मिलता है कि इस प्रणाली के लिए, कुल ग्राहकों में से 48.6 प्रतिशत ने रिज़र्व बैंक के कोविड-19 महामारी राहत उपायों का लाभ उठाया है जो कि अप्रैल 2020 तक की बकाया कुल राशि का 50.1 प्रतिशत था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, कुल ग्राहकों में से 55.1 प्रतिशत ने रिज़र्व बैंक के कोविड-19 महामारी राहत उपायों का लाभ उठाया, जो कि कुल बकाया राशि का लगभग 50.0 प्रतिशत था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों के मामले में, कुल ग्राहकों का 29.0 प्रतिशत और 56.5 प्रतिशत ने रिज़र्व बैंक के राहत उपायों का लाभ उठाया, जो कि कुल बकाया राशि का क्रमशः लगभग 49.0 प्रतिशत और 64.5 प्रतिशत था।

2020-21 की कार्य-योजना

VI.123 विभाग ने 2020-21 में सभी एसई के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी लक्ष्यों को विनिर्दिष्ट किया है :

- साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति के तत्वावधान में, एसई के लिए एक सक्रिय साइबर प्रतिरक्षा निगरानी फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा ताकि विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण सेवा प्रदाताओं (सीएसपी) के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताओं को निर्धारित करने, आईटी पद्धतियों (गवर्नेन्स और संबंधित) पर मास्टर निर्देश, तथा बैंकिंग क्षेत्र के लिए डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं के अलावा बेहतर विश्लेषण, आरईबीआईटी और उद्योग के सहयोग से साइबर सिमुलेशन/मूल्यांकन अभ्यास, त्वरित पर्यवेक्षी/विनियामक मध्यक्षेप के उद्देश्य से एसई से रिज़र्व बैंक तक डेटा प्रवाह को स्वचालित किया जा सके;
- चुनिंदा बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, शहरी सहकारी बैंकों की भागीदारी के साथ बड़े मूल्य के धोखाधड़ी के संबंध में अध्ययन और डोमेन विशेषज्ञों को पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी की पहचान करने में होने वाली देरी के कारणों का पता करने का दायित्व सौंपा जाएगा और इस धोखाधड़ी से उत्पन्न

होने वाले जोखिमों का शीघ्र पता लगाने और समय पर उनको कम करने के लिए उपाय सुझाएगा;

- आईसीएमटीएस का कार्यान्वयन; और
- रिजर्व बैंक, धोखाधड़ी निगरानी और पहचान में सुधार के लिए विभिन्न डेटाबेस और सूचना प्रणालियों को इंटरलॉक करने में लगा हुआ है। एनबीएफसी और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सीएफआर पोर्टल द्वारा धोखाधड़ी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जो नई सुविधाओं के साथ संवर्धित है, का परिचालन जनवरी 2021 तक आरंभ होने की संभावना है।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.124 प्रवर्तन विभाग (ईएफडी) की स्थापना अप्रैल 2017 में हुई थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, जन-हित तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण सिद्धान्त के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं से अधिक अनुपालन करवाने के लिए सभी बैंकों में विनियमों को समान रूप से प्रवर्तित करना है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) द्वारा अनुमोदित प्रवर्तन नीति तथा फ्रेमवर्क, प्रवर्तन करने में निष्पक्ष, सुसंगत तथा निष्पक्ष होने की आवश्यकता पर जोर देता है। सहकारी बैंकों और एनबीएफसी से संबंधित प्रवर्तन कार्य को भी 3 अक्टूबर 2018 से विभाग के परिचालन के दायरे में लाया गया।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.125 विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए विभाग के दायित्व के विस्तार के आलोक में प्रवर्तन नीति एवं फ्रेमवर्क का संशोधन और तदनुसार, पर्याप्त श्रमशक्ति के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को मजबूत करना (पैरा VI.126); तथा

- उल्लंघन के मामलों को पकड़ने, प्रवर्तन कार्रवाई तथा अनुपालन को रिकॉर्ड करने और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तैयार करने के लिए डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डिजाइन करना [पैरा VI.129]।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

VI.126 उत्कर्ष में निर्धारित लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, वर्ष के दौरान प्रवर्तन नीति एवं फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और सहकारी बैंकों और एनबीएफसी को शामिल करने के लिए उसे अद्यतन किया गया। अपेक्षाकृत उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए, परिचालनगत दक्षता सुनिश्चित करने और केंद्रित प्रवर्तन सुविधा प्रदान करने के लिए छह केंद्रों, अर्थात्, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली में ईएफडी के आरओ स्थापित करके इन संस्थाओं से संबंधित प्रवर्तन कार्यों के विकेंद्रीकरण की परिकल्पना की गई थी। ईएफडी के आरओ के सृजन के मुताबिक, उन्हें आवश्यक जनशक्ति के साथ काम करने की मंजूरी प्राप्त की गई।

VI.127 जुलाई 2019-जून 2020 के दौरान, विभाग ने 41 आरई के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) के निष्कर्षों का अनुपालन न करने; धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देशों का अनुपालन नहीं करने/उल्लंघन करने; चालू खाते खोलने और गैर-घटक उधारकर्ताओं को गैर-निधि आधारित सुविधाएं

सारणी VI.4: प्रवर्तन कार्रवाई (जुलाई 2019 - जून 2020)

विनियमित संस्था	जुर्मानों की संख्या	कुल जुर्माना (₹ करोड़)
1	2	3
सरकारी क्षेत्र के बैंक	26	38.35
निजी क्षेत्र के बैंक	8	8.55
सहकारी बैंक	13	9.18
विदेशी बैंक	2	5.00
भुगतान बैंक	-	-
लघु वित्त बैंक	-	-
एनबीएफसी	2	0.07
कुल	51	61.15
-: शून्य		
स्रोत: भा.रि.बैं।		

प्रदान करते समय अनुशासन का पालन नहीं करने; आरबीएस के अंतर्गत सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग नहीं करने; केवाईसी/आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने; साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क और विश्वव्यापी अंतर-बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) संबंधी परिचालनगत नियंत्रणों के समय-बद्ध कार्यान्वयन तथा उन्हें सुदृढ़ करने संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर ₹61.15 करोड़ का कुल जुर्माना (सारणी VI.4) लगाया। थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक से संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने; जोखिम शमन योजना (आरएमपी) में निहित निर्देशों का अनुपालन नहीं करने; बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन नहीं करने; तुलन-पत्र को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने; निदेशकों, रिश्तेदारों एवं जिनमें उनके हिट जुड़े हैं ऐसी फर्मों/ कारोबारों के लिए ऋण और अग्रिम संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने; निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु दिशानिर्देश में निहित प्रवर्तक शेयरधारिता संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने; और, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी के प्रावधानों का पालन करने में विफल होने पर भी प्रवर्तन की कार्रवाई की गई थी।

कोविड-19 महामारी का असर

VI.128 विभाग के कार्यकलापों के लिए पर्याप्त स्रोत सामग्री सॉफ्ट रूप में उपलब्ध होने के कारण, महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन का मामलों की प्रारंभिक प्रक्रिया और प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। हालांकि, लॉकडाउन ने आरई के लिए व्यक्तिगत सुनवाई को प्रभावित किया, जिससे उचित समय अवधि के भीतर मामलों को तार्किक निष्कर्ष पर लाने में कुछ देरी हुई। धीरे-धीरे लॉकडाउन खत्म होने और उपयुक्त सूचना

और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रवर्तन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल असर को कम से कम करने की कोशिश की गई।

VI.129 लॉकडाउन के कारण अवरोधों का कुछ असर मूल रूप से परिकल्पित समयसीमा के अनुसार प्रवर्तन प्रक्रिया प्रवाह को स्वचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के विकास पर भी पड़ा था।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना

VI.130 आने वाले वर्ष के दौरान, विभाग का निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है:

- प्रभावी अनुपालन परीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए उल्लंघन वाले क्षेत्रों में डीओएस के लिए एक औपचारिक फीडबैक प्रक्रिया शुरू की जाएगी (उत्कर्ष)। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी स्थापना के बाद से प्राप्त अनुभव के आधार पर विभाग ने उल्लंघनों और उनकी कार्य-प्रणाली के विश्लेषण का प्रस्ताव रखा है।
- आरओ में कार्य विधि सहित प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया की समीक्षा विनियामकीय और पर्यवेक्षी विभागों के पुनर्गठन के मद्देनजर की जाएगी, ताकि प्रवर्तन कार्रवाई में संगतता सुनिश्चित की जा सके (उत्कर्ष); तथा
- रिजर्व बैंक द्वारा एचएफसी पर मौद्रिक जुर्माना लगाने से संबंधित प्रवर्तन कार्य को एनएचबी अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रदत्त सीमा तक चरणबद्ध तरीके से ईएफडी के अंतर्गत लाया जाएगा।

5. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.131 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आरई के ग्राहकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार

बॉक्स VI.5
वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जी20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों के लिए बेंचमार्किंग

रिज़र्व बैंक और इसकी विनियमित संस्थाएं (आरई) जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा 14-15 अक्टूबर 2011 के दौरान आयोजित अपनी

बैठकों में अपनाए गए वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण (एफसीपी) संबंधी 10 स्वैच्छिक उच्च-स्तरीय सिद्धांतों (एचएलपी) का ठोस अनुपालन करते हैं।

सिद्धांत	कार्यान्वयन की स्थिति
1. एफसीपी के लिए उचित विधिक, विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क लागू करना।	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एल, और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को एफसीपी के लिए अधिकार प्राप्त है, जिसका उपयोग क्रमशः बैंकों, एनबीएफसी एवं गैर-बैंक प्रणाली प्रतिभागियों के लिए लोकपाल योजनाओं को आरंभ करने के लिए किया गया है।
2. एफसीपी के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार निगरानी निकायों की भूमिका - अन्य निगरानी प्राधिकारियों के साथ सहयोग।	सीईपीडी में एफसीपी निगरानी केंद्रीकृत है, जो पूरे भारत में लोकपाल कार्यालयों और उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण (सीईपी) कक्षों के कामकाज की निगरानी करता है, जो एक आवधिक प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से सीईपीडी को रिपोर्ट करते हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रणालीगत जोखिमों को चिह्नित किया गया है।
3. उपभोक्ताओं के साथ न्यायसंगत और उचित व्यवहार - कमजोर वर्गों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।	रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 2014 में जारी किए गए ग्राहक अधिकार-पत्र (सीओसीआर) में 'उचित व्यवहार का अधिकार' सुनिश्चित किया गया है। बैंकों को वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें उनके लिए शाखाओं में सुविधाएं, द्वार पर सेवा प्रदान करना, पहुंच केंद्रों पर ब्रेल/बोलने वाले एटीएम और रैंप की व्यवस्था शामिल हैं।
4. प्रकटीकरण और पारदर्शिता - उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना।	'पारदर्शिता, उचित, और ईमानदारीपूर्ण लेनदेन का अधिकार' को सीओसीआर में शामिल किया गया है। आरई से अपेक्षित है कि वे बेचे जाने वाले उत्पाद/सेवा की अति-महत्वपूर्ण शर्तों, लाभों और जोखिमों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपभोक्ताओं को प्रदान करें।
5. सभी हितधारकों द्वारा वित्तीय शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना।	रिज़र्व बैंक के साथ-साथ वित्तीय सेवा प्रदाता (एफएसपी) वित्तीय शिक्षा गतिविधियों में शामिल हैं। लोकपाल कार्यालय शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न मार्गों, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के साथ-साथ ग्राहक सेवा पर मौजूदा नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'टाउन हॉल' कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
6. एफएसपी और अधिकृत एजेंटों का जिम्मेदारीपूर्ण कारोबारी आचरण।	आरई के लिए ग्राहक सेवा और कारोबारी आचरण के संबंध में नीतियां बनाने के लिए विनियामकीय निर्देश जारी किए गए हैं। आरई (बैंक और एनबीएफसी) को एजेंटों की सेवाओं लेने की अनुमति दी गई है और उन्हें अपने एजेंटों के कार्यों के लिए जिम्मेदार रहना पड़ता है। सीओसीआर बैंकों के ग्राहकों के लिए 'उपयुक्तता का अधिकार' भी प्रदान करता है।
7. धोखाधड़ी और दुरुपयोग के खिलाफ उपभोक्ता आस्तियों का संरक्षण।	धोखाधड़ी और दुरुपयोग के खिलाफ ग्राहक की आस्तियों के संरक्षण की व्यवस्था में डिजिटल लेनदेन सहित लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सेवा प्रदाताओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं। डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में, विनियमन द्वारा ग्राहकों की देयता को सीमित कर दिया गया है।
8. उपभोक्ता संबंधी डेटा और निजता का संरक्षण।	'निजता का अधिकार' सीओसीआर में शामिल है। जिन परिस्थितियों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, उन्हें छोड़कर संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राहकों की निजता को बनाए रखें और तीसरे पक्ष को ग्राहक संबंधी जानकारी नहीं दें।
9. उपभोक्ताओं की शिकायतों से निपटने और निवारण करने की ऐसी पर्याप्त व्यवस्था तक पहुंच होनी चाहिए, जो सुलभ, सस्ती, स्वतंत्र, निष्पक्ष, जवाबदेह, समयबद्ध और कुशल हो।	आरई में शिकायत निवारण तंत्र संबंधी विनियामकीय दिशा-निर्देश लंबे समय से लागू हैं। जो ग्राहक आरई द्वारा प्रदान किए गए निवारण से संतुष्ट नहीं हैं, वे रिज़र्व बैंक के लोकपाल/सीईपी कक्षों से संपर्क कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को अत्याधुनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की शुरुआत करके आसान बना दिया गया है। ग्राहक की शिकायतों के निवारण के लिए सभी स्रोत ग्राहक के साथ-साथ आरई के लिए भी निःशुल्क हैं।
10. उपभोक्ताओं को वित्तीय सेवाओं में अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा दिया जाना।	भारतीय वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संस्थान शामिल हैं, जिनमें सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे वित्त बैंक, भुगतान बैंक, एनबीएफसी और प्री-पेड कार्ड्स/ई-वॉलेट का परिचालन करने वाले गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता शामिल हैं। साथ में, ये संस्थाएं उपभोक्ताओं को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का व्यापक विकल्प प्रदान करती हैं।

स्रोत: आरबीआई।

करता है (बॉक्स VI.5), रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं के कामकाज की निगरानी करता है तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा एवं संरक्षण संबंधी मौजूदा विनियमों और ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए उपायों के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करता है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VI.132 विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों के मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) पर आधारित शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना (उत्कर्ष) [पैरा VI.133];
- एनबीएफसी तक विस्तार करने के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ) योजना की समीक्षा (उत्कर्ष) [पैरा VI.134];
- अद्यतनीकरण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं की समीक्षा (उत्कर्ष) [पैरा VI.135];
- बैंकिंग लोकपाल की तर्ज पर उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण (सीईपी) कक्षों की समीक्षा (उत्कर्ष) [पैरा VI.136];
- शिकायतकर्ता को ऑनलाइन सहायता प्रदान करने के लिए इंटरैक्टिव आवाज प्रतिक्रिया प्रणाली (आईवीआरएस) का परिचालन शुरू करना (उत्कर्ष) [पैरा VI.137];
- गैर-बैंक प्रणाली प्रतिभागियों के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ) योजना शुरू करना (पैरा VI.138);
- बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों से ग्राहकों का संतुष्टि सर्वेक्षण करना (ओबीओ) [पैरा VI.139];
- भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का विघटन [पैरा VI.140]; और

- उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना (पैरा VI.141)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

आरसीए पर आधारित शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना

VI.133 लोकपाल, सीईपी सेल और चुनिंदा बैंकों के कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों के प्रमुख क्षेत्रों का आरसीए किया गया। विनियामकीय दिशा-निर्देशों में खामियों की वजह से और बाहरी खतरों से उत्पन्न शिकायतों के मूल कारणों की पहचान ग्राहकों और आरईए के स्तर पर की गई थी। विनियामकीय दिशा-निर्देशों में खामियों से संबंधित मामलों को विनियामकीय और पर्यवेक्षी विभागों को भेज दिया गया है। अन्य विनियामक संस्थाओं के साथ समन्वय करके हल किए जाने वाले मामलों में आगे की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा, बैंकों और लोकपाल कार्यालयों को सूचित किया गया है कि वे सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को अपनाने के लिए बैंक ग्राहकों और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के प्रयासों में तेजी लाएं। आगे चलकर, नियमित रूप से आरसीए किया जाएगा।

एनबीएफसी तक विस्तार करने के लिए आईओ योजना की समीक्षा

VI.134 एनबीएफसी लोकपाल योजना - 2018 के अंतर्गत आने वाले सभी एनबीएफसी तक आईओ योजना का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव की जांच की गई। एनबीएफसी के आकार एवं व्यावसायिक प्रोफाइल में विविधता, प्राप्त शिकायतों की संख्या और ग्राहक इंटरफ़ेस को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी के लिए आईओ योजना का कार्यान्वयन चयनात्मक प्रयोज्यता के आधार पर शुरू करने के लिए समीक्षाधीन है।

अद्यतनीकरण और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लोकपाल योजनाओं की समीक्षा

VI.135 अन्य बातों के साथ-साथ, तीन योजनाओं - बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (बीओएस), एनबीएफसी लोकपाल योजना, 2018 (एनबीएफसी-ओएस) और डिजिटल लेनदेन

लोकपाल योजना, 2019 (ओएसडीटी) को एकीकृत लोकपाल योजना में सम्मिलन करने संबंधी मामलों की जांच करने और लोकपाल तंत्र की प्रभावशीलता में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

सीईपी कक्षों की समीक्षा

VI.136 सीईपी कक्ष उन शिकायतों का निवारण करते हैं जिन्हें लोकपाल योजनाओं में कवर नहीं किया गया है। सीईपी कक्षों द्वारा शिकायत निवारण को प्रभावित करने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से अर्द्ध-न्यायिक शक्तियों के अभाव, के बीच लोकपाल की तर्ज पर सीईपी कक्षों को मजबूत करने संबंधी मामले की जाँच एक आंतरिक कार्यदल द्वारा की गई है। आंतरिक कार्य समूह की सिफारिशों की समीक्षा लोकपाल योजनाओं के सम्मिलन से संबंधित मामलों का अध्ययन कर रही आंतरिक समिति द्वारा की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सीईपी कक्षों से संबंधित सिफारिशों को शामिल कर लिया है, जिनकी जांच की जा रही है।

शिकायतकर्ता को ऑनलाइन सहायता प्रदान करने के लिए आईवीआरएस

VI.137 रिजर्व बैंक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) संबंधी जानकारी आईवीआरएस पर उपलब्ध करा दी गई है। कोई भी व्यक्ति 14440 डायल करके और सीएमएस, बैंकिंग लोकपाल योजना, उपभोक्ता संरक्षण विनियमों जैसे कि धोखाधड़ी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक की सीमित देयता, आदि के बारे में बुनियादी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। आगे चलकर, आईवीआरएस वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण के महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी के लिए ऑन-टैप स्रोत के रूप में काम करेगा।

गैर-बैंक प्रणाली प्रतिभागियों के लिए आईओ योजना शुरू करना

VI.138 अक्टूबर 2019 में शुरू की गई गैर-बैंक प्रणाली प्रतिभागियों के लिए आईओ योजना प्रीपेड भुगतान लिखत

(पीपीआई) जारी करने वाले गैर-बैंक जारीकर्ताओं के लिए लागू है जिनके पास 31 मार्च 2019 तक एक करोड़ से अधिक का पीपीआई बकाया है। पीपीआई के गैर-बैंक जारीकर्ता द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से खारिज कर दी गई ग्राहक शिकायतों को अंतिम निर्णय के लिए आईओ के पास भेजा जाना चाहिए, जो आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र में शीर्ष आंतरिक व स्वतंत्र प्राधिकरण है।

ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

VI.139 रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान तृतीय-पक्ष ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कराया गया था (बॉक्स VI.6)। सर्वेक्षण के निष्कर्ष रिजर्व बैंक की वेबसाइट (बैंकिंग लोकपाल योजना संबंधी वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19) पर भी उपलब्ध हैं।

भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का विघटन

VI.140 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2006 में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी, जिसे ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा स्वेच्छा से अपनाए जाने वाले आचार संहिता तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। उसके बाद रिजर्व बैंक ने सीईपीडी की स्थापना की, ग्राहक अधिकार-पत्र (सीओसीआर) जारी किया है और लोकपाल तंत्र को काफी मजबूत किया है ताकि उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाया जा सके। तदनुसार, बीसीएसबीआई को भंग करने का निर्णय लिया गया, जिसकी विघटन प्रक्रिया पूर्ण होने के अंतिम चरण में है।

ग्राहक जागरूकता

VI.141 रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान, अपने संचार विभाग (डीओसी) के साथ समन्वय करके अलग-अलग विषयों मसलन लोकपाल योजनाओं, मूलभूत बचत बैंक जमा खाता, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए बैंकिंग सुविधाओं, और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के संबंध में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया।

बॉक्स VI.6


बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों (ओबीओ) से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2019-20 में उनके संतुष्टि स्तर का आकलन करने के लिए उन ग्राहकों का एक तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण किया, जिन्होंने 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2019 के दौरान बैंकिंग लोकपाल (ओबीओ) के विभिन्न कार्यालयों में शिकायतें दर्ज कराई थीं।


सर्वेक्षण का आयोजन संपूर्ण भारत में किया गया था, जिसमें 18 शहरों में रहने वाले समाज के सभी वर्गों के 3,010 प्रतिक्रियादाता शामिल थे (चार्ट 1)।

चार्ट 1: प्रतिक्रियादाताओं का प्रोफाइल


ए. भौगोलिक प्रोफाइल



बी. आयु प्रोफाइल



सी. लिंग प्रोफाइल




स्रोत: ओबीओ के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, 2019

सर्वेक्षण में प्रतिक्रियादाताओं से अपेक्षा की गई थी कि वे निम्नलिखित मापदंडों के संदर्भ में ओबीओ से संतुष्टि के स्तर को दर्शाएं: i) शिकायत दर्ज करने में आसानी; ii) शिकायत का समाधान करने में लगने वाला समय; iii) शिकायतकर्ता और उसके बैंक के बीच निपटान को बढ़ावा देने का प्रयास; iv) शिकायत का तत्काल निवारण करने के लिए सेवा प्रदाता को विवश करने हेतु ओबीओ तक शिकायत को पहुंचाना; और v) ओबीओ तंत्र से समग्र संतुष्टि।

सर्वेक्षण में पता चला कि 73 प्रतिशत प्रतिक्रियादाता बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना के अंतर्गत अपनी शिकायतों के निपटान से कुल मिलाकर संतुष्ट थे (चार्ट 2 और 3)। शिकायतों के समाधान हेतु लिए गए समय (इसमें


चार्ट 2: विभिन्न मापदंडों पर संतुष्टि का स्तर (प्रतिशत)



स्रोत: ओबीओ के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, 2019

लगने वाला समय) को अधिकांश प्रतिक्रियादाताओं ने प्रमुख मुद्दा माना, जिसे आगे चलकर दूर किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता और बैंक के बीच एक समझौते को बढ़ावा देने के बीओ द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को भी सुधार के एक क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया गया था। 'ज़बानी' और इंटरनेट बीओ स्कीम के बारे में जानकारी के दो सबसे प्रमुख स्रोत थे। लोकपाल तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपेक्षित कार्यों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रिया और जानकारी का उपयोग किया जा रहा है।

चार्ट 3: समग्र संतुष्टि स्तर के वाहक (प्रतिशत)



स्रोत: ओबीओ के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, 2019

इन विषयों पर टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए रिज़र्व बैंक के एसएमएस हैंडल 'आरबीआई कहता है' का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। आईवीआरएस ने रिज़र्व बैंक के जागरूकता फैलाने के प्रयासों को और मजबूत किया। लोकपाल कार्यालयों ने मुख्य रूप से टियर II शहरों में लोकपाल योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 26 टाउन हॉल कार्यक्रमों और 113 जागरूकता/आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया।

कोविड-19 महामारी का असर

VI.142 शिकायत निवारण का कार्य कोविड-19 महामारी के बीच निर्बाध रूप से किया गया। सभी हितधारकों, अर्थात् रिज़र्व बैंक, आरई और ग्राहकों को एक ही मंच पर लाने वाले सीएमएस जिसके पास सिस्टम-संचालित वर्कफ़्लो प्रक्रिया है, ने लॉकडाउन के दौरान भी निरंतर और प्रभावी शिकायत निवारण सुनिश्चित किया,। आरई को सूचित किया गया था कि सभी कोविड-19 महामारी से संबंधित ग्राहक शिकायतों का प्राथमिकता आधार पर निवारण सुनिश्चित करें।

वर्ष 2020-21 की कार्य-योजना

VI.143 विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित कार्य-योजना प्रस्तावित की है:

- जनता के लिए वित्तीय शिक्षा और जागरूकता को मजबूत करना (उत्कर्ष);
- चुनिंदा एनबीएफ़सी के लिए आईओ योजना को लागू करना (उत्कर्ष);
- कार्यान्वयन हेतु सीईपी कक्षों की भूमिका सहित लोकपाल योजनाओं के सम्मिलन संबंधी आंतरिक समिति की सिफारिशों की जांच करना (उत्कर्ष);
- रिज़र्व बैंक की शिकायत प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करना; तथा

- बैंकों को अपनी सीएमएस में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निरुत्साहित / प्रोत्साहित करने वाला एक फ्रेमवर्क तैयार करना।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.144 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में निक्षेप बीमा प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इससे जनता का विश्वास बढ़ता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गठित रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। डीआईसीजीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली निक्षेप बीमा में एलएबी, पीबी, एसएफबी, आरआरबी और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं।

VI.145 पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 2020 तक 2,067 थी, जिसमें 144 वाणिज्यिक बैंक (45 आरआरबी, 3 एलएबी, 6 पीबी और 10 एसएफबी सहित) और 1,923 सहकारी बैंक (33 राज्य सहकारी बैंक, 352 डीसीसीबी और 1,538 यूसीबी) शामिल थे। बैंकों में जमाकर्ताओं के संरक्षण हेतु अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के मद्देनजर डीआईसीजीसी ने 4 फरवरी 2020 से भारत सरकार की मंजूरी से बैंकों में जमाकर्ताओं के लिए बीमा कवर की सीमा को पूर्व के ₹1 लाख के स्तर से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति जमाकर्ता कर दिया। निक्षेप बीमा निधि का पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली छमाही से प्रति ₹100 की निर्धारणीय जमाराशि के लिए प्रीमियम प्रति वर्ष 10 पैसे से बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया गया था। जहां भारत में निक्षेप बीमा की वर्तमान सीमा ₹5 लाख है, वहीं मार्च 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार पूरी तरह से संरक्षित खातों (231 करोड़) की संख्या 80 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क¹ के मुकाबले कुल खातों की संख्या (235 करोड़) का 98.3 प्रतिशत है।

¹ जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ (2013), "एन्हेस्ड गाइडेन्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इन्श्युरेंस सिस्टम्स: डिपॉजिट इन्श्युरेंस कवरेज", गाइडेन्स पेपर, मार्च।

राशि के मामले में, मार्च 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार कुल बीमाकृत जमाराशि ₹68,71,500 करोड़ है जो कि कुल निर्धारणीय जमाराशि ₹1,34,88,888 करोड़ का 50.9 प्रतिशत है जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 20 से 30 प्रतिशत है। मौजूदा स्तर पर, बीमा कवर वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय का 4.0 गुना है।

VI.146 डीआईसीजीसी अपने अधिशेष, अर्थात्, प्रत्येक वर्ष के व्यय (जमकर्ताओं के दावों के भुगतान एवं संबंधित खर्चों), से अधिक आय (मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम,

निवेश से प्राप्त ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्ति से नकद वसूली) में से करों को घटाकर, के हस्तांतरण के माध्यम से अपने निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) को बढ़ाता है। यह निधि परिसमापन/समामेलन में लिए गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध है। अप्रैल 2019-मार्च 2020 के दौरान, निगम ने ₹80.7 करोड़ के कुल दावों को मंजूरी दी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान कुल दावा ₹40 करोड़ का था। 31 मार्च 2020 तक डीआईएफ का आकार ₹1,10,380 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित अनुपात 1.61 प्रतिशत था (बॉक्स VI.7)।

बॉक्स VI.7

निक्षेप बीमा में आरक्षित अनुपात का महत्व: क्रॉस कंट्री परिप्रेक्ष्य

निक्षेप बीमा प्रणालियों का प्रमुख सार्वजनिक नीतिगत उद्देश्य अत्यधिक मात्र में बैंकों से नकदी के आहरण से वित्तीय प्रणाली की रक्षा करके वित्तीय स्थिरता में योगदान करना और निश्चित कवरेज राशि तक जमाकर्ताओं की जमाराशि की सुरक्षा और चलनिधि सुनिश्चित करना है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए, यह आवश्यक है कि जमा बीमाकर्ता के पास या तो पर्याप्त वित्तीय संसाधन हों या कोई निधीयन की व्यवस्था हो जिससे अपेक्षित राशि आसानी से प्राप्त की जा सके। जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति के लिए धन की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए एक संकेतक आरक्षित अनुपात (आरआर) है - जिसे लक्ष्य अनुपात के रूप में भी जाना जाता है - साथ ही जिसे बीमाकृत जमाराशियों के लिए निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ इलाकों में आरआर संबंधित विधानों में निर्धारित किया जाता है।

प्रचलित नीतियों पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए 2018 में किए गए एक क्रॉस-कंट्री सर्वेक्षण से पता चलता है कि 69 प्रतिक्रियादाताओं में से 64 प्रत्याशित निधीयन व्यवस्थाओं का उपयोग करते हैं, और 44 (69 प्रतिशत) प्रतिक्रियादाताओं का निधीयन लक्ष्य है। जहां 20 निक्षेप बीमा एजेंसियां ऐसी हैं जिनके पास निधीयन लक्ष्य नहीं हैं, वहीं उनमें से 19 के पास लक्ष्य निर्धारित करने की योजना है। इसके अलावा, निधीयन लक्ष्य वाले 44 डीआईए में से दो देश यथा, बहामास और जापान, निधीयन लक्ष्य के रूप में एक लक्ष्य राशि का उपयोग करते हैं। लक्ष्य सांविधिक रूप से निर्धारित (28 डीआईए) या शासी निकाय (16 डीआईए) द्वारा निर्धारित किया जाता है। जमैका, कोसोवो, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ न्याय-अधिकार क्षेत्र भी लक्ष्य अनुपात को एक सीमा के रूप में निर्धारित करते हैं।

लक्ष्य निधि की स्थापना का मुख्य रूप से निर्धारण करने वाले कारक हैं: वित्तीय प्रणाली की संरचना और इसकी विशेषताएं; कानूनी ढांचा; विवेकपूर्ण विनियमन, पर्यवेक्षण और समाधान व्यवस्था; समष्टि-आर्थिक परिस्थितियां; आपातकालीन/बैंकअप फंडिंग की उपलब्धता तथा पहुंच; और, लेखांकन और प्रकटीकरण व्यवस्था की स्थिति। लक्ष्य निधि का आकार निर्धारित करने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, अर्थात्, विवेकाधीन पद्धति, डीआईए के हानि वितरण के आकलन की सांख्यिकीय पद्धति और दोनों का संयोजन।

विभिन्न जमा एजेंसियों के आरक्षित अनुपात हंगरी में 0.20 प्रतिशत और फिलीपींस में 6.11 प्रतिशत के बीच थे। भारत में 31 मार्च 2020 तक आरक्षित अनुपात 1.61 प्रतिशत था (सारणी 1)।

सारणी 1: चुनिंदा देशों में आरक्षित-निधि अनुपात (दिसंबर 2018 के अंत की स्थिति)

देश	आरक्षित-निधि अनुपात
1	2
संयुक्त राज्य अमेरिका (सितंबर 2019)	1.41
कनाडा (मार्च 2019)	0.62
जर्मनी	0.38
यूनाइटेड किंगडम	0.71
फ्रांस	0.35
चीनी ताइपी	0.41
जापान	0.35
चेक गणराज्य	1.29
पोलैंड- बैंक	1.80
पोलैंड- क्रेडिट यूनियन्स	0.10
मलेशिया	0.30
स्लोवेनिया	0.28
पुर्तगाल	1.16
भारत (मार्च 2020 के अंत)	1.61
इटली	0.27
स्पेन	0.28
बुल्गारिया	1.18
स्वीडन	2.57
फिलीपींस (दिसंबर 2017)	6.11
हंगरी	0.20
रोमानिया	3.01
नॉर्वे	2.75
ग्रीस	1.43

स्रोत: संबंधित देशों की वार्षिक रिपोर्टें और वेबसाइटें

संदर्भ:

- आईएडीआई (2014), "कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इन्श्योरेंस सिस्टम्स", नवंबर
- आईएडीआई (2018), "डिपॉजिट इन्श्योरेंस फंड टारगेट रेशो", रिसर्च पेपर, जनवरी।

6. निष्कर्ष

VI.147 संक्षेप में, कोविड-19 महामारी और आर्थिक वृद्धि से संबंधित चिंताओं के बीच, एमएसएमई और एनबीएफसी जैसे क्षेत्रों में ऋण की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पूरे उपाय किए गए थे। ब्याज दरों के संचरण को सुचारु बनाने के लिए बैंक की उधार दरों को बाह्य बेंचमार्क के साथ जोड़ने की शुरुआत की गई। कुछ पीएसबी के विलय और कुछ डीसीसीबी के समामेलन के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में समेकन देखने को मिला। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एससीबी, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के विनियामकीय और पर्यवेक्षी

फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए और उन्हें समान प्रवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से भी नीतिगत अंतरपणन को कम करने के लिए उपाय किए गए। कार्यक्षम ग्राहक सेवाओं और प्रभावी तरीके से धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग करने हेतु भी कदम उठाए गए। जरूरतमंदों के लिए द्वार पर बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देना, गैर-बैंक प्रणाली के प्रतिभागियों के लिए आईओ योजना का विस्तार करना और रिज़र्व बैंक की लोकपाल योजनाओं की समीक्षा करना प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए कुछ प्रमुख कदम थे।

घरेलू तथा वैश्विक दोनों मोर्चों पर बढ़ी हुई अनिश्चितता के बीच, कम लागत, जोखिम न्यूनीकरण तथा बाजार विकास उद्देश्यों के अनुसरण में, 2019-20 में रिजर्व बैंक ने केंद्र तथा राज्यों के बाजार उधार कार्यक्रम संपन्न किए।

VII.1 रिजर्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार और इस अधिनियम की धारा 21 ए में किए गए प्रावधान के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के घरेलू कर्ज का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) में निर्धारित किया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों को तीन महीने तक की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के रूप में अल्पावधि ऋण प्रदान करने का भी प्रावधान है, ताकि वे अपनी नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम कर सकें।

VII.2 इस अध्याय के शेष भाग को तीन भागों में बांटा गया है। इसके तुरंत बाद आने वाले भाग में 2019-20 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बताया गया है। भाग 3 में 2020-21 की कार्ययोजना में केंद्र तथा राज्य सरकारों के कर्ज प्रबंधन पर किए जाने वाले प्रमुख प्रयासों को शामिल किया गया है। अध्याय के अंत में सार प्रस्तुत किया गया है।

2. 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति:

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VII.3 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- नीलामी आधारित स्विचेज तथा वापसी-खरीद परिचालन के एक कैलेण्डर के जरिए ऋण समेकन

द्वारा भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में समग्र चलनिधि को बढ़ाना (उत्कर्ष) [पैरा VII.5-VII.6];

- 2, 5, 7 तथा 10 वर्ष अवधि की भारत सरकार बेंचमार्क प्रतिभूतियों का निर्गमन (पैरा VII.7);
- सरकारी प्रतिभूति बाजार में विदेशी केंद्रीय बैंकों (एफसीबी) के अलावा, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों की बड़ी सहभागिता के जरिए निवेशक आधार में विस्तार (उत्कर्ष) [पैरा VIII.8];
- प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) के खुदरा तथा मध्यम-खंड टर्नओवर लक्ष्यों में संशोधन (पैरा VII.9);
- राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) के निवेशक आधार में विविधता लाना (पैरा VII.10);
- राज्य सरकारों के लिए विभिन्न निवेश अवसरों की तलाश (पैरा VII.11);
- राज्य सरकारों की डब्ल्यूएमए सीमा में संशोधन की जांच (पैरा VII.12);
- राज्य सरकारों को नकदी तथा कर्ज प्रबंधन के विवेक-सम्मत उपायों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन (पैरा VII.13); और
- सूचना प्रबंध प्रणाली में सुधार (पैरा VII.14)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

VII.4 2019-20 के दौरान, कम लागत, जोखिम न्यूनीकरण तथा बाजार विकास की ऋण प्रबंधन रणनीति का अनुसरण करते हुए बाजार उधार कार्यक्रम संपन्न किए गए। घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर बढ़ी हुई आर्थिक तथा वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच, रिज़र्व बैंक ने केंद्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त सकल बाजार उधारियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, जो वर्ष के दौरान 28.1 प्रतिशत बढ़कर ₹ 13,44,521 करोड़ हो गई।

VII.5 रिज़र्व बैंक ने पुनः निर्गमन के जरिए अपनी निष्क्रिय समेकन नीति तथा वापसी-खरीद/स्विच के जरिए सक्रिय समेकन नीति को जारी रखा। 2019-20 के दौरान, जी-सेक के 194 निर्गमों में से 185 पुनः निर्गमित हुए थे, जबकि पिछले वर्ष 212 निर्गमों में से 206 पुनः निर्गमित हुए थे।

VII.6 सरकारी प्रतिभूति के रूपांतरण के लिए स्विच नीलामी सामान्यतया महीने के प्रत्येक तीसरे सोमवार को संपन्न होती है, जिसके लिए स्विच नीलामी तारीख से पहले एक विशेष प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसमें स्विच की जाने वाली प्रतिभूतियों के बारे में बताया जाता है। तदनुसार, पिछले वर्ष की ₹ 28,059 करोड़ की तुलना में 2019-20 के दौरान ₹1,64,803 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों के स्विच परिचालन पूरे किए गए। पिछले वर्ष की भांति, इस वर्ष भी वापसी-खरीद परिचालन के लिए शून्य बजट रखा गया।

VII.7 पुरानी 2-वर्ष तथा 5-वर्ष की सरकारी प्रतिभूतियों के बंद हो जाने के चलते, इन परिपक्वताओं में नई सरकारी प्रतिभूतियां निर्गमित की गईं, जिसमें 7-वर्ष की एक नई प्रतिभूति शामिल है (7.27 % जीएस 2026)। निवेशक आधार को बढ़ाने के प्रयोजन से वर्ष के दौरान अस्थायी दर बॉण्ड (एफआरबी) भी जारी किए गए। 2019-20 के दौरान, कुल निर्गमों में एफआरबी का हिस्सा 8.5 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के 9.1 प्रतिशत से कम है।

VII.8 विदेशी केंद्रीय बैंक (एफसीबी) योजना के तहत, विभाग द्वितीयक बाजार में चुनिंदा एफसीबी तथा बहुपक्षीय विकास

संस्थाओं की ओर से भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। केंद्र सरकार के परामर्श से, इस योजना को बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों तक बढ़ाया गया है। इसके बाद, इस योजना के तहत खजाना बिलों (टी-बिलों) को भी पात्र लिखतों में शामिल किया गया। 2019-20 के दौरान, एफसीबी की ओर से किए गए लेनदेन की कुल मात्रा (खरीद एवं बिक्री) ₹ 4,500 करोड़ (अंकित मूल्य) रही, जो कि पिछले वर्ष के ₹ 1,297 करोड़ से अधिक थी। 2019-20 के दौरान, 180 गिल्ट खाताधारकों (जीएच) ने एनडीएस-ओएम-वेब का इस्तेमाल किया और ₹ 11.54 लाख करोड़ मूल्य के 93,697 सौदे संपन्न किए, जबकि पिछले वर्ष ₹ 6.97 लाख करोड़ मूल्य के 72,229 सौदे संपन्न हुए थे।

VII.9 पीडी के दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा रही है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, बाजार निर्माण योजना (मार्केट मेकिंग स्कीम) के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और प्राथमिक व्यापारियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में बेहतर खुदरा कारोबार सुनिश्चित हो सके।

VII.10 राज्य विकास ऋणों में निवेशक आधार में विविधता लाने के लिए कई उपाय किए गए। इन उपायों में, प्राथमिक नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों की शुरुआत सहित, एसडीएल बाजार में खुदरा निवेशकों की सहभागिता को प्रोत्साहन शामिल है। इस दिशा में, 07 नवंबर 2019 के एक परिपत्र द्वारा की गई घोषणा के बाद, विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों (अनुसूचित बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के अलावा) को एग्रीगेटर/फेसिलिटेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई ताकि वे अपने स्टॉकब्रोकरों/अन्य खुदरा प्रतिभागियों की बोलियों को समेकित कर सकें और एसडीएल की प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के अंतर्गत एक एकल बोली प्रस्तुत कर सकें। रिज़र्व बैंक की 7 अगस्त 2019 की विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति वक्तव्य में, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान ही, एसडीएल के लिए भी एक स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन सुविधा की घोषणा की गई। इस कदम को राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यान्वित किया जाएगा।

VII.11 राज्य सरकारों के लिए निवेश के विभिन्न अवसरों की तलाश का एक प्रस्ताव प्रगति पर है, जिसमें समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) / गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) योजना की समीक्षा शामिल है। इस संबंध में, राज्यों के वित्त सचिवों (एसएफएस) की कार्यकारी समिति (ईसी) को पहले ही एक परिचर्चा पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

VII.12 2016 में, राज्य सरकारों की डब्ल्यूएमए योजना पर गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुमित बोस) ने अनुशंसा की कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डब्ल्यूएमए सीमा को संशोधित कर ₹ 32,225 करोड़ कर दिया जाए और पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में निर्धारित रोडमैप को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएमए का समिति-आधारित अगला संशोधन 2020-21 से प्रभावी किया जाए। वर्तमान में, एक नई समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) इन सीमाओं की समीक्षा कर रही है। समिति द्वारा अभी रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना बाकि है।

VII.13 राज्य सरकारों को नकदी तथा कर्ज प्रबंधन पर विवेक-सम्मत उपायों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए पांच राज्यों (नामत: राजस्थान, बिहार, असम, कर्नाटक और उड़ीसा) में क्षमता निर्माण कार्यक्रम किए गए। वर्ष के दौरान राज्यों तथा निवेशकों के बीच बैठकें भी आयोजित की गईं।

VII.14 डेटा के प्रसार में सुधार करने के लिए, डैशबोर्ड निर्मित किए गए और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस (डीबीआई) के जरिए लोगों तक उपलब्ध कराया गया। यह केंद्र तथा राज्य सरकारों की नीलामियों, सकल एवं निवल उधारियों और द्वितीयक बाजार प्रतिफल के उतार-चढ़ाव से संबंधित वर्तमान सूचना उपलब्ध कराता है।

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.15 2019-20 के दौरान, दिनांकित जी-सेक के जरिए सकल बाजार उधारियां एक वर्ष पहले के मुकाबले 24.3 प्रतिशत अधिक हुईं। वर्ष के दौरान अधिक उधारियों के कारण दिनांकित जी-सेक के जरिए हुई निवल बाजार उधारियां में भी 12.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। दिनांकित जी-सेक के जरिए हुई निवल बाजार

उधारियों ने केंद्र के सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के 61.8 प्रतिशत का वित्त पोषण किया, जबकि पिछले वर्ष यह 65.1 प्रतिशत था। 2019-20 में, दिनांकित प्रतिभूतियों तथा खजाना बिलों द्वारा एक साथ हुई निवल बाजार उधारियों में भी वृद्धि हुई (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.16 2019-20 के दौरान निर्गमित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के भारत औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 63 आधार अंकों (बीपीएस) की गिरावट हुई। हालांकि, समूचे ऋण स्टॉक के दिनांकित प्रतिभूतियों के भारत औसत कूपन में भी मामूली गिरावट हुई थी। अधिक उधारियां 15 वर्ष से अधिक के परिपक्वता वर्ग में किए जाने के भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, 2019-20 के दौरान निर्गमों की भारत औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएम) में वृद्धि हुई, जिसके चलते बकाया कर्ज के डब्ल्यूएम में मामूली वृद्धि देखी गई (सारणी VII.2)।

VII.17 वर्ष के दौरान रिपो दर में 185 आधार अंकों की संचयी कमी के साथ-साथ नीति के निभावी रुख तथा तथा ओमएओ खरीद के कारण 2019-20 में, जी-सेक प्रतिफलों में काफी नरमी देखी गई और 10-वर्ष बेंचमार्क प्रतिफल 121 आधार अंक (बीपीएस) कम होकर 7.35 प्रतिशत से 6.14 प्रतिशत हो

सारणी VII.1: केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
1	2	3	4	5
निवल उधार (i से iv)	4,98,891	4,58,337	5,11,500	5,58,381
(i) दिनांकित प्रतिभूतियां@	4,48,410	4,22,737	4,73,972	2,15,428
(ii) 91-दिवसीय – खजाना बिल	31,886	-46,542	-9,600	1,17,013
(iii) 182- दिवसीय – खजाना बिल	1,436	32,931	38,354	1,23,480
(iv) 364- दिवसीय – खजाना बिल	17,159	49,211	8,774	1,02,460

*: 30 जून 2020 तक।

@: वापसी खरीद एवं स्विचेज समायोजित किए बगैर। वापसी खरीद एवं निवल स्विचेज को समायोजित करने के बाद, 2019-20 के दौरान निवल उधारियां ₹4,73,990 करोड़ रहीं, जबकि 2018-19 में ये ₹4,23,269 करोड़ थीं।

स्रोत: भास्विन।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार का बाजार ऋण - एक प्रोफाइल*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्ष में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में वाईटीएम का दायरा			वर्ष के दौरान निर्गत			बकाया स्टॉक	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारत औसत प्रतिफल	परिपक्वता की रेंज @	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-15	-	7.66-9.28	7.65-9.42	8.51	6-30	14.66	10.23	8.08
2015-16	-	7.54-8.10	7.59-8.27	7.89	6-40	16.03	10.50	8.08
2016-17	6.85-7.46	6.13-7.61	6.46-7.87	7.16	5-38	14.76	10.65	7.99
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.78	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21**	4.04-5.55	5.22-6.52	4.65-7.19	5.87	2-40	14.61	11.02	7.59


वाईटीएम: परिपक्वता प्रतिफल। -: लागू नहीं। @: निर्गमों की अवशिष्ट परिपक्वता तथा आंकड़ों को पूर्णांकित किया गया है।

*: विशेष प्रतिभूतियों तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वापसी-खरीद/स्विच को छोड़कर। **: 30 जून 2020 तक।

स्रोत: भारिबैं।

गया। 7 अक्टूबर 2019 को एक नया 10-वर्षीय जी-सेक पेपर (6.45% जीएस 2029) जारी किया गया, जिसका कूपन पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम था (8 जनवरी 2019 को 7.26 % पर जारी जीएस 2029)। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक उदारता के ऐसे कई अन्य उपाय घोषित किए जिससे प्रतिफल वक्र प्रभावित हुआ। विशेष रूप से, दिसंबर 2019 तथा जनवरी 2020 में ₹ 40,000 करोड़ की विशेष ओमएमओ संपन्न की गई, जिसमें रिज़र्व बैंक ने दीर्घावधि प्रतिभूतियों की खरीद और अल्पावधि प्रतिभूतियों की बिक्री एक साथ की। रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में उचित लागत पर टिकाऊ चलनिधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन से फरवरी तथा मार्च 2020 में ₹ 1,25,000 करोड़ के 1-वर्ष एवं 3-वर्ष अवधि के दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ) भी संपादित किए। चूंकि प्रणाली में ऋण उठाव में मंदी बनी हुई थी, इसलिए एलटीआरओ से अल्पावधि पेपर्स वाले जी-सेक प्रतिफल में नरमी आई। इन गतिविधियों से अल्पावधि और दीर्घावधि जी-सेक प्रतिफल के स्प्रेड में वृद्धि हुई और मार्च 2020 के अंत तक प्रतिफल वक्र तेज (स्टीप) हो गया। 10-वर्ष अवधि के जी-सेक प्रतिफल के इर्द-गिर्द अधोमुखी प्रवृत्ति देखी गई, जिसे आंशिक रूप से इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि 10-वर्ष अवधि बेंचमार्क

पेपर में चलनिधि प्रीमियम उच्च बनी रही और साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा संपादित किया गया विशेष ओएमओ भी इसका कारण रहा, जिससे 10-वर्ष पेपर का प्रतिफल आस-पास की अवधि से अधिक कम हो गया। 14-वर्ष से आगे के जी-सेक पेपर का प्रतिफल वक्र सपाट (फ्लैट) बना रहा और पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें नीचे की तरफ मोटे तौर पर एक समानांतर शिफ्ट देखा गया (चार्ट VII.1)।



VII.18 2019-20 के दौरान, बाजार उधारियों का लगभग 54.2 प्रतिशत 10 वर्ष और इससे ऊपर की अवधि परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए जुटाया गया, जबकि पिछले वर्ष यह प्रतिशत 53.5 था, जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान 10 वर्ष से कम परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट देखी गई। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, दीर्घावधि निवेशकों जैसे बीमा कंपनियों तथा पेंशन निधियों की मांगों को पूरा करने के प्रयोजन से 30 वर्ष तथा 40 वर्ष अवधि के पेपर निर्गमित/पुनः निर्गमित किए गए (सारणी VII.3)।

भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों का निर्गमन

VII.19 पुनर्पूजीकरण की दिशा में नकद न्यूट्रल आधार पर 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), एक्जिम बैंक, आईडीबीआई बैंक तथा इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को 7 भागों में कुल ₹ 75,847.60 करोड़ की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां (गैर-हस्तांतरणीय) निर्गत की गईं। इन प्रतिभूतियों पर कूपन 6.13 से लेकर 6.79 प्रतिशत के दायरे में था।

खजाना बिल

VII.20 सरकार की अल्पावधि नकद जरूरतों को खजाना बिलों के निर्गमन से पूरा किया जाता है। 2019-20 के दौरान खजाना

बिलों (91, 182 तथा 364 दिन) के जरिए सरकार की निवल अल्पावधि बाजार उधारियां थोड़ी बढ़कर ₹ 37,528 करोड़ हो गईं, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 35,600 करोड़ थी।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.21 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार 41.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंक एक साथ मिलकर सरकारी प्रतिभूतियों के सबसे बड़े धारक बने रहे, जिसके बाद बीमा कंपनियों (26.2 प्रतिशत) और भविष्य निधियों (10 प्रतिशत) का क्रम आता है। रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी 9.5 प्रतिशत और एफपीआई की 1.5 प्रतिशत रही। पेंशन निधियां, म्यूच्युअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थाएं (एफआई) और कॉर्पोरेट जी-सेक के अन्य धारक रहे।

प्राथमिक व्यापारी और न्यागमन

VII.22 मार्च 2020 के अंत में प्राथमिक व्यापारियों की संख्या 21 [14 बैंक-पीडी तथा 7 स्टैण्ड अलोन पीडी (एसपीडी)] रही। वर्ष के दौरान सभी प्राथमिक व्यापारियों ने जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को 15% की न्यूनतम अपेक्षा के ऊपर बनाए रखा। प्राथमिक व्यापारियों को अधिदेश है कि वे दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी करें और खजाना बिलों (टी-बिल)/नकद प्रबंधन

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गमन – परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2018-19		2019-20		2020-21*	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	1,08,899	19.1	1,46,000	20.6	86,000	24.9
5-9.99 वर्ष	1,57,000	27.5	1,79,000	25.2	89,000	25.7
10-14.99 वर्ष	98,000	17.2	1,37,000	19.3	93,000	26.9
15-19.99 वर्ष	71,101	12.5	15,000	2.1	-	-
20 वर्ष और अधिक	1,36,000	23.8	2,33,000	32.8	78,000	22.5
कुल	5,71,000	100.0	7,10,000	100.0	3,46,000	100.0

*: 30 जून 2020 तक। -: शून्य।

टिप्पणी: संख्याओं के पूर्णांकित किए जाने के कारण कॉलमों में दी गई संख्याओं के योग कुल योग से भिन्न हो सकते हैं।

स्रोत: भारिबैं।


बिलों (सीबीएम) के संबंध में बोली प्रतिबद्धता/सफलता अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करें। प्राथमिक व्यापारियों ने अगल-अगल रूप से 2019-20 की पहली छमाही में 62.78 प्रतिशत और दूसरी छमाही में 60.62 प्रतिशत औसत के साथ 40 प्रतिशत का निर्धारित न्यूनतम सफलता अनुपात हासिल किया। 2019-20 के दौरान टी-बिल/सीएमबी की नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा 71.67 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 71.44 प्रतिशत था। प्राथमिक व्यापारियों को 2019-20 के दौरान ₹ 41.01 करोड़ हामीदारी कमीशन अदा किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 139.86 करोड़ था, जो यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू बाजार में अस्थिरता कम रही।

सरकारी स्वर्ण बॉण्ड योजना

VII.23 रिज़र्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, 2019-20 के दौरान सरकारी स्वर्ण बॉण्ड के 10 ट्रैंच जारी किए जो कुल ₹ 2,316.37 करोड़ (6.13 टन) राशि के हैं। एसजीबी योजना के तहत, बॉण्ड एक ग्राम स्वर्ण और इसके गुणज में मूल्यवर्गित किए जाते हैं। न्यूनतम वार्षिक निवेश एक ग्राम है तथा अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम, प्रति हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) 4 किलोग्राम और ट्रस्ट तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं हेतु 20 किलोग्राम है। नवंबर 2015 में इस योजना की शुरुआत से लेकर (37 ट्रैंच) कुल ₹ 9,652.78 करोड़ (30.98 टन) राशि जुटाई गई है।

केंद्र सरकार का नकदी प्रबंधन

VII.24 केंद्र सरकार द्वारा 2019-20 की शुरुआत ₹1,27,693 करोड़ की नकदी शेष के साथ हुई। वर्ष की पहली तथा दूसरी छमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा क्रमशः ₹75,000 करोड़ तथा ₹ 35,000 करोड़ थी। केंद्र सरकार ने 2019-20 के दौरान 189 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए सीमा का सहारा लिया, जबकि पिछले वर्ष यह 173 दिनों के लिए था, और 52 दिनों के ओवरड्राफ्ट (ओडी) का सहारा लिया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 50 दिनों के लिए था। डब्ल्यूएमए/ओडी सहारे की सबसे अधिक राशि 4 जनवरी 2020 को ली गई ₹ 1,33,188 करोड़ थी। केंद्र सरकार द्वारा 2019-20 के दौरान नकदी प्रवाह में अल्पावधि



असंतुलन को दूर करने के लिए 10 से 84 दिन अवधि के ₹3,00,000 करोड़ राशि के नकद प्रबंधन बिल निर्गमित किए गए। केंद्र सरकार की ₹ 55,573 करोड़ की नकदी शेष के साथ यह वर्ष समाप्त हुआ (चार्ट VII.2)।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.25 चौदहवें वित्त आयोग (एफसी) की इन सिफारिशों के बाद कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा से राज्यों को (दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, तथा अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) बाहर कर दिया जाए, विगत कुछ वर्षों में राज्यों की बाजार उधारियों में बढ़त देखी गई है। परिणामस्वरूप, सकल राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण में बाजार उधारियों की हिस्सेदारी 2017-18 के 84.0 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 (बीई) में 87.9 प्रतिशत हो गई।

VII.26 पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान राज्यों की सकल तथा निवल दोनों बाजार उधारियां अधिक रहीं। सकल बाजार उधारियों में 32.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निवल बाजार उधारियों में 39.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान मोचन में कम वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई (सारणी VII.4)। 2019-20 में 636 निर्गम हुए, जिनमें से 114 पुनः

सारणी VII.4: एसडीएल के जरिए राज्यों की बाजार उधारियां

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वताएं	78,815	1,29,680	1,47,067	1,47,038
अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत सकल स्वीकृति	4,82,475	5,50,071	7,12,744	5,11,189
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	4,19,100	4,78,323	6,34,521	1,67,276
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	3,40,281	3,48,643	4,87,454	1,39,109
कुल स्वीकृति की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	86.9	87.0	89.0	32.7
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में)#	24,29,892	27,78,536	32,65,989	33,93,098

*: 30 जून 2020 तक।

#: उदय एवं अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित।

स्रोत: भारिबैं।

निर्गमित थे (2018-19 में 467 निर्गमों में से, 59 पुनः निर्गमित थे), जो राज्यों द्वारा कर्ज समेकन की दिशा में किए गए प्रयासों को दर्शाता है।

VII.27 2019-20 के दौरान निर्गत हुए राज्य सरकार ऋणों के कट-ऑफ प्रतिफल का भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 8.32 प्रतिशत की तुलना में, 7.24 प्रतिशत के निम्नतर स्तर पर रहा। तदनुसार, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में एसडीएल निर्गमों का भारित औसत स्प्रेड (डब्ल्यूएएस) पिछले वर्ष के 64.66 आधार अंकों के मुकाबले 2019-20 में 55.02 आधार अंक रहा। 2019-20 में, सत्रह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने 2 से 40 वर्ष तक की अवधि दायरे में गैर-मानक प्रतिभूतियां निर्गत कीं। उच्चतर स्प्रेड से रणनीतिक रूप से निपटने के लिए, नौ राज्यों ने कुछ नीलामियों में सभी बोलियों को अस्वीकृत कर दिया। निष्क्रिय समेकन की नीति को अपनाते हुए, 11 राज्यों (नामत: बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू और तेलंगाना) ने 2019-20 के दौरान पुनः निर्गमन किया, जिससे द्वितीयक बाजार में उनकी प्रतिभूतियों में तरलता निर्मित करने में मदद मिली। 2019-20 में 10 वर्ष के नए निर्गमों पर औसत अंतर-राज्य प्रतिफल स्प्रेड 6 आधार अंक था, जो कि 2018-19 में भी था, जिससे जारीकर्ता राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य से उनका लगातार विलगाव परिलक्षित होता है।

राज्य सरकारों का नकदी प्रबंधन

VII.28 राज्य सरकारों की डब्ल्यूएमए योजना पर गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुमित बोस) की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2020-21 में होनेवाली अगली समीक्षा तक डब्ल्यूएमए सीमा ₹ 32,225 करोड़ निर्धारित की गई। वर्तमान में, एक नई समिति (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) इन सीमाओं की समीक्षा कर रही है। इसकी अनुशंसाओं के आने तक, 1 अप्रैल 2020 को यह निर्णय लिया गया कि डब्ल्यूएमए सीमा को इसके मौजूदा स्तर से 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपट सकें। 17 अप्रैल 2020 को, रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से आगे और 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। यह अंतरिम उपाय 30 सितंबर 2020 तक वैध रहेगा। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र नकदी प्रवाह असंतुलन को दूर कर सकें, इस हेतु 7 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक ओवरड्राफ्ट (ओडी) में दिनों की संख्या बढ़ाकर, उन्हें ओवरड्राफ्ट योजना सुविधा में रियायत दी गई है। 2019-20 में सोलह राज्यों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ लिया। तेरह राज्यों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया और दस राज्यों ने ओडी का लाभ उठाया।

VII.29 हाल के वर्षों में, राज्यों द्वारा मध्यवर्ती खजाना बिलों (आईटीबी) और नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) के रूप में काफी

अधिक नकदी अधिशेष जमा की जाती रही है, इसमें हालांकि एक ऋणात्मक धारण लागत (कैरी कॉस्ट) होता है, अर्थात् राज्यों की औसत उधारी लागत (7.24 प्रतिशत) और एटीबी/आईटीबी की औसत प्रतिलाभ दर (2 प्रतिशत) के बीच मार्च 2020 के अंत में 524 आधार अंकों का एक ऋणात्मक स्प्रेड है। मार्च 2020 के अंत में आईटीबी में राज्यों का बकाया निवेश ₹ 1,54,757 करोड़ रहा, जबकि एटीबी में बकाया निवेश ₹ 33,504 करोड़ रहा (सारणी VII.5)।

समेकित ऋण-शोधन निधि/गारंटी उन्मोचन निधि में निवेश

VII.30 रिजर्व बैंक राज्य सरकारों (एसजी) की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है - समेकित ऋण-

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईटीबी तथा एटीबी में निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	31 मार्च तक बकाया				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	1,56,050	1,50,871	1,22,084	1,54,757	1,47,243
एटीबी	36,603	62,108	73,927	33,504	38,297
कुल	1,92,653	2,12,979	1,96,011	1,88,261	1,85,540

*: 30 जून 2020 तक।

स्रोत: भारिबैं।

शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (निधि) [बॉक्स VII.1]। ये आरक्षित निधियां राज्य सरकारों द्वारा स्वैच्छिक रूप से किए जाने वाले अंशदानों से तैयार की जाती हैं और इनका

बॉक्स VII.1

राज्यों की समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) योजनाएं: वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिकता

ऋण शोधन निधि, कर्ज भुगतान चुकौती के लिए अपेक्षित राशि के अलावे, अलग से और धन रखकर पुनर्वित्त जोखिम के प्रबंधन का एक विकल्प है और सरकारी प्रतिभूतियों में इनका निवेश किया जाता है। आईएमएफ सरकारों की पुनर्वित्त जोखिम का प्रबंधन करने के लिए ऐसी योजनाओं की अनुशंसा करता है (जोनासन एवं पर्पेआनॉ, 2018)। समूचे विश्वभर में, कर्ज प्रबंधक, ऋण शोधन निधि स्थापित करने सहित कई तरीकों से जोखिम का प्रबंधन करते हैं। भले ही, भारत में राज्यों की सीएसएफ/जीआरएफ योजनाओं की तुलना पूरी तरह से अन्य देशों के ऋण शोधन निधियों के साथ नहीं की जा सकती है, तब भी इस दृष्टिकोण से इनमें समानता है कि ये अंततः आरक्षित निधियां हैं जिन पर किसी आकस्मिक स्थिति में भरोसा किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रिका, टर्की, डेनमार्क तथा स्पेन जैसे देश एक नैसर्गिक हेज, जिसे 'चलनिधि बफर' कहा जाता है, का निर्माण कर कर्ज स्टॉक के एक्सपोजर का प्रबंधन करते हैं। लोक ऋण से संबंधित जोखिम को कम करने में चलनिधि बफर प्रभावी साबित हुआ है। खजाना गारंटी की संभावित हानि की भरपाई करने के लिए रिपब्लिक ऑफ टर्की के केंद्रीय बैंक में 2003 में एक जोखिम खाता बनाया गया। इस खाते के राजस्व में, लिए गए ऋणों से संबंधित हिताधिकारी संस्थाओं की गारंटी/ऑन-लेंट फ्रीस, ब्याज आय और चुकौतियां शामिल हैं। डेनमार्क में, एक वर्ष की कर्ज चुकौती चुकाने के लिए आरक्षित नकदी का एक स्तर रखा जाता है (कौच, 2014)।

भारत में, कुछ वर्षों में, दोनों निधियों में समग्र निवेश में बढ़त का रुझान देखा गया है। मार्च 2020 के अंत की स्थिति के अनुसार, सीएसएफ राज्यों की पिछले वर्ष की बकाया देयताओं का 2.6 प्रतिशत है और जीआरएफ बकाया गारंटियों का 1.7 प्रतिशत है। केवल 8 राज्यों ने सीएसएफ को अपनी बकाया देयताओं

के 5 प्रतिशत से ऊपर के वांछनीय स्तर पर बनाए रखा और 11 राज्यों ने जीआरएफ को अपनी बकाया गारंटियों के 5 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा। पिछले कुछ वर्षों में राज्यों द्वारा शेष राशियों की तुलना में इन निधियों का वार्षिक उपयोग सारणी 1 में दिया गया है।

सीएसएफ/जीआरएफ को आकर्षक बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय

- डब्ल्यूएमए पर गठित सलाहकार समिति (2016) [अध्यक्ष: श्री सुमित बोस], की अनुशंसा को मानते हुए, किसी सीमा के बगैर (अर्थात् डब्ल्यूएमए सीमा तक सीमित नहीं) एसडीएफ का लाभ उठाने के लिए सीएसएफ/जीआरएफ में वृद्धिशील निवेश की अनुमति दी गई है।

सारणी 1: राज्यों/यूटी द्वारा सीएसएफ तथा जीआरएफ का उपयोग

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	मार्च-अंत में बकाया शेष		वर्ष के दौरान आहरण	
	2	3	4	5
1	सीएसएफ	जीआरएफ	सीएसएफ	जीआरएफ
2017-18	99,271	5,439	427	-
2018-19	1,14,701	6,514	1,201	21
2019-20	1,30,431	7,486	47	-
2020-21*	1,31,356	7,595	1,750	-

:- शून्य।

*30 जून 2020 की स्थिति।

स्रोत: भारिबैं।

(जारी...)

- राज्य सरकारों द्वारा इन निधियों के अनुरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जून 2018 में सीएसएफ/जीआरएफ में हुए वृद्धिशील निवेश के विरुद्ध लिए गए एसडीएफ पर ब्याज दर को रिपो दर के 100 आधार अंक नीचे से कम करके रिपो दर के 200 आधार अंक नीचे कर दिया।
- कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकारों को होने वाले वित्तीय दबाव के मद्देनजर, एक अंतरिम उपाय के रूप में, 22 मई 2020 को यह निर्णय लिया गया कि सीएसएफ योजना के आहरण मानदण्डों को उदार बनाया जाए। वर्तमान नियम में उपचित ब्याज तक आहरण की अनुमति है, जबकि इस रियायती मानदण्ड के तहत, राज्यों को अनुमति दी गई है कि वे 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार सीएसएफ बकाए में अपने कुल शेष का 75 प्रतिशत तक आहरित कर सकते हैं और आहरण की मात्रा चालू वित्त वर्ष 2020-21 में हुए बाजार उधारियों के प्रति देय मोचन तक सीमित होगी। इस रियायत से राज्यों को लगभग ₹13,300 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी ताकि वे 2020-21 में अपनी मोचन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सामान्यतया अनुमत सीमा को साथ लेते हुए, यह अतिरिक्त राशि 2020-21 में उनके मोचन के लगभग 45 प्रतिशत को कवर करेगी। रियायती दिशानिर्देश के अनुसार, ग्यारह राज्य 2020-21 में अपने मोचन का 100 प्रतिशत कवर कर पाने में समर्थ होंगे, जबकि मौजूदा नियमों के अनुसार छः राज्य ही ऐसा करने में समर्थ हैं। आहरण हेतु उपलब्ध इस अतिरिक्त राशि का उपयोग करने के बाद भी राज्य सरकारें अपने सीएसएफ में एक काफी बड़ी राशि बनाए रख पाएंगी।

सीएसएफ/जीआरएफ जैसे बफर फंड राज्यों के निर्गमों में निवेशक के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे बदले में, राज्य सरकारों की उधारी लागत पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दबाव के समय पर, राज्य

सीएसएफ से आहरण में कमी कर सकते हैं, जिससे बदले में, उनके पहले की उधारियों की चुकौती के लिए आगे और उधार लेने की आवश्यकता कम हो सकती है। राज्य सरकारों की उधार/देयता पर किसी चूक से बाजार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और सीएसएफ तथा जीआरएफ जैसी आरक्षित निधियां दबाव के समय पर बचाव उपलब्ध करा सकती हैं। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बीच इन दो आरक्षित निधियों के महत्व पर जितना कहा जाए कम होगा, और वह भी तब जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने वित्त को लेकर परेशानी से जूझ रहे हों। हालांकि, ऐसी आरक्षित निधियों को बनाए रखने में कुछ कमियां हैं। यदि ये निधियां उधार ली गई निधियों से निर्मित की जाती हैं, तब इन आरक्षित निधियों को बनाए रखने से राज्यों के उधार उस स्तर तक बढ़ जाएंगे। वर्तमान में, सीएसएफ योजना के तहत, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (95 प्रतिशत से अधिक) में प्राथमिक रूप से निवेश किया जाता है और बाकि बचा निवेश अन्य राज्यों की एसडीएल में की जाती है। चूंकि केंद्र सरकार का प्रतिफल एसडीएल की तुल्य अवधि के प्रतिफल के मुकाबले कम होता है, इसलिए इन निवेशों पर एक ऋणात्मक धारण होता है। इसके अलावा, सीएसएफ में रखी निधियों का उपयोग 5 वर्ष की अवरुद्धता अवधि से पहले नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अनुभव बताते हैं कि ऐसी बफर निधियों को बनाए रखने के लाभ हानियों पर अधिक भारी पड़ते हैं।

संदर्भ:

- थॉरडर जोनासन एवं माइकल पर्पेआनॉ (2018), 'ए प्राइमर ऑन मैनेजिंग सॉवरिन डेट-पोर्टफोलियो रिस्क', आईएमएफ वर्किंग पेपर नं. डब्ल्यूपी/18/74, अप्रैल।
- फटॉस कौच (2014), 'सॉवरिन एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर डीएमओज: वाट डू कंट्री इक्सपीरीअन्सेस सजेस्ट', यूनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (यूएनसीटीएडी), जनवरी।

प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित योजनाओं के अनुरूप किया जाता रहा है। सीएसएफ एक परिशोधन निधि है जिसकी शुरुआत 1999 में राज्य सरकारों के चुकौती दायित्वों को पूरा करने के लिए किया गया था। 5 वर्ष की अवरुद्धता अवधि के बाद, राज्य पिछले वित्त वर्ष (एफवाई) की समाप्ति तक उपचित एवं संचित ब्याज का आहरण करने हेतु पात्र हैं। 2012 में एक कार्यदल ने अनुशंसा की कि अगले 5 वर्षों के भीतर राज्य देयताओं के न्यूनतम 3 से 5 प्रतिशत तक की एक आधारभूत निधि निर्मित की जाए। अब तक, 24 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात् पुदुचेरी ने सीएसएफ निर्मित किया है। राज्य सरकारों द्वारा जीआरएफ का निर्माण राज्य स्तरीय संस्थाओं की ओर जारी किए गए गारंटियों के चलते उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने के

लिए किया जाता है। रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2001 में राज्य सरकारों को उनकी स्वैच्छिक स्वीकृति हेतु जीआरएफ योजना परिचालित की और पिछले वर्ष के अंत तक बकाया गारंटियों के कम से कम 1.0 प्रतिशत के आरंभिक अंशदान, तथा इसके बाद न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान की परिकल्पना की ताकि अगले पांच वर्षों में न्यूनतम 3 प्रतिशत का स्तर प्राप्त किया जा सके। इस निधि में हुई अभिवृद्धि का प्रयोग केवल राज्य सरकारों द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए ही किया जा सकता है और हिताधिकारी द्वारा ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान में, 18 राज्य जीआरएफ के सदस्य हैं। राज्य सीएसएफ तथा जीआरएफ में अपने वृद्धिशील वार्षिक निवेश के विरुद्ध रिज़र्व बैंक से रियायती दर पर एक विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ भी ले

सकते हैं। मार्च 2020 के अंत में राज्यों का सीएसएफ तथा जीआरएफ में बकाया निवेश क्रमशः ₹ 1,30,431 करोड़ तथा ₹ 7,486 रहा, जबकि मार्च 2019 में यह क्रमशः ₹ 1,14,701 करोड़ तथा ₹ 6,513.73 करोड़ था। सीएसएफ तथा जीआरएफ में 2019-20 में कुल निवेश ₹ 23,464 करोड़ था। 2019-20 के दौरान राज्यों द्वारा सीएसएफ तथा जीआरएफ से कुल विनिवेश ₹ 47.40 करोड़ था।

3. 2020-21 की कार्ययोजना

VII.31 केंद्रीय बजट 2020-21 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए ₹ 7,80,000 करोड़ (जीडीपी का 3.5 प्रतिशत) की सकल बाजार उधारियों का आकलन किया गया है, जो 2019-20 में किए गए ₹ 7,10,000 करोड़ के आकलन की तुलना में लगभग 9.9 प्रतिशत अधिक है। ₹ 5,35,870 करोड़ की निवल बाजार उधारियों [अल्पावधि कर्ज तथा डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ) सहित] का आकलन किया गया है, जिससे 2020-21 में 67.3 प्रतिशत जीएफडी वित्तपोषित होगी (2019-20 आरई में 65.1 प्रतिशत)। केंद्र सरकार की नकदी स्थिति और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार (जीओआई) ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से निर्णय लिया कि राजकोषीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के बाकि बचे भाग (11 मई – 30 सितंबर 2020) के लिए सरकारी प्रतिभूति निर्गमन के निर्देशात्मक कैलेंडर में परिवर्तन किया जाए और पूरे 2020-21 वर्ष हेतु सकल बाजार उधारियों को संशोधित कर ₹ 12 लाख करोड़ कर दिया। इसके अलावा, कोविड-19 के मद्देनजर राज्यों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयोजन से, शर्तों के अधीन, राज्य सरकारों की उधार सीमा को जीएसडीपी के मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

VII.32 इन अपेक्षाओं के बीच, बाजार उधार कार्यक्रम निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुकामों के साथ संपन्न किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि इस अध्याय की शुरुआत में वर्णित कर्ज प्रबंधन के समग्र लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके :

- एसडीएल में, प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) की

शुरुआत, जैसा कि रिजर्व बैंक की 7 अगस्त 2019 की विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति वक्तव्य में घोषणा की गई है (उत्कर्ष);

- सरकारी प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने में सुगमता - भौतिक रूप में जारी क्षतिपूर्ति बॉण्डों की चुकौती को राज्य राजकोष से पृथक करना (उत्कर्ष);
- ई-कुबेर में गिल्ट खाते के प्रतिरूपण की प्रक्रिया को पूरा करना; रिजर्व बैंक के ई-कुबेर पोर्टल में सरकारी प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा ऋण हेतु धारणाधिकार चिह्नंकित करने की व्यवहार्यता की जांच; और सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल)/ ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता-बही (सीएसजीएल) से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा;
- कैलेण्डर चालित, नीलामी आधारित स्विचेज तथा वापसी-खरीद परिचालन के साथ-साथ प्रतिभूतियों के पुनः निर्गमन के जरिए ऋण का समेकन ताकि जी-सेक में तरलता बढ़ाई जा सके और नए निर्गम किए जा सकें;
- बाजार उधारियों को इष्टतम अनुकूल विधि में प्रयोग किए जाने की संभावनाओं का पता लगाना; बेहतर नकदी प्रबंधन हेतु चलनिधि बफर निर्मित करने के तरीके का विकास; और रिजर्व बैंक के डेटा वेयरहाउस में लोक ऋण डेटा का समेकन (बाजार उधारियों, मूल्यांकन तथा विशेष प्रतिभूतियों से संबंधित डेटा सहित);
- डेटा की गुणवत्ता तथा सटीकता में सुधार लाने के लिए डेटा रिपोर्टिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जाना; और
- राज्य सरकारों को नकदी एवं तथा कर्ज प्रबंधन के विवेक-सम्मत उपायों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन।

4. निष्कर्ष

VII.33 कुल मिलाकर, 2019-20 के दौरान, केंद्र तथा राज्यों की संयुक्त सकल बाजार उधारियां ऋण प्रबंधन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न की गईं। कोविड-19

महामारी के मद्देनजर केंद्र तथा राज्यों दोनों के वित्त पर हुए दबावों का प्रबंधन करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई अंतरिम उपायों की भी घोषणा की है। आने वाले समय में, रिज़र्व बैंक सरकारी कर्ज के समेकन के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा।

समीक्षाधीन वर्ष में, रिज़र्व बैंक ने जनता को विभिन्न मूल्यवर्गों के स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की। मुद्रा प्रबंध के कार्यों का बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) के साथ एकीकरण, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों (सीवीपीएस) का बदला जाना और बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन (मणि) का लाया जाना अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। कोविड-19 के चलते मांग में बढ़ोतरी के बीच रिज़र्व बैंक ने जनता के लिए स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी।

VIII.1 वर्ष 2019-20 में रिज़र्व बैंक के अधिदेश में मुद्रा प्रबंध के क्षेत्र में आने वाली आंतरिक कार्य प्रक्रियाओं का सुदृढीकरण उल्लेखनीय रहा। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों (सीवीपीएस) का उन्नयन हुआ तथा समन्वित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आईकॉम्स) एप्लीकेशन के स्थान पर एक उन्नत मुद्रा प्रबंध मॉड्यूल (सीवाईएम) लाया गया जो रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) के साथ एकीकृत है।

VIII.2 कोविड-19 महामारी के चलते बढ़ी हुई अनिश्चितता के कारण मुद्रा (करेंसी) की मांग बढ़ने लगी। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए। इसके अतिरिक्त, नोट मुद्रणालयों, पेपर मिलों और बैंकों को भी व्यवसाय निरंतरता योजना / आकस्मिकता योजना स्थापित करने को कहा गया ताकि करेंसी की लगातार आपूर्ति में कोई भी व्यवधान न आने पाए।

VIII.3 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय का शेष अंश चार भागों में समेटा गया है। इसके तुरंत बाद आ रहे भाग 2 में इस वर्ष संचलनगत मुद्रा में हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। 2019-20 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को भाग 3 कवर करता है और भाग 4, 2020-21 की कार्ययोजना बताता है। अध्याय निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है।

2. संचलनगत मुद्रा संबंधी घटनाक्रम

VIII.4 संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में बैंकनोट और सिक्के आते हैं। वर्तमान में, रिज़र्व बैंक ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500, और ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट जारी करता है। संचलनगत सिक्कों में 50 पैसे और ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और हाल में जारी ₹20 मूल्यवर्ग का सिक्का शामिल है। मूल्य के रूप में देखें तो कुल संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में बड़ा हिस्सा बैंकनोटों का है (लगभग 99 प्रतिशत)।

बैंकनोट

VIII.5 वर्ष 2019-20 के दौरान संचलनगत बैंकनोटों के मूल्य में 14.7 प्रतिशत और मात्रा में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्य के संदर्भ में, मार्च 2020 के अंत में ₹500 और ₹2000 के बैंकनोट एक साथ मिलकर कुल संचलनगत बैंकनोटों का 83.4 प्रतिशत थे जिसमें ₹500 के बैंकनोटों का अंश तेजी से बढ़ा है। मात्रा की बात करें तो, मार्च 2020 के अंत तक ₹10 और ₹100 के बैंकनोट कुल संचलनगत बैंकनोटों के 43.4 प्रतिशत रहे (सारणी VIII.1)।

सिक्के

VIII.6 वर्ष 2019-20 में संचलनगत सिक्कों का कुल मूल्य 1.8 प्रतिशत बढ़ा जबकि कुल मात्रा केवल 1.2 प्रतिशत बढ़ी। 31

सारणी VIII.1: संचलनगत बैंक नोट (मार्च- अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	नोटों की संख्या (लाख में)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	1,14,253 (11.2)	1,13,025 (10.4)	1,12,203 (9.7)	4,433 (0.2)	4,372 (0.2)	4,331 (0.2)
10	3,06,449 (29.9)	3,12,598 (28.7)	3,04,022 (26.2)	30,645 (1.7)	31,260 (1.5)	30,402 (1.3)
20	1,00,160 (9.8)	87,127 (8.0)	82,994 (7.2)	20,032 (1.1)	17,425 (0.8)	16,599 (0.7)
50	73,430 (7.2)	86,015 (7.9)	86,009 (7.4)	36,715 (2.0)	43,007 (2.0)	43,004 (1.8)
100	2,22,150 (21.7)	2,00,738 (18.5)	1,99,021 (17.2)	2,22,150 (12.3)	2,00,738 (9.5)	1,99,021 (8.2)
200	18,526 (1.8)	40,005 (3.7)	53,646 (4.6)	37,053 (2.1)	80,010 (3.8)	1,07,293 (4.4)
500	1,54,690 (15.1)	2,15,176 (19.8)	2,94,475 (25.4)	7,73,429 (42.9)	10,75,881 (51.0)	14,72,373 (60.8)
1,000	661 (...)	-	-	6610 (0.4)	-	-
2,000	33,632 (3.3)	32,910 (3.0)	27,398 (2.4)	6,72,642 (37.3)	6,58,199 (31.2)	5,47,952 (22.6)
कुल	10,23,951	10,87,594	11,59,768	18,03,709	21,10,892	24,20,975

-: लागू नहीं.: नगण्य

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

2. संभव है पूर्णांकन के कारण कोष्ठकों में दिए गए अंकों का योग 100 न हो।

स्रोत : आरबीआई

मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के मिलकर संचलनगत सिक्कों की कुल मात्रा का 83.7 प्रतिशत रहे,

जबकि मूल्य के अनुसार इन मूल्यवर्गों का हिस्सा 78.3 प्रतिशत रहा (सारणी VIII.2)।

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के (मार्च-अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	नोटों की संख्या (लाख में)			मूल्य (₹ करोड़)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	1,47,880 (12.4)	1,47,880 (12.3)	1,47,880 (12.1)	700 (2.7)	700 (2.7)	700 (2.7)
1	4,96,360 (41.7)	5,03,260 (41.8)	5,08,878 (41.8)	4,964 (19.4)	5,033 (19.5)	5,089 (19.3)
2	3,28,550 (27.6)	3,31,540 (27.6)	3,35,158 (27.5)	6,571 (25.7)	6,631 (25.6)	6,703 (25.5)
5	1,66,500 (14.0)	1,71,510 (14.2)	1,75,992 (14.4)	8,325 (32.5)	8,575 (33.2)	8,800 (33.5)
10	50,490 (4.3)	49,050 (4.1)	50,130 (4.1)	5,049 (19.7)	4,905 (19.0)	5,013 (19.1)
कुल	11,89,780	12,03,240	12,18,038	25,609	25,844	26,305

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

2. संभव है पूर्णांकन के कारण कोष्ठकों में दिए गए अंकों का योग 100 न हो।

स्रोत : आरबीआई

मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना

VIII.7 मुद्रा (बैंकनोट व सिक्के दोनों) के निर्गमन और इसके प्रबंधन का कार्य रिज़र्व बैंक देश में भर में फैले अपने निर्गम कार्यालयों, करेंसी चेस्टों और और छोटे सिक्कों के डिपो के माध्यम से करता है। 31 मार्च 2020 के अनुसार, करेंसी चेस्टों में भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा सबसे ज्यादा (58.3 प्रतिशत) रहा (सारणी VIII.3)।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.8 वर्ष 2019-20 के लिए बैंकनोटों की मांग एक वर्ष पहले की तुलना में 13.1 प्रतिशत कम थी। वर्ष 2019-20 में बैंकनोटों की आपूर्ति भी गत वर्ष की तुलना में 23.3 प्रतिशत कम रही जिसका मुख्य कारण कोविड-19 के प्रकोप से हुई उथल-पुथल व इसके फलस्वरूप हुआ लॉकडाउन था (सारणी VIII.4)।

VIII.9 वर्ष 2019-20 के लिए सिक्कों की मांग और आपूर्ति अपने पिछले वर्ष के स्तर से क्रमशः 44.5 और 49.3 प्रतिशत

सारणी VIII.3: करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो (मार्च 2020 के अंत के अनुसार)

वर्ग	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	1,962	1,689
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,180	908
निजी क्षेत्र के बैंक	206	168
सहकारी बैंक	8	7
विदेशी बैंक	4	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6	6
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	3,367	2,782
स्रोत : आरबीआई		

कम रही जो अर्थव्यवस्था में सिक्कों की मांग कम होने का सूचक है (VIII.5)।

गंदे नोटों का निपटान

VIII.10 लगातार निगरानी तथा सीवीपीएस/श्रेडिंग एंड ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) का पर्याप्त उपयोग करते हुए गंदे नोटों के

सारणी VIII.4: बैंक नोट की मांग तथा बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(संख्या करोड़ में)

मूल्यवर्ग (₹)	2017-18		2018-19		2019-20	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	-	-	-	-	-	1
10	424	431	392	429	147	147
20	246	205	5	21	125	134
50	378	279	423	404	240	234
100	807	317	633	641	330	327
200	269	283	262	273	205	196
500 (नया डिज़ाइन)	921	969	1,169	1,147	1,463	1,200
2,000	15	15	5	5	-	-
कुल	3,060	2,500	2,888	2,919	2,510	2,239

-: लागू नहीं।

टिप्पणी: 1. बीआरबीएनएमपीएल : भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड।

2. एसपीएमसीआईएल : भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड।

3. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए अंकों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत : आरबीआई

सारणी VIII.5: सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(संख्या करोड़ में)

मूल्यवर्ग (₹)	2017-18		2018-19		2019-20	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
₹1	183	201	200	255	10	11
₹2	118	154	100	129	80	80
₹5	170	154	113	68	100	100
₹10	300	76	200	161	120	115
₹20	-	-	-	-	30	5
कुल	771	585	613	613	340	311

-: लागू नहीं।
स्रोत : आरबीआई

निपटान का प्रसंस्करण तेज किया गया। परिणामतः, प्रसंस्कृत गंदे नोटों में वर्ष-दर-वर्ष 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.6)।

जाली नोट

VIII.11 वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंकिंग सेक्टर में पकड़े गए कुल जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) में से 4.6 प्रतिशत रिजर्व बैंक में और 95.4 प्रतिशत अन्य बैंकों द्वारा पकड़े गए (सारणी VIII.7)।

सारणी VIII.6: गंदे बैंक नोटों का निपटान (अप्रैल – मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4
2000	1	6	1,768
1000	68,467	22	0
500	2,00,237	154	1,645
200	-	1	318
100	1,054	37,945	44,793
50	827	8,352	19,070
20	1,137	11,626	21,948
10	4,975	65,239	55,744
5 तक	83	591	1,244
कुल	2,76,782	1,23,935	1,46,530

-: लागू नहीं. ...: शून्य
टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए अंकों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत : आरबीआई

सारणी VIII.7 : पकड़े गए जाली नोटों की संख्या (अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या)

वर्ष	रिजर्व बैंक में पकड़े गए	अन्य बैंकों में	कुल
1	2	3	4
2017-18	1,88,693 (36.1)	3,34,090 (63.9)	5,22,783 (100.0)
2018-19	17,781 (5.6)	2,99,603 (94.4)	3,17,384 (100.0)
2019-20	13,530 (4.6)	2,83,165 (95.4)	2,96,695 (100.0)

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. इसमें पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

स्रोत : आरबीआई

VIII.12 गत वर्ष की तुलना में, पकड़े गए जाली नोटों में ₹10, ₹50, ₹200 और ₹500 [महात्मा गाँधी (नई) शृंखला] के मूल्य वर्गों में क्रमशः 144.6 प्रतिशत, 28.7 प्रतिशत 151.2 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ₹20, ₹100 और ₹2,000 के मूल्यवर्गों में पकड़े गए जाली नोटों में क्रमशः 37.7 प्रतिशत, 23.7 प्रतिशत और 22.1 प्रतिशत की कमी आई (सारणी VIII.8).

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.13 गत वर्ष के ₹4,810.67 करोड़ की तुलना में 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक प्रतिभूति मुद्रण पर कुल व्यय 4,377.84 करोड़ आया जिसका मुख्य कारण इस वर्ष मांग का पहले से कम होना था।

सारणी VIII.8: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट मूल्य वर्ग के अनुसार (अप्रैल-मार्च)

(नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4
2 और 5	1	..	22
10	287	345	844
20	437	818	510
50	23,447	36,875	47,454
100	2,39,182	2,21,218	1,68,739
200	79	12,728	31,969
500 (महात्मा गांधी शृंखला)	1,27,918	971	11
500 (महात्मा गांधी (नई) शृंखला)	9,892	21,865	30,054
1,000	1,03,611	717	72
2,000	17,929	21,847	17,020
कुल	5,22,783	3,17,384	2,96,695
.. : शून्य			
स्रोत: आरबीआई			

3. वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

VIII.14 गत वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- वार्निश किए हुए बैंकनोटों की शुरुआत – क्षेत्र परीक्षण (उत्कर्ष) [पैरा VIII.15];
- भारतीय बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताओं की खरीद (उत्कर्ष) [पैरा VIII.16];
- मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) की खरीद (उत्कर्ष) [पैरा VIII.17];
- मुद्रा प्रबंध के विविध पक्षों से जुड़ी समितियों के सुझावों का कार्यान्वयन (उत्कर्ष) [पैरा VIII.18];
- मुद्रा प्रबंध के कार्यों का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) के साथ एकीकरण (उत्कर्ष) [पैरा VIII.19];

- बैंकनोटों के मूल्यवर्ग को पहचानने में दृष्टिबाधितों की सहायता (पैरा VIII.20);
- उपभोक्ताओं का बैंकनोट सर्वे (पैरा VIII.21);
- दृष्टिबाधित शृंखला के सिक्कों को जारी करना (पैरा VIII.22); और
- ध्यान देने के अन्य क्षेत्र (पैरा VIII.23)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

वार्निश किए हुए बैंकनोटों की शुरुआत – क्षेत्र परीक्षण

VIII.15 रिज़र्व बैंक ने क्षेत्र परीक्षण के तौर पर ₹100 के मूल्यवर्ग में वार्निश किए हुए बैंकनोट शुरू करने हेतु कई कदम उठाए हैं। तथापि, कोविड-19 महामारी से हुए व्यवधान एवं कुछ अन्य घटनाक्रमों के कारण इन नोटों की छपाई में देर हुई है।

भारतीय बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताओं की खरीद

VIII.16 बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं की खरीद के लिए भारत सरकार के 'सरकारी अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के अनुसार, "मेक इन इंडिया" खंड (यथा व्यवहार्य) को शामिल करते हुए जुलाई 2017 में एक वैश्विक बोली पूर्व अर्हता सूचना (ग्लोबल प्री क्वालिफिकेशन बिड नोटिस) जारी की गई। रिज़र्व बैंक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सक्रिय है।

मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) की खरीद

VIII.17 रिज़र्व बैंक ने वैश्विक टेंडर के जरिए 50 नई सीवीपीएस मशीनों की खरीद की। सभी 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में इन नयी मशीनों की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और शुरुआत की जा चुकी है। रिज़र्व बैंक ने जोखिम रहित, स्वच्छ और सुरक्षित ढंग से डिजाइन किए हुए कार्यस्थल बनाते हुए सीवीपीएस कक्षों को अत्याधुनिक/अंतरराष्ट्रीय मानकों के स्तर पर ले जाने का भी कार्य किया।

मुद्रा प्रबंध के विविध पक्षों पर समितियों के सुझावों का कार्यान्वयन

VIII.18 सभी प्रेस व पेपर मिलों में कच्चे माल की खरीद के मानकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, नोट मुद्रण प्रक्रिया और सुरक्षा विशेषताओं पर एक विशेषज्ञ समूह¹ (अध्यक्ष : श्री सी. कृष्णन) के सुझावों को वर्ष के दौरान कार्यान्वयन की प्रक्रिया में लाया गया। मुद्रा भंडारण और संचलन पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीसीएम)² [अध्यक्ष: श्री एन एस विश्वनाथन] और मुद्रा संचलन समिति (सीसीएम)³ [अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती] के परामर्शों का कार्यान्वयन करते हुए बैंकनोटों को सीधे करेंसी चेस्टों तक भेजने, धन-प्रेषण निगरानी प्रणाली (रेमिटेंस ट्रेकिंग सिस्टम) और कंटेनर वाहनों के उन्नयन में रिजर्व बैंक सक्रियता से लगा हुआ है ताकि प्रेषणों को संरक्षित, इष्टतम व सुरक्षित ढंग से भेजा जा सके। गंदे नोटों को समेटने व अंतिम छोर तक बैंकनोटों के वितरण की प्रक्रिया को मजबूत करने तथा एचएलसीसीएसएम, सीसीएम और विशेषज्ञ समूह के अन्य सुझाव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

मुद्रा प्रबंध के कार्यों का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) के साथ एकीकरण

VIII.19 ई-कुबेर में एक मुद्रा प्रबंध मॉड्यूल (सीवाईएम) विकसित किया जा रहा है ताकि मुद्रा परिचालनों के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का उन्नयन हो और करेंसी चेस्ट के लेन-देनों का लेखांकन रिजर्व बैंक के खाते में लगभग तत्काल प्रतिबिंबित हो। सीवाईएम के विभिन्न कार्य 3 चरणों में सामने लाए जा रहे हैं। चरण I और II में सभी 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के साथ सभी सक्रिय करेंसी चेस्टों को सीवाईएम मॉड्यूल में लाने का कार्य किया जाना था जो जून 2019 तक पूरा किया गया। इस नए मॉड्यूल से मुद्रा (करेंसी) लेनदेन का लेखांकन टी+0 आधार

पर हो रहा है, जबकि इससे पहले रिजर्व बैंक के पास आईकॉम्स नामक जो मुद्रा प्रबंध एप्लीकेशन था उसमें यह कार्य टी+1 आधार पर हो रहा था। यूजर रिपोर्टों का विकास तथा कुछ अन्य विशेषताओं वाले सीवाईएम मॉड्यूल का तीसरा चरण प्रगति पर है।

बैंकनोटों के मूल्यवर्ग को पहचानने में दृष्टिबाधितों की सहायता

VIII.20 भारतीय बैंकनोटों के मूल्यवर्ग को पहचानने में दृष्टिबाधितों की सहायता के लिए रिजर्व बैंक ने मणि (मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर) नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया जिसका उद्घाटन गवर्नर द्वारा 1 जनवरी 2020 को किया गया (बॉक्स VIII.1)।

उपभोक्ताओं का बैंकनोट सर्वे

VIII.21 (ए) उपभोक्ता स्तर पर नकद की कुल मांग और पसंदीदा मूल्यवर्ग के आकलन; (बी) बैंकनोटों की विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं के बारे में लोगों की जागरूकता को आँकने; और (सी) वर्तमान बैंकनोटों व सिक्कों को लेकर सामान्य व दृष्टिबाधित दोनों प्रकार के लोगों में संतुष्टि के स्तर को थाहने के उद्देश्य से विभाग ने अक्टूबर 2019 में उपभोक्ताओं का बैंकनोट सर्वे लॉन्च किया। वैसे, लॉकडाउन के कारण, इसका फ़ील्डवर्क स्थगित करना पड़ा।

दृष्टिबाधित शृंखला के सिक्कों का निर्गमन

VIII.22 मार्च 2019 में जारी की गई दृष्टिबाधितों के लिए सहायक सिक्कों की नई शृंखला रिजर्व बैंक के निर्गम (इश्यू) कार्यालयों के काउंटर पर परिचालन में लाई गई। जनता में व्यापक वितरण के लिए ये नई शृंखला करेंसी चेस्टों को भी भेजी गई।

¹ रिजर्व बैंक को यह रिपोर्ट 2018 में प्रस्तुत की गई।

² यह एक अंतरिम रिपोर्ट थी।

³ रिजर्व बैंक को यह रिपोर्ट 2017 में प्रस्तुत की गई।

बॉक्स VIII.1

दृष्टिबाधितों के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मणि)

भारतीय बैंकनोटों में कई विशेषताएं हैं जैसे, उत्कीर्ण मुद्रण (इंटेग्लियो प्रिंटिंग) और स्पर्शबोधक (टैक्टाइल) चिह्न, बैंकनोटों के विभिन्न आकार, बड़े अंक, बदलने वाले रंग, एकवर्णी (मोनोक्रोमेटिक) रंग और पैटर्न, जो दृष्टिबाधित (वर्णान्ध, आंशिक रूप से दृष्टिहीन और नेत्रहीन) लोगों को इन्हें पहचानने में सक्षम बनाती हैं। विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर 6 जून, 2018 के अपने वक्तव्य में, रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधितों द्वारा भारतीय बैंकनोटों की पहचान को और बेहतर करने के लिए एक उपयुक्त उपकरण या व्यवस्था विकसित करने की व्यवहार्यता की पड़ताल करने की अपनी मंशा घोषित की थी। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने मणि (मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर) नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया और 1 जनवरी 2020 को लॉन्च किया जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं :

- प्रकाश की विभिन्न स्थितियों (सामान्य प्रकाश/दिन का प्रकाश/कम प्रकाश आदि) में नोट तथा आधे मुड़े नोट को पकड़ने के विभिन्न कोणों से अगले/ पिछले हिस्से को चेक करने पर महात्मा गांधी शृंखला और महात्मा गांधी (नई शृंखला) के मूल्यवर्ग के नोटों की पहचान में सक्षम।
- हिंदी / अंग्रेजी में श्रव्य सूचना और अध्वनिक रूप जैसे कंपन (दृष्टि एवं श्रवण बाधित लोगों के लिए उपयुक्त) के माध्यम से मूल्यवर्ग को

पहचानने की क्षमता।

- इन्स्टॉल होने के बाद इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है और यह ऑफलाइन मोड में काम करता है।
- जहाँ भी संबंधित उपकरण (डिवाइस) और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों वॉयस आधारित कंट्रोल को सपोर्ट करेंगे, वहाँ एप्लीकेशन की विशेषताओं तक पहुँचने के लिए वॉयस कंट्रोल द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन को नेविगेट करने में सक्षम।
- एप्लीकेशन मुफ्त है तथा एंड्रॉइड प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर से बिना किसी शुल्क / भुगतान के डाउनलोड किया जा सकता है।
- यह मोबाइल एप्लीकेशन यह आधिप्रमाणित नहीं करता कि कोई नोट असली या जाली है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, जनता के लिए निःशुल्क आईनोट नामक एक ऐसा ही एप्लीकेशन ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग (बीईपी) द्वारा विकसित किया गया है।

संदर्भ:

1. आरबीआई प्रेस रिलीज़.
2. ब्यूरो ऑफ एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग (बीईपी), यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी।

ध्यान देने के अन्य क्षेत्र

VIII.23 मध्यावधि कार्यनीतिक ढाँचे के तहत, रिजर्व बैंक ने मुद्रा प्रबंध के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देना जारी रखा जैसे, मुद्रा के कुशल स्टॉक प्रबंधन के लिए प्रसंस्करण क्षमताओं व व्यवस्थाओं का उन्नयन तथा बैंकनोटों व सिक्कों की मांग के आकलन संबंधी मॉडल को और बेहतर बनाना।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि. (बीआरबीएनएमपीएल)

VIII.24 बीआरबीएनएमपीएल रिजर्व बैंक की एक पूर्ण स्वाधिकृत सहायक कंपनी है जो मैसूर व सालबोनी में दो प्रिंटिंग प्रेस चलाती है जिनकी कुल क्षमता दो-शिफ्ट के आधार पर 16 बिलियन बैंकनोट प्रति वर्ष है। शुरुआत से ही, कंपनी देश में बैंकनोटों की मांग व आपूर्ति का अंतर पाटने में रिजर्व बैंक की सहायक रही है। भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

(एसपीएमसीआईएल) के साथ बीआरबीएनएमपीएल ने मैसूर में बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) स्थापित की है जो बैंकनोटों के उत्पादन में लगने वाले सिलिंडर मोल्ड वीएटी मेड वाटरमार्क बैंक नोट (सीडब्ल्यूबीएन) पेपर का उत्पादन करती है तथा इसकी क्षमता प्रति वर्ष 12,000 मीट्रिक टन है। बीआरबीएनएमपीएल ने मैसूर में 1500 मीट्रिक टन की क्षमता वाली एक स्याही (इंक) की फैक्ट्री भी लगाई है जिसका वाणिज्यिक उत्पादन अगस्त 2018 से प्रारंभ हो चुका है।

4. 2020-21 के लिए कार्ययोजना

VIII.25 इस वर्ष विभाग निम्नलिखित पर ध्यान देगा :

- बैंकनोट संचालन (हैंडलिंग) प्रक्रिया का स्वचालन (उत्कर्ष)

- o आधुनिक तकनीक द्वारा मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना व प्रक्रियाओं का उन्नयन
- बैंकनोटों के लिए माइक्रोसाइट
 - o एक माइक्रोसाइट डिजाइन और विकसित करने की प्रक्रिया जारी रखना जिस पर बैंकनोटों की विशेषताओं पर मूलभूत जानकारी तथा मुद्रा प्रबंध संबंधी जानकारी रहे – सरल व कुशल नेवीगेशन युक्त विभिन्न मल्टीमीडिया प्रारूपों के जरिये बैंकनोटों पर जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ;
 - o समझाने वाले वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से बैंकनोटों की डिजाइन व सुरक्षा विशेषताओं का 360-डिग्री दृश्य (व्यू) प्रस्तुत करना;

- o बैंकनोट बदलने (एक्सचेंज)/नोट रिफंड नियमावली पर सूचनाप्रद सामग्री: और
- o संवादात्मक (इंटरैक्टिव) गेम और पोस्टर ।

5. निष्कर्ष

VIII.26 सारांश यह कि, कोविड -19 महामारी की चुनौती के बावजूद, रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में स्वच्छ करेंसी नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सफलतापूर्वक बनाए रखी। चलन में घुस आने वाले नकली नोटों के खतरों का मुकाबला करने तथा बैंकनोटों के विभिन्न पक्षों के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए भी रिज़र्व बैंक ने निरंतर प्रयास किए हैं। आने वाले समय में मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, भारतीय बैंकनोटों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में लोगों की जागरूकता में वृद्धि करने तथा बैंकनोटों की मांग के आकलन के मॉडलों को अधिक बेहतर बनाने के क्षेत्रों पर रिज़र्व बैंक ध्यान देगा।

वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने देश की भुगतान व्यवस्था में और अधिक प्रतिस्पर्धा और ग्राहक विश्वास के साथ, ई-भुगतान के संरक्षित, सुरक्षित, तेज और किफ़ायती विकल्प सुनिश्चित करना जारी रखा। एनईएफ़टी की चौबीस घंटे सतत सुविधा लागू करना इस यात्रा में मील का एक महत्वपूर्ण पत्थर था। भविष्य में, रिज़र्व बैंक का प्रयास रहेगा कि समाज के अब तक छूटे हुए तबकों तक ई-भुगतान के विभिन्न विकल्प पहुँचाए जाएँ; ये विकल्प सक्षम विनियामक वातावरण और सुदृढ़ ग्राहक संरक्षण से लैस हों। अब बैंकों की नई पीढ़ी की वित्तीय संदेश पद्धति और बेतार प्रौद्योगिकी केन्द्र में रहेगी।

IX.1 रिज़र्व बैंक के प्रयास सक्षम एवं सुरक्षित भुगतान और निपटान प्रणालियाँ विकसित करने की दिशा में तेज हो गए हैं जिसमें वहनीय लागत पर प्रयोक्ता-सुगम प्लेटफॉर्मों की उपलब्धता के जरिये अधिकाधिक पहुँच बढ़ाने पर फोकस किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग द्वारा तैयार किया गया भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 इस दिशा में भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों का सुचारु परिचालन सुनिश्चित करने के लिए एक गतिशील, सुदृढ़ तथा सुरक्षित प्लेटफ़ार्म बनाने का अपना प्रयास जारी रखा है। इसी पृष्ठभूमि में, आगामी खंडों में इस वर्ष के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में हुई प्रगति और 2019-20 की कार्ययोजना की कार्यान्वयन स्थिति का भी जायजा लिया गया है। खंड 3 में 2019-20 के लिए बनाई गई कार्ययोजना के मद्देनजर डीआईटी द्वारा वर्ष के दौरान किए गए उपायों का ब्योरा दिया गया है। इन विभागों ने 2020-21 के लिए भी कार्ययोजना बनाई है। अध्याय का सारांश अंत में दिया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.2 रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 में प्रत्येक भारतीय को संरक्षित, सुरक्षित, सुविधाजनक, तेज और किफ़ायती ई-भुगतान के विविध विकल्पों से लैस करने का लक्ष्य है। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान व्यवस्था में

किए गए विभिन्न उपाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कम लागत पर ग्राहक सुविधा और भुगतान प्रणाली में ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने की ओर उन्मुख रहे। बड़ा लक्ष्य यह है कि पूरे देश में डिजिटल भुगतान को अधिकाधिक रूप से बढ़ाना सुनिश्चित किया जाए- इसकी स्वीकार्यता और पहुँच दोनों की दृष्टि से, भुगतान प्रणालियों की संरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ग्राहक-केंद्रित उपायों से भी इसका समर्थन किया जाए।

भुगतान प्रणालियाँ

IX.3 भुगतान और निपटान प्रणालियों ने 2019-20 के दौरान सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की और मात्रा की दृष्टि से पिछले वर्ष के 55.8 प्रतिशत की वृद्धि के बाद पुनः 44.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। मूल्य की दृष्टि से, पिछले वर्ष के 14.2 प्रतिशत के बाद पुनः इसमें 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऐसा मुख्य रूप से बड़े मूल्यों वाली प्रणाली नामतः तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) में देखी गई निम्नतर वृद्धि के कारण हुआ। गैर-नकदी खुदरा भुगतान की कुल मात्रा में डिजिटल लेनदेन का हिस्सा बढ़कर 2019-20 के दौरान 97.0 प्रतिशत हो गया जो पिछले वर्ष के 95.4 प्रतिशत से अधिक था (सारणी IX.1)। तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि से आर्थिक गतिविधियाँ धीमी हुईं और विवेकाधीन भुगतान कम हुए। नतीजतन डिजिटल लेनदेनों में गिरावट आई (बॉक्स IX.1)।

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली के संकेतक- वार्षिक कारोबार (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़ में)		
	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली						
सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	35	36	36	10,74,80,202	11,65,51,038	13,41,50,192
बी. भुगतान प्रणाली						
1. बड़ी राशि वाली क्रेडिट अंतरण- आरटीजीएस	1,244	1,366	1,507	11,67,12,478	13,56,88,187	13,11,56,475
खुदरा खंड						
2. क्रेडिट अंतरण	58,793	1,18,750	2,06,661	1,88,14,287	2,60,97,655	2,85,72,100
2.1 एईपीएस (फंड अंतरण)	6	11	10	300	501	469
2.2 एपीबीएस	12,980	15,032	16,805	55,949	86,734	99,448
2.3 ईसीएस क्रेडिट	61	54	18	11,864	13,235	5,145
2.4 आईएमपीएस	10,098	17,529	25,792	8,92,498	15,90,257	23,37,541
2.5 एनएसीएच क्रेडिट	7,031	9,021	11,406	5,20,992	7,36,349	10,52,187
2.6 एनईएफटी	19,464	23,189	27,445	1,72,22,852	2,27,93,608	2,29,45,580
2.7 यूपीआई	9,152	53,915	1,25,186	1,09,832	8,76,971	21,31,730
3. डेबिट अंतरण और प्रत्यक्ष डेबिट	3,788	6,382	8,957	3,99,300	6,56,232	8,26,036
3.1 भीम आधार भुगतान	20	68	91	78	815	1,303
3.2 ईसीएस डेबिट	15	9	1	972	1,260	39
3.3 एनएसीएच डेबिट	3,738	6,299	8,768	3,98,211	6,54,138	8,24,491
3.4 एनईटीसी (बैंक खाता से लिंक किया हुआ)	15	6	97	39	20	203
4. कार्ड भुगतान	47,486	61,769	73,012	9,19,035	11,96,888	15,35,765
4.1 क्रेडिट कार्ड	14,052	17,626	21,773	4,58,965	6,03,413	7,30,895
4.2 डेबिट कार्ड	33,434	44,143	51,239	4,60,070	5,93,475	8,04,870
5. पूर्वदत्त भुगतान लिखत	34,591	46,072	53,318	1,41,634	2,13,323	2,15,558
6. पेपर- आधारित लिखत	11,713	11,238	10,414	81,93,493	82,46,065	78,24,821
कुल- खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	1,56,371	2,44,211	3,52,362	2,84,67,748	3,64,10,163	3,89,74,281
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	1,57,615	2,45,577	3,53,869	14,51,80,226	17,20,98,350	17,01,30,756
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	1,45,902	2,34,339	3,43,455	13,69,86,734	16,38,52,285	16,23,05,934

टिप्पणी: 1. आरटीजीएस में सिर्फ ग्राहक और अंतर-बैंक लेन-देन शामिल हैं।

2. सीबीएलओ, सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा लेन-देन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड(सीसीआईएल) के माध्यम से होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त व्यापार सहित और रिपो लेन-देन के दोनों चरण तथा त्रिपक्षी लेनदेन शामिल हैं। सीसीआईएल ने सीबीएलओ का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से बंद कर दिया और प्रतिभूति खंड के तहत त्रिपक्षीय रेपो का संचालन किया।

3. कार्डों से संबन्धित आंकड़ों में ऑनलाइन और बिक्री केंद्र (पीओएस) मशीनों से हुए लेन-देन को दर्शाया गया है।

4. कॉलमों में दिए गए आंकड़ों का जोड़ पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: आरबीआई

डिजिटल भुगतान

IX.4 भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों में, आरटीजीएस प्रणाली के अंतर्गत लेनदेन में 10.3 प्रतिशत का विस्तार हुआ, जिसका मूल्य ₹1,311.6 लाख करोड़ था। तथापि, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियों में गिरावट से कॉर्पोरेट के बड़े मूल्यों वाले

लेनदेनों में कमी आना। मार्च, 2020 के अंत तक, 218 बैंकों की 1,53,605 शाखाओं के माध्यम से आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध थी। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली से लेनदेन में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च, 2020 के अंत तक, 217 बैंकों की 1,53,687 शाखाओं के माध्यम से एनईएफटी सुविधा उपलब्ध थी।

बॉक्स IX.1

कोविड-19 संकट : भुगतान प्रणाली पर असर

कोविड-19 महामारी के कारण भारत में डिजिटल लेनदेन में कमी आई है। इसकी पुष्टि में, भारत में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में तेजी आई और यह 28 फरवरी के 11.2 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च को 14.5 प्रतिशत और 19 जून, 2020 को 21.3 प्रतिशत हो गई (एक वर्ष पूर्व यह 12.8 प्रतिशत थी)। इसी तरह, एक वर्ष पहले की 20.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि की तुलना में जनवरी-मई 2020 के दौरान डिजिटल लेनदेन के संचयी मूल्य में 25.5 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की गिरावट आई। इसमें से, डिजिटल खुदरा लेनदेन मूल्य वृद्धि में 10.6 प्रतिशत का संकुचन आया जबकि पिछले वर्ष इसमें 31.3 प्रतिशत की तेजी आई थी। तथापि, ये दोनों ही संकेतक मई, 2020 में बेहतर हो गए। डिजिटल भुगतान में, खुदरा आरटीजीएस मात्रा में मार्च (-12.3 प्रतिशत), अप्रैल (-52.5 प्रतिशत) और मई (-27.5 प्रतिशत) की गिरावट आई, जबकि रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस प्रभार हटा दिये जाने से इसमें जुलाई, 2019 से अच्छी वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) दर्ज की गई थी। जहां इसमें मई से तेजी आनी शुरू हुई, वहीं तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) से लेनदेन में फरवरी, 2020 से गिरावट आने लगी और यह गिरावट अप्रैल में और तीव्र हो गई। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की मात्रा में मार्च, 2020 में 5.9 प्रतिशत की गिरावट आई और अप्रैल, 2020 में 19.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह एक बिलियन लेनदेन से थोड़ा कम रही। तथापि, लॉकडाउन के धीरे-धीरे खुलने के साथ इसमें सुधार आया और जून में रिकॉर्ड 1.34 बिलियन लेनदेन हुआ। ई-कॉमर्स पोर्टल पर पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) के माध्यम से रुपये कार्ड लेनदेन के अनुपात में अप्रैल, 2020 में 237 प्रतिशत का उछाल आया, जो फरवरी, 2020 में 76.8 प्रतिशत था। यह सामाजिक दूरी के असर को दर्शाता है। लॉकडाउन के दौरान कम मांग के अलावा, डिजिटल भुगतान के ई-कॉमर्स एवं बिग-टेक जैसे अग्रणी उपयोगकर्ताओं द्वारा परिचालन स्थगित कर दिये जाने से कम मूल्य के डिजिटल भुगतानों की गिरावट में योगदान हुआ।

लॉकडाउन अवधि के दौरान डिजिटल लेनदेन में कमी वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के एकीकरण का संकेतक है। 2009-19 की अवधि का प्रायोगिक विश्लेषण सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण एकदिशात्मक ग्रांजर कारक संबंध का समर्थन करता है जो सांकेतिक जीडीपी और निजी अंतिम

सारणी- 1: आर्थिक गतिविधि और डिजिटल लेन-देन के बीच अंतर संबंधिता (नमूना: 2009 ति. 2 से 2019 ति. 4)

शून्य परिकल्पना (एचओ)	वित्तीय सांख्यिकी (संभावना)	स्वीकार / रद्द एचओ
1	2	3
डिजिटल (खुदरा) लेन-देन (जीवीएएलटीडीआरपी) के कुल मूल्य की वृद्धि नाममात्र निजी उपभोग खर्च (जीपी-सीएन) की वृद्धि का ग्रेंजर कॉज नहीं है	0.83 (0.52)	स्वीकार
नाममात्र के निजी उपभोग व्यय (जीपीसीएन) की वृद्धि डिजिटल (खुदरा) लेन-देन (जीवीएएलटीडीआरपी) के कुल मूल्य में वृद्धि का ग्रेंजर कॉज नहीं है	6.48 (0.00)	रद्द
डिजिटल लेनदेन के कुल मूल्य में वृद्धि (जीवीएएलटी-डीपी) नाममात्र जीडीपी (जीवाईएन) की वृद्धि का ग्रेंजर कॉज नहीं है	0.51 (0.73)	स्वीकार
नाममात्र जीडीपी की वृद्धि (जीवाईएन) डिजिटल लेनदेन के कुल मूल्य की वृद्धि (जीवीएएलटीडीपी) का ग्रेंजर कॉज नहीं है	3.42 (0.02)	रद्द

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

उपभोग व्यय (पीएफसीडी) की वृद्धि से डिजिटल और खुदरा लेनदेन मूल्य में वृद्धि की ओर उन्मुख है (सारणी 1)।

यह विश्लेषण, ऑटो-रेग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग मॉडल (एडीआरएल) फ्रेमवर्क में, डिजिटल खुदरा लेनदेन और पीएफसीडी के बीच दीर्घगामी संबंध को भी दर्शाता है। साथ ही, जब डिजिटल भुगतान हेतु अबाध वृद्धि के लिए सक्षमकारी स्थितियां होंगी जैसे - उपभोक्ताओं, स्थानीय कारोबारियों, वितरकों, उत्पादकों और अन्य हितधारकों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी का निर्बाध प्रसार- तब आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने से डिजिटल लेनदेन में तेजी आने की उम्मीद है।

स्रोत: आरबीआई

IX.5 2019-20 के दौरान, क्रेडिट कार्डों और डेबिट कार्डों के जरिये कार्ड भुगतान लेनदेन में क्रमशः 23.5 प्रतिशत और 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इनका मूल्य क्रमशः 21.1 प्रतिशत बढ़कर ₹ 7.3 लाख करोड़ और 35.6 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8.0 लाख करोड़ हो गए। प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) ने पिछले वर्ष के 33.2 प्रतिशत की वृद्धि के बाद पुनः इस वर्ष 15.7 प्रतिशत मात्रात्मक वृद्धि दर्ज की, जिनके लेनदेन का मूल्य ₹ 2.2 लाख

करोड़ रहा जो 1.0 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था। डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी काफी अधिक वृद्धि हुई; मार्च, 2020 के अंत तक, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों की संख्या 38.2 प्रतिशत बढ़कर 51.4 लाख हो गई और सेवा में मौजूद भारत क्यूआर कोडों की संख्या 74.6 प्रतिशत बढ़कर 20.28 लाख हो गई। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान, एटीएम की संख्या 2.22 से बढ़कर 2.34 लाख हो गई।

भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करना

IX.6 भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) तथा राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अलावा, पीपीआई जारीकर्ता, सीमा-पार से मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता, व्हाइट लेबल एटीएम (डबल्यूएलए) परिचालक, ट्रेड्स रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) प्लेटफॉर्म परिचालक, एटीएम नेटवर्क, तत्काल मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता, कार्ड भुगतान नेटवर्क और भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयाँ (बीबीपीओयू) शामिल हैं [सारणी IX.2]।

2019-20 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2021-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IX.7 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

सारणी IX.2: भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्राधिकार (जून के अंत में)

संस्थाएं	(संख्या)	
	2019	2020
1	2	3
ए. गैर- बैंक प्राधिकृत		
पीपीआई जारीकर्ता	47	43
डबल्यूएलए परिचालक	8	8
त्वरित धन अंतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीओयू	9	9
टीआरडीएस प्लेटफॉर्म परिचालक	3	3
सीमा पार धन अंतरण सेवा योजना परिचालक	9	9
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
बी. बैंक अनुमोदित		
पीपीआई जारीकर्ता	61	56
बीबीपीओयू	39	37
मोबाइल बैंकिंग प्रदाता	490	547
एटीएम नेटवर्क	3	3

टिप्पणी: दो गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के प्राधिकार प्रमाण पत्र (सीओए) की वैधता अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया, जबकि दो गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं ने स्वेच्छा से अपने सीओए को अध्यापित कर दिया।

स्रोत: आरबीआई

- भुगतान प्रणालियों में नेतृत्व और क्षेत्रीय सहयोग में सुगमकारी भूमिका (पैरा IX.9);
- संकेंद्रण जोखिम के समाधान हेतु नई खुदरा भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करने के लिए नीति दस्तावेज़ तैयार करना (पैरा IX.10);
- बीबीपीओयू, टीआरडीएस और डबल्यूएलए के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने/प्लेटफॉर्म प्रदान/परिचालित करने की इच्छुक संस्थाओं को प्राधिकृत करने की 'ऑन टैप' सुविधा प्रदान करना (पैरा IX.11);
- भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) का सृजन (पैरा IX.14);
- ग्राहक शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति के लिए टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) को बेहतर बनाने हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करना (पैरा IX.19);
- संस्थाओं की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के दायरे को विस्तृत करना (IX.28);
- वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों की निगरानी पर एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करना (पैरा IX.29); और
- केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री का सृजन (पैरा IX.30)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

IX.8 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ : विजन 2019-21 (विजन)' में, डीपीएसएस ने विजन हासिल करने के लिए चार घटक नामतः प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और भरोसा चिन्हित किए थे।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन

भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुँच

IX.9 2016 में अपने प्रारंभ से चार वर्षों से भी कम समय में, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ने लेनदेन की मात्रा की दृष्टि

से अन्य सभी भुगतान माध्यमों को पीछे छोड़ दिया है। यूपीआई में खास विशेषताएँ हैं: खुला और अंतरपरिचालनीय प्लेटफ़ार्म; टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन; भुगतान सेवा प्रदाताओं को मौजूदा ढांचे को और अधिक बढ़ाने की सुविधा; एक ही एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को जोड़ने की सुविधा; ई-मैडेट; और बैंक खातों तथा वॉलेट के साथ सुगम्यता, यह सब इसे सीमा-पार आकर्षण भी प्रदान करता है। इसी प्रकार, घरेलू कार्ड नेटवर्क-रुपे की वृद्धि भी इसके वैश्विक विस्तार का अवसर देती है। विजन में अपनी भुगतान प्रणालियों और विप्रेषण सेवाओं की वैश्विक पहुँच बढ़ाने का लक्ष्य समाविष्ट है। यह सब अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय फोरमों में सक्रिय सहभागिता और सहयोग के जरिये तथा मानक व्यवस्था के साथ सहयोग और समन्वय से हासिल किया जाएगा। रिजर्व बैंक, सरकार और एनपीसीआई के साथ सघन समन्वय करके, यूपीआई और रुपे की पहुँच को भूटान, सिंगापुर और संभवतः दक्षिण कोरिया एवं यूएई के अलावा, पूरे विश्व में विस्तारित करने की दिशा में काम कर रहा है।

खुदरा भुगतान प्रणालियों में संकेंद्रण जोखिम

IX.10 अखिल भारतीय भुगतान प्लेटफ़ॉर्मों को प्रोत्साहित करने तथा इसमें और अधिक भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए, नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के ऑथराइजेशन पर एक नीति दस्तावेज़ जारी किया गया था ताकि इस क्षेत्र में नवोन्मेष को गति दी जा सके और खुदरा भुगतान प्रणालियों में संकेंद्रण के जोखिम को भी कम किया जा सके। तत्पश्चात, एक 'अखिल भारतीय खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए न्यू अम्बरेला एंटीटी (एनयूई) के प्राधिकरण हेतु मसौदा फ्रेमवर्क' रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 10 फरवरी, 2020 को रखा गया और आम लोगों की राय आमंत्रित की गई। प्राप्त हुए फीडबैक की समीक्षा की जा रही है।

तत्काल प्राधिकृत करना (ऑन-टैप ऑथराइजेशन)

IX.11 बीबीपीओयू, टीआरईडीएस और डबल्यूएलए के लिए प्लेटफ़ार्म पर काम करने/प्लेटफ़ार्म परिचालित/प्रदान करने की इच्छुक संस्थाओं के 'ऑन-टैप' ऑथराइजेशन को 15 अक्टूबर, 2019 को सक्षम बना दिया गया था ताकि नए प्राधिकृत भागीदारों

द्वारा बढ़ी हुई सहभागिता से नवोन्मेष एवं प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके।

भुगतान और निपटान प्रणालियों पर नवोन्मेष प्रतियोगिता

IX.12 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) के साथ मिलकर भुगतान और निपटान प्रणालियों में नवोन्मेष पर एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि भुगतान और निपटान प्रणाली क्षेत्र में नवोन्मेष और नए विचारों को प्रोत्साहित, चिन्हित और आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए तथा भुगतान क्षेत्र में उद्यमियों, स्टार्ट-अप और इसी प्रकार की संस्थाओं द्वारा नई-नई गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रतियोगिता के मुख्य विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा-पार विप्रेषण, अगली पीढ़ी के भुगतान और स्वचालित भुगतान प्रक्रिया को शामिल किया गया। चुने गए आवेदकों को एक प्रख्यात निर्णायक-मण्डल के समक्ष अपने नवोन्मेषों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषकों को पुरस्कार प्रदान किए गए और सभी चुने गए आवेदकों को प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

विभिन्न भुगतान प्रणालियों में सहभागिता के लिए डाक विभाग (डीओपी) को अनुमोदन

IX.13 जुलाई 2016 में, डाक विभाग को इसके द्वारा स्थापित एटीएमों को राष्ट्रीय वित्तीय स्विच से जुड़े एटीएमों के बीच दो-तरफा अंतरपरिचालनीयता सक्षम करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। इसे और आगे बढ़ाते हुए, डाक विभाग को एनईएफटी, आरटीजीएस, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), पीओएस/ई-कॉमर्स (ई-कॉम) पर डेबिट कार्ड, यूपीआई और आधार-समर्थित भुगतान प्रणाली (ईपीएस) जैसी भुगतान प्रणालियों में सहभागिता की अनुमति इन शर्तों के साथ दी गई कि वे बैंकों पर लागू रिजर्व बैंक के सभी संबन्धित विनियामक अनुदेशों का अनुपालन करेंगे और तत्पश्चात इन गतिविधियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को हस्तांतरित करेंगे।

वहनीय लागत सुनिश्चित करना

भुगतान अवसंरचना विकास निधि बनाना

IX.14 जैसा कि 4 अक्टूबर, 2019 के रिजर्व बैंक के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में घोषित किया गया है और विजन में भी समाविष्ट किया गया है, देश में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना (भौतिक और डिजिटल पीओएस दोनों) को बढ़ाने के लिए एक्सेप्टेन्स डेवलपमेंट फंड (एडीएफ) [भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) के रूप में पुनः नामकरण] का सृजन किया गया। इस निधि का उपयोग टियर III से टियर VI के केन्द्रों और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों पर फोकस के साथ पीओएस स्वीकृति अवसंरचना बनाने और आपूर्ति पक्ष संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अधिग्राहकों को सबसिडी देने में किया जाएगा, ताकि इकोसिस्टम को निर्गम (इसुएन्स) से स्वीकृति (एक्सेप्टेन्स) की तरफ बढ़ाया जा सके, जो डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

IX.15 इस निधि में रिजर्व बैंक, कार्ड जारीकर्ता बैंकों और देश में परिचालन कर रहे कार्ड नेटवर्कों द्वारा अंशदान किया जाएगा और इस निधि का प्रशासन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

एटीएम प्रभागों और शुल्कों के लिए संशोधित फ्रेमवर्क

IX.16 6 जून, 2019 के रिजर्व बैंक के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के फलस्वरूप और देश में एटीएम संस्थापन की गति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एटीएम प्रभागों और शुल्कों की समग्र रूप से समीक्षा करने के लिए जुलाई, 2019 में एक समिति गठित की गई। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक के अलावा, एनपीसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एटीएम उद्योग परिसंघ और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। इस समिति की सिफारिशों की रिजर्व बैंक द्वारा समीक्षा की जा रही है।

डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन

IX.17 रिजर्व बैंक ने 01 जुलाई, 2019 से सदस्य बैंकों से केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के लिए वसूले जाने वाले प्रभारों (एनईएफटी में प्रोसेसिंग प्रभार तथा आरटीजीएस में प्रोसेसिंग और समयान्तर प्रभार) को हटा दिया है। सदस्य बैंकों से ऐसे ही लाभों को अपने ग्राहकों को भी देने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा, 01 जनवरी, 2020 से सदस्य बैंकों के लिए बाध्यकारी कर दिया गया कि वे बचत खाताधारकों द्वारा ऑनलाइन एनईएफटी के माध्यम से निधि अंतरण (यथा-इंटरनेट बैंकिंग और/अथवा बैंकों के मोबाइल ऐप के जरिये) पर कोई प्रभार नहीं वसूलें।

भुगतान समूहों (पीए)/पेमेंट गेटवे (पीजी) को प्राधिकृत/विनियमित करना

IX.18 एक सामान्य ऑनलाइन भुगतान लेनदेन में बैंक और गैर-बैंक जैसे कई मध्यस्थ शामिल होते हैं, जो व्यापारी समूहों के रूप में कार्य करते हैं। पीए और पीजी वे इकाइयाँ हैं जो ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को ग्राहकों के भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए उनके विभिन्न भुगतान लिखतों को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके लिए व्यापारियों को अपनी पृथक भुगतान एकीकरण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में, जहां पीए फंड संभालते हैं, वहीं पीजी बिना फंड संभाले तकनीकी अवसंरचना प्रदान करते हैं। जबकि बैंक और अन्य पीएसओ रिजर्व बैंक द्वारा सीधे विनियमित होते हैं, किन्तु पीए और पीजी नहीं। इन मध्यस्थों की अहम भूमिका को देखते हुए, पीए को विनियमित करने और पीजी को आधारभूत तकनीकी से संबंधित सिफारिशें उपलब्ध कराने के लिए 17 मार्च, 2020 को ऑनलाइन भुगतान समूहों और पेमेंट गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देश जारी किए गए।

ग्राहक सुविधा बेहतर करना

ग्राहक शिकायत समाधान और क्षतिपूर्ति हेतु टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) को सुसंगत बनाने के लिए फ्रेमवर्क

IX.19 एटीएम, यूपीआई, आईएमपीएस, पीपीआई और कार्ड भुगतान में विफल लेनदेनों हेतु टीएटी और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाने के लिए, 15 अक्टूबर, 2019 से एक फ्रेमवर्क लागू किया गया ताकि ऐसे विफल लेनदेनों को वापस करने में एकरूपता और अनुशासन लाया जा सके। इस फ्रेमवर्क में विफल लेनदेन के लिए टीएटी निर्धारित किया गया है और ऐसे लेनदेनों को वापस करने में हुई देरी के लिए ग्राहकों को स्वतः क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु एक क्षतिपूर्ति फ्रेमवर्क भी बनाया गया है।

एनईएफटी की 24x7x365 उपलब्धता

IX.20 एनईएफटी, जो आधे घंटे वाले 23 बैचों में कार्य कर रही थी उसे 16 दिसंबर 2019 से 24 x7x365 आधार पर उपलब्ध कराया गया। यह प्रणाली अब आधे-घंटे वाले 48 बैचों में कार्य करती है जिसकी हर दिन पहली बैच 00:30 बजे शुरू होती है और अंतिम बैच 00.00 बजे समाप्त होती है। एनईएफटी 24x7 विश्व में एक विशिष्ट खुदरा भुगतान प्रणाली है, जो न सिर्फ चौबीस घंटे कार्य करती है, बल्कि किसी निपटान को 'स्थगित' भी नहीं करती है और अंतरण राशि की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा भी निर्धारित नहीं करती है।

कार्ड/पीपीआई/यूपीआई पर ई-मैडेट/स्थायी निर्देश

IX.21 मासिक अंशदान, बीमा प्रीमियम भुगतान, सिस्टेमिक निवेश योजना और बिल भुगतान जैसे आवर्ती भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, अगस्त, 2019 में कार्ड और पीपीआई में ई-मैडेट की सुविधा हेतु एक फ्रेमवर्क जारी किया गया। ऐसे उपाय में सुविधा के साथ ई-मैडेट पंजीकरण, संशोधन और निरस्तीकरण तथा प्रथम लेनदेन करते समय भी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (एएफए) जैसी सुरक्षा विशेषताएं शामिल होती हैं। इस फ्रेमवर्क को बाद में यूपीआई-आधारित लेनदेनों पर भी लागू कर दिया गया।

आरटीजीएस के परिचालन समय में बढ़ोतरी

IX.22 रिज़र्व बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बड़े मूल्यों वाली निधि अंतरण प्रणाली- आरटीजीएस का प्रबंधन और परिचालन करता है। भुगतान प्रणालियों की समय-आधारित उपलब्धता को बढ़ाने के प्रयासों के रूप में, आरटीजीएस में ग्राहक लेनदेनों की समयावधि को बढ़ा दिया गया। ग्राहक लेनदेन के लिए अब आरटीजीएस 0700 बजे से 1800 बजे तक उपलब्ध है, जो पहले 0800 बजे से 1630 बजे तक ही था।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के अंतर्गत बिलकर्ता श्रेणियों का विस्तार

IX.23 उपयोगिता बिलों के डिजिटल भुगतान पर जोर देने के लिए, सितंबर, 2019 में बीबीपीएस के दायरे और परिव्याप्ति को उन सभी बिलकर्ताओं तक बढ़ा दिया गया जो ऐच्छिक आधार पर, पात्र सहभागियों के रूप में आवर्ती बिल (प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर) सृजित करते हैं। इसका उद्देश्य नकदी-आधारित बारंबारता वाले भुगतानों के और अधिक डिजिटलीकरण तथा एक मानक प्लेटफ़ॉर्म की उपलब्धता सुलभ बनाना है। नए खंडों में ग्राहकों को मिलने वाले फ़ायदों में शामिल हैं- अंतरपरिचालनीय तरीके से एक मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, ग्राहक संपर्क-बिन्दुओं की बड़ी संख्या, केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली और पूर्व-परिभाषित ग्राहक सुविधा शुल्क।

सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) के एक नए प्रकार की शुरुआत

IX.24 दिसंबर, 2019 में एक नए प्रकार का पीपीआई शुरू किया गया, जिसे केवल किसी बैंक खाते और/या क्रेडिट कार्ड से लोड/रिलोड किया जा सकता है और ग्राहक द्वारा दिये गए आवश्यक न्यूनतम ब्योरो के आधार पर जारी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य कम मूल्य वाले पीपीआई के निर्गम और इस्तेमाल को आसान बनाना है। ऐसे पीपीआई का उपयोग केवल वस्तु और सेवाओं की खरीद के लिए ही किया जा सकता है और इससे निधि अंतरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे पीपीआई में एक महीने में लोड की गई राशि और किसी भी

समय-बिन्दु पर बकाया राशि की सीमाएँ तय की गई हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से गिफ्ट पीपीआई के क्रेता के लिए केवाईसी आवश्यकता को भी बैंक खाते के डेबिट के समान ही रखा गया है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण (एनईटीसी) प्रणाली के उपयोग को बढ़ाना

IX.25 दिसम्बर, 2019 में रिजर्व बैंक ने सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों और लिखतों (गैर-बैंक पीपीआई, कार्ड और यूपीआई) को फास्टैग (वाहन की पहचान हेतु वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया गया टैग) से लिंकिंग की अनुमति दी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को भुगतान के विविध विकल्प देकर एनईटीसी प्रणाली के आधार को अधिक व्यापक बनाना था और प्रणाली के प्रतिभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था। एनईटीसी प्रणाली को पार्किंग शुल्क और ईंधन भुगतान के लिए, अंतरपरिचालनीय तरीके से, इस्तेमाल किए जाने की अनुमति देकर और भी उन्नत किया गया है।

पीओएस टर्मिनल/यूपीआई के इस्तेमाल से नकद निकासी की सुविधा

IX.26 पीओएस टर्मिनल पर कम मूल्य की नकद निकासी की सुविधा को रिजर्व बैंक से एकबारगी अनुमोदन लेने की आवश्यकता को समाप्त कर आसान बना दिया गया। व्यापारी के स्थान पर नकद निकासी की सुविधा को यूपीआई के लिए भी सुलभ कर दिया गया।

ग्राहक जागरूकता बढ़ाना

IX.27 डिजिटल भुगतान के प्रसार और स्वीकरण को डिजिटल साक्षरता के द्वारा बल देने की आवश्यकता है। इस दिशा में की गई विभिन्न पहलों में शामिल हैं- रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वयन के लिए विभाग से नोडल अधिकारियों का आबंटन; विभिन्न लक्ष्य समूहों यथा- विद्यार्थियों, बैंकों एवं व्यापारियों के शिक्षण हेतु सामग्री का मानकीकरण; मीडिया कार्यशालाओं में सहभागिता; रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों और आईडीआरबीटी में भुगतान प्रणाली संबंधी कार्यक्रमों का संचालन। 2019-20

(जुलाई-जून) के दौरान, रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 192 ई-बात (इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण) कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के विभिन्न पहलुओं, इनके फायदे और बैंक स्टाफ, ग्राहकों, विद्यार्थियों तथा आम लोगों की साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने प्रिंट, दृश्य-श्रव्य माध्यमों तथा ऑनलाइन भी अपने फ़्लैगशिप कार्यक्रम 'आरबीआई कहता है' के जरिये डिजिटल जागरूकता सामग्री जारी की। साथ ही, डिजिटल सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों और सहभागियों को जून, 2020 में निर्देश दिए गए कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और संरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए एसएमएस और प्रिंट/दृश्य माध्यमों में विज्ञापन के जरिए लक्षित बहुभाषिक अभियान चलाएं।

ग्राहकों का भरोसा बढ़ाना

प्राधिकृत पीएसओ के सिस्टम ऑडिट के कवरेज और दायरे की समीक्षा

IX.28 प्राधिकृत पीएसओ द्वारा वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाने वाली प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) के दायरे की समीक्षा की गई और इसे उन्नत बनाया गया ताकि ऑडिट के हिस्से के रूप में कवर की जाने वाली सभी सूचना प्रणाली प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों के सभी संबन्धित क्षेत्रों का मानकीकरण और उसका व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। एसएआर में अब, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचना सुरक्षा शासन, पहुँच नियंत्रण, नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा, आईटी आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन, भौतिक तथा वातावरणीय सुरक्षा, मानव संसाधन सुरक्षा, कारोबार निरंतरता योजना एवं प्रबंधन, वेंडर प्रबंधन, घटना प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन और पैच प्रबंधन शामिल हैं। लेखापरीक्षकों के हितों के टकराव से बचने के लिए, यह बाध्यकारी कर दिया गया है कि संबन्धित लेखापरीक्षा फ़र्म या इसकी कोई भी अनुषंगी फ़र्म पिछले दो वित्तीय वर्षों में लेखापरीक्षित इकाई में अन्य सेवाएँ नहीं दे रही हो।

अधिकृत भुगतान प्रणालियों के लिए फ्रेमवर्क

IX.29 जून 2013 में "आरबीआई द्वारा विनियमित एफएमआई के विनियमन और पर्यवेक्षण" पर नीतिगत दस्तावेज़ जारी करके रिज़र्व बैंक ने अपने द्वारा विनियमित एफएमआई के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए "वित्तीय बाज़ार के बुनियादी संरचना सिद्धांत (पीएफएमआई)" और "भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए केंद्रीय बैंक की निगरानी" को अपनाया था। इस नीति में एफएमआई के रूप में नामित करने के लिए मानदंड, एफएमआई के लिए पीएफएमआई की प्रयोज्यता, एफएमआई की निगरानी और अन्य संबंधित पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। लंबी अवधि तक रिज़र्व बैंक ने भुगतानों के डिजिटलीकरण में अपने प्रयासों को जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप भुगतान अवसंरचना का निरंतर विस्तार न केवल भुगतान अवसंरचना में वृद्धि के संदर्भ में हुआ, बल्कि डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा और मूल्य के संदर्भ में भी हुआ। इस नीतिगत दस्तावेज़ को "ओवरसाइट फ्रेमवर्क फॉर एफएमआई एंड रिटेल पेमेंट सिस्टम" के रूप में संशोधित किया गया और 14 जून, 2020 को जारी किया गया था। फ्रेमवर्क भारत में कार्य कर रहे एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एफएमआई और खुदरा भुगतान प्रणाली के निरीक्षण में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में बताता है, और मोटे तौर पर निरीक्षण के लिए विधिक फ्रेमवर्क, परिभाषा और निरीक्षण की गुंजाइश, निरीक्षण गतिविधियों और अन्य विनियामक निकायों के साथ सहयोग को कवर करता है।

केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री का सृजन

IX.30 सिस्टम प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाइन होने वाली भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए भुगतान संबंधित सभी प्रकार की धोखाधड़ी की रजिस्ट्री हेतु एक वेब-आधारित रिपोर्टिंग प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया।

प्राधिकृत पीएसओ पर मौद्रिक जुर्माना लगाने हेतु फ्रेमवर्क

IX.31 रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 और 31

के तहत उल्लंघन / अपराधों के मौद्रिक दंड और कंपाउंडिंग के फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राधिकृत पीएसओ विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करें। संशोधित फ्रेमवर्क निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर केंद्रित है।

कार्ड लेनदेन में सुरक्षा को बढ़ाना

IX.32 पिछले कुछ वर्षों से कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है। रिज़र्व बैंक कार्ड से लेनदेन में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्थापित प्रणालियों की लगातार मूल्यांकन करता रहा है और कार्ड धारकों और कार्ड लेन-देन शृंखला को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जनवरी 2020 में निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया गया था: (क) कार्ड जारी / पुनः जारी करते समय केवल संपर्क-आधारित स्थलों (एटीएम, पीओएस) पर उपयोग करने लायक कार्ड जारी किए जाएं; (ख) लेन-देन के अधिकारों को चालू / बंद करने और लेनदेन की सीमा तय / संशोधित करने के लिए सभी कार्डधारकों को 24x7 सुविधा प्रदान करना; और (ग) कार्ड धारक को कार्ड की स्थिति में कोई भी बदलाव होने पर अलर्ट भेजना। कोविड-19 महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए, जारीकर्ताओं को परिपत्र के प्रावधानों को लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है।

पीपीआई जारीकर्ताओं के लिए आंतरिक लोकपाल

IX.33 पीएसएस अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आंतरिक लोकपाल योजना बनाई गई, ताकि बड़े गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं को शामिल किया जा सके जिनका पीपीआई बकाया एक करोड़ से अधिक के साथ शुरू हो। शिकायत निवारण प्रणाली के तहत उच्च-स्तरीय प्राधिकारी द्वारा ग्राहकों की शिकायतों का निवारण पीएसओ के स्तर पर ही किया जाता है। आंतरिक लोकपाल को चाहिए कि वह पीएसओ से अपेक्षित दूरी बनाकर काम करें। इस योजना को पात्र पीएसओ द्वारा 20 जनवरी 2020 तक लागू करना था।

अन्य घटनाक्रम

पर्यवेक्षण

IX.34 पीएसएस अधिनियम की धारा 16 के तहत 2019-20 के दौरान, 27 संस्थाओं, अर्थात्, सीसीआईएल, एनपीसीआई, 22 पीपीआई जारीकर्ताओं और 3 डबल्यूएलए ऑपरेटरों का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया।

सीसीआईएल का निरीक्षण

IX.35 सितंबर-अक्टूबर 2019 के दौरान सीसीआईएल का ऑन-साइट निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण का दायरा सीसीआईएल की गतिविधियां जैसे एक केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) और एक ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) के रूप में सीमित था और इसके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर-इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ सिक्योरिटीज कमिशन (सीपीएमआई-आईओएससीओ) की समिति के वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे (पीएफएमआई)- मूल्यांकन पद्धति टेम्पलेट के 24 सिद्धांतों के अनुसार किया गया था। विगत वर्षों के भांति, सीसीआईएल में 18 सिद्धान्तों का अनुपालन किया जा रहा था और 4 सिद्धांतों का अनुपालन मोटे तौर पर किया जा रहा था, जबकि 2 सिद्धांत इस पर लागू नहीं थे।

एनपीसीआई का निरीक्षण

IX.36 नवंबर-दिसंबर 2019 के दौरान एनपीसीआई का ऑन-साइट निरीक्षण पीएफएमआई के आधार पर किया गया था। निरीक्षण के दायरे में एनपीसीआई द्वारा संचालित विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के कार्यात्मक मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन प्रेमवर्क की मजबूती, अभिशासन और निगरानी, व्यवसाय प्रभाव विश्लेषण और रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार प्रमाण-पत्र (सीओए) के नियमों और शर्तों का अनुपालन शामिल था।

भुगतान प्रणाली के बारीक-से बारीक (ग्रैन्यूलर) आंकड़ों का प्रसार

IX.37 अधिकृत पीएसओ द्वारा संचालित विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए किए गए लेनदेन से संबंधित डेटा को रिजर्व बैंक प्रकाशित कर रहा है। डिजिटल लेनदेन करने के

लिए भुगतान इकोसिस्टम और नई प्रणालियों में उन्नयन, उत्पादों और चैनलों में तीव्र विकास को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान लेनदेन की परिभाषा की समीक्षा की और आरबीआई द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन में भुगतान प्रणाली संकेतक के दायरे और कवरेज को बढ़ाया ताकि हालिया भुगतान प्रणाली और भुगतान लेनदेन के बारीक-से-बारीक विवरण को शामिल किया जा सके। विभिन्न भुगतान चैनलों का उपयोग करके किए गए भुगतान लेनदेन और भुगतान प्रणाली के बुनियादी ढांचे के विवरण भी प्रसारित किए गए थे। जनवरी 2020 से आरबीआई बुलेटिन में संशोधित फॉर्म और संरचना आंकड़े को प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें नवंबर 2019 से डेटा को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा, बेहतर अनुसंधान की सुविधा देने और भुगतान प्रणालियों के नवाचारों में योगदान देने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा 1 जून, 2020 से दैनिक स्तर पर भुगतान प्रणालियों से संबंधित आंकड़े का प्रसार शुरू किया गया है।

सीसीआईएल में गतिविधियां

IX.38 वर्ष के दौरान, सीसीआईएल ने प्रतिभूति खंड में समाशोधन सदस्य संरचना के कार्यान्वयन को अंतिम रूप दिया, और बैंकों के ग्राहकों के लिए यूएस डालर / रुपया मुद्रा पेयर में अज्ञात और आदेश-चालित लेनदेन करने के लिए एफ़एक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, तथा बाजार कार्य-समय के बाद भी विदेशी मुद्रा लेनदेन को बढ़ाया एवं पहले सेट के भंग होने पर प्रभाव-सीमा के दूसरे सेट के आधार पर उच्च समाहार (कन्संट्रेशन) मार्जिन को लागू करके अपने जोखिम प्रबंधन में सुधार किया। सीसीआईएल टीआर को सरकार द्वारा स्टांप शुल्क, से संबंधित जो लेनदेन उसे रिपोर्ट हो रहा है, को एक कलेक्टिंग एजेंट के रूप में अधिसूचित किया गया।

रिजर्व बैंक द्वारा संचालित ईसीएस / क्षेत्रीय ईसीएस / राष्ट्रीय ईसीएस केंद्रों को बंद करना

IX.39 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) का उपयोग रिजर्व बैंक के कुछ स्थानों पर किया जा रहा था, जिनमें से अधिकांश अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन

हाउस (एनएसीएच) में सफलतापूर्वक माइग्रेट हो रहे थे। एनएसीएच प्रणाली अखिल भारतीय स्तर पर ऑनलाइन अधिदेश प्रबंधन और केंद्रीकृत समाशोधन सेवा के साथ अनुदानों, लाभांश, ब्याज, वेतन और पेंशन के वितरण की दिशा में थोक भुगतान को निपटाने की सुविधा देती है, तथा साथ ही एकमुश्त प्राप्तियों की दिशा में उपयोग हेतु भुगतान, ऋण, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा प्रीमियम के संग्रह की सुविधा देती है। ईसीएस केंद्रों में से आखिरी को 31 जनवरी, 2020 को एनएसीएच में स्थानांतरित कर दिया गया था। ईसीएस से एनएसीएच में शिफ्टिंग सुचारु और बाधरहित रही। इसके साथ ही 25 वर्षों तक राष्ट्र की शानदार सेवा करने के बाद, ईसीएस और इसके वेरिएंट्स (क्षेत्रीय-ईसीएस और राष्ट्रीय-ईसीएस) का अस्तित्व समाप्त हो गया।

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय निरंतरता योजना

IX.40 कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर, मार्च 2020 में कई उपाय किए गए ताकि न केवल रिजर्व बैंक द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों (आरटीजीएस और एनईएफटी) की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके बल्कि एनपीसीआई, सीसीआईएल और अन्य पीओएस द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली में भी उपलब्ध रहें। बैंकों और गैर-बैंकों सहित सरकार, पीएसओ और विनियमित संस्थाओं (आरईएस) के साथ समन्वित प्रयासों से देश भर में संचालित सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित किया गया। अप्रैल 2020 में गरीबों और हाशिये पर रहने वाले लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतानों को शुरू किया गया, जिसे सुचारु रूप से एनएसीएच - आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) द्वारा सुगम बनाया गया, जिसमें लाभार्थी के आधार संख्या के आधार पर बैंक खातों में एकमुश्त अंतरण किए गए। आरई को कुछ छूट दी गई ताकि वे भौतिक आवागमन पर प्रतिबंधों तथा समर्थन सेवाओं की कम उपलब्धता का सामना कर सकें और समर्थन। यह महामारी भुगतान फ्रेमवर्क की मजबूती और विनियामक ढांचे के मूल्यांकन के लिए एक

लिटमस परीक्षण रही है, जिसमें कड़ी निगरानी के साथ विस्तारित अवधि के लिए सीमित संसाधनों के साथ काम करना शामिल है, साथ ही भुगतान प्रणाली उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं को भी इससे कई सबक मिले। यह गर्व की बात है कि भुगतान प्रणालियों ने बिना रुकावट के काम किया और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान चौबीसों घंटे उपयोग के लिए उपलब्ध रही।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्यसूची

IX.41 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2019-21' में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के तहत प्रस्तावित कार्रवाई मंटे नीचे दी गई हैं:

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

- *ऑफलाइन भुगतान प्रणाली:* डिजिटल भुगतान तरीके को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल उपकरणों और कार्ड में दर्ज की गई रकम के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान उपलब्ध कराए जाएंगे, और इस योजना के अवलोकन हेतु एक पायलट योजना चलाई जाएगी ताकि इसे पूर्ण रूप से रोल-आउट किया जा सके।

ग्राहक सुविधाओं में सुधार

- *ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर):* विभिन्न भुगतान प्रणालियों के मध्य एक ओडीआर प्रणाली का कार्यान्वयन करने हेतु एक चरणबद्ध पद्धति तैयार करना प्रस्तावित है, जिसका आरंभ सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों में विफल लेनदेन के संबंध में कार्यान्वयन से किया जा रहा है (उत्कर्ष);
- *स्व-विनियामक संगठन:* विनियामक / पर्यवेक्षक के साथ कार्य करने और पीएसओ हेतु नियमों के निर्धारण और प्रवर्तन हेतु जिम्मेदारी लेने के लिए स्व-विनियामक संस्थान (एसआरओ) के सृजन हेतु प्रेमवर्क की घोषणा को अंतिम रूप दिया जाएगा जैसा कि 6 फरवरी 2020 की विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर रिजर्व बैंक वक्तव्य में घोषित किया गया।

- डिजिटल भुगतान जागरूकता के लिए सर्वेक्षण: सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल फुटप्रिंट की पहुँच दूरस्थ क्षेत्रों और देश के सुदूर क्षेत्रों तक हो सके, इसके अलावा (क) पीआईडीएफ का संचालन; (ख) प्रत्येक राज्य से एक जिले को पूरी तरह से डिजिटली सक्षम बनाने में पहल करके योगदान देना; और (ग) व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं द्वारा समग्र डिजिटल पहुँच को समझना; तथा
- अखिल भारतीय चेक ट्रंकेशन प्रणाली: बैंकों द्वारा चेक संग्रहण सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सभी एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस) केंद्रों का विलय चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) ग्रिडों के साथ कर दिया जाएगा।

किफायती लागत सुनिश्चित करना

- विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) : सीमा पार सेवाओं, विशेषकर बड़े मूल्य के भुगतानों के विषय में भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों, एजेंटों और वितरकों की पहचान करने के लिए एलईआई के उपयोग हेतु संभावना तलाश की जाएगी, जिसमें सभी चिह्नित क्षेत्रों में कार्यान्वयन का विस्तार करना शामिल है।

विश्वास बढ़ाना

- डिजिटल भुगतान सूचकांक : रिजर्व बैंक ने 6 फरवरी, 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की है कि रिजर्व बैंक समग्र "डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)" का सृजन और इसका आवधिक प्रकाशन करेगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.42 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने देश में संवेदनशील और प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण भुगतान और

निपटान प्रणाली के सुचारु रूप से कार्य करने के साथ-साथ परिचालनात्मक दक्षता, अनुक्रियता और ग्राहक संतुष्टि आदि सुनिश्चित करने हेतु तीव्र, मजबूत और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की गतिशील मांग को पूरा करने के अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक में वैश्विक मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानक आईएसओ 27001:2013 को अपनाकर असुरक्षित को भी सुरक्षित किया है और एनईएफटी 24x7 सुविधा प्रदान करके देश में वित्तीय सेवाओं का तीव्र व सर्वव्यापी डिजिटलाइजेशन किया। नवोन्मेषी आईटी समाधानों के तीव्र विकास ने कारोबार करने के तरीकों को रूपांतरित करके आदर्श परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है और रिजर्व बैंक अपने दैनिक परिचालनों में नवोन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को तीव्रता से अपनाते हुए इसके साथ कदम-ताल कर रहा है।

कोविड-19 महामारी के बाद कारोबार निरंतर योजना (बीसीपी)

IX.43 कोविड-19 के कारण कारोबार निरंतरता में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परिचालन बनाए रखने के लिए स्वस्थ, और उच्च कौशल युक्त कर्मिकों के पर्याप्त दल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता मुख्य चुनौती बनी रही। अभूतपूर्व महामारी की स्थिति में, रिजर्व बैंक ने अपनी कारोबार निरंतर योजना (बीसीपी) के तहत अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे - (i) भुगतान प्रणाली - एनईएफटी ; 24x7 और आरटीजीएस; (ii) कोर बैंकिंग समाधान ई-कुबेर; (iii) मुद्रा और विदेशी विनिमय बाजार के लिए ट्रेजरी परिचालन; (iv) सरकारों (केंद्र और राज्यों) के लिए ऋण प्रबंधन; (v) रिजर्व बैंक की वेबसाइट; (vi) ई-मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं; (vii) वेतन, पेंशन और एचआर कार्य; (viii) आईटी, नेटवर्क और साइबर सुरक्षा; (ix) रिजर्व बैंक के सभी स्थानों पर नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव और निगरानी; (x) व्यावसायिक विभागों के महत्वपूर्ण बिज़नेस एप्लिकेशन; और (xi) हितधारकों और घटकों को हेल्पडेस्क और सहयोग आदि का निर्बाध और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों के माध्यम से अग्रसक्रिय रूप से कार्य किया (बॉक्स XI.2: कोविड-19 महामारी, के लिए आरबीआई का बीसीपी, अध्याय XI)।

2019-20 की कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

IX.44 उत्कर्ष के तहत पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- आसान प्रबंधन और निगरानी के लिए नेटवर्क और स्टोरेज का समेकन (पैरा IX.45); तथा
- आईटी सुरक्षा के लिए जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क को अपनाना (पैरा IX.46)।

लक्ष्यों की कार्यान्वयन स्थिति

आसान प्रबंधन और निगरानी के लिए नेटवर्क और स्टोरेज का समेकन

IX.45 वर्ष के दौरान, रिजर्व बैंक ने केंद्रीकृत नेटवर्क की ओर रुख किया और तीन अलग-अलग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) की सेवाओं के साथ इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिजर्व बैंक के वेब एप्लिकेशनों के लिए निर्बाध एक्सेसिबिलिटी की सुविधा प्रदान करते हुए एकीकृत प्रणाली विन्यास लागू किया और कनेक्टिविटी स्थायी बनाये रखने के लिए तीन अन्य आईएसपी से फॉलबैक सेकेंडरी पथ लिया। स्टोरेज क्षमता बढ़ाने और मौजूदा के साथ-साथ आगामी एप्लिकेशनों के लिए मांग को पूरा करने के लिए एक केंद्रीकृत स्टोरेज सॉल्यूशन इस प्रयास को मजबूत करेगा।

नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल (एनएसी) और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (एनओसी) – आईटी सुरक्षा के लिए जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क

IX.46 निरंतर सुरक्षा स्थिति मूल्यांकन, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण को मजबूत बनाने, नेटवर्क के लिए प्राधिकृत करने और सभी उपयोगकर्ताओं और नेटवर्क उपकरणों की बेहतर कंटेस्ट विजिबिलिटी द्वारा रिजर्व बैंक के सभी एन्ड प्वाइंट्स की सिक्युरिटी हाइजीन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल (एनएसी) सॉल्यूशन कार्यान्वित किया गया है। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (एनओसी), आईटी नेटवर्क संरचना की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत उपकरण

है जो रिजर्व बैंक में संगठनात्मक संरचना का एकल व्यू प्रदान करता है जो समय पर त्रुटि का समाधान उपलब्ध करवाता है और जिससे नेटवर्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है। एनओसी रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में नेटवर्क सेवाओं से संबंधित घटनाओं की लगातार निगरानी, इनका विश्लेषण और इनपर प्रतिक्रिया करता है।

आरटीजीएस लेनदेन के लिए ग्राहक को सकारात्मक पुष्टि

IX.47 रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस प्रतिभागियों के बीच एक क्रेडिट सूचना व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत लेनदेन के सफल समापन के बाद आरटीजीएस का प्राप्तकर्ता प्रतिभागी द्वारा भुगतान अनुदेश देने वाले प्रेषक प्रतिभागी को सूचना भेजता है।

एनईएफटी 24x7

IX.48 दिनांक 7 अगस्त, 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के अपने वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, तीव्र और 24 घंटे खुदरा भुगतान प्रणाली की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2019 से 24x7 आधार पर एनईएफटी प्रणाली को लागू किया (बॉक्स IX.2)।

2020-21 के लिए कार्यसूची

IX.49 वर्ष 2020-21 हेतु इस विभाग के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- नेक्स्ट जेनरेशन स्ट्रक्चर्ड फिनान्शियल मैसेजिंग सिस्टम (एनजीएसएफएमएस): प्रस्तावित एनजीएसएफएमएस विद्यमान स्ट्रक्चर्ड फिनान्शियल मैसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) प्लेटफॉर्म को बदलेगा और विन्यास को सरल करेगा, मापनीयता और लोचशीलता आएगी और साथ ही आंतरिक एप्लिकेशनों यथा- आरटीजीएस, बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और एनईएफटी आदि के बीच उद्यम (इंटरप्राइज़) संदेश संप्रेषण व्यवस्था को बढ़ावा देगा (उत्कर्ष);

बॉक्स IX.2 एनईएफटी 24x7

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), 2005 से रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित एक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है, जो भारत में बैंक ग्राहकों को किसी भी दो एनईएफटी - सक्षम बैंक खातों के बीच एक-से-एक आधार पर निधि अंतरण करने में सक्षम बनाता है। 31 मार्च 2020 तक, पूरे देश में 217 बैंकों की 1,53,311 शाखाओं / कार्यालयों में एनईएफटी सुविधा उपलब्ध थी। अप्रैल 2016 में, रिजर्व बैंक ने 23 निपटानों सहित बैंकों के लिए निपटान का समय कम करके आधा घंटा कर दिया, जो कार्यदिवसों में तथा कैलेंडर महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को प्रातः 8:00 बजे से सायं 7:00 बजे के बीच है। ग्राहक सुविधा को ध्यान में रखते हुए और डिजिटलीकरण को अधिक बढ़ावा देने के लिए, द हाइ लेवल कमिटी ऑन डीपेनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स (अध्यक्ष: श्री नंदन नीलेकणि) ने बैंकिंग कार्यसमय के अलावा भी निधि अंतरण की सुविधा के लिए 24x7 आधार पर एनईएफटी उपलब्ध करवाने की सिफारिश की। तदनुसार, 15 दिसंबर 2019 की आधी रात से रिजर्व बैंक ने एनईएफटी 24x7x365 की शुरुआत की।

भारत में भुगतान प्रणालियों के संबंध में यह क्रांतिकारी कदम है। इस सुविधा से भारत की गणना उन प्रमुख देशों में होगी जहाँ चौबीसों घंटे धन के निपटान के

साथ 24x7 इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली काम करती है। नई सुविधा, लक्षित ग्राहक को अतिरिक्त विकल्प, सुविधा और बहुतायत आदि प्रदान करती है। अब, भारतीयों को अपने खाते के बेलेन्स से से धन अंतरण करने के लिए 'कभी भी' भुगतान की सुविधा मिली है।

परियोजना ने विभिन्न एप्लिकेशनों जैसे कि एसएफएमएस-हब, एसएफएमएस-पीएडी, एसएफएमएस-एमआई (सभी 217-सदस्य बैंकों में), एनईएफटी एप्लिकेशन और ई-कुबेर के कई मॉड्यूल के बीच बहुस्तरीय एकीकरण आवश्यक था। इसमें 24x7 परिचालनों की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक के साथ-साथ सदस्य बैंकों में नई प्रक्रियाओं की शुरुआत भी शामिल थी। एनईएफटी 24x7 ने एक दिन में 48 बैंच के निपटानों के साथ भुगतान प्रणालियों की कार्यक्षमता में वृद्धि की है। लेनदेन की मात्रा नवंबर 2019 में 2,194.6 लाख से बढ़कर जनवरी 2020 में 2,605.6 लाख और मार्च 2020 में बढ़कर 2624.0 लाख हो गई है।

स्रोत: आरबीआई

- **अवसंरचना सुरक्षा स्तर के आधुनिकीकरण में तेजी लाना:** आंतरिक और पैरीमीटर फायरवॉल और इन्ट्रूजन मैनेजमेंट समाधान [अर्थात् गवर्नेन्स, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन (जीआरसी)] को समाहित करते हुए अवसंरचना सुरक्षा स्तरों में तेजी लाने और आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा, ताकि सायबर आघातों के प्रति सहनशीलता को बढ़ाया जा सके और रिजर्व बैंक की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
- **समूचे रिजर्व बैंक में नई पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकी वायफाय-6:** वायफाय संरचना को समुन्नत करने हेतु समूचे रिजर्व बैंक में वायफाय-6 की नवोदित प्रौद्योगिकी को अपनाना आरंभ किया जाएगा जिसमें नए एक्सेस प्वाइंट (नई पीढ़ी की वायरलेस प्रौद्योगिकी के साथ उपलब्ध, अर्थात् वायफाय-6) को लगाया जाएगा; और
- **कर-सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) हेतु समूहक के रूप में रिजर्व बैंक:** केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

नई भुगतान प्रणाली लागू कर रहा है, यथा कर-सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) जबकि पूर्ववर्ती ओएलटीएस (ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली) को नई प्रणाली में ही समाविष्ट कर दिया जाएगा। ई-कुबेर में यह नई प्रणाली रिजर्व बैंक को वसूलीकर्ता (कलेक्टिंग) बैंक और प्राधिकृत एजेंसी बैंकों द्वारा प्राप्त रकम का समेकनकर्ता दोनों ही कार्य करने की सुविधा देगी।

4. निष्कर्ष

IX.50 निष्कर्षतया देश में कुशल, वहनीय और निरापद भुगतान और निपटान प्रणालियों का विकास करने, और इस क्रम में प्रत्येक भारतीय को ई-भुगतान विकल्पों का गुलदस्ता देने के रिजर्व बैंक के प्रयासों को वर्ष के दौरान नतीजे भी प्राप्त हुए। आगे, रिजर्व बैंक प्रयास करेगा कि दक्ष नियामक परिवेश और उपभोक्ता के मजबूत संरक्षण को आधार में रखते हुए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी और भुगतान प्रणालियों को समाज के उन हिस्सों तक पहुंचाया जाए जो अब तक इसके दायरे के बाहर थे।

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी संचार कार्यनीति में विभिन्न प्रकार के नवोन्मेषण को अपनाया, आर्थिक और सांख्यिकीय नीति के विश्लेषण और अनुसंधान में पैनापन लाया, तथा सूचना प्रबंध को सुदृढ़ किया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ किया और उसमें विविधता लाई गई, जिसमें खास बात यह रही कि भारत सार्कफाइनेन्स का अध्यक्ष बना, जी-20 के रूपरेखा कार्यदल (एफडब्ल्यूजी) की सह-अध्यक्षता कर रहा है और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने की योजना बना रहा है। सरकार की तरफ से कारगर नकदी प्रबंधन सेवाएं देना और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का सुदृढ़ प्रबंधन करना सहवर्ती उद्देश्य हैं। अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ और कारगर वित्तीय प्रणाली के लिए आवश्यक मजबूत विधिक फ्रेमवर्क सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान अनेक विधायी पहलें/संशोधन किए गए।

X.1 इस अध्याय में संचार, अनुसंधान, सांख्यिकी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, बैंकिंग सेवाएं, विदेशी मुद्रा रिज़र्व प्रबंधन, और विधिक सेवाओं के क्षेत्र में 2019-20 की कार्य-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की चर्चा की गई है। इसमें इन कार्यात्मक क्षेत्रों में 2020-21 की कार्य-योजना को भी रेखांकित किया गया है। दूसरे भाग में संचार कार्यनीति और प्रक्रियाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक की प्रमुख पहलों को प्रस्तुत किया गया है। तीसरे भाग में रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों, जिनके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संगठन और बहुपक्षीय निकाय शामिल हैं, पर चर्चा की गई है। चौथे भाग में सरकारों और बैंकों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों पर विचार-विमर्श किया गया है। पांचवें भाग में सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विदेशी मुद्रा रिज़र्व प्रबंधन के संचालन की समीक्षा की गई है। छठे भाग में अनुसंधानपरक कार्यकलापों, जिनके अंतर्गत सांख्यिक रिपोर्टें और प्रमुख अनुसंधान-मूलक प्रकाशन शामिल हैं, पर प्रकाश डाला गया है। सातवें भाग में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। आठवें भाग में कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई के कार्यकलापों को शामिल किया गया है। नौवें भाग में विधि विभाग की गतिविधियां प्रस्तुत की गई हैं। यह अध्याय निष्कर्ष के साथ समाप्त होता है।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.2 संचार विभाग (डीओसी) रिज़र्व बैंक की नीतियों के प्रचार-प्रसार में पारदर्शी संचार, सुस्पष्ट निर्वचन और विधिपूर्वक अभिव्यक्ति के लक्ष्यों पर कार्य करता है। इसका उद्देश्य जनता में भरोसा पैदा करना और प्रत्याशाओं को स्थिरता व दिशा देना

है। इस प्रयोजन के लिए यह रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, मीडिया इंटरफेस, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय, अनौपचारिक कार्यशालाएं शामिल हैं, और सोशल मीडिया के साधनों का उपयोग करता है ताकि प्रभावी संचार और जन जागरूकता को साकार किया जा सके। इसके अंतर्गत संवेदनशील, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट (वीयूसीए) समयों में रिज़र्व बैंक की नीतिगत कार्रवाइयों और रुख के संबंध में सूचना के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए बंद कमरे में बैठकें आयोजित करने संबंधी कार्यनीतियां भी शामिल हैं।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.3 पिछले वर्ष विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए :

- अपने जन जागरूकता अभियान के जरिए बहु-भाषी और बहु-सांस्कृतिक समाज के साथ अपना संबंध बढ़ाना [पैरा X.7 - X.10 तक]; और
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना [पैरा X.11]।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.4 रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट की 'सर्च सुविधा' को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए मजबूत किया है तथा अपनी वेबसाइट (www.rbi.org.in) के होम पेज पर शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल के लिए सीधा

ऐक्सेस उपलब्ध कराया है ताकि शिकायत निवारण प्रक्रिया को आसान और तेज किया जा सके। 'मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर' (जो मणि के नाम से लोकप्रिय है), जो भारतीय बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने का मोबाइल एप्लिकेशन है, की शुरुआत 01 जनवरी 2020 को की गई और उसका लिंक भी सुलभ नैविगेशन के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट के होमपेज पर रखा गया है। रिजर्व बैंक के प्रकाशनों, नामतः वार्षिक रिपोर्टों, मासिक बुलेटिनों, समिति की रिपोर्टों, विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) के अध्ययन, सामयिक पेपर, मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट, स्टाफ के अध्ययन, भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियों और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, जिनमें 1930 की दशक की शुरुआत से लेकर पुराने प्रकाशन भी शामिल हैं, को डिजिटल रूप में रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।

मौद्रिक नीति का संचार

X.5 अक्टूबर 2016 में शुरू किए गए मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के अंतर्गत रिजर्व बैंक एमपीसी की बैठक के तुरंत बाद अपनी वेबसाइट पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संकल्पों को जारी करता है। इसके बाद गवर्नर के पश्च-नीति प्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसका प्रसारण यूट्यूब के जरिए किया जाता है और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रिजर्व बैंक की वेबसाइट, ट्वीटर हैंडल और बिजनेस टेलीविजन चैनलों पर की जाती है। 2019-20 के दौरान इसी प्रक्रिया को पूर्व-घोषित द्विमासिक समय-सारणी के साथ ही 27 मार्च और 22 मई 2020 को ऑफ-साइकल बैठकों, जो कि कोविड-19 की अभूतपूर्व परिस्थिति के कारण आवश्यक हो गईं, के लिए जारी रखा गया। इन प्रेस सम्मेलनों के ऑडियो और ट्रैन्सक्रिप्टों को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है। एमपीसी की बैठकों के कार्यवृत्त आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत उपबंधित रीति से एमपीसी की प्रत्येक बैठक के बाद 14वें दिन को वेबसाइट पर अपलोड करा दिए गए। मीडिया, अनुसंधानकर्ताओं और

विश्लेषकों के लिए भी पश्च-नीति ब्रीफिंग सत्र भी आयोजित किए गए।

X.6 22 मार्च से 26 मई 2020 के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए राष्ट्र-व्यापी लॉकडाउन के चलते मौद्रिक नीति और अन्य विनियामकीय व विकासात्मक उपायों पर गवर्नर की घोषणाएं सभी मीडिया और जनसाधारण को प्रसारित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और ट्वीटर हैंडल के जरिए सीधे प्रसारित की जाती हैं।

जनजागरूकता अभियान

X.7 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने जोखिम बनाम प्रतिलाभ विषय पर 360 डिग्री मल्टी-मीडिया जन जागरूकता अभियान चलाए। दो वित्तीय साक्षरता सप्ताहों के दौरान किसानों और एमएसएमई पर फिल्में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित की गईं। जागरूकता संबंधी संदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए जन संचार के विभिन्न माध्यमों, जैसे, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, वेबसाइटों, होर्डिंग, सिनेमा और एसएमएस, का उपयोग किया गया। सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, सीमित देयता, बैंकिंग लोकपाल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधाओं पर फिल्में भी वर्ष के दौरान कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी), प्रो कबड्डी लीग और सड़क सुरक्षा सीरिज जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में प्रसारित की गईं। वर्षभर अभियान के एक भाग के रूप में वित्तीय शिक्षा और अन्य उपयोगी क्षेत्रों पर फिल्में, जिनमें रिजर्व बैंक में कार्यरत क्रिकेटर्स और बैडमिंटन खिलाड़ियों को शामिल किया गया, दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित की गईं।

X.8 भारतीय नागरिकों को दिए गए एक विशेष वीडियो संदेश में गवर्नर ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की दृष्टि से सामाजिक दूरी के एक भाग के रूप में विभिन्न डिजिटल माध्यमों के प्रयोग का समर्थन किया। श्री अमिताभ बच्चन के अभिनय में प्रस्तुत 'डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें' पर एक विशेष अभियान कोविड-19 जन जागरूकता उपायों के एक भाग के रूप में अप्रैल 2020 में डिजिटल और सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया।

इसे बाद में प्रमुख टेलीविजन चैनलों और रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया गया।

X.9 फिल्मों और प्रिंट विज्ञापनों के अलावा संदेशों को एसएमएस और इंटरैक्टिव आवाज़ प्रतिक्रिया प्रणाली (आईवीआरएस) के माध्यम से भी जारी किया गया [बॉक्स X.1]। सोशल मीडिया

X.10 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के ट्वीटर हैंडल @RBI के 8,92,000 फॉलोअर थे, जो कि विश्व के केंद्रीय बैंकों के मामले में देखें तो सर्वाधिक संख्या है। 30 जून

2020 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के यूट्यूब चैनल के 56,100 सब्सक्राइबर थे। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने जनसाधारण को लाभ पहुंचाने के लिए जन जागरूकता संदेशों के व्यापक प्रचार-प्रसार और परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए @RBIsays शीर्षक के अंतर्गत अपने दूसरे ट्वीटर हैंडल और फेसबुक पेज की शुरुआत की। जागरूकता अभियान की शुरुआत रिज़र्व बैंक के गवर्नर के संदेश से की गई, जिसमें भुगतान के विभिन्न डिजिटल माध्यमों के उपयोग को महत्व दिया गया : 'डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें'। इसके बाद अंग्रेजी, हिंदी

बॉक्स X.1

एसएमएस के जरिए जन जागरूकता अभियान

रिज़र्व बैंक द्वारा एसएमएस के माध्यम से चलाए जाने वाला जन जागरूकता अभियान 10 नवंबर 2017 को शुरू हुआ। इस अभियान का उद्देश्य बिना भौतिक उपस्थिति के जनता के बीच वित्तीय और बैंकिंग मामलों के प्रति जागरूकता पैदा करने के दायरे को बढ़ाना है। इस एसएमएस अभियान की मुख्य विशेषता है मिसड कॉल देने की सुविधा : रिज़र्व बैंक के शार्ट कोड नंबर 14440 पर मिसड कॉल देने से कॉल करने वाले को कॉल बैंक मिलता है, जिसमें एसएमएस के विषय पर अधिक जानकारी दी जाती है। वर्ष के दौरान इस अभियान के अंतर्गत भेजे गए एसएमएस के शीर्षकों का ब्योरा नीचे दिया गया है।

जुलाई 2019 और जून 2020 के बीच भेजे गए एसएमएस

एसएमएस 1: जल्द और उच्च प्रतिलाभ वाली योजना? इसमें जोखिम हो सकता है! यदि कोई संस्था जमाराशि लौटाने में चूक करता है तो उसकी शिकायत www.sachet.rbi.org.in पर दर्ज करें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर कॉल करें।

एसएमएस 2: दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा बैंकनोटों की पहचान करने में मदद के लिए bit.ly/RBI-MANI से डाउनलोड करें आरबीआई का मणि ऐप। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर कॉल करें।

एसएमएस 3: क्या आप आरबीआई के जन जागरूकता संदेशों पर फीडबैक देना चाहते हैं? यदि हां तो <http://nmc.sg/b2FrYT> पर क्लिक करें।

एसएमएस 4: क्या बैंक, एनबीएफसी, सिस्टम सहभागी के विरुद्ध शिकायत का समाधान नहीं किया गया? तो अपनी शिकायत रिज़र्व बैंक की शिकायत निवारण प्रणाली @<https://cms.rbi.org.in> पर दर्ज करें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर कॉल करें।

एसएमएस 5: मणि ऐप अभियान का संदेश फिर से भेजा गया।

एसएमएस 6: क्या आपके बैंक खाते में कपटपूर्ण लेनदेन हुआ है? अपनी हानि को सीमित रखें। अपने बैंक को तुरंत सूचना दें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिसड कॉल दें।

एसएमएस अभियान के माध्यम से किए गए आउटरीच का ब्योरा नीचे सारणी 1 में दिया गया है।

सारणी 1: एसएमएस अभियान - आउटरीच

(30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार, संख्या लाख में)

ब्योरा	एसएमएस 1	एसएमएस 2	एसएमएस 3	एसएमएस 4	एसएमएस 5	एसएमएस 6
1	2	3	4	5	6	7
भेजे गए कुल नए संदेश	6,157	6,263	127	6,443	4,573	5,370
सुपुर्द कुल नए संदेश	4,002	4,259	115	4,511	3,441	4,154
भेजे गए कुल एसएमएस अंश	11,782	12,665	127	12,728	7,305	9,641
सुपुर्द कुल एसएमएस अंश	7,296	8,377	115	8,771	5,449	7,407

स्रोत : आरबीआई।

ऐप को आसानी से डाउनलोड करने के लिए मणि ऐप पर एसएमएस में ऐप स्टोर/प्ले स्टोर का लिंक दिया गया है। शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) संबंधी एसएमएस में भी सीएमएस पोर्टल का लिंक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप दर्ज शिकायतों में काफी बढ़ोतरी हुई। जोखिम बनाम प्रतिलाभ संबंधी एसएमएस में जनसाधारण को धोखा देने के लिए संदिग्ध योजनाएं पेश करने वाली कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करने के लिए 'सचेत' पोर्टल का लिंक दिया गया है। फरवरी 2020 में एसएमएस अभियान पर फीडबैक का आकलन करने के लिए एक प्रभाव सर्वेक्षण कराया गया। उस एसएमएस में आरबीआई वेबसाइट के लिंक के साथ पांच प्रश्न दिए गए थे। उक्त सर्वेक्षण के परिणाम सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहे।

स्रोत : आरबीआई।

और ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं में संदेशों का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया हैंडलों पर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट (जीआईएफ) और कार्टून के रूप में किया गया।

मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के लिए कार्यशालाएं

X.11 वर्ष के दौरान विभाग ने क्षेत्रीय मीडिया के लिए अपने जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बेंगलूरु, पटना और जयपुर में तीन कार्यशालाएं आयोजित कीं। राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी मुंबई में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

आरबीआई संग्रहालय

X.12 6, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता में स्थित आरबीआई संग्रहालय ने 11 मार्च 2020 को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। इस संग्रहालय में मुद्रा, स्वर्ण और रिजर्व बैंक के उद्भव संबंधी कहानियों के कई रोचक खंड हैं, जिन्हें शिल्पकृतियों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनों के माध्यम से समझाया जाता है। संग्रहालय के मेजेनाइन फ्लोर पर इंटरैक्टिव गेमिंग ज़ोन है। 11 मार्च 2019 को इसके उद्घाटन के बाद से 19 मार्च 2020¹ तक की स्थिति के अनुसार इस संग्रहालय में 8,463 लोग पधारे थे। नियमित प्रदर्शनों के अलावा, बैंक नोटों और स्मारक सिक्कों सहित मुद्रा के दुर्लभ संग्रह की एक विशेष प्रदर्शनी भी इस संग्रहालय में आयोजित की गई।

2020-21 की कार्य-योजना

X.13 2020-21 में विभाग उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- महत्वपूर्ण विनियामकीय और बैंकिंग संबंधी मुद्दों पर मीडिया के लिए कार्यशालाएं/ सत्र चलाना;
- जन जागरूकता कार्यक्रमों और सोशल मीडिया में मौजूदगी के माध्यम से समाज के साथ संबंध को प्रगाढ़ बढ़ाना; और
- अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ कदमताल करते हुए सोशल मीडिया निगरानी व श्रवण के लिए 'सोशल मीडिया कमांड केंद्र' के निर्माण के लिए प्रयास किया जाएगा।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.14 2019-20 के दौरान रिजर्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से आर्थिक और वित्तीय संबंधों, खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ, संबंधों को मजबूत किया। केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को बढ़ाने के प्रति ध्यान केंद्रित करने को लेकर विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में मदद मिली। डेटाबेसों और सर्वेक्षणों के माध्यम से क्षमता वर्धन, तकनीकी सहयोग प्रदान करने और सूचना के प्रचार-प्रसार को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रगत पहलों की गई।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.15 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जी20 के अंतर्गत फाइनेन्स ट्रैक के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना। (उत्कर्ष) [पैरा X.16 - X.19 तक];
- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना की कार्य-योजना पर ध्यान केंद्रित करना (उत्कर्ष) [पैरा X.20 - X.22 तक];
- आईएमएफ के साथ हुई अनुच्छेद IV 2019 विषयक चर्चा को सफलतापूर्वक पूरा करना (उत्कर्ष) [पैरा X.23];
- बीआईएस और सीजीएफएस बैठकों में विश्लेषणात्मक नीतिगत विवरण प्रस्तुत करना (पैरा X.24 - X.25 तक);
- एफएसबी से जुड़े मुद्दों के लिए जानकारी उपलब्ध कराना (पैरा X.26);
- ब्रिक्स सीआरए की समष्टि-आर्थिक अनुसंधान क्षमता को मजबूत बनाना (उत्कर्ष) [पैरा X.27];
- भारत सरकार और अन्य सार्क केंद्रीय बैंकों के साथ परामर्श करके सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप

¹ वैश्विक महामारी के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए जाने के कारण संग्रहालय 20 मार्च 2020 से दर्शकों के लिए खुला नहीं था।

व्यवस्था के फ्रेमवर्क में संशोधन करना (उत्कर्ष) [पैरा X.28];

- क्षमता वर्धन, तकनीकी सहयोग प्रदान करने और सहयोगात्मक अध्ययन के संदर्भ में सार्कफाइनेन्स रूपरेखा के अंतर्गत कार्य-योजना को आगे बढ़ाना (उत्कर्ष) [पैरा X.28]; और
- अन्य पहलें (पैरा X.29 से X.31 तक)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

जी20 संबंधी सऊदी अरब की 2020 प्रेसिडेंसी

X.16 2019-20 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत 'रीअलाइसिंग ऑपचुनिटीज़ ऑफ द 21स्ट सेंचुरी फॉर ऑल' के विषय पर 2020 में सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) तथा वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्षों (एफसीबीडी) की बैठकें शामिल थीं। भारत ने जी20 फाइनेन्स ट्रेक वर्क कार्यक्रम का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य सभी को अवसरों का एक्सेस देते हुए सशक्त बनाना और डिजिटल वित्तीय समावेशन सहित नवोन्मेषण का लाभ उठाते हुए नए कार्यक्षेत्रों को साकार करना है। भारत ने उक्त वर्क कार्यक्रम का समर्थन किया, जिसके लिए रिज़र्व बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से हासिल अंतर-परिचालनात्मकता के आधार पर 24x7x365 खुदरा भुगतान प्रणाली जैसी वित्तीय समावेशन पहलों के रूप में योगदान किया। भारत ने वैश्विक सीमा-पार भुगतान व्यवस्थाओं, खास तौर पर धन-प्रेषणों के लिए रूपरेखा विकसित करने में जी20 पहलों के लिए भी सहयोग किया।

X.17 सरकार के समन्वय से विभाग ने जी20 के विभिन्न कार्यदलों की बैठकों में भाग लिया, जैसे रूपरेखा कार्यदल (एफडब्ल्यूजी), इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) कार्यदल।

X.18 वित्तीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर जी20 ने रेगटेक, सूपटेक और बिगटेक से जुड़े मुद्दों के अलावा 2021 के अंत में लाइबोर को योजनाबद्ध तरीके से बंद करने के साथ ही अंतर-बैंक प्रस्तावित दरों (आईबोर) के बेंचमार्क के अवस्था परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। भारत की राय यह थी कि हालांकि एकदिवसीय (अल्पावधि) जोखिम-मुक्त दरों (आरएफआर), [उदाहरण के लिए- यूएस में प्रतिभूत एकदिवसीय वित्तीयन दर (एसओएफआर), यूरो क्षेत्र में यूरोपीय अल्पावधि दर (ईएसटीईआर), और यूके में स्टर्लिंग एकदिवसीय सूचकांक औसत (एसओएनआईए)], को अपनाने की दिशा में लगातार प्रगति हुई है फिर भी जोखिमधारकों तक आउटरीच सहित लाइबोर से पलायन करते हुए अवस्था परिवर्तन को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए काफी कुछ करना शेष है।

X.19 विभाग ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित वर्चुअल एफएमसीबीजी बैठकों के लिए अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की। जी20 एफडब्ल्यूजी के सह-अध्यक्ष होने के नाते भारत ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कार्य-योजना तैयार करने में अगुआई की।

आईएमएफ और आईएफए से जुड़े मुद्दे

X.20 अक्टूबर 2019 में वार्षिक कोष-बैंक बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि कोटाओं की 15वीं सामान्य समीक्षा (जीआरक्यू) के अंतर्गत आईएमएफ कोटाओं में बदलाव के लिए सदस्यों के बीच अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूएस ने 15वीं जीआरक्यू के तहत कोटे को बढ़ाने के लिए योगदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। फरवरी 2020 में आईएमएफ के गवर्नर मंडल ने कोटाओं में बिना किसी बढ़ोतरी के 15वीं जीआरक्यू का औपचारिक रूप से समापन किया और यह निर्णय लिया कि 16वीं जीआरक्यू 15 दिसंबर 2020 के आगे भी जारी रहेगी तथा इसका समापन 15 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। इस विस्तारित अवधि के दौरान आईएमएफ कोटाओं की पर्याप्तता का पुनर्मूल्यांकन करेगा तथा गवर्नेंस सुधार की प्रक्रिया को जारी रखेगा, जिसके अंतर्गत गाइड के तौर पर नया कोटा

सूत्र शामिल है, और आईएमएफ संसाधनों में कोटाओं की प्राथमिक भूमिका सुनिश्चित करेगा। बोर्ड ने उधार की नई व्यवस्थाओं (एनएबी) को 1 जनवरी 2021 से दुगुना करने के लिए एनएबी को लेकर सहभागियों का आह्वान किया।

X.21 यह महसूस किया गया कि आईएमएफ को उधार देने के अपने संसाधनों को कम से कम मौजूदा स्तर पर बनाए रखना चाहिए, भले ही 15वीं जीआरक्यू कोटाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई हो। तदनुसार, भारत ने 2016 द्विपक्षीय उधार संबंधी करारों (बीबीए), जो कि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हैं, के अंतर्गत 2016 नोट खरीद करार (एनपीए) की अवधि को एक वर्ष तक, जो कि दिसंबर 2020 के अंत तक प्रभावी रहेगा, बढ़ाने के लिए अपना समर्थन बरकरार रखा।

X.22 27 मार्च को संपन्न वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की बैठक में रिज़र्व बैंक ने ऐसी गैर-स्टिग्मटाइज़्ड अल्पावधि चलनिधि स्वैप सुविधा का प्रस्ताव किया, जिसे सदस्य देशों की सहायता के लिए त्वरित रूप से लागू किया जा सकेगा। इस प्रस्ताव ने जोर पकड़ा और इसके परिणामस्वरूप आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड ने एक नई 'स्वैप-नुमा' अल्पावधि चलनिधि व्यवस्था (एसएलएल) का अनुमोदन किया जिसका उपयोग मजबूत सिद्धांत, सुदृढ़ नीतियों और संस्थागत फ्रेमवर्क वाले देश कर सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाज़ार की अस्थिरता का सामना कर रहे हों। विभाग ने आईएमएफ से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों के प्रति भारत का रुख स्पष्ट करने में मदद की।

X.23 विभाग ने 2019 अनुच्छेद IV प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन को भी सुसाध्य बनाया, जो कि आईएमएफ से संबंधित करार की शर्तों के अनुच्छेद IV के अंतर्गत है। दिसंबर 2019 में आईएमएफ की स्टाफ रिपोर्ट जारी की गई।

बीआईएस गतिविधियां

X.24 वर्तमान में बीआईएस के बोर्ड पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शामिल होने के कारण रिज़र्व बैंक ने बीआईएस के कार्यकलापों के अनेक नए क्षितिजों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें गवर्नर द्वारा भाग ली गई बीआईएस की द्विमासिक बैठकों, जिनके अंतर्गत कोविड-19 के फैलाव के

प्रतिक्रियास्वरूप बीआईएस द्वारा आयोजित ऐसी वर्चुअल बैठकें भी शामिल हैं, में विभाग ने सहायता व विश्लेषणात्मक इनपुट दिए।

X.25 विभाग ने बीआईएस समितियों, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस), की अनेक अन्य बैठकों के लिए उच्च प्रबंध-तंत्र को सहायता प्रदान की।

वैश्विक वित्तीय विनियमन से संबंधित एफएसबी की पहलें

X.26 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) वैश्विक वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों का आकलन करता है और केंद्रीय बैंकों, अन्य राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों और अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारक निकायों के समन्वय से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जुड़े मुद्दों और वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों के बारे में एफएसबी में भारत का रुख तय करने में विभाग ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। विभाग ने रिज़र्व बैंक के भीतर अन्य इकाइयों और विनियामकीय निकायों के साथ समन्वय करके भी एफएसबी की वार्षिक गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) निगरानी प्रक्रिया और अन्य सर्वेक्षणों के लिए भारत की तरफ से इनपुट उपलब्ध कराए। विभाग ने एशिया से संबंधित एफएसबी के क्षेत्रीय परामर्शी समूह (आरसीजी) के लिए कान्फ्रन्स कॉल आयोजित की। विभाग ने कोविड-19 संकट का सामना करने के लिए एफएसबी द्वारा की गई प्रमुख पहलों से संबंधित रिपोर्टिंग और चर्चा सत्र में भी योगदान किया।

ब्रिक्स, सार्क और द्विपक्षीय सहयोग

X.27 समीक्षाधीन अवधि में ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) के परीक्षण के दूसरे दौर को सफलतापूर्वक पूरा किया। ब्रिक्स बॉण्ड फंड (बीबीएफ) के परिचालनात्मक पहलुओं की जांच की गई और रूपरेखा तैयार की गई। ब्रिक्स देशों के बीच भुगतान और निपटान प्रणाली तथा सूचना सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग व वार्ता की प्रक्रिया ब्रिक्स रूस की अध्यक्षता के अंतर्गत शुरू की गई।

X.28 रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए सार्कफाइनेन्स (एसएफ) की अध्यक्षता ग्रहण की है। विभाग विभिन्न पहलों के जरिए सार्क केंद्रीय बैंकों के बीच

सहयोग को बढ़ाने हेतु प्रयासरत है। इन पहलों के अंतर्गत एसएफ सिंक, जो अंतःसारक केंद्रीय बैंकों की संचार व्यवस्था के लिए एक सीमित और सुरक्षित चैनल को सुसाध्य बनाने का पोर्टल है, विकसित करने का कार्य शामिल है। सारक देशों के केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए उच्च अध्ययन संबंधी एसएफ छात्रवृत्ति योजना, जिसकी शुरुआत जून 2013 में की गई थी, को मई 2020 में संशोधित किया गया। संशोधित योजना के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र पाठ्यक्रमों के दायरे को बढ़ाया गया तथा छात्रवृत्ति की राशि और वर्ष में दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या को बढ़ाया गया है। 2014 में पहली एसएफ छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता ने 2019 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएच.डी. की पढ़ाई पूरी की। 2019 की एसएफ छात्रवृत्ति नेपाल राष्ट्र बैंक और द अफगानिस्तान बैंक के क्रमशः दो अधिकारियों को भारत में डॉक्टोरेट और स्नातकोत्तर उपाधि की पढ़ाई के लिए दी गई। सहयोग की एसएफ रूपरेखा के अंतर्गत कुछ सदस्य केंद्रीय बैंकों को तकनीकी सहयोग और एक्सपोजर प्रदान किया गया। एसएफ डेटाबेस के मानकीकरण और उन्नयन कार्य में प्रगति हुई। फिनटेक और वित्तीय समावेशन पर एसएफ सर्वेक्षण किया गया, जिससे सारक देशों के बीच फिनटेक और वित्तीय समावेशन की स्थिति का जायज़ा लेना संभव हुआ। इस सर्वेक्षण

के आधार पर रिज़र्व बैंक ने सभी सारक केंद्रीय बैंकों को शामिल करते हुए फिनटेक और वित्तीय समावेशन पर एक सहयोगात्मक अध्ययन शुरू किया है, जिससे संबंधित एक संगोष्ठी फरवरी 2020 में उदयपुर में आयोजित की गई। 2019-22 की अवधि के लिए सारक देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था का एक नया फ्रेमवर्क शुरू किया गया (बॉक्स X.2), जिसके तहत जनवरी 2020 में रॉयल भूतान मौद्रिक प्राधिकरण (आरएमएबी) के साथ स्वैप करार पर हस्ताक्षर किए गए और फरवरी में स्वैप सहायता दी गई। भारत ने अप्रैल 2020 में मालदीव को और जुलाई में श्रीलंका को भी स्वैप व्यवस्था मुहैया कराई ताकि कोविड-19 के बाद पर्यटन संबंधी प्राप्ति बाधित होने और अन्य अड़चनों के कारण डॉलर की चलनिधि आवश्यकता की भरपाई करने में उन्हें मदद मिल सके।

अन्य गतिविधियां

X.29 रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ़ जापान (बीओजे) के बीच वार्ता और सहयोग को बढ़ाने की दृष्टि से 04 नवंबर 2019 को निबंधनाधीन वचनबंध (टीओई) पर हस्ताक्षर किए गए। इस टीओई के तहत आरबीआई-बीओजे की पहली वरिष्ठ स्तरीय वार्ता 04 नवंबर 2019 को मुंबई में संपन्न हुई। पारस्परिक रूप से महत्व रखने वाले मुद्दों पर चर्चा करके उन्हें दूर करने के लिए

बॉक्स X.2

सारक देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था का फ्रेमवर्क, 2019-22

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्वैप व्यवस्थाएं वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन) का अभिन्न अंग हो गई हैं। भारत ने, अन्य सारक देशों के साथ परामर्श करके 2012 में सारक देशों के लिए द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था तीन वर्षों के लिए शुरू की थी, जिसे अब तक दो बार बढ़ाया गया है। सारक देशों के साथ की गई मौजूदा मुद्रा स्वैप व्यवस्था 14 नवंबर 2019 से 13 नवंबर 2022 तक तीन वर्ष के लिए वैध है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत रिज़र्व बैंक सारक केंद्रीय बैंकों को स्वैप सुविधा के तहत 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चलनिधि सहायता देना जारी रखेगा। इस समग्र राशि में से प्रत्येक सारक देश के लिए अधिकतम पात्र स्वैप राशि आबंटित की जाती है, जिसका निर्धारण उस देश के विभिन्न आर्थिक मानदंडों के आधार पर किया गया है। आहरण, अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपया

(आईएनआर) में और समग्र पात्र सीमा के अंतर्गत बहु-ट्रान्शों में किया जा सकता है।

इस फ्रेमवर्क में 20 दिसंबर 2018 को एक 'स्टैंडबाई स्वैप व्यवस्था' (एसएसए) शामिल की गई, जिसके अंतर्गत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की अतिरिक्त स्वैप राशि प्रत्येक देशों को सुविधा की समग्र मात्रा के अंतर्गत उपलब्ध अप्रयुक्त शेष के हिसाब से विनिर्दिष्ट सीमाओं के अलावा दी जा सकेगी। प्रतीक्षा अवधि और दूसरे रोलओवर के परिप्रेक्ष्य में आईएनआर में स्वैप आहरण के लिए छूट दी जाती है। आरएमएबी और सेंट्रल बैंक ऑफ़ श्रीलंका (सीबीएसएल) ने क्रमशः 31 जनवरी और 24 जुलाई 2020 को नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के साथ द्विपक्षीय स्वैप करार किया।

स्रोत : आरबीआई।

संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति (जेटीसीसी) – जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) के बीच एक कार्यपालक निदेशक स्तरीय फोरम है – की तीसरी बैठक 5-6 सितंबर 2019 के दौरान मुंबई में आयोजित की गई।

X.30 विभाग ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ काफी निकटता से मिलकर कार्य करना जारी रखा तथा भारत की व्यापार नीति और प्रथाओं (टीपीआर) से संबंधित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 7वीं समीक्षा के लिए डब्ल्यूटीओ सचिवालय की भारत संबंधी रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा में भाग लिया। विभाग ने विनियमन, पर्यवेक्षण और भुगतान प्रणालियों से जुड़े मुद्दों पर विश्व बैंक के साथ भी बैठकें आयोजित कीं।

X.31 रिज़र्व बैंक ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) और दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) केंद्र के साथ सक्रिय रूप से कार्य करना जारी रखा। उसने जी24 और जी30 को भी सहायता प्रदान की। दक्षिण-पूर्व एशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (एसईएएनजेडए) केंद्रीय बैंक फोरम में किए गए विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप, जिसके लिए अधिकांश सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ, यह संकल्प किया गया कि इसे विशेष रूप से अन्य क्षेत्रीय फोरा/ क्षमता वर्धक संस्थाओं, जैसे- एसईएसीईएन, आईएमएफ प्रशिक्षण संस्थाओं और पूर्वी एशियाई-प्रशांत क्षेत्रीय केंद्रीय बैंकों के कार्यकारी अधिकारियों की सभा (ईएमईएपी) के आविर्भाव को ध्यान में रखते हुए बंद किया जाए। साथ ही, 1950 के उत्तरार्द्ध से केंद्रीय बैंक सहयोग और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में उसके अपरिमेय योगदान के लिए आभार प्रकट किया गया।

2020-21 की कार्य-योजना

X.32 2020-21 में विभाग निम्नलिखित मदों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) से जुड़े मुद्दों, जिनके अंतर्गत 16वीं जीआरक्यू, उधार संबंधी द्विपक्षीय करार (बीबीए) और आईएमएफ की उधार

संबंधी नई व्यवस्थाएं (एनएबी) शामिल हैं, पर अनुवर्ती कार्रवाई (उत्कर्ष);

- मौजूदा सार्कफाइनेन्स के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकलापों को पूरा करना, जिसके अंतर्गत स्वैप सहयोग, क्षमता वर्धन, संयुक्त अनुसंधान शामिल है (उत्कर्ष);
- भारत द्वारा 2021 में ब्रिक्स अध्यक्षता ग्रहण किए जाने के मद्देनज़र बीबीएफ, सीआरए और अन्य पहलों के जरिए ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाना (उत्कर्ष);
- आईएमएफ के साथ अनुच्छेद-IV के विषय पर परामर्श करना;
- 2022 में प्रेसिडेंसी को संभालने की दृष्टि से तैयारी के तौर पर जी20 के साथ सहकार्य को बढ़ाना;
- जी20 के विभिन्न कार्यदलों को इनपुट देना जारी रखना;
- बीआईएस बोर्ड के कार्यकलापों और गवर्नर की द्विमासिक बैठकों के लिए गवर्नर को इनपुट मुहैया कराना;
- वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति जैसी अन्य बैठकों और एफएसबी से जुड़े मुद्दों, जिनके अंतर्गत वैश्विक प्रवृत्तियों और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता से पैदा होने वाले जोखिमों के आकलन से संबंधित एफएसबी की वार्षिक निगरानी प्रक्रिया 2020 शामिल है, के लिए इनपुट प्रदान करना; तथा
- प्रौद्योगिकी-समर्थ पर्यवेक्षी व विनियामकीय समाधानों के लिए सीमा-पार भुगतानों, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक और बिगटेक को बढ़ाने के लिए इनपुट मुहैया कराना।

4. सरकारी और बैंक लेखे

X.33 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिज़र्व बैंक की आंतरिक लेखांकन नीतियों के निर्धारण के अलावा बैंकों के

बैंक और सरकारों के बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यों की देखरेख करता है।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.34 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- केंद्र सरकार की प्रणालियों के अलावा राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्रों की प्रणालियों के साथ ई-कुबेर को एकीकृत करना ताकि उनकी ई-प्राप्तियों की प्रत्यक्ष वसूली और ई-भुगतान किया जा सके (उत्कर्ष) [पैरा X.35];
- ई-प्राप्तियों की रिपोर्टिंग के लिए सभी एजेंसी बैंकों के साथ ई-कुबेर का एकीकरण (उत्कर्ष) [पैरा X.36];
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार की मौजूदा ऑनलाइन त्रुटि ज्ञापन प्रक्रिया का दायरा बढ़ाते हुए उसके अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को शामिल करना (उत्कर्ष) [पैरा X.37];
- एजेंसी बैंकों द्वारा किए जाने वाले सरकारी लेनदेनों की निरीक्षण प्रक्रिया को चुस्तदुरुस्त करना (उत्कर्ष) [पैरा X.38];
- सरकार की शेषराशियों की दैनिक स्थिति की गणना का स्वचालन (उत्कर्ष) [पैरा X.39];
- पी2एफ व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बंद करना (पैरा X.40); और
- अन्य पहलें (पैरा X.41 - X.43 तक).

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.35 वर्ष के दौरान तीन राज्य सरकारें ई-भुगतान के लिए रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान पोर्टल – ई-कुबेर – में नए सिरे से जुड़ीं और तीन राज्य सरकारें ई-भुगतान पोर्टल के उन्नत वर्शन में अंतरित हुईं। ई-प्राप्तियों और ई-भुगतानों के एकीकरण के लिए शेष राज्य सरकारों से संपर्क किया गया, जिसके बाद

कतिपय राज्य सरकारों ने इस हेतु अपनी इच्छा जाहिर की और वे इस एकीकरण के लिए तकनीकी दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। केंद्र सरकार के मामले में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आइसगेट) प्रणाली को ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया और इसे 01 जुलाई 2019 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रत्यक्ष करों [वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर] की वसूली के लिए लागू किया गया।

सरकारी प्राप्तियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए ई-कुबेर के साथ एजेंसी बैंकों का एकीकरण

X.36 सभी एजेंसी बैंकों को उनके द्वारा वसूली गई जीएसटी प्राप्तियों के संबंध में रिज़र्व बैंक को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया। राज्य सरकार के लेनदेनों का कार्य करने वाले बैंकों को भी ई-कुबेर के साथ जोड़ा गया ताकि वे रिज़र्व बैंक को प्राप्तियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकें।

सभी राज्य सरकारों को जीएसटी फ्रेमवर्क में त्रुटि ज्ञापन (एमओई) प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल करना

X.37 वर्ष के दौरान जीएसटी लेनदेनों के समाधान के लिए तीन राज्य सरकारों को ऑनलाइन एमओई प्रक्रिया में शामिल किया गया, वहीं, तीन राज्य सरकारों ने इसका परीक्षण पूरा कर लिया है और वह शीघ्र ही लाइव होने जा रहा है। तथापि, कोविड-19 वैश्विक महामारी ने रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच की परीक्षण प्रक्रिया की गति धीमी कर दी है। रिज़र्व बैंक शेष राज्य सरकारों को इसके अंतर्गत शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

एजेंसी बैंकों की निगरानी

X.38 निरीक्षणों के दौरान विचारार्थ मुद्दों की विस्तृत जांच-सूची तैयार की गई और एजेंसी बैंकों की निगरानी प्रक्रिया को दुरुस्त बनाने के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए।

दैनिक स्थिति संबंधी प्रक्रिया का स्वचालन

X.39 16 दिसंबर 2019 से एनईएफटी परिचालनों के 24 x 7 आधार पर चालू हो जाने और यह सेवा सरकारी लेनदेनों के लिए भी उपलब्ध हो जाने के बाद सरकार की शेषराशि की दैनिक स्थिति की गणना के लिए परिचालनात्मक प्रक्रिया में कतिपय बदलाव लाना ज़रूरी हो गया। तदनुसार, इस लक्ष्य की रूपरेखा की समीक्षा की जा रही है और आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं।

राज्य सरकारों के लिए पेपर-टु-फॉलो (पी2एफ) व्यवस्था को बंद करना

X.40 13 राज्यों में सरकारी चेकों के समाशोधन संबंधी पी2एफ व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर बंद कर दी गई।

अन्य पहलें

X.41 01 जुलाई 2019 को पात्र सरकारी लेनदेनों की एजेंसी कमीशन दरों में संशोधन किया गया। एजेंसी बैंकों को अदा किए गए एजेंसी कमीशन पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति संबंधी केंद्रीकृत प्रणाली को बंद किया गया और, 01 जुलाई 2019 से एजेंसी कमीशन के दावों सहित लागू दरों पर जीएसटी का भुगतान रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जाता है। एजेंसी कमीशनों का भुगतान करते समय लागू कानूनों के अनुसार जीएसटी के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए प्रेमवर्क शुरू किया गया।

X.42 सरकारी लेनदेनों की समय पर रिपोर्टिंग के लिए एजेंसी बैंकों की जिम्मेदारी को मजबूत करने और साथ ही, एजेंसी कमीशन संबंधी उनके दावों की सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी बैंकों के लिए यह ज़रूरी किया गया कि वे बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत कराएं और एजेंसी कमीशन के दावों की सत्यता और इस आशय, कि 1 अगस्त 2019 से एजेंसी कमीशन के दावे प्रस्तुत करते समय कोई सरकारी प्राप्ति धनप्रेषण के लिए लंबित नहीं हैं, का प्रमाणपत्र एक सनदी लेखाकार द्वारा दिलाएं। उसके बाद 25 सितंबर 2019

से एजेंसी बैंकों को लागत लेखाकारों से ऐसा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में समर्थ बनाया गया।

X.43 रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2020 से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) प्रणाली में भाग लेना शुरू किया। एक राज्य सरकार के जमा लेनदेनों को एनएसीएच प्रणाली में अंतरित किया गया।

2020-21 की कार्य-योजना

X.44 2020-21 के लिए विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य-योजना प्रस्तावित की है:

- केंद्र सरकार की प्रणालियों को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना ताकि उनकी ई-प्राप्तियों की सीधी वसूली और ई-भुगतान हो सके (बॉक्स X.3);
- शेष राज्य सरकारों की प्रणालियों को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को छोड़कर);
- गैर-जीएसटी लेनदेनों के लिए एक प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करना;
- सरकारी लेनदेनों के लिए एक डैशबोर्ड तैयार करना; और
- जीएसटी लेनदेनों के समाधान की दृष्टि से ऑनलाइन एमओई समाधान प्रक्रिया के लिए शेष राज्य सरकारों को जोड़ना।

5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन

X.45 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) अपने कार्यनीतिक उद्देश्यों के रूप में - सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिलाभों के क्रम में - देश के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) के प्रबंधन का कार्य करता है। वर्ष के दौरान जून 2020 में एफईआर में 17.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 5.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले वर्ष की विविधीकरण कार्यनीति के समान ही वर्ष

बॉक्स X.3

ई-कुबेर और कर सूचना प्रणाली (टीआईएन) 2.0: प्रत्यक्ष करों का एकीकरण

ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओल्टास) के माध्यम से की जाने वाली मौजूदा प्रत्यक्ष कर संग्रहण प्रक्रिया को कर सूचना प्रणाली (टीआईएन) 2.0 में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसकी नींव आयकर विभाग और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआर. सीसीए), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा रखी जाती है। सरकारी लेनदेनों का लेखांकन अब 'प्रकल्प' (प्रत्यक्ष कर लेखांकन प्रणाली) के माध्यम से किया जाएगा, जो कि महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय के अंतर्गत सरकारी वित्तीय प्रबंध प्रणाली (पीएफएमएस) का एक एप्लिकेशन है। सीबीडीटी और सीजीए के अलावा प्राधिकृत बैंक और रिजर्व बैंक भी इस टीआईएन 2.0 परिवेश-प्रणाली का अंग हैं। रिजर्व बैंक ई-कुबेर के माध्यम से प्रत्यक्ष करों के लेखांकन व निपटान के लिए एक संग्रहकर्ता बैंक के साथ ही समुच्चयक के रूप में कार्य करेगा, जिसे एजेंसी बैंकों, टीआईएन और प्रकल्प की प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

टीआईएन 2.0, जो कि मोटे तौर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना पर आधारित है, के अंतर्गत करदाताओं को एक केंद्रीकृत प्रणाली से ऑनलाइन चालान जनरेट करना होता है, अतः भौतिक चालानों को तैयार करने और

संचालित करने की प्रथा बंद हो गई है। यह करदाताओं को विभिन्न भुगतान विकल्पों का उपयोग करने में समर्थ बनाता है, जैसे प्राधिकृत बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग, रिजर्व बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालयों सहित प्राधिकृत बैंकों की शाखाओं के माध्यम से ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) भुगतान, किसी बैंक के माध्यम से एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए रिजर्व बैंक को सीधे भुगतान और इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई/भीम जैसी अनुमोदित लिखतों के माध्यम से भुगतान।

टीआईएन 2.0 की शुरुआत से चालान जनरेट करने की सूचना और करों की पावती की पुष्टि सभी संबंधित हितधारकों को तत्काल भेजी जाएगी। जीएसटी की तरह ही एजेंसी बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए सभी करों के भुगतान की राशि रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की जाएगी ताकि एजेंसी बैंकों से प्राप्त निधियां रिजर्व बैंक द्वारा संगृहीत ओटीसी/एनईएफटी के साथ ही संबंधित सरकारी खातों में निर्धारित समय-सीमाओं के अनुसार जमा की जाएगी। रिजर्व बैंक सरकारी तंत्रों को आवश्यक लेखांकन व निपटान संबंधी रिपोर्टें भी भेजेगा।

स्रोत : आरबीआई।

के दौरान सोने की खरीद की गई और उसे एफईआर में जोड़ा गया।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.46 विभाग ने पिछले वर्ष के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- रेपो और फोरेक्स स्वैप क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करना (उत्कर्ष) [पैरा X.47];
- जोखित प्रबंधन प्रथाओं की समीक्षा करना [पैरा X.47]; और
- साइबर जोखिमों की दृष्टि से आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना (पैरा X.47)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.47 वर्ष के दौरान रेपो और फोरेक्स स्वैप जैसी लिखतों में परिचालन को बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा जोखिम प्रबंध प्रथाओं

की व्यापक समीक्षा की गई। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिहाज से आंतरिक प्रणालियों को सुदृढ़ बनाया गया। स्विफ्ट की सिफारिशों के मुताबिक विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) को स्विफ्ट अलाइअंस ऐक्सेस के नवीनतम वर्शन पर अपग्रेड किया गया। स्विफ्ट के अंतर्गत अतिरिक्त भुगतान नियंत्रण सेवाओं को अपनाते हुए सुरक्षा कवर को उन्नत बनाया गया।

2020-21 की कार्य-योजना

X.48 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- उन्नत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (उत्कर्ष);
- विशिष्ट अनुसंधान इनपुट (उत्कर्ष); और
- निवेशों की सुरक्षा में समझौता किए बगैर, लाभकारी अभिनियोजन के माध्यम से आरक्षित निधियों का प्रभावी विविधीकरण।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.49 अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही रिजर्व बैंक का ज्ञान केंद्र होने के नाते आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) नीति-निर्माण के लिए अनुसंधानपरक जानकारी और प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। यह विभाग प्राथमिक राष्ट्र-स्तरीय आंकड़े भी जुटाता है, रिजर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टें तैयार करता है, प्रमुख अनुसंधानमूलक प्रकाशन निकालता है, बाहरी विशेषज्ञों के साथ सहयोगात्मक नीति-उन्मुख अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देता है तथा विभिन्न परिचालनात्मक विभागों और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर गठित किए जाने वाले तकनीकी समूहों/ समितियों को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।

X.50 अपने सभी स्टाफ सदस्यों को यथासंभव सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'वर्क फ्रम होम' संबंधी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुसरण करते हुए विभाग ने इस अवधि में कतिपय लॉजिस्टिक अवरोध होने के बावजूद नीतिगत उपायों के लिए अपेक्षित सभी सूचना व विश्लेषणात्मक जानकारी समय पर उपलब्ध कराने का प्रबंध किया। अनुसंधान और विश्लेषण संबंधी कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहे, और अनुसंधान से संबंधित सभी प्रकाशन समय पर जारी किए गए। केंद्रीय पुस्तकालय ने अनुसंधान कार्य के लिए विभिन्न डेटाबेसों और अन्य संदर्भ संसाधनों के लिए निर्बाध रिमोट एक्सेस को सुसाध्य बनाया। विभाग ने ऑनलाइन प्लैटफॉर्मों पर जानकारी साझा करने से संबंधित कई सत्र भी आयोजित किए।

2019-20 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.51 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- विभिन्न सांविधिक व प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन (पैरा X.52);
- प्राथमिक और गौण आंकड़ों का संकलन व प्रचार-प्रसार (पैरा X.53);

- केंद्रीय बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गहरा विश्लेषण और अनुसंधान (उत्कर्ष) [पैरा X.54];
- मुद्रास्फीति और संवृद्धि दर के पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए बिग डेटा एप्लिकेशनों का प्रयोग (उत्कर्ष) [पैरा X.54];
- केंद्रीय पुस्तकालय की डिजिटलीकृत सामग्रियों के एक्सेस के स्तर को बढ़ाना (पैरा X.55); और
- विभिन्न कार्यक्रमों और विशेषज्ञों के व्याख्यानो का आयोजन (पैरा X.56 से X.57)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.52 वर्ष के दौरान विभाग ने कई प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन निर्धारित समय पर किया, यथा- वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, और राज्य वित्त : 2019-20 से संबंधित बजट अध्ययन। वर्ष के दौरान मासिक प्रकाशन – भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन – के दायरे को बढ़ाते हुए उसके अंतर्गत सामयिक विषयों पर त्वरित अनुसंधानपरक आलेख शामिल किए गए।

X.53 वर्ष के दौरान विभाग कुल मौद्रिक राशियों, भुगतान संतुलन, बाहरी कर्ज, प्रभावी विनिमय दरों, संयुक्त सरकारी वित्त, घरेलू वित्तीय बचत और नियत समय-सीमा पर निधियों के प्रवाह तथा गुणवत्ता मानकों के संबंध में प्राथमिक सांख्यिकी के संकलन व प्रचार-प्रसार के कार्यों में व्यस्त रहा। इस वर्ष की राज्य वित्त संबंधी रिपोर्ट में उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए एक 'ई-स्टेट डेटाबेस' को भी स्थान दिया गया है, जिसमें 1990-91 से 2019-20 तक की अवधि से संबंधित ऐतिहासिक आंकड़े शामिल हैं। जी-20 डेटा अंतराल संबंधी पहल के अनुरूप और विभिन्न हितधारकों की बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने समेकित राज्य (23 राज्यों) वित्त से संबंधित तिमाही आंकड़े और वर्ष के दौरान केंद्र व राज्यों के संयुक्त वित्त से संबंधित तिमाही आंकड़े जारी किए। इसी प्रकार, 2011-12 से 2017-18 तक की अवधि के लिए वित्तीय स्टॉक और भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़ों, जो क्षेत्रगत लेखों का समेकन है,

में सबसे पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्षेत्रवार बकाया स्थितियों को शामिल किया गया।

X.54 2019-20 के दौरान विभाग ने दो नए प्रभागों, नामतः भुगतान प्रणाली प्रभाग (पीएसडी) और नवीन कार्यक्षेत्र इकाई (एनएफयू), का सृजन करके अनुसंधान कार्यकलापों के दायरे को बढ़ाया और गहन किया। विभाग ने वर्ष के दौरान 54 शोध पत्र/आलेख प्रकाशित किए जिनमें से 17 का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय व घरेलू जर्नलों में हुआ तथा वेबसाइट पर 10 वर्किंग पेपर जारी किए गए। प्रकाशित अध्ययनों में समष्टि-आर्थिक पूर्वानुमान; बिग डेटा विश्लेषिकी; मुद्रास्फीति गतिकी; बैंकिंग क्षेत्र; वित्तीय चक्र; निवेश व्यवहार; भुगतान प्रणाली और राजकोषीय मामले जैसे विभिन्न मुद्दे शामिल किए गए हैं। साथ ही, डीईपीआर अध्ययन मंडल, जो कि एक आंतरिक चर्चा मंच है, ने वर्ष के दौरान विभिन्न अनुसंधानपरक विषयों पर 46 संगोष्ठियां/ प्रस्तुतियां आयोजित कीं, जिनमें से 11 कार्यक्रमों को लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन आयोजित किया गया। विभाग ने आरबीआई सामयिक पत्रों (खंड 40 संख्या 1 और 2), जो रिजर्व बैंक का समकक्ष-समीक्षित अनुसंधान जर्नल है, के दो अंकों का भी प्रकाशन किया।

X.55 केंद्रीय पुस्तकालय और भारतीय रिजर्व बैंक अभिलेखागार (आरबीआईए) डीईपीआर की दो प्रमुख इकाइयां हैं, जो अनुसंधान और रिपोर्टों के प्रकाशन, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक का इतिहास शामिल है, के लिए विभिन्न विषयों पर संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों/ ई-पुस्तकों का व्यापक संग्रह है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, अर्थशास्त्र और वित्त से संबंधित कतिपय दुर्लभ पुस्तकें, जर्नल/ई-जर्नल, और ऑनलाइन डेटाबेस शामिल हैं। वर्ष के दौरान किए प्रयासों के अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और आंकड़ों जैसे ऑनलाइन संसाधनों के उपयोगकर्ताओं के लिए एकीकृत इंटरफेस उपलब्ध कराने के प्रति ध्यान केंद्रित किया गया। आरबीआईए रिजर्व बैंक में पुरालेख और अभिलेख प्रबंध नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह रिजर्व बैंक के स्टाफ सदस्यों के साथ ही देश-विदेश के विभिन्न भू-भागों के विद्वानों को अनुसंधान सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। अभिलेखागार ने 2019-20 के

दौरान 5 लाख से अधिक पृष्ठों का डिजिटल रूप तैयार किया, जिससे डिजिटल रूप में उपलब्ध कुल पृष्ठों की संख्या 13 लाख हो गई है।

X.56 विभाग ने वर्ष के दौरान दो स्मारक व्याख्यानो सहित अनेक कार्यक्रमों/ विशेषज्ञ भाषणों का आयोजन किया। 17वां एल.के. झा स्मारक व्याख्यान 22 नवंबर 2019 को 'राजकोषीय संघवाद : विचारधारा और व्यवहार' विषय पर श्री एन.के. सिंह, अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग द्वारा दिया गया। तीसरा सुरेश तेंदुलकर स्मारक व्याख्यान 7 जनवरी 2020 को श्री थर्मन षण्मुगरत्नम, वरिष्ठ मंत्री, सिंगापुर गणराज्य द्वारा 'व्यापक समृद्धि: बुनियादी मुद्दों को सुलझाना' विषय पर दिया गया।

X.57 वर्ष के दौरान विभाग द्वारा आयोजित विशेषज्ञों के भाषण के सिलसिले में 11 जुलाई 2019 को 'नए भारत के सुधार का एजेंडा' पर प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया, कोलंबिया विश्वविद्यालय और 22 जनवरी 2020 को 'भारत की आर्थिक वृद्धि का पुनः गतिवर्धन' पर श्री अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ द्वारा दिए गए भाषण शामिल हैं। 26 नवंबर 2019 को रिजर्व बैंक के अनुसंधानकर्ताओं ने नोबेल विजेता प्रोफेसर रॉबर्ट इंगल के साथ सार्थक रूप से चर्चा की।

2020-21 की कार्य-योजना

X.58 वर्ष 2020-21 के लिए विभाग की कार्य-योजना में निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

- विश्लेषण और अनुसंधान – मुद्रास्फीति और संवृद्धि के पूर्वानुमानों में सुधार के वैकल्पिक मॉडलों का अन्वेषण करना, तथा नगरपालिका वित्तों का अध्ययन (उत्कर्ष);
- सेवा क्षेत्र में दुतरफा व्यापार के आंकड़ों को जारी करना (उत्कर्ष);
- भारत में ऑनशोर विदेशी मुद्रा बाजार पर गैर-डिलिवरबल फॉरवर्ड (एनडीएफ) बाजार के स्पिलओवर प्रभाव; ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति गतिकी; राज्यों के विवेकपूर्ण व्ययन के निर्धारक-तत्व; तथा वीआईएक्स

और स्टॉक सूचकांकों के बीच के संबंध जैसे समसामयिक महत्व के क्षेत्रों पर अध्ययन;

- 'मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की समीक्षा' विषय पर मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट नामक प्रकाशन को फिर से चालू करना;
- 1997 से 2008 तक की अवधि से संबंधित रिजर्व बैंक के इतिहास के खंड-5 का विमोचन;
- केंद्रीय पुस्तकालय के डिजिटल रूप में जनसाधारण के लिए उपलब्ध सामग्री का एक्सेस आसान बनाना; और
- अभिलेखागारों में उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्डों का प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए प्रलेख प्रबंधन सॉफ्टवेयर का विकास करना।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंध

X.59 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) जनता को समष्टि-वित्तीय सांख्यिकी के संकलन, विश्लेषण और प्रसार सहित उच्च गुणवत्ता की सांख्यिकीय सेवा मुहैया कराता है तथा रिजर्व बैंक की नीतिगत तथा परिचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांख्यिकीय सहायता और विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करता है। डीएसआईएम बैंकिंग, कॉर्पोरेट और बाह्य क्षेत्रों से संबंधित बहु-आयामी सांख्यिकीय प्रणालियां बनाए रखता है, मौद्रिक नीति निर्माण हेतु इनपुट के रूप में उद्यम और परिवारों से संबंधित संरचनात्मक सर्वेक्षण कराता है, एक्सबीआरएल प्रणाली के माध्यम से विवरणियों की केंद्रीकृत प्रस्तुति और रिजर्व बैंक के वेयरहाउस के माध्यम से प्रसार की व्यवस्था करता है तथा सांख्यिकीय विश्लेषण और पूर्वानुमान उपलब्ध कराता है।

X.60 कोविड-19 महामारी ने आंकड़ों के संग्रह की प्रक्रिया के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर दीं, जिस पर मुख्य रूप से प्राथमिक स्रोतों से आने वाले विस्तृत आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण प्रभाव पड़ा। लॉकडाउन के शुरूआती चरणों के दौरान जब यात्रा से संबंधित प्रतिबंध थे, परिवारों/उद्यमों के सर्वेक्षण

करने के लिए कम्प्यूटर समर्थित व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) की बजाय टेलीफोन पद्धति का उपयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप सामान्य की तुलना में बहुत कम प्रतिक्रिया मिली। विनियमित संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के मामले में, रिजर्व बैंक ने आंकड़ों की प्रस्तुति की समयसीमा बढ़ा दी, इस प्रकार आंकड़ों की उपलब्धता की समयसीमा के साथ कुछ हद तक समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त, महामारी ने केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस), जो रिजर्व बैंक की अगली पीढ़ी का डेटा वेयरहाउस है, से संबंधित कार्य को भी धीमा कर दिया। इन कठिनाइयों के बावजूद, पहले से प्रस्तुत आंकड़ों की प्रोसेसिंग पूरे जोश से की गई और मुख्य सांख्यिकी का प्रसार तथा आंकड़ों को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भेजने का कार्य निर्धारित समयानुसार किया गया।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.61 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- ग्रेन्यूलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएल) तथा विनियामकीय सैंडबॉक्स परिवेश (उत्कर्ष) के साथ सीआईएमएस के पूर्ण परिचालन का कार्यान्वयन (पैरा X.62);
- सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) के सृजन के लिए प्रणाली का विकास (उत्कर्ष) [पैरा X.63];
- बड़े आंकड़ों के वैश्लेषिकी एनैलिटिक्स का उपयोग करके अनुसंधान और विश्लेषण को बढ़ाना (उत्कर्ष) [पैरा X.64];
- बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) के कवरेज को बढ़ाना (पैरा X.65);
- आईईएसएच के कवरेज को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बढ़ाने की गुंजाइश की जांच करना (पैरा X.66);

- प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) का विकास (पैरा X.67); और
- नियमित प्रकाशन जारी करना (पैरा X.68)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.62 केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) के कार्यान्वयन को इसके परिचालन हेतु तकनीकी परामर्शदाता समूह (टीएजी) (अध्यक्ष: प्रोफेसर जी. शिवकुमार) के मार्गदर्शन में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया तथा हितधारक विभागों के कार्यात्मक विनिर्देश दस्तावेज (एफएसडी) सहित नियंत्रण विनिर्देश दस्तावेज (सीएसडी) तैयार किए गए। इसके अलावा, हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टैटिस्टिकल डाटा एण्ड मेटाडाटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स) के कार्यान्वयन हेतु डेटा स्ट्रक्चर डेफिनिशंस (डीएसडी) और निष्पादन परीक्षण (पीटी), प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) और डेटा अंतरण लेखापरीक्षा (डीएमए) का कार्य पूरा किया गया। सैंडबॉक्स परिवेश का सृजन करते हुए जिसमें प्रायोगिक तौर पर 10 बैंकों की 16 विवरणियाँ लेते हुए उसका परिचालन प्रारंभ किया गया। तथापि, अन्य बैंकों से भी यथालागू विवरणियाँ भी इसके दायरे में लायी जा रही हैं।

X.63 यद्यपि भारत बिल सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) के ड्राफ्ट को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, इस बीच पीसीआर का कार्यान्वयन वर्ष के दौरान शुरू कर दिया गया।

X.64 विभाग ने समष्टि-आर्थिक गतिविधियों के आकलन के लिए उन्नत पूर्वानुमान और तात्कालिक पूर्वानुमान तकनीकों का उपयोग करते हुए अनुसंधान और विश्लेषण किया। विभाग ने आर्थिक संकेतकों पर मीडिया की भावनाओं का आकलन करने के लिए बिग डेटा वैश्लेषिकी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का भी उपयोग किया। इस संबंध में, बिग डेटा दृष्टिकोण का उपयोग करके

ऑनलाइन खुदरा मूल्यों पर आधारित खाद्य स्फीति के आकलन का कार्य संपन्न किया गया।

X.65 सीआईएसबीआई जो बैंकिंग नेटवर्क और वित्तीय समावेशन नीतियों का समर्थन करता है, का इस वर्ष के दौरान विस्तार किया गया जिसमें सहकारी बैंकों, एटीएम मशीनों और नियत स्थानों पर कार्य करने वाले कारोबारी प्रतिनिधियों (बीसी) को शामिल किया गया। नए वैश्विक निर्धारणों/मानकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए ऋण प्रबंधन हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के डेटाबेस को राष्ट्रमंडल सचिवालय के मेरिडियन एप्लिकेशन में शिफ्ट कर दिया गया।

X.66 हाउसहोल्ड मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) का प्रायोगिक चरण सम्पन्न किया गया ताकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आईईएसएच के विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा सकें।

X.67 डिजिटल स्वरूप में हस्ताक्षरित विवरणी फाइलिंग कार्यप्रवाह की विशेषता वाला नया एक्सबीआरएल वेब-लॉजिक परिवेश का परिचालन प्रारंभ किया गया। इससे सांविधिक विवरणियों की कागजी प्रस्तुति से चरणबद्ध तरीके से छुटकारा मिल सकेगा। इस परिवेश का विस्तार करके इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित विवरणियों को भी शामिल किया गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) पोर्टल में ई-मेल आधारित लॉग-इन जैसी नई विशेषताएं भी जोड़ी गयीं जिसमें प्रारंभिक-राशि आधारित प्रोसेसिंग को समाप्त कर दिया गया और बैंक प्रशासन द्वारा बेहतर प्रयोक्ता प्रबंध की सुविधा प्रदान की गई। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए सीएफआर पोर्टल विकसित करने का कार्य उन्नत स्तर पर है।

X.68 वर्ष के दौरान, विभाग ने अपने नियमित प्रकाशनों जैसे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक, 2018-19, भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ, 2018-19; (बीएसआर1, बीएसआर2 और बीएसआर7), साप्ताहिक सांख्यिकीय संपूरक (डब्ल्यूएसएस) और रिजर्व बैंक बुलेटिन के 'वर्तमान सांख्यिकी' भाग का समयबद्ध प्रकाशन किया।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

X.69 भविष्य में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- सीएमआईएस को पूरी तरह से परिचालनरत करना और मौजूदा डेटाबेस – उन्नत वैश्लेषिकी परिवेश को जीडीएल और आंकड़ा विज्ञान प्रयोगशाला (डीएसएल) में उपयोग हेतु अंतरित करने का कार्य किया जाएगा तथा एसडीएमएक्स मानकों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके में तत्व-आधारित रिपॉजिटरी का कार्यान्वयन किया जाएगा जिससे मेटाडेटा संचालित आंकड़ा रखरखाव और प्रसार प्रणाली का परिचालन हो सकेगा (उत्कर्ष);
- पीसीआर के लिए एन्ड-टू-एन्ड प्रणाली विकसित करना और चरणबद्ध तरीके से रजिस्ट्री शुरू करना (उत्कर्ष);
- समष्टि-आर्थिक संकेतकों की मॉडलिंग, तात्कालिक पूर्वानुमान और पूर्वानुमान के क्षेत्रों में नीति संबंधी अनुसंधान करना जिसमें एआई, एमएल और बिग डेटा वैश्लेषिकी का उपयोग करते हुए बेव-क्रॉलिंग का उपयोग करना शामिल है (उत्कर्ष);
- आंकड़ा विज्ञान प्रयोगशाला (डीएसएल) का परिचालन प्रारंभ करना (उत्कर्ष);
- अत्याधुनिक एकल सर्व सुविधा वाला सीएफआर पोर्टल विकसित करना जिसमें एससीबी, यूसीबी और एनबीएफसी द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियां शामिल हों जिससे कि क्रेडिट मंजूर करने का निर्णय लेते समय इनसे प्राप्त सूचना से मदद मिल सके; और
- उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) का उन सभी शहरी केंद्रों में विस्तार करना जहां पर वर्तमान में आईईएसएच कराया जा रहा है।

8. कार्यनीति अनुसंधान इकाई

X.70 फरवरी 2016 में कार्यनीति अनुसंधान इकाई (एसआरयू) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य उन समसामयिक मुद्दों पर अनुसंधान करना है जो रिज़र्व बैंक के विभिन्न वर्टिकलों

के लिए प्रासंगिक हैं। इकाई की अनुसंधान कार्ययोजना में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्य शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.71 पिछले वर्ष, इकाई ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- आंकड़ा-उन्मुख नीतिगत अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना (उत्कर्ष) [पैरा X.72];
- नीतिगत अनुसंधान संबंधी मुद्दों का हल तलाशना (पैरा X.72);
- समष्टि-आर्थिक गतिविधियों की निगरानी जारी रखना (पैरा X.73); और
- अनुसंधान निष्कर्ष प्रकाशित करना और अन्य विभागों के साथ संयुक्त अध्ययन करना (पैरा X.74)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.72 इकाई ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की सूक्ष्म निगरानी की और मौद्रिक नीति संबंधी कार्यनीति तैयार करने के लिए आयोजित होने वाली द्विमासिक बैठकों के लिए गहन अनुसंधानपरक सूचनाएं उपलब्ध करायीं। वर्ष के दौरान, इकाई की प्रमुख उपलब्धियों में भारत के लिए एक गतिशील कारक आधारित संकेतक शामिल हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपलब्ध उच्च-बारंबारता वाले आंकड़ों का उपयोग करते हुए समग्र जीडीपी का तात्कालिक पूर्वानुमान व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त, द्विमासिक प्रस्तुतियों में नियमित निगरानी (सर्वेलांस) और बाजार आसूचना को शामिल किया गया।

X.73 इकाई के मध्यावधि अनुसंधान में मौद्रिक नीति का संचरण, वित्तीय बाजार, भारत का संवृद्धि-परिदृश्य और वित्तीय भेद्यता से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण शामिल था। अनुसंधान के निष्कर्षों को नियमित रूप से शीर्ष प्रबंध-तंत्र तथा परिचालन-उन्मुख विभागों जैसे पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) और वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) को प्रस्तुत किया गया।

X.74 अन्य विभागों के साथ एसआरयू के सहयोग में शामिल है- 'ओवर द काउंटर (ओटीसी) मुद्रा व्युत्पन्नियों की कीमतों में

अंतर'; प्रतिफल वक्र पूर्वानुमान; ओआईएस की आश्चर्यजनक बातें; और दीर्घकालिक रिपो परिचालन (एलटीआरओ) तथा ऑपरेशन ट्विस्ट जैसी हाल में की गयी नीतिगत पहलों का प्रभाव। अपने दीर्घकालिक अनुसंधान एजेंडा के भाग के रूप में, एसआरयू नियमित रूप से अपने अनुसंधान निष्कर्षों को अकादमिक और नीतिनिर्माण समुदाय के बीच प्रसारित करती है।

वर्ष 2020-21 के लिए एजेंडा

X.75 वर्ष 2020-21 के दौरान आगे चलकर, इकाई निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी:

- समसामयिक महत्व के मुद्दे – मशीन लर्निंग टूल्स पर आधारित तात्कालिक आर्थिक दृष्टिकोण/भावना का पता लगाते रहना (उत्कर्ष);
- नीतिगत सुधारों के प्रभाव का गहन सूक्ष्म-विश्लेषण, उदाहरण के लिए भारत में हरित वित्त (उत्कर्ष); और
- रिज़र्व बैंक के अन्य परिचालनात्मक और अनुसंधान विभागों तथा बाहरी विद्वानों के साथ सहकार्यता बढ़ाना।

9. विधिक मुद्दे

X.76 विधि विभाग एक परामर्शदाता विभाग है, जिसकी स्थापना विधिक मामलों की जांच करने और परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गयी है। विधि विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से संबंधित परिपत्रों, विनियमों और करारनामों की जांच करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि रिज़र्व बैंक के निर्णय विधिक दृष्टि से ठोस हों। विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सचिवीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा संबंधित परिचालन विभागों की सहायता से केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई में बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(डीआईसीजीसी), कैफरल तथा रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं को भी विधिक मुद्दों, मुकदमों और अदालती मामलों में कानूनी सहायता और परामर्श देता है।

वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

X.77 विभाग ने पिछले वर्ष निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक के विभिन्न अधिनियमों में संशोधनों की संभावना का पता लगाना (पैरा X.78 से X.80);
- रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों का प्रबंधन करना (पैरा X.81 से X.87 तक); और
- कानूनी मामलों पर रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों को परामर्श देते रहना (पैरा X.81 से X.87)।

निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.78 वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधान / विनियम लाए गए/ संशोधित किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के साथ-साथ वित्त अधिनियम (सं.2), 2019 में संशोधन किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में किए गए संशोधनों में एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधि की प्रारंभिक सीमा में बढ़ोतरी शामिल है और रिज़र्व बैंक को (क) निदेशकों को हटाने और एनबीएफसी के निदेशक मंडल को सुपरसीड करने; (ख) एनबीएफसी के लेखा परीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने; (ग) एनबीएफसी के समाधान हेतु स्कीम बनाने; और (घ) एनबीएफसी की समूह-कंपनियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने हेतु एनबीएफसी को निर्देश देने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार रिज़र्व बैंक को आवास वित्त कंपनियों के विनियमन का अधिकार प्रदान किया गया। उपर्युक्त संशोधन 9 अगस्त 2019 से लागू हैं।

X.79 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019, 28 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था। बाद में, इस अध्यादेश का स्थान दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने ले लिया। इस अधिनियम में यह भी उल्लेख है कि संशोधित अधिनियम के अनुसार कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने हेतु रियल एस्टेट की परियोजनाओं के तहत आबंटियों जैसे वित्तीय लेनदारों के कतिपय वर्गों के लिए एक अतिरिक्त प्रारंभिक सीमा शुरू की गई है और समाधान व्यवसायियों को यह अधिकार है कि वे संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की जा रही वस्तुओं और सेवाओं को जारी रखें। यदि कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में परिवर्तन पाया जाता है तो दिवाला समाधान प्रक्रिया से पूर्व किए गए अपराध के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 संसद में 12 दिसंबर 2019 को पेश किया गया। विस्तृत जाँच हेतु इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। यह विधेयक निम्नलिखित के संबंध है – (ए) किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का संरक्षण; (बी) व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने में डेटा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की भूमिका और जिम्मेदारी; (सी) इस प्रकार के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने संबंधी फ्रेमवर्क और (घ) निगरानी एवं प्रवर्तन के उद्देश्य से डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना।

X.80 भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जून 2020 को बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 लागू किया गया था। इस अध्यादेश के जरिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी बैंकों पर यथा लागू) में संशोधन किया गया ताकि बैंककारी के हितों का संरक्षण किया जा सके और सहकारी बैंकों को मजबूत किया जा सके। सहकारी बैंकों के संबंध में भारतीय रिज़र्व को प्रदत्त विनियमाकीय और पर्यवेक्षीय अधिकारों में इस अध्यादेश के जरिए काफी विस्तार किया गया है। साथ ही, इस अध्यादेश के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 में कतिपय मामूली संशोधन भी किए हैं।

X.81 सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक के मामले में 4 मार्च

2020 को अपने निर्णय में आनुपातिकता के आधार पर आभासी मुद्रा के लेनदेन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को खारिज कर दिया जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को आभासी मुद्राओं का लेनदेन न करने अथवा किसी व्यक्ति या संस्था को आभासी मुद्राओं के लेनदेन या निपटान संबंधी सेवाएं न प्रदान करने और यदि वे पहले से ही उन्हें ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ संबंध समाप्त करने के संबंध में जारी किए गए थे।

X.82 एक अन्य ऐतिहासिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई 2020 के अपने निर्णय में कहा कि सरफेसी अधिनियम सहकारी बैंकों पर लागू है।

X.83 भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री और अन्य के मामले में कुछ बैंकों द्वारा दायर आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 2020 को अपने निर्णय के जरिए रिज़र्व बैंक को निर्देश दिया कि वह निरीक्षण रिपोर्ट / जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट / भारतीय स्टेट बैंक सहित कुछ बैंकों की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट अग्रिम आदेश तक निर्गत न करे।

X.84 पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के विरुद्ध रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों को चुनौती देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर कुछ रिट याचिकाओं के मामलों में न्यायालय ने 5 दिसंबर 2019 को यह मानते हुए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया कि बैंकिंग कारोबार और इसका विनियमन रिज़र्व बैंक के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

X.85 केरल उच्च न्यायालय ने 29 नवंबर, 2019 के आदेश जरिए केरल बैंक के साथ केरल राज्य की तेरह जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को समामेलित करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अनुमोदन पर दायर चुनौती को खारिज कर दिया।

X.86 सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सीकेपी) को जारी बैंकिंग लाइसेंस को निरस्त करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा 28 अप्रैल 2020 को जारी आदेश के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएँ दायर की गईं जिनमें

रिज़र्व बैंक के आदेश को लागू करने के संबंध में मांगी गई अंतरिम राहत न्यायालय द्वारा मना कर दी गई।

X.87 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में तैंतीस रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं जो कि या तो 27 मार्च 2020, 17 अप्रैल 2020 और 23 मई 2020 के कोविड-19 महामारी के संबंध में जारी रिज़र्व बैंक के परिपत्रों को चुनौती देने अथवा या फिर उनके अंतर्गत राहत मांगने से संबंधित थीं। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न अदालतों के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना

X.88 वर्ष 2020-21 में, विभाग निम्नलिखित पर जोर देना जारी रखेगा:

- इसकी कार्य-प्रक्रिया और कामकाज को स्वचालित बनाना, जिससे अनुसंधान, ई-खोज और डेटा विश्लेषण को बढ़ावा मिलेगा (उत्कर्ष);
- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील्य प्राधिकारी के लिए सचिवालय के रूप में विभाग की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से करने हेतु अपने केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों को मार्गदर्शन नोट प्रदान करना (उत्कर्ष);

- रिज़र्व बैंक के परिचालन विभागों के साथ गहन समन्वय रखते हुए अपने कार्यों को सक्रियता से करना; तथा
- रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों का प्रबंधन करना।

10. निष्कर्ष

X.89 जनता का विश्वास हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहलों और उसके रुख को सभी लोग समझ सकें और इसीलिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान संचार के कई नवोन्मेषी माध्यमों को अपनाया। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों, बहुपक्षीय निकायों और अन्य केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से सार्क क्षेत्र में स्थित केंद्रीय बैंकों से अपने आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत बनाया। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संबंधी लेनदेन के संसाधन हेतु अन्य एजेन्सी बैंकों के साथ-साथ अनेक राज्य सरकारों रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन - ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन एवं मार्गदर्शन सुरक्षा, तरलता और प्रतिलाभ को ध्यान में रखते हुए किया गया। वर्ष के दौरान अनुसंधान गतिविधियां समसामयिक मुद्दों पर अध्ययन करके की गई। अन्य बातों के साथ-साथ सीआईएमएस को लागू करके, सीआईएसबीआई का विस्तार करके और बिग डेटा का उपयोग करके सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया गया। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ विधिक ढांचा सुनिश्चित करने हेतु वर्ष के दौरान कई वित्तीय कानून / विधेयक पेश / संशोधित किए गए।

रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न नवोन्मेषी आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मानव संसाधनों को उन्नत बनाने के साथ-साथ जोखिम मॉडलिंग और जोखिम रिपोर्टिंग की क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में, प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाओं को सुरक्षित करने और कारोबारी निरंतरता, विशेष रूप से रिजर्व बैंक के मानव संसाधनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गई।

XI.1 इस अध्याय में वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान गवर्नेस, मानव संसाधन, जोखिम निगरानी और कॉर्पोरेट कार्यनीति के क्षेत्रों में हुई प्रगति के साथ-साथ और वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित की गई प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया है।

XI.2 वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधनों को नई भर्तियों, आंतरिक प्रशिक्षण, बाह्य प्रशिक्षण, करियर के मध्य में विकास कार्यक्रमों और ई-लर्निंग के माध्यम से सशक्त किया गया। वर्ष 2012 में अंगीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क के अंतर्गत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जोखिम मॉडलिंग और जोखिम रिपोर्टिंग की क्षमताओं का विकास किया गया। रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ बिमल जालान) की सिफारिशों के आधार पर बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण और क्रमशः विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो के क्रेडिट जोखिम (इसमें तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर भी शामिल है) और परिचालन जोखिम के लिए आर्थिक पूंजी के आकलन के लिए नई मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया गया। रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जोखिम निगरानी के लिए डैशबोर्ड तैयार किए गए। रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) में नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा का एक मॉड्यूल (सीएसएए) शुरू किया गया। निरीक्षण विभाग द्वारा उच्च मूल्य की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और गैर-आईटी परियोजनाओं के सही समय और लागत-प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन के लिए परियोजना लेखापरीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए।

XI.3 रिजर्व बैंक के “उत्कर्ष 2022” नामक पहले मध्यावधि कार्यनीति दस्तावेज को जुलाई 2019 में जारी किया गया जिसमें रिजर्व बैंक के विजन, मिशन और मूल उद्देश्यों के विषय में बताया गया है। तथापि, कोविड-19 महामारी के फैलने से महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाओं की सुरक्षा और रिजर्व बैंक की कारोबारी निरंतरता, विशेष रूप से मानव संसाधनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य उच्चतम प्राथमिकता रही। मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) ने रिजर्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में घर से कार्य करने (डब्ल्यूएफएच) की शुरुआत की और एक प्रभावी डब्ल्यूएफएच मॉडल निर्मित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा पालन की जाने वाली सक्षम और सर्वोत्तम प्रथाओं से संबंधित एक दस्तावेज जारी किया। मानव संसाधन प्रबंध विभाग द्वारा रिजर्व बैंक की आवासीय कालोनियों में आपदा से निपटने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार किए गए जिसमें किसी भी आपदा से निपटने के लिए आधारभूत विवरण दिया गया है और कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) द्वारा कारोबारी निरंतरता योजना के लिए एसओपी तैयार किए गए। क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को उनके अधिकार-क्षेत्र में आने वाली आवासीय कालोनियों के लिए विशेष एसओपी तैयार करने के लिए कहा गया।

XI.4 इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग ने वर्ष 2019-20 के दौरान हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन किया। परिसर विभाग ने रिजर्व बैंक के भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के अपने प्रयास जारी रखें। “हरित पहल” के

अंतर्गत रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों और आवासीय बिल्डिंगों में सौर ऊर्जा जनरेशन संयंत्रों के माध्यम नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, वर्षा जल संरक्षण प्रणाली, सीवरेज उपचार और अवशिष्ट जल उपचार प्रणालियां संस्थापित की गई। रिजर्व बैंक की सभी नई निर्माण परियोजनाओं को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा “ग्रीन कंप्लायंट” के रूप में प्रमाणित किया गया है।

XI.5 इस अध्याय को नौ खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड रिजर्व बैंक के कार्यों के संबंधित क्षेत्र में वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना निर्धारित करने के अलावा निष्कर्षों के साथ-साथ निर्धारित लक्ष्यों का मूल्यांकन करता है। इसके तत्काल बाद वाले खंड में रिजर्व बैंक के गवर्नेस ढांचे से संबंधित गतिविधियों के विषय में बताया गया है। खंड 3 में एचआरएमडी द्वारा मानव संसाधनों के क्षेत्र में वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जोखिम निगरानी फ्रेमवर्क और कार्यनीति से संबंधित गतिविधियां खंड 4 में दी गई हैं। वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग के कार्य-कलापों की चर्चा खंड 5 की गई है। सीएसबीडी जो रिजर्व बैंक के लिए कार्यनीतियां और वार्षिक कार्ययोजनाएं बनाता और समन्वय करता है, का विवरण खंड 6 में शामिल है। राजभाषा विभाग और परिसर विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में दिया गया है। अंत में अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है।

2. गवर्नेस ढांचा

XI.6 केंद्रीय निदेशक बोर्ड रिजर्व बैंक के गवर्नेस ढांचे का शीर्ष निकाय है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक और सरकारी निदेशक होते हैं। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं जो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं। भारत सरकार (जीओआई) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

के अनुसार केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों और स्थानीय बोर्डों में सदस्यों को नामित/नियुक्त करती है।

XI.7 केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं: केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप समितियां भी होती हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति। इन उप समितियों की अध्यक्षता सामान्यतः बाह्य निदेशक ही करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड और सीसीबी की बैठकें

XI.8 जुलाई-जून 2019-20 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की सात बैठकें नई दिल्ली (दो), मुंबई (दो), चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में एक-एक और विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुंबई में एक बैठक आयोजित की गई। नई दिल्ली में बजट के बाद 8 जुलाई 2019 और 15 फरवरी 2020 को आयोजित बैठकों को वित्त मंत्री द्वारा संबोधित किया गया।

XI.9 जुलाई-जून 2019-20 के दौरान सीसीबी की 46 बैठकें हुई, जिनमें से 38 इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई। सीसीबी ने रिजर्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके वर्तमान कारोबार की भी चर्चा की।

XI.10 पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्डों की जुलाई-जून 2019-20 के दौरान प्रत्येक की चार बैठकें आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान आवश्यक कोरम पूरा नहीं होने के कारण दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी),

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), मुद्रा प्रबंधन और उन क्षेत्रों के मुद्दों की जांच करने के लिए वर्ष 2014-15 में केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति का गठन किया गया था जहां स्थानीय बोर्डों की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी। तदनुसार, जुलाई-जून 2019-20 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के एवज में दो बैठकें आयोजित की गई (केंद्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप समितियों, स्थानीय बोर्डों और दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय बोर्ड की समिति की बैठकों में निदेशकों/सदस्यों की प्रतिभागिता का विवरण अनुबंध सारणी XI.1-5 में दिया गया है)

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

XI.11 डॉ. विरल वी. आचार्य ने दिनांक 23 जुलाई 2019 को उप गवर्नर का पद त्याग दिया।

XI.12 केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2019 को श्री एन.एस. विश्वनाथन को 3 जुलाई 2020 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया। श्री एन.एस. विश्वनाथन ने 31 मार्च 2020 को उप गवर्नर का पद त्याग दिया।

XI.13 केंद्र सरकार ने 14 जनवरी 2020 को डॉ. माइकल देबब्रत पात्र को 14 जनवरी 2023 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया।

XI.14 केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2020 को श्री बी.पी. कानूनगो को 2 अप्रैल 2020 को उनका मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने पर 3 अप्रैल 2020 से अगले एक वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया।

XI.15 केंद्र सरकार ने श्री सुभाष चंद्र गर्ग के स्थान पर श्री अतनु चक्रवर्ती, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 29 जुलाई 2019 से अगले आदेश तक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया। श्री अतनु चक्रवर्ती ने 30 अप्रैल 2020 को पद त्याग दिया और उनके स्थान पर भारत सरकार ने श्री तरुण बजाज, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग को 5 मई 2020 से अगले आदेश तक भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

XI.16 केंद्र सरकार ने श्री राजीव कुमार के स्थान पर श्री देबाशीष पंडा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 11 मार्च 2020 से अगले आदेश तक भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

XI.17 केंद्रीय बोर्ड के दो निदेशकों नामतः श्री भरत दोशी और श्री सुधीर मांकड का दिनांक 3 मार्च 2020 को कार्यकाल समाप्त हो गया। 20 जून 2020 को केंद्र सरकार ने श्री नटराजन चंद्रसेकरन को 3 मार्च 2020 से आगामी दो वर्षों के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के अंशकालिक गैर-अधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

कार्यपालक निदेशक

XI.18 कार्यपालक निदेशकों में, श्रीमती सुरेखा मरांडी 31 जुलाई 2019, श्रीमती उमा शंकर 31 अक्टूबर 2019, श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम 29 नवंबर 2019, श्रीमती मालविका सिन्हा और श्री एस. गणेश कुमार 28 फरवरी 2020, श्री दीपक मोहंती 29 मई 2020 और डॉ. जनक राज 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। श्रीमती नंदा एस. दवे को 1 जुलाई 2019 से, श्री अनिल कुमार शर्मा को 1 अगस्त 2019 से, श्री एस. सी. मुर्मू को 1 नवंबर 2019 से, श्री टी. रवि शंकर को 2 दिसंबर 2019 से, डॉ. जनक राज को 24 जनवरी 2020 से, श्री पी. विजय कुमार और श्रीमती इंद्राणी बनर्जी को 2 मार्च 2020 से, डॉ. ओ. पी. मल्ल को 1 जून 2020 से और डॉ. मृदुल कुमार

सागर को 1 जुलाई 2020 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया।

केंद्रीय बोर्ड से संबंधित गतिविधियां

XI.19 केंद्रीय बोर्ड द्वारा इसकी दिनांक 8 जुलाई 2019 को आयोजित बैठक में कार्यनीति उप-समिति के गठन को अनुमोदित कर दिया गया। यह उप समिति “उत्कर्ष 2022” में निर्धारित किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के मध्यावधि कार्यनीति लक्ष्यों का नियंत्रण और निगरानी करेगी। यह कार्यनीति लक्ष्यों और माइलस्टोन और मध्यावधि कार्यनीति दस्तावेज की समीक्षा भी करेगी।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.20 विगत वर्ष में सचिव विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बोर्ड और इसकी समितियों के साथ-साथ उच्च प्रबंधन की समितियों की सभी बैठकों के लिए नया सॉफ्टवेयर समाधान ढूंढना। (पैरा XI.21)

लक्ष्य के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.21 विभाग ने उचित सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के कार्यान्वयन द्वारा उत्कर्ष के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।

3. मानव संसाधन विकास संबंधी पहलें

XI.22 मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) स्टाफ की दक्षता बढ़ाने और कार्य के लिए अपेक्षित उनकी प्रभावकारिता हेतु कर्मचारियों की संभावित क्षमताओं का पता लगाकर टीमवर्क का एक वातावरण बनाने में एनेबलर और समन्वयक की भूमिका निभाता है। अपने दायित्व के रूप में, यह प्रशिक्षण, भर्ती और स्टाफ के कल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां करता है। वर्ष के दौरान इन और अन्य क्षेत्रों में की गई प्रमुख गतिविधियों को नीचे रेखांकित किया गया है।

वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.23 विगत वर्ष में विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक के अंदर कागज रहित, उपस्थिति रहित और नकदी रहित विस्तृत एचआर इंटरफेस की ओर आगे बढ़ना (पैरा XI.24);
- एक पर्यवेक्षी और विनियामकीय संवर्ग स्थापित करने के लिए आधारभूत कार्य करना (पैरा XI.25);
- नियंत्रण और जांचों को कमजोर बनाए बिना अधिकतम दक्षता और प्रभावकारिता के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना (पैरा XI.26);
- अधिक संख्या में अनुसंधान उन्मुखी विश्लेषणात्मक पेपर्स के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षमता विकास करना (पैरा XI.27);
- विज्ञान दस्तावेज का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए प्रशिक्षण नीति बनाना (पैरा XI.28); और
- संबंधित महत्वपूर्ण और उच्चतर भूमिकाओं के लिए अधिकारियों को तैयार करने हेतु उनका कौशल विकास (पैरा XI.29)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.24 समाधान के सभी मॉड्यूल्स को वर्ष के दौरान लाइव कर दिया गया जिससे कि विस्तृत एचआर इंटरफेस के कागज रहित, उपस्थिति रहित और नकदी रहित रूप को आगे बढ़ाया जा सके।

XI.25 विशेष पर्यवेक्षी एवं विनियामकीय संवर्ग (एसएसआरसी) स्थापित करने के लिए आधारभूत कार्य प्रारंभ किया गया और ग्रेड ‘बी’ और उससे ऊपर के अधिकारियों को नए संवर्ग के संबंध में अपनी पसंद बताने के लिए कहा गया।

XI.26 दिसंबर 2019 में संचालित की गई कारोबार प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग (बीपीआर) प्रयोग के भाग के रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों से सुझावों के आधार पर आंतरिक प्रक्रियाओं, विवरणों और रिपोर्टों की संपूर्ण समीक्षा की गई और स्वीकृत परिवर्तनों के कार्यान्वयन को संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग (सीओडी) की निगरानी के अंतर्गत लिया गया।

XI.27 क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ डीईपीआर/डीएसआईएम के अधिकारियों को उनके कौशल संवर्धन के लिए प्रशिक्षणों में प्रतिनियुक्त किया गया जिससे स्थानीय मुद्दों पर बेहतर गुणवत्ता वाले अनुसंधान में सहायता मिले।

XI.28 प्रशिक्षण सत्रों को अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनाने के लिए की गई मुख्य पहलों में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण फ्रेमवर्क का संशोधन, चयनित कार्यक्रमों का प्रभाव आकलन करना, ग्रेड 'ई' में पात्र अधिकारियों के लिए मिड-करियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम स्तर-II (एमसीएमटीपी) शुरू करना और नए भर्ती ग्रेड 'बी' (सीधी भर्ती) के प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण शामिल है।

XI.29 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्य स्थल पर सतत संप्रेषण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। प्रभावी संप्रेषण पर सत्रों को रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित न्यूनतम तीन दिन

की अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया और रिजर्व बैंक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र पाठ्यक्रमों की सूची में जन संबोधन पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया।

प्रमुख गतिविधियां :

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.30 रिजर्व बैंक का प्रशिक्षण ढांचा कर्मचारियों के तकनीकी और व्यावहारिक कौशल उन्नयन तथा व्यक्तिगत विकास की प्राप्ति के उद्देश्य से संचालित है जो दोनों कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों और आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जो इस प्रयास में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं (सारणी XI.1)।

आरबीआई अकादमी

XI.31 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अकादमी ने रिजर्व बैंक के चयनित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'कनवर्सेंशंस दट काउंट' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। वर्ष के दौरान एसबीआई फाउंडेशन के साथ सहयोग से दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए एक कार्यक्रम और ड्रक्टर इंस्टीट्यूट, यूएसए के साथ सहयोग से कर्मचारी इंगेजमेंट कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सारणी XI.1 : रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रम*

प्रशिक्षण संस्थान	2017-18		2018-19		2019-20	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीआई अकादमी	18	620 (24)	22	546 (38)	21	476 (2)
आरबीएससी. चेन्नै	147	3,583 (281)	152	3,125 (499)	110	2,826 (85)
सीएबी, पुणे	184	6,488 (42)	179	5,542 (51)	126	3,891 (37)
जेडटीसी (श्रेणी-I)	115	2,271	116	2,271	92	1,667
जेडटीसी (श्रेणी-III)	100	2,109	76	1,877	94	2,648
जेडटीसी (श्रेणी-IV)	36	802	46	1,158	30	604

*: जुलाई -जून। आरबीएससी : रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय. सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय।

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विदेशी प्रतिभागियों और/या बाह्य संस्थाओं के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।

स्रोत : आरबीआई।

बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.32 रिज़र्व बैंक ने बाह्य संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए भारत और विदेश में स्थित संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण, सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया (सारणी XI.2)। श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को भी भारत में स्थित बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

अध्ययन योजना

XI.33 रिज़र्व बैंक के चार अधिकारियों ने विदेशों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की योजना का लाभ उठाया (रिज़र्व बैंक गोल्डन जुबली योजना के अलावा)। रिज़र्व बैंक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कुल 440 कर्मचारियों ने चयनित अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

अन्य पहलें

ई-लर्निंग

XI.34 वर्ष 2019 में प्रशिक्षण पहलों की एक विशिष्ट विशेषता ई-लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करना था। ई-लर्निंग और मिश्रित लर्निंग दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के एक भाग के तौर पर फरवरी 2020 में आरबीआई अकादमी ने अपने लर्निंग प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) को लाइव कर दिया। एलएमएस के क्रिया-कलाप में पाठ्यक्रम चलाना, लाइव वेबिनार, विचार-विमर्श फोरम, ऑनलाइन मूल्यांकन और रिपोर्टिंग टूल्स शामिल हैं। इसे 'किसी भी समय, किसी भी स्थान और किसी भी गति' से

सारणी XI.2 : भारत और विदेश स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2017 - 18	1,041	410
2018 - 19	952	378
2019 - 20	696	139

स्रोत : आरबीआई।

अधिगम की विषय-वस्तु तक पहुंच से प्रतिभागियों की भागीदारी में सुधार होता है। मिश्रित लर्निंग दृष्टिकोण अनुदेशकों को अपने पाठ्यक्रम को इस प्रकार से व्यवस्थित करने का विकल्प प्रदान करती है कि मूलभूत अवधारणाओं को एलएमएस के माध्यम से पढ़ाया जाता है और कक्षा में शिक्षण मामला अध्ययन, अनुकार और भूमिकाएं अदा करके अवधारणाओं के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै ने रिज़र्व बैंक के कार्य संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में 23 ई-लर्निंग पाठ्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया है। आरबीआई अकादमी विश्व और भारत के अग्रणी संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा ऑफर किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

इंटरनशिप योजना

XI.35 वर्ष के दौरान, ग्रीष्मकालीन इंटरनशिप योजना के भाग के तौर पर 156 विद्यार्थियों को प्रशिक्षुता प्रदान की गई।

अनुदान और वृत्तिदान

XI.36 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹27.8 करोड़, उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (कैफरल), मुंबई को ₹7.74 करोड़, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹3.48 करोड़; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹1.03 करोड़; और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया आब्जर्वेटरी और आईजी पटेल चेयर को ₹0.67 करोड़ का वित्तीय अनुदान प्रदान किया।

औद्योगिक संबंध

XI.37 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। रिज़र्व बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों/कामगारों की मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों/फेडरेशनों के साथ सेवा स्थितियों और कर्मचारी कल्याण के उपायों के विविध मामलों के संबंध में आवधिक बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान मानव संसाधन

सारणी XI.3: रिज़र्व बैंक द्वारा 2019 में की गई भर्तियां*

भर्ती की श्रेणी	श्रेणी-वार संख्या						
	कुल	जिसमें से			कुल का प्रतिशत		
		अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी	अ.जा.	अ.ज.जा	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी-I	194	28	10	61	14.43	5.15	31.44
श्रेणी-III	600	92	59	215	15.33	9.83	35.83
श्रेणी-IV							
(क) कार्यालय परिचारक	156	12	2	71	7.69	1.28	45.51
(ख) रखरखाव परिचारक	-	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	950	132	71	347	13.89	7.47	36.53
*: जनवरी से दिसंबर -: शून्य।							
स्रोत : आरबीआई।							

प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय ने मान्यता-प्राप्त यूनियन एसोसिएशन के साथ कुल आठ बैठकें की। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी तिमाही/अर्ध-वार्षिक अंतराल पर मान्यता-प्राप्त ट्रेड यूनियनों की स्थानीय इकाइयों के साथ भी बैठकें आयोजित की।

आरबीआई नीति चुनौती

XI.38 स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच मौद्रिक नीति बनाने के संबंध में ज्ञान संवर्धन के लिए डिजाइन की गई आरबीआई नीति चुनौती का पांचवां संस्करण अगस्त 2019 में प्रारंभ हुआ। देशभर के शैक्षणिक संस्थानों से 250 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। प्रबंधन प्रौद्योगिक संस्थान, गाजियाबाद (उत्तरी क्षेत्र), भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर (पश्चिमी क्षेत्र), श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ में हायर लर्निंग (दक्षिणी क्षेत्र), भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची

(पूर्वी क्षेत्र) की टीमों ने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में होने वाले राष्ट्रीय फाइनल की पात्रता हासिल की। विजेताओं को ₹1 लाख के नकद पुरस्कार के साथ ट्रफी भी प्रदान की जायेगी। उन्हें रिज़र्व बैंक के साथ तीन महीने की अवधि के लिए इंटर्नशिप का विकल्प भी ऑफर किया गया।

भर्तियां और स्टाफ संख्या

XI.39 वर्ष 2019 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 950 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

XI.40 31 दिसंबर 2019 को रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या 13,456 थी, बड़े स्तर पर सेवानिवृत्ति और श्रेणी III कर्मचारियों की भर्ती के फीडर चैनल पर कोर्ट केस होने के कारण एक वर्ष पहले की संख्या में 2.44 प्रतिशत की कमी आई है (सारणी XI.4)।

सारणी XI.4 : रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या*

श्रेणी	श्रेणी-वार संख्या								कुल संख्या का प्रतिशत		
	कुल संख्या		अ.जा.		अ.ज.जा		ओबीसी		अ.जा.		
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी-I	6,522	6,670	988	1,051	415	435	949	1,147	15.76	6.52	17.20
श्रेणी-III	3,497	3,264	537	487	195	199	840	892	14.92	6.10	27.33
श्रेणी-IV	3,774	3,522	1,027	877	321	291	635	682	24.90	8.26	19.36
कुल	13,793	13,456	2,552	2,415	931	925	2,424	2,721	17.95	6.87	20.22
*: दिसंबर के अंत में											
स्रोत : आरबीआई।											

सारणी XI.5 : भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की कुल संख्या (दिसंबर 2019 की समाप्ति पर)

श्रेणी	कुल संख्या	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूडी दिव्यांग			
			दृष्टिबाधित (वीआई)	बधिर (एचआई)	शारीरिक विकलांगता (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांगता** (आईडी)
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी-I	6,670	212	38	3	118	-
श्रेणी-III	3,264	168	35	7	60	4
श्रेणी-IV	3,522	567	8	3	57	-

:- शून्य।

**दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक कार्यशीलता (तार्किकता, अधिगम और समस्या समाधान) और अनुकूलनीय व्यवहार दोनों में विशिष्ट रूप में बाधित होते हैं जो 'विशेष अधिगम अक्षमता' और 'स्वलीनता (ऑटिज्म) स्प्रेक्ट्रम डिस्ऑर्डर' सहित प्रतिदिन के सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं।

स्रोत : आरबीआई।

XI.41 30 जून 2020 को रिज़र्व बैंक के पूर्ण कालिक कर्मचारियों की कुल संख्या 12,811 थी। इनमें से श्रेणी I में 6,412, श्रेणी III में 3,145 और श्रेणी IV में 3,254 कर्मचारी थे।

XI.42 वर्ष 2019 (जनवरी से दिसंबर) के दौरान, प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बुद्धिस्ट फेडरेशन के बीच रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति लागू करने के संबंध में विचार-विमर्श के लिए चार बैठकें आयोजित की गईं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एसोसिएशन के प्रतिनिधियों साथ भी दो बैठकें आयोजित की गईं।

XI.43 दिसंबर 2019 की समाप्ति पर रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 947 थी जबकि दिव्यांग कर्मचारियों की

कुल संख्या 333 थी (सारणी XI.5)।

XI.44 वर्ष के दौरान कुल 123 भूतपूर्व सैनिकों और 13 दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की भर्ती की गई (सारणी XI.6)।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

XI.45 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक औपचारिक शिकायत निपटान प्रणाली वर्ष 1998 से कार्य कर रही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) अधिनियम और नियम 2013 के अनुसार वर्ष 2014-15 में नए विस्तृत दिशा-निर्देशों के जारी होने से इसको सृष्ट किया गया है। जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान दो शिकायतें प्राप्त हुईं और एक को निपटा दिया गया। जनवरी-जून 2020 के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई जिस पर कार्रवाई की जा रही है। नए भर्ती कर्मचारियों, वेंडरों और संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों सहित सभी स्टाफ-सदस्यों को जागरूक बनाने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निपटान' विषय पर 8वां अखिल भारतीय सम्मलेन 21-23 फरवरी 2020 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई जिसमें शिकायत समितियों के 35 सदस्यों के साथ-साथ केंद्रीय शिकायत समिति ने भी भाग लिया।

सारणी XI.6 : वर्ष 2019 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की भर्ती*

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूडी दिव्यांग			
		दृष्टिबाधित (वीआई)	बधिर (एचआई)	शारीरिक विकलांग (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांग (आईडी)
1	2	3	4	5	6
श्रेणी-I	-	1	-	-	-
श्रेणी-III	1	6	-	5	-
श्रेणी-IV	122	-	-	1	-

*: जनवरी से दिसंबर। :- शून्य।

स्रोत : आरबीआई।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.46 सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को 2019-20 के दौरान सूचना के लिए 17094 अनुरोध और 1475 अपीलें प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै और आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नै द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया

XI.47 मार्च 2020 से विभाग ने महामारी के दौरान कारोबारी निरंतरता बनाए रखने के प्रयास और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए। कुछ प्रमुख पहलों में ऑफसाइट लोकेशन से महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में प्रतिनियुक्त स्टाफ के लिए स्थितियां आसान बनाना; रिजर्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में घर से कार्य (डब्ल्यूएफएच) प्रारंभ करने के साथ-साथ प्रभावी डब्ल्यूएफएच मॉडल निर्मित करने के लिए पालन की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं और दक्षता के मानकों का एक दस्तावेज जारी करना; कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों से निपटने के लिए सीओडी/आरओ के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स द्वारा पालन की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करना; कोविड-19 संबंधी मामलों के संग्रोध के उद्देश्य से चुनिंदा शहरों में होटल के कमरें प्रदान करने के लिए मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल के साथ व्यवस्था स्थापित करना शामिल है। रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों को स्टाफ की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑनलाइन मोड अपनाने के लिए कहा गया। कार्यालय परिसरों के साथ-साथ बैंक की आवासीय कालोनियों में भी सैनिटाइजेशन संबंधी उपायों को बढ़ाने और पारस्परिक दूरी सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.48 वर्ष के लिए रोडमैप में उत्कर्ष के अंतर्गत विभाग के लिए निम्नलिखित माइलस्टोन शामिल किए गए हैं:

- कार्य-निष्पादन प्रणाली और वर्तमान प्रशिक्षण नीति की समीक्षा करना;

- विशेष पर्यवेक्षी और विनियामक संवर्ग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया जारी रखना; और
- अधिकारियों के चुनिंदा वर्ग के लिए दक्षता मैपिंग फ्रेमवर्क डिजाइन करना

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.49 रिजर्व बैंक द्वारा उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) को वर्ष 2012 में जोखिम एक्सपोजरों के प्रबंधन के लिए समेकित मूल्यांकन विकसित करने, जोखिम प्रबंधन के लिए से 'साइलो आधारित' दृष्टिकोण से 'संपूर्ण कारोबार' दृष्टिकोण को अपनाया गया था। रिजर्व बैंक में ईआरएम के निर्माण और परिचालन के लिए जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) नोडल विभाग है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना – कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.50 विगत वर्ष में विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- रिजर्व बैंक में क्रेडिट जोखिम और परिचालन जोखिम की मॉडलिंग (पैरा XI.51); और
- जोखिम रिपोर्टिंग के लिए जोखिम डैशबोर्ड तैयार करना (पैरा XI.52)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

क्रेडिट जोखिम और परिचालन जोखिम मॉडलिंग

XI.51 रिजर्व बैंक के पूर्व आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत, क्रेडिट जोखिम का आकलन संशोधित बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करके किया जाता था, वहीं परिचालन जोखिम का आकलन बासेल II बेसिक इंडीकेटर एप्रोच (बीआईए) का प्रयोग करके किया जा रहा था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक की आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की

सिफारिशों क्रमशः बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण, फॉरेक्स क्रेडिट जोखिम (जिसमें तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर भी शामिल है) और परिचालन जोखिम हेतु आर्थिक पूंजी का आकलन करने के लिए नई मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने संबंधी सिफारिशों को रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया। नई मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए आर्थिक पूंजी का आकलन रिज़र्व बैंक के वास्तविक परिचालन हानि आंकड़े पर आधारित होगा। नए अपनाए गए आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्रेडिट और परिचालन जोखिम से पर्याप्त आर्थिक पूंजी रखकर/जोखिम प्रावधानों से निपटा जायेगा ताकि इन जोखिमों को सहन किया जा सकें।

जोखिम रिपोर्टिंग के लिए जोखिम डैशबोर्ड

XI.52 उच्च प्रबंधन को जोखिम रिपोर्टिंग में सुधार और जोखिम निगरानी की बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्य परिचालन जोखिम क्षेत्रों के लिए जोखिम डैशबोर्ड तैयार किया गया। रिज़र्व बैंक के कार्यों से संबंधित मुख्य जोखिम क्षेत्रों की पहचान की गई है और चिन्हित जोखिमों के आकलन के लिए विभिन्न मानकों को मिलाकर जोखिम डैशबोर्ड स्थापित किया गया है और इनकी आवधिक निगरानी की जा रही है।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

XI.53 सामान्य से अधिक तुलन-पत्र विस्तार, हाल में उठाए गए नीतिगत कदमों और कोविड-19 महामारी फैलने के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए चलनिधि का अंतर्वेशन संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अपेक्षित जोखिम प्रावधान (नए अपनाए गए आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के अनुसार) पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष उच्चतर थे।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.54 वर्ष के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं:

- मौजूदा जोखिम वहनीयता फ्रेमवर्क की समीक्षा (उत्कर्ष) ;
- क्रेडिट जोखिम (उत्कर्ष) प्रभावी निगरानी को सुगम बनाने के उद्देश्य से जोखिम/अपेक्षित कमी पर क्रेडिट मूल्य (वीएआर/ईएस) आधारित एक पोर्टफोलियो मॉडल को एक अतिरिक्त जोखिम निगरानी/रिपोर्टिंग टूल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- रिज़र्व बैंक के क्रेडिट जोखिम के सुदृढ़ आकलन के लिए एक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण

XI.55 निरीक्षण विभाग रिज़र्व बैंक के आंतरिक नियंत्रण और गवर्नेस प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है और जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के अंतर्गत उच्च प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम से निपटने का आश्वासन देता है। यह केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन समिति (एआरएमएस) और आंतरिक लेखापरीक्षा की निगरानी करने वाली कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2091-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.56 विगत वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- लेखापरीक्षा आस्ति प्रबंधन एवं जोखिम निगरानी प्रबंधन (एएमआरएमएस) एप्लीकेशन में आरबीआईए, समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) और स्व मूल्यांकन नियंत्रण लेखापरीक्षा (सीएसएए) एप्लीकेशन सफलतापूर्वक प्रारंभ होने के बाद पूरे रिज़र्व बैंक में ज्ञान और क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.57];

- परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन प्रणाली (आरएएम-ओआर) और आरबीआईए के संबंध में निरीक्षण विभाग की प्रणाली के अनुसार जोखिम रेटिंग की 80 प्रतिशत अभिसारिता प्राप्त करने का प्रयास करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.57];
- पूरे रिजर्व बैंक में परियोजना लेखापरीक्षा प्रारंभ करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.58]; और
- आरबीआईए के लिए जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग प्रणाली की समीक्षा करना (पैरा XI.60)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.57 वर्ष के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में एएमआरएमएस में सीएसए मॉड्यूल की शुरुआत से लेखापरीक्षा प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। एएमआरएमएस अब आरबीआईए, समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) और सीएसए संबंधी कार्यों अर्थात् लेखापरीक्षा की योजना बनाना और निष्पादन करना, लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग में एकरूपता और मानकीकरण, प्रस्तुति; संसाधन और अनुपालन की निगरानी; मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के आंकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, दस्तावेजीकरण और अभिलेख प्रबंधन, और एक समेकित तरीके से चेतावनी आदि कार्यों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एएमआरएमएस ने आंतरिक लेखापरीक्षा में संवर्धित गुणवत्ता, परिचालन दक्षता, गोपनीयता, साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग, कागज रहित वातावरण (कम कार्बन फुटप्रिंट) और स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग(एसटीपी) द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा परिचालनों, जोखिम प्रबंधन और जोखिम आश्वासन में तालमेल स्थापित किया है। रिजर्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों और सहयोगी संस्थानों को शामिल करते हुए प्रयोक्ता कार्यशालाएं आयोजित की गईं। आरबीआईए की टिप्पणियों का गुणवत्तात्मक तरीके से सतत अनुपालन सुनिश्चित करने के

लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रारंभ की गई। विभाग ने आरबीआईए के संबंध में आरएएम-ओआर के अनुसार जोखिम रेटिंग के साथ लक्षित अभिसारिता प्राप्त की है।

परियोजना लेखापरीक्षा

XI.58 परियोजना लेखापरीक्षा पिछले कुछ समय में केंद्रीय बैंकों द्वारा इसके अपनाने के बढ़ते चलन के कारण महत्वपूर्ण हो गई है। यह एक स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जोखिम आकलन कार्य है जिसके अंतर्गत हितधारकों के कार्य-निष्पादन, स्वामित्व के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं के परियोजना की लागत, समय और प्रदेय वस्तु; प्रभाविता और दक्षता के मापन; न्यासीय अपेक्षाओं जैसे कि सूचना की विश्वसनीयता, आंतरिक और बाह्य पॉलिसियों और नियमों के अनुपालन; और परियोजना प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसरण से संबंधित जोखिमों का आकलन किया जाता है। परियोजना लेखापरीक्षा व्यवहार्यता, परियोजना के कार्यान्वयन में कमी/त्रुटि का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है और लागत और समय बचाने के लिए सही मार्ग बताती है। वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण गतिविधि रिजर्व बैंक में उच्च मूल्य की आईटी और गैर-आईटी परियोजनाओं के समयबद्ध और लागत-प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश जारी करना रही।

XI.59 देशभर में कोविड-19 फैलने के कारण लगाए गए प्रतिबंधों ने आरबीआईए और परियोजना लेखापरीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

XI.60 सभी लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाइयों में जोखिम का वस्तुनिष्ठ और अधिक वास्तविक आकलन करने के लिए आरबीआईए जोखिम स्कोरिंग/रेटिंग प्रणाली का समीक्षा भी की गई। संशोधित प्रणाली से आरबीआईए करने की आवश्यकता के निर्धारण के संबंध में प्रभावी निर्णय लेने, अधिक व्यापक जोखिम मैपिंग और समकक्ष तुलना, जोखिम प्रोफाइल, आकार और कार्य के स्वरूप में लेखापरीक्षा किए जाने वाले कार्यालयों की श्रेणी बनाने को सुगम बनायेगी।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.61 वर्ष के दौरान विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- रिज़र्व बैंक की सभी चिन्हित उच्च मूल्य आईटी और गैर आईटी परियोजनाओं के लिए परियोजना लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन करना (उत्कर्ष) ;
- आरबीआई के संबंध में आरएम-ओआर के अनुसार जोखिम रेटिंग की संवर्धित अभिसारिता (उत्कर्ष) ;
- एआरएमएस और उच्च प्रबंधन को प्रभावी जोखिम आश्वासन के लिए एएमआरएमएस डेटा माइनिंग, विश्लेषण और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्टिंग डैशबोर्ड क्षमताओं को लीवरेज करना । (उत्कर्ष) ;
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान और क्षमता का विकास करना (उत्कर्ष) ; और
- रिज़र्व बैंक में संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन करना ।

6. कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.62 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) रिज़र्व बैंक की कार्यनीतियों का निर्माण और समन्वय करता है, इसका वार्षिक बजट तैयार करता है और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए इसके व्यय की निगरानी भी करता है । विभाग संकट के समय के लिए सुदृढ़ कारोबारी निरंतरता योजनाओं के लिए भी उत्तरदायी होता है । यह बाह्य वित्तपोषित संस्थानों (ईएफआई) के गवर्नेस के लिए भी जिम्मेवार है ।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.63 विगत वर्ष विभाग द्वारा उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- लक्षित और वास्तविक प्राप्ति के बीच अंतर, कार्यनीति और बजट दोनों के संबंध में अंतर को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण कार्यों में सुधार करना (पैरा XI.64);
- कार्यनीति कार्यान्वयन की निगरानी हेतु शीर्ष स्तर के लिए केंद्रीय बोर्ड की उप समिति की स्थापना करना (पैरा XI.65); और
- कार्यनीति लक्ष्यों को संभावित गैर-प्राप्ति के लिए शीघ्र चेतावनी देने हेतु डैशबोर्ड विकसित करना (पैरा XI.66) ।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.64 वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठनात्मक उद्देश्य की सीमा के अंदर व्यय को युक्तिसंगत बनाने के लिए बजटीय और व्यय प्रक्रियाओं में ओवरहोलिंग द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को प्रबलित किया गया । पूंजी व्यय के कम उपयोग से निपटने के लिए एक नया फ्रेमवर्क लागू किया गया । यह फ्रेमवर्क रिज़र्व बैंक के वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू होगा और इसमें विगत पांच वर्षों के वास्तविक उपयोग के तीन वर्षों के चल औसत के संबंध में व्यय की निगरानी करता है । किसी अप्रत्याशित आपात स्थिति से पूंजी व्यय बफर द्वारा निपटा जायेगा जो वैश्विक आपात व्यवस्था है और नियमित बजट का भाग नहीं है ।

XI.65 रिज़र्व बैंक के मध्यावधि कार्यनीति फ्रेमवर्क - उत्कर्ष 2022 के अंतर्गत माइलस्टोनों की नियमित निगरानी के लिए केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की एक कार्यनीति उप-समिति का गठन किया गया । विभाग कार्यनीति उप समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है । उत्कर्ष के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान माइलस्टोन के संबंध में प्राप्त की गई प्रगति को बॉक्स XI.1 में दिया गया है ।

XI.66 कार्यनीति कार्यान्वयन की केंद्रीयकृत निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाने का कार्य आरंभ हो गया है । इससे कार्यनीति लक्ष्यों की संभावित गैर-प्राप्ति की स्थिति में पूर्व चेतावनी प्राप्त होगी ।

बॉक्स XI.1

कार्यनीति फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की स्थिति – उत्कर्ष 2022

जुलाई 2019 में रिजर्व बैंक ने "उत्कर्ष 2022" के नाम से अपना मध्यावधि कार्यनीति फ्रेमवर्क शुरू किया जिसमें अपने मिशन वक्तव्य, मूल उद्देश्य और मूल्य को पुनः स्पष्ट रूप से बताया गया और अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए 153 लक्ष्य और 358 माइलस्टोन निर्धारित किए गए। इन लक्ष्यों और माइलस्टोनों को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मध्यावधि विजन में फीड किया गया:

- विजन 1: सांविधिक और अन्य कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना
- विजन 2: रिजर्व बैंक के प्रति नागरिकों और अन्य संस्थाओं के विश्वास को सुदृढ़ करना
- विजन 3: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भूमिकों की प्रासंगिकता और महत्व को बढ़ाना
- विजन 4: पारदर्शित, जवाबदेही, और मूल्यों पर आधारित आंतरिक गवर्नेंस।
- विजन 5: पर्यावरण अनुकूल होने के साथ- अपने वर्ग में सर्वोत्तम डिजिटल एवं भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- विजन 6: नवोन्मेषी, गतिशील और कुशल मानव संसाधन।


मध्यावधि लक्ष्य निर्धारित करते समय रिजर्व बैंक ने गतिशील और तेजी से बदलते वातावरण का ध्यान रखा है जिसमें केंद्रीय बैंक कार्य करता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान कार्यनीति फ्रेमवर्क को संवेदी और समावेशी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए जैसे कि सीओडी और आरओ में 'उत्कर्ष 2022' विवरणिका का वितरण, माइलस्टोनों को प्राप्त करने के लिए पालन की जाने वाली पद्धति निर्धारित करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग और बैठकें आयोजित करना; 'उत्कर्ष 2022' पर दिसंबर 2019 में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए जेडटीसी, बेलापुर में और फरवरी 2020 में केंद्रीय कार्यालय विभागों के लिए

सीएबी, पुणे में कार्यशालाएं आयोजित करना; और जनवरी 2020 में सीएसबीडी के वार्षिक सम्मेलन को भी 'उत्कर्ष 2022' थीम पर आयोजित करना।

'उत्कर्ष 2022' के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निगरानी केंद्रीय बोर्ड की उप-समिति नामतः कार्यनीति उप-समिति (अध्यक्ष: डॉ. पी.के. मोहंती) द्वारा की जा रही है। माइलस्टोनों की निगरानी प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) फ्रेमवर्क के माध्यम से की जाती है। केपीआई फ्रेमवर्क माइलस्टोनों के कार्यान्वयन के गुणात्मक आकलन के साथ-साथ माइलस्टोनों को बनाए रखने की निगरानी में भी सहायता करेगा। इसके अलावा, कार्यनीति कार्यान्वयन की केंद्रीयकृत निगरानी के लिए डैशबोर्ड का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।

अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी ने निर्धारित किए गए माइलस्टोनों को प्राप्त करने में चुनौती पेश की फिर भी वर्ष के दौरान 199 में से 112 माइलस्टोनों का पूरी तरह कार्यान्वयन कर दिया गया (चार्ट 1)।

चार्ट 1 : माइलस्टोन पूरे होने की स्थिति
(जून 2020 की समाप्ति पर)



स्रोत : आरबीआई।

XI.67 रिजर्व बैंक के कारोबारी निरंतरता प्रबंधन के नोडल विभाग के रूप में सीएसबीडी ने कोविड-19 महामारी से निपटने में अग्रणी भूमिका अदा की (बॉक्स XI.2)। बीसीएम फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष के दौरान एक बीसीएम मैनुअल और बीसीपी को लागू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार किए गए। रिजर्व बैंक इंटरनेट का उद्यम विषय-वस्तु प्रबंधन प्रणाली (ईसीएमएस) पोर्टल मुख्य रिसोर्स व्यक्तियों के प्रोफाइल सहित बीसीएम संबंधी सूचना का तीव्र

प्रसार करता है। कोविड-19 फैलने के चलते लगाए गए लॉकडाउन के उपरांत विभाग घर से कार्य आधार पर कार्य कर रहा था और कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) संबंधी लेनदेन करने के लिए आवधिक आधार पर विभाग के चुनिंदा अधिकारी ही कार्यालय आ रहे थे।

XI.68 बाह्य वित्तपोषित संस्थानों (ईएफआई) की निगरानी के भाग के तौर पर विभाग ने अपने गवर्निंग बोर्डों और उप-

बॉक्स XI.2

कोविड-19 महामारी के लिए आरबीआई की कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी)

कोविड -19 महामारी फैलने के प्रतिक्रिया स्वरूप में दिनांक 11 मार्च 2020 को रिजर्व बैंक की कारोबारी निरंतरता समिति ने प्रशिक्षित कर्मियों की कई टीम बनाने का निर्णय लिया जो रिजर्व बैंक की समय-संवेदी महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) को पूरा कर सके। 17 मार्च 2020 को आयोजित उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन टीम (सीएमटी) ने यह निर्णय लिया कि सभी टीएससीए को करने के लिए एक वैकल्पिक कार्य क्षेत्र साइट (एडब्ल्यूएस) स्थापित की जाएं। यह रिजर्व बैंक के खारघर, नवी मुंबई स्थित डेटा सेंटर में स्थित थी जो मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र से बाहर थी तथा फिर भी लॉजिस्टिकली निकट थी। सीएमटी ने यह निर्णय लिया कि इन परिचालनों को करने के लिए समर्पित टीम को एकांत में एक रोगाणुरहित बिल्डिंग में रखा जाए। एक अन्य टीम को अल्पकालीन सूचना पर कार्य संभालने के लिए आपात उपयोगी स्थिति में रखा गया था।

महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाएं सुरक्षित होने के साथ ही, विभाग और शाखा कार्यालय को 18 मार्च 2020 से ही घर से ही कार्य करना था और कार्यालय परिसरों में कम से कम कर्मचारी कर रहे थे। जब भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 को 21 दिनों के लिए देशभर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया तो रिजर्व बैंक पहले ही अपने एडब्ल्यूएस से महत्वपूर्ण परिचालन कर रहा था और अन्य परिचालन घर से कार्य के आधार पर किए जा रहे थे। इसके साथ-साथ कार्यस्थलों पर वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतितायी उपायों जैसे की सतहों की सफाई और सैनिटाइजेशन, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग और पारस्परिक दूरी बनाए रखना इत्यादि को लागू किया गया। कर्मचारियों और उनके परिवारों को विभिन्न सरकारी निकायों और डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी 'क्या करें और क्या ना करें' संबंधी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों के माध्यम से जागरूक करने के अलावा आवासीय कालोनियों में भी निजी स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को सुदृढ़ किया गया। इस मॉडल ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए रिजर्व बैंक की सहायता की है। उचित संशोधनों के साथ यह मॉडल भविष्य में आने वाली महामारियों से निपटने के लिए टेपलेट का कार्य कर सकता है।

आंकड़ा केंद्रों (डीसी) के आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली के लिए रिजर्व बैंक के आधार को निर्मित करता है। महत्वपूर्ण प्रणालियों को सुचारु रूप से कार्य करने के लिए डीसी और आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को चालू रखने हेतु रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के रूप में प्रकृति के जीरो-डे वर्जन मालवेयर से निपटने के लिए डीसी के संबंध में एकांत लोकेशन से कारोबारी रिजीलियंस/निरंतरता योजनाओं को सक्रिय किया। आईटी, डेटा सेंटर, कारोबार विभागों, सेवा भागीदारों / एसोसिएट्स के मानव संसाधनों सहित सुरक्षा, सपोर्ट और रखरखाव स्टाफ को संबंधित डीसी केंद्रों के पास एकांत में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, परिचालनों के सुचारु रूप से चलने, स्टाफ, मुख्य संसाधनों, आपदा प्रबंधन समूह के लिए उपचारात्मक योजना के साथ तैयार रहने के लिए बीसीपी में निरंतर सुधार किए गए जबकि सभी को तेजी से बदलते वातावरण के एक्सपोजर से बचा कर रखा गया।

कोविड -19 के बीसीपी कार्यनीति के माध्यम से रिजर्व बैंक की त्वरित और व्यापक प्रतिक्रिया मीडिया द्वारा तत्काल चर्चा की गई और इसकी बड़े स्तर पर रिपोर्टिंग की गई। प्रमुख राष्ट्रीय और वित्तीय दैनिक समाचार-पत्रों ने 'कोरोना महामारी के बीच आरबीआई ने केवल एक दिन में वार रूम स्थापित किया' 'देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वार रूम स्थापित' और 'सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए आरबीआई की आपात योजना तैयार' जैसी हेडलाइनों के साथ इस कदम की रिपोर्टिंग की।

कोविड-19 के संबंध में रिजर्व बैंक की बीसीपी कार्यनीति से सीख लेते हुए कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की। लॉकडाउन के दौरान एनईएफटी/आरटीजीएस, एटीएम और सामान्य बैंकिंग सेवाओं के अबाधित रूप से कार्य करना वित्तीय प्रणाली के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स द्वारा ऐसे त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया के कारण ही संभव हो पाया।

स्रोत: आरबीआई

समितियों के साथ बैठकों, उनकी समीक्षा समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन और रक्ति होने पर निदेशकों के चयन के माध्यम से उनके गवर्नेस को सुदृढ़ करना जारी रखा।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.69 वर्ष के लिए विभाग की कार्ययोजना में निम्नलिखित शामिल है:

- कार्यनीतिगत लक्ष्यों/माइलस्टोन के कार्यान्वयन की निगरानी और आकलन करने के लिए मुख्य

निष्पादन संकेतकों (केपीआई) पर आधारित फ्रेमवर्क लागू करने के लिए डैशबोर्ड को परिचालन में लाना (उत्कर्ष) ;

- ईएफआई की आंतरिक गवर्नेस को सुदृढ़ करना; और
- आईजीआईडीआर और कैफरल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) का इन संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ नवीनीकरण करना।

7. राजभाषा

XI.70 राजभाषा विभाग को रिज़र्व बैंक में राजभाषा अधिनियम, 1963 का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसमें भारत सरकार और संसदीय राजभाषा समिति के अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जा रही कई गतिविधियां शामिल हैं। विभाग केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों को सहायता प्रदान करता है और रिज़र्व बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ समन्वय स्थापित करता है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य

XI.71 विगत वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली का कार्यान्वयन (पैरा XI.72); और
- एक ई-बुक संकाय सदस्यों के लिए 'हिंदी कार्यशाला संबंधित प्रशिक्षण सामग्री' का प्रकाशन करना (पैरा XI.73)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली

XI.72 एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआरएस) रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रयोग से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित, संसाधित, रिपोर्ट और स्टोर करने के लिए एक पैकेज है। आईआरआरएस राजभाषा विभाग को सरकार सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर समीक्षा और प्रस्तुति के लिए उपयोग हेतु हिंदी के प्रयोग संबंधी आंकड़ों के संग्रहण और प्रसार के मिशन को

सहायता प्रदान करता है। 'न्यूनतम कागज' और वर्चुअल आंतरिक वर्कफ्लो को अपनाना एक कार्यनीति है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी मध्यावधि कार्यनीति 'उत्कर्ष 2022' को प्राप्त करने के लिए पालन किया जाता है और आईआरआरएस पैकेज ने इसकी ओर कदम बढ़ाते हुए सकारात्मक माहौल तैयार किया है। विभिन्न रिपोर्टें जैसे कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, हिंदी सलाहकार समिति रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रिपोर्ट (नराकास) और हिंदी ज्ञान रोस्टर को इस पैकेज के माध्यम से सृजित किया जा सकता है और यह एक वर्चुअल प्लेटफार्म है। संसदीय राजभाषा समिति को प्रत्युत्तर देने में भी यह उपयोगी है। इस वर्ष आईआरआरएस पैकेज का एक मॉड्यूल लाइव हो गया जबकि अन्य मॉड्यूल के लिए कार्य चल रहा है।

ई-बुक का प्रकाशन

XI.73 विभाग ने रिज़र्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यशालाएं आयोजन में सहायता के लिए राजभाषा अधिकारियों के उपयोग हेतु 'हिंदी कार्यशाला के लिए प्रशिक्षण सामग्री' नाम से एक ई-बुक का जून 2020 में प्रकाशन किया।

प्रमुख गतिविधियां

XI.74 वर्ष के दौरान, 146 स्टाफ-सदस्यों ने 'प्राज्ञ¹' परीक्षा और 190 ने 'पारंगत²' परीक्षा पास की। कंप्यूटरों पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए स्टाफ-सदस्यों कंप्यूटरों पर हिंदी कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान पूरे रिज़र्व बैंक में 149 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें सीओडी और आरओ में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशालाएं भी शामिल हैं, इससे हिंदी नोटिंग और पत्राचार में वृद्धि करने में सहायता मिली है।

¹ यह परीक्षा उनके लिए आयोजित की जाती है जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है।

² हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उच्चतम परीक्षा।

XI.75 केंद्रीय कार्यालय विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए 'हिंदी पखवाड़ा', हिंदी समारोह और विभिन्न बैंकिंग विषयों पर हिंदी सेमिनारों, हिंदी में परिचर्चा और विभिन्न प्रतियोगिताओं व्यवस्था और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए कार्यनीति योजना के भाग के रूप में राजभाषा विभाग ने विभिन्न विभागों के लिए विशेष शब्दावलि सफलतापूर्वक तैयार की। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिंदी में कार्यालयीन नोटिंग का प्रकाशन पूरा हो चुका है और अद्यतन हिंदी कार्यशाला सामग्री का प्रकाशन अंतिम चरण में है। हिंदी पुस्तकालय का रखरखाव, हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन, हिंदी दिवस समारोह आयोजित करने से संबंधित कार्य को सुव्यवस्थित बनाया गया।

प्रशिक्षण

XI.76 रिज़र्व बैंक के विज्ञान वक्तव्य 'उत्कर्ष 2022' जो वर्तमान और भावी चुनौतियों के लिए मानव संसाधन के कौशल उन्नयन के बारे में बताता है, के अनुसरण में राजभाषा अधिकारियों के एक बैच को प्रबंध विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आरबीएससी, चेन्नै में विधिक दस्तावेजों, वित्तीय और बैंकिंग शब्दावलियों से संबंधित एक अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। रिज़र्व बैंक के निजी सचिवों के लिए सीएबी, पुणे में एक हिंदी कार्यशाला और राजभाषा अधिकारियों के लिए जेडटीसी, कोलकाता में सामान्य बैंकिंग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

प्रकाशन

XI.77 रिज़र्व बैंक के सांविधिक प्रकाशनों अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट और अन्य प्रकाशनों जैसे कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक और भारतीय रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिनों को द्विभाषिक रूप में प्रकाशित किया गया और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध थे। विभाग द्वारा बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन पत्रिका के अलावा

रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रस्तुत करने वाले राजभाषा समाचार का भी प्रकाशन किया गया। इन दोनों के मार्च 2020 के अर्ध-वार्षिक अद्यतन संस्करणों को कोविड-19 महामारी के बीच 'घर से कार्य' वातावरण में ई-फार्मेट में प्रकाशित किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों का अनुपालन

XI.78 संसदीय राजभाषा समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करती है। रिज़र्व बैंक की केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस समिति को दिए गए आश्वासनों के अनुपालन की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय की निगरानी, अधिक से अधिक स्टाफ-सदस्यों को पारंगत का प्रशिक्षण देने, हिंदी संबंधी खाली पदों को भरने, संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा नराकास बैठकों में भाग लेने, और कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए गए।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.79 वर्ष के दौरान विभाग की निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की योजना है :

- बैंकिंग शब्दावली को अद्यतन करना;
- वार्षिक कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन;
- हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग संबंधी विशेष शब्दावलि तैयार करना;
- कर्मचारियों में हिंदी संबंधी सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हिंदी पत्रिकाओं के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ करना ;
- हिंदी के प्रयोग संबंधी अद्यतन अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के संबंध में जानकारी देने के लिए केंद्रीय कार्यालय विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला आयोजित करना; और

- बैंकिंग विषयों पर हिंदी व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन।

8. परिसर विभाग

XI.80 परिसर विभाग का विजन रिज़र्व बैंक के परिसरों में वास्तुशिल्पीय उत्कृष्टता और सौंदर्य अपील के समेकन से 'अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम' और पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ ही उच्चतम स्तर की सफाई सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य

XI.81 विगत वर्ष, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- कम से कम दो आवासीय भवनों के लिए जीआरआईएचए³/आईजीबीसी⁴ से संबंधित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.82];
- ऊर्जा खपत का 1.5 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.82];
- 1.25 प्रतिशत ऊर्जा बचत प्राप्त करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.82];
- 2.5 जल संरक्षण/बचत प्राप्त करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.82];
- आरईबीआईटी के साथ सहयोग से माल सूची और आस्ति ट्रैकिंग को डिजिटाइज करना (उत्कर्ष) [पैरा XI.82];
- दिल्ली और चेन्नै क्वार्टर्स का निर्माण पूरा करना (पैरा XI.83);

- जम्मू आवासीय कालोनी की ड्राइंग को पूरी करना (पैरा XI.83); और
- देहरादून और नया रायपुर में नए कार्यालय भवनों और देहरादून में आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण प्रारंभ करना (पैरा XI.83)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

XI.82 वर्ष 2019-20 में गतिविधियां विजन से प्रेरित थी क्योंकि विभाग इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा था। उत्कर्ष के अंतर्गत निर्धारित किए गए कई माइलस्टोनों को विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया। पहला, रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी दो आवासीय भवनों (बंगलुरु और हैदराबाद दोनों में एक-एक) के लिए 1 जनवरी 2020 को आईजीबीसी से ग्रीन रेटिंग प्राप्त करना रहा। दूसरा, रिज़र्व बैंक के सभी परिसरों में 1.5 ऊर्जा खपत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने की तुलना में नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा खपत 3.34 प्रतिशत रही। तीसरा, रिज़र्व बैंक ने 1.25 के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 10.2 प्रतिशत ऊर्जा बचत प्राप्त की। अंत में, जल संरक्षण/बचत 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 5.62 प्रतिशत रही। हालांकि, माल सूची और आस्ति ट्रैकिंग प्रणाली को डिजिटलीकरण को निविदा प्रक्रिया के दौरान वेंडरों से उत्साहहीन प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण वर्ष के दौरान पूरा नहीं किया जा सका। इस ट्रैकिंग प्रणाली को दिसंबर 2020 तक वर्तमान वर्ष में पूरा किया जायेगा।

XI.83 हौज खास, दिल्ली और अन्ना नगर, चेन्नै में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण पूरा होने के अग्रिम चरण में है। जम्मू में आवासीय कालोनी की ड्राइंग पूरी हो चुकी है। देहरादून में कार्यालय परिसर का निर्माण शुरू हो चुका है और नया रायपुर

³ इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसेसमेंट के लिए ग्रीन रेटिंग

⁴ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल

में कार्यालय परिसर और देहरादून में आवासीय परिसर का निर्माण योजना और अनुमोदन के अग्रिम स्तर पर है।

अन्य निर्माण गतिविधियां

XI.84 मुंबई में कैफरल के लिए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, परियोजना के संस्थागत भाग का आरसीसी ढांचागत कार्य पूरा हो गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ जमा आधार पर जारी विभिन्न परियोजनाओं में इंफाल में कार्यालय परिसर का निर्माण (बाउंड्री की दीवार) प्रारंभ हो गया है। खारघर, नवी मुंबई (आवासीय परिसर), अगरतला (बाउंड्री वॉल) और रांची (बाउंड्री वॉल) में कार्यालय परिसर परियोजनाएं योजना और अनुमोदन के अग्रिम चरण में हैं।

रखरखाव गतिविधियां

XI.85 पूरे देश में स्थित रिजर्व बैंक के आइकॉनिक कार्यालय और आवासीय भवनों के प्रभावी रखरखाव प्रबंधन के भाग के रूप में भवनों की सुरक्षा और सुदृढ़ता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए और इनको वार्षिक विजुअल और रखरखाव निरीक्षण के माध्यम से लागू किया जा रहा है। रेट्रोफिटिंग या अन्यथा कार्य का निर्णय लेने के लिए ढांचागत लेखापरीक्षा (गैर-विनाशकारी परीक्षणों का प्रयोग करके) के माध्यम से ढांचों की स्थिति का आकलन किया गया।

कोविड-19 का प्रभाव

XI.86 कोविड-19 महामारी से संबंधित लॉकडाउन और श्रमिकों के आने-जाने पर प्रतिबंध ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और रखरखाव कार्य को प्रभावित किया। तथापि, विभाग ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान रखरखाव कार्य और संबंधित कार्य के लिए कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए संपर्करहित वातावरण सृजित करने के सभी आवश्यक प्रयास किए।

हरित पहल

XI.87 विभाग ने रिजर्व बैंक में हरित पहल के रूप में कई उपाय किए। सभी नए भवनों की परियोजनाओं को आईजीबीसी

द्वारा हरित अनुपालित भवन के रूप में प्रमाणित किया है। रिजर्व बैंक ने विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कालोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा जनरेशन संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा जनरेट की। सौर ऊर्जा जनरेशन क्षमता को मार्च 2019 के 1440 केडब्ल्यूपी से मार्च 2020 में 1910 केडब्ल्यूपी तक बढ़ाया गया है जो जून 2020 में और बढ़कर 2034 केडब्ल्यूपी हो गया। जल संरक्षण और इसके प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न परिसरों में वर्षा जल संरक्षण, सीवेज उपचार और अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार, कई कार्यालय और आवासीय परिसरों में ऑर्गनिक अवशिष्ट कनवर्टर स्थापित किए गए हैं।

अन्य पहल

XI.88 पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के रिजर्व बैंक के प्रयास और पर्यावरण अनुकूल सुस्थिर उत्पादों के प्रयोग की ओर बढ़ने के लिए विभाग ने सभी कार्यालयों में कार्यान्वयन के लिए रिजर्व बैंक में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रयोग को बंद करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किया है।

वर्ष 2020-21 के लिए कार्ययोजना

XI.89 वर्ष के लिए, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

- सभी नई भवन परियोजनाओं के अतिरिक्त कम से कम एक कार्यालय और पांच मौजूदा आवासीय भवनों के लिए जीआरआईएचए/आईजीबीसी से ग्रीन रेटिंग प्रमाणन प्राप्त करना (उत्कर्ष) ;
- नवीकरणीय स्रोतों से 3.0 प्रतिशत ऊर्जा खपत प्राप्त करना (उत्कर्ष) ;
- 2.5 प्रतिशत ऊर्जा बचत करना (उत्कर्ष) ;
- 5.0 प्रतिशत जल संरक्षण/बचत प्राप्त करना (उत्कर्ष);
- माल सूची और आस्ति ट्रैकिंग को आरईबीआईटी के सहयोग से डिजिटल बनाना (उत्कर्ष) ;

- चेन्नै, मुंबई और दिल्ली की आवासीय परियोजनाओं को पूरा करना और अगरतला, इंफाल और रांची में बाउंड्री दीवार का निर्माण करना;
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर और देहरादून, खारघर, नवी मुंबई और जम्मू में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करना; और
- संविदा आर्किटेक्चर⁵ की समीक्षा और संशोधन करना और परियोजना प्रबंधन टूल्स⁶ का कार्यान्वयन।

9. निष्कर्ष

XI.90 संक्षेप में, इस अध्याय में रिज़र्व बैंक में गवर्नेंस, मानव संसाधन के क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों और जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए किए

गए उपायों के संबंध में चर्चा की गई है। एचआरएमडी द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न नवोन्मेषी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधनों को उन्नयन किया गया। जहां राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया, वहीं परिसर विभाग ने पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखे। इस अध्याय में वर्णित विभागों ने ना केवल वर्ष के लिए निर्धारित अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन किया अपितु वर्ष 2020-21 के लिए अपनी प्राथमिकताएं भी निर्धारित की हैं। कोविड-19 के फैलने के साथ ही ने रिज़र्व बैंक ने अपनी महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाओं को सुरक्षित और वित्तीय प्रणाली में कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तत्परतापूर्वक और व्यापक रूप से कदम उठाया।

⁵ निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाने से लेकर समाप्ति तक को कवर करने वाले फ्रेमवर्क को संदर्भित

⁶ ये सॉफ्टवेयर समाधान हैं जो परियोजनाओं की निगरानी और प्रभावी प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं।

सारणी XI.1: 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान केंद्रीय निदेशक बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
शक्तिकान्त दास	8(1)(ए)	7	7
एन. एस. विश्वनाथन*	8(1)(ए)	6	4
विरल वी. आचार्य®	8(1)(ए)	1	1
बी. पी. कानूनगो	8(1)(ए)	7	6
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	7	7
माइकल देबब्रत पात्र#	8(1)(ए)	3	3
प्रसन्न कुमार मोहंती	8(1)(बी)	7	6
दिलीप एस. शंघवी	8(1)(बी)	7	5
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	7	7
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	7	6
नटराजन चंद्रसेखरन	8(1)(सी)	7	7
भरत एन. दोशी*	8(1)(सी)	6	6
सुधीर मांकड*	8(1)(सी)	6	6
अशोक गुलाटी	8(1)(सी)	7	5
मनीष सभरवाल	8(1)(सी)	7	7
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	7	6
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	7	5
सुभाष चंद्र गर्ग®	8(1)(डी)	1	1
अतनु चक्रवर्ती	8(1)(डी)	5	3
राजीव कुमार^^	8(1)(डी)	6	5
देबाशीष पंडा®	8(1)(डी)	1	1
तरुण बजाज%	8(1)(डी)	1	1

X: 31 मार्च 2020 तक उप गवर्नर.

#: 15 जनवरी 2020 से उप गवर्नर

\$: 29 जुलाई 2019 तक निदेशक

^^: 28 फरवरी 2020 तक निदेशक

?: 5 मई 2020 से निदेशक

@: 23 जुलाई 2019 तक उप गवर्नर

*: 03 मार्च 2020 तक निदेशक

^: 29 जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक निदेशक

&: 11 मार्च 2020 से निदेशक

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी XI.2 : 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त /नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी)			
शक्तिकान्त दास	8 (1) (ए)	46	43
एन. एस. विश्वनाथन ^६	8 (1) (ए)	34	20
विरल वी. आचार्य ^७	8 (1) (ए)	2	1
बी. पी. कानूनगो	8 (1) (ए)	46	33
महेश कुमार जैन	8 (1) (ए)	46	39
माइकल देबब्रत पात्र ^८	8 (1) (ए)	22	22
प्रसन्न कुमार मोहंती	8 (1) (बी)	13	13
दिलीप एस. शंघवी	8 (1) (बी)	16	14
रेवती अय्यर	8 (1) (बी)	16	16
सचिन चतुर्वेदी	8 (1) (बी)	16	10
नटराजन चंद्रसेकरन	8 (1) (सी)	9	1
भरत एन. दोशी.*	8 (1) (सी)	12	6
सुधीर मांकड*	8 (1) (सी)	10	9
अशोक गुलाटी	8 (1) (सी)	15	14
मनीष सभरवाल	8 (1) (सी)	17	15
सतीश काशीनाथ मराठे	8 (1) (सी)	16	8
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8 (1) (सी)	16	1
अतनु चक्रवर्ती ^९	8 (1) (डी)	23	23
तरुण बजाज%	8 (1) (डी)	7	7

@ : 23 जुलाई 2019 तक उप गवर्नर

: 15 जनवरी 2020 से उप गवर्नर

^ : 29 जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक निदेशक

* : 03 मार्च 2020 तक निदेशक

% : 05 मई 2020 से निदेशक

\$: 31 मार्च 2020 तक उप गवर्नर

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)

शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	8	8
महेश कुमार जैन	उपाध्यक्ष	8	8
एन. एस. विश्वनाथन ^६	सदस्य	7	5
बी पी कानूनगो	सदस्य	8	4
विरल वी. आचार्य ^७	सदस्य	1	1
माइकल देबब्रत पात्र*	सदस्य	2	2
भरत एन. दोशी ^८	सदस्य	7	6
सुधीर मांकड ^९	सदस्य	7	7
अशोक गुलाटी	सदस्य	8	7
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	8	6
सचिन चतुर्वेदी ^९	सदस्य	1	1

: 23 जुलाई 2019 तक सदस्य

* : 15 जनवरी 2020 से सदस्य

@ : 03 मार्च 2020 तक सदस्य

^ : 14 मई 2020 से सदस्य

\$: 31 मार्च 2020 तक सदस्य

सारणी XI.2 : 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठकों में उपस्थिति (समाप्त)

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त /नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
III. भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)			
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	2	2
बी. पी. कानूनगो	उपाध्यक्ष	2	2
एन. एस. विश्वनाथन [§]	सदस्य	1	0
महेश कुमार जैन	सदस्य	2	2
माइकल देबब्रत पात्र*	सदस्य	1	1
नटराजन चंद्रसेकरन	सदस्य	1	0
मनीष सभरवाल	सदस्य	2	2

§: 31 मार्च 2020 तक सदस्य

*: 15 जनवरी 2020 से सदस्य

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी XI.3 : 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान बोर्ड की उप समितियों की बैठक में उपस्थिति			
सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/ नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप समिति (एआरएमएस)			
भरत एन. दोशी [@]	अध्यक्ष	6	6
सुधीर मांकड [@]	सदस्य	6	6
रेवती अय्यर	सदस्य	6	5
एन. एस. विश्वनाथन [§]	सदस्य	6	5
विरल वी. आचार्य [#]	आमंत्रित	1	1
बी पी कानूनगो	आमंत्रित	6	4
महेश कुमार जैन	आमंत्रित	6	6
माइकल देब्रत पात्र	आमंत्रित	3	2
[@] : 03 मार्च 2020 तक सदस्य [§] : 31 मार्च 2020 तक सदस्य [#] : 23 जुलाई 2019 तक सदस्य			
II. भवन उप समिति (बीएससी)			
दिलीप एस. शंघवी	अध्यक्ष	1	1
प्रसन्न कुमार मोहंती	सदस्य	1	1
महेश कुमार जैन	सदस्य	1	1
III. मानव संसाधन प्रबंध उप समिति (एचआरएम-एससी)			
मनीष सभरवाल	अध्यक्ष	4	4
दिलीप शंघवी	सदस्य	4	2
महेश कुमार जैन	सदस्य	4	3
IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति (आईटी-एससी)			
मनीष सभरवाल	अध्यक्ष	3	3
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	3	3
बी.पी. कानूनगो	सदस्य	3	1
V. कार्यनीति उप-समिति			
प्रसन्न कुमार मोहंती	अध्यक्ष	1	1
मनीष सभरवाल	सदस्य	1	1
रेवती अय्यर	सदस्य	1	1
एन.एस. विश्वनाथन [§]	सदस्य	1	0
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	1	1
महेश कुमार जैन	सदस्य	1	1
माइकल देब्रत पात्र	सदस्य	1	1
[§] : 31 मार्च 2020 तक सदस्य			

सारणी XI.4: 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय निदेशक बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3
प्रसन्न कुमार मोहंती, अध्यक्ष	2	2
सतीश काशीनाथ मराठे, सदस्य	2	2

सारणी XI.5 : 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान स्थानीय बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के / अंतर्गत नियुक्त /नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1	2	3	4
सचिन चतुर्वेदी, ईएएलबी	धारा 9(1)	4	4
सुनील मित्रा, ईएएलबी	धारा 9(1)	4	4
दिलीप एस. शंघवी, डब्ल्यूएएलबी	धारा 9(1)	4	4
वी. आर. भानशाली, डब्ल्यूएएलबी	धारा 9(1)	4	4
रेवती अय्यर, एनएएलबी	धारा 9(1)	4	4
आर.एन.दुबे, एनएएलबी	धारा 9(1)	4	4
पी. के. मोहंती, एसएएलबी [^]	धारा 9(1)	0	0

ईएएलबी :- पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ।

डब्ल्यूएएलबी: पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ।

एनएएलबी:- उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ।

एसएएलबी : दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ।

[^]: एसएएलबी आवश्यक कोरम में कमी के कारण कार्य नहीं कर सका ।

30 जून 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र के आकार में 30.02 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2018-19 के ₹1,930.36 बिलियन की तुलना में 2019-20 में सकल कुल आय ₹1,496.72 बिलियन रही। पिछले वर्ष की आय में आकस्मिकता निधि से बेशी प्रावधान की ₹526.37 बिलियन प्रतिलेखन आय भी शामिल थी। इसको पिछले वर्ष की आय से निकालने के बाद की गई तुलना में 2019-20 की आय में सीमांत वृद्धि दिखती है। 2018-19 के ₹170.45 बिलियन की तुलना में बैंक का 2019-20 में व्यय ₹925.40 बिलियन रहा जिसमें आकस्मिकता निधि हेतु ₹736.15 बिलियन का जोखिम प्रावधान शामिल है। वर्ष की समाप्ति पर समग्र अधिशेष ₹571.28 बिलियन रहा।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है इससे सामान्यतया उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.2 तुलन-पत्र में ₹12,318.88 बिलियन अर्थात् 30.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹41,029.05 बिलियन था जो 30 जून 2020 को बढ़कर ₹53,347.93 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में वृद्धि के मुख्य कारण घरेलू और विदेशी निवेश में क्रमशः 18.40 प्रतिशत और 27.28 प्रतिशत की वृद्धि तथा ऋण तथा अग्रिम में 245.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी, स्वर्ण में 52.85 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना

थे। देयता पक्ष में हुई वृद्धि निर्गत नोटों, अन्य देयताओं और प्रावधानों तथा जमाराशियों में क्रमशः 21.52 प्रतिशत, 30.47 प्रतिशत और 53.72 प्रतिशत बढ़ोतरी के कारण हुई। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 28.75 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (भारत में धारित स्वर्ण सहित) 71.25 प्रतिशत थीं, जबकि इसकी तुलना में 30 जून 2019 को ये क्रमशः 28.03 प्रतिशत और 71.97 प्रतिशत थीं।

XII.3 ₹736.15 बिलियन प्रावधान किया गया और इसे आकस्मिकता निधि (सीएफ) में अंतरित किया गया। आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय और केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष की प्रवृत्ति सारणी XII.1 में दी गयी है।

2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

सारणी XII.1 : आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति

(₹ बिलियन में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
ए) आय	808.70	618.18	782.81	1,930.36	1,496.72
बी) कुल व्यय @	149.90 [#]	311.55 [^]	282.77 ^{&}	170.45 [*]	925.40 ^{**}
सी) निवल प्रयोज्य आय (ए-बी)	658.80	306.63	500.04	1,759.91	571.32
डी) निधियों को अंतरण @@	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ई) केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	658.76	306.59	500.00	1,759.87	571.28

@ : इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।

: इसमें बीआरबीएनएमपीएल के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

^ : इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुषंगी आरईबीआईटी के लिए पूंजी अंशदान हेतु ₹0.50 बिलियन का प्रावधान और सीएफ में अंशदान हेतु ₹131.40 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

& : इसमें सीएफ में अंतरण के लिए अतिरिक्त ₹141.90 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

* : एडीएफ में अंतरण के लिए ₹0.64 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

** : इसमें सीएफ में अंतरण के लिए अतिरिक्त ₹736.15 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

@@ : पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹0.01 बिलियन की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

XII.4 वर्ष 2019-20 के लिए तैयार स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और आय-विवरण, सभी अनुसूचियों, महत्वपूर्ण

लेखांकन नीति संबंधी विवरण तथा लेखा-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत है:-

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवार्थ

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार एवं उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में इसके परिचालनों के परिणाम के सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के सभी आवश्यक प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यकलापों की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

दृष्टिकोण का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुरूप हमने यह लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है। लेखापरीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारीयों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी तात्विक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाएँ अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती हैं। हमने जो कार्य किया है, यदि उसके आधार पर यह पाया जाता है कि इस अन्य जानकारी में दी गई जानकारी तात्विक रूप से गलत है, तो उन तथ्यों को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कोई सूचना हमें इस लेखापरीक्षा में नहीं मिली है।

प्रबंधन के दायित्व एवं वित्तीय विवरणों की गवर्नेन्स करने वालों के दायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों की गवर्नेन्स करने वाले व्यक्तियों का है और जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सही और सटीक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो एक सच्चा और सही दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, बैंक के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील बैंक से जुड़े मामलों के, यथालाभ, प्रकटन और बैंक का लेखांकन कार्यशील बैंक आधार पर करने के लिए बैंक का प्रबंधतंत्र उत्तरदायी होगा जब तक कि प्रबंधतंत्र का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की जिम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके गवर्नेन्स का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से यह आश्वासन करना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि से हुई हो, से मुक्त हैं तथा इस बारे में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

2019-20 के लिए रिजर्व बैंक का लेखा

इस लेखापरीक्षा के एक प्रतिभागी के रूप में लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिसादी लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा क्रियापद्धति तैयार की जा सके लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंध-तंत्र द्वारा कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो संस्था की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस तरह ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। तथापि, भावी घटनाएँ अथवा स्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कार्यशील बैंक अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।

हम गवर्नेन्स का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण विसंगतियाँ भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

अन्य मामले

30 जून, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संयुक्त रूप से मेसर्स छाजेड एंड दोशी तथा मेसर्स जी. पी. कपाड़िया एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों ने अपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 26 अगस्त 2019 के जरिए संपन्न की और रिपोर्ट की, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रदान की गई और वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा के अपने कार्य के उद्देश्य हेतु जिस पर हमने भरोसा किया है। इस मामले में हमारी राय बदली नहीं है।

हम सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिजर्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिजर्व बैंक की बाईस लेखांकन इकाइयों का लेखा-जोखा शामिल है, जिनकी लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा-लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण
सं. 002438सी)

प्रतिभा शर्मा
भागीदार
सदस्यता सं. 400755
यूडीआईएन : 20400755AAAABU3505

कृते हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण
सं. 103523डब्ल्यू/डब्ल्यू 100048)

हेमंत जे. भट्ट
भागीदार
सदस्यता सं. 036834
यूडीआईएन : 20036834AAAAB7640

स्थान : मुंबई

दिनांक : 14 अगस्त, 2020

वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

देयताएं	अनुसूची	2018-19	2019-20	आस्तियां	अनुसूची	2018-19	2019-20
पूंजी		0.05	0.05	बैंकिंग विभाग (बैं.वि.) की आस्तियां			
आरक्षित निधि		65.00	65.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	5	0.09	0.13
अन्य आरक्षित निधि	1	2.30	2.32	स्वर्ण सिक्के और बुलियन	6	882.98	1,428.75
जमा राशियाँ	2	7,649.22	11,758.60	निवेश-विदेशी बैंकिंग विभाग	7	6,964.53	10,234.00
अन्य देयताएं और प्रावधान	3	11,624.51	15,166.21	निवेश-घरेलू बैंकिंग विभाग	8	9,898.77	11,720.27
				खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम	9	931.87	3,222.07
				सहयोगी संस्थाओं में निवेश	10	19.64	19.64
				अन्य आस्तियां	11	643.20	367.32
निर्गम विभाग की देयताएं				निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां			
जारी किए गए नोट	4	21,687.97	26,355.75	सोने के सिक्के और बुलियन	6	792.04	1,131.46
				रुपये सिक्के		8.28	7.85
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	7	20,887.65	25,216.44
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	8	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
कुल देयताएं		41,029.05	53,347.93	कुल आस्तियां		41,029.05	53,347.93

निर्मल चंद
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

एम. डी. पात्र
उप गवर्नर

एम. के. जैन
उप गवर्नर

बी. पी. कानूनगो
उप गवर्नर

शक्तिकांत दास
गवर्नर

2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

भारतीय रिज़र्व बैंक जून 2020 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ बिलियन में)

आय	अनुसूची	2018-19	2019-20
ब्याज	12	1,068.37	1,093.33
अन्य आय	13	861.99	403.39
कुल		1,930.36	1,496.72
व्यय			
नोटों का मुद्रण	14	48.11	43.78
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		0.88	0.87
एजेंसी प्रभार		39.10	38.76
कर्मचारी लागत		68.51	89.28
ब्याज		0.01	0.01
डाक और संचार प्रभार		1.03	1.17
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.22	0.20
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.26	1.36
मरम्मत और रखरखाव		0.98	0.88
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.02	0.02
लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय		0.05	0.06
विधिक प्रभार		0.17	0.09
विविध व्यय		7.97	10.71
मूल्यहास		1.50	2.06
प्रावधान		0.64	736.15
कुल		170.45	925.40
उपलब्ध शेष राशि		1,759.91	571.32
घटाएं:			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
(बी) नाबार्ड को अंतरण योग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ¹		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ¹		0.01	0.01
(सी) अन्य			
वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को अंतरित राशि		280.00	0.00
केंद्र सरकार को देय अधिशेष		1,479.87	571.28

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

निर्मल चंद
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

एम. डी. पात्र
उप गवर्नर

एम. के. जैन
उप गवर्नर

बी. पी. कानूनगो
उप गवर्नर

शक्तिकांत दास
गवर्नर

वार्षिक रिपोर्ट

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ बिलियन में)

		2018-19	2019-20
अनुसूची 1:	अन्य आरक्षित निधियाँ		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	0.28	0.29
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	2.02	2.03
	कुल	2.30	2.32
अनुसूची 2:	जमाराशियां		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	1.01	1.00
	(ii) राज्य सरकारें	0.42	0.43
	उप योग	1.43	1.43
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,129.26	4,376.17
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	39.98	52.08
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	90.29	71.38
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	24.91	24.72
	(v) अन्य बैंक	209.64	184.14
	उप योग	5,494.08	4,708.49
	(सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप योग	0.00	0.00
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाते के प्रशासक	46.38	45.49
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि	257.47	331.14
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	19.05	16.80
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	2.13	23.47
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	3.38	3.52
	(vi) म्यूचुअल फंड	0.01	0.01
	(vii) अन्य	1,825.29	6,628.25
	उप योग	2,153.71	7,048.68
	कुल	7,649.22	11,758.60
अनुसूची 3:	अन्य देयताएं और प्रावधान		
	(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	1,963.44	2,640.34
	(ii) आस्तित्व विकास निधि (एडीएफ)	228.75	228.75
	(iii) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	6,644.80	9,771.41
	(iv) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस)	157.35	538.34
	(v) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	494.76	934.15
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	13.04	0.00
	(vii) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.00	59.25
	(viii) देयराशियों के लिए प्रावधान	22.81	26.00
	(ix) उपदान और अधिवर्षिता निधि	206.10	256.39
	(x) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	1,759.87	571.28
	(xi) देय बिल	0.08	0.02
	(xii) विविध	133.51	140.28
	कुल	11,624.51	15,166.21
अनुसूची 4:	जारी नोट		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	0.09	0.13
	(ii) संचलन में नोट	21,687.88	26,355.62
	कुल	21,687.97	26,355.75

2019-20 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

		2018-19	2019-20
अनुसूची 5:	नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैंक के पास)		
	(i) नोट	0.09	0.13
	(ii) रुपये सिक्के	0.00	0.00
	(iii) छोटे सिक्के	0.00	0.00
	कुल	0.09	0.13
अनुसूची 6:	स्वर्ण सिक्के और बुलियन		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण सिक्के और बुलियन	882.98	1,393.77
	(ii) जमा स्वर्ण	0.00	34.98
	उप योग	882.98	1,428.75
	(बी) निर्गम विभाग (जारी नोट के समर्थन के रूप में)	792.04	1,131.46
	कुल	1,675.02	2,560.21
अनुसूची 7:	निवेश-विदेशी		
	(i) निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	6,964.53	10,234.00
	(ii) निवेश-विदेशी - निर्गम विभाग	20,887.65	25,216.44
	कुल	27,852.18	35,450.44
अनुसूची 8:	निवेश घरेलू		
	(i) निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	9,898.77	11,720.27
	(ii) निवेश-घरेलू - निर्गम विभाग	0.00	0.00
	कुल	9,898.77	11,720.27
अनुसूची 9:	ऋण और अग्रिम		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) केंद्र सरकार	265.31	0.00
	(ii) राज्य सरकार	26.66	46.24
	उप योग	291.97	46.24
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	572.00	2,855.77
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	221.23
	(vi) अन्य	67.90	98.83
	उप योग	639.90	3,175.83
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिपो उधार- विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप योग	0.00	0.00
	कुल	931.87	3,222.07
अनुसूची 10:	सहयोगी संस्थाओं में निवेश		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	0.50
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	18.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमि. (आरईबीआईटी)	0.50	0.50
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	0.30	0.30
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएस)	0.34	0.34
	कुल	19.64	19.64

वार्षिक रिपोर्ट

		2018-19	2019-20
अनुसूची 11:	अन्य आस्तियां		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यहास को घटाकर)	6.51	8.16
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	330.81	345.35
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	3.27	3.47
	बी. अन्य मदों पर	327.54	341.88
	(iii) स्वेप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)	13.04	0.00
	(v) विविध	292.84	13.81
	कुल	643.20	367.32
अनुसूची 12:	ब्याज		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	583.43	703.04
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	10.46	-130.53
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	1.35	1.49
	(iv) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	14.98	35.57
	उप योग	610.22	609.57
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज आय	278.11	330.25
	(ii) रिपो / रिवर्स रिपो लेन-देन पर निवल ब्याज	-0.04	0.09
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	180.08	153.42
	उप योग	458.15	483.76
	कुल	1,068.37	1,093.33
अनुसूची 13:	अन्य आय		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	0.00	7.35
	(iii) कमीशन	22.72	24.31
	(iv) प्राप्त किराया	0.07	0.09
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	0.40	12.52
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यहास	-0.27	-0.09
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	21.45	16.81
	(viii) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	0.01	0.01
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	526.18	2.49
	उप योग	570.56	63.49
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-15.31	-27.42
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	16.76	67.39
	(iii) विदेशी मुद्रा लेनदेनों से प्राप्त विनिमय पर लाभ/हानि	289.98	299.93
	उप योग	291.43	339.90
	कुल	861.99	403.39
अनुसूची 14:	एजेंसी प्रभार		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	38.17	37.88
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हमीदारी कमीशन	0.74	0.61
	(iii) विविध (राहत /बचत बॉन्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया, हैंडलिंग प्रभार और टर्नओवर कमीशन)	0.02	0.06
	(iv) बाहरी आस्तित्व-प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क	0.17	0.21
	कुल	39.10	38.76

30 जून 2020 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य “बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।”

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- ए) बैंक नोट एवं सिक्कों का निर्गम।
- बी) मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करना।
- सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- ई) विदेशी मुद्रा का प्रबंध कर्ता।
- एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।
- जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।
- एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।
- आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए और निर्गम विभाग की आस्तियाँ निर्गम विभाग की

देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा उस समय संचलनगत बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 परंपरा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित प्ररूप में तैयार किये जाते हैं। ये विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं, केवल वहाँ छोड़कर जहाँ पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु संशोधन किए गए हैं। विदेशी प्रतिभूतियों और स्वर्ण के मूल्यन की आवृत्ति को छोड़ दिया जाए तो इन विवरणों को तैयार करने में अपनायी गयी लेखांकन-नीतियां वहीं हैं जिन्हें पिछले वर्ष अपनाया गया था। इस वर्ष के दौरान उक्त मूल्यन आवृत्ति को ‘मासिक’ से बदलकर ‘साप्ताहिक और मासिक’ कर दिया गया है।

2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाने के बाद उपचय के आधार पर शेयरों पर लाभांश आय को निर्धारित किया जाता है।

(बी) कतिपय अस्थायी खातों यथा- देय ड्राफ्ट खाता, भुगतान आदेश खाता, फुटकर जमा खाता-विविध, विप्रेषण व समाशोधन खाता, बयाना जमाराशि खाता तथा प्रतिभूति जमा खाता- में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए

गैर-दावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में शामिल किया जाता है। यदि कोई दावा होता है, तो भुगतान के वर्ष में उस पर विचार किया जाता है और उसे आय में से घटा दिया जाता है।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस को लागू विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

(डी) विदेशी मुद्राओं और स्वर्ण की बिक्री पर मिलने वाले विनिमय लाभ / हानि के मामले में लागत ज्ञात करने हेतु भारित औसत लागत पद्धति का इस्तेमाल करते हुए इसे हिसाब में लिया जाता।

2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेन का लेखांकन निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) स्वर्ण

स्वर्ण (जमा किए गए स्वर्ण सहित) का पुनर्मूल्यन प्रत्येक सप्ताह और माह के अंतिम कारोबारी दिन को, मूल्यन की तारीखों को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) द्वारा यूएस डालर में कोट की गयी स्वर्ण की कीमतों तथा रुपया-डालर बाजार विनिमय दर के 90 प्रतिशत मूल्य पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यन लाभ/हानि का लेखांकन मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह/माह के आखिरी कारोबारी दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के

अंतरण से होने वाले लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है।

खजाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय “परिपक्वता तक धारित” प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यू.के. द्वारा जारी बाण्डों में किए गए निवेश, जिनका मूल्यांकन लागत आधार पर किया जाता है) को छोड़कर, विदेशी प्रतिभूतियों के मूल्य को प्रत्येक सप्ताह और माह के अंतिम कारोबारी दिवस को विद्यमान बाजार-मूल्य (एमटीएम) पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अप्राप्त लाभ/हानि को ‘निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस)’ में दर्ज किया जाता है। आईआरए-एफएस के जमा शेष को अगले वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-एफएस के नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अगले लेखा वर्ष के पहले कारोबारी दिवस को आकस्मिकता निधि में वापस जमा कर दिया जाता है।

विदेशी ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पेपर्स को डिस्काउंट का परिशोधन करके यथा समायोजित लागत पर रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम अथवा डिस्काउंट का परिशोधन दैनिक आधार पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/हानि को अंकित मूल्य के संदर्भ में मान्य किया जाता है। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों, आईआरए-एफएस में रखी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यन से हुए लाभ/हानि को आय-खाते में अंतरित किया जाता है।

सी) वायदा / स्वैप संविदाएं

बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। जिसमें, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को ‘विदेशी मुद्रा वायदा

संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदाओं पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि की प्रतिप्रविष्टि कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

30 जून को एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, को सीएफ के लिए प्रभारित किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस को इसकी प्रतिप्रविष्टि की जाती है। आरएफसीए और पीएफसीवीए की शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन पर हुए क्रमशः लाभ या हानि को दर्शाती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप, जो रिपो के रूप में होती है, भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है। अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जहाँ एफसीवीए एवं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं' का हिस्सा होते हैं, वहीं आरएफसीए तथा एसएए 'अन्य आस्तियों' के तहत दर्शाए जाते हैं।

2.4 शेयर बाजार में व्यापार योग्य मुद्रा व्युत्पन्नियों का लेनदेन (ईटीसीडी)

ईटीसीडी लेनदेन के जरिए बैंक द्वारा बाजार में हस्तक्षेप किया जाता है और इन्हें दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर दर्शाया जाता है एवं इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

(ए) नीचे (डी) में दर्शाई गई प्रतिभूतियों को छोड़कर रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों को माह के अंतिम कारोबारी दिवस को बाजार भाव पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यन पर हुए लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यन खाता-रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)' में दर्ज किया जाता है। आईआरए-आरएस में जमा शेष को आगामी लेखा वर्ष के लिए ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-आरएस में नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिकता निधि (सीएफ) पर प्रभारित किया जाता है और आगामी लेखा वर्ष के प्रथम कार्यदिवस को इस राशि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों की बिक्री/मोचन करने पर बेची गई/मोचित रुपया प्रतिभूतियों/तेल बांडों संबंधी मूल्यन लाभ/हानि, जो आईआरए-आरएस में दर्ज है, को आय खाते में अंतरित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों का परिशोधन भी दैनिक आधार पर किया जाता है।

(बी) खजाना बिलों का मूल्यन लागत मूल्य पर किया जाता है।

(सी) अनुषंगियों के शेयरों में किए गए निवेश का मूल्यन लागत आधार पर किया जाता है।

(डी) तेल बांडों और रुपया प्रतिभूतियों को, जिन्हें विभिन्न प्रकार की स्टाफ निधियों (यथा ग्रेच्युटी एवं अधिवर्षिता, भविष्य निधि, छुट्टी का नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि) तथा जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) के लिए चिह्नित किया गया है उन्हें 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधित लागत पर धारित किया जाता है।

(ई) घरेलू निवेश के तहत किए गए लेनदेन का लेखांकन निपटान तारीख के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो/ रिवर्स रिपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के अंतर्गत रिपो लेनदेन को ऋण माना जाता है और तदनुसार, इनको 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो लेनदेन को जमा राशियां माना जा रहा है और इन्हें 'जमाराशि-अन्य' के तहत दर्शाया जा रहा है।

2.7 अचल आस्तियां

(ए) कला तथा पेंटिंग्स एवं पूर्ण स्वामित्व वाले भूभाग, जो कि लागत मूल्य पर दर्शाए जाते हैं, के अलावा अचल आस्तियों को उनकी लागत में से मूल्यहास को घटाते हुए दर्शाया जाता है।

(बी) वर्ष (1 जुलाई से 30 जून तक) के दौरान अधिग्रहीत तथा पूंजीकृत भूमि तथा भवन के अलावा अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास पूंजीकरण वाले महीने से आनुपातिक रूप में मासिक आधार पर माना जाएगा और प्रयुक्त आस्ति की उपयोगिता अवधि के आधार पर निर्धारित की गयी दरों पर वार्षिक आधार पर प्रभावी होगा।

(सी) नीचे दी हुई अचल आस्तियों (₹0.10 मिलियन से अधिक की लागत वाली) पर मूल्यहास आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती करते हुए निम्नानुसार किया जाता है :

आस्ति श्रेणी	उपयोगी जीवन मूल्यहास की दर
बिजली के उपकरण, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, जुड़नार, सीवीपीएस/एसबीएस मशीनें इत्यादि।	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कम्प्यूटर, सर्वर, माइक्रोप्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

(डी) ₹0.10 मिलियन तक की लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से लाने-ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप / ई-बुक रीडर को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय पर प्रभारित की जाती हैं। लैपटॉप जैसी आसानी से लाने-ले जाने योग्य ₹10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को लागू दरों पर पूंजीकृत

किया जाता है और मूल्यहास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

(ई) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की विशिष्ट मदों, जिनकी लागत ₹0.10 मिलियन या उससे अधिक हो, को पूंजीकृत किया जाता है और उन पर मूल्यहास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।

(एफ) मूल्यहास का प्रावधान, छमाही की समाप्ति पर मौजूद अचल आस्तियों की शेष राशि पर प्रति माह आनुपातिक आधार पर किया जाता है। भूमि और भवन को छोड़कर अन्य आस्तियों के बढ़ने या घटने की स्थिति में मूल्यहास मासिक आनुपातिक आधार पर किया जाता है जिसमें इस प्रकार की आस्ति के बढ़ने या कम होने का माह भी शामिल किया जाता है।

(जी) अनुवर्ती व्यय के संबंध में मूल्यहास :

- वर्तमान अचल आस्ति के संबंध में किए जाने वाले उस अनुवर्ती व्यय, जिसका मूल्यहास पूर्णरूप से लेखा बही में नहीं दर्शाया गया हो, के मूल्यहास की गणना मूल आस्ति की बची हुई उपयोगिता अवधि के आधार पर की जाती है; और
- पहले से मौजूद ऐसी अचल आस्तियाँ, जिनका मूल्यहास पहले ही लेखा बहियों में पूर्ण रूप से दर्शाया जा चुका हो, उनके आधुनिकीकरण/ वृद्धि/ मरम्मत करने पर होने वाले अनुवर्ती व्यय को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यहास पूर्णरूप से उसी वर्ष किया जाता है जिसमें व्यय किया गया हो।

(एच) भूमि एवं भवन : भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

भूमि

- 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियाँ माना जाता है और इसीलिए इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

- ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।
- iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

- i. सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष माना जाता है और इन पर मूल्यहास तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि तीस वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।
- ii. भवनों को हुई क्षति : क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

ए. ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा : ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यहास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यहास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

बी. जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/जिन्हें खाली कर दिया गया है : ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा स्क्रेप मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) को दर्ज किया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक

हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने वाले मूल्य (निवल बिक्री मूल्य) / स्क्रेप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

- ए. बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- बी. दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित अन्य देयता का प्रावधान 'अनुमानित इकाई क्रेडिट' प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.5 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.5.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

XII.5.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ राशि को इस निधि में जमा

किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को सीजीआरए में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'अन्य देयताओं' की मद का एक हिस्सा है।

XII.5.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के अनुसार ₹0.10 बिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष ₹0.01 बिलियन की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹0.29 बिलियन थी।

बी) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹0.50 बिलियन की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹0.01 बिलियन की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹2.03 बिलियन की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष ₹0.01 बिलियन रुपयों की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.5.4 जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्विजिशन बैंक) और नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ), आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

कुल जमाराशि में 53.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2019 के ₹7,649.22 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को ₹11,758.60 बिलियन हो गयी।

ए. जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2019 के ₹1.01 बिलियन और ₹0.42 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमशः ₹1.00 बिलियन और ₹0.43 बिलियन थीं।

बी. जमाराशियां - बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 14.30 प्रतिशत की गिरावट आयी और यह 30 जून 2019 के ₹5,494.08 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को ₹4,708.49 बिलियन हो गयी।

सी. जमाराशियां - अन्य

‘जमाराशियां - अन्य’ में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां आदि शामिल होती हैं। ‘जमाराशियां-अन्य’ जो कि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹2,153.71 बिलियन थी, इसमें 227.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2020 को ₹7,048.68 बिलियन हो गयी जिसका प्रमुख कारण आरबीआई के पास रिवर्स रिपो जमा में हुई वृद्धि थी।

XII.5.5 अन्य देयताएं और प्रावधान

‘अन्य देयताओं और प्रवाधानों’ के प्रमुख घटक जोखिम प्रावधान और पुनर्मूल्यन शीर्ष हैं। ‘अन्य देयताएं और प्रावधान’ की राशि 30 जून 2019 के अनुसार ₹11,624.51 बिलियन थी, इसमें 30.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2020 को ₹15,166.21 बिलियन हो गयी जिसका प्रधान कारण सीजीआरए में हुई वृद्धि थी।

i. जोखिम प्रावधान

बैंक के दो जोखिम प्रावधान हैं अर्थात्, सीएफ और एडीएफ। इन निधियों के लिए किए गए प्रावधान आरबीआई

अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार किए गए हैं। उनके विवरण निम्नानुसार हैं :

ए. आकस्मिक निधि (सीएफ)

इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यहास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम शामिल हैं। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार, एफसीवीए के नामे शेष के कारण सीएफ पर ₹59.25 बिलियन का प्रभार लगाया गया। अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर सीएफ का प्रभार प्रत्यावर्तित किया गया। इसके अलावा, सीएफ के लिए ₹736.15 बिलियन का प्रावधान किया गया। तदनुसार, 30 जून 2019 के ₹1,963.44 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को सीएफ शेष राशि ₹2,640.34 बिलियन थी।

बी. आस्तिक विकास निधि (एडीएफ)

आस्तिक विकास निधि 1997-98 में बनाई गई और उसकी शेष राशि उस तारीख तक विशेष रूप से अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाती है। इसे बैंक के जोखिम प्रावधानों के हिस्से के रूप में भी माना जाता है। वर्ष 2019-20 में एडीएफ को हस्थानांतरित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। अतः, 30 जून 2020 को एडीएफ की शेष राशि ₹228.75 बिलियन बन रह थी (सारणी XII.2)।

ii. पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्यों (एमटीएम) लाभ/हानि को पुनर्मूल्यन शीर्ष अर्थात् सीजीआरए, आईआरए-एफएस, आईआरए-

सारणी XII.2 : जोखिम प्रावधानों में शेष राशि

(₹ बिलियन में)

30 जून की स्थिति के अनुसार	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि कुल	कुल	आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
2016	2,201.83 [@]	227.61	2,429.44	7.5
2017	2,282.07 [#]	228.11	2,510.18	7.6
2018	2,321.08 [^]	228.11	2,549.19	7.05
2019	1,963.44 ^{&}	228.75	2,192.19	5.34
2020	2,640.34 [*]	228.75	2,869.09	5.38

@: 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार वायदा संविदा पर हुई एमटीएम हानि की वजह से एफसीवीए के नाम शेष प्रभारित करने के कारण सीएफ में गिरावट हुई।

: 30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹131.40 बिलियन के प्रावधान और आईआरएस एवं एफसीवीए के ₹65.85 बिलियन राशि के नाम शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

^ : 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹141.90 बिलियन के प्रावधान और आईआरएस-एफएस के ₹168.74 बिलियन राशि के नाम शेष को प्रभारित करने की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई।

& : 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार सीएफ में आयी गिरावट ₹526.37 बिलियन के अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन किए जाने के कारण है।

* : 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹736.15 बिलियन के प्रावधान और ₹59.25 बिलियन राशि के वायदा संविदाओं पर एमटीएम हानि की वजह से एफसीवीए में नाम शेष प्रभारित करने के निवल प्रभाव के चलते सीएफ में वृद्धि हुई।

आरएस और एफसीवीए में अंकित किया जाता है। उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

ए. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

रिजर्व बैंक के समक्ष आए बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसीलिए, सीजीआरए में निवल शेष आस्त आधार के आकार, इसके मूल्यन और विनिमय दरों तथा स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के साथ परिवर्तन होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर / स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के लिए एक बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता है, या स्वर्ण की

कीमतों में गिरावट आती है, तो इस पर दबाव आ सकता है। यदि विनिमय घाटे को पूरा करने के लिए सीजीआरए पर्याप्त नहीं होता, तो इसकी भरपायी आकस्मिकता निधि से की जाती है। 2019-20 के दौरान, सीजीआरए शेष में 30 जून 2019 के ₹6644.80 बिलियन से वृद्धि हुई और यह 30 जून 2020 को ₹9,771.41 बिलियन हो गया जिसका मुख्य कारण रुपये का अवमूल्यन तथा स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि है।

बी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस)

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों (एमटीएम) के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार आईआरए-एफएस की शेष राशि ₹157.35 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹538.34 बिलियन हो गयी।

सी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता – रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और ऑयल बॉन्डों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत यथा उल्लिखित अपवाद सहित) का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश आईआरए-आरएस में दर्ज किया जाता है। आईआरए-आरएस में शेष राशि 30 जून 2019 के ₹494.76 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 को ₹934.15 बिलियन हो गयी क्योंकि इस वर्ष के दौरान रुपया प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई थी और बैंक द्वारा धारित भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफलों में गिरावट आयी थी।

डी. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए)

30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन करने पर निवल ₹59.25 बिलियन की अप्राप्त हानि हुई जिसे एफसीवीए में नामे डालते हुए इसकी प्रतिप्रविष्टि आरएफसीए में जमा करके की गयी। वर्तमान नीति के अनुसार, 30 जून 2020 को एफसीवीए के ₹59.25 बिलियन नामे शेष को सीएफ में समायोजित किया गया। तदनुसार, एफसीवीए की शेष राशि 30 जून 2019 के ₹13.04 बिलियन की तुलना में शून्य थी। साथ ही, नीति के अनुसार, अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर एफसीवीए और पीएफसीवीए में शेष राशि संविदा की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती है।

iii. वायदा संविदा मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) हेतु प्रावधान

बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन करने पर हुई निवल हानि उपर बताए गए अनुसार पीएफसीवीए में क्रेडिट की गयी। 30 जून 2019 के शून्य शेष की तुलना में 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार एफसीवीए की शेष राशि ₹59.25 बिलियन थी।

पिछले पाँच वर्षों के लिए पुनर्मूल्यन खाते तथा वायदा संविदा मूल्यन खाते में शेष राशि की स्थिति सारणी XII.3 में दी गई है।

सारणी XII.3: सीजीआरए, एफसीवीए, पीएफसीवीए, आईआरए-एफएस और आईआरए-आरएस में शेष राशियां
(₹ बिलियन में)

30 जून की स्थिति	सीजीआरए	एफसीवीए	पीएफसीवीए	आईआरए-एफएस	आईआरए-आरएस
1	2	3	4	5	6
2016	6,374.78	0.00	14.69	132.66	391.46
2017	5,299.45	0.00	29.63	0.00	570.90
2018	6,916.41	32.62	0.00	0.00	132.85
2019	6,644.80	13.04	0.00	157.35	494.76
2020	9,771.41	0.00	59.25	538.34	934.15

iv. देय राशि के लिए किए गए प्रावधान

इस मद के तहत, किए गए खर्च जिसकी अदायगी न की गयी हो और अग्रिम के रूप में प्राप्त/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2019 के ₹22.81 बिलियन से 13.99 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 में ₹26 बिलियन रह गई।

v. केंद्र सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यहास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अतिकर का भुगतान नहीं करना है। तदनुसार, व्यय समायोजित करने के बाद सीएफ के लिए प्रावधान तथा चार सांविधिक निधियों के प्रति ₹0.04 बिलियन अंशदान के बाद 2019-20 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹571.28 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹7.16 बिलियन की तुलना में ₹6.32 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर भारत सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)।

vi. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्टों (डीडी) और भुगतान आदेशों (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद के अंतर्गत शेष बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाता

है। इस मद के अंतर्गत बकाया राशि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹0.08 बिलियन से घटकर 30 जून 2020 को ₹0.02 बिलियन रह गयी।

vii. विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण के कारण देय राशियां, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹133.51 बिलियन थी जो बढ़कर 30 जून 2020 को ₹140.28 बिलियन हो गयी।

XII.5.6 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताओं से संचलनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। 'जारी किए गए नोटों' की संख्या 30 जून 2019 को ₹21,687.97 बिलियन थी जो 30 जून 2020 को 21.52 प्रतिशत बढ़कर ₹26,355.75 बिलियन हो गई। यह वृद्धि जनसाधारण की लेन-देन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में बैंक नोट उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनवरत किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी। साथ ही, 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य को दर्शाने वाली ₹107.20 बिलियन की राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था, उसे 'अन्य देयताएं तथा प्रावधान' में अंतरित कर दिया गया। दिनांक 12 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹0.06 बिलियन राशि के विनिमय मूल्य की अदायगी पात्र नोट प्रस्तुतकर्ताओं को की।

XII.6 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.6.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

इस शीर्ष में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों को दर्शाया गया है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹0.13 बिलियन थी जबकि 30 जून 2019 को यह शेष राशि ₹0.09 बिलियन थी।

ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन

रिज़र्व बैंक के पास 30 जून 2019 के 618.16 मीट्रिक टन की तुलना में 30 जून 2020 को 661.41 मीट्रिक टन स्वर्ण है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान 43.25 मीट्रिक टन अतिरिक्त स्वर्ण शामिल करने के कारण हुई है।

30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार उक्त 661.41 मीट्रिक टन में से 292.30 मीट्रिक टन जारी किए गए नोटों के समर्थन में धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 30 जून 2019 के शेष 325.86 मीट्रिक टन की तुलना में 30 जून 2020 को धारित 369.11 मीट्रिक टन स्वर्ण बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाता है (सारणी XII.4)।

सारणी XII.4: स्वर्ण की वास्तविक धारिता

	30 जून 2019 के अनुसार मात्रा मीट्रिक टन में	30 जून 2020 के अनुसार मात्रा मीट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोटों को सहारा देने हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.30	292.30
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	325.86	369.11
कुल	618.16	661.41

बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2019 के ₹882.98 बिलियन से 61.81 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 को ₹1,428.75 बिलियन हो गया, इसका प्राथमिक कारण वर्ष के दौरान 43.25 मीट्रिक टन सोने के जुड़ने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत का बढ़ना रहा है।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2019-20 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की बही में इस प्रकार की कोई आस्ति नहीं है।

iv) निवेश-विदेश-बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की एफसीए में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियाँ (iii) वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं में जमाराशियाँ (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं।

एफसीए को तुलन-पत्र में दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है : (ए) 'निवेश-विदेश-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है तथा (बी) 'निवेश-विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

निवेश-विदेश-आईडी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार पात्र, एफसीए है जो जारी नोटों के समर्थन के लिए उपयोग की जाती है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के शेष से 'निवेश-विदेश-बीडी' तैयार होता है।

पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

v) निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेश में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष ऑयल बॉन्ड शामिल हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित घरेलू प्रतिभूतियाँ जो कि 30 जून 2019 को ₹9,898.77 बिलियन थीं वे 18.40 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 को ₹11,720.27 बिलियन हो गईं। यह वृद्धि ₹1,815.03 बिलियन (अंकित मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियों की निवल खरीद के माध्यम से किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के कारण हुई थी।

सारणी XII.5: एफसीए का विवरण

विवरण	(₹ बिलियन में)	
	30 जून की स्थिति	
	2019	2020
1	2	3
I निवेश-विदेश-आईडी	20,887.65	25,216.44
II निवेश-विदेश-बीडी*	6,964.53	10,234.00
कुल	27,852.18	35,450.44

*: इसमें बीआईएस और स्विफ्ट के शेयर और 30 जून 2019 के ₹103.21 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹112.11 बिलियन पर मूल्यांकित भारत सरकार से अंतरित एसडीआर शामिल हैं।

टिप्पणियाँ:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। वर्तमान में एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता 4.44 बिलियन एसडीआर (₹462.59 बिलियन/यूएस\$ 6.13 बिलियन) बैठती है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार एनएबी के तहत एसडीआर 0.22 बिलियन (₹22.91 बिलियन/यूएस\$ 0.30 बिलियन) राशि का निवेश किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉन्डों में राशि, जो कुल 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹377.55 बिलियन) से अधिक नहीं होगी, के निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉन्डों में यूएस\$ 1.86 बिलियन (₹140.68 बिलियन) का निवेश किया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार, 2016 के अनुसार, रिज़र्व बैंक यूएस\$ 10 बिलियन (₹755.10 बिलियन) के समतुल्य राशि हेतु एसडीआर में अंकित आईएमएफ नोट्स की खरीद करेगा।
- वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास एसडीआर 1.05 बिलियन (₹109.01 बिलियन/यूएस\$ 1.44 बिलियन) की धारिता थी।
- रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के तहत सार्क सदस्य देशों के क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में मिलाकर यूएस\$ 2 बिलियन की राशि की पेशकश करने पर सहमति दर्शाई है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार भूटान और मालदीव के साथ क्रमशः यूएस\$ 0.19 बिलियन (₹14.28 बिलियन) और यूएस\$ 0.15 बिलियन (₹11.33 बिलियन) बकाया स्वैप है।

निवेश-घरेलू-बीडी के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में वर्णित के अनुसार बहुत सी स्टाफ निधियों तथा डीईए निधि के लिए भी रखा गया है। 30 जून 2020 के अनुसार ₹676.09 बिलियन (अंकित मूल्य) को एक साथ ली गई स्टाफ निधि तथा डीईए निधि के लिए रखी गयी है।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं भारत सरकार से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। केंद्र सरकार का ऋण और अग्रिम 30 जून 2019 के ₹265.31 बिलियन से घटकर 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार शून्य हो गए चूंकि केंद्र सरकार उस दिन अधिशेष में थी। जबकि राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 30 जून 2019 के ₹26.66 बिलियन की तुलना में बढ़कर 30 जून 2020 को ₹46.24 बिलियन हो गए।

बी) वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम

- वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम :

इसमें मुख्यतः एलएएफ और एमएसएफ और बैंकों के लिए विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत रिपो के प्रति बकाया राशि शामिल हैं। बकाया राशि 30 जून

2019 की ₹572 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹2,855.77 बिलियन हो गई, इसका मुख्य कारण बैंकों के लिए रिपो के एवज में बकाया राशि में वृद्धि रही।

- नाबार्ड को ऋण और अग्रिम :

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2019 की शून्य स्थिति से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹221.23 बिलियन हो गयी।

- अन्य को ऋण और अग्रिम :

इस मद के तहत शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता शामिल हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2019 की ₹67.90 बिलियन से 45.55 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 को ₹98.83 बिलियन हो गई, जिसका प्रमुख कारण एनएचबी को ऋण और अग्रिम में वृद्धि थी।

vii) अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में निवेश

30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक का, अपनी अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में कुल धारिता पिछले वर्ष के समान ₹19.64 बिलियन थी। इसका विवरण सारणी XII.6 में दिया गया है।

viii) अन्य आस्तियां

‘अन्य आस्तियों’ में अचल आस्तियां (मूल्यहास का निवल), उपचित आय, एसएए, आरएफसीए तथा विविध आस्तियों में धारित शेष होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण

सारणी XII.6: 2019-20 में अनुषंगी/सहायक संस्थाओं में धारिताएं

अनुषंगी/सहायक संस्थाओं	(राशि ₹ 30 जून 2020 तक बिलियन में)	प्रतिशत धारिता
1	2	3
ए) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	100
बी) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	100
सी) भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा) लि. (आरईबीआईटी)	0.50	100
डी) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	0.30	30
ई) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएस)	0.34	100
कुल	19.64	

परियोजनाओं पर किए गए व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि आदि शामिल हैं। अन्य आस्तियों के तहत शेष राशि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹643.20 बिलियन थी जो 42.89 प्रतिशत घटकर 30 जून 2020 को ₹367.32 बिलियन रह गयी।

ए. स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

स्वैप के मामले में, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रिपो जैसा है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा की गयी है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जाता है और इसे एसएए में धारण किया गया है। इस खाते में धारित राशियों को बकाया संविदाएं परिपक्व हो जाने पर प्रत्यावर्तित किया जाना है। 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार कोई भी बकाया संविदाएं नहीं हैं।

बी. वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

मौजूदा नीति के अनुसार वायदा संविदाओं को बाजार भाव पर अर्धवार्षिक आधार पर दर्शाया जाता है और इससे हुए निवल लाभ को एफसीवीए में दर्ज करना होता है और उसकी प्रति-प्रविष्टि (कान्ट्रा एंट्री) आरएफसीए में की जाती है। आरएफसीए शेष 30 जून 2019 की स्थिति ₹13.04 बिलियन की तुलना में 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार शून्य था।

XII.6.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, निवेश-विदेश-आईडी, भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 661.41 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.30 मीट्रिक टन भारत में 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों को समर्थन प्रदान के लिए रखा गया है (सारणी XII.4)। जारी किए गए नोटों को समर्थन देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2019 को ₹792.04 बिलियन था, जो 42.85 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2020 को ₹1,131.46 बिलियन हो गया। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को समर्थन देने के लिए धारित निवेश-विदेश-आईडी 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹20,877.65 बिलियन थी, जो 20.72 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून 2020 को ₹25,216.44 बिलियन हो गई। निर्गम विभाग द्वारा धारित रुपया सिक्कों की शेष राशि 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹8.28 बिलियन से 5.19 प्रतिशत से घटकर 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹7.85 बिलियन रह गई।

XII.7 विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)

XII.7.1 एफईआर में एफसीए, स्वर्ण, एसडीआर एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल है। विशेष आहरण अधिकार,

(भारत सरकार से प्राप्त राशि के अलावा और निवेश-विदेश-बीडी में शामिल) रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं होते हैं। इसी प्रकार, रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी), आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में अंशदान के रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2019 एवं 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) में प्रस्तुत है।

सारणी XII.7 (ए): विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)

(₹ बिलियन में)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2019	2020	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	27,616.45 [^]	35,175.14 [#]	7,558.69	27.37
स्वर्ण	1,675.02 [@]	2,560.21 [*]	885.19	52.85
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	100.36	109.23	8.87	8.84
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्च की स्थिति (आरटीपी)	231.69	341.12	109.43	47.23
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	29,623.52	38,185.70	8,562.18	28.90

[^] : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिताएं जो ₹100.36 बिलियन के समतुल्य हैं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹128.39 बिलियन का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को ₹6.98 बिलियन का उधार।

[#] : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की ₹109.01 बिलियन की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹140.68 बिलियन का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत मालदीव को दिए गए ₹11.33 बिलियन उधार और भूटान को दिए गए ₹14.28 बिलियन उधार।

[@] : इसमें से ₹792.04 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹882.98 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

^{*} : इसमें से ₹1,131.46 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,428.75 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7 (बी): विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2019	2020	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	400.71 [*]	465.83 ^{**}	65.12	16.25
स्वर्ण	24.30	33.90	9.60	39.51
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1.46	1.45	(-) 0.01	(-) 0.68
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्च की स्थिति (आरटीपी)	3.36	4.52	1.16	34.52
विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर)	429.83	505.70	75.87	17.65

^{*} : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की 1.46 बिलियन अमरीकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में 1.86 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य 0.1 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार।

^{**} : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की 1.44 बिलियन अमरीकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में 1.86 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराई गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत मालदीव को रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य 0.15 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार और भूटान को रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य 0.19 बिलियन अमरीकी डॉलर उधार।

आय और व्यय का विश्लेषण

XII.8 आय

XII.8.1 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटकों में 'ब्याज से होने वाली प्राप्तियां', जो आय का प्रमुख भाग है तथा 'अन्य आय' हैं, जिनमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय (iii) कमीशन (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों से मिलने वाले प्रीमियम/ डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं विमोचन से हुआ लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियो हस्तांतरण पर मूल्यहास (vii) प्राप्त किराया (viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ अथवा हानि एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं। आय के कतिपय मद, जैसे, एलएएफ रिपो से प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रिपो

और विनिमय लाभ/हानि निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.8.2 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2018-19 में ₹749.58 बिलियन थी, जो 9.88 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹823.66 बिलियन हो गई, जो एफसीए के स्तर में वृद्धि, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और वर्ष की पहली छमाही में सभी मुद्राओं में प्रतिलाभ/ब्याज दरों में सामान्य बढ़ोतरी के कारण हुए। विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2018-19 की 2.79 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में 2.65 प्रतिशत पर थी (सारणी XII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.8.3 घरेलू स्रोतों से होने वाली आय 2018-19 में ₹1,180.78 बिलियन थी, जो 2019-20 में ₹673.06 बिलियन हो गई। पिछले वर्ष की आय में आकस्मिक निधि के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान की राशि ₹526.37 बिलियन शामिल थी। पिछले वर्ष की आय से उक्त राशि शामिल किए बिना की गयी तुलना, 2019-20 की आय में मामूली वृद्धि दर्शाता है (सारणी XII.9)। बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के अवशोषण के कारण एलएएफ/एमएसएफ के तहत ब्याज पर

निवल ब्याज बहिर्गमन से वर्तमान वर्ष की आय भी प्रभावित हुई है।

XII.8.4 रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को धारण करने से होने वाला ब्याज 2018-19 में ₹583.43 बिलियन था, जो 20.50 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹703.04 बिलियन हो गया जो कि 2019-20 में रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता में ₹1,815.03 बिलियन (अंकित मूल्य) की निवल खरीद से हुई बढ़ोतरी के कारण हुआ।

XII.8.5 एलएएफ/एमएसएफ परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज आय 2018-19 में ₹11.81 बिलियन से घटकर 2019-20 में ₹(-)129.04 बिलियन हो गई, जो बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष के अवशोषण के कारण एलएएफ/एमएसएफ के तहत ब्याज पर निवल ब्याज बहिर्गमन के कारण था। उच्च बैंकिंग प्रणाली अधिशेष, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणाली-स्तर की चलनिधि को बढ़ाने और कोविड-19 के कारण होने वाले व्यवधानों के कारण धन की कमी का सामना करने वाले विशिष्ट क्षेत्रों को चलनिधि चैनलाइज करने के लिए किए गए समर्थक सक्रिय चलनिधि प्रबंधन परिचालन के कारण था।

XII.8.6 रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और शोधन पर होने वाला लाभ 2018-19 के ₹0.40 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में ₹12.52 बिलियन हो गया जो 2018-19 में ₹0.60 बिलियन (अंकित मूल्य) की रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री की तुलना में 2019-20 में ₹421.11 बिलियन (अंकित मूल्य) की उच्च बिक्री संचालन के कारण हुआ था।

XII.8.7 रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्ड के परिशोधन से प्राप्त होने वाला प्रीमियम/डिस्काउंट : रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है और प्रीमियम/डिस्काउंट को आय शीर्ष में जमा किया जाता है। घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट से होने

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

मद	(₹ बिलियन में)			
	2018-19	2019-20	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	27,852.18	35,450.44	7,598.26	27.28
औसत एफसीए	26,896.92	31,103.66	4,206.74	15.64
एफसीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/हानि)	749.58	823.66	74.08	9.88
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	2.79	2.65	-0.14	-5.02

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ बिलियन में)

मद	2018-19	2019-20	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III+IV)	1,180.78	673.06	-507.72	-43.00
I. रुपये प्रतिभूतियों और बट्टा लिखतों से अर्जन				
i) रुपये प्रतिभूतियों और तेल बॉन्ड की धारिता पर ब्याज	583.43	703.04	119.61	20.50
ii) रुपये प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ	0.40	12.52	12.12	3,030.00
iii) रुपये प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास	-0.27	-0.09	0.18	66.67
iv) रुपये प्रतिभूतियों और तेल बॉन्ड पर प्रीमियम/बट्टा का परिशोधन	21.45	16.81	-4.64	-21.63
v) बट्टा	0.00	7.35	7.35	-
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	605.01	739.63	134.62	22.25
II. एलएएफ/एमएसएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	10.46	-130.53	-140.99	-1,347.90
ii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	1.35	1.49	0.14	10.37
उप जोड़ (i+ii)	11.81	-129.04	-140.85	-1,192.63
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केंद्र और राज्य)	12.85	23.14	10.29	80.08
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1.47	11.75	10.28	699.32
iii) कर्मचारी	0.66	0.68	0.02	3.03
उप जोड़ (i+ii+iii)	14.98	35.57	20.59	137.45
IV. अन्य अर्जन				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	22.72	24.31	1.59	7.00
iii) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध	526.26	2.59	-523.67	-99.51
उप जोड़ (i+ii+iii)	548.98	26.90	-522.08	-95.10

वाली निवल आय 2018-19 में ₹21.45 बिलियन थी जो 21.63 प्रतिशत घटकर 2019-20 में ₹16.81 बिलियन रह गई।

XII.8.8 बट्टा-घरेलू : वर्ष 2019-20 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने बट्टागत लिखतों [टी-बिल तथा नकदी प्रबंधन बिल(सीएमबी)] की धारिता पर ₹7.35 बिलियन अर्जित किए। वर्ष 2018-19 के दौरान रिज़र्व बैंक ने कोई भी बट्टागत लिखतों को धारित नहीं किया था।

XII.8.9 ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज

ए. केंद्र और राज्य सरकार :

केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय

2018-19 के ₹12.85 बिलियन से 80.08 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹23.14 बिलियन हो गई। केंद्र से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज से होने वाली आय 2018-19 के ₹10.65 बिलियन से 100.09 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹21.31 बिलियन हो गई और राज्य से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) पर ब्याज से होने वाली आय 2018-19 के ₹2.20 बिलियन से 16.82 प्रतिशत घटकर 2019-20 में ₹1.83 बिलियन रह गई। यह बढ़ा हुआ निवल अर्जन 2019-20 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी सुविधा का उच्चतर प्रयोग करने के कारण रहा।

बी. बैंक और वित्तीय संस्थाएं : बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2018-19 के ₹1.47 बिलियन से 699.32 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में ₹11.75 बिलियन हो गया।

सी. कर्मचारी : कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2018-19 के ₹0.66 बिलियन से 3.03 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹0.68 बिलियन हो गया।

XII.8.10 कमीशन : कमीशन आय 2018-19 के ₹22.72 बिलियन से 7.00 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹24.31 बिलियन हो गई, जिसकी प्रमुख वजह बचत बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, टी-बिल्स और सीएमबी सहित केंद्र और राज्य सरकार ऋणों की बकाया के लिए प्राप्त मैनेजमेंट कमीशन में बढ़ोतरी रही।

XII.8.11 प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय : आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन 2018-19 में ₹526.26 बिलियन था, जो 2019-20 में घटकर ₹2.59 बिलियन हो गया। पिछले वर्ष में सीएफ से अतिरिक्त जोखिम प्रावधान को इन प्रावधानों की और जरूरत नहीं में राइट बैक करने के कारण 2018-19 में आय उच्च रही।

XII.9 व्यय

XII.9.1 रिजर्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को करने के क्रम में एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों के मुद्रण, खजाने के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय के रूप में विभिन्न प्रकार के व्यय करता है। बैंक का कुल व्यय 2018-19 के ₹170.45 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में ₹925.40 बिलियन हो गया (सारणी XII.10), यह बढ़ोतरी मुख्यतः (ए) सीएफ के लिए ₹736.15 बिलियन राशि का जोखिम प्रावधान करने और (बी) प्रमुख रूप से बीमांकिक मूल्यांकन की वजह से कर्मचारी लागत बढ़ने के कारण हुई।

सारणी XII.10: व्यय

(₹ बिलियन में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ii. कर्मचारी लागत	44.77	46.21	38.48	68.51	89.28
iii. एजेंसी प्रभार/कमीशन	47.56	40.52	39.03	39.10	38.76
iv. नोटों का मुद्रण	34.21	79.65	49.12	48.11	43.78
v. प्रावधान	10.00	131.90	141.90	0.64	736.15
vi. अन्य	13.35	13.26	14.23	14.08	17.42
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	149.90	311.55	282.77	170.45	925.40

i) ब्याज भुगतान

वर्ष 2019-20 के दौरान ब्याज के रूप में ₹0.01 बिलियन की राशि डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा किया गया।

ii) कर्मचारी लागत

वर्ष 2019-20 में कुल कर्मचारी लागत 30.32 प्रतिशत बढ़कर ₹89.28 बिलियन हो गई जबकि 2018-19 में यह ₹68.51 बिलियन थी। इस बढ़ोतरी का कारण 2019-20 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के लिए बैंक के व्यय में बढ़ोतरी होना था।

iii) एजेंसी प्रभार/कमीशन

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिजर्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिजर्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। इन दरों में 01 जुलाई 2019 से संशोधन

किया गया। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी प्रभार वर्ष 2019-20 में 0.76 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ ₹37.88 बिलियन रहा जबकि 2018-19 में यह ₹38.17 बिलियन रहा था। ₹0.29 बिलियन की मामूली गिरावट ई-कुबेर इंटीग्रेशन के माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी लेनदेन प्रक्रिया और कोविड से उत्पन्न परिस्थिति के कारण संबंधित सरकारी लेनदेन में संभावित गिरावट के दोहरे प्रभाव के कारण हुई।

बी. *प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन*

रिजर्व बैंक द्वारा 2019-20 के दौरान कुल हामीदारी कमीशन के रूप में ₹0.61 बिलियन का भुगतान किया गया, जबकि 2018-19 में यह ₹0.74 बिलियन रहा था। जुलाई 2019-जून 2020 की अवधि में जी-सेक उधार कार्यक्रम में बढ़ोतरी और अंतिम तिमाही में कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितता देखी गई। तथापि, इन घटनाओं के चलते प्रतिलाभ में होने वाली संभावित बढ़ोतरी वर्ष भर अनेक कारणों से काफी हद तक प्रभावित रही। पहली दो तिमाहियों के दौरान, आर्थिक स्थिति कम अस्थिरता के साथ स्थिर बनी रही। रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रिपो दर में की गई कटौती और बाजार हस्तक्षेप के कारण प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, कच्चे तेल की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी रहीं और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार विवाद कम देखा गया। अंतिम तिमाही के दौरान, ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ), लॉन्ग टर्म रिपो

ऑपरेशंस (एलटीआरओ) और लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ) के माध्यम से प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपाय यथा – नीतिगत दरों में कटौती और समय पर हस्तक्षेप के कारण पूरे प्रतिफल वक्र में प्रतिफलों में काफी नरमी देखी गई। इसे वैश्विक कारकों यथा- कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट और दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाए गए समान उदार रुख का भी समर्थन मिला। इसके अतिरिक्त, सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने संबंधी उपायों की घोषणा के चलते बाजार में सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहा। इसलिए, पूरे वर्ष घरेलू ऋण बाजार की स्थिति स्थिर बनी रही, जिससे ऐसी नौबत की संभावना घट गई जिससे प्रतिभूतियों को हामीदारी करने के लिए प्राथमिक व्यापारी पिछले वर्ष की तुलना में कम कमीशन की मांग करते।

सी. *विविध खर्च*

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत /बचत बॉन्ड अभिदान के लिए बैंकों को प्रदत्त टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधार एवं उधार प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन इत्यादि शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त कमीशन 2018-19 के ₹0.02 बिलियन से बढ़कर 2019-20 में ₹0.06 बिलियन हो गया।

डी. *बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क*

वर्ष 2019-20 के दौरान अभिरक्षा सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क 2018-19 के ₹0.17 बिलियन से बढ़कर ₹0.21 बिलियन हो गया।

iv) नोट मुद्रण

वर्ष 2019-20 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या 22,388 मिलियन (एमपीसीएस) थी जो कि वर्ष 2018-19 (29,191 एमपीसीएस) की तुलना में 23.31 प्रतिशत कम है। इसलिए बैंक नोटों के मुद्रण पर व्यय 2019-20 में 9.00 प्रतिशत घटकर ₹43.78 बिलियन रह गया जबकि 2018-19 में यह ₹48.11 था।

v) प्रावधान

वर्ष 2019-20 में ₹736.15 बिलियन राशि का प्रावधान सीएफ के लिए किया गया।

vi) अन्य

अन्य व्यय 2018-19 के ₹14.08 बिलियन से 23.72 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹17.42 बिलियन हो गया, जिनमें खज़ाना के विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखापरीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं।

XII.10 आकस्मिक देयताएं

XII.10.1 बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹11.68 बिलियन हो गईं। इसका मुख्य घटक यह है कि बैंक, एसडीआर मूल्यवर्ग में, बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर धारण करता है। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकाल्ड लायबिलिटी) 30 जून 2020 को ₹9.30

बिलियन थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

XII.11 पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.11.1 प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए केवल ₹0.01 मिलियन और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय एवं आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹(-)0.01 बिलियन एवं ₹0.36 बिलियन थे।

XII.12 पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.12.1 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

XII.13 लेखापरीक्षक

XII.13.1 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2019-20 की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एंड कंपनी, मुंबई एवं मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी, एलएलपी मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स कोठारी एंड कंपनी, कोलकाता, मेसर्स सूरि एंड कंपनी, चेन्नै तथा मेसर्स बंसल एंड कंपनी, एलएलपी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।

अनुबंध I

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम जुलाई 2019 से जून 2020¹

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
मौद्रिक नीति विभाग	
07 अगस्त 2019	नीतिगत रिपो दर में 35 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.40 प्रतिशत कर दिया गया।
04 अक्टूबर 2019	नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.15 प्रतिशत कर दिया गया।
06 फरवरी 2020	31 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के दौरान ऑटोमोबाइल, रिहायशी आवास और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बतौर खुदरा ऋण प्रदान किए गए वृद्धिशील ऋण की समतुल्य राशि के बराबर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 5 साल की अवधि के लिए (ऋण शुरू होने की तारीख से या ऋण की अवधि, जो भी पहले है) छूट।
27 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> नीतिगत रिपो दर में 75 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.4 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रिपो दर में 90 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.0 प्रतिशत कर दिया गया जो असमान कॉरिडोर² को दर्शाता है। सीआरआर में एक वर्ष की अवधि के लिए, जो 26 मार्च 2021 को समाप्त होगी, 100 आधार अंकों की कटौती³ कर इसे 28 मार्च 2020 से एनडीटीएल का 3.0 प्रतिशत कर दिया गया। 28 मार्च 2020 से, न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष बनाए रखने संबंधी अपेक्षा को 90 प्रतिशत से घटाकर निर्धारित सीआरआर के 80 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 26 जून 2020 तक उपलब्ध थी जिसको बाद में 30 सितंबर 2020⁴ तक दिया गया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार को 28 मार्च 2020 से सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी जिसको बाद में 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया।
17 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> रिवर्स रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.75 प्रतिशत कर दिया गया। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को उनकी क्षेत्रवार ऋण जरूरतों⁵ की आपूर्ति के लिए कुल ₹50,000 करोड़ की राशि की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं।
22 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> नीतिगत रिपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रिपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर इसे 3.35 प्रतिशत कर दिया गया। एक्विजि बैंक को ₹15,000 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गयी थी जो जारी करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए है जिसे अधिकतम एक साल तक बढ़ाया जा सकता है ताकि वे अपनी विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूएस डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सकें।

¹ सूची सांकेतिक स्वरूप की हैं और ब्योरे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

² रिवर्स रिपो के संबंध में इस उपाय का उद्देश्य है कि इसे बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के पास धन जमा करने को लेकर अपेक्षाकृत रूप से अनाकर्षक बनाया जाए ताकि वे अर्थव्यवस्था के उपयोगी क्षेत्रों को उधार देने के लिए इस धन का इस्तेमाल कर सकें।

³ सीआरआर में इस कटौती से बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹1,37,000 करोड़ अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं के बजाय उनके घटकों की देयताओं के अनुपात में समान रूप से उपलब्ध कराई गयी।

⁴ स्टाफ को लेकर सामाजिक दूरी बरतने एवं तत्पश्चात रिपोटिंग अपेक्षाओं संबंधी दिक्कतों के संदर्भ में बैंकों को हुई कठिनाइयों को संज्ञान में लेकर इस उपाय का ऐलान किया गया।

⁵ इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को प्रदत्त ₹25,000 करोड़; आगे उधार देने/पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को प्रदत्त ₹15,000 करोड़; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को सहारा देने के लिए एनएचबी को प्रदत्त ₹10,000 करोड़ शामिल हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत आरबीआई की नीतिगत रिपो दर पर अग्रिम प्रदान किया गया है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
01 अगस्त 2019	लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी मास्टर निदेश जारी किया गया।
13 अगस्त 2019	विशिष्ट वर्गों के अंतर्गत एनबीएफसी (एमएफआई से इतर) द्वारा 'आगे उधार देने' हेतु बैंकों द्वारा उनको प्रदान किए जाने वाले ऋण को निर्धारित सीमाओं तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण की श्रेणी के अंतर्गत पात्र माना गया।
20 सितंबर 2019	निर्यात क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से घरेलू एससीबी के लिए निर्यात ऋण की स्वीकृत सीमाओं को बढ़ाया गया था।
07 अक्टूबर 2019	डिजिटल पेमेंट ईकोसिस्टम में विस्तार व प्रगढ़ता लाने के विचार से राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर की बैंकर समिति के संयोजक बैंकों को उनसे संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्रों(यूटी) में एक ऐसे जिले की पहचान करनेके लिए सूचित किया गया जिसे एक साल के अंदर 100 प्रतिशत डिजिटल किया जा सके।
05 फरवरी 2020	एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) संबंधी परिचालनगत दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किया गया।
31 मार्च 2020	कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी अल्पकालिक फसल ऋणों को केसीसी ऋणों में परिवर्तित करने के लिए ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) एवं त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पकालिक फसल ऋण की समय सीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ाने पर परिपत्र जारी किया गया।
04 जून 2020	कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2018-19 और 2019-20 वर्षों के दौरान अल्पकालिक फसल ऋणों के मामले में आईएसएस और पीआरआई की अधिस्थगन अवधि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने संबंधी परिपत्र जारी किया गया।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
28 नवंबर 2019	रिपो के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की यूनितों को अनुमति दी गयी थी।
1 जनवरी 2020	<ul style="list-style-type: none"> 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा से अधिक करेंसी डेरिवेटिव में ग्राहक संव्यवहारों को ट्रेड रिपॉजिटरी को सूचित करना अनिवार्य था। 6 जनवरी 2020 से करेंसी डेरिवेटिव के ग्राहकों के सभी संव्यवहारों को मुद्रा रिपॉजिटरी को सूचित करना अनिवार्य किया गया। फिनान्शियल बेंचमार्कस् इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा नियंत्रित 6 बेंचमार्कों को 26 जून 2019 को जारी वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (रिजर्व बैंक) निदेश 2019 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क' के रूप में अधिसूचित किया गया।
6 जनवरी 2020	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक को ऑनशोर बाजार समय के बाद में ग्राहक और अंतर-बैंक संव्यवहार स्वेच्छा से करने की अनुमति दी गयी।
20 जनवरी 2020	इन्टरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) में विदेशी मुद्रा में निपटान के रुपया डेरिवेटिव सौदे करने की अनुमति दी गयी, इसका आरंभ एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) से हुआ।
23 जनवरी 2020	<ul style="list-style-type: none"> कॉर्पोरेट बॉण्ड और सरकारी प्रतिभूतियों दोनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के लिए अल्पकालिक निवेश मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा आर्स्टि पुनर्निर्माण कंपनियों तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण लिखतों को अल्पकालिक निवेश सीमा से छूट दी गयी। स्वैच्छक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना के माध्यम से एफपीआई में निवेश की उच्चतम सीमा को ₹75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर ₹1,50,000 करोड़ किया गया है। वीआरआर योजना के अंतर्गत एफपीआई को सामान्य निवेश सीमा के अंतर्गत किए गए अपने निवेश को वीआरआर में अंतरित करने की अनुमति दी गयी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो केवल ऋण लिखत में निवेश करते हैं, को एफपीआई में निवेश करने की अनुमति दी गयी।
27 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> भारत में एडी श्रेणी-1 बैंक जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (बीयू) का संचालन करते हैं को, 1 जून 2020 से अनिवासी भारतीय व्यक्तियों को रुपये या अन्यथा शामिल गैर-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश करने की अनुमति दी गयी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
30 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 महामारी के प्रकोप की चुनौतियों के कारण गैर-डेरिवेटिव बाजारों में विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) के कार्यान्वयन की समय-सीमा 30 सितंबर 2020 तक आगे बढ़ाई गयी। <p>भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में अनिवारियों द्वारा निवेश हेतु एक अलग मार्ग यथा, पूर्णतया अभिगमयोग्य मार्ग (एफएआर) शुरू किया गया।</p>
3 अप्रैल 2020 के अनुक्रम में 16 अप्रैल और 30 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के चलते रिजर्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत विभिन्न बाजारों के लिए कारोबार समय में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार सहभागी अपने संसाधनों के अनुकूलन के साथ-साथ और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त जांच और नियंत्रण बनाए रखें।
7 अप्रैल 2020	अनिवारियों और निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा की गयी है ताकि घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार तक पहुंच आसान हो, खुदरा ग्राहक के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो और सुविज्ञ ग्राहकों के लिए नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
15 अप्रैल 2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के अंतर्गत डेट प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश सीमा की घोषणा की गयी।
18 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> रुपये या अन्यथा शामिल गैर-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड रिपॉजिटरी को सूचित किया जाना अनिवार्य था। सभी आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों को 1 जून, 2020 से सभी विदेशी मुद्रा ओटीसी, ब्याज दर और क्रेडिट डेरिवेटिव लेनदेन (दोनों अंतर-बैंक और ग्राहक लेनदेन) ट्रेड रिपॉजिटरी को रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया। कोविड-19 के प्रकोप के कारण आई कठिनाइयों के मद्देनजर विदेशी मुद्रा जोखिम (दिनांक 7 अप्रैल 2020) हेजिंग के निदेशों के कार्यान्वयन की तारीख स्थगित कर 1 जून 2020 से 1 सितंबर 2020 कर दी गयी।
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी के चलते स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना के अंतर्गत 24 जनवरी 2020 से 30 अप्रैल 2020 के बीच जिन एफपीआई को निवेश की उच्चतम सीमा दी गयी थी, प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार (सीपीएस) के 75 प्रतिशत निवेश के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
13 दिसंबर 2019	24x7 परिवेश में एनईएफटी के सुचारु निपटान के लिए सदस्य बैंकों को अतिरिक्त संपार्श्विक इंटर-डे चलनिधि सुविधा जिसे चलनिधि सहायता (एलएस) कहा जाता है प्रदान की गयी।
19 दिसंबर 2019	रिजर्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के अंतर्गत एक साथ अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की घोषणा की। इस तरह की पहली नीलामी 23 दिसंबर 2019 को की गयी।
6 फरवरी 2020	<ul style="list-style-type: none"> रिजर्व बैंक ने चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए गठित आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट और हितधारकों तथा आम जनता से प्राप्त टिप्पणियों / प्रतिक्रिया के आधार पर अपना चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क संशोधित किया। रिजर्व बैंक ने स्थायी चलनिधि की उपलब्धता के संदर्भ में बैंकों को आश्वस्त करने और मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों को प्रसारित करने तथा अर्थव्यवस्था के लिए ऋण प्रवाह सुगम बनाने के उद्देश्य से दीर्घावधि के रिपो परिचालन (एलटीआरओ) की घोषणा करके अपने चलनिधि प्रबंधन उपायों को बढ़ाया। इस प्रकार का पहला एलटीआरओ 17 फरवरी 2020 को किया गया।
12 मार्च 2020	रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर चलनिधि प्रदान करने के लिए 6-महीने के अमेरिकी डॉलर बिक्री/ खरीद स्वैप नीलामी की घोषणा की। इस तरह की पहली नीलामी 16 मार्च 2020 ⁶ को की गयी।

⁶ कोविड-19 संक्रमण के कारण विश्व के वित्तीय बाजार अत्यधिक जोखिम पर बिक्री दबाव का सामना कर रहे थे इसलिए यह घोषणा की गयी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
27 मार्च 2020	रिज़र्व बैंक ने नीति रिपो दर से लिंकड फ्लोटिंग दर पर लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की घोषणा की। योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना था। इस प्रकार की पहली टीएलटीआरओ नीलामी 27 मार्च 2020 को की गयी।
30 मार्च 2020	कोविड-19 के प्रभाव के कारण व्यवधानों को ध्यान में रखकर अंतरिम उपाय के रूप में निर्धारित दर रिवर्स रिपो और एमएसएफ परिचालन विंडो टाइमिंग का विस्तार करने का निर्णय लिया गया ताकि पात्र बाजार सहभागियों को उनके चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके।
17 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक ने नीति रिपो दर पर लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 का संचालन करने की घोषणा की। बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना है, जिसमें से कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा छोटे और मध्य आकार के एनबीएफसी और एमएफआई के लिए नियोजित करना है। इस सुविधा के अंतर्गत किया गया निवेश, एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस तरह की पहली टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी 23 अप्रैल 2020 को की गयी।
27 अप्रैल 2020	म्यूचुअल फंडों पर चलनिधि का दबाव कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए विशेष चलनिधि सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैंकों द्वारा सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि का उपयोग केवल म्यूचुअल फंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए गए कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी, परिपक्वता तक धारित एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार की पहली एसएलएफ-एलएफ नीलामी 27 अप्रैल 2020 को की गयी।
30 अप्रैल 2020	यह निर्णय लिया गया कि एसएलएफ-एमएफ योजना के अंतर्गत घोषित विनियामक लाभों को सभी बैंकों को दिया जाए, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि म्यूचुअल फंड के चलनिधि जरूरतों के लिए वे रिज़र्व बैंक से निधि प्राप्त करते हैं या अपने स्वयं के संसाधन से नियोजित करते हैं।
विदेशी मुद्रा विभाग	
30 जुलाई 2019	ईसीबी फ्रेमवर्क को और अधिक उदार बनाने की दृष्टि से भारत सरकार (जीओआई) के साथ परामर्श से रिज़र्व बैंक ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से प्राप्त राशि के अंतिम-प्रयोग प्रतिबंधों को शिथिल किया।
16 अगस्त 2019	वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) से संबंधित संविधिक प्रावधानों / विनियमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2019 की अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)(2)/ 2019-आरबी के द्वारा अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)/2016-आरबी के विनियमन-6 के उप-विनियमन-(3) को हटा दिया गया है।
17 अक्टूबर 2019	भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-कर्ज लिखत) नियमावली, 2019 अधिसूचित करने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने "विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-कर्ज लिखतों के भुगतान का माध्यम और रिपोर्टिंग) विनियमावली, 2019" जारी की, जो भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवेश के लिए भुगतान और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं से संबंधित है।
22 नवंबर 2019	<ul style="list-style-type: none"> भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय रुपये के उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार के साथ परामर्श से भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए विशेष अनिवासी रुपया खाते (एसएनआरआर) के दायरे को विस्तारित किया गया। सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके हुए कच्चे हीरों के पुनर्निर्यात पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया। संशोधित अनुदेशों के अनुसार, हीरे के खनन कंपनियों द्वारा आयात की जाने वाली खेप (खेपों) के लिए क्रेता द्वारा प्रवेश बिल फाइल किया जाएगा और इन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत विधिवत अधिसूचित केंद्र (केंद्रों) में मंजूरी दी जाएगी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
9 दिसंबर 2019	विदेशी पट्टाकर्ता द्वारा पुनः कब्जे में लिए गए लीज पर दिये गए ऐयरक्राफ्ट/हेलिकॉप्टर और/अथवा इंजिन/औक्सिलरी पावर यूनिट (एपीयू), की पुनर्निर्यात हेतु रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए उन्हें निर्यात घोषणा फॉर्म (इडीएफ) प्रस्तुत करने से छूट दी गयी।
23 जनवरी 2020	मर्चेंटिंग ट्रेड लेनदेन (एमटीटी) को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से मौजूदा एमटीटी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गयी है।
17 मार्च 2020	एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत जापानी येन को निपटान करेंसी के रूप में अनुमति दी गयी। विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 में तदनुसार संशोधन किए गए।
1 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप, भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अथवा इस तिथि को निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को, निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ा कर पंद्रह महीने किया जाए।
3 अप्रैल 2020	भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत निधि (पीएम-केयर्स फंड)' के पक्ष में विदेशी विनिमय गृहों के माध्यम से अनिवासियों से विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि एडी श्रेणी-1 बैंक इन विप्रेषणों को 'पीएम- केयर्स फंड' में सीधे जमा करेंगे तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत दान/योगदान भेजने वाले अनिवासियों के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी के कारण व्यवधानों को ध्यान में रखकर 31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में, सामान्य आयातों अर्थात् स्वर्ण/हीरे तथा मूल्यवान रत्नों/आभूषणों के आयात को छोड़कर (उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यानिष्पादन की गारंटी को रोककर रखा गया है) विप्रेषणों के निपटान हेतु निर्धारित समय-सीमा को शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने किया गया।
विनियमन विभाग: वाणिज्यिक बैंक	
5 जुलाई 2019	बैंकों को चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा में बैंक के निवल मांग और समय देयताओं की 1.0 प्रतिशत की वृद्धि को, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को वृद्धिशील बकाया ऋण की सीमा तक, चलनिधि कवरेज अनुपात की गणना के प्रयोजन (1 अगस्त और 1 दिसंबर 2019 के अनुसार प्रत्येक में 0.50 प्रतिशत) से स्तर 1 उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों के रूप में माने जाने की अनुमति दी गयी, जो उनके बही-खाते में 5 जुलाई 2019 को एनबीएफसी/ एचएफसी को बकाया ऋण की राशि के अतिरिक्त है।
2 अगस्त 2019	<ul style="list-style-type: none"> बैंकों को यह अनुदेश दिया गया कि, व्यवसाय के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, चाहे वह सह-उधारकर्ता(ओं) सहित हो या नहीं, द्वारा लिए गए किसी भी अस्थायी दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड नहीं लगाएं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए जिससे उन्हें अन्य निदेशकों के लिए लागू पात्रता अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके।
7 अगस्त 2019	7 अगस्त 2019 से बैंक दर को 35 आधार अंकों से घटाकर 6.00 प्रतिशत से 5.65 प्रतिशत संशोधित कर दिया गया। तदनुसार, आरक्षित अपेक्षाओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, उसे कमी की अवधि के आधार पर बैंक दर से अतिरिक्त 3.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (8.65 प्रतिशत) या बैंक दर से 5.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (10.65 प्रतिशत) संशोधित किया गया है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
9 अगस्त 2019	भारत सरकार ने दिनांक 28 मई 2019 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में संशोधन अधिसूचित करने के परिणामस्वरूप, मास्टर निदेश में यह संशोधन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति जेल में बंदी है, तब जेल के प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाया जाएगा और उक्त अधिकारी अपने हस्ताक्षर से उसे प्रमाणित करेगा और जेल के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी पते के सबूत का प्रमाणपत्र, के वार्षिक प्रस्तुतीकरण पर खाता चालू रहना जारी रहेगा।
13 अगस्त 2019	भारतीय रिजर्व बैंक ने 'विनियामकीय सैंडबॉक्स के लिए सक्षम फ्रेमवर्क' का अंतिम रूप फिनटेक संस्थाओं, बैंकों, बहुपक्षीय एजेंसियों, उद्योग एसोसिएशन, भुगतान एग्रीगेटर, ऑडिट और विधिक फर्मों, सरकारी विभागों और व्यक्तियों आदि सहित विभिन्न हितधारकों से फ्रेमवर्क के विभिन्न पहलुओं पर अभिमत/प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपनी वेबसाइट पर रखा है।
16 अगस्त 2019	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 में दो परिवर्तन लाए गए (i) बैंक राज्य/संघ शासित प्रदेश में कम से कम एक शाखा का चयन करे जहां वे योजना के अंतर्गत जमाएं स्वीकार कर सकते हैं तथा (ii) सभी प्राधिकृत बैंक अपनी शाखाओं, वेबसाइट और अन्य माध्यमों द्वारा योजना का पर्याप्त प्रचार करेंगे।
4 सितंबर 2019	सीमांत लागत धन-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए गठित आंतरिक अध्ययन समूह (आईएसजी) की सिफारिशों के आधार पर बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि सभी नए अस्थायी दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण (आवास, ऑटोमोबाइल, आदि) तथा 1 अक्टूबर 2019 से बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए अस्थायी दर ऋण, रिजर्व बैंक की नीति रिपो दर, फ्राइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार 3/6-माही (तिमाही) ट्रेजरी बिल का प्रतिफल, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जाएगा।
12 सितंबर 2019	<ul style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत ऋण सहित उपभोक्ता ऋण, लेकिन क्रेडिट कार्ड प्रामियों को छोड़कर, के लिए जोखिम भार कम करते हुए 100 प्रतिशत किया गया है। पूर्व में उपभोक्ता ऋण, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्रामियों को शामिल करते हुए लेकिन शैक्षिक ऋणों को छोड़कर, प्रतिपक्षकार की बाहरी रेटिंग के अनुसार आवश्यक पाए जाने पर, 125 प्रतिशत या उससे अधिक का उच्चतर जोखिम भार लगता रहा है। किसी एकल एनबीएफसी (स्वर्ण ऋण कंपनियों को छोड़कर) के प्रति बैंक के एक्सपोजर को वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत सामान्य एकल प्रतिपक्ष सीमा के साथ एकल एनबीएफसी एक्सपोजर सीमा को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करके सामंजस्य स्थापित किया गया। मुख्य रूप से सोने के बदले में ऋण देने वाली एनबीएफसी को बैंक वित्त पर पहले निर्धारित सीमाएं लागू रहना जारी रहेगा।
4 अक्टूबर 2019	बैंक दर को संशोधित कर 5.65 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 5.40 प्रतिशत कर दिया गया है।
14 अक्टूबर 2019	बैंकों को कुछ रक्षोपायों के अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) को ऋण देने की अनुमति दी गयी है, जिसमें आईएनवीआईटी के प्रति एक्सपोजर पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति, आईएनवीआईटी स्तर पर नकदी प्रवाह की पर्याप्तता सहित सभी महत्वपूर्ण मापदंडों का आकलन, आईएनवीआईटी और अंतर्निहित एसपीवी का समग्र लीवरेज बैंकों की बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार अनुमति प्राप्त लीवरेज के भीतर होना, अंतर्निहित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के कार्यनिष्पादन की निरंतर निगरानी और उन्हीं आईएनवीआईटी को ऋण देना, जिनके अंतर्निहित विशेष प्रयोजन माध्यम, 'वित्तीय कठिनाई' का सामना नहीं कर रहे हैं आदि शामिल है।
1 नवंबर 2019	आरआरबी को निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन टीअर 1 पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई) जारी करने की अनुमति दी गयी है।
4 नवंबर 2019	<ul style="list-style-type: none"> खुदरा भुगतान विषय के रूप में विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के अंतर्गत पहला कॉहोर्ट शुरू किया गया और आवेदन जमा करने के लिए व्यवस्था की घोषणा की गयी। अन्य के साथ-साथ फीचर फोन आधारित भुगतान सेवाएं, ऑफलाइन भुगतान समाधान और संपर्क रहित भुगतान सहित मोबाइल भुगतान जैसे नवीन उत्पादों / अन्य सेवाओं को आरएस के अंतर्गत शामिल किए जाने पर विचार किया गया है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
18 नवंबर 2019	<ul style="list-style-type: none"> निजी क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों और नियंत्रण का कार्य करने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर संशोधित अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जिसकी प्रमुख विशेषताएं, शेयर-लिंकड इस्टूमेंट जैसे कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजनाओं (ईएसओपी) को एनपीए / प्रावधानीकरण में परिवर्तनशील भुगतान के लिए वैरिअबल पे और मालस आदि हैं। संशोधित दिशानिर्देश वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के दिशानिर्देशों के साथ पारिश्रमिक के तौर-तरीकों पर बेहतर तालमेल के लिए जारी किए गए थे। इसे 01 अप्रैल 2020 के बाद से शुरू होने वाले वेतन चक्रों के लिए लागू किया गया था।
28 नवंबर 2019	बैंकों को सूचित किया गया है कि आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा स्वैच्छिक रूप से परिसमापन के लिए आवेदन पर, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर 2019 को परिसमापन का आदेश पारित किया है और परिसमापक नियुक्त किया गया।
5 दिसंबर 2019	“विजया बैंक” और “देना बैंक” को 01 अप्रैल 2019 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलन पर उन्होंने बैंकिंग व्यवसाय करना समाप्त कर दिया है।
23 दिसंबर 2019	भारतीय रिज़र्व बैंक ने “निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ‘मांग पर’ लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश” जारी किए जिसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी/ निवल मालियत के रूप में ₹ 200 करोड़ की आवश्यकता, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) जो लघु वित्त बैंक (एसएफबी) में स्वेच्छा से परिवर्तन के इच्छुक है, के लिए निवल मालियत की प्रारंभिक आवश्यकता ₹ 100 करोड़ और एसएफबी को परिचालन शुरू होने पर तुरंत अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाना आदि है।
9 जनवरी 2020	आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) को फेमा 1999 के प्रावधानों के अधीन अपने कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए चालू खाता (एस्करो खातों सहित) खोलने की अनुमति दी गयी है और वे अब बैंकेतर संस्थाओं से एक वर्ष से कम अवधि के लिए विदेशी मुद्रा मीयादी जमा स्वीकार कर सकते हैं तथा बिना किसी समय प्रतिबंध के समय से पहले मीयादी जमा लौटा भी सकते हैं।
21 जनवरी 2020	भारत सरकार ने 19 अगस्त 2019 और 13 नवंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियम में संशोधन को अधिसूचित किया है जिसके अनुसार अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पर मास्टर निदेश अद्यतन किए गए हैं। ग्राहक पहचान, ग्राहक को सम्मिलित करने (ऑनबोर्डिंग) के लिए सहमति आधारित वैकल्पिक विधि के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) शुरू की गयी।
6 फरवरी 2020	आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों (आईबीयू) को आईएफएससी में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध, रुपया एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) में भाग लेने की अनुमति दी गयी है।
7 फरवरी 2020	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार पे- भीम (बीएचआईएम) ऐप और बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल का प्रयोग करते हुए मर्चेन्ट अधिग्रहण बैंक के रूप में कार्य करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन अनुमति दी गयी है।
11 फरवरी 2020	वाणिज्यिक अचल संपत्ति (सीआरई) क्षेत्र में परियोजना ऋणों को आस्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड के बिना एक अतिरिक्त वर्ष तक (अर्थात, मूल डीसीसीओ में कुल 2 साल का विस्तार) वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) में संशोधन के माध्यम से, पुनर्गठन करने की अनुमति दी गयी, जैसा कि गैर- आधारभूत फ्रेमवर्क क्षेत्रों के परियोजनाओं के मामले में है। आस्ति वर्गीकरण लाभ कुछ शर्तों के अधीन होगा।
	1 जनवरी 2020 को डिफॉल्ट लेकिन ‘मानक’ रहे एमएसएमई ऋणों को आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड के बिना, कुछ शर्तों के अधीन एक बार पुनर्चर्चा की अनुमति दी गयी थी, जैसे बैंकों और एनबीएफसी द्वारा उधारकर्ता के लिए, गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित कुल एक्सपोजर, 01 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार ₹ 25 करोड़ से अधिक नहीं है और उधारकर्ता का खाता 01 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार चूक में है लेकिन ‘मानक आस्ति’ है, और पुनर्चर्चा के कार्यान्वित होने की तिथि तक उसे ‘मानक आस्ति’ के रूप में ही वर्गीकृत किया जाना जारी रहता है। उधारकर्ता संस्था जीएसटी पंजीकृत होना अनिवार्य है। तथापि यह शर्त जीएसटी पंजीकरण से छूट प्राप्त एमएसएमई पर लागू नहीं होगी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
26 फरवरी 2020	मौद्रिक नीति प्रसारण को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि एससीबी द्वारा मध्यम उद्यमों के लिए दिए जाने वाले सभी नए अस्थायी दर ऋणों का मूल्य निर्धारण भी 1 अप्रैल 2020 से बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जाए और तदनुसार, बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
17 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के उप-क्षेत्रों के लिए युक्तिसंगत मास्टर सूची (एचएमएल) के अंतर्गत किफायती आवास को शामिल करने के फलस्वरूप, किफायती आवास को ऋण देने की परिभाषा एचएमएल में दी गयी परिभाषा के साथ फिर से मिलायी गयी थी। तदनुसार, दीर्घावधि बॉण्ड जारी करने के उद्देश्य से और एचएमएल की किफायती आवास परिभाषा के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर व्यक्तियों को आवास इकाइयों को प्राप्त करने के लिए संशोधित परिभाषा में आवास ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए पात्र है (समय-समय पर अद्यतन)। बैंकों को यह अनुमति दी गई कि वे निवेश अस्थिरता रिजर्व (आईएफआर) को, जो ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों की बिक्री पर हुए कम से 2 प्रतिशत लाभ से सृजित हुआ हो, को निरंतर आधार पर कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की सीमा के बिना टिअर II पूंजी के रूप में गिना जाए।
23 मार्च 2020	बैंकों को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि जोखिम को क्रेडिट जोखिम शमन (सीआरएम) प्रदाता से मूल प्रतिपक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है, भले ही प्रतिपक्ष भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति हो, यदि उस बैंक द्वारा एक्सपोजर/जोखिम भार के स्थानांतरण जैसे सीआरएम लाभ प्राप्त नहीं किए गए हैं। इस प्रकार एक्सपोजर भारत के बाहर निवासी व्यक्ति में स्थानांतरित होने पर, 150 प्रतिशत का न्यूनतम जोखिम भार होगा। गैर-केंद्रीय रूप से मंजूरी दिए गए डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए एलईएफ दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता की तारीख भी एक वर्ष के लिए 01 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दी गयी।
27 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रेंच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2018 से लागू न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात 31 मार्च 2020 से आगे भी छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा जब तक कि सीसीबी 30 सितंबर 2020 को 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता। इसके अलावा, अतिरिक्त टिअर 1 लिखत, बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर तथा बेमीयादी कर्ज लिखत रूपांतरण/राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित चेतावनी जोखिम भारत आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को आरडब्ल्यूए के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को छह महीने के लिए स्थगित कर 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 कर दिया गया। कोविड-19 महामारी से निर्मित व्यवधानों के कारण ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए और अर्थक्षम व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विनियामकीय उपायों की घोषणा की गयी। मुख्य विशेषताओं में मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए भुगतान का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना और उपर्युक्त राहतों के कार्यान्वयन के मद्देनजर विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के वर्गीकरण से छूट शामिल है। तत्काल प्रभाव से बैंक दर को 75 आधार अंक घटाकर 5.40 प्रतिशत से 4.65 प्रतिशत संशोधित किया गया। रिजर्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज दरें भी जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं कमी की अवधि पर आधारित बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 8.40 प्रतिशत से 7.65 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 10.40 प्रतिशत से 9.65 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।
28 मार्च 2020	निजी क्षेत्र के एसएफबी के लिए मांग पर लाइसेंस पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया ताकि मौजूदा सभी एसएफबी को बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों के लिए मानदंडों के अनुपालन किए जाने के अधीन बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करना तथा जोखिम साझा न करने वाली सरल वित्तीय सेवा गतिविधियों को शुरू करने, जिसके लिए अपनी निधि प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है, के लिए लघु वित्त बैंक के कारोबार शुरू होने के तीन साल बाद से रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी लेने से छूट दी गयी। प्रवर्तक और चुकता इक्विटी पूंजी पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
30 मार्च 2020	भारत सरकार द्वारा 4 मार्च 2020 को घोषित कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्मेलन की योजना के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स/ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/ आंध्रा बैंक/ कॉर्पोरेशन बैंक/ सिंडिकेट बैंक/ इलाहाबाद बैंक (अंतरक बैंक) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाया जाएगा क्योंकि उनका 1 अप्रैल 2020 से बैंकिंग कारोबार करना समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप, उनकी सभी शाखाएं 1 अप्रैल 2020 से अपने-अपने अंतरिती बैंक (पंजाब नेशनल बैंक/ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/ केनरा बैंक/ इंडियन बैंक) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी और जमाकर्ताओं सहित उनके ग्राहकों को 1 अप्रैल, 2020 से संबंधित हस्तांतरित बैंकों के ग्राहकों के रूप में माना जाएगा।
31 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ)/सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति के संबंध में कुछ अनुदेशों की समीक्षा के आधार पर उम्मीदवार से प्राप्त की जाने वाली घोषणा और वचन पत्र तथा 'फॉर्म ए' (अपनी नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए बैंक द्वारा आवेदन) के साथ-साथ 'फॉर्म बी' (नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आवेदन) के नमूने को संशोधित किया गया था। दो अन्य बदलाव भी शुरू किए गए थे, जैसे पद की अवधि समाप्त होने से पहले एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति के लिए बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को कम से कम छह महीने (चार महीने की तुलना में) पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता के क्रम में कम से कम दो नामों (वर्तमान में तीन की तुलना में) पैनल वाले प्रस्ताव को वर्तमान पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कम से कम चार महीने पहले प्रस्तुत करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि वे शाखाओं के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित फ्रेमवर्क विकसित करके अखिल भारतीय आधार पर इन सेवाओं को शुरू करें जहां ये सेवाएं अनिवार्य रूप से दी जाएंगी और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर दी जाएंगी। यह सेवाएं देनेवाली शाखाओं की सूची बैंक की वेबसाइट पर नियमित रूप से दर्शाई/ अद्यतन की जानी चाहिए, इस संबंध में प्रभारों की सूचना भी सार्वजनिक की जानी चाहिए तथा बैंकों को अपने जन जागरूकता अभियानों में इन सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में समुचित प्रचार करना चाहिए। इस संबंध में हुई प्रगति से बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को प्रत्येक तिमाही में अवगत कराएंगे और बैंकों को सूचित किया गया है कि 30 अप्रैल 2020 तक उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
1 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि सीसीवाईबी (5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार फ्रेमवर्क, इस निर्णय कि पूर्व घोषणा के साथ शुरू किया गया था कि जब कभी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो इसे सक्रिय किया जाएगा) को एक वर्ष या उससे पहले सक्रिय नहीं किया जाएगा, जैसा कि आवश्यक हो। केवाईसी पर दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश में संशोधन किया गया तथा इसे 31 मार्च 2020 की गजट अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएल) में संशोधन के अनुरूप किया गया। संशोधन, ग्राहक के लिए खोले गए छोटे खातों से संबंधित है, जो बैंकों को आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, जिसके लिए पीएमएल नियमों में सीमा और शर्तें दी गयी हैं। यह संशोधन इसलिए किया गया है कि सरकार द्वारा लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) राशियों को अंतरित करने और केवाईसी अपेक्षाओं के कारण लाभार्थियों को उनकी जरूरतों के लिए राशि आहरित करने में कोई भी कठिनाई न हो।
17 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> यह निर्णय लिया गया कि उन सभी खातों के संबंध में जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाएं अधिस्थगन या स्थगन देने का निर्णय लेते हैं, और जो 1 मार्च 2020 को मानक थे, 90 दिन का एनपीए मानदंड मानक अधिस्थगन अवधि में शामिल नहीं हैं, अर्थात् 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक ऐसे सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण नहीं होगा। इसी के साथ बैंकों को पर्याप्त बफर बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखने के उद्देश्य से दो तिमाहियों यानी मार्च 2020 और जून 2020 तक उन्हें दो तिमाहियों में स्टैंडस्टिल स्प्रेड के अंतर्गत आनेवाले ऐसे सभी खातों पर 10 प्रतिशत का उच्च प्रावधान बनाए रखना होगा। इन प्रावधानों को बाद में ऐसे खातों के वास्तविक स्लिपेज की प्रावधान अपेक्षाओं के लिए समायोजित किया जा सकता है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
20 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> 7 जून 2019 के रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वर्तमान में एससीबी को चूक उधारकर्ता के बड़े खातों के मामले में यदि समाधान योजना 210 दिनों के भीतर लागू नहीं की गयी है तो ऐसे चूक की तारीख से 20 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान रखना जरूरी है। वर्तमान अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए चुनौतियों का निर्धारण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि संकल्प योजना की अवधि 90 दिनों तक बढ़ायी जाए। अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों की पूंजी के संरक्षण की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि अगले अनुदेश तक एससीबी 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। व्यक्तिगत संस्थाओं के स्तर पर चलनिधि स्थिति को सहज बनाने के लिए, एससीबी की एलसीआर अपेक्षाओं को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से 80 प्रतिशत किया गया। एलसीआर अपेक्षाओं को धीरे-धीरे दो चरणों में पुनः स्थापित किया जाएगा- 1 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत। <p>वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सिफारिशों के प्रावधानों को रिज़र्व बैंक के अनुदेशों को अनुरूप करने के लिए धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा आंतरिक जोखिम आकलन के संबंध में केवाईसी पर मास्टर निदेश को अद्यतन किया गया। आरई द्वारा किया गया आंतरिक जोखिम आकलन उनके आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के अनुरूप होना चाहिए। आरई को पहचाने गए जोखिम शमन और प्रबंधन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू करना होगा और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और पद्धति होनी चाहिए। मूल्यांकन का समुचित दस्तावेजीकरण करना चाहिए और परिणाम की सूचना बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति को देनी चाहिए।</p>
23 अप्रैल 2020	<p>बैंकों को, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ओवरड्राफ्ट खाते, जो किसी विशिष्ट अंतिम-उपयोग प्रतिबंध के बिना व्यक्तिगत ऋण स्वरूप के हैं, रखने वाले प्राकृतिक व्यक्तियों केवल घरेलू ऑनलाइन/गैर-नकद लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी गयी। नकद लेनदेन पर यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ प्रदान की गयी ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लागू नहीं होगा। कार्ड ग्राहक को दी गयी सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और ऋणदाता के रूप में बैंकों के सामान्य अधिकारों के अधीन होगा। कार्ड ग्राहक को दी गयी सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा और डेबिट कार्ड पर लागू सभी निबंधन और शर्तों, सुरक्षा पहलु, आदि इन कार्डों पर लागू होंगे।</p>
29 अप्रैल 2020	<p>कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा 30 जून 2020 तक प्रस्तुत की जाने वाली विनियामकीय विवरणियों की समय सीमा बढ़ायी गयी है तथा यह विवरणियां नियत तारीख से 30 दिनों तक विलंब से प्रस्तुत की जा सकती हैं। हालांकि, सांविधिक विवरणियां, अर्थात् बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949; आरबीआई अधिनियम 1934 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विवरणी (यथा, सीआरआर/एसएलआर से संबंधित विवरणी), प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा के विस्तार की अनुमति नहीं है।</p>
13 मई 2020	<p>भारत सरकार ने पोतलदान-पूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना को और एक वर्ष के लिए अर्थात् 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक विस्तार हेतु अपना अनुमोदन दिया है और इस योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी मौजूदा परिचालन अनुदेश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।</p>
22 मई 2020	<p>22 मई 2020 से बैंक दर को 40 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, कमी की अवधि पर आधारित बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 7.65 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 9.65 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।</p>

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
23 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> बाजार की आकस्मिक अनिश्चितताओं के कारण जिन कॉर्पोरेट को पूंजी बाजार से धन जुटाने में कठिनाइयां हो रही हैं और जो मुख्य रूप से बैंक फंडिंग पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के अधिक प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। मार्च और अप्रैल 2020 में जारी कोविड-19 विनियामकिय पैकेज को आगे बढ़ाते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के संचरण को रोकने के लिए और लॉकडाउन के विस्तार के कारण लगातार आर्थिक व्यवधान पर व्यवहार्य कारोबार और परिवारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गयी, जिनके अंतर्गत चुकौती के दबाव में छूट देने और ऋण चुकौती के बोझ को कम करके कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार शामिल हैं। अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की निरंतर चुनौतियों के कारण अप्रैल 2020 के पहले के अनुदेशों के अनुसरण में, समीक्षा के बाद, 7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क में निर्धारित समाधान समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया। यह उन खातों के संबंध में लागू था, जो शर्तों के अधीन 1 मार्च 2020 की समीक्षा अवधि के भीतर और बाद में थे। निर्यातकों द्वारा उत्पाद और उगाही चक्र में सामना की जा रही वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात के निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने किया गया है। यह 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात के संबंध में भारत में निर्यात से प्राप्त आय की उगाही और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने की पहल ही दी गयी अनुमति के अनुक्रम में था।
21 जून 2020	जैसा कि एमएसएमई उधारकर्ताओं को भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाएं, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित हैं, उधार देने वाली सदस्य संस्थाएं, जैसे एससीबी, (अनुसूचित आरआरबी सहित), एनबीएफसी (योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्था को गारंटी कवरेज की सीमा तक योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार आबंटित करने की अनुमति दी गयी।
विनियमन विभाग: सहकारी बैंक	
30 अगस्त 2019	दि मेघालय को-ऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया।
29 नवंबर 2019	केरल राज्य में 13 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का केरल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में विलय किया गया।
19 दिसंबर 2019	सुपौल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सुपौल बिहार को बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया।
27 दिसंबर 2019	केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े ऋणों से संबंधित वृहत एक्सपोजर के संबंध में रिपोर्टिंग करने पर शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए।
31 दिसंबर 2019	शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रबंधन मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
6 जनवरी 2020	<ul style="list-style-type: none"> शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्यवाई पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। शिवालिक मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को एसएफबी लाइसेंस प्रदान करने के लिए 'सैद्धांतिक' रूप से मंजूरी दी गयी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
13 मार्च 2020	एकल और समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों के लिए ऋण एक्सपोजर और बड़े एक्सपोजर की सीमाएं तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य में संशोधन पर शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए।
20 अप्रैल 2020	सर्व समावेशी निर्देश के अंतर्गत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के अंतर बैंक एक्सपोजर के लिए प्रावधान पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
24 अप्रैल 2020	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति में चूक – ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और अन्य निधियों में अंशदान पर दिशानिर्देश।
8 जून 2020	रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों तथा नाबार्ड द्वारा लगायी गयी अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हो, को पूरा करने के अधीन, पंजाब सरकार को राज्य के डीसीसीबी का पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में विलय के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया गया।
विनियमन विभाग: एनबीएफसी	
2 अगस्त 2019	एनबीएफसी को व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, सह-उधारकर्ता(ओं) के साथ या बिना, व्यापार के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत अस्थायी दर मीयादी ऋण पर पुरोबंधित शुल्क/पूर्व भुगतान दंड नहीं लेने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया था।
4 नवंबर 2019	एनबीएफसी और मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए संशोधित चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क जारी किया गया था।
8 नवंबर 2019	<ul style="list-style-type: none"> रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए) पारिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश (आईबीआईटी द्वारा तैयार) निर्धारित किए गए हैं। एनबीएफसी-एमएफआई की अर्हक आस्तियों के लिए घरेलू आय सीमा और ऋण सीमा में वृद्धि की गयी।
11 नवंबर 2019	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय III बी (धारा 45-आईए को छोड़कर) के प्रावधानों के अंतर्गत आवास वित्त संस्थाओं को दी गयी छूट वापस ली गयी।
6 दिसंबर 2019	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को सूचित किया गया कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों का अधिग्रहण उनके उधारदाताओं, प्रायोजकों या समूह संस्थाओं द्वारा नीलामियों के माध्यम से किया जाना चाहिए जो पारदर्शी तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के की गयी हो और मूल्यों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया गया हो।
23 दिसंबर 2019	सभी उधारकर्ताओं के लिए किसी भी समय ऋणदाता का कुल एक्सपोजर, सभी पीअर 2 पीअर (पी2पी) प्लेटफॉर्म पर ₹50,00,000 तक बढ़ा दिया गया।
31 दिसंबर 2019	5 साल से अधिक की मूल परिपक्वता वाले ऋण से संबंधित प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी) को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, अर्थात् 30 जून, 2020 तक।
21 जनवरी 2020	एनबीएफसी को अपनी विभिन्न शाखाओं से स्वर्ण आभूषणों को जिला स्तर पर एकट्ठा करके संबंधित जिले के किसी स्थान पर नीलामी के लिए अनुमति दी गयी है बशर्ते पहली नीलामी असफल रही हो।
13 मार्च 2020	इंड एस लागू करने वाली एनबीएफसी और एआरसी के लिए विशिष्ट विवेकपूर्ण विषयों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
17 अप्रैल 2020	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को यथारूप से एनबीएफसी पर भी लागू किया गया।
19 मई 2020	केवाईसी पर मास्टर निदेश 2016 आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर लागू किए गए।
17 जून 2020	एचएफसी पर लागू मौजूदा विनियमों की समीक्षा करने वाला एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
24 जून 2020	सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) को सूचित किया गया है कि, अपने डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वयं या आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देते समय अनिवार्य रूप से उचित व्यवहार संहिता के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए।
पर्यवेक्षण विभाग	
18 सितंबर 2019	वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों में, की गयी समीक्षा के आधार पर, संशोधन किया गया।
31 दिसंबर 2019	<ul style="list-style-type: none"> क्रमिक दृष्टिकोण के आधार पर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए वृहत साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार किया गया। पर्यवेक्षी संस्थाओं के साथ संविदागत करार के माध्यम से थर्ड पार्टी एटीएम स्विच एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं के लिए मूलभूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण अनिवार्य किए गए।
16 मार्च 2020	कोविड-19 महामारी के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को उनके परिचालनगत तथा कारोबारी निरंतरता संबंधी योजनाओं के एक भाग के रूप में किए जाने वाले उपायों की निदर्शी सूची के संबंध में सूचित किया गया।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
22 अक्टूबर 2019	आंतरिक लोकपाल योजना को विस्तारित कर 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ से अधिक बकाया प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) वाले गैर-बैंक प्रणाली प्रतिभागियों को शामिल किया गया।
3 अप्रैल 2020	रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित उपभोक्ता शिक्षण तथा संरक्षण कक्षों और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के अंतर्गत सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड -19 से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
7 नवंबर 2019	राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना' को संशोधित किया गया ताकि विनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को उनके स्टॉक ब्रोकरों/ अन्य रिटेल प्रतिभागियों के बोलियों को संकलित करने के लिए समूहक/ समन्वयक (अनुसूचित बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों के अतिरिक्त) के रूप में कार्य करने तथा एसडीएल की प्राथमिक नीलामियों के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के अंतर्गत एकल समेकित बोली प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।
6 फरवरी 2020	यह निर्णय लिया गया कि ग्राहकों की सहायक खाता बही (सीएसजीएल) में ग्राहक के ब्यौरे शामिल करने के लिए रिजर्व बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूति रजिस्ट्री (पीडीओ-एनडीएस प्रणाली) को संशोधित करेगा। यह अपेक्षा की गयी है कि इससे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में खुदरा निवेशकों की रुचि बढ़ेगी।
1 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के अर्थोपाय अग्रियों (डबल्यूएमए) की सीमाओं को 31 मार्च 2020 को विद्यमान सीमा से 30 प्रतिशत बढ़ाया गया ताकि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हुए राजकोषीय दबाव से उभर सकें। संशोधित सीमाएं 01 अप्रैल 2020 से लागू हुईं और 30 सितंबर 2020 तक वैध होंगी।
7 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों को अपने नकदी प्रवाहों के अंतरों से निपटने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए 'राज्य सरकारों के लिए ओवर ड्राफ्ट (ओडी) योजना' की समीक्षा की गयी और कोई राज्य/ यूटी निरंतर रूप से ओडी की स्थिति में जितने दिन रह सकता है उस संख्या को 14 कार्य दिनों से बढ़ाकर 21 कार्य दिन कर दिया गया। इसके अलावा तिमाही में कोई राज्य/ यूटी, ओडी की स्थिति में जितने दिन रह सकता उस संख्या को 36 कार्य दिनों से बढ़ाकर 50 कार्य दिन कर दिया गया।
13 अप्रैल 2020	भारत सरकार की सॉब्रेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर सभी वर्तमान परिचालनगत अनुदेश एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें इस दृष्टि से एसजीबी योजना की पद्धति संबंधी समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
17 अप्रैल 2020	कोविड-19 की रोकथाम एवं शमन के प्रयास करने में राज्य सरकारों को अधिक सुविधा प्रदान करने तथा वे अपने बाजार उधारों की योजना बना सकें इस दृष्टि से राज्यों की डबल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 को विद्यमान स्तर के अतिरिक्त 60 प्रतिशत से बढ़ाया गया। वर्धित सीमा 30 सितंबर 2020 तक वैध होगी।
20 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निर्मित परिस्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि सरकार के डबल्यूएमए की सीमा में वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की पहली छमाही की शेष अवधि के लिए ₹ 1,20,000 करोड़ से ₹ 2,00,000 करोड़ संशोधन किया जाए।
22 मई 2020	कोविड-19 महामारी तथा उसके कारण राज्य सरकार की आय पर पड़े हुए दबाव के परिप्रेक्ष्य में 'समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ़) के गठन एवं प्रशासन के लिए योजना' की समीक्षा कि गयी और यह सुनिश्चित करते हुए कि निधि में पर्याप्त राशि शेष रहती है, सीएसएफ़ से आहरण करने संबंधी नियमों को शिथिल किया गया।
26 जून 2020	एक नई बचत बॉन्ड योजना- अस्थायी दर बचत बॉन्ड 2020 (कर योग्य) की घोषणा की गयी। यह योजना 1 जुलाई 2020 से अभिदान के लिए खुली होगी।
मुद्रा प्रबंधन विभाग	
1 जनवरी 2020	दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भारतीय बैंक नोटों के मूल्यवर्ग को पहचानने में सहायता देने के लिए "मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (मणि)" नामक एक नए मोबाइल एप्लिकेशन का आरंभ किया गया।
भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग	
14 अगस्त 2019	यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे तकनीकी कारणों, जिनके लिए बैंक/ सेवा प्रदाता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अवैध पीन/ सत्यापन आदि से असफल लेनदेन ग्राहक को उपलब्ध निशुल्क लेनदेन का हिस्सा नहीं होंगे। गैर-नकद आहरण 'ऑन-अस' लेनदेन भी किसी एटीएम पर अनुमत निशुल्क लेनदेन का हिस्सा नहीं होंगे।
21 अगस्त 2019	<ul style="list-style-type: none"> आरटीजीएस की उपलब्धता के समय को बढ़ा दिया गया और उसका परिचालन पूर्वाह्न 8.00 बजे के बजाय 7:00 बजे से आरंभ किया गया। पहले लेनदेन सहित ई-मैनडेट पंजीकरण, संशोधन और निरसन के दौरान, प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफ़ए) के साथ आवर्ती लेनदेन (व्यापारी भुगतान) के लिए कार्ड पर ई-मैनडेट के प्रसंस्करण की अनुमति दी गयी।
30 अगस्त 2019	न्यूनतम विवरण वाली पूर्वदत्त भुगतान लिखत को केवाईसी अनुपालन वाली पीपीआई में परिवर्तित करने के लिए समय सीमा को 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दिया गया।
16 सितंबर 2019	भारत बिल भुगतान प्रणाली के दायरे और इसकी व्याप्ति का विस्तार किया गया ताकि सभी श्रेणियों के बिलर्स जिनके बिल बार-बार आते हैं (प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर) को स्वैच्छिक आधार पर पात्र प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया जा सके।
20 सितंबर 2019	टर्न अराउंड टाईम के लिए फ्रेमवर्क तथा प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए असफल लेनदेन के ग्राहक क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया गया।
15 अक्टूबर 2019	भारत बिल भुगतान परिचालन यूनिट (बीबीपीओयू); ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस); और वाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) परिचालकों के लिए मांग पर प्राधिकरण की अनुमति दी गयी।
6 दिसंबर 2019	सभी सदस्य बैंकों को एनईएफटी की 24x7 उपलब्ध प्रणाली की पद्धति तथा समय-सीमा सूचित की गयी।
16 दिसंबर 2019	सदस्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने बचत बैंक खाताधारकों द्वारा एनईएफटी के माध्यम से किए गए ऑनलाइन लेनदेन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लें।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
24 दिसंबर 2019	एक नए प्रकार के सेमी-क्लोज्ड पीपीआई का आरंभ किया गया, जिसे केवल बैंक खाते से लोड किया जा सकता है और किसी एक माह के दौरान लोड की जाने वाली कुल राशि को ₹10,000 तक प्रतिबंधित किया गया है। इस पीपीआई का उपयोग भी वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद तक प्रतिबंधित है।
30 दिसंबर 2019	नैशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली (एनईटीसी) के अंतर्गत सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों तथा लिखतों को अब से फास्टैग्स के साथ जोड़ने की अनुमति होगी।
10 जनवरी 2020	<ul style="list-style-type: none"> पहले लेनदेन सहित ई-मैनडेट पंजीकरण, संशोधन और निरसन के दौरान, प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक के साथ आवर्ती लेनदेन (व्यापारी भुगतान) के लिए यूनिक पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) पर ई-मैनडेट के प्रसंस्करण की अनुमति दी गयी। क्रॉस – बार्डर लेनदेन के लिए मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग किया जा सके इसलिए मास्टर परिपत्र में संशोधन किए गए। प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों / बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाने के लिए फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया।
15 जनवरी 2020	उपयोगकर्ता सुविधा को सुधारने तथा कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
31 जनवरी 2020	बैंकों को उनके बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर पीओएस टर्मिनल पर नकद आहरण की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गयी।
16 मार्च 2020	आम जनता को सामाजिक संपर्क से बचकर और अपने घर पर रहते हुए भुगतान करने के लिए जिन भुगतान प्रणालियों को उपयोग में लाया जा सकता है उनकी चौबीसों घंटों की उपलब्धता के बारे में प्रेस प्रकाशनी के द्वारा सूचित किया गया।
17 मार्च 2020	भुगतान समूहकों तथा पेमेंट गेटवे के विनियमन, प्राधिकरण, पूंजीगत अपेक्षाएं, अभिशासन, मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग, निपटान तथा एस्करो खाता प्रबंधन, विवाद प्रबंधन फ्रेमवर्क आदि पर दिशानिर्देश जारी किए गए।
24 मार्च 2020	वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा में विस्तार किया गया।
4 जून 2020	वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के अनुपालन के लिए भुगतान प्रणाली परिचालकों को प्रदान की गयी समय-सीमा में और विस्तार प्रदान करने से संबंधित परिपत्र जारी किया गया।
22 जून 2020	प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों तथा प्रतिभागियों को सूचित किया गया कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतानों के संरक्षित और सुरक्षित उपयोग के संबंध में शिक्षण देने के लिए लक्षित बहु-भाषीय अभियान चलाएं।

अनुबंध II

कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	ए. भारत सरकार (जीओआई)
25 फरवरी 2020	निर्दिष्ट व्यक्तिगत/निजी सुरक्षा पोशाक (पीपीई) सहित कपड़ों और मास्क (एनबीआर दस्ताने और मेडिकल चश्मे) पर निर्यात प्रतिबंध, जबकि सर्जिकल ब्लेड, नॉन-वोवन डिस्पोजेबल शू कवर, एयरमैन, गोताखोरों और पर्वतारोहियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले श्वसन साधन/यंत्र, गैस मास्क, तिरपाल, पीवीसी कन्वेयर बेल्ट और बायोप्सी पंच जैसे कुछ सामानों पर छूट।
3 मार्च 2020	कुछ सक्रिय भैषज घटक (एपीआई) और उनसे बनी औषधि जैसे पैरासिटामोल, एसिक्लोविर, विटामिन बी1, बी6 और बी12 के निर्यात पर प्रतिबंध।
14 मार्च 2020	राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एसडीआरएफ) से सहायता के लिए मानदंड जारी किए गए।
19 मार्च 2020	सर्जिकल मास्क/डिस्पोजेबल मास्क (2/3 प्लाई मास्क), वेंटिलेटर (किसी भी कृत्रिम श्वसन साधन या ऑक्सीजन इलाज या किसी अन्य श्वसन साधन/यंत्र सहित), मास्क और कवरऑल्स के लिए टेक्सटाइल के कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध।
24 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> सांविधिक और अनुपालन मामलों में छूट दी गयी जैसे आयकर/जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करने, विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत भुगतान और विभिन्न कॉर्पोरेट मामलों, की समय सीमा बढ़ाना। व्यापार वित्त उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल व्यापार लेनदेन पर बैंक प्रभारों को कम कर दिया गया। वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को प्रवृत्त करने से रोकने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 4 के अंतर्गत चूक की प्रारंभिक सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ रुपये कर दिया गया। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर एटीएम से नकद आहरण के लिए लगाए जाने वाले प्रभारों में तीन महीने के लिए छूट। सैनटाइजर्स के निर्यात पर प्रतिबंध।
26 मार्च 2020 (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना)	<p>केंद्रीय वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ₹1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की ताकि उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहायता मिल सके। समर्थन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं/चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति माह 3 महीने के लिए निशुल्क प्रदान की जाएगी। जन धन महिला खाता धारकों को तीन महीने के लिए ₹500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गरीब दिव्यांग, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित किए जाएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की मजदूरी में ₹20 रुपये की वृद्धि की जाएगी। गरीब परिवारों को 3 माह तक गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत 2020-21 में देय ₹2,000 की पहली किस्त अप्रैल 2020 में उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकारों को कोविड-19 स्वास्थ्य प्रतिसाद के लिए जिला खनिज निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
28 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण निधि का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए संपार्श्विक मुक्त उधार सीमा ₹10 लाख रुपये से बढ़ाकर ₹20 लाख रुपये की जाएगी। 100 से कम श्रमिकों वाले कम वेतन अर्जक व्यवसायों के लिए अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदान, तीन महीने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ईपीएफ विनियमों में संशोधन किया जाएगा ताकि खातों से 75 प्रतिशत राशि या तीन महीने की मजदूरी, जो भी कम हो, अप्रतिदेय अग्रिम लेने के लिए महामारी को कारण के रूप में शामिल किया जा सके। <p>कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य आपात स्थिति को देखते हुए कृषि स्वर्ण ऋण और अन्य कृषि खातों को केसीसी खातों में बदलने की तारीखों को बढ़ाने पर ज्ञापन जारी किया।</p>
30 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सभी नोडल लोक शिकायत अधिकारियों और भारत सरकार के विभागों को कोविड-19 से संबंधित शिकायतों को शीघ्र निपटाने की पद्धति सूचित की। बैंकों द्वारा दिए गए ₹3 लाख रुपये तक के सभी फसल ऋण जो 1 मार्च से 31 मई 2020 के दौरान देय हैं, के लिए बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और सभी किसानों के लिए 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन लाभ 31 मई 2020 तक बढ़ाया गया।
31 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 में बहुतायत आर्थिक कानूनों के अनुपालन और प्रवर्तन में छूट प्रदान की गयी। विदेश व्यापार नीति 2015-20 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और निर्यात और आयात पद्धति के क्षेत्र में अन्य छूट प्रदान की गयी।
2 अप्रैल 2020	कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए ई-एनएम प्लेटफॉर्म की नई विशेषताएं शुरू की गईं।
3 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों के पास उपलब्ध धन को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि की वर्ष 2020-21 के लिए ₹11,092 करोड़ रुपये की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी की गयी।
4 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 महामारी प्रकोप पर 21 दिन के लॉकडाउन के संबंध में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कई रियायत और छूट प्रदान की गयी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान किसी भी प्रतिकूल घटना से पीड़ित न हों। कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए कृषि मशीनरी, इसके स्पेयर पार्ट्स (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) और मरम्मत की दुकानें तथा राजमार्गों पर ट्रक मरम्मत के लिए दुकानें, विशेषतः ईंधन पंपों पर, खुली रहने की अनुमति दी गयी। इसके अलावा बागानों सहित चाय उद्योग को अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ कार्य करने की अनुमति दी गयी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश के 24 राज्यों के 399 जिलों में एसएचजी सदस्यों द्वारा फेस मास्क उत्पादन शुरू किया गया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और इससे बनी औषधियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया।
8 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> यह घोषणा की गयी कि ₹5 लाख तक के सभी लंबित आयकर रिफंड, और सभी लंबित जीएसटी और कस्टम रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे, जिसकी कुल राशि ₹18,000 करोड़ रुपये है। भारतीय रेलवे ने देश भर में आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के राष्ट्रव्यापी परिवहन के लिए समय सारणी के साथ पार्सल ट्रेनों की निर्बाध सेवाएं शुरू कीं।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
9 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> राहत कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को नीलामी प्रक्रिया के बिना खुले बाजार योजना बिक्री दरों पर भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दी गयी। 'कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेडनेस पैकेज' के लिए ₹15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी। गैर-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा जारी राशन कार्ड पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
15 अप्रैल 2020	खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए तेज गति की रेलवे सुविधा, किसान रथ मोबाइल ऐप और अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की व्यवस्था की गयी।
18 अप्रैल 2020	कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों की अवसरवादी खरीद /अधिग्रहणों को रोकने के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन किया गया।
13 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान- भाग I)	<ul style="list-style-type: none"> 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवर के साथ ₹3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त ऋण, मानक व्यवसायों/ एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। आंशिक ऋण गारंटी सहायता के साथ ₹20,000 करोड़ रुपये गौण ऋण, अनर्जक आस्ति (एनपीए) /दबावग्रस्त एमएसएमई को प्रदान किया जाएगा। विकासक्षम और अर्थक्षम एमएसएमई के इक्विटी वित्तपोषण के लिए ₹10,000 करोड़ रुपये राशि से निधियों का कोष बनाया जाएगा। बड़ी संख्या में फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा। मेक इन इंडिया समर्थन करने और एमएसएमई के लिए ई-मार्केट संपर्कों को बढ़ाने के लिए ₹200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार/केंद्र सरकार के लोक उद्यमों (सीपीएसई) से एमएसएमई को प्राप्य राशियों को 45 दिनों में जारी किया जाएगा। पात्र व्यवसायों और कामगारों के लिए ₹2,500 करोड़ रुपये की ईपीएफ सहायता को और 3 महीने (जून से अगस्त 2020 तक) के लिए विस्तारित किया जाएगा। अन्य व्यवसायों और कामगारों के संबंध में, हर एक के ईपीएफ अंशदान को 3 महीने के लिए घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जिससे ₹6,750 करोड़ रुपये चलनिधि उपलब्ध होगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) /आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) /सुक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के लिए ₹30,000 करोड़ रुपये की विशेष चलनिधि योजना शुरू की जाएगी। आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना को कम रेटिंग वाले एनबीएफसी/ एचएफसी/ एमएफआई के उधार को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) में ₹90,000 करोड़ रुपये चलनिधि लगायी जाएगी। केंद्र सरकार की विद्युत उत्पादन कंपनियां डिस्कॉम को छूट देंगी, जिसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं (उद्योगों) को दिया जाएगा। स्थावर संपदा और निर्माण का दबाव कम करने के लिए उपाय किए जाएंगे, केंद्र सरकारी एजेंसियों द्वारा संविदाओं को 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा। स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) /स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) की दरें वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में 25 प्रतिशत कम की जाएंगी। विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत आयकर रिटर्न फाइल करने और भुगतान करने की तारीखें और आगे बढ़ाई गईं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
14 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान- भाग II)	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/राज्य कार्ड के जो लाभार्थी नहीं हैं, उन प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की 83 प्रतिशत आबादी को अगस्त 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभों की राष्ट्रीय पोर्टबिलिटी के लिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा (मार्च 2021 तक 100 प्रतिशत)। प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (एआरएचसी) को विकसित और प्रोत्साहित किया जाएगा। मुद्रा-शिशु ऋणों के त्वरित भुगतान कर्ताओं को 12 महीने की अवधि के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। फेरीवालों को ₹5,000 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। आवास क्षेत्र को ₹70,000 करोड़ रुपये प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंकड आर्थिक सहायता योजना मार्च 2021 तक बढ़ायी जाएगी। रोजगार के अवसर निर्माण करने हेतु वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यों के लिए क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) निधियों का उपयोग किया जाएगा। नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता के माध्यम से किसानों को ₹30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ₹2 लाख करोड़ रुपये का रियायती ऋण दिया जाएगा।
15 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान- भाग III)	<ul style="list-style-type: none"> फार्म-गेट और समूह स्थानों पर कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹1,00,000 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा प्रदान की जाएगी। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) के औपचारीकरण के लिए ₹10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मत्स्य पालन उद्योग के विकास के लिए ₹20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। डेयरी में निजी निवेश को समर्थन देने के लिए ₹15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष स्थापित किया जाएगा। औषधिक खेती और मधुमक्खी पालन की पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के साथ-साथ सभी फल और सब्जियों के लिए प्रदान किया जाएगा। कुछ खाद्य पदार्थों को अविनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाएगा। बिना अवरोध अंतरराज्यीय व्यापार के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। जोखिम कम करने, आश्वासित प्रतिफल, और गुणवत्ता मानकीकरण को शामिल करते हुए सुविधाजनक कानूनी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि किसानों को प्रोसेसर/ एग्रीगेटर्स/ बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ा जा सके।
16 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान - भाग IV)	<ul style="list-style-type: none"> वाणिज्यिक कोयला उत्पादन और अन्वेषण में निजी क्षेत्र की सहभागिता को अनुमति दी जाएगी; कोयला गैसीकरण / द्रवीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा; कारोबारी सुगमता के लिए उपाय किए जाएंगे; कोल बेड मीथेन एक्सट्रैक्शन अधिकारों की, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की कोयला खदानों से नीलामी की जाएगी; सीआईएल के उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक शर्तों में रियायतें दी जाएंगी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
17 मई 2020 (आत्म निर्भर भारत अभियान - भाग V)	<ul style="list-style-type: none"> कोयला क्षेत्र में ₹50,000 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। खनिज क्षेत्र में निजी निवेशों को बढ़ाने के लिए निर्बाध समग्र अन्वेषण-सह-खनन सह-उत्पादन व्यवस्था शुरू की जाएगी; 500 खनन ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी; बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त रूप से नीलामी की जाएगी; कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव खानों के बीच भेद हटा दिया जाएगा; विभिन्न खनिजों के लिए खनिज सूचकांक विकसित किया जा रहा है; खनन पट्टे के लिए देय स्टॉप ड्यूटी को तर्कसंगत बनाया जाएगा। आयात पर प्रतिबंध वाले हथियारों/प्लेटफार्मों की एक सूची अधिसूचित की जाएगी; आयातित कलपुर्जों को स्वदेशीकृत किया जाएगा; आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा; स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा; समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हवाई क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाएगा, जिससे उड़ान लागत में प्रति वर्ष ₹1,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी; सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से विश्व स्तरीय हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा; चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए अनुसंधान रिएक्टरों, खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी की स्थापना हेतु पीपीपी को प्रोत्साहित किया जाएगा; और प्रौद्योगिकी विकास सह इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की मात्रा ₹8,100 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ बढ़ाई जाएगी। बिजली क्षेत्र के लिए नई टैरिफ नीति जारी की जाएगी और संघ शासित प्रदेशों में पॉवर युटिलिटीज का निजीकरण किया जाएगा। निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी; उदार भू-अंतरिक्ष डेटा नीति तकनीकी उद्यमियों को रिमोट-सेंसिंग डेटा प्रदान करेगी; ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा निजी क्षेत्र के लिए खुली की जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को बढ़ाया जाएगा; सभी जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे; प्रयोगशाला और निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा; और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम, मन:सामाजिक समर्थन के लिए मनोदरपण, नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक फ्रेमवर्क, और राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और न्यूमेरसी मिशन शुरू किया जाएगा। एमएसएमई के लिए विशेष दिवाला समाधान फ्रेमवर्क अधिसूचित किया जाएगा; एक वर्ष तक कोई भी नयी दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी; आईबीसी के अंतर्गत दिवाला कार्यवाही प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए जो "चूक" की परिभाषा दी गयी है उसमें कोविड-19 संबंधित ऋण शामिल नहीं किया जाएगा; निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें सूचीबद्ध नहीं माना जाएगा; छोटी कंपनियों/ एक-व्यक्ति कंपनियों/ निर्माता कंपनियों/ स्टार्ट-अप के सभी चूक के लिए दंड कम किया जाएगा। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों (तकनीकी और प्रक्रियात्मक स्वरूप की अल्प चूकों के लिए) को गैरआपराधिक माना जाएगा। सार्वजनिक हित में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की उपस्थिति अनिवार्य होने वाले कार्यनीतिक क्षेत्रों की सूची अधिसूचित की जाएगी; कार्यनीतिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र में कम से कम एक उद्यम रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी; अन्य क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा; और व्यर्थ की प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए, कार्यनीतिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या केवल एक से चार होगी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
23 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी जाएगी, जो विशिष्ट सुधारों से आंशिक रूप से जुड़ी रहेगी तथा इससे ₹4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा आवंटन में ₹40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाएगी। <p>एमएसएमई की आर्थिक परेशानी को कम करने के लिए पूरी तरह से गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के रूप में ₹3 लाख करोड़ रुपये तक अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर अधिसूचना जारी की गयी है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत उधार देने वाली सदस्य संस्थाओं को दी गयी समग्र निधि राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कृत है। ₹25 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण वाले व्यावसायिक उद्यम/एमएसएमई सीमित अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।</p>
1 जून 2020	बैंकों द्वारा अग्रिम के रूप में कृषि सहित पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन हेतु दिए गए ₹3 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए, जो 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच देय है या देय हो जाएंगे, बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और किसानों को 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के निरंतर लाभ के साथ उनकी चुकौती तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ज्ञापन जारी किया है।
12 जून 2020	छोटे कर दाताओं को विलंब शुल्क में कमी के माध्यम से जीएसटी छूट प्रदान की जाएगी, और पंजीकरण के निरसन का प्रतिसंहरण करने की मांग की अवधि में एक बार विस्तार दिया जाएगा।
20 जून 2020	गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत हाई रिवर्स माइग्रेशन का सामना कर रहे छह राज्यों में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को 125 दिनों के लिए अतिरिक्त रोजगार देने का प्रावधान किया गया।
24 जून 2020	भारत सरकार ने "दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण" शुरू किया। गौण ऋण के लिए एक ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) शुरू की गयी जिसके अंतर्गत उन एससीबी को गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा जो दबावग्रस्त एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋण संस्था (एमएलआई) हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम का उद्देश्य बैंकों के माध्यम से दबावग्रस्त एमएसएमई के प्रवर्तकों को कारोबार में इक्विटी/ क्वासी-इक्विटी के रूप में ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
30 जून 2020	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की निशुल्क व्यवस्था नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ा दी गयी।
बी. भारतीय रिज़र्व बैंक	
मौद्रिक नीति विभाग	
6 फरवरी 2020	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को 31 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के दौरान ऑटोमोबाइल, रिहायशी आवास और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को खुदरा ऋण के रूप में दी गयी वृद्धिशील ऋण राशि के समतुल्य राशि को 5 वर्ष (ऋण देने की तारीख या ऋण की अवधि से, जो भी पहले हो) की अवधि के लिए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में छूट।
27 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अप्रैल 2020 में आयोजित होने वाली अपनी बैठक पहले ही मार्च में आयोजित कर दी और नीति रेपो दर 75 आधार अंकों से घटाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया। रिवर्स रेपो दर 90 आधार अंकों से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया जिससे एसिमेट्रिक कॉरिडोर बन गया।¹

¹ रिवर्स रेपो दर से संबंधित इस उपाय का उद्देश्य रिज़र्व बैंक के साथ निष्क्रिय रूप से धन जमा करना तुलनात्मक रूप से बैंकों के लिए अनाकर्षक बनाना और इसके बजाय, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को आगे उधार देने के लिए इन निधियों का उपयोग करना है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
17 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> 26 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए 28 मार्च 2020 से सीआरआर 100 आधार अंकों से घटाकर एनडीटीएल के 3.0 प्रतिशत कर दिया गया है। 28 मार्च 2020 से 90 प्रतिशत न्यूनतम दैनिक सीआरआर शेष को बनाए रखने की निर्धारित अपेक्षा को घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया। यह व्यवस्था शुरू में 26 जून तक प्रदान की गयी थी जिसे अब 25 सितंबर 2020³ तक बढ़ा दिया गया है। 28 मार्च 2020 से सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। यह सुविधा शुरू में 30 जून 2020 तक दी गयी थी जिसे अब 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। रिवर्स रेपो दर 25 आधार अंकों से घटाकर 3.75 प्रतिशत कर दिया गया। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को कुल ₹50,000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा कर सकें⁵।
22 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> एमपीसी की जून 2020 की बैठक पहले की गयी और नीति रेपो दर को 40 आधार अंकों से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रेपो दर को 40 आधार अंकों से घटाकर 3.35 प्रतिशत किया गया। एक्जिम बैंक को ₹15,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया ताकि वह अपनी विदेशी मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सके। इसकी अवधि ऋण लेने की तारीख से 90 दिन है तथा अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक इसे रोल ओवर किया जा सकता है।
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
31 मार्च 2020	ब्याज सबवेंशन योजना (आईएसएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) के लिए पात्र अल्पावधि फसल ऋणों तथा सभी अल्पावधि फसल ऋणों को केसीसी ऋण में परिवर्तित करने के लिए 30 जून 2020 तक अवधि विस्तार पर परिपत्र।
4 जून 2020	वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए आईएसएस और पीआरआई के लिए 31 अगस्त 2020 तक अधिस्थगन अवधि के विस्तार पर परिपत्र।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
27 मार्च 2020	गैर-डेरिवेटिव बाजारों में विधिक प्रतिष्ठान अभिनिर्धारक (एलईआई) के कार्यान्वयन की समय सीमा 30 सितंबर 2020 तक बढ़ायी गयी।
3 अप्रैल 2020 के बाद 16 अप्रैल और 30 अप्रैल 2020	रिज़र्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत विभिन्न बाजारों के लिए कारोबारी समय में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार सहभागी अपने संसाधनों के अनुकूलन के साथ-साथ और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पर्याप्त जांच और नियंत्रण बनाए रखें।
18 मई 2020	विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग के निर्देशों (दिनांक 7 अप्रैल, 2020) के कार्यान्वयन की तिथि 1 जून 2020 से स्थगित कर 1 सितंबर 2020 कर दी गयी।

² सीआरआर में की गयी इस कमी से अतिरिक्त एसएलआर धारिता के संदर्भ के बजाय घटकों की देनदारियों के अनुपात में बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से लगभग ₹1,37,000 करोड़ रुपये की प्राथमिक चलनिधि निर्मोचित की गयी।

³ इस उपाय की घोषणा कर्मचारियों की सोशल डिस्टेंसिंग और उसके कारण रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर आने वाले दबाव के संदर्भ में बैंकों की कठिनाइयों को संज्ञान लेते हुए की गयी।

⁴ देशी वित्तीय बाजारों में असाधारण अत्यधिक अस्थिरता को देखते हुए, बैंकिंग प्रणाली को राहत प्रदान करने के लिए यह घोषणा की गयी।

⁵ इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के पुनर्वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को ₹25,000 करोड़ रुपये; आगे उधार देन/पुनर्वित्त के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़ रुपये; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को समर्थन देने के लिए एनएचबी को ₹10,000 करोड़ रुपये शामिल है। इस सुविधा के अंतर्गत आरबीआई के नीति रेपो दर पर अग्रिम दिए गए थे।

वार्षिक रिपोर्ट

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
22 मई 2020	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) जिन्हें 24 जनवरी 2020 और 30 अप्रैल 2020 के बीच स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) योजना के अंतर्गत निवेश सीमा आवंटित की गयी थी, को उनके प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार (सीपीएस) का 75 प्रतिशत निवेश करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
6 फरवरी 2020	उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए 1-3 वर्षों के लिए नीति रेपो दर पर टिकाउ चलनिधि प्रदान करने के लिए दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) की घोषणा। इस तरह का पहला एलटीआरओ 17 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया।
12 मार्च 2020	विदेशी मुद्रा बाजार ⁶ को अमेरिकी डॉलर चलनिधि प्रदान करने के लिए 6 महीने के अमेरिकी डॉलर की खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस तरह की पहली स्वैप नीलामी 16 मार्च 2020 को की गयी।
18 मार्च 2020	18 मार्च 2020 से जून 2020 तक रिजर्व बैंक द्वारा एनडीएस-ओएम पर संचालित किए गए परिचालनों सहित ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के माध्यम से ₹1,63,444 करोड़ की शुद्ध चलनिधि डाली गयी। पहली ओएमओ नीलामी 18 मार्च 2020 को की गयी।
23 मार्च 2020	₹1,00,000 करोड़ राशि के दो परिवर्ती दर रेपो की घोषणा। इसके बाद, 26 मार्च और 31 मार्च 2020 को ₹ 75,000 करोड़ के अतिरिक्त परिवर्ती दर रेपो परिचालनों का संचालन किया गया।
24 मार्च 2020	स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) को उपलब्ध सीमांत चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) को अस्थायी रूप से ₹ 2,800 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया।
27 मार्च 2020	लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गयी चलनिधि को उनके इन बांडों में पहले से किए गए निवेश के बकाया स्तर से अतिरिक्त, निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना था। इस प्रकार की पहला टीएलटीआरओ परिचालन 27 मार्च 2020 को किया गया।
30 मार्च 2020	अंतरिम उपाय के रूप में निर्धारित दर रिवर्स रेपो और एमएसएफ परिचालन विंडो टाइमिंग का विस्तार किया गया ताकि पात्र बाजार सहभागियों को उनके चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके।
17 अप्रैल 2020	नीति रेपो दर पर लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) 2.0 का संचालन करने का निर्णय लिया गया। बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर में नियोजित किया जाना है, जिसमें से ली गयी कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा छोटे और मध्य आकार के एनबीएफसी और एमएफआई के लिए नियोजित करना है। इस सुविधा के अंतर्गत किए गए निवेशों को एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के लिए अनुमत कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस तरह की पहली टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी 23 अप्रैल 2020 को की गयी।
27 अप्रैल 2020	म्यूचुअल फंडों पर चलनिधि का दबाव कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों द्वारा ली गयी चलनिधि का उपयोग केवल म्यूचुअल फंडों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने के लिए अनुमत कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर भी, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस सुविधा के अंतर्गत एक्सपोजर को भी बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार की पहली एसएलएफ-एलएफ नीलामी 27 अप्रैल 2020 को की गयी।
30 अप्रैल 2020	यह निर्णय लिया गया कि एसएलएफ-एमएफ योजना के अंतर्गत घोषित विनियामक लाभों को सभी बैंकों को दिया जाए, म्यूचुअल फंड संबंधी चलनिधि जरूरतों के लिए चाहे वे रिजर्व बैंक से धन प्राप्त करें या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अपने स्वयं के संसाधन से नियोजित करें।

⁶ इस उपाय की घोषणा इसलिए की गयी कि कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप के कारण विश्व के वित्तीय बाजार अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए तीव्र बिक्री दबाव का सामना कर रहे थे।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
विदेशी मुद्रा विभाग	
1 अप्रैल 2020	दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अथवा इस तिथि को निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को, निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ा कर पंद्रह महीने किया गया।
3 अप्रैल 2020	भारत सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत निधि (पीएम-केयर्स फंड)' के पक्ष में अनिवासी विनिमय गृहों के माध्यम से अनिवासियों से विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंक इन विप्रेषणों को 'पीएम- केयर्स फंड' में सीधे जमा करेंगे तथा रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) के अंतर्गत दान/योगदान भेजने वाले अनिवासियों के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।
22 मई 2020	31 जुलाई 2020 को अथवा उससे पूर्व किए गए आयातों के संबंध में सामान्य आयातों अर्थात् स्वर्ण/हीरे तथा मूल्यवान रत्नों/ आभूषणों के आयात को छोड़कर (उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी जैसे कारणों से राशि को रोककर रखा गया है) विप्रेषणों को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय-सीमा को शिपिंग की तारीख से छह महीनों से बढ़ा कर बारह महीने किया गया।
विनियमन विभाग	
27 मार्च 2020	<ul style="list-style-type: none"> ऋण अदायगी के बोझ को कम करने के लिए और अर्थक्षम व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विनियामकीय उपायों की घोषणा की गयी। मुख्य विशेषताओं में सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए भुगतान का पुनर्निर्धारण, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना और उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन के मद्देनजर विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए) और एनपीए के वर्गीकरण से छूट शामिल है। पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रेंच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2018 से लागू न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात 31 मार्च 2020 से आगे भी छह महीने की अवधि के लिए लागू होगा जब तक कि सीसीबी 30 सितंबर 2020 को 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त नहीं कर लेता। इसके अलावा, अतिरिक्त टिअर 1 लिखत बेमीयादी असंचयी अधिमानित शेयर तथा बेमीयादी कर्ज लिखत (पीएनसीपीएस और पीडीआई) रूपांतरण/राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित चेतावनी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को जोखिम भारित आस्तियों के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक छह महीने की अवधि के लिए निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को स्थगित किया गया है।
1 अप्रैल 2020	प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि सीसीवाईबी (5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इसका फ्रेमवर्क, इस निर्णय कि पूर्व घोषणा के साथ स्थापित किया गया था कि जब कभी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो इसे सक्रिय किया जाएगा) को एक वर्ष की अवधि या उससे पहले जैसा कि आवश्यक हो, सक्रिय नहीं किया जाएगा।
17 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> यह निर्णय लिया गया कि उन सभी खातों के संबंध में जिनके लिए ऋण देने वाली संस्थाएं अधिस्थगन या स्थगन देने का निर्णय लेते हैं, और जो 1 मार्च 2020 को मानक थे, 90 दिन के एनपीए मानदंड में, मानक अधिस्थगन अवधि शामिल नहीं है, अर्थात् 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक ऐसे सभी खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण पर रोक लगाई जाएगी। इसी के साथ बैंकों द्वारा पर्याप्त बफर बनाए रखना और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें दो तिमाहियों यानी मार्च 2020 और जून 2020 में चरणबद्ध तरीके से रोक के अंतर्गत आनेवाले ऐसे सभी खातों पर 10 प्रतिशत का उच्च प्रावधान बनाए रखना होगा। इन प्रावधानों को बाद में ऐसे खातों के वास्तविक स्लिपेज के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के समक्ष समायोजित किया जा सकता है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
29 अप्रैल 2020	<ul style="list-style-type: none"> 7 जून 2019 के रिज़र्व बैंक के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वर्तमान में जो बड़े खातें चूक में हैं उनके मामले में यदि चूक की तारीख से 210 दिनों के भीतर समाधान योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है तो एससीबी को 20 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान रखना जरूरी है। वर्तमान अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए चुनौतियों को समझते हुए यह निर्णय लिया गया है कि समाधान योजना के लिए अवधि को 90 दिनों से बढ़ाया जाए। अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और अत्यधिक अनिश्चितता के माहौल में घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों की पूंजी के संरक्षण की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि एससीबी अगले निर्देश तक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। व्यक्तिगत संस्थाओं के स्तर पर चलनिधि स्थिति को सहज बनाने के लिए, एससीबी की एलसीआर अपेक्षाओं को तत्काल प्रभाव से 100 प्रतिशत से 80 प्रतिशत किया गया। एलसीआर अपेक्षाओं को धीरे-धीरे दो चरणों में पुनःस्थापित किया जाएगा- 1 अक्टूबर 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल 2021 तक 100 प्रतिशत। <p>कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों को देखते हुए, विभिन्न विनियामकीय विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा 30 जून 2020 तक प्रस्तुत की जाने वाली विनियामकीय विवरणियों की समय सीमा बढ़ायी गयी है तथा यह विवरणियां नियत तारीख से 30 दिनों तक विलंब से प्रस्तुत की जा सकती हैं। हालांकि, सांविधिक विवरणियां, अर्थात् बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949; आरबीआई अधिनियम 1934 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विवरणी (यथा, सीआरआर /एसएलआर से संबंधित विवरणी), प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा के विस्तार की अनुमति नहीं है।</p>
13 मई 2020	<p>भारत सरकार द्वारा उसी दायरे और कवरेज के साथ पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना एक और वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है और आरबीआई द्वारा उपर्युक्त योजना के अंतर्गत जारी किए गए सभी मौजूदा परिचालनगत दिशानिर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।</p>
22 मई 2020	<p>22 मई 2020 से बैंक दर को 40 आधार अंक घटाकर 4.65 प्रतिशत से 4.25 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार, रिज़र्व अपेक्षाओं की पूर्ति में कमी होने पर सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, कमी की अवधि के आधार पर बैंक दर और 3.0 प्रतिशत अंक (पहले के 7.65 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और 5.0 प्रतिशत अंक (पहले के 9.65 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत) संशोधित की गयी हैं।</p>
23 मई 2020	<ul style="list-style-type: none"> बाजार की आकस्मिक अनिश्चितताओं के कारण जिन कॉर्पोरेट को पूंजी बाजार से धन जुटाने में कठिनाइयां हो रही हैं और जो मुख्य रूप से बैंक फंडिंग पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधनों के अधिक प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, बृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। मार्च और अप्रैल 2020 में जारी कोविड-19 विनियामकिय पैकेज को आगे बढ़ाते हुए वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के संचरण को रोकने के लिए और लॉकडाउन के विस्तार के कारण लगातार आर्थिक व्यवधान पर व्यवहार्य कारोबार और परिवारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गयी, जिनके अंतर्गत चुकौती के दबाव में छूट देने और ऋण चुकौती के बोझ को कम करके कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार शामिल हैं। अस्थिर वातावरण में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की निरंतर चुनौतियों के कारण अप्रैल 2020 के पहले के अनुदेशों के अनुसरण में, समीक्षा के बाद, 7 जून 2019 के दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क में निर्धारित समाधान समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया गया। यह उन खातों के संबंध में लागू था, जो शर्तों के अधीन 1 मार्च 2020 की समीक्षा अवधि के भीतर और बाद में थे।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
21 जून 2020	<ul style="list-style-type: none"> निर्यातकों द्वारा उत्पाद और उगाही चक्र में जिन वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें कम करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत पोत-लदानपूर्व तथा पोत-लदान के पश्चात के निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 15 महीने किया गया है। यह 31 जुलाई 2020 तक किए गए निर्यात के संबंध में भारत में निर्यात से प्राप्त आय की उगाही और प्रत्यावर्तन की अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर 15 महीने करने की पहले ही दी गयी अनुमति के अनुक्रम में था। <p>एमएसएमई उधारकर्ताओं को भारत सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाएं राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत है तथा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी द्वारा समर्थित हैं। इसलिए उधार देने वाली सदस्य संस्थाएं, जैसे एससीबी, (अनुसूचित आरआरबी सहित), एनबीएफसी (योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित) और एआईएफआई को गारंटी कवरेज की सीमा तक योजना के अंतर्गत दी गयी क्रेडिट सुविधाओं पर शून्य प्रतिशत जोखिम भार आवंटित करने की अनुमति दी गयी।</p>
पर्यवेक्षण विभाग	
16 मार्च 2020	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को परिचालन और कारोबार निरंतरता योजनाओं के भाग के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों की सांकेतिक सूची के संबंध में सूचित किया गया है।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
3 अप्रैल 2020	रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष और केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के अंतर्गत अधीनस्थ सभी कार्यालयों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड-19 से संबंधित जनता की शिकायतों के त्वरित निपटान के संबंध में सूचित किया गया।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
1 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 की मौजूदा सीमा से 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया, जिससे राज्य सरकारें, राजकोषीय दबाव से उबर सकें। संशोधित सीमाएं 1 अप्रैल 2020 से लागू हुईं और 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध होंगी।
7 अप्रैल 2020	राज्य सरकारों को उनके नकद प्रवाह के असंतुलन पर अधिक से अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजना की समीक्षा की गयी तथा कोई भी राज्य/ संघ शासित प्रदेश के सतत ओवरड्राफ्ट में रहने की सीमा को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य दिवस की गयी। इसके अलावा कोई भी राज्य/संघ शासित प्रदेश की एक तिमाही में ओवरड्राफ्ट के दिवसों की संख्या 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दी गयी।
17 अप्रैल 2020	राज्यों को नियंत्रण और शमन के प्रयासों को आरंभ करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना को बेहतर ढंग से सक्षम करने की दृष्टि से राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा को 31 मार्च 2020 के स्तर से ऊपर और अधिक 60 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। बढ़ी हुई सीमा 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी।
20 अप्रैल 2020	भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) की शेष अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा को ₹1,20,000 करोड़ से संशोधित कर ₹2,00,000 करोड़ किया जाए।
22 मई 2020	'समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) के गठन और प्रशासन की योजना' की समीक्षा की गयी और सीएसएफ से आहरण को नियंत्रित करने वाले नियमों में रियायत दी गयी तथा यह सुनिश्चित किया गया कि निधि में एक बड़ा कॉर्पस बरकरार रखा जाएगा।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
16 मार्च 2020	प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से आम जनता को यह सूचित किया गया कि चौबीसों घंटे भुगतान प्रणाली उपलब्ध है तथा सामाजिक संपर्क से बचते हुए अपने घर से भुगतान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
24 मार्च 2020	विभिन्न भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय-सीमा को बढ़ाया गया।
4 जून 2020	भुगतान प्रणाली की विभिन्न अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को प्रदान की गयी समय-सीमा को और आगे बढ़ाया।
22 जून 2020	प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और सहभागियों को सूचित किया गया कि वे अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित और विश्वसनीय उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए लक्षित बहुभाषी अभियान शुरू करें।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था					
I.1 बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी (%परिवर्तन) *	7.9	6.7	7.0	6.1	4.2
I.2 बेसिक मूल्य पर वास्तविक जीवीए (% परिवर्तन) *	7.7	6.3	6.6	6.0	3.9
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	213.6	248.8	285.0	285.2	296.7
I.4 क) खाद्य भंडार (मार्च अंत में मिलियन टन)	18.6	50.0	43.3	72.7	74.0
ख) खरीद	39.4	61.3	68.2	80.4	73.6
ग) उठाव	41.5	56.9	60.3	65.9	62.2
I.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (%परिवर्तन)	11.2	4.6	4.4	3.8	-0.8
I.6 आठ मूल उद्योगों का सूचकांक (%परिवर्तन)	5.9	4.9	4.3	4.4	0.4
I.7 सकल देशी बचत दर (वर्तमान मूल्य पर जीएनडीआई का%) *	33.6	33.9	32.0	29.7	—
I.8 सकल देशी निवेश दर (वर्तमान मूल्य पर जीडीपी का %) *	35.2	38.0	34.2	32.2	—
II. मूल्य					
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	—	—	3.6	3.4	4.8
II.2 सीपीआई- औद्योगिक श्रमिक (औसत % परिवर्तन)	5.0	10.3	3.1	5.4	7.5
II.3 थोक मूल्य सूचकांक (औसत % परिवर्तन) #	5.5	7.1	2.9	4.3	1.7
III. मुद्रा और ऋण					
III.1 आरक्षित मुद्रा (% परिवर्तन)	20.4	12.1	27.3	14.5	9.4
III.2 व्यापक मुद्रा (एम3) (% परिवर्तन)	18.6	14.7	9.2	10.5	8.9
III.3 क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की समग्र जमा राशि (% परिवर्तन)	20.2	15.0	6.2	10.0	7.9
ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का बैंक ऋण (% परिवर्तन)	26.7	16.7	10.0	13.3	6.1
IV. वित्तीय बाजार					
IV.1 ब्याज दर (%)					
क) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	5.9	6.3	5.4
ख) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	7.0	7.7	6.7
ग) 91-दिवसीय खजाना -बिलों पर प्रतिफल	-	-	6.2	6.6	5.5
घ) केंद्र सरकार के उधार पर भारत औसत लागत	-	-	7.0	7.8	6.9
ङ) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	7.0	7.6	6.6
च) जमाराशि प्रमाणपत्र ##	8.9	8.2	6.6	7.3	5.9
IV.2 चलनिधि (₹ लाख करोड़)					
क) बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) ~	-	-	-0.6	-1.5	2.6
ख) बकाया बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) ~	-	-	0.0	0.0	0.0
ग) माँग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार ###	0.1	0.2	0.5	0.4	0.6
ङ) परिवर्ती दर रिपो\$	-	-	2.6	1.6	0.9
च) परिवर्ती दर रिवर्स रिपो \$	-	-	0.2	0.0	1.2
छ) मार्जिनल स्थायी सुविधा\$	-	-	0.53	0.94	0.02
V. सरकारी वित्त*					
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %)					
क) राजस्व प्राप्तियाँ	10.0	9.2	8.4	8.2	8.3
ख) पूंजी लागत	1.6	1.6	1.4	1.5	1.5
ग) कुल व्यय	14.9	15.0	12.5	12.2	13.2
घ) सकल राजकोषीय घाटा	3.7	5.4	3.5	3.4	4.6
V.2 राज्य सरकार के वित्त&&					
क) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)	0.4	0.0	0.1	0.1	0.6
ख) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	2.7	2.2	2.4	2.1	2.8
ग) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)	0.3	0.6	0.7	0.6	1.3

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1 : समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
VI. बाह्य क्षेत्र					
VI.1 भुगतान संतुलन					
क) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	10.3	9.1	-5.0
ख) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	19.5	10.3	-7.6
ग) व्यापार शेष/जीडीपी (%)	-5.5	-9.1	-6.0	-6.6	-5.5
घ) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.2	5.8	4.2	4.5	4.6
ज) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.3	-1.8	-2.1	-0.9
च) निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी(%)	4.7	3.8	3.4	2.0	2.9
छ) रिजर्व परिवर्तन (बीओपी आधार पर) (बिलियन अमरीकी \$) [(वृद्धि (-)/कमी (+))]	-40.3	-6.6	-43.6	3.3	-59.5
VI.2 बाह्य ऋण सूचकांक					
क) बाह्य ऋण स्टॉक (बिलियन अमरीकी \$)	156.5	359.0	529.3	543.1	558.5
ख) ऋण- जीडीपी अनुपात (%)	17.8	20.9	20.1	19.8	20.6
ग) रिजर्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	10.9	9.6	12.0
घ) कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (%)	13.6	21.3	19.3	20.0	19.1
ज) ऋण सेवा अनुपात (%)	8.3	5.6	7.5	6.4	6.5
च) रिजर्व की तुलना में ऋण (%)	113.7	84.8	80.2	76.0	85.5
VI.3 उदारता सूचकांक (%)					
क) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.7	41.0	29.3	31.5	27.8
ख) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	41.3	53.2	41.1	43.8	39.7
ग) चालू प्राप्ति और चालू भुगतान/जीडीपी	47.1	59.4	46.5	49.6	45.6
घ) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	37.3	50.4	45.1	38.0	39.6
ज) चालू प्राप्ति और भुगतान और पूंजी प्राप्ति और भुगतान/जीडीपी	84.4	109.8	91.6	87.5	85.3
VI.4 विनिमय दर सूचकांक					
क) विनिमय दर (रुपये/ अमेरिकी डॉलर)					
अवधि के अंत में	43.1	51.1	65.0	69.2	75.4
औसत	44.1	51.2	64.5	69.9	70.9
ख) 36-मुद्रा आरईआईआर (% परिवर्तन)	3.1^	0.8	4.5	-4.8	2.4
ग) 36-मुद्रा एनईआईआर(% परिवर्तन)	1.7^	-4.9	3.1	-5.6	0.9
घ) 6- मुद्रा आरईआईआर (% परिवर्तन)	4.4^	1.9	3.2	-5.8	3.3
ज) 6- मुद्रा एनईआईआर (% परिवर्तन)	1.6^	-5.4	1.6	-7.1	0.8

- : उपलब्ध नहीं

* : डाटा 2011-12 आधार वर्ष शृंखला पर आधारित है।

: थोक मूल्य सूचकांक के वार्षिक डाटा के लिए आधार वर्ष 2011-12=100 है और 5 वर्ष की मुद्रास्फीति की औसत के लिए आधार वर्ष 2004-05= 100।

: कालम 2 से संबंधित डाटा 13 अप्रैल 2007 से 28 मार्च 2008 पर आधारित है।

: केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में आउटराइट व्यापार टर्नओवर(केलेंडर दिनों पर आधारित)

~ : 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (ऋणात्मक चिन्ह अन्तर्वेशन दर्शाते हैं)

~~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार तक का बकाया

\$: 31 मार्च तक का बकाया

& : 2019-20 के लिए आंकड़ें अनंतिम लेखा से संबंधित हैं।

&& : 2017-18 तक का डाटा सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है। 2018-19 से आगे का डाटा अनंतिम है और केवल 25 राज्यों से संबंधित हैं।

^ : 2005-06 से 2007-08 की अवधि का औसत

टिप्पणी : वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआईआर) सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, केंद्र और राज्य सरकार के श्रम ब्यूरो और बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना
(2011-12 की मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर				शेयर		
	औसत 2013-14 से 2019-20	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल देशी उत्पाद के व्यय का हिस्सा							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	7.0	7.0	7.2	5.3	56.0	56.6	57.2
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	7.9	11.8	10.1	11.8	10.2	10.6	11.3
3. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	4.8	7.2	9.8	-2.8	30.8	31.9	29.8
4. स्टॉक में परिवर्तन	16.4	76.0	22.5	1.9	1.6	1.9	1.9
5. मूल्यवान वस्तुएं	-1.0	27.2	-11.9	13.5	1.5	1.2	1.3
6. निवल निर्यात	-17.1	-257.7	11.8	29.2	-3.6	-3.0	-2.0
क) निर्यात	3.2	4.6	12.3	-3.6	19.7	20.9	19.3
ख) कम आयात	1.5	17.4	8.6	-6.8	23.4	23.9	21.4
7. विसंगतियाँ	-58.4	65.1	-73.9	-25.6	3.5	0.9	0.6
8. सकल देशी उत्पाद	6.8	7.0	6.1	4.2	100.0	100.0	100.0
जीवीए पर बेसिक मूल्य (आपूर्ति का हिस्सा)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	3.6	5.9	2.4	4.0	15.1	14.6	14.6
2. उद्योग	6.4	6.8	4.5	0.8	23.4	23.1	22.4
जिसमें से :							
क) खनन और उत्खनन	4.6	4.9	-5.8	3.1	3.0	2.7	2.7
ख) विनिर्माण	6.6	6.6	5.7	0.0	18.1	18.1	17.4
ग) बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	7.1	11.2	8.2	4.1	2.3	2.3	2.3
3. सेवाएं	7.4	6.7	7.5	5.0	61.4	62.3	62.9
जिसमें से :							
क) विनिर्माण	4.1	5.0	6.1	1.3	8.0	8.0	7.8
ख) व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएं	7.5	7.6	7.7	3.6	19.1	19.4	19.4
ग) वित्तीय, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	8.2	4.7	6.8	4.6	21.6	21.8	21.9
घ) सरकारी प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	8.1	9.9	9.4	10.0	12.7	13.1	13.9
4. जीवीए पर बेसिक मूल्य	6.5	6.6	6.0	3.9	100.0	100.0	100.0

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 3 : सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5
I. सकल बचत	30.5	30.9	32.0	29.7
1.1 गैर-वित्तीय निगम	12.0	11.6	11.9	10.7
1.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.1	1.1	1.4	1.3
1.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	10.9	10.5	10.6	9.4
1.2 वित्तीय निगम	2.1	2.2	2.2	1.8
1.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.3	1.4	1.4	0.9
1.2.2 निजी वित्तीय निगम	0.8	0.9	0.9	0.9
1.3 सामान्य सरकार	-1.2	-0.8	-1.1	-0.8
1.4 हाउसहोल्ड क्षेत्र	17.6	17.9	18.9	17.9
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.9	7.3	7.6	6.4
मेमो: सकल वित्तीय बचत	10.7	10.4	11.9	10.4
1.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	9.4	10.2	11.0	11.3
1.4.3 मूल्यवान वस्तुओं में बचत	0.3	0.3	0.2	0.2

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय

टिप्पणी: हाउसहोल्ड क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत की गणना वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत तथा वित्तीय देयताओं के बीच के अंतर से की गई है।

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 4 : मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारत)*	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	3.6	3.0	4.3	3.6	3.9	5.4	3.6	3.4	4.8
खाद्य और पेय	2.4	0.7	4.8	1.8	0.7	8.1	2.2	0.7	6.0
आवास	6.5	6.7	4.5	6.5	6.7	4.5
ईंधन और बिजली	6.5	6.0	1.1	5.6	5.2	1.7	6.2	5.7	1.3
विविध	4.3	6.3	5.1	3.1	5.4	3.7	3.8	5.8	4.4
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	4.7	5.7	4.1	4.6	5.9	4.0	4.6	5.8	4.0
अन्य मूल्य सूचकांक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1. थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100) *									
सभी वस्तुएँ	8.9	7.4	5.2	1.3	-3.7	1.7	2.9	4.3	1.7
प्राथमिक वस्तुएं	9.8	9.8	9.8	2.2	-0.4	3.4	1.4	2.7	6.8
जिनमें से : खाद्य वस्तुएं	7.3	9.9	12.3	5.6	2.6	4.0	2.1	0.3	8.4
ईंधन और ऊर्जा	14.0	10.3	7.1	-6.1	-19.7	-0.3	8.2	11.5	-1.8
विनिर्मित उत्पाद	7.3	5.4	3.0	2.6	-1.8	1.3	2.7	3.7	0.3
खाद्यान्न से इतर विनिर्मित उत्पाद	7.3	4.9	2.7	2.7	-1.8	-0.1	3.0	4.2	-0.4
2. सीपीआई - औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू) (2001=100)	8.4	10.4	9.7	6.3	5.6	4.1	3.1	5.4	7.5
जिनमें से : सीपीआई-आईडब्ल्यू खाद्यान्न	6.3	11.9	12.3	6.5	6.1	4.4	1.5	0.6	7.4
3. सीपीआई- कृषि श्रमिक (1986-87=100)	8.2	10.0	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1	8.0
4. सीपीआई- ग्रामीण श्रमिक (1986-87=100)	8.3	10.2	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2	7.7
मुद्रा और ऋण									
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17^	2017-18	2018-19	2019-20
आरक्षित मुद्रा (आरएम)	3.6	6.2	14.4	11.3	13.1	-12.9	27.3	14.5	9.4
संचलन में मुद्रा	12.4	11.6	9.2	11.3	14.9	-19.7	37.0	16.8	14.5
आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियाँ	-15.9	-10.0	34.0	8.3	7.8	8.4	3.9	6.4	-9.6
मुद्रा -जीडीपी अनुपात ^९	12.2	12.0	11.6	11.6	12.1	8.7	10.7	11.3	12.0
संकीर्ण मुद्रा (एम1)	6.0	9.2	8.5	11.3	13.5	-3.9	21.8	13.6	11.2
व्यापक मुद्रा (एम3)	13.5	13.6	13.4	10.9	10.1	6.9	9.2	10.5	8.9
मुद्रा - जमा अनुपात	16.1	15.7	15.1	15.2	16.0	11.0	14.4	15.4	16.3
मुद्रा गुणांक (अनुपात) ^{##}	5.2	5.5	5.5	5.5	5.3	6.7	5.8	5.6	5.5
जीडीपी-एम3 अनुपात ^{###}	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक									
कुल जमा राशियाँ	13.5	14.2	14.1	10.7	9.3	11.3	6.2	10.0	7.9
बैंक ऋण	17.0	14.1	13.9	9.0	10.9	4.5	10.0	13.3	6.1
खाद्येतर ऋण	16.8	14.0	14.2	9.3	10.9	5.2	10.2	13.4	6.1
ऋण-जमा अनुपात	78.0	77.9	77.8	76.6	77.7	72.9	75.5	77.7	76.4
ऋण-जीडीपी अनुपात ^९	52.8	52.9	53.4	52.4	52.6	50.9	50.4	51.5	51.0

: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारत) के लिए आधार 2012=100 है।

... : आवास के लिए सीपीआई ग्रामीण को समेकित नहीं किया है।

* : थोक मूल्य सूचकांक के लिए 2011-12 से 2012-13 तक की अवधि के लिए आधार 2004-05= 100 और 2013-14 से 2019-20 के लिए आधार 2011-12=100 हैं।

: प्रतिशत में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

^ : 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 की आरक्षित मुद्रा और उसके घटका

\$: 2011-12 से आगे जीडीपी के आंकड़ें नई शृंखला पर आधारित हैं अर्थात्, आधार: 2011-12। जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्यों पर दर्शाते हैं।

टिप्पणी: जब तक विशिष्ट रूप से सूचित नहीं किया जाता अन्यथा वर्ष-दर-वर्ष आंकड़ों के प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई, एनएसओ, श्रम ब्यूरो और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

परिशिष्ट सारणी 5: प्राथमिक एवं द्वितीयक पूंजी बाज़ार

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

मद	2018-19		2019-20 (अ)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाज़ार				
ए. विवरण-पत्र एवं अधिकार-पत्र निर्गम				
1. निजी क्षेत्र (क + ख)	154	0.5	106	0.8
क) वित्तीय	31	0.4	38	0.2
ख) गैर-वित्तीय	123	0.1	68	0.6
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख+ग)	4	0.0	3	0.1
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	4	0.0	2	0.0
ख) सरकारी कंपनियां
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	1	0.1
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)	158	0.5	109	0.9
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	133	0.2	75	0.8
(ii) ऋण	25	0.4	34	0.1
जारीकर्ता के प्रकार				
(क) आई.पी.ओ.	123	0.2	58	0.2
(ख) सूचीबद्ध	35	0.4	51	0.7
बी. यूरो निर्गम (ए.डी.आर एवं.जी.डी.आर.)	1	0.1
सी. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (क+ ख)	2,162	3.9	1,467	3.3
क) वित्तीय	1,911	2.7	1,279	2.3
ख) गैर-वित्तीय	251	1.2	188	1.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ ख)	187	2.5	244	3.5
क) वित्तीय	150	2.1	157	2.2
ख) गैर-वित्तीय	37	0.4	87	1.4
3. कुल (1+2, i+ii)	2,349	6.4	1,711	6.8
(i) इक्विटी	14	0.1	13	0.5
(ii) ऋण	2,335	6.3	1,698	6.3
डी. अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन	14	0.1	13	0.5
ई. म्यूचुअल फंड संग्रहण (निवल) #		1.1		0.9
1. निजी क्षेत्र		0.6		0.2
2. सार्वजनिक क्षेत्र		0.5		0.6
II. द्वितीयक बाज़ार				
बीएसई				
बीएसई सूचकांक: समाप्ति-अवधि	38,672.9		29,468.5	
अवधि का औसत	35,971.8		38,756.7	
कीमत अर्जन अनुपात@	28.0		17.8	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाज़ार पूंजीकरण (%)	79.6		55.8	
नकदी खंड का कुल कारोबार		7.8		6.6
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		0.0		2.6
एनएसई				
एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी:समाप्ति-अवधि	11,623.9		8,597.8	
अवधि का औसत	10,859.5		11,488.0	
कीमत अर्जन अनुपात@	29.0		19.4	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाज़ार पूंजीकरण (%)	78.7		55.3	
नकदी खंड का कुल कारोबार		79.5		90.0
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		2,376.0		3,445.3

... कुछ नहीं अ: अनंतिम (2019-20 के लिए) #: निवल मोचन @समाप्त अवधि
 स्रोत: सेबी, एनएसई, बीएसई,सीएसओ और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकर।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 6 : मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं [@]	बकाया देयताएं [§]
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	4.0	3.2	-0.5	7.7	54.6	60.6
1995-96	0.8	2.5	-1.7	5.0	50.3	58.3
2000-01	0.9	4.0	-0.7	5.6	54.6	60.4
2009-10	3.2	5.3	2.0	6.6	55.4	57.3
2010-11	1.8	3.3	0.2	4.9	51.6	53.2
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.9	51.7	53.5
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	51.0	52.5
2013-14	1.1	3.2	-0.2	4.5	50.5	52.2
2014-15	0.9	2.9	-0.3	4.1	50.1	51.4
2015-16	0.7	2.5	-0.7	3.9	50.1	51.5
2016-17	0.4	2.1	-1.1	3.5	48.4	49.5
2017-18	0.4	2.6	-0.5	3.5	48.3	49.7
2018-19	0.4	2.4	-0.7	3.4	48.4	49.6
2019-20 (सं.अ.)#	0.7	2.5	-0.6	3.8	49.9	51.4
2019-20 (अ.ले.)	1.6	3.3	0.3	4.6
2020-21 (ब.अ.)	0.4	2.7	-0.4	3.5	49.5	50.7
राज्य*						
1990-91	1.8	0.9	-0.6	3.3	22.2	22.2
1995-96	0.8	0.7	-1.1	2.6	20.8	20.8
2000-01	1.8	2.5	0.1	4.2	28.1	28.1
2009-10	1.2	0.4	-1.4	3.0	26.4	26.4
2010-11	0.4	-0.2	-1.8	2.1	24.4	24.4
2011-12	0.4	-0.3	-1.9	2.0	23.2	23.2
2012-13	0.4	-0.3	-1.8	2.0	22.6	22.6
2013-14	0.7	0.0	-1.5	2.2	22.3	22.3
2014-15	1.1	0.3	-1.2	2.6	22.0	22.0
2015-16	1.5	0.0	-1.6	3.0	23.7	23.7
2016-17	1.8	0.2	-1.4	3.5	25.1	25.1
2017-18	0.7	0.1	-1.6	2.4	25.1	25.1
2018-19	0.6	0.1	-1.4	2.1	22.3	22.3
2019-20 (सं.अ.)	1.3	0.6	-0.9	2.8	23.0	23.1
2020-21 (ब.अ.)	0.8	0.0	-1.5	2.3	23.3	23.3
संयुक्त*						
1990-91	5.0	4.1	-0.2	9.3	64.0	70.1
1995-96	1.5	3.1	-1.8	6.4	60.4	68.5
2000-01	3.5	6.5	0.7	9.3	69.2	75.0
2009-10	4.6	5.8	0.9	9.5	70.0	71.8
2010-11	2.4	3.3	-1.3	7.0	65.3	66.9
2011-12	3.3	4.2	-0.3	7.8	65.6	67.4
2012-13	2.3	3.5	-1.1	6.9	65.1	66.7
2013-14	1.9	3.3	-1.5	6.7	65.4	67.1
2014-15	2.0	3.3	-1.4	6.7	65.2	66.6
2015-16	2.2	2.5	-2.2	6.9	67.1	68.5
2016-17	2.2	2.3	-2.4	6.9	67.6	68.8
2017-18	1.1	2.7	-2.1	5.8	68.4	69.8
2018-19	0.9	2.5	-2.1	5.4	66.2	67.5
2019-20 (सं.अ.)	1.9	3.1	-1.5	6.5	69.0	70.4
2020-21 (ब.अ.)	1.1	2.7	-1.9	5.8	69.2	70.5

- : उपलब्ध नहीं सं.अ.: संशोधित अनुमान अ.ले.: अंतिम लेखा. ब.अ.: बजट अनुमान

@ : केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

\$: केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

कालम 6 और 7 में दर्शाए गए आंकड़ें संबंधित वर्ष के मार्च अंत तक के बकाया आंकड़ों को दर्शाते हैं।

* : 2017-18 तक का डाटा सभी राज्य और संघशासित प्रदेशों से संबंधित है, 2018-19 से आगे के आंकड़ें केवल 25 राज्य सरकारों के बजट से संबंधित हैं।

: किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम जीडीपी डेटा का उपयोग करने के सिद्धांत के आधार पर, 2019-20 (सं.अ.) से आगे उपयोग की जाने वाली जीडीपी नवीनतम उपलब्ध अंतिम अनुमान है। इसे देखते हुए, इस सारणी में दिए गए जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय संकेतक केंद्रीय बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट किए गए समय से कुछ हद तक भिन्न हो सकते हैं।

नोट : 1. समेकित घाटा/देयता संकेतकों पर आंकड़े केंद्र और राज्य सरकार के बीच अंतर-सरकारी लेनदेन के निवल हैं (अर्थात् क) राज्य सरकार के विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश ख) केन्द्र से राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम और ग) केंद्र सरकार के खजाना बिलों में राज्य सरकार के निवेश।

2. एनएसएसएफ में निवेश नकारात्मक चिह्न (-) घाटा सूचकों में अधिशेष का संकेतक है।

3. इस सारणी में उपयोग किए गए जीडीपी के आंकड़े 2011-12 के आधार पर आधारित हैं, जो अंतिम उपलब्ध अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज, 2018-19 के सरकारी ऋण की स्थिति दर्शाने वाले कागजात और लोक ऋण प्रबंधन के तिमाही रिपोर्ट (जन-मार्च 2020)।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 7: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्ति और संवितरण

(राशि ₹ हजार करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	3,760.6	4,266.0	4,515.9	4,592.8	5,384.0	5,891.7
1.1 विकासात्मक	2,201.3	2,537.9	2,635.1	2,561.8	3,136.6	3,399.6
1.1.1 राजस्व	1,668.3	1,878.4	2,029.0	1,969.2	2,430.0	2,600.3
1.1.2 पूंजी	412.1	501.2	519.4	536.1	631.8	701.2
1.1.3 ऋण	121.0	158.3	86.7	56.6	74.8	98.1
1.2 अविकासात्मक	1,510.8	1,672.7	1,812.5	1,961.3	2,163.6	2,405.7
1.2.1 राजस्व	1,379.7	1,555.2	1,741.4	1,851.4	2,049.1	2,283.4
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	648.1	724.5	814.8	857.0	931.4	1,043.2
1.2.2 पूंजी	127.3	115.8	69.4	108.9	113.3	121.0
1.2.3 ऋण	3.8	1.6	1.7	1.0	1.2	1.4
1.3 अन्य	48.5	55.4	68.4	69.6	83.9	86.4
2 कुल प्राप्ति	3,778.1	4,288.4	4,528.4	4,575.7	5,286.3	5,953.5
2.1 राजस्व प्राप्ति	2,748.4	3,132.2	3,376.4	3,422.2	3,938.3	4,364.5
2.1.1 कर प्राप्ति	2,297.1	2,622.2	2,978.1	3,009.9	3,282.5	3,670.4
2.1.1.1 वस्तुओं और सेवाओं पर कर	1,441.0	1,652.4	1,853.9	1,844.7	1,970.0	2,232.6
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852.3	965.6	1,121.2	1,162.4	1,308.3	1,433.3
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र के कर (बिना विधायन के)	3.9	4.2	3.1	2.8	4.2	4.5
2.1.2 कर से इतर प्राप्ति	451.3	510.1	398.3	412.3	655.8	694.1
2.1.2.1 ब्याज प्राप्ति	35.8	33.2	34.2	35.1	32.6	30.2
2.2 ऋण से इतर पूंजी प्राप्ति	59.8	69.1	142.4	138.2	124.1	230.4
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16.6	20.9	42.2	42.6	57.1	16.5
2.2.2 विनिवेश प्राप्ति	43.3	48.1	100.2	95.6	67.0	213.9
3 सकल राजकोषीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	952.4	1,064.7	997.1	1,032.4	1,321.7	1,296.8
3ए वित्तपोषण के स्रोत: संस्थावार						
3ए.1 घरेलू वित्तपोषण	939.7	1,046.7	989.2	1,026.9	1,316.7	1,292.2
3ए.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231.1	617.1	144.8	387.1	518.1	...
3ए.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	60.5	195.8	-144.8	326.0	190.2	...
3ए.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	708.6	429.6	844.4	639.8	798.6	...
3ए.2 बाह्य वित्त पोषण	12.8	18.0	7.9	5.5	4.9	4.6
3बी वित्तपोषण के स्रोत: लिखतवार						
3बी.1 घरेलू वित्तपोषण	939.7	1,046.7	989.2	1,026.9	1,316.7	1,292.2
3बी.1.1 बाजार से उधार (निवल)	673.3	689.8	794.9	750.8	904.0	1,016.9
3बी.1.2 अल्प बचत (निवल)	-78.5	-105.0	-163.2	-198.6	-311.5	-286.6
3बी.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	35.3	45.7	42.4	40.9	35.8	37.5
3बी.1.4 आरक्षित निधियां	-3.3	-6.4	18.4	-18.3	-0.2	3.0
3बी.1.5 जमा राशि और अग्रिम	13.5	17.8	25.1	66.3	32.9	36.0
3बी.1.6 नकदी शेष	-17.4	-22.5	-12.5	17.1	97.8	-61.8
3बी.1.7 अन्य	316.9	427.3	284.1	368.7	558.0	547.1
3बी.2 बाह्य वित्तपोषण	12.8	18.0	7.9	5.5	4.9	4.6
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	27.3	27.7	26.4	24.2	26.5	26.2
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्ति	27.4	27.9	26.5	24.1	26.0	26.5
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्ति	20.0	20.3	19.7	18.0	19.4	19.4
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्ति	16.7	17.0	17.4	15.9	16.1	16.3
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	6.9	6.9	5.8	5.4	6.5	5.8

... : उपलब्ध नहीं ; सं. अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

नोट : 2017-18 तक का डाटा सभी राज्य और संघशासित प्रदेश से संबंधित हैं, 2018-19 से आगे का डाटा अनंतिम हैं और केवल 25 राज्यों से संबंधित है। जीडीपी डाटा 2011-12 आधार पर आधारित हैं।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकार के बजट दस्तावेज

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 8: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अ)
1	2	3	4	5	6
ए. चालू खाता					
1 निर्यात, एफ.ओ.बी.	2,66,365	2,80,138	3,08,970	3,37,237	3,20,431
2 आयात, सी.आई.एफ़.	3,96,444	3,92,580	4,69,006	5,17,519	4,77,937
3 व्यापार शेष	-1,30,079	-1,12,442	-1,60,036	-1,80,283	-1,57,506
4 अदृश्य मदें, निवल	1,07,928	98,026	1,11,319	1,23,026	1,32,850
क) 'गैर कारक' सेवाएं जिसमें से:	69,676	68,345	77,562	81,941	84,922
सॉफ्टवेयर सेवाएं	71,454	70,763	72,186	77,654	84,643
ख) आय	-24,375	-26,302	-28,681	-28,861	-27,281
ग) निजी अंतरण	63,139	56,573	62,949	70,601	76,217
5 चालू खाता शेष	-22,151	-14,417	-48,717	-57,256	-24,656
बी. पूंजी खाता					
1 विदेशी निवेश, निवल (क +ख)	31,891	43,224	52,401	30,094	44,417
क) प्रत्यक्ष निवेश	36,021	35,612	30,286	30,712	43,013
ख) संविभाग निवेश	-4,130	7,612	22,115	-618	1,403
2 बाह्य सहायता, निवल	1,505	2,013	2,944	3,413	3,751
3 वाणिज्यिक उधारियां, निवल	-4,529	-6,102	-183	10,416	22,960
4 अल्पावधि ऋण, निवल	-1,610	6,467	13,900	2,021	-1,026
5 बैंकिंग पूंजी जिसमें से :	10,630	-16,616	16,190	7,433	-5,315
अनिवासी जमाराशियाँ, निवल	16,052	-12,367	9,676	10,387	8,627
6 रुपया ऋण सेवाएं	-73	-99	-75	-31	-69
7 अन्य पूंजी, निवल ⁵	3,315	7,559	6,213	1,057	18,462
8 कुल पूंजी खाता	41,128	36,447	91,390	54,403	83,180
सी. भूल-चूक	-1,073	-480	902	-486	974
डी. समग्र शेष [ए (5)+ बी (8)+सी]	17,905	21,550	43,574	-3,339	59,498
ई. मौद्रिक गतिविधियाँ (एफ +जी)	-17,905	-21,550	-43,574	3,339	-59,498
एफ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	0	0	0	0	0
जी. भंडार और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि-,कमी+)	-17,905	-21,550	-43,574	3,339	-59,498
जिसमें से: एसडीआर आबंटन	0	0	0	0	0
मेमो: जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1 व्यापार संतुलन	-6.2	-4.9	-6.0	-6.6	-5.5
2 निवल सेवाएं	3.3	3.0	2.9	3.0	3.0
3 निवल आय	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1	-1.0
4 चालू खाता शेष	-1.1	-0.6	-1.8	-2.1	-0.9
5 पूंजी निवल (रिजर्व में परिवर्तन को छोड़कर)	2.0	1.6	3.4	2.0	2.9
6 विदेशी निवेश, निवल	1.5	1.9	2.0	1.1	1.5

अ: अंतिम

\$: इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियां और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम के लंबित मामले शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोना तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्ति में की गई है।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जिसका कारण कवरेज, मूल्यांकन और समय में अंतर होना है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 9 : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

स्रोत/उद्योग	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अ
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	36,068	36,317	37,366	38,744	42,629
देश-वार अंतर्वाह					
सिंगापुर	12,479	6,529	9,273	14,632	12,612
मॉरीशस	7,452	13,383	13,415	6,570	7,498
नीदरलैंड्स	2,330	3,234	2,677	2,519	5,295
कैमैन आइसलैंड्स	440	49	1,140	863	3,496
यू.एस.ए.	4,124	2,138	1,973	2,823	3,401
जापान	1,818	4,237	1,313	2,745	2,308
फ्रांस	392	487	403	375	1,167
यूनाइटेड किंगडम	842	1,301	716	1,211	1,125
दक्षिणी कोरिया	241	466	293	982	777
हांगकांग	344	134	1,044	598	678
साइप्रेस	488	282	290	161	657
जर्मनी	927	845	1,095	817	443
बेलजियम	57	172	213	56	388
यू.ए.ई.	961	645	408	853	323
लक्समबर्ग	784	99	243	251	252
यूके वर्जिन आइसलैंड्स	203	212	21	290	250
चीन	461	198	350	229	162
अन्य	1,725	1,905	2,498	2,768	1,796
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
विनिर्माण	8,439	11,972	7,066	7,919	8,153
संचार सेवाएं	2,638	5,876	8,809	5,365	6,838
फुटकर व थोक व्यापार	3,998	2,771	4,478	4,311	4,914
वित्तीय सेवाएँ	3,547	3,732	4,070	6,372	4,326
कम्प्यूटर सेवाएं	4,319	1,937	3,173	3,453	4,104
व्यापार सेवाएँ	3,031	2,684	3,005	2,597	3,684
रेस्तरां व होटल	889	430	452	749	2,546
परिवहन	1,363	891	1,267	1,019	2,333
निर्माण	4,141	1,564	1,281	2,009	1,937
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन वितरण एवं प्रेषण	1,364	1,722	1,870	2,427	1,906
स्थावर-संपदा क्रियाएँ	112	105	405	213	564
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	394	205	347	736	528
विविध सेवाएँ	1,022	1,816	835	1,226	443
खनन	596	141	82	247	217
व्यापार	0	0	0	0	0
अन्य	215	470	226	102	137

अ: अंतिम

टिप्पणी: एफ डी आई में केवल एसआईए / एफआईपीबी और आरबीआई के माध्यम से आए हुए शामिल हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

